लुहरी हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना चरण –1, के लिए हिमाचल प्रदेष के शिमला और कुल्लु जिलो में भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आकलन एंव सामाजिक प्रभाव प्रबंधन

हिमाचल प्रदेष भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति)

नियम–2015 के तहत

हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई को प्रस्तुत

जुलाई 2018

एएफसी इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में कृषि वित्त निगम लिमिटेड)
(एक आईएसओ 2001–2008 कंपनी)
मुख्यालय
धनराज महल, सीएसएम मार्ग, मुंबई – 400001

उत्तर भारत में कार्यालय
बी 1/9, सामुदायिक केंद्र, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058
www.afcindia.org.in

प्रस्तावनाः—

हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा लूहरी परियोजना को वर्ष 2008 में परिकल्पित की गई जिसमें सरकार के संयुक्त प्रस्तावित सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा बिना तीन चरणों में निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। परियोजना तीन चरणों में तीन बांधों के निर्माण पर विचार करती है जिसमें त्री स्तरीय क्रमशः लुहरी हाइड्रो—इलेक्ट्रिक परियोजना चरण —1 (210 मेगावॉट), लुहरी हाइड्रो—इलेक्ट्रिक परियोजना चरण —2 (163 मेगावाट) और सुनी बांध हाइड्रो—इलेक्ट्रिक परियोजना (373 मेगावाट) प्रस्तावित है। इस परियोजना को रामपुर और कोल बांध हाइड्रो—इलेक्ट्रिक परियोजनाओं के बीच सतलुज नदी की जल विद्युत क्षमता का उपयोग करना है।

लुहरी एचईपी चरण —1 शिमला और कुल्लु जिलो निरथ गांव के समीप सतलुज नदी पर अवस्थित है। इस परियोजना में सतलुज नदी पर 80 मीटर ऊंचे कंक्रीट के घनत्व वाले बांध और और निरथ गांव के पास इसके किनारे पर सरफेस पावर टो हाउस के निर्माण के द्वारा 90 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष में विद्युत ऊर्जा का 758.20 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता है। यह निरथ गांव के पास दहिने छोर पर है। यह परियोजना, परियोजना स्थल के आठ राजस्व गांवों में फैले 1003 भू—स्वामीयों को प्रभावित करेगी। अस्तु, 100 हेक्टेर बांध के निर्माण से 50 हेक्टेर निजि भु स्वामियो की भूमि के निमग्न होने की आंशका है। यह परियोजना आठ राजस्व गांव में फैले 1003 भू—स्वामियो के भूमि को परियोजना स्थल के निकट होने के कारण प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिर्पोट फरवरी 2018 में तैयार की गई है। यह रिर्पोट हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई, शिमला द्वारा एएफसी इंडिया लिमिटेड को सामाजिक प्रभाव आंकलन के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस विवरण की संरचना एचपी एसआईए नियम —2015 के फॉर्म II और III के अनुकुल है। विश्वास किया जाता है कि रिपोर्ट के निष्कर्ष सभी नीति और निर्णय निर्माताओं को लाभान्वित करेंगी जिनमें सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना भी शामिल है।

तिथिः 2 जून, 2018

एएफसी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

विषयवस्तु क्रमणिका पृष्ठ

तालिकाओं की सूची..3

चित्रों की सूची..3

संक्षिप्त रूप...5

शब्दावली 7

कार्यकारी सारांश 11

1. परियोजना पृष्ठभूमि 15

1.1 अध्ययन 16

1.2 अध्ययन के उद्देश्य 16

1.3 पद्धतिपरक संरचना 17

1.4 अध्ययन का क्षेत्र 17

1.5 अध्ययन का परिणाम 18

1.6 प्रस्तावित परियोजना 18

1.7 परियोजना के तर्क 19

1.8 परियोजना की मुख्य विशेषताएं 20

1.9 विकल्पो की जांच...22

1.10 लागू कानून और नीतियां 22

2. दृष्टिकोण और कार्यपद्धती 28

2.1 अध्ययन का उद्देश्य और दृष्टिकोण 29

2.2 कार्य का निष्पादन 30

2.3 टीम संरचना 33

2.4 क्रियाकलापों और उपागमों की अनुसूची 35

3. भूमि आकलन 36

4. गणना का अनुमान 42

4.1 भूमि अनुमान का बाजार मूल्य 43

4.2 भूमि मूल्य की गणनाः 46

4.3 संलग्न संपतियों का मूल्यः 47

4.4 सोलेशियम और ब्याज 47

4.5 देयक निर्धारण के विचारर्थ मापदंण्ड 48

4.6 परियोजना से प्रभावित परिवारों की मांगें: 49

5. सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक रुपरेखा 50

6. सामाजिक प्रभाव 59

6.1 सामाजिक प्रभावो पर दृष्टिकोण 60

6.2 दरिद्रात्मक संकट 61

6.3 प्रभावो का विश्लेषण 62

7. लागत–लाभ एंव सिफारिशों का विश्लेषण 66

7.1 पुर्नवास और पुर्नस्थापन योजना 67

7.2 पात्रता प्रारूप. 72

7.3 पुनर्वास और पुर्नस्थापन 75

7.4 निष्कर्ष 75

7.5 अनुशंसा 81

8. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना 84

8.1 प्रभावकारी योजना के अंतर्गत विकास की पहल 85

8.2 सामाजिक प्रभाव की कमी के लिए सिफारिशें 90

8.3 एस.आई.एम.पी कार्यान्वयन के लिए परिव्यय 92

8.4 सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट को संस्थागत व्यवस्था मूल्यांकन 96

8.5 पुनर्वास और पुर्नस्थापन योजना एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था....97

8.6 शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) 98

8.7 अनुश्रवण और मूल्यांकन 99

संदर्भ 104

परिशिष्ट 1 : सर्वेक्षण प्रश्नावली

परिशिष्ट 2 : साक्षात्कार के दौरान उतरदाताओं की सूची

भूमि मालिकों की सूची जिनसे संपर्क नही किया जा सका

परिशिष्ट 3 : एस आई ए के लिए अधिसूचना

खसरावार निजि भूमि की सूची

सार्वजनिक उदेश्य के तहत परियोजनाओ की अधिसूचना

परिशिष्ट 4 : हि0प्र0 के नियमावली प्रपत्र–2 और प्रपत्र–3

परिशिष्ट 5 : सर्वेक्षण से उत्पन्न तालिका

परिशिष्ट 6 : जनसुनवाई की कार्यवाही

प्रार्थना प़त्र / पत्र / शिकायत / सुझाव जो एस आई ए टीम द्वारा प्राप्त किए गए।

जनसुनवाई का उपस्थिति पत्रक

प्रचार के माध्यम

जनसुनवाई की वीडियो सी.डी.

तालिकाओं की सूचीः–

तालिका 1.8.1: एल.एच.ई.पी की मुख्य विशेषताएं
तालिका 2.2.1: एस.आई.ए के लिए उपकरण और प्रतिदर्श
तालिका 2.3.1: एस.आई.ए टीम के सदस्य
तालिका 2.4.1: गतिविधि उपागम अनुसूची
तालिका 3.1: प्रभावित गांवो की जनसख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)
तालिका 3.2: प्रतिक्रियादाताओं के परिवारों के सदस्यो की कुल सख्या
तालिका 3.3: प्रभावित जिलो की साक्षरता दर (2011 की जनगणना के अनुसार)
तालिका 3.4: परियोजना पूर्व प्रभावित भूमिमालिको का आय स्तर।
तालिका 3.1.1: प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि का गांववार विवरण
तालिका 3.2.1: भूमि मालिकों का गांववार विवरण
तालिका 3.3.1: खेती और गैर खेती भूमि का गांववार विवरण
तालिका 4.1.1: भूमि के प्रकार व सर्किल दरें
तालिका 4.1.2: ग्रामवार भूमि का अधिग्रहण
तालिका 4.2.1: सभी राजस्व गांवों के लिए भूमि के मुआवजे की गणना
तालिका 4.3.1: संपत्ति के आकलन के लिए सक्षम प्राधिकारी/ विभाग
तालिका 4.5.1: मुआवजे के निर्धारण का तरीका
तालिका 5.13.1: निरथ में मुद्दा समूह चर्चा के प्रतिभागियों की सूची
तालिका 5.13.2: निथर में मुद्दा समूह चर्चा के प्रतिभागियों की सूची
तालिका 6.3.1: परियोजना के लिए ग्रामवार के अनुसार निजी भूमि आवश्यकता (हेक्टेयर में)
तालिका 7.2.1: पात्रता सांचा
तालिका 8.2.1: हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कारण होने वाले मुख्य प्रभाव और कमी के लिए सुझाए तरीके
तालिका 8.2.2: राजस्व गांववार भूमि को खोने वाले पीएएफ का विवरण
तालिका 8.3.1: भूमि पर मुआवजे का विवरण
तालिका 8.3.2: पेड़ों पर मुआवजे का विवरण
तालिका 8.3.3: पुनर्वास और पुर्नस्थापन की लागतों का विवरण
तालिका 8.3.4: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में के लिए कुल लागत का विवरण
तालिका 8.7.1: एस.आई.एम.पी. (SIMP) प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक
तालिका 8.7.2: परियोजना परिणाम मूल्यांकन के लिए संकेतक

चित्रों की सूची

चित्र 2.1.1: दृष्टिकोण और पद्धतिशास्त्र
चित्र 5.2.1: सामाजिक श्रेणी द्वारा पी.ए.एफ का वितरण
चित्र 5.8.1: निर्णय लेने में भूमिका निभाने वाली महिलाओं का प्रतिशत
चित्र 5.12.1: पी.ए.एफ के बीच एल.एच.ई.पी के बारे में जागरूकता
चित्र 5.13.1: नीरथ में मुद्दा समुह चर्चा से तस्वीरें
चित्र 5.12.2: नीरथ में मुद्दा समुह चर्चा से तस्वीरें
चित्र 8.6.1: शिकायत निवारण के चरण

संक्षिप्त रुप

AFC	AFC India Limited	एएफसी इंडिया लिमिटेड
BPL	Below Poverty Line	गरीबी रेखा से नीचे
CA	Chartered Accountant	चार्टर्ड एकाउंटेंट
CHC	Community Health Centre	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
CPRs	Common Property Resources	आम संपत्ति संसाधन
CS	Company Secretary	कंपनी सचिव
Dept.	Department	विभाग
EIA	Environmental Impact Assessment	पर्यावरण प्रभाव आकलन
Govt.	Government	स्रकार
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
HP Rules 2015	Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules 2015	हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन(सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम 2015 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार
HP SIAU	Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit	हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई
HR	Human Resources	मानव संसाधन
IPH	Irrigation and Public Health Department	सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग
L 2	Level 2 Health Facility	स्तर 2 स्वास्थ्य सुविधा
L 3	Level 3 Health Facility	स्तर 3 स्वास्थ्य सुविधा
LHEP	Luhri Hydro Electric Project	लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना
NGO	Non-Governmental Organization	गैर सरकारी संगठन
NHM	National Health Mission	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
OBC	Other Backward Castes	अन्य पिछड़ी जाति
PAFs	Project Affected Families	परियोजना से प्रभावित भु स्वामीयो के परिवार
PDFs	Project Displaced Families	परियोजना विस्थापित परिवार
PHC	Primary Health Centre	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PMAY	Pradhan Mantri Awas Yojana	प्रधान मंत्री आवास योजना

PWD	Public Works Department	लोक निर्माण विभाग
RTFCTLARR Act 2013	Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार
R&R	Resettlement and Rehabilitation	पुनर्वास और पुर्नस्थापन
SC	Scheduled Castes	अनुसूचित जाति
SIMP	Social Impact Management Plan	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना
SJVN	Satluj Jal Vidyut Nigam	सतलुज जल विद्युत निगम
ST	Schedule Tribe	अनुसूचित जनजाति

शब्दावली

• अधिनियम का अर्थ है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार।

• **भूमि अधिग्रहण से आशय** है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में प्रस्तावित लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत अधिग्रहित होने वाली भूमि।

• **प्रशासक** का अर्थ है प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुर्नस्थापन के लिए अधिनियम की धारा 43 के उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी।

• **प्रभावित क्षेत्र** का अर्थ है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एलएचईपी के लिए भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण नियमों के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र।

• प्रभावित परिवार से आशय हैः

1. एक परिवार जिसकी भूमि या अन्य अचल संपत्ति एलएचईपी के लिए अधिग्रहित की गई है।
2. एक परिवार जिसके पास कोई भूमि नहीं है, परन्तु ऐसे परिवार के सदस्य कृषि मजदूर हो सकते हैं,किसी भी प्रकार के किरायेदार हो सकते हैं या उपभोग अधिकार हो सकता है, हिस्सा बंटाने वाले कारीगर हो सकते है जो प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, तीन वर्षों से, भूमि अधिग्रहण पूर्व जिनके जीवनयापन का प्राथमिक स्रोत भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित है;
3. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जिनकी कोई भी मान्यता प्राप्त वन भूमि अधिकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण खो गए हैं जो कि अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उन्हें प्राप्त थे।
4. ऐसे परिवार, जिसके जीवनयापन का प्राथमिक स्रोत भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव से तीन साल पहले उन जल निकायों या वनों पर निर्भर है जिसमें वन उत्पाद को इकठा करने वाले, शिकारी, मछुआरे, नाविक और ऐसी आजीविका भी शामिल हैं जो भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण प्रभावित हो रही हैं।
5. परिवार का एक सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अपनी किसी भी योजना के अंतर्गत भूमि आवंटित की गई है और ऐसी भूमि वर्तमान में अधिग्रहण के अंतर्गत है।
6. परिवार जिनका भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से तीन साल या उससे पहले से ही प्रभावित क्षेत्र में रह रहे है या आजीविका का प्राथमिक स्रोत भूमि के अधिग्रहण से तीन साल से प्रभावित होने की सम्भावना है।
7. कृषि भूमि का अर्थ है जिसका निम्न उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना होः

(क) कृषि या बागवानी

(ख) डेयरी, खेती, मुर्गी पालन, मत्स्यपालन, सिरीकल्चर, पशु प्रजनन, नर्सरी, औषधीय जड़ी बूटी उगाना आदि।
(ग) फसल, पेड़, घास या बगीचा उगाना तथा

(घ) मवेशियों के चारागाह के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भूमि

• **गरीबी रेखा से नीचे या बीपीएल परिवारः** वे परिवार जिन्हें समय–समय पर भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के रूप में परिभाषित किया गया है और साथ ही साथ वे परिवार जिन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य की बीपीएल सूची में सम्मिलित किया गया है।

• केंद्र सरकार का अर्थ है भारत सरकार।

• मुआवजे का तात्पर्य है नीतिगत पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिकारों सहित परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई निजी संपत्तियों, संरचनाओं और अन्य परिसंपत्तियों के लिए अधिनियम 2013 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि।

• अधिग्रहण की लागत में शामिल हैंः

(1) मुआवजे की राशि, जिसमें सोलटियम (मुआवजा या सांत्वना), भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनर्वास प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित कोई भी विस्तारित प्रतिपूर्ति, तथा देय ब्याज और प्रभावित परिवारों को कोई भी अन्य देय सामग्री।

(2) अधिग्रहण की प्रक्रिया में भूमि की लागत और फसलों की स्थायी क्षति के लिए देय भुगतान

(3) विस्थापित या प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिवारों को स्थापित करने के लिए भूमि और भवन के अधिग्रहण की लागत,

(4) पुनर्वास क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के विकास की लागत,

(5) अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित पुनर्वास और स्थान परिवर्तन की लागत,

(6) प्रशासनिक लागत जिसमें निम्न शामिल हैंः

अ– परियोजना स्थल के आंतरिक व बाहरी भूमि के अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय, क्षतिपूर्ति की लागत के प्रतिशत से अधिक नही हो, जैसा कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है,

ब–भूमि के मालिकों और अन्य प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और स्थान परिवर्तन के लिए होने वाले व्यय, जिनकी भूमि को अधिग्रहित किया गया है या अधिग्रहण होना प्रस्तावित है या ऐसे अधिग्रहण के द्वारा प्रभावित अन्य परिवार।

(7) एसआईए अध्ययन उपक्रम की लागत।

• अन्तिम तिथि अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1) के अंतर्गत अधिसूचना की तारीख है।

• विस्थापित परिवार का अर्थ है कोई भी ऐसा प्रभावित परिवार, जिसे भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के कारण पुर्नस्थापित क्षेत्र में पुनर्वासित क्षेत्र से स्थानांतरित किया जाना है।

• जिला कलेक्टर का अर्थ राज्य सरकार द्वारा जिला के कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी।

• अतिक्रमण करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने अपनी इमारत, व्यापार परिसर या कार्यस्थलों या कृषि गतिविधियों को सरकारी भूमि पर प्रत्यारोपित किया है।

• परिवार का अर्थ है एक व्यक्ति, उस पर निर्भर उसके पत्नी/पति, बच्चे, भाई और बहन, विधवाओं, तलाकशुदा और परिवारों द्वारा परित्यक्त महिलाऐं जिन्हें क्रमशः अलग–अलग परिवार माना जाएगा।

• भूमि का संसाधन के रूप में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और मिट्टी से जुड़ी चीजें या मिट्टी से जुड़ी कोई भी तेजी से बढ़ती इकाई शामिल है।

• भूमि अधिग्रहण का अर्थ है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश सरकार, 2015 के साथ–साथ अन्य प्रासंगिक अनुदेशों में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करना।

• भूमि अधिग्रहण कलेक्टर का मतलब अधिनियम 2013 के अंतर्गत कलेक्टर के सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिकारी के रूप में नामित उप कलेक्टर या कोई भी अन्य अधिकारी।

• भूमिहीन का अर्थ है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

• भूमि मालिक में शामिल हैं–

(1) जिसका नाम संबंधित प्राधिकरण के रिकॉर्ड में भूमि या इमारत या उसके हिस्से के मालिक के रूप में दर्ज किया गया है,

(2) कोई भी व्यक्ति जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 या लागू होने वाले किसी अन्य कानून के अंतर्गत वन अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(3) जो निर्दिष्ट भूमि सहित राज्य के किसी भी कानून के अंतर्गत भूमि पर पट्टा अधिकार देने के हकदार हैं, तथा

(4) कोई भी व्यक्ति जिसे अदालत या प्राधिकरण के आदेश द्वारा ऐसा घोषित किया गया है।

• सिंमात किसान का मतलब एक किसान है जिसके पास खेती लायक एक हेक्टेयर या आधा हेक्टेयर तक भूमि होती है।

• बाजार मूल्य का अर्थ अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्य है।

• न्यूनतम मजदूरी का अर्थ श्रम विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार प्रति व्यक्ति द्वारा कि गई सेवाओं / श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी है।

• वार्षिक फसल का मतलब है कि पौधे की कोई भी प्रजाति जो स्वाभाविक रूप से या खेती के माध्यम से उगती है, और यह खास फसल एक ही मौसम के लिए रहती है और कटने के साथ ही खत्म हो जाती है।

• अधिसूचना का अर्थ है किसी भी मामले के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना, या राज्य के राजपत्र और शब्द अधिसूचना।

• वार्षिक फसल का मतलब है कि पौधों की प्रजातियां जो कई वर्षों तक जीवित रहती हैं और एक निश्चित समय के बाद फसल देती है।

- परियोजना का मतलब लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है।
- सार्वजनिक उद्देश्य का अर्थ अधिनियम 2013 की धारा 2 के उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट गतिविधियां।
- पुनर्वास और पुर्नस्थापन (आर एंड आर) का अर्थ आरएफसीटीएलएआर आई अधिनियम 2013 और एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियम 2015 के अनुसार पुनर्वास और पुर्न स्थापन करना है, जिसमें प्रभावित परिवारों और क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले लाभ संम्मिलित है।

- आर एंड आर एंटाइटेलमेंट का अर्थ है भारत सरकार के आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अनुसार दिए गए लाभ।
- यहां निकाय का अर्थ है एसजेवीएन से है।
- निर्धारित क्षेत्रों का अर्थ पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की धारा 2 में परिभाषित निर्धारित क्षेत्र है।
- लधु किसान का मतलब है कि दो हेक्टेअर तक बिना सिचांई वाली भूमि का मालिक अथवा एक हेक्टेअर की सिंचित भूमि वाला किसान, परन्तु तुलनात्मक रूप से सीमांत किसान से ज्यादा भूमि होनी चाहिए।
- सामाजिक प्रभाव आकलन या एसआईए का मतलब एचपी नियम 2015 की धारा 4 के उपधारा (1) के तहत किया गया मूल्यांकन है।
- सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान या एस.आई.एम.पी का अर्थ है एचपी नियम 2015 की धारा 4 के उपधारा (1) के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तैयार योजना।
- राज्य सरकार का आशय हिमाचल प्रदेश सरकार से है
- काश्तकार वे व्यक्ति है जिनके पास भूमि के अधिग्रहण से तीन साल पहले, स्पष्ट संपत्ति शीर्षक वाले संपत्ति मालिक के साथ, निवास, व्यापार या अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि पर कार्य करने के लिए एक भरोसेमंद काश्तकारी समझौता हो।
- अति संवेदनशील समूहों में कई प्रकार के व्यक्ति सम्मिलित हैं जैसे दिव्यांग, विधवा और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवार। साठ वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समूह शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- महिला मूलक परिवार का अर्थ है एक महिला की अध्यक्षता में परिवार जिसमे पुरूष अर्थोपाजक का आभाव पाया जाता है। यह महिला विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त हो सकती हैं

****

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांशः–

हिमाचल प्रदेश हिमालयी क्षेत्र में स्थित है और इसमें पानी के स्रोत प्रचुर मात्रा में है। सतलुज, ब्यास, चेनाब, रावी और यमुना की सहायक नदियां पूरे राज्य से होकर गुजरती है। ये सभी नदियां बर्फीली हैं और इसलिए बारहमासी हैं। प्राकृतिक जलाशयों और नदी के रास्तों में उपलब्ध बड़े स्थानों के अलावा ये नदियां राज्य में जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यधिक क्षमता प्रदान करती है। अनुमान के मुताबिक, इस राज्य की जल विद्युत क्षमता की कुल क्षमता 23000 मेगावॉट है, जिसमें से 31 मार्च को 2015 तक केवल 487.4 मेगावाट स्थापित की गई थी।

सतलुज नदी की जल विद्युत शक्ति की क्षमता का उपयोग करने के लिए, लुहरी हाइड्रो–इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (चरण –1) को 210 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। चरोंटा, रिवाली, भद्राश, नौला, नरोला, निरथ, शिमला के राजस्व गांवों और कुल्लू जिलों के नित्थर, देहरा और गडेज राजस्व गांवों से कुल 50.9712 हेक्टेयर की निजी भूमि अधिग्रहित की जानी है।

आठ प्रकार के भूमि अधिग्रहणों को अधिनियम 2013 में सार्वजनिक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया गया है, जिनमें से एक है सरकार द्वारा या सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा उपयोग के लिए रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों, बिजली और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण (जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है)। विशिष्टतः जनता के लिए सामान्य लाभ अर्जित करना, सार्वजनिक हित का प्रयोग करते हुए अधिनियम तब ही यथोचित होगा जब निजी उद्योग ने उन परियोजनाओं में से किसी एक के लिए भूमि अधिग्रहित की है, और सामान्य लाभ जनता को प्राप्त हों।

इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 और एचपी नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा। अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार, अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण अधिसूचना शुरू करने से पहले एक सामाजिक प्रभाव का आंकलन करना आवश्यक है। एचपी एसआईएयू ने एसआईए आयोजित करने के लिए एएफसी लिमिटेड को दायित्व सौंपा है।

इस परियोजना के लिए कुल भूमि के करीब 149.0671 हेक्टेयर अधिग्रहित की जानी है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 22 (वर्तमान राजमार्ग– 05) पास है। इनमें से 50.9712 हेक्टेयर निजी भूमि हैं। राजस्व विभाग के भू–अभिलेखों के अनुसार परियोजना प्रभावित भू–मालिकों को शामिल करते के लिए एसआईए आयोजित की गई। भूमि निती स्वामित्व के अधीन है जोकि छः ग्राम पंचाायतो में फैली हुई है। सामुदायिक सदस्यों और प्रमुख व्यक्तियों के साथ पीआरए आयोजित करने के अलावा, सभी पीएएफ के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली का प्रबंध मूल्यांकन के दौरान किया गया था।

बांध और पावर हाउस के लिए वैकल्पिक स्थलों का अध्ययन भी किया गया। मौजूदा बांध स्थल का चुनाव, विस्तार, नदी तल में अतिशय बोझ की तीव्रता की गुणवत्ता पर विचार किया गया। इन मुद्दों के आधार पर, बांध के निर्माण में कठिनाई और अधिक लागत के कारण निरथ के 1.5 किमी की अधोमुंखी स्थानियता को रद्द कर दिया गया था। पावर हाउस के लिए बांध के स्थान का चयन दायें किनारे पर किया गया था जिसमें कोमल ढलान है और इसलिए एक बड़ा पावर हाउस लगाया जा सकता है क्योकि बाई तट पर खुदाई की लागत अधिक है।

हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य व कल्याण, जीवन शैली, समुदयिक जीवन, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। यह भू–स्वामियों के अधिकारों को प्रभावित करेगी, और लोगों के बीच नए भय और अपेक्षाओं में वृद्धि करेगी। विकास परियोजनाएं कई समूहों को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। कुछ लोग लाभ लेते हैं, तो

किसी का नुकसान भी होता है। अक्सर, कुछ समूहों पर प्रभाव अवश्यम्भावी है जैसे आदिवासी, महिला–मूलक परिवार, बुजुर्ग व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति और गरीब। इस एसआईए में व्यक्तिगत और समुदाय पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावो का अध्ययन किया गया है।

इसमें भूमि आजीविका, संरचनाओं और सामुदायिक संसाधनों, पर्यावरण, सामुदायिक जीवन पर हुए प्रभाव शामिल हैं। निर्माण से पहले, निर्माण के दौरान और इसके बाद में प्रभाव का वर्णन विस्तार से किया गया है।

परियोजना के निर्माण से संबंधित सबसे प्रत्यक्ष और तत्कालिक प्रभाव है भूमि का अधिग्रहण। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, समूहों को मुआवजे और सहायता प्रदान की जाती है। ये सामाजिक इकाइयां सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने और परियोजना द्वारा अपनाए जाने वाले नीतिगत ढांचे के आधार पर मुआवजे और सहायता प्राप्त करती है।

एफजीडी के दौरान ये पाया गया कि भू–स्वामी सभी हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराने के इच्छुक थे। केवल कुछ इस आधार पर प्रश्न उठा रहे थे कि मुआवजा आपेक्षित रूप से किंचित कम मिलेगा। इसके अलावा, भूमि मालिकों को समय पर उचित बाधा मुक्त मुआवजे की मांग की गई थी, जिससे भूमि अधिग्रहण के बाद उन्हें नुकसान होने का अहसास नहीं होगा। यह तथ्य प्रकाश में आया कि बाधा मुक्त भुगतान प्रक्रिया स्थापित होनी चाहिए ताकि भूमि के अधिग्रहण और समय से भुगतान उन्हे खोइ हुए भूमि का अहसास कम दिलाए। अतः यह अनुशंसा की जाती है कि भूमि के कब्जे से पहले मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी पीएएफ के साक्षात्कारों पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सत्य माना जाता है। लेकिन यह स्वामित्व अधिकार का प्रामाणिक संस्करण नहीं है। निजी भूमि से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र 50.9712 एकड़ है जिसके लिए मुआवजे के सूत्र की गणना के अनुसार भूमिगत मुआवजे (खड़ी फसलों के लिए मुआवजे को छोड़कर) रू0 234,742,9563.50 (रुपये तेईस करोड़ चौहत्तर लाख उन्तीस हजार पांच सौ तिरेसठ रूपए एवं पचास पैसे केवल) तक आता है।

भूमि के मुआवजे पर ब्याज 12 प्रतिशत की दर से, अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार रू0 28,16,91547.62 – (अट्ठाइस करोड़ रुपये सोलह लाख इक्यानवे हजार पांच सौ सैंतालिस बासठ पैस केवल) की राशि का अनुमान लगाया गया है।

पेड़ के लिए मुआवजे रू0 3,70,13,000 – (तीन करोड़ रुपये सत्तर लाख तेरह हजार मात्र) अनुमानित है। हालांकि, पेड़ों की संख्या की गणना की जाएगी और वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के इस अनुमान में खड़ी फसलों के लिए मुआवजे शामिल नहीं हैं। फसलों के एवज में नकद मुआवजा औसत उत्पादन के आधार पर फसलों की बाजार लागत पर प्रदान किया जाएगा।

आर एंड आर व्यय के लिए कुल रू0 4,27,39000– (चार करोड़ सत्ताईस लाख उनतालीस हजार मात्र)रुपये के लागत का अनुमान है। आर एंड आर समेत भूमि अधिग्रहण की कुल लागत का अनुमान रू0 297,97,60,422.23 – (दो सौ सत्तानवे करोड़ सत्तानवे लाख साठ हजार चार सौ बाईस रू. और तेईस पैसा) है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम मुआवजे की राशि अधिनियम 2013 और एचपी नियम 2015 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के लिए कुल लागत का विवरण

कम सं	लागत का विवरण	राशि रूपये
1	भूमि के लिए मुआवजा **	234,74,29,563.50
2	मुआवजे (भूमि) राशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज	28,16,91,547.62
3	पेड़ के लिए मुआवजा	3,70,13,000.00
4	पुनर्वास और पुर्नस्थापन लागत	4,27,39,000.00
5	कुल लागत	270,88,73,111.12
6	विविध (कुल लागत का 10प्रतिशत)	27,08,87,311.11
	कुल (5+6)	**297,97,60,422.23**

** खडी फसलो के लिए भूमि अधिग्रहण का मुवावजा संम्मिलित नही है

इस मामले में, भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव 100 एकड़ से अधिक है। सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वास और पुर्नस्थापन समिति की गठन करेगी। यह समिति पुनर्वास और पुर्नस्थापन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा उतर सामजिक संपरीक्षा द्वारा ग्राम सभा के परार्मश सें करेगी। ग्रामसभा के परामर्श के बाद में कार्यान्वयन की सामाजिक लेखापरीक्षा करना होगा।

परियोजना अधिकारियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए एक अनुश्रवण और मूल्यांकन योजना विकसित किए जाने की आवश्यकता है। आर एंड आर की निगरानी और मूल्यांकन आर एंड आर के उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता और आर एंड आर की गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थायित्व के क्रियान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आंकलन करने का अवसर प्रदान करता है। अनुश्रवण प्रक्रिया परियोजना प्रभावित अत्यधिक संवेदनशील परिवारों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल परिवारों, महिला मूलक परिवारों, विधवाओं, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी।

******

अध्याय 1: विस्तृत परियोजना प्रष्ठभूमि

1. परियोजना पृष्ठभूमिः

1.1 अध्ययन

हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव आंकलन इकाई ने एएफसी इंडिया लिमिटेड को लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (एलएचईपी) के सामाजिक प्रभाव आंकलन के कार्य को सौंपा। अध्ययन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का शिमला और कुल्लू जिलों के आठ राजस्व गांव थे। लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण में आठ राजस्व गांवों से 50.9712 हेक्टेयर की निजी भूमि का अधिग्रहण शामिल था। यह सूचना खसरा संख्या द्वारा निजी भूमि के ब्योरे के साथ परिशिष्ट 3 में संलग्न है। भूमि अभिलेखों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित होने वाले संभावित पीएएफ की संभावना लगभग 1003 है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कुछ की भूमि का काफी हिस्सा निजि स्वामित्व से वंचित हो रहा हैं जबकि अन्यों का मामूली स्वामित्व जा रहा है। अध्ययन फरवरी, 2018 से मई 2018 के दौरान किया गया था।

1.2 अध्ययन के उद्‌देश्य

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं

(1) यह आकलन करने के लिए कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करेगा या नहीं।

(2) भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों का और भूमि अधिग्रहण की सीमा और उनके बीच परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जिनके शारीरिक रूप से और/या व्यावसायिक रूप से विस्थापित होने की संभावना है।

(3) भूमि का विस्तार – प्रस्तावित अधिग्रहण से किस सीमा तक निजी भूमि या सार्वजनिक भूमि सार्वजनिक और निजी घर व बस्तियों और अन्य आम संपत्तियों के प्रभावित कर रहा है।

(4) यह आंकलन के लिए कि किस सीमा तक अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि परियोजना के क्रियान्वयन हेतुए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता है।

(5) यह पता लगाने के लिए कि किन उद्देश्य के लिए वैकल्पिक स्थान के बारे में विचार किया गया है, जहां विस्थापन की कम सम्भावना हों।

(6) आम संपत्ति संसाधनों (सीपीआर), सामाजिक–आर्थिक आधारभूत संरचना आदि के नुकसान के कारण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित परिवारों को शामिल कर परियोजना के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करना तथा परियोजना के लागत और लाभ को कैसे प्रभावित करते हैं।

(7) परियोजना के प्रभाव को हल करने के लिए सुधारात्मक उपायों की सूची के लिए किस प्रकार की सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एस आई एम पी) तैयार करने की आवश्यकता है।

1.3 पद्धतिपरक संरचना

उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित पद्धति अपनाई गई थी। शिमला और कुल्लू जिलों के आठ राजस्व गांवों में शामिल सभी पीएएफए, जिनमें अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित 50.9712 हेक्टेयर भूमि पर स्वामित्व अधिकार रखने वाले लगभग 1003 भू–मालिक शामिल थे, को अध्ययन के लिए लिया गया। घरेलू सर्वेक्षण के उद्देश्य से, लागू करने से पहले एचपी एसआईएयू द्वारा टीम ने सर्वेक्षण प्रश्नावली विकसित की। सामजिक प्रभाव आंकलन दल (एस.आई.ए.टी) एएफसी द्वारा बनाई गई टीम ने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से गुणात्मक और संख्यात्मक अकाड़े एकत्र कर विश्लेषण किया। अध्ययन उपकरण में सामाजिक स्तर पर सामाजनिति, फोकस्ड ग्रुप चर्चा (एफजीडी), सहभागिता ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) तकनीकों के साथ घरेलू स्तर तथा और गांव स्तर के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण सूचनात्मक साक्षात्कार आयोजन प्रश्नावली शामिल (प्रधान, प्रभावित ग्राम पंचायतों के पूर्व–प्राधान आदि सम्मलित थे) है।

1.4 अध्ययन का क्षेत्र

आंकलन में सभी प्रासंगिक भूमि अभिलेखों का विस्तृत विश्लेषण, प्राथमिक स्रोतों से एकत्रित क्षेत्र के आंकड़े और क्षेत्रीय सत्यापनों के साथ–साथ समान परियोजनाओं की तुलनात्मक समीक्षा की गई है।

(क) प्रस्तावित परियोजना, इसमे सम्मिलित किस सीमा तक भूमि क्षेत्र अधिग्रहण और परियोजना के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और अन्य प्रभावों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का विस्तार।

(ख) परियोजना के लिए कितनी भूमि को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है और क्या विस्तारित क्षेत्र परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।

(ग) संभावित वैकल्पिक स्थल और उनकी व्यवहारिकता।

(घ) क्या भूमि निर्धारित क्षेत्र में अधिग्रहित की जानी चाहिए और क्या यह अंतिम उपाय है,

(च) भूमि अगर कोई पहले से ही खरीदी गई है, अलग है, इसे पट्टे पर लिया गया है या अधिग्रहण किया गया है और परियोजना के लिए आवश्यक प्रत्येक भूखंड के लिए इच्छित उपयोग किया गया है।

(छ) किसी भी सार्वजनिक अप्रयुक्त भूमि के उपयोग के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई सीमा उल्लेखित है या भूमि स्वामित्व में है।

(ज) भूमि की प्रकृति, भूमि का वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि यह एक कृषि भूमि है, तो सिंचित क्षेत्र कितना है और फसल प्रक्रम क्या है?

(झ) प्रभावित परिवारों की खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव,

(ट) जोत का आकार, स्वामित्व प्रारूप, भूमि वितरण, आवासीय घरों की संख्या, और सार्वजनिक एवं निजी बुनियादी ढांचे और अन्य मूर्त संपत्तियों का आकार, और

(ठ) पिछले तीन वर्षों में भूमि की कीमतों और स्वामित्व, हस्तांतरण और भूमि के उपयोग में संप्रति हुआ परिवर्तन।

1.5 अध्ययन का परिणाम

अध्ययन दल ने प्रभावित परिवारों की संख्या का आकलन किया औरं प्रभावित परिवारों का जनगणना पद्धति के माध्यम से उतर भूमि मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन के आधार पर अलग किया। परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रारूप पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित परियोजना स्थल में रहने वाले सभी गांव व समुदायों से सम्पर्क किया। क्षेत्र से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर और निर्देशकों के परामर्श से, परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक प्रभावों की प्रकृति, सीमा और तीव्रता का आंकलन इस मूल्यांकन में किये गये है। परियोजना के क्रियान्वयन के बाद होने वाले अनुमानित सामाजिक प्रभावों को हल किए जाने के लिए उठाये गये सुधारत्मक पहल व उपायों का सोशल इंपैक्ट मैनेजमेंट प्लान (सिमप) अध्ययन के एक हिस्से के रूप में भी तैयार किया गया। परियोजना के सकारात्मक, नकारात्मक प्रभाव और भू–स्वामित्व हीन परिवारों के विस्थापन के जोखिमों की पहचान की गई। तदनुसार, विस्थापित और परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और पुर्नस्थापन के लिए एक (शमन योजना) भी तैयार की गई है।

1.6. प्रस्तावित परियोजना

क) प्रारंभिक प्रस्तावः लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी) का प्रथम चरण हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में स्थित है और इसे पहले रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना और कोल बांध हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के पूर्ण रिजर्वोइयर स्तर के एंव पानी के बीच जल विद्युत क्षमता का उपयोग करने के लिए एकल चरण में विचार किया गया। इस प्रस्ताव की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (577+24 मेगावाट) जिसमें 10.5 मीटर डाया, 38 किमी लंबी हेड रेस सुरंग और 380 m^3/sec सेकंड के डिजाइन डिस्चार्ज के साथ मार्च 2013 को सीईए को सौंपी गई थी। इसके बाद, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसजेवीएन से सामाजिक और पर्यावरणीय या पारिस्थितिकीय चिंताओं के कारण लुहरी एचईपी को एकल चरण के स्थान पर बहुस्तरीय परियोजना के रूप में निष्पादित करने की संभावना का पता लगाने के लिए अनुरोध किया था क्योंकि इस परियोजना के एकल चरण के विकास ने 38 किमी लंबी सुरंग बिछाने पर विचार किया था।

ख) वर्तमान प्रस्तावः वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार, लुहरी एचईपी चरण –1 हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिलों में 210 मेगावाट की स्थापित क्षमता और 644.1 9 m^3/sec के डिस्चार्ज के साथ स्थित है। लूहरी जल विद्युत चरण–1 नदी मे बहते जल की विद्युत परियोजना है। इस प्रकार की परियोजना जलाश्य आधारित जल विद्युत परियोजनो से पडने वाले प्रभावो को शामिल नही करती। जल विद्युत के सुचारू संचालन के उदेश्य केवल कुछ समय के लिए जल का भंडारण किय जाता है और तदानुसार पुनः नदी में छोड दिया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार बांध के डाउन स्टीम में न्यूनतम जल प्रवाह लीन सीनज में 20 प्रतिशत, मानसून सीजन मे 30 प्रतिशत, नॉन लीन सीजन में 25 प्रतिशत और नॉन मानसून सीजन को बनाए रखा जाएगा। जल के निरन्तर प्रवाह का बनाए रखने के साथ साथ विद्युत दोहन हेतू अलग बाध टो पॉवर हाउस भी प्रस्तावित है

1.7. परियोजना के तर्क

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी हिस्से के पश्चिमी हिमालय में स्थित है। यह 56,673 वर्ग किमी क्षेंत्र में फैला है, और उत्तर में जम्मू–कश्मीर, पश्चिम और दक्षिणपश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिणपूर्व में उत्तराखंड भारतीय राज्यों और तिब्बत और चीन जैसे पड़ोसी देशों से पूर्वी सीमा से घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीली पहाड़ों का एक क्षेत्र है।

हिमाचल प्रदेश लगभग समुद्र तल से 350 मीटर से 6,975 मीटर की ऊंचाई के साथ लगभग पहाड़ी क्षेत्र है। यह 30°22’40”N अक्षांश से 33°12’20”N और देशांतर 75°45’55”E से 79°04’20”E. के बीच स्थित है। इसमें जटिल भूवैज्ञानिक संरचना और उपोउष्णकटिबंधीय अक्षांश में एक समृद्ध समशीतोष्ण वनस्पति के साथ एक गहरी विच्छेदित स्थलाकृति है।

हिमाचल प्रदेश राज्य हिमालय की तलहटी पर स्थित है। राज्य के अधिकांश क्षेत्र पहाड़ियों से ढके हुए हैं और इसलिए ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक बनाना मुश्किल है। राज्य के कुछ स्थानों को संकीर्ण गेज रेलवे ट्रैक यानि कालका और शिमला के बीच जुड़े हुए हैं, जबकि राज्य के मुख्य हवाई अड्डा शिमला के पास जुब्बरहट्टी, कंगड़ा के पास गगल और कुल्लू के पास भुंतर हैं। हालांकि, उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में राज्य के सड़क मार्ग बहुत अच्छे है। इस राज्य की राजधानी शिमला से चंडीगढ़ केवल 117 किमी, दिल्ली 343 किमी, अंबाला 151 किमी और देहरादून 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे राज्य में 1235 किमी की कुल सड़क लंबाई के साथ आठ राष्ट्रीय राजमार्ग है।

हिमाचल प्रदेश को अपनी पांच प्रमुख नदियों के रूप में जल विद्युत क्षमता का प्राकृतिक वरदान प्राप्त है। इससे प्रवाहित होने वाली नदियां और उनकी सहायक नदियां योजनाकारों और अभियंताओ को जल विद्युत क्षमता का सर्वोत्तम दोहन करने की लगातार चुनौती देती है। भारत, सरकार राज्य सरकार, संयुक्त उद्यम और राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा जलविद्युत परियोजनाएं क्रियान्यित है। हाइड्रो–इलेक्ट्रिक विद्युत संसाधनों के दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश में एकमात्र रणनीति है जितना संभव हो उतनी अधिक बिजली बनायी जाऐ और कम से कम लागत पर जितना संभव हो सके उतना कम से कम नकारात्मक परिथिति प्रभाव को पृष्ट किया जाऐ। हाइड्रो–इलेक्ट्रिक में पावर क्षमता का तेजी से दोहन राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार करेगा क्योंकि सभी नए प्रतिष्ठानों 12 प्रतिशत मुक्त बिजली प्लस परियोजना लागत का 1.5 प्रतिशत एलएडीएफ राज्य के संसाधनों को काफी हद तक बढ़ा देगा। परियोजना के लिए आवश्यकता भी व्यवस्ततम अविधि के दौरान बिजली की मांग में स्थिर वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा की कमी को आवश्यकतानुसार पूरा करने की आवश्यकता से कर सके। परियोजना निर्माण के दौरान एलएडीएफ की भागिता 1.5 प्रतिशत है और लाडा के लिए परियोजना लागत का 1 प्रतिशत नहीं है। तदोउपरांत परियोजना के चालू होने पर, राज्य सरकार को मुफत 12 प्रतिशत बिजली, आय को निरन्तर बनाए रखने हेतू अतिरिक्त 1 प्रतिशत एलएडीफ के लिए, कल्याणकारी योजनाओ के लिए, अतिरिक्त संरचनाओ के निर्माण हेतू, सामान्य सुविधाओ को निरन्तर बनाए रखने हेतू आदि सुविधाए परियोजना के अन्त तक दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने मुफत मिलनी 12 प्रतिशत हिस्सेदारी से योजना/बजटरी प्रावधान के द्वारा 1 प्रतिशत एलएडीएफ को दिए जाने का भी प्रावधान किया है। इस प्रावधान को एसएमआइएमपी मे भी दिया जाना चाहिए।

1.8. परियोजना की मुख्य विशेषताएं

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला व कुल्लू में निरथ गांव के समीप सतलुज नदी पर स्थीत है। बांध देशांत 77 डिग्री 77°32’4” E और अक्षांश डिग्री 31°21’40” N पर स्थित है। परियोजना के उदर्वप्रवाह पर 412 मेगावाट रामपुर जलविद्युत परियोजना है, जो 1500 मेगावाट नाथपा–झकरी परियोजना से आगे की ओर से निकलने वाले पानी का उपयोग करती है। लुहरी एचईपी चरण –1 परियोजना की निचली स्तर पर 800 मेगावाट कोल बांध हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना है।

तालिका 1.8.1: एलएचईपी की मुख्य विशेषताएं

स्थान	
राज्य	हिमाचल प्रदेश
थ्जला	शिमला और कुल्लू
न्दी	सतलुज
निकटतम गांव (बांध स्थल)	निरथ
रेल हेड	कालका (हरियाणा) 210 किमी
बांध स्थल का अक्षांश	31°21’40”N.
बांध स्थल का रेखांश	77°32’4”E
जल शक्ति	
मोड़ साइट पर पकड़ क्षेत्र	51600 km^2
स्नो–फेड कैचमेंट (कुल में से)	38827 km^2
90 प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष	2001-2002
90 प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष में कुल वार्षिक प्रवाह	9063 X 10^6 m^3
नदी मोड़ के लिए बाढ़ प्रवाह	750.00 m^3/sec
संभावित अधिकतम बाढ़ (पीएमएफ)	13462.00 m^3/sec
जलाशय	
पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल)	EL 857.00 m
अधिकतम जलाशय स्तर (पीएमएफ के अनुरूप)	EL 859.00 m
न्यूनतम ड्रा डाउन लेवल (एमडीडीएल)	EL 853.00 m
एफआरएल में सकल भंडारण	25.2 X 10^6 m^3
मृत भंडारण	18.9 X 10^6 m^3
लाइव स्टोरेज	6.3 X 10^6 m^3
जलाशय की लंबाई	6.00 km(approx.)
डीसिल्टिंग बेसिन	डीसिल्टिंग बेसिन के रूप में जलाशय काम करेंगे
बांध	
बांध का प्रकार	कॉक्रीट घनत्व
बांध का शीर्ष	EL 860.00 m
बांध साइट पर औसत नदी तल	EL 811.00 m
नदी तल से ऊपर बांध ऊँचाई	49.00m

अनुमानित गहरा फाउंडेशन स्तर	EL 780.00 m
बांध की अधिकतम ऊंचाई	80.00 m
बांध की शीर्ष पर लंबाई	224.50 m
बांध की शीर्ष की चौड़ाई	8.00 m
ओवरफ्लो होने वाले ब्लॉक की लंबाई	87.00 m
ओवरफ्लो न होने वाले ब्लॉक की लंबाई	137.50 m
बिजली बनाना	
मुख्य संयंत्र (2बाई 80 मेगावाट)	
वार्षिक ऊर्जा (90प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष में)	547.73 GWh
डिजाइन ऊर्जा	535.82 GWh
वार्षिक लोड फैक्टर	39.10%
सहायक संयंत्र (2बाई25 मेगावाट)	
वार्षिक ऊर्जा (90प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष में)	229.70 GWh
डिजाइन ऊर्जा	222.38 GWh
वार्षिक लोड फैक्टर	52%
अनुमानित लागत	
निर्माण कार्य	रू 1228.39 करोड़
ई एंड एम काम	रू 372.78 करोड़
कुल मूल लागत	रू 1601.17 करोड़
आईडीसी और वित्त पोषण शुल्क	रू 311.42 करोड़
कुल परियोजना लागत	रू 1912.59 करोड़
आर्थिक पहलू	
सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार 90प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष के दौरान पावर हाउस बस बार (आईडीसी समेत) में बिजली बनने की लागत (प्रथम वर्ष शुल्क)	
निशुल्क बिजली के संग	6.23 /kWh
निशुल्क बिजली के बिना	6.11 /kWh
सीईआरसी दिशानिर्देशों के अनुसार 90 प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष के दौरान पावर हाउस बस बार (आईडीसी समेत) में बिजली बनने की लागत (स्तर शुल्क)	
निशुल्क बिजली के संग	5.89 /kWh
निशुल्क बिजली के बिना	5.66 /kWh
निर्माण अवधि	
कुल निर्माण अवधि	5 साल 2 महीने

1.9. विकल्पों की जांच

परियोजना लेआउट के चयन का पता लगाने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन किए गए थेः

(1) निरथ में डैम टो पावर हाउस (210मेगावाट)

(2) खेगसू गांव में बांध और निरथ गांव मे पावर हाउस में 10.5 मीटर डाया, 9.0 किमी लंबी एचआरटी और 55.0 मीटर डाया है। बड़े सर्ज शाफ्ट डाया के कारण इस विकल्प को खारिज कर दिया गया है, जो उपलब्ध भूगर्भीय स्थितियों में निर्माण करना मुश्किल है।

(3) इसके अतिरिक्त, स्थान चयन के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक अध्ययन भी किया गया हैः

बांध का स्थानः शुरुआती चरण में दो बांध स्थलों की पहचान की गई, एक गांव निरथ के पास और दूसरा निरथ गांव के 1.5 किमी नीचे की ओर है। कई समस्याओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें नींव की गुणवत्ता, एबटमेंट, नदी तल में अतिशय बोझ की गहराई आदि शामिल थे। इन मुद्दों के आधार पर, निरथ के 1.5 किमी अधोगमुखी प्रवाह का स्थान अधिक लागत और बांध के निर्माण में अनुमानित कठिनाइयों के कारण रद्द कर दिया गया था।

पावर हाउस का स्थान : लूहरी एचईपी चरण –1 में, सतही पावर हाउस का प्रस्ताव दिया गया है। पावर हाउस साइट के चयन के लिए दो विकल्पों का अध्ययन किया गया।

क) 25 मेगावाट की दो इकाइयों को समायोजित करने के लिए बाएं किनारे पर छोटा पावर हाउस और 80 मेगावाट की दो इकाइयों को समायोजित करने के लिए दाएं किनारे पर मुख्य पावर हाउस।

ख) सभी चार इकाइयों (80x2 मेगावाट, 25x2 मेगावाट) को समायोजित करने के लिए दाएं किनारे पर एक पावर हाउस।

पहले विकल्प को बाएं किनारे पर खड़ी ढलानों के परिणाम स्वरूप सही नहीं माना गया है जो खुदाई की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं जिसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि हो सकती है। हालांकि, दाहिने किनारे में हल्की ढलान है, जहां एक बड़े पावर हाउस को समायोजित किया जा सकता है।

1.10. लागू कानून और नीतियां

यह खंड देश के मौजूदा कानूनों और विनियमों के बारे में चर्चा करता है जो लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के प्रस्तावित अधिग्रहण पर लागू होते हैं। परियोजना को कार्यान्वित करने और अंतराल की पहचान करने के लिए वैधताओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए अधिनियमों और नीतियों का विश्लेषण किया जाना जरूरी है। इसलिए, जिस कानूनी ढांचे को प्रस्तावित अधिग्रहण सामाजिक मुद्दों के संबंध में लागू किया जाएगा, उसे संक्षेप में दिया गया है। लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन पर लागू कानून इस तरह है।

• भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) अधिनियम –2013 (आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013)

• हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति)नियम–2015 (एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015)

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नसथापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) अधिनियम –2013 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को परिवर्तित करता है जोकि औपनिवेशिक काल से अस्तित्व में था। नया आरटीएफसीटीएलएआर अधिनियम पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में प्रमुख मुख्य कमियों को दुर करने के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास है।

यह अधिनियम भूमि मालिकों, औद्योगिकीकरण एवं अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे उद्योगों के विकास के हितों को संगत करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दलील देता है। अतः अधिनियम आधुनिक समय की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इस अधिनियम में अनिवार्य पुनर्वास और उन लोगों के पुनर्वास से संबंधित प्रावधान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण की जाती है और उन्हें उचित मुआवजे के लिए भुगतान जारी किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिनियम सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में भूमि मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करता है जो ग्रामीण इलाकों में बाजार मूल्य से चार गुना और शहरी क्षेत्रों में बाजार मुल्य से दो गुना हो सकता है। भूमि धारकों और अन्य प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम को लाभकारी और आवश्यक माना गया है।

यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण के साथ–साथ आर एंड आर के प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है। कुछ प्रमुख प्रावधान (क) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया; (ख) परियोजना प्रभावित परिवारों के अधिकार (ग) मुआवजे की गणना करने के तरीके; (घ) पुनर्वास और पुर्नस्थापन और (च) बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान से संबंधित हैं।

(क) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रियाः

i. अधिनियम के अनुसार, यदि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती है तो वह प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित पंचायत से परामर्श करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके परामर्श से सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) अध्ययन करेगी। इसके बाद, एक विशेषज्ञ समूह द्वारा एसआईए रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। विशेषज्ञ समूह में दो गैर–आधिकारिक सामाजिक वैज्ञानिक, पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ, और परियोजना से संबंधित विषय पर तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। एसआईए रिपोर्ट की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।
ii. भूमि अधिग्रहण के इरादे को बताने वाली एक प्रारंभिक अधिसूचना एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन की तारीख से 12 महीने के भीतर जारी की जानी चाहिए। इसके बाद, सरकार अधिग्रहित भूमि की सीमा निर्धारित करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करेगी। इस प्रक्रिया के लिए किसी भी आपत्ति की सुनवाई संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी (पृष्ठ 12, बिंदु 15 (2))। इसके बाद, यदि सरकार संतुष्ट है कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि के एक विशेष टुकड़े का अधिग्रहण किया जाना चाहिए,

तो भूमि अधिग्रहण की घोषणा की जाती है। एक बार यह घोषणा प्रकाशित हो जाने के बाद, सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी। अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक निर्दिष्ट अधिसूचना की तारीख से निर्दिष्ट भूमि के लिए कोई लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) परियोजना प्रभावित परिवारों के अधिकार

अधिनियम की पहली अनुसूची ने अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य के संदर्भ में परियोजना प्रभावित परिवारों को कई अधिकार दिए हैं। इसके अलावा, अधिनियम की दूसरी अनुसूची विकसित भूमि का चयन करने, एन्युटि या रोजगार की पसंद, निर्वाह अनुदान, देरी के मामले में मुआवजे पर ब्याज, परिवहन लागत, मछली पकड़ने के अधिकार आदि के विकल्प के माध्यम से विस्थापन के मामले में पीएएफ के अधिकारों की सुरक्षा करती है।

(ग) मुआवजे की गणना करने का तरीका

यह अधिनियम भूमि अधिग्रहण के कारण भूमि, संरचनाओं, आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजे की गणना करने की विधि पर सलाह देता है। न्यूनतम मुआवजे को कुल बाजार मूल्य के कुल के साथ–साथ संपत्ति से जुड़ी परिसंपत्तियों के मूल्य, संपत्ति के मूल्य सहित संपत्ति के बाजार मूल्य के 100प्रतिशत के बराबर एक सोलैटियम के रूप में गणना की जाती है। मुआवजे की गणना के लिए विधि अध्याय 8 में विस्तार से दी गई है।

(ध) पुनर्वास और पुर्नस्थापन

आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम को प्रत्येक अधिग्रहण के मामले में आर एंड आर की आवश्यकता होती है। एक बार अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित हो जाने के बाद, एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। प्रशासक एक सर्वेक्षण आयोजित करेगा और आर एंड आर योजना तैयार करेगा।

इस योजना पर स्थानीय निकायों में चर्चा की जाएगी। आर एंड आर योजना के लिए कोई आपत्ति प्रशासक द्वारा सुनी जाएगी। इसके बाद, प्रशासक एक रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे जिला कलेक्टर को जमा करेगा। कलेक्टर इस योजना की समीक्षा करेगा और आर एंड आर के लिए नियुक्त आयुक्त को जमा करेगा। एक बार जब आयुक्त आर एंड आर योजना को मंजूरी दे देता है, तो सरकार आर एंड आर के प्रयोजन के लिए आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करने की घोषणा जारी करेगी। फिर योजना के निष्पादन के लिए प्रशासक जिम्मेदार होगा। आयुक्त इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।

इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित न्यूनतम आर एंड आर अधिकार/हक हैं:

1. 12 महीने के लिए प्रति विस्थापित परिवार प्रति माह 3000 रुपये की गुजारा भत्ता देगा।
2. प्रभावित परिवार इसके हकदार वहां होंगे: (क) जहां परियोजना के माध्यम से नौकरियां पैदा की जाती हैं, प्रति परिवार एक सदस्य के लिए रोजगार या (ख) प्रति परिवार 5 लाख रुपये या (ग) मुद्रास्फीति के लिए उचित सूचकांक के साथ 20 साल के लिए प्रति वर्ष रु 2000 प्रति माह के रूप में प्रति परिवार। परिवार के पास विकल्प होगा कि वह क, ख या ग तीनों में से कोई भी विकल्प चुन सके।
3. यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घर नाकारात्मक रूप से प्राभवित होता है, तो प्रधान मंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक तैयार घर प्रदान किया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में एक घर खो गया है, तो एक निर्मित घर प्रदान किया जाएगा, जो उस क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। किसी भी मामले

में परियोजना प्रभावित परिवार की प्राथमिकता के अनुसार घर की समतुल्य लागत घर के बदले भी प्रदान की जा सकती हैः

4. अगर सिंचाई परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की जाती है तो कमांड एरिया में प्रत्येक परिवार को एक एकड़ भूमि दी जाएगी मगर यह मुआवजे के बदले में होगी।
5. परिवहन के लिए 50,000 रू देय होगा।
6. एकमुश्त पुर्नस्थापन भता रू0 50,000 देय होगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधानः आर एंड आर पैकेज के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार निम्नलिखित अतिरिक्त लाभों के हकदार होंगेः

1. एक मुश्त वित्तीय मदद रु 50000 प्रति परिवार
2. जिले के बाहर बस गए परिवार अतिरिक्त 25प्रतिशत आर एंड आर लाभ के हकदार होंगे
3. मुआवजे की राशि का एक तिहाई भुगतान प्रारम्भ में देय होगा।
4. एक ही सघन ब्लॉक में किसी क्षेत्र में स्थानांतरण और पुनर्वास की प्राथमिकता होगी।
5. समुदाय और सामाजिक सभाओं के लिए मुफ्त में भूमि उपलब्ध होगी।
6. विस्थापन के मामले में, एक विकास योजना तैयार की जाएगी तथा
7. आरक्षण और अन्य अनुसूची पांच और अनुसूची छह का लाभ प्रवजित से पुर्नवास योग का लाभ प्रदान करना।

(च) बुनियादी ढांचे के लिए प्रावधान

जैसा कि इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में बताया गया है, पुनर्स्थापित गांवों में आबादी के पुनर्वास के लिए, विशिष्ट आधारभूत सुविधाओं और बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं जैसे सभी मौसम के लिये अनुकुल सड़के सड़कों, सुरक्षित पेयजल, उचित जल निकासी, उचित मूल्य वाली दुकानें, पंचायत घर, बुनियादी सिंचाई सुविधा, दफन और श्मशान भूमि, सभी घरो मे बिजलीं, स्कूल सुविधा, उप–स्वास्थ्य केंद्र इत्यादि के लिए बिजली की आपूर्ति, भूमि अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रदान की जानी होगी।

हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति)नियम–2015 (एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम 2015)

केंद्रीय अधिनियम, 2013 के आधार पर एचपी आरटीएफसीटीएलआरआर नियम 2015 हिमाचल प्रदेश राज्य में भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करने की प्रक्रिया को बताता है। नियमों की मुख्य विशेषताएं हैं (क) फॉर्म II और III के अनुसार एसआईए और एसआईएमपी का आयोजन (ख) सार्वजनिक सुनवाई (ग) सहमति

(क) एसआईए और एसआईएमपी का आयोजन

1. फॉर्म II: सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट राज्य सरकार को इसके शुरू होने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर जमा की जाएगी और इसमें लिखित में प्रभावित परिवारों के विचार शामिल होंगे। यह फॉर्म एसआईए रिपोर्ट की संरचना और सामग्री को वर्णन करता है।
2. फॉर्म III: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के प्रभाव को संबोधित करने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को बताता है और इसे सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। यह फॉर्म एसआईएमपी की सामग्री पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

सामाजिक आंकलन रिपोर्ट और सोशल प्रभाव प्रबंधन योजना को संबंधित पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम दोनों में जैसा भी लागू हो, प्रभावित इलाकों में और कार्यालयों में गांव के स्तर या वार्ड स्तर पर

तहसीलदार जिला कलेक्टर, उप–मंडल मजिस्ट्रेट हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध कराएगा। उसे और राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। फॉर्म II और III परिशिष्ट 4 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

(ख) सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन –

i. सार्वजनिक सुनवाई को सामाजिक प्रभाव आंकलन के मुख्य निष्कर्ष निकालने, निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया मांगने और अंतिम रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अतिरिक्त जानकारी और विचारों की तलाश करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा।

ii. राज्य सरकार की वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने के अलावा ग्राम पंचायत या नगरपालिका वार्ड प्रतिनिधियों के साथ सीधे संचार के माध्यम और स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा, रेडियो में प्रसारण करके, अधिग्रहित होने वाली भूमि के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में सार्वजनिक अधिसूचनाओं और पोस्टर्स के माध्यम से तीन हफ्ते पहले सार्वजनिक सुनवाई की तिथि और स्थान की घोषणा की जाएगी।

iii. प्राथमिक सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का मसौदा सार्वजनिक सुनवाई से तीन हफ्ते पहले हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया जाएगा और सभी प्रभावित ग्राम पंचायतों और नगर निगमों को वितरित किया जाएगा। मसौदा रिपोर्ट की एक प्रति जिला कलेक्टर के कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी।

iv. अपेक्षक निकाय के प्रतिनिधियों, नामित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुर्नस्थापन कार्यकर्ताओं, लोक प्रतिनिधियों, स्थानीय स्वैच्छिक संगठनों और मीडिया को सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा।

v. सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही वीडियो दर्ज की जाएगी और तदनुसार प्रतिलिपि बनाई जाएगी। इस रिकॉर्डिंग और प्रतिलिपि को अंतिम सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) सहमति

संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार फॉर्म –4 के भाग–क में प्रभावित भूमि मालिकों की पहले से सहमति प्राप्त करेगी। साथ ही राज्य सरकार कई तरह के कदम उठाएगी जैसे भूमि अधिकारों, भूमि में शीर्षक और प्रभावित क्षेत्रों में अन्य राजस्व अभिलेखों से संबंधित रिकॉर्ड अपडेट करना आदि, जिससे भूमि मालिकों, भूमि के निवासियों और व्यक्तियों के नामों को पूर्व सहमति प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले पहचाना जा सके।.

a) ग्राम सभा की सहमति

i. जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के परामर्श से प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए तारीख, समय और स्थान को तीन हफ्ते पहले सूचित करेगा और कथित बैठक ग्राम सभा के सदस्यों को भाग लेने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियान आयोजित करेगा।

ii. बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर पंजिका में दर्ज की जाएगी।

iii. सहमति को वैध मानने पर विचार करने के लिए ग्राम सभा के कुल सदस्यों का संख्या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 की अधिनियम संख्या 4) में निर्धारित संख्या जैसा ही होगा।

iv. प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए सहमति देने या रोकथाम के लिए फॉर्म–ख के भाग–चार में बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा और संकल्प में पुनर्वास और पुर्नस्थापन मुआवजे, प्रभाव प्रबंधन और हल के लिए बातचीत के नियम और शर्तें शामिल होंगी जिनके लिए अपेक्षक निकाय प्रतिबद्ध है और जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा या नामित जिला अधिकारी द्वारा आवश्यक निकाय के प्रतिनिधि के साथ हस्ताक्षर लेने होगे।

b) प्रभावित भूमि मालिकों की सहमति -

i. जिला अधिकारियों, अपेक्षक निकाय के सक्षम प्राधिकारी और एसआईए टीम की उपस्थिति में प्रभावित भूमि मालिकों की बैठक में प्रभावित भूमि मालिकों के सामने एक हस्ताक्षरित घोषणा की जाएगी, कि वह आवश्यक भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति देता है या रोकता है। यह पूरी बैठक भी वीडियो में दर्ज की जाएगी और पूरी कार्यवाही लिखित रूप में पंजीका में डाली जाऐगी।

ii. सहमति प्रक्रिया का नतीजा ग्राम पंचायत के कार्यालय और राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

टिप्पणी- एसजेवीएन भारत सरकार का उपक्रम (पीएसयू) होने के कारन एवम हिमाचल प्रदेश नियम सेक्शन–2(2) अध्याय 3 के तहत, सहमती लेने के लिए बाध्य नहीं है

****

अध्याय 2: दृष्टिकोण और कार्य पद्धति

2.1 दृष्टिकोण और कार्य पद्धति

2.1 अध्ययन का उद्देश्य और दृष्टिकोण

अध्ययन का लक्ष्यः अध्ययन का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 में निष्पक्ष मुआवजे और पारदर्शिता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुसार एक सामाजिक प्रभाव आकलन के अध्ययन का संचालन भी आवश्यक है।

अध्ययन का उद्देश्यः सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का उद्देश्य संरचनाओं, परियोजना से प्रभावित परिवारों और लोगों के सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के लिए एक पूरी सूची तैयार करना है। वर्तमान अभ्यास के लिए आकड़ो का सकंलन करने के लिए, क्षेत्र से प्राथमिक आकड़ो के अलावा अनेक द्वितीय आकड़ो स्रोतों से परामर्श लिया गया था। सभी हितधारकों की एक सूची तैयार की जाऐगी जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार परियोजना द्वारा सीधे प्रभावित होगे। इस प्रकार अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

क) परियोजना के लिए तर्क, जिसमें परियोजना आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध सार्वजनिक उद्देश्य मानदंडों को कैसे माध्यम बनता है

ख) भूमि आंकलन, भूमि अभिलेख और क्षेत्र सत्यापन के आधार पर, सामाजिक प्रभाव आकलन प्रभावित परिवारों की संख्या और उनके बीच विस्थापित परिवारों की संख्या का अनुमान प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि, जहां तक संभव हो, सामाजिक प्रभाव आकलन टीम परियोजना क्षेत्र में सभी प्रभावित परिवारों की गणना करेगी। जहां कहीं भी गणना मूल्यांकन संभव नहीं है; एक प्रतिदंश सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई (एसआईएयू) द्वारा लिया जाएगा।

ग) उपरोक्त नियमों के फॉर्म –2 के अनुसार क्षेत्रीय दौरे और परामर्श के साथ उपलब्ध आकड़ो और सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रोफ़ाइल तैयार की जानी है। पहचान की गई पुनर्वास स्थलों का दौरा किया जाएगा और भूमि की एक संक्षिप्त सामाजिक आर्थिक प्रोफ़ाइल और इसकी वर्तमान में रहने वाले जनसंख्या का संकेत दिया जाएगा।

घ) ऊपर सूचीबद्ध प्रक्रियाओं और प्रभावित परिवारों और प्रमुख हितधारकों के परामर्श से एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर, प्रस्तावित परियोजना का सामाजिक प्रभाव प्रस्तावित परियोजना निष्पादन और भूमि अधिग्रहण से जुड़े सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक प्रभावों की प्रकृति, सीमा और तीव्रता की पहचान और आकलन करेगा।

ड.) सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया में **सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना,** की तैयारी शामिल है, जो मूल्यांकन के दौरान पहचाने गए सामाजिक प्रभावों को हल करने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय पेश करेगी।

च) सामाजिक प्रभाव आकलन प्रस्तावित परियोजना के प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों के संतुलन और वितरण का निर्णायक मूल्यांकन प्रदान करेगा और शमन उपायों सहित भूमि अधिग्रहण, और प्रस्तावित परियोजना से लाभ प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से अधिक है या नहीं, प्रभावित परिवारों द्वारा प्रस्तावित शमन उपायों के बाद भी अनुभव किया जा सकता है,विदित हो कि प्रभावित भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के परिणामस्वरूप प्रभावित परिवारों को आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से बेहाल होने का खतरा बना रहता है।

दृष्टिकोण और पद्धतिशास्त्रः सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन करने और एसआईएमपी (SIMP) तैयार करने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण को नीचे वर्णित किया गया है और संदर्भ की अवधि (टीओआर) में उल्लिखित कार्य के दायरे पर संरचित किया गया है। एसआईए को आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 और एचपी आरटीएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015 के अनुसार तैयार किया गया है। चित्र 2.1.1 नीचे प्रवाह चार्ट के रूप में एसआईए अध्ययन के दृष्टिकोण और कार्य पद्धति को प्रस्तुत करता है।

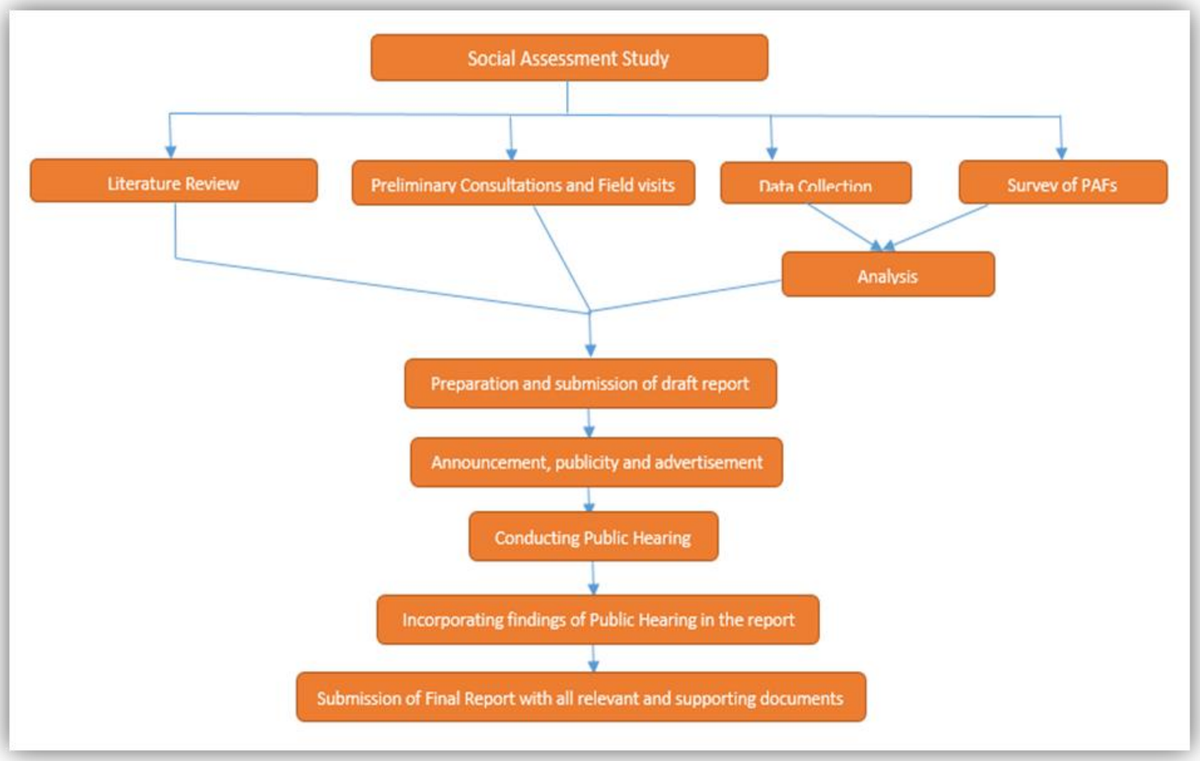

चित्र 2.1.1 दृष्टिकोण और कार्य पद्धति शास्त्र

2.2 कार्य का निष्पादन

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 में निर्धारित एसआईए तैयार करने की प्रक्रिया क्षेत्र में जांचकर्ताओं और गणनाकारों की एक समर्पित टीम की तैनाती के माध्यम से की गई है। मौलिक स्तर के आकड़ो को एकत्र करने के लिए एक टीम में एक पर्यवेक्षक और आठ गणनाकार तैनात किए गए थे। टीम का नेतृत्व एक टीम लीडर द्वारा किया गया था जिसके पास एसआईए को आयोजित करने के प्रासंगिक अनुभव थे और स्थानीय लोगो कर्मचरियों और जन प्रतिनिधियो के सामंजस्य में संपादित किया गया था।

स्थानीय समीक्षाः राजस्व मानचित्र, जिला जनगणना पुस्तिका, जिला राजपत्र, जिला सांख्यिकी, मानचित्र और मौजूदा आजीविका परियोजनाओं, सरकारी रोजगार योजनाओं और सेवा क्षेत्रों पर जानकारी जिसमें संबंधित जिलों / खण्ड़ो में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हैं, सरकारी और गैर–सरकारी स्रोतों से एकत्र किए गए थे और समीक्षा की गई थी। इस तरह के प्रासंगिक आकड़ो का संग्रह और समीक्षा मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं और सेवा वितरण प्रणाली की उपलब्धता के बारे में बोध विकसित करना था।

निर्देष कार्य पद्धतिः अध्ययन के लिए, टीम का उद्देश्य राजस्व विभाग, शिमला से प्राप्त सूची के अनुसार सभी पीएएफ तक पहुचं बनाना है। प्राथमिक आकड़े दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक तकनीकों का उपयोग करके प्राप्त किया गया है।

संख्यात्मक तकनीकः जनगणना और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के लिए पूर्व–परीक्षण संरचित प्रश्नावली अलग–अलग पीएएफ के बीच प्राप्त की गई थीं।

गुणात्मक तकनीकः गुणत्मक तकनीकों में भाग लेने वाले ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए), वंशावली (पारिवारिक वृक्ष), आजीविका विश्लेषण, केआईआई, वरीयता रैंकिंग, केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी), लोक परामर्श आदि का निर्माण शामिल है। सार्वजनिक सुनवाई पूरे कार्यप्रारूप का केन्द्रीय पहलू था।

तालिका 2.2.1ः एसआईए के लिए उपकरण और प्रतिदर्श

उपकरण जो अपनाये गये	उत्तरदाताओं के प्रकार	निर्दशकों की संख्या
घरेलू सर्वेक्षण प्रश्नावली	परियोजना प्रभावित भू–मालिकान (पीएएफ) से मुखिया/ वयस्क सदस्य के प्रमुख	1003
मुद्रा समूह चर्चा (असंगठित)	गांव के समुदाय	दो गांव (निरथ और नित्थर) 10 नंबर और 15 नंबर सदस्य
मुख्य सूचनात्मक साक्षात्कार (असंगठित)	ग्राम प्रधान, महिला समूह और सामुदायिक नेतागण	सभी आठ गांवों में

सभी आठ राजस्व गांवों में विभाग द्वारा लिखित भुमि खोने वालो की संख्या 1003 हैं। कुल भुमि मालिको मे से 920 भूमि मालिकों के साथ विस्तृत साक्षात्कार आयोजित किए जा सके। शेष को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि वे कहीं और प्रवजित किए गए थे, या आजीविका स्रोतों के लिए दूर–दूर के स्थानों पर रहते है भूमि स्वामीयों की दोनों श्रेणियों का विवरण (साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार नहीं हुआ) परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। शेष भू–मालिक मिल नही सके क्योकि कुछ स्थान पर परिवर्तित कर गये है या आजीविका के लिए दूर दराज क्षेत्रों मे रह रहे है।

अध्ययन उपकरण की तैयारी : निष्पादन और निगरानी के तरीके के साथ व्यापक पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए, यह प्रस्तावित परियोजना से भू–स्वामी के बारे में प्रामाणिक जानकारी को सुरक्षित करने की पूर्व–आवश्यकता थी। इस उद्देश्य के लिए, परियोजना क्षेत्र में परिवारों के सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण को संरचित और अर्ध–संरचित प्रश्नों (परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न) सहित विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग करके जनगणना सर्वेक्षण के साथ आयोजित किया गया था। प्रश्नावली में जानकारी की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा, मात्रात्मक जानकारी को प्रमाणित करने के लिए कुछ गुणात्मक जानकारी भी एकत्र की गई थी। सुझाव और संशोधन के लिए एचपी एसआईएयू को एक मसौदा प्रश्नावली विकसित और प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्र में पूर्व परीक्षण के बाद प्रश्नावली को अंतिम रूप दिया गया था।

क्षेत्र भ्रमण निरीक्षण और सर्वेक्षणः प्रश्नावली पेशेवर सर्वेक्षणकर्ताओं / गणनाकर्ताओं द्वारा भरी गई थी जिन्हें एसआईए के टीम लीडर द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। परियोजना क्षेत्र / संरेखण को जानने के लिए उन्हें एक दिन के लिए प्रोजेक्ट साइट पर ले जाया गया। आकड़ो की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था ताकि निष्कर्ष पर पहुंचना प्रामाणिक और भरोसेमंद हो जाये। उत्पदान तालिका के प्रसंस्करण और उत्पादन के लिए तार्किक जांच और उचित सर्वेक्षण के बाद उत्पन्न डेटा कंप्यूटर में एमएस एक्सेल पर दर्ज किया गया था।

संग्रहित आकड़ो का पर्यवेक्षण और जमीनी स्तर पर सत्यापन : कोर संग्रह के सदस्यों द्वारा आकड़ो संग्रह का पर्यवेक्षण किया गया था और साथ ही सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के तहत कवर किए गए पांच से सात प्रतिशत परिवारों के लिए बुनियादी सत्यापन आयोजित किया गया था। सर्वे डेटा ने परियोजना प्रभावित घरों / परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को अग्रसर किया। आकड़ो का विश्लेषण सामाजिक श्रेणी, लिंग, आय श्रेणी, परिसंपत्तियों के कब्जे और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के आधार पर किया गया था। सर्वेक्षण आकड़ो का विश्लेषण परियोजना भू–स्वामी की विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांतों और पात्रता मैट्रिक्स को विकसित करने में सहायक था।

हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई और परामर्शः अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। हितधारकों, लोगों के प्रतिनिधियों और समुदाय के लीडरों के साथ परामर्श किया गया। परामर्श ने विभिन्न हितधारकों और अपेक्षक निकाय के बीच चर्चा की गई जिससे परियोजना के प्रारंभिक चरण में किसी भी असहमति को हल करने की प्रक्रिया में सहायता की जा सके। परामर्श में सामुदायिक नेताओं, लोगों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों की भागीदारी ने मुद्दों को हल करने में सराहनीय भूमिका निभाई।

सामाजिक प्रभाव आकलन और शमन करने के उपायः एसआईए परियोजना क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए तैयार किया गया जो निजी / सामान्य / व्यापार / सांस्कृतिक संपत्तियों और रहने वाले लोगों पर या वहां पर व्यवसाय / काम करने वाले लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डालता। परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में वह क्षेत्र शामिल था जिसमें जायदाद / संपत्ति प्रभावित या जहां से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की जाएगी।

एसआईए टीम ने प्रस्तावित परियोजना के दुष्प्रभाव को कम करने या समाप्त करने के लिए कम व्यय वाले उपाय सुझाए। लाभकारी प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपाय की सिफारिश की गई थीं। इन उपायों को लागू करने की लागत अनुमानित थी और जहां भी संभव हो प्रस्तुत किया गये थे। एसआईए में कार्रवाई की एक योजना शामिल थी, जो मुख्य जिम्मेदार कार्यान्वयनकर्ता, समय सीमा और अपेक्षित परिणाम की पहचान करेगा।

द्वितीय स्त्रोतों से जानकारीः दूसरे स्त्रोतो से सूचना जैसे जनगणना पुस्तिका, सांख्यिकीय पुस्तिका, संबंधित विकास विभागों और अन्य उपलब्ध साहित्य से एकत्र किए गए थे। दूसरे स्रोतों से सुरक्षित आकड़े प्रभावित परिवारों और अन्य हितधारकों से क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित तथ्यों को एक साथ रखा गया। दूसरे स्रोतों से प्राप्त आकड़े विस्तृत क्षेत्र की जांच करने से पहले परियोजना क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थता के बारे में एक सरसरी नजरिए को डालने में मदद करता है।

सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण: आम संपत्ति संसाधनों पर प्रभाव की सीमा पहले उदाहरण में परियोजना गांवों की यात्रा के दौरान सुरक्षित थी। परियोजना क्षेत्र में होने वाली संरचनाओं की गणना के बाद, प्रभावित परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों पर प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए घरेलू सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण करने के प्रयास किए गए। घरेलू सामाजिक सर्वेक्षण घरेलू प्रश्नावली की मदद से तैयार किया गया था। प्रश्नावली में शामिल पहलुओं पीएएफ, सामाजिक रूपरेखा पारिवारिक विवरण, व्यवसाय, आय का स्रोत, पारिवारिक व्यय, दस्तावेज प्रमाण, घरेलू संपत्ति, प्रभावित संरचना पर जानकारी, वाणिज्यिक / स्व–रोज़गार गतिविधियों, रोजगार प्ररूप, सहमति और परियोजना पर पीएएफ के विचार और पुर्नःस्थापन और पुनर्वास पर लिये गये। प्रश्नावली का अधिकांश हिस्सा पूर्व–कूटी करण किया गया है एवं जो पीएएफ की राय और विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिन्हें मुक्तांत छोड़ दिया गया है।

2.3 टीम संरचना

सामाजिक प्रभाव आकलन टीम की संरचना निम्नलिखित मैट्रिक्स में दी गई है जिन्हें सामाजिक प्रभाव आकलन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी। विषय वस्तु विशेषज्ञ के पास पहले से इसी प्रकार के काम करने का विशिष्ट अनुभव है।

तालिका 2.3.1: एसआईए टीम के सदस्य

क्रम सं	नाम	पद	शिक्षा और अनुभव	उत्तरदायित्व
1	दिनेश गोदियाल	सामाजिक विशेषज्ञ	मानव विज्ञान में एमएससी ए श्रेणी परियोजनाओं के लिए एनएबीईटी मान्यता प्राप्त विशेष अनुभव एडीबी और विश्व बैंक सहित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन के साथ सामाजिक शोध और सर्वेक्षण आयोजित करने में 21 साल का अनुभव।	सर्वेक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, परामर्श, लोगो के साथ संपर्क और रिपोर्ट तैयार करना वे दल के साथ संपूर्ण समन्वय
2	अर्जिता पाल	शोधकर्ता और दल की मुखिया	क्षेत्रीय विकास में एम.फिल निगरानी और मूल्यांकन और लौत्रिक विश्लेषण में विशेषज्ञता के साथ सामाजिक विकास परियोजनाओं में 12 साल का अनुभव	सर्वेक्षण, सार्वजनिक सुनवाई, परामर्श, लोगो के साथ संपर्क और रिपोर्ट तैयार करने की संपूर्ण जिम्मेवारी
3	सौरभ पोरवाल	कार्यक्रम प्रबंधक	एमबीए	आंकड़ा संग्रह प्रक्रिया की योजना, निष्पादन और प्रबंधन,

			सामाजिक विकास और बाजार शोध में 15 वर्षों का अनुभव	एफजीडी आयोजित करना, हितधारकों के साथ संपर्क और परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करना।
4	आशीष कुमार	क्षेत्र समन्वयक	बी.ए. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सामाजिक और मार्केट रिसर्च में 15 साल का फील्ड अनुभव	भूमि और संरचना, सर्वेक्षण और आयोजन परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई पर आंकड़ो का संग्रह
5	मोहम्मद महदुल शेख	फ़ील्ड पर्यवेक्षक	बी.ए. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सामाजिक और मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में 8 साल का अनुभव	भूमि और संरचना, सर्वेक्षण और आयोजन परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई पर आंकड़ो का संग्रह
6	त्रिलोक नाथ मोहन्ता	क्षेत्र अन्वेषक	एम. ए. इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सामाजिक और मार्केट रिसर्च के क्षेत्र में 8 साल का अनुभव	भूमि और संरचना, सर्वेक्षण और आयोजन परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई पर आंकड़ो का संग्रह
7	मोहम्मद जावेद खान	क्षेत्र अन्वेषक	बी.ए. इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास, सामाजिक और बाजार शोत्र के क्षेत्र में 3 साल का अनुभव	भूमि और संरचना, सर्वेक्षण और आयोजन परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई पर आंकड़ो का संग्रह
8	कुलदीप सिंह	क्षेत्र अन्वेषक	12 वीं सामाजिक विकास के क्षेत्र में 6 साल का अनुभव	सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण–घरेलू साक्षात्कार आयोजित करना
9	गोविंद सिंह	क्षेत्र अन्वेषक	बी.ए. सामाजिक विकास के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव	सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण–घरेलू साक्षात्कार आयोजित करना
10	सौरव गुप्ता	क्षेत्र अन्वेषक	बी.ए.	सामाजिक–आर्थिक

			सामाजिक विकास के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव	सर्वेक्षण–घरेलू साक्षात्कार आयोजित करना
11	पोम्मी	क्षेत्र अन्वेषक	बी.ए. सामाजिक विकास के क्षेत्र में 2 साल का अनुभव	सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण–घरेलू साक्षात्कार आयोजित करना
12	चंद प्रकाश	क्षेत्र अन्वेषक	12 वीं सामाजिक विकास के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव।	सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण–घरेलू साक्षात्कार आयोजित करना

2.4 क्रियाकलापों और उपागमों की अनुसूची

अध्ययन एचपीएसआईएयू, शिमला से कार्य आदेश प्राप्त करने के चार महीने के भीतर पूरा हो गया था। आरंभ किए गए गतिविधियां और वितरणकर्ता को निम्नलिखित तालिका 2.4.1 में दिया गया है।

तालिका 2.4.1: गतिविधि उपागम अनुसूची

गतिविधि	2018																			
	फरवरी				मार्च				अप्रैल				मई				जून			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
टीम निर्माण																				
जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण																				
आंकडे प्रविष्टि और प्रसंस्करण																				
प्राथमिक रिपोर्ट का विश्लेषण और तैयारी																				
सार्वजनिक सुनवाई																				
प्राथमिक रिपोर्ट																				
प्राथमिक एसआईए और आईएसएमपी																				
अंतिम रिपोर्ट की तैयारी																				

अध्याय 3: भूमि आंकलन

3. भूमि आकलन

परियोजना से 6 ग्राम पंचायतो के 8 राजस्व गांव के 1003 भू–मालिक प्रभावित होगें। इन 8 गांवो की मूल आबादी का विवरण निम्न अनुसार है।

तालिका 3.1. प्रभावित गांवो की जनसख्या (2011 की जनगणना के अनुसारं)

गांव का नाम	कुल परिवारो की सख्या	गांव की कुल जनसख्या	गांव की कुल पुरूषो की जनसख्या	गांव कीं कुल महिलाओ की जनसख्या	गांव कीं कुल अनुसूचित जाति की जनसख्या	गांव की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसख्या
भद्राश	142	555	306	249	102	69
चरोंटा	8	31	17	14	11	0
रिवाली	50	181	88	93	19	0
नरोला	18	80	43	37	5	0
नौला	24	93	47	46	52	0
निरथ	216	834	436	398	291	10
नित्थर	796	3444	1743	1701	1559	4
गडेज	214	877	428	449	296	64

तालिका 3.2: प्रतिक्रियादाताओ के परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या

क्रमांक	परिवार सदस्यो का विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	पुरूष	1846	49.61
2	महिला	1875	50.39
	कुल	3721	100.00

कुल पुरूष सदस्यो की सख्या 1846 है और महिला सदस्यो की सख्या 1875 है, जो इसे कुल स्तर पर लींग अनुपात का लगभग बराबर वितरण बनाता है

तालिका 3.3: प्रभावित जिलो की साक्षरता दर।

जिले का नाम	2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की प्रतिशत		
	कुल	पुरूष	महिला
कुल्लू	80.14	88.8	71.01
षिमला	84.55	90.73	77.8

तालिका 3.4: परियोजना पूर्व प्रभावित भूमि मालिको का आय स्तर।

भू–मालिको का आय स्तर	सख्या	प्रतिषतता

50000 रूपये से कम	624 *	67.8
50001 रूपये से 100000 रूपये तक	33	3.6
100001 रूपये से 250000 रूपये तक	112	12.2
250001 रूपये से 500000 रूपये तक	78	8.5
500001 रूपये से 750000 रूपये तक	42	4.6
750000 रूपये से ज्यादा	20	2.2
साझा नही किया	11	1.2
कुल	**920**	100.0

* 624 में बीपीएल भू–मालिको की सख्या जोकि 45 है।

3.1 **भूमि की आवश्यकता।**

लूहरी जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक भूमि 149.0716 हैक्टेयर है जिसमे से 50.9712 हैक्टैयर निजी भूमि जोकि 6 ग्राम पंचायतो और 8 राजस्व गांव में फैली है।

तालिका 3.1.1 प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि का गांववार विवरण

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	वन भूमि (हेक्टेयर)	निजी भूमि (हेक्टेयर)	कुल भूमि (हेक्टेयर)
शिमला	शमाथला	रिवाली	0.4706	7.4322	7.9028
		चरोंटा	0.0779	0.3485	0.4264
		नौला	0.3553	1.3085	1.6638
		कुल	**0.9038**	**9.0892**	**9.993**
	निरथ	नरोला	0.8131	0.4248	1.2379
		निरथ	34.5165	8.9820	43.4985
		कुल	**35.3296**	**9.4068**	**44.7364**
	दत्तनगर	भद्राश	18.6373	4.6396	23.2769
		कुल	**18.6373**	**4.6396**	**23.2769**
कुल्लू	देहरा	नित्थर मुहाल	27.9367	18.0998	46.0365
		भूमिगत	2.4698	0	2.4698
		कुल	**30.4065**	**18.0998**	**48.5063**
	नित्थर	0	0	0	0
	गडेज	गडेज	12.8232	9.7358	22.559
		कुल	**12.8232**	**9.7358**	**22.559**
कुल योगः			**98.1004**	**50.9712**	**149.0716**

* ग्रम पंचायत देहरा के कालम के खिलाफ दिखाए गए अधिग्रहण/हस्थान्तरण के लिए प्रस्तावित निजी और वन भूमि वास्तव में राजस्व सम्पत्ति मोहाल नित्थर में पडती है। नित्थर मोहाल ग्रम पंचायत नित्थर को एक

गांव है। इसके अलावा यह गांव डाईवर्जन सुरंग से उपर स्थ्ति है, इसलिए ग्प्रम पंचायत नित्थर को भी प्रभावित पंचायत माना जाता है।

निजी भूमि भू–स्वामियो ने 1003 मे पाई जिसका विवरण परिशिष्ट 3 में उपलब्ध कराया गए हैं।

3.2. गांव के अनुसार भूमि मालिक

जमीन मालिकों के गांव वार विभाजन से पता चला कि अधिकतम संख्या 305 भूमि मालिक निथर गांव के हैं, इसके बाद निरथ में 248 हैं। इसके विपरीत, चरोंटा गांव में केवल दो भूमि मालिक थे और नरोला गांव में 54 भूमि मालिक थे। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 3.2.1ः भूमि मालिकों का गांववार विवरण

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	भूमि मालिकों की संख्या
शिमला	शमाथला	रिवाली	84
		चरोंटा	2
		नौला	103
	निरथ	नरोला	54
		निरथ	248
	दत्तनगर	भद्राश	114
कुल्लू	छेहरा	नित्थर	305
	गडेज	गडेज	93
2 जिला	**5** ग्राम पंचायत	**8** राजस्व गांव	**1003** जमीन मालिकों

3.3 भूमि का ग्रामवार विभाजन

नीचे दी गई तालिका के अनुसार भूमि के गांववार विभाजन से पता चला कि कुल निजी भूमि का 84% भूमि खेती की भूमि है। चरोंटा गांव में, अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित 97% जमीन पर खेती की जाती है, इसके बाद भद्राश में 91% और गडेज में 87% है। नरोला में लगभग 48% अधिग्रहित किये गए भूमि पर खेती नहीं की जाती है, तदोपरांत नौला में 38% है।

सबसे अधिक 305 जमीन मालिक निरथ गांव के हैं, इसके बाद नित्थर में 248 हैं। इसके विपरीत, चरोंटा गांव में केवल दो भूमि मालिक थे और नरोला गांव में 54 भूमि मालिक थे। विवरण निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं।

तालिका 3.3.1: खेती व गैर खेती भूमि का गांववार विवरण

गांव का नाम	खेती की भूमि (वर्ग मीटर)	गैर खेती की भूमि (वर्ग मीटर)	खेती की भूमि (% में)	गैर खेती की भूमि (% में)
रिवाली	61,620	12702	83%	17%
चरोंटा	3372	113	97%	3%
नौला	8131	4954	62%	38%
नरोला	2218	2030	52%	48%
निरथ	71,413	18407	80%	20%
भद्राश	42,250	4146	91%	9%
नित्थर	152,390	28,608	84%	16%
गडेज	84,935	12423	87%	13%
कुल	**426,329**	**83,383**	**84%**	**16%**

3.4. प्रभावित संपत्ति की संरचनाओं का विवरण

कुल 91 भू–मालिकान ने साझा किया कि उनकी भूमि में एक संरचना है जो परियोजना गतिविधियों से प्रभावित होगी जबकि शेष भूमि में कोई संरचना नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि मकान, झोपड़ियां, धराट [1]और मवेशी शेड शामिल हैं। हालांकि कई भू–मालिकान की संरचना अधिग्रहण से प्रभावित होगी, उनमें से 54 आवासीय प्रयोजनों के हैं। लगभग 91 (920 का 10%) भू–मालिकान ने साझा किया कि प्रभावित भूमि में उनकी संरचना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी या परियोजना गतिविधियों के कारण जलमग्न हो जाएगी। बाकी 90% भू–मालिकान की संरचनाएं बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगी।

91 प्रभावित संरचनाओं में से 77% अपने निर्मित, टाइल वाली छत और सीमेंट मंजिल के साथ अर्ध–स्थायी है, जबकि 24% अस्थायी इमारतों में मिट्टी / रीम / लकड़ी और फूस या टिन छत के साथ बनाई गई है। संरचनाओं का केवल 21% स्थायी तरह के हैं – जिन्हे आरसीसी के साथ बनाया गया है और एकल / डबल स्टोरी इमारतों में बनाया गया है।

संरचनाएं जो प्रभावित होंगी उन्हें अलग–अलग समय अवधि में बनाई गई थीं। इन संरचनाओं में से लगभग 41% पिछले 10 वर्षों में बनाए गए थे, उनमें से 24% 41–50 वर्ष पुराने हैं, 20% 11 और 20 वर्षों के भीतर बनाए गए थे, संरचनाओं का 7% 21–30 वर्ष पुराना है, 4 उनमें से 50 साल से अधिक पुराने हैं जबकि 4% 31–40 वर्ष पुराने हैं।

इन संरचनाओं का उपयोग आवासीय, वाणिज्यिक और अन्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन संरचनाओं में से 83% आवासीय उद्देश्यों जैसे घर और झोपड़ियों, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 11% और दुकानों के लिए 6% जैसे मवेशी शेड, घराट (वाटरविल्स या हिमालयी पनचक्की) आदि। इस प्रकार की जल

[1] घराट पारंपरिक पवन चक्की है हिमालायन क्षेत्रों में समुदाय आधारित संपत्ति है इन घराटों पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगो का स्मामित्व होता हे और जिसका स्वामित्व पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता हे

विद्युत परियोजनाओं के कारण इन घरों को क्षति पहुंच सकती है। सत्यापन के समय प्रभावित क्षेत्र में कोई भी घराट नही मिला।

कुल प्रभावित भूमि के चारों ओर लगभग नौ हजार पेड़ हैं, जिनमें से 51% में विभिन्न मौसमों में फल पैदा होते हैं और बाकी गैर–फल वाले पेड़ हैं। फलों में सेब, बेर, बादाम, चेरी, आम आदि शामिल हैं।

3.5. भूमि और संरचना के नुकसान के विरुद्ध वैकल्पिक विकल्प

सर्वेक्षण के दौरान, 52% भू–मालिकान ने साझा किया कि उनके पास अतिरिक्त भूमि नहीं है जहां उन्हें स्थानांतरित किया जा सके या जहाँ से वे अपनी आजीविका कमा सकें। भू–मालिकान के तीन–चौथाई से अधिक चाहते हैं कि परियोजना उन्हें स्थानांतरित करने में मदद करे, जबकि केवल 23% ने साझा किया कि वे खुद से पुर्नस्थापित होना चाहते हैं। भूमि खोने के एवज में, 97% से अधिक नकदी चाहते हैं। शेष जो हैं भूमि खोने के खिलाफ भूमि प्राप्त करना पसंद करेंगे, उन्होंने उर्वरता क्षमता के बारे में अपनी आशंका साझा की, स्थान (मुख्य सड़क और / या जल स्रोतों से समान दूरी पर) और अपेक्ष निकाय द्वारा उन्हें जमीन की कीमत प्रदान की जाएगी।

संरचना हानि के लिए, भू–मालिकान (14%) अधिग्रहण योजना के तहत खोए गए ढांचे के विपरीत परियोजना द्वारा समान संरचना बनवाना चाहते हैं। 86% ने संरचना हानि के खिलाफ नकदी प्राप्त करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं का हवाला दिया।

3.6 **प्रशासनिक संस्था :** प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण क्षेत्र में, कोई भी प्रशसनिक संस्था कार्यरत नही है द्य प्रशसनिक संस्था जेसे उप मंडल कार्यालय प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र से उचित दुरी पर स्थित है

3.7 **राजनेतिक संस्था :** यहाँ पर कोई राजनेतिक संस्था नहीं है

3.8 **नागरिक सामाजिक संगठन :** सर्वेक्षण के दौरान, प्रभावित भू–मालिकों द्वारा स्थापित हमें बहुत से संगठनों जैसे कि सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति निरथ, जिला शिमला, लूहरी जल विद्युत परियेाजना विस्थापित जन कल्याण सभा, रिवाली जिला शिमला, एवम "श्री दत्तात्रेय स्वामी पर्यावरण एवम किसान विकास समिति, दत्तनगर " जिला शिमला जो कि प्रभावित भू–स्वामिओं द्वारा बनाई गई है। ये तीनो संस्थायं प्रभावित लोगों एवम पर्यावरण के हितो की देखरेख रक्षा के लिए बनाई गई है द्य यधपि इन संस्थाओं की कोई संपत्ति अधिग्रहण क्षेत्र में नही है

इसके अलावा, कुछ स्वयं सहायता समूह जैसे महिला मण्डल, युवक मण्डल इत्यादि प्रभावित गावों में बने हुए हैं।

****

अध्याय 4: गणना का अनुमान

4. गणना का अनुमान

भूमि के लिए मुआवजे प्रदान करना प्रायः एक जटिल प्रक्रिया है, विशेष रूप से उनके मूल्यों का आकलन। एक बाजार मूल्य एक विकल्प के रूप में प्रयुक्त होता है। यह आमतौर पर परिभाषित किया जाता है कि "एक अनुमानित विक्रेता और एक इच्छुक खरीदार के बीच उचित मोल–भाव के बाद भूमि को निर्धारित तिथि पर खुले बाजार में बेचे जाने पर अनुमानित राशि का आंकलन किया जा सकता है जिन्होनें जानबूझकर, समझदारी से और स्वेच्छा से काम किया था"

उचित बाजार मूल्य का उपयोग बाजार मूल्य के साथ बदलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उनके बीच एक अंतर है। यहां बाजार मूल्य की निष्पक्षता उन लोगो के संबंधित हितों वाले इच्छुक पार्टियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण के अनुमानित मूल्य को दर्शाती है। लेनदेन से प्राप्त होने वाले संबंधित फायदे और नुकसान पर विचार करने वाले उन पार्टियों के लिए उचित मूल्य का आकलन करना आवश्यक है। इस बीच, बाजार मूल्य उन मजबूत बिंदुओं को शामिल करता है जो बाजार प्रतिभागियों के लिए आम तौर पर अनदेखा नहीं करने और इसलिए बाजार मूल्य की अवधारणा उचित बाजार मूल्य से कम होती है। इस पिछली बिंदु में, निम्नलिखित पैराग्राफ भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की गणना में शामिल प्रक्रिया को विस्तृत करते हैं।

4.1. भूमि अनुमान का बाजार मूल्य

2013 अधिनियम की धारा 26, के द्वारा कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण को निम्नवत करता है, जिसमें कहा गया है कि

"कलेक्टर भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन और निर्धारण करने में निम्नलिखित मानदंडों को अपनाएगा, अर्थात – (अ) भारतीय मुद्रा अधिनियम, 1899 (1899 में से 2) में निर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई है, बिक्री के पंजीकरण के लिए कार्य, समझौते या समझौतों को बेचने के लिए, क्षेत्र में, जहां जमीन स्थित है, या (ब) निकटतम गांव या निकटतम आसपास के क्षेत्र में स्थित समान प्रकार की भूमि के लिए औसत बिक्री मूल्य; या (स) सहमति निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में या पीपीपी के लिए जो भी अधिक हो, मुआवजे की राशि, ताकि बाजार मूल्य के निर्धारण की तारीख वह तारीख होगी जिस पर अधिसूचना 11 के तहत अधिसूचना जारी की गई है"[2]

यह उपधारा (1) में भी बताता है कि क्लॉज (बी) में उल्लिखित औसत बिक्री मूल्य को बिक्री के कार्यों या निकट गांव या निकटवर्ती इलाके के आसपास के क्षेत्र के लिए पंजीकृत बेचने के समझौतों को ध्यान में रखना निर्धारित किया जाएगा। तीन साल से पहले के साल के दौरान जमीन का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम यह निर्धारित करता है कि न्यूनतम मुआवजे निश्चित बाजार मूल्य के कुल, संपत्ति से जुड़ी परिसंपत्तियों का मूल्य, साथ ही परिसंपत्तियों के मूल्य सहित संपत्ति के बाजार मूल्य के 100% के बराबर मुआवज़ा होना चाहिए।

---

[2] एशियाई विकास बैंक (एडीबी), क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति में मूल्यांकनः कंबोडिया, चीनी जनवादी गणराज्य और भारत; विवरण संख्या 9; एडीबीः फिलीपींस, 2007

निम्नलिखित तालिका 4.1.1 प्रत्येक प्रकार की भूमि के लिए सर्कल दर और तालिका 4.1.2 ग्रामवार विभिन्न वर्गीकरण की भूमि की सीमा प्रदान करता है।

तालिका 4.1.1: भूमि के प्रकार व सर्किल दरें (रुपये प्रति वर्ग मीटर)

स्थान के आधार पर 3 वर्षों (2016–17, 2017–18 और 2018–19) में उच्चतम सर्किल दर													
जिला	पटवार सर्किल	पंचायत	विवरण	श्रेणी 1 (0-25 मीटर)		श्रेणी 2 (25- 50 मीटर)		श्रेणी 3 (50 - 100 मीटर)		श्रेणी 4 (100 - 1000 मीटर)		श्रेणी 5 (1000 मीटर और ऊपर)	
				गैर खेती	खेती किया गया	गैर खेती	खेती किया गया	गैर खेती	खेती किया गया	गैर खेती	खेती किया गया	गैर खेती	खेती किया गया
शिमला	शमाथला	नौला	अन्य सड़क	557	668	446	535	334	401	279	334	223	267
			राज्य राजमार्ग	896	836	557	668	418	501	348	418	279	334
			राष्ट्रीय राजमार्ग	836	1003	669	803	502	602	418	502	334	401
	दत्तनगर	भद्राश	अन्य सड़क	3055	3666	2444	2933	1833	2200	1528	1833	1222	1466
			राज्य राजमार्ग	3819	4583	3055	3666	2291	2750	1910	2291	1528	1833
			राष्ट्रीय राजमार्ग	4583	5500	3666	4400	2750	3300	2292	2750	1833	2200
	निरथ	नरोला	अन्य सड़क	2226	2671	1781	2137	1336	1630	1113	1336	890	1068
			राज्य राजमार्ग	2783	3340	2226	2672	1670	2004	1392	1670	1113	1336
			राष्ट्रीय राजमार्ग	3339	4007	2671	3205	2003	2404	1670	2003	1336	1603
		निरथ	अन्य सड़क	4897	5876	3918	4701	2938	3526	2449	2938	1959	2351
			राज्य राजमार्ग	6121	7345	4897	5876	3673	4407	3061	3673	2448	2938
			राष्ट्रीय राजमार्ग	7346	8815	5877	7052	4408	5289	3673	4408	2938	3526
	शमाथला	रिवाली	अन्य सड़क	6305	7566	5044	6053	3783	4540	3153	3783	2522	3026
			राज्य राजमार्ग	7881	9457	6305	7566	4729	5674	2960	4729	3152	3783
			राष्ट्रीय राजमार्ग	9548	11,458	7638	9166	5729	6875	3774	5729	3819	4583
		चरोटा	अन्य सड़क	1315	1578	1052	1262	789	947	658	789	526	631
			राज्य राजमार्ग	1644	1973	1315	1578	986	1184	822	986	658	789
			राष्ट्रीय राजमार्ग	1973	2368	1578	1894	1184	1421	987	1184	789	947
कुल्लू	निथर	निथर	अन्य सड़क	1917	2300.4	1533.6	1840.32	1150.2	1380.24	958.5	1150.2	966.8	920.16
			राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	गडेज	गडेज	अन्य सड़क	767.5	921	614	736.8	460.5	552.6	383.75	460.5	307	368.4
			राज्य राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			राष्ट्रीय राजमार्ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

तलिका 4.1.2 गांववार भूमि का अधिग्रहण

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	वन भूमि (हेक्टेयर)	निजी भूमि (हेक्टेयर)	कुल भूमि (हेक्टेयर)
शिमला	शमाथला	रिवाली	0.4706	7.4322	7.9028
		चरोंटा	0.0779	0.3485	0.4264
		नौला	0.3553	1.3085	1.6638
		कुल	**0.9038**	**9.0892**	**9.993**
	निरथ	नरोला	0.8131	0.4248	1.2379
		निरथ	34.5165	8.9820	43.4985
		कुल	**35.3296**	**9.4068**	**44.7364**
	दत्तनगर	भद्राश	18.6373	4.6396	23.2769
		कुल	**18.6373**	**4.6396**	**23.2769**
कुल्लू	देहरा	नित्थर	27.9367	18.0998	46.0365
		अंडरग्राउंड	2.4698	0	2.4698
		कुल	**30.4065**	**18.0998**	**48.5063**
	गडेज	गडेज	12.8232	9.7358	22.559
		कुल	**12.8232**	**9.7358**	**22.559**
कुल योगः			**98.1004**	**50.9712**	**149.0716**

4.2. भूमि मूल्य का आंकलनः

पिछले तीन वर्षों के लिए सर्कल दर निम्नलिखित श्रेणियों के लिए राजस्व विभाग से प्राप्त की गई थी–

श्रेणी 1: 0–25 मीटर

श्रेणी 2: 25–50 मीटर (20% <मूल दर)

श्रेणी 3: 50–1000 मीटर (40% <मूल दर)

श्रेणी 4: 100–1000 मीटर (50% <मूल दर)

श्रेणी 5: 1000 मीटर से ऊपर (60% <मूल दर)

राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य मार्गो से अलग दूरी पर स्थित कृषि और गैर– कृषि अन्य भूमि को प्रत्येक उप–श्रेणी के लिए विभिन्न दरें उपलब्ध हैं।

गणना को आसानी से करने के लिए, कृर्षि और गैर–खेती वाली भूमि के लिए श्रेणी ४ के लिए सर्कल दर संबंधित राजस्व गांवों के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए अधिकतम खर्च का अनुमान प्रदान करने के लिए विचार की किया गया । राष्ट्रीय राजमार्ग बांध स्थल के साथ सतलज के बाएं किनारे से गुज़रता है। इसलिए, बाएं किनारे के गांवों के लिए सर्कल दर को राष्ट्रीय राजमार्ग की उप–श्रेणी मे रखा गया है, जबकि नित्थर और गडेज जैसे दाहिने किनारे पर परियोजना प्रभावित स्थानों के लिए, उप–श्रेणी के लिए अन्य सर्कल दर से सड़कों पर विचार किया गया है।

तालिका 4.2.1: सभी राजस्व गांवों के लिए भूमि के मुआवजे की गणना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्रम सं	पंचायत	वर्ग मीटर में अधिग्रहित भूमि	खेती की भूमि (वर्गमीटर)	गैर खेती की भूमि (वर्गमीटर)	सर्किल दर (चतुर्थ श्रेणी राष्ट्रीय राजमार्ग / अन्य मार्ग	सर्कल दर चतुर्थ श्रेणी राष्ट्रीय राजमार्ग / अन्य सड़क पर कृषि जनित	कृषि योग्य भूमि मूल्य (4 * 6) (रूपये में)	(रूपये मे) कृषि जनित भूमि का मुआवजा (5 * 7)	(रूपये मे) भूमि का कुल आंकलन (8 + 9)	रुपये में भूमि का मुआवजा (10 * 2)
1	चरोंटा	3485	3372	113	1184	987	3992448	111,531	4103979	8207958
2	रिवाली	74,322	61,620	12702	5729	3774	353020980	47937348	400958328	801916656
3	भद्राश	46,396	42,250	4146	2750	2292	116187500	9502632	125690132	251380264
4	गडेज	97,358	84,935	12423	460.5	383.75	३९११२५६७.५	4,767,326.25	43,879,893.75	८७७५९७८७.५
5	नौला	13085	8131	4954	502	418	4081762	2070772	6152534	12305068
6	निरथ	180,99	152,390	28,608	1150.2	958.5	175278978	27420768	202699746	405399492

		8							
7	**नरोला**	4248	2218	2030	2003	1670	4442654	3390100	7832754	15665508
8	नित्थर	89820	71,413	18407	4408	3673	314788504	67608911	382397415	764794830
	कुल	509,712	426,329	83,383					1173714782	2347429564

4.3 संलग्न संपत्तियों का मूल्यः–

धारा 27 (आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013) के तहत, द्वारा मुआवजे के कुल भुगतान राशि की गणना प्रस्तावित है जो भूमि अधिग्रिहित की गई है। धारा 29 (आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013) के तहत कलेक्टर द्वारा निम्नलिखित सेवाओं का उपयोग किया जाएगा, जैसा कि उनके द्वारा आवश्यक माना जा सकता हैः

तालिका 4.3.1ः संपत्ति के आंकलन के लिए सक्षम प्राधिकारी / विभाग

विस्तृत उद्देश्य	उजरत संबंधी सेवाएँ
इमारत या अन्य अचल संपत्ति या भूमि या भवन से जुड़ी संपत्ति का बाजार मूल्य का निर्धारण	संबंधित क्षेत्र या प्रासंगिक क्षेत्र में किसी अन्य विशेषज्ञ से एक सक्षम अभियंता
अधिग्रहित भूमि से जुड़े पेड़ और पौधों के मूल्यो का आंकलन	वानिकी, बागवानी, रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त स्थायी फसलों के मूल्य का आंकलन	कृषि के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तिं।

4.4. सोलेशियम और ब्याजः–

कलेक्टर को भुगतान करने के लिए कुल मुआवजे निर्धारित करने के बाद यह अंतिम निर्णय में पहुंच जाएगा, धारा 30 के तहत जो "मुआवजे" के बारे में उल्लेखित है कि मुआवजे की राशि के 100% के बराबर तुल्य है। यह मुआवज़ा राशि किसी भी व्यक्ति को देय मुआवजे के अतिरिक्त होगी जिसकी भूमि अधिग्रहित की गई है। कलेक्टर देय मुआवजे के विवरण और पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मुआवजे के भुगतान के ब्योरे का विवरण देने के व्यक्तिगत अॅवारड जारी करेगा। धारा 26 के तहत प्रदान की गई भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, जिला कलेक्टर, इस तरह के बाजार मूल्य पर प्रति वर्ष 12% की दर से गणना की गई राशि का मूल्यांकन करेगा, जो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए प्रारंभ होता है धारा 4 (2) के तहत सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन, जिला कलेक्टर द्वारा वितरण की तारीख तक या भूमि अधिग्रहण की तारीख तक, जो भी पहले हो। पुनर्वास और पुनर्स्थापन पात्रता की दूसरी अनुसूची, सूची के सीरियल नंबर 11 को पहली अनुसूची में प्रदान किए गए लोगों के अतिरिक्त प्रदान किया जाना है। तीसरी अनुसूची प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए प्रदान की जाने वाली पच्चीस (25) आधारभूत सुविधाओं की गणना करती है।

4.5. देयक निर्धारण के विचारार्थ मापदंड

कलेक्टर, अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य को निर्धारित करने के बाद, जमीन से जुड़े सभी संपत्तियों (क्षेत्र में एक सक्षम अभियंता / अन्य विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन किया जाना) सहित भूमि मालिक (जिसका भूमि अधिग्रहित की गई हो) को भुगतान करने के लिए मुआवजे की कुल राशि की गणना करेगा।

आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की राशि निर्धारित करने में, जिला कलेक्टर को निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करना होगाः

तालिका 4.5.1ः मुआवजे के निर्धारण का तरीका

संदर्भ	पात्रता / मुआवजा
धारा–28) **पहले**	(अ) बाजार मूल्य का निर्धारण धारा 26 और मुआवजें का निस्तारण प्रथम व अनुसूची के अनुकूल।
दूसरे	कलेक्टर के द्वारा अधिग्रहण के समय जमीन पर होने वाली किसी भी स्थायी फसलों या पेड़ों को लेने के कारण, हुए व्यक्ति विशेष द्वारा नुकसान
तीसरे	कलेक्टर के अधिग्रहण करने के समय, उस व्यक्ति को अपनी भूमि से अलग करने के कारण, व्यक्ति द्वारा हुए नुकसान (यदि कोई हो)
चौथे	कलेक्टर के भूमि अधिग्रहण करने के समय, रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा नुकसान (यदि कोई है), अधिग्रहण के कारण किसी अन्य तरीके से, जंगली या अचल, किसी अन्य तरीके से या आय को प्रभावित करने के कारण
पंचवें	कलेक्टर द्वारा भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, व्यक्ति को उसका निवास या व्यापार की जगह बदलने के लिए बाध्ये स्थिति जनित खर्चे (यदि कोई है)
छठे	धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के समय और कलेक्टर के जमीन लेने के समय के मध्य भूमि के मुनाफे में आई वास्तविक हास वाली क्षति (यदि कोई हो)
सतवें	कोई अन्य कारण जो निपक्ष, न्याय के हित में और प्रभावित परिवारों के लिए लाभकारी हो सकती है
धारा 30 (1)	उपयुक्त मानदंडों के अनुसार मुआवज़ा राशि
धारा 30 (3)	कलेक्टर के ॲवारड की तारीख तक या एसजेवीएन के कब्जे की तारीख तक जब तक ॲवारड राशि भुगतेय नही होगा, कलेक्टर अधिहण के पश्चात् 12प्रशित की दर से ब्याज की क्षतिपूर्ति करेगा।

4.6. परियोजना प्रभावित परिवारों की मांगः

एसआईए अध्ययन के दौरान, अपेक्षक निकाय और सरकार से पीएएफ की उम्मीदों को दर्ज किया गया था। घरेलू सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा के दौरान परियोजना क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तियों के साथ बातचीत, स्थान और स्थानांतरण को खाली करने की उनकी मांग बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई थी। हालांकि, यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि अधिकांश पीएएफ अपनी जमीन देने के इच्छुक हैं, उन्हें उचित मुआवजे का भुगतान किया जाता है। बातचीत के दौरान, यह पाया गया कि भूमि के प्रति बीघा मुआवजे की मांग एक गांव से दूसरी गांव में भिन्न थी। अधिकांश गांवों में प्रति बीघा 40–60 लाख रुपये की मांग की गई थी।

****

अध्याय 5: सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक रूप रेखा

5. सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक रूप रेखाः

5.1. अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र में शिमला जिले के छह राजस्व गांव और कुल्लू जिले के दो राजस्व गांव सम्मिलित हैं। प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित होने वाले भू–स्वामियों कुल संख्या 1003 अनुमानित है। घरेलू सर्वेक्षण से पता चलता है कि 60% से अधिक पीएएफ शिमला जिले से हैं जबकि शेष कुल्लू जिले से हैं। इस अध्याय में विश्लेषण किया गया आंकडे एसआईए टीम द्वारा 920 उत्तरदाताओं पर किये गए साक्षात्कार पर आधारित है।

5.2. सामाजिक श्रेणी

परियोजना प्रभावित परिवारों के बीच सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जाति /जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की प्रतिशतता का अनुपात का अनुपात 85ः 15 पाया गया है अन्य 15% में अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अल्पसंख्यक अनुपात के साथ अनुसूचित जातियां शामिल हैं।

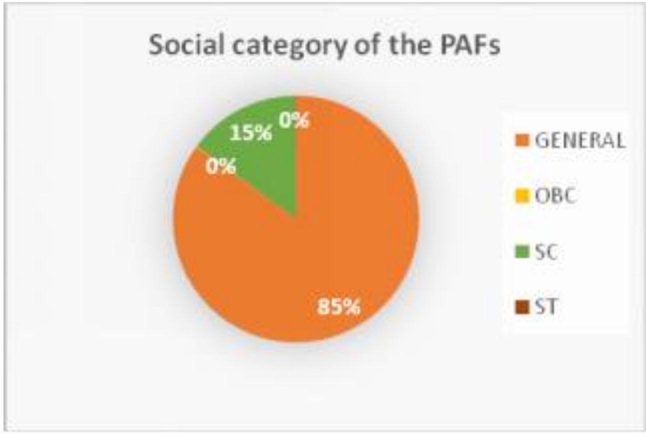

चित्र 5.2.1ः सामाजिक श्रेणी द्वारा पीएएफ का वितरण

5.3. धर्म

मुख्य रूप से सभी घर हिंदू धर्म वाले परिवार पाए गए कुछ मुस्लिम समुदाय के परिवार भी हैं।

5.4. आजीविका के स्रोत

लगभग 85% परिवारों ने कहा कि कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। 7% परिवार सरकारी सेवाओं से जुडे हुए है। निजी क्षेत्र की नौकरियों में 5.5% और अन्य 1.5% स्व–रोजगार उद्यमों में लगे हुए हैं। पेंशन और दैनिक मजदूरी से आय अर्जित करने वाले परिवारों की सख्या नगण्य है। ज्यादातर मकान मालिक गौ पालन में लगे हैं। हालांकि, यह उनमे से अधिकाशं के लिए आजिविका का एक पूर्ण स्त्रोत नही है परन्तु फिर भी वे अपनी घरेलू आवश्यकताओं को इससे पूरा करते हैं।

यह पाया गया है कि बेहतर रोजगार अवसरों के कारण कई लोग पास के शहरों या दूर दराज शहरों मे रहना पंसन्द करते हैं। विस्थापन के पैट्रन में आजिविका स्त्रोंतो और सिंचाई सुविधा के अभाव जैसे कारकों के कारण ग्रामीण से शहरीकरण का एक उदाहरण है।

5.5. फसलों का प्रकार

प्रभावित गांवो की अधिकांश भूमि में सालाना दो बार खेती की जाती है– रबी व खरीफ। कुछ क्षेत्रों में गेंहू, मक्का, धान, आलू और दालें इत्यादि फसलें उगायी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रभावित इलाकों में कुछ भू–मालकान बे–मौसमी सब्जियां भी उगाते है। बागवानी प्रभावित क्षेत्र में काफी मात्रा में की जाती है। जांच से पता चला कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि एक बहु कृषक योग्य भूमि नही है।

5.6 परिवार की रचना

लैगिंक स्तर परिवार के सभी सदस्यों के संख्या का वितरण से पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात लगभग बराबर था। 920 परिवारों में से, 169 परिवारों में 21 साल से अधिक उम्र के अविवाहित पुरूषों के होने की सूचना प्राप्त हुई। इसी प्रकार, 73 परिवारों ने 18 साल से अधिक आयु वर्ग की अविवाहित कन्याओं की संख्या की पुष्टि की है।

5.7. अतिसंवेदनषील परिवार

लगभग 66 परिवारों की मुखिया स्त्रियां पाई गई है। अंतिम बीपीएल गणना के अनुसार, 45 परिवारों को गरीबी रेखा के नीचे नामित किया गया था। विधवा / तलाकशुदा की संख्या १३ है। शारीरिक रूप से / मानसिक रूप से विकलांग परिवार के सदस्य के साथ केवल 3 पीएएफ हैं। पीएएफ सर्वेक्षण में कोई नाबालिग या अनाथ नहीं हैं।

5.8 लिंग

यद्वपि लगभग 9% परिवारों में महिला सदस्य हैं जो कृषि के इतर अन्य रोजगार के अवसरों में संलग्न हैं। तथापि, कृषि और मवेशी पालन में, सभी महिलाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। बहुत से घरों में, महिलाएं खेतों की जुताई, बुवाई, सिंचाई, कटाई, उत्पाद का भंडारण आदि की पूरी ज़िम्मेदारी लेती हैं। इस क्षेत्र की महिलाएं बहुत परीश्रमी हैं और मवेशी पालन और कृषि के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के साथ घर के कार्यो में संलग्न है।

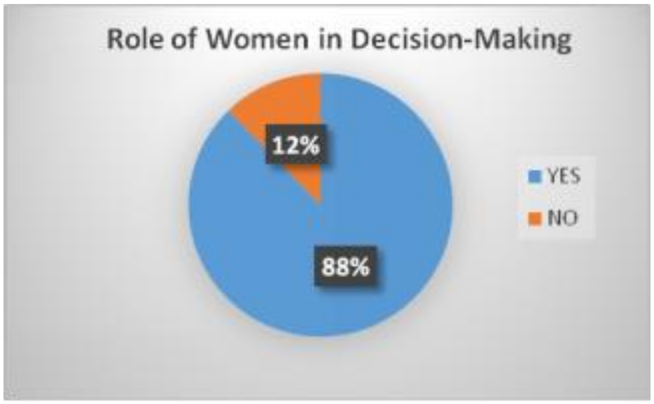

चित्र 5.8.1: प्रक्रिया में महिलाओं के भूमिका प्रतिशतता

निर्णय लेने में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं, हालांकि, कई मामलों में वे निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू में प्रांरभिक रूप से भाग नही लेती है। पुरुष उत्तरदाताओं ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी के बिना, पूरे प्रक्रिया को चलाने में मुश्किल होगी।

5.9. आजीविका विकल्प

लगभग 99% पीएएफ अपने परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त योग्यता के अनुसार स्थायी रोजगार का अवसर प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं, और किसी संविदात्मक प्रारूप में अधिनस्थ नही होते। उन्होंने यह भी बताया कि पीएएफ सदस्यों को सरकारी नौकरी के अवसरों के लिए अत्यधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कुछ पीएएफ ने परियोजना या अन्य चल रही विकास योजनाओं से सहायता / ऋण प्राप्त करने में अपनी रूचि दिखाई।

5.10. स्वास्थ्य जल और बिजली

स्वास्थ्य व देखभाल सेवाओं में प्रमुख कमी अस्पतालो के सभिकरता का आभाव है 87% महिलाएँ अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल (ग्रामीण अस्पताल) पर निर्भर हैं। 13% से कम समिकर ग्राम / शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उप केंद्र का उपयोग करते हैं। निजी अस्पतालो तक पहुंच लगभग शून्य है।

सभी घरों को पाइपलाइन के माध्यम से पानी मिलता है। जोकि सिंचाई और लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदान कि जाती है। केवल दो घरों के अलावा, हर घर में विधुत प्रवाह है। लगभग 99%घरों में निजी शौचालय की सुविधा है और 1% से कम अभी भी शौचालय के लिए खुले क्षेत्रों पर निर्भर है।

सर्वेक्षण के अनुसार, परियोजना प्रभावित क्षेत्र में महिलाएं मुख्य रूप से सामान्य ठंड और बुखार, खांसी और एलर्जी से ग्रस्त हैं। जोड़ो के दर्द, मधुमेह, रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और मूत्र संबंधी समस्याओं जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में वृद्धि देखी गई है।

जब महिलाओं को स्वास्थ्य समस्या के लिए, 64% पीएएफ एलोपैथिक दवाओं को प्रयोग करना पड़ता है वही 35% आयुर्वेदिक उपचार प्राप्त करती हैं। हिमालयी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उगाए जाने वाले औषधीय पौधों के लिए जाना जाता है जिसका उपयोग कई दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। पीएएफ का केवल 1% होम्योपैथिक उपचार के लिए जाता है।

5.11. ऋणग्रस्तता

अधिकांश (42%) कृषि उद्देश्यों के लाभ के लिए ऋणग्रस्तता थी, इसके बाद वाहनों की खरीद के लिए 20%, घरों की खरीद के लिए 15%, उपभोग के लिए 6%, एवं व्यापार और शिक्षा उद्देश्यों के लिए 5% की ऋणग्रस्तता पाई गई।

5.12. लुहरी परियोजना के बारे में जागरूकता

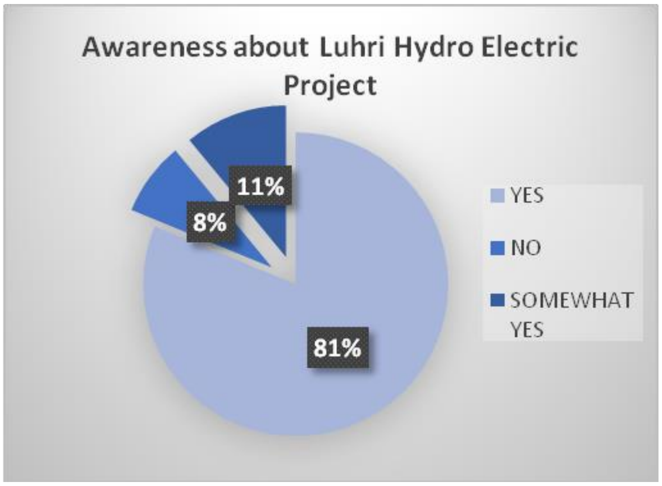

चित्र 5.12.1: पीएएफ के बीच एलएचईपी के बारे में जागरूकता

प्रस्तावित परियोजना 2006 में शुरू की गई थी जोकि कुछ समय के लिए रुक गई थी। तब से परियोजना के बारे में जानकारी व्यापक रूप से देखी गई थी। 2016–17 में, परियोजना को इसकी आवश्यक स्वीकृति मिली और परियोजना गतिविधियों की शुरुआत हुई । एसआईए सर्वेक्षण के दौरान, 88% पीएएफ ने बताया कि उन्हें सरकारी अधिकारियों से अधिसूचना मिली, जबकि 8% को परियोजना और भूमि अधिग्रहण के बारे में निकटवर्ती गांवों के निवासियों से पता चला। 4% से कम मीडिया के माध्यम से जागरूक होने के बात की पुष्टि की।

5.13. केंद्रित समूह चर्चा – परिणाम

परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ पुनर्वास के संबंध में अनैच्छिक मुद्दों को संबोधित करने का प्रारंभिक बिंदुओं पर परामर्श किया गया। पुनर्वास से प्रभावित लोगों के भूमि अधिग्रहण संबधित कारणों व उनके नुकसान के बारे में किंचित सशंसकित है। पुनर्वास की योजना बनाने और प्रबंधन में उनकी भागीदारी से उनके भय की मात्रा को कम करता है और पीएएफ को उनके जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग लेने का अवसर मिलता है। परामर्श और भागीदारी के लिए योजना बनाने में पहला कदम प्राथमिक और माध्यमिक हितधारकों का पहचान करनी थी।

घरेलू साक्षात्कार आयोजित करने के बाद, अध्ययन दल ने नीरथ और नेदर गांवों में आयोजित दो केंद्रित समूह चर्चाओं के माध्यम से समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त की, यह मूल रूप से व्यक्तिगत घरों द्वारा बताए गए कुछ तथ्यों का पता लगाने और परियोजना के बारे में उनकी धारणाओं और आशंकाओं को समझने के लिए किया गया था और परियोजना डिजाइन में सुधार पर (यदि कोई हो तो) उनके सुझावों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस संबंध में आयोजित दो केंद्रित समूह चर्चाओं का विवरण नीचे दिया गया है।

क. निरथ पंचायत, शिमला

प्रभावित ग्राम पंचायतों में से, निरथ ग्राम पंचायत में पीएएफ की दूसरी सबसे ज्यादा संख्या (250 से अधिक) है क्योंकि प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना की बांध स्थल इस जीपी क्षेत्र में स्थित है। लोग उत्साही हैं, और साथ ही, परियोजना के साथ–साथ एसआईए के बारे में जिज्ञासा रखते हैं। वे 2008–09 के बाद से अपने अंतिम चरण तक पहुंचने वाली परियोजना के बारे में सुन रहे हैं लेकिन उन्होंने अब तक कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं देखी है। इसलिए, परियोजना प्रभावित परिवारों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए और एसआईए प्रक्रिया के बारे में अपने संदेह दूर करने के लिए, एक केंद्रित समूह चर्चा उप प्रधान श्री प्रेम चौहान की सहमति से नीरथ गांव में 17 मार्च 2018 को आयोजित की गई। एफजीडी में उपस्थित प्रतिभागियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5.13.1: नीरथ में एफजीडी के प्रतिभागियों की सूची

क्रम सं	प्रतिभागी का नामः	प्द	गांव
1	प्रेम चौहान	उप प्रधान–निरथ	निरथ
2	टिकम देव	पीएएफ के प्रतिनिधि	निरथ
3	राजू राम		नीनू
4	प्यारे लाल		बलथाना
5	केदार		बाली
6	पृथ्वी चंद		बाली
7	तेजा सिंह		जिला कुल्लू
8	जीत राम		जिला कुल्लू
9	गोपाल सिंह		निरथ
10	गोविंद सिंह		निरथ

अध्ययन दल के प्रमुख श्री अरविंद शुक्ला ने समूह चर्चा की सुविधा प्रदान की और उद्देश्य के लिए किए जाने वाले गतिविधियों के अनुक्रम के साथ एसआईए आयोजित करने के उद्देश्यों की व्याख्या की। सर्वेक्षण पीएएफ के दिमाग में मौजूद कुछ संदेहों को स्पष्ट भी किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने समूह के प्रतिभागियों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार अधिनियम 2013 और एचपी नियम 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार पर राजपत्र अधिसूचना में उल्लेखित तथ्यों की भी सुगम वख्या की थी।

समूह के प्रतिभागियों ने कई भूमि संबंधी मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। उदाहरण के लिए, वे जानना चाहते थे कि क्या होगा उनका वास्तविक मालिकना अधिकार मृत प्राय हो जाएगा। मुआवजे का आकलन कैसे किया जाएगा, भूमि में किसी भी विवाद के मामले में क्या किया जाना चाहिए, आदि। इन्हें उपर्युक्त अधिनियम और नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के संदर्भ में एसआईए टीम द्वारा उत्तर दिया गया और विस्तार से समझाया गया।

प्रतिभागी ग्रामीणों को यह भी सूचित किया गया था कि सार्वजनिक सुनवाई उनकी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच हो सकती है।

प्रतिभागियों ने बताया कि सरकारी शीत भंडारण सुविधा, छोटे और मध्यम प्रसंस्करण इकाइयों की उपलब्धता, बागवानी के लिए तकनीकी सहायता, विनियमित मंडी तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान इत्यादियों की कमी है, जिसे क्षेत्र को विकसित करने के लिए स्थापित किया जाना प्रासांगिक है। इनके अलावा, क्षेत्र में पर्यटन और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाना अनिवार्य है।

चित्र 5.13.1: निरथ में एफजीडी से चित्र

ख. देहरा पंचायत, कुल्लू

देहरा पंचायत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। इस पंचायत के तहत गांवों में 300 से अधिक पीएएफ हैं। क्षेत्र में परियोजना के सामाजिक प्रभाव को समझने की प्रक्रिया के तहत, 18 मार्च 2018 को नीथर गांव में केंद्रित समूह चर्चा आयोजित की गई जिसमें प्रभावित पंचायत के ग्रामीणों ने भाग लिया। इस एफजीडी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं।

तालिका 5.13.2: नीथर में एफजीडी के प्रतिभागियों की सूची

क्रम सं	प्रतिभागी का नामः	पद	गंव
1	जितेंद्र कुमार	पूर्व उप प्रधान, देहरा	पंचायत देहरा
2	वीर सिंह ठाकुर		गरोली
3	किशन सिंह		शिकरोली
4	दलीप सिंह		गरोली
5	संजय कुमार		झल्ली
6	कपूर सिंह		शोशा
7	राजेंद्र कुमार	पीएएफ के प्रतिनिधि	वार्ड सदस्य – गरोली
8	सुरजीत सिंह		आनस
9	मीना सिंह		गरोली
10	सिंकारू राम (फुगी)		शिनह
11	सिकरू राम		शिकरोली
12	नर्गेश कटोच		शिकरोली
13	कुलदीप सिंह		धामह

14	पंकज		कुल्लू
15	हरि सिंह		गरोली

प्रतिभागियों के बीच प्रारंभिक आत्म परिचय के पूरा होने पर, ग्रामीणों ने निष्पादन की पूरी प्रक्रिया और एसआईए के महत्व, परियोजना के निष्पादन के लिए समय सारिणी और एसआईए टीम की निर्दिष्ट भूमिका के बारे में अपने संशय बतलाए। उन्होंने परियोजना और एसआईए टीम से अपनी उम्मीदों को भी व्यक्त किया। शुरुआत में, एसआईए टीम ने साझा किया कि सामाजिक प्रभाव आकलन अब भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में निष्पक्षता और पारदर्शिता के अधिकार पर राजपत्र अधिसूचना के अनुसार एक अनिवार्य प्रक्रिया है। साथ ही, इस अधिनियम के ब्योरे पर भी चर्चा की गई। एचपी नियम 2015 के तहत, एसआईए के लिए निर्दिष्ट प्रारूप उन्हें समझाया गया था और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों का भी समाधान किया जाना आवश्यक है।

प्रतिभागियों ने परियोजना से उनकी अपेक्षाओं और राज्य स्तरीय अधिकार के लिए उनके सुझावों को भी साझा किया। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं–

1. पहले के प्रस्ताव के मुताबिक, बांध स्थल वर्तमान बांध स्थल से 26 किमी दूर लुहरी गांव के करीब थी। अब बांध साइट नीथर और निरथ के गांवों में स्थित है और इसमें अधिकतम पीएएफ शामिल हैं। इसलिए, नित्थर और निरथ के बाद परियोजना का नाम देने के लिए इस एफजीडी के प्रतिभागियों का सबसे बड़ा अनुरोध सामने आया।

2. भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में, यदि पीएएफ अपनी भूमि के 80% भाग से वंचित हो रहे है तो सुझाव प्राप्त हुआ कि 100% भूमि अधिग्रहित की जानी चाहिए क्योंकि बचे हुए भूमि उनके लिए अधिक उपयोगी नहीं होगी।

3. राज्य या अपेक्षक निकाय को लिफ्ट या फ्लो सिंचाई प्रणाली का प्रावधान करना चाहिए और सुरक्षित पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

4. प्रतिभागियों ने प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक पीएएफ से कम से कम एक सदस्य के लिए स्थायी सरकारी नौकरियों की भी मांग की। उन्होंने उल्लेख किया कि पीएएफ के सदस्यों को सीधे सरकार द्वारा नियोजित किया जाना चाहिए, न कि किसी ठेकेदार द्वारा।

5. क्षेत्र में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का अनुभव होता है। बच्चे के जन्म से समय महिलाओं को कुछ वाहनों द्वारा नीरथ से 35–40 किमी दूर स्थित रामपुर ले जाना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश प्रसव असुरक्षित है और यह ग्रामीणों के लिए काफी महंगा पड़ता है। इस संदर्भ में, पीएएफ ने अपने पंचायत के भीतर द्वितीय स्तर के बाल स्वास्थ्य केंद्र की मांग की।

6. प्रतिभागियों ने यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि 2013 के केंद्रीय अधिनियम के अनुसार सभी पीएएफ को चार गुना लागत दर पर मुआवजा दिया जाए।

7. देहरा पंचायत में सतलज नदी के दूसरे तट पर भूमि को समान रूप से शमाथला पंचायत के समान मुआवजा दिया जाना चाहिए क्योंकि दोनों पंचायत केवल सतलज नदी के तल से अलग हैं।

8. परियोजनाओं के कारण ग्रामीणों ने कुछ प्रमुख चुनौतियों को बताया और जिससे शुरूवात देरी से हुई। वर्ष 2008–2009 में पांरभिक गतिविधियां शुरू हुई और प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण के बारे में सूचित किया गया था। हालांकि, यद्वपि अध्यतन सूचना के आभावा में खेती बंद कर दी गई। उनमें से कुछ को पहले इतना अच्छा अनुभव नहीं था, जिसे भी संबोधित किया गया था। प्रतिभागियों ने अनुरोध किया कि

राज्य प्राधिकरण को अधिग्रहण के उद्देश्य से खेती के रूप में अपनी भूमि पर विचार करना चाहिए और तदनुसार उन्हें क्षतिपूर्ति करना चाहिए।

9. वहां सरकारी शीत भंडारण सुविधा, छोटी और मध्यम उपस्कर इकाईयां, छोटे और मध्यम बागवानी के लिए तकनीकी सहायता, विनियमित मंडी आदि के प्रावधान की कमी थी। प्रतिभागियों ने राज्य सरकार के परियोजना प्राधिकरण से क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का भी अनुरोध किया।

इस समूह को मुआवजा प्राप्त करने, प्रभावित परिवारों को नौकरी की उपलब्धता, प्रदूषण की घटनाओं और पर्यावरण प्रणाली के नुकसान, मुआवजे की राशि के वितरण के तरीके आदि के बारे में भी कुछ आशंका थी, जिन पर विस्तार से चर्चा की गई और उनसे सार्वजनिक सुनवाई सत्र का हिस्सा बनने के लिए पूछा गया, जहां उचित अधिकारियों से प्रतिक्रिया सुरक्षित करने के लिए उन्हें और मुद्दों को उठाने का अवसर प्राप्त हुआ।

चित्र 5.13.2. नित्थर में एफजीडी से तस्वीरें

अध्याय 6: सामाजिक प्रभाव

6. सामाजिक प्रभाव

6.1. सामाजिक प्रभावों पर दृष्टिकोण

सामाजिक प्रभाव,ऐसे परिवर्तन है जो बाहरी रूप से प्रेरित भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप व्यक्तियों, समुदायों और पर्यावरण के जीवन में होने वाले या जिनके होने की संभावना है से संबधित हैं। वे मानव आबादी के सार्वजनिक कार्यों के कैसे परिणाम हैं जो वर्तमान में लोगों के रहने, काम करने, एक–दूसरे से व्यवहार करने, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से अपनी जरूरतों को संगठित और समाज के सदस्यों के रूप में कार्य करने के तरीकों को बदल देते हैं। सामाजिक प्रभावों में सांस्कृतिक प्रभाव भी शामिल होते हैं जिसमें मानदंडों, मूल्यों और मान्यताओं में परिवर्तन का अंतर्भाव होता, जो स्वयं और उनके समाज की पहचान का मार्गदर्शन करते हैं।

जलविद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से आजीविका, रोजगार, आय, उत्पादन, स्वास्थ्य और कल्याण और समुदाय, सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालियों और पर्यावरण के जीवन की गुणवत्ता पर प्रत्यक्ष असर होता है। यह संपत्ति के अधिकारों और आकांक्षाओं के बारे में संदेह और भय उत्पन्न करता है। विकास की परियोजनाएं, अलग–अलग समूहों को अलग–अलग रूप से प्रभावित करती हैं। कुछ लोग लाभान्वित होते हैं जबकि कई अन्य को वंचित रह जाते है। अक्सर, कमजोर समूहों के लिए प्रभाव विशेष रूप से गंभीर होते हैं जैसे कि, आदिवासी समुदाय, महिला–संचालित परिवार, बुजुर्ग व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति और गरीब लोग।

प्रभाव के दो पहलू सकारात्मक या नकारात्मक हैं। इस परियोजना में, सर्वेक्षण और चर्चाओं के माध्यम से यह देखा गया है कि लोग उम्मीद करते हैं कि भूमि अधिग्रहण उन्हें बेहतर मूल्य देगा. जो उनके कल्याण में सुधार प्रदान करेगा। हालांकि प्रभावित परिवारों ने महसूस किया कि भूमि और आजीविका आदि का नुकसान अपरिवर्तनीय होगा। घरेलू सर्वेक्षण का उद्देश्य पीएएफ, संपत्ति का प्रकार, संपत्ति का स्वामित्व, प्रभाव का प्रकार और इसकी भीरता और प्रभावित संपत्ति के विवरण पर, सामाजिक प्रभावों की एक सूची तैयार करना था। निम्नलिखित खंडों में प्रमुख निष्कर्षों और प्रभावों के गंभीरता पर चर्चा की गई है।

सर्वेक्षण से पता चलता है कि कृषि भूमि, पेड़, घराट और अन्य कृषि भवनों के नुकसान के साथ, आम संपत्ति संसाधनों, दुकानों, वाणिज्यिक भवनों, व्यवसायों और आजीविका के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप विस्थापित परिवारों की घरेलू आय में कमी आती है। परियोजना के कारण उत्पन्न होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों में सामुदायिक एकजुटता में अव्यवस्था, सामाजिक समर्थन प्रणालियों का विघटन, महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान, समय की हानि, पूजा के पवित्र स्थानों और अन्य सांस्कृतिक संपत्ति का उत्तोतर द्वारा होना सम्मिलित है।।

6.2. दरिद्वात्मक संकट:

वर्तमान परियोजना में, प्रतिकूल परियोजना प्रभावों की पहचान के लिए एसआईए के हिस्से के रूप में, ऋणग्रस्तता के जोखिमों को चिन्हित किया जाना है। दरिद्रिता के जोखिमों का विश्लेषण मॉडल या विकास के लिए स्पष्टीकरण, निदान, भविष्यवाणी और योजना विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले साधनों में काफी हद तक वृद्धि करता है। परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए सबसे प्रासंगिक दरिद्रिता के जोखिम निम्नानुसार हैं:

- **भूमिहीनता:** प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण, बुनियादी स्तम्भ को हटा देगा जिस पर लोगों की कृषि उत्पादक प्रणालियों, वाणिज्यिक गतिविधियों और आजीविका का निर्माण किया गया है।
- **बेरोजगारी:** रोजगार और मजदूरी का नुकसान हो सकता है और भूमिहीन मजदूर आय के मुख्य स्रोतों से वंचित हो सकते हैं।
- **बेघरता:** परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में घर शामिल हैं। इसलिए, इस पर नकारात्मक प्रभाव होगा परिणामस्वरूप बेघरता होगी।
- **हासियांकरण:** जब पीएएफ अपनी खेती योग्य भूमि और आखिरकार उनकी आर्थिक शक्ति खो देंगे, तब हासियांकरण होगा। मध्य आय वाले कृषि परिवार छोटे भूमिधारक बन जाते हैं। कृषि उत्पादन में गिरावट के कारण होने वाला आर्थिक हासियांकरण, अक्सर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक हासियांकरण के साथ घटित होता है और सामाजिक स्थिति में अधोमुखी गातिशीलता में प्रकट होता है।
- **आम संपत्ति का नुकसान:** आम तौर पर स्वामित्व वाली संपत्तियों (वनों, जल निकायों, चराई भूमि, आदि) तक पहुंच का नुकसान अक्सर अनदेखा माना जाता है। खासतौर से संपत्तिहीन लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें समुदाय को अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने वाले लोगों में गणना की जाती है और किंचित गणना मुश्किल भी होती है। लेकिन उनकी अनुपस्थिति समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
- **सामाजिक विस्थापन:** हालांकि यहां बहुत अधिक विस्थापन नहीं है, लेकिन समुदाय का फैलाव, सामाजिक संगठन की संरचनाओं और आपसी सहायता के पुंज के नुकसान प्रभावित करता है। यद्यपि सामाजिक पूंजी के इस नुकसान की मात्रा को मापना कठिन है, तथापि यह प्रभावित लोगों को दरिद्र और शक्तिहीन बना देता है।

वर्तमान स्थिति में, हाइड्रो–इलेक्ट्रिक परियोजना, निर्माण चरण के दौरान भारी परिवहन का कारण बन जाएगी जिससे हवा में धूल के कणों में वृद्धि होगी और आसपास के गांवों में ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा।

6.3. प्रभावों का विश्लेषण

प्रस्तावित परियोजना का प्रभाव, ऐसे लोगों / परियोजना प्रभावित परिवारों के एक वर्ग पर होगा, जिनकी भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इन पीएएफ / लोगों पर अनुमानित नकारात्मक प्रभावों में निम्नलिखित प्रभाव शामिल हैं:

i. भूमि की आवश्यकता और अधिग्रहण

प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रसार क्षेत्र, डंपिंग क्षेत्र, सड़कों, बिजली उप–स्टेशनों की स्थापना, प्रशासनिक भवनों का निर्माण आदि के लिए भूमि की आवश्यकता है। भूमि का अधिग्रहण, कुछ प्रभावित परिवारों को भूमिहीन बना सकता है। इसलिए, भूमि की आवश्यकताओं को न्यूनतम रखने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। यह अपेक्षा की जाती है कि सावधानीपूर्वक योजनो परांत, जमीन की आवश्यकता न्यूनतम और विशेष रूप से उन स्थानों पर रखी जाती है, जहां भूमि के निजि अधिग्रहण को टाला नहीं जा सकता। प्रस्तावित परियोजना के लिए, पांच ग्राम पंचायतों में फैली 50.9 712 हैक्टेयर निजी भूमि के अधिग्रहण / हस्तांतरण की आवश्यकता है। तालिका –6.3.1 में भूमि की आवश्यकता का विवरण, नीचे संक्षेप में दिया गया है

तालिका 6.3.1: परियोजना के लिए ग्रामवार निजी भूमि की आवश्यकता (हैक्टेयर में)

जिले का नाम	पंचायत का नाम	गांव का नाम	निजी भूमि (हैक्टेयर)
शिमला	शमाथला	रिवाली	7.4322
		चरोंटा	0.3485
		नौला	1.3085
		कुल	**9.0892**
	निरथ	नरोला	0.4248
		निरथ	8.982
		कुल	**9.4068**
	दत्तनगर	भद्राश	4.6396
कुल्लू	छेहरा	नित्थर	18.0998
	गडेज	गडेज	9.7358
कुल योग			**50.9712**

भूमि का नुकसान जो पीएएफ को उनकी कृषि आय से वंचित कर देगा अनुमानित प्रभाव है। इसके अलावा, इस परियोजना में निर्माण शामिल है, जो वायु और जल प्रदूषण के कारण, पीएएफ और अन्य लोगों की साथ वाली भूमि को भी प्रभावित करेगा।

ii. भूमि का उपयोग और आजीविका

भूमि का उपयोग: सर्वेक्षण इंगित करता है कि पूरा क्षेत्र एक कृषि अर्थव्यवस्था है, जिसमें 80% कृषि योग्य है।। कई पीढ़ियों से, कृषि कई पीएएफ का मुख्य आधार रहा है। अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण, सतलज घाटी में बागवानी बढ़ी है। वर्षा आधारित सेब, बादाम और बेर की आम तौर पर खेती की जाती है। पर्याप्त जल स्रोत वाले गांवों में बीन्स, मिर्च, मीठे आलू, बैंगन, भिंडी, कड़वा करेला, टमाटर और हरी सब्जियां जैसी फसलें होती हैं, जो उन्हें अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं।

आजीविका: ग्रामवासी कृषि पर इतने निर्भर हैं कि उनमें से 84% से अधिक लोग कृषि और संबंधित गतिविधियों में काम करते हैं। कुछ पीएएफ व्यवसाय और व्यापार में लगे हुए हैं। कुछ अन्य सरकारी और निजी क्षेत्र में वेतनभोगी कर्मचारी हैं, जो अनुपस्थित भूमि मालिक (अबसेंटी लैंड लॉर्ड्स) हैं और अपनी भूमि के त्वरित अधिग्रहण के लिए उत्सुक हैं। देहाती कारीगरों और कलाकारों की भी काफी उपस्थिति है।

जिन लोगों की कृषि भूमि जा रही होती है उन्हें विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है और भूमि की हानि से आजीविका या आय के अवसरों का नुकसान अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से...पड़ सकता है। यदि परियोजना का प्रभाव, लोगों को उनके पिछले व्यवसाय जारी रखने से असमर्थ कर देता है, तो परियोजना, अधिनियम, 2013 के अनुसार मुआवजे के माध्यम से समर्थन और सहायता प्रदान करना भी अवश्यम्भावी है जहां भी संभव हो, पीएएफ को परियोजना द्वारा निर्माण किए गए रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं, जैसे कि निर्माण या रखरखाव का काम करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार पर परामर्श, आय उत्पन्न करने वाली योजनाओं में शामिल होने और क्रेडिट तक पहुंच जैसी रणनीतियों के माध्यम से दीर्घकालिक कमाई के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

iii. आवासीय संरचनाओं का नुकसान

खण्ड में प्रस्तावित निर्माण गतिविधि के कारण आवासीय संरचना भी प्रभावित होगी। सर्वेक्षण के दौरान, 54 पीएएफ ने बताया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर संरचनाएं, डूबने या निर्माण कार्य शुरू करने के कारण प्रभावित हो रही हैं।

iv. आम संपत्ति के संसाधनों का नुकसान

परियोजना के लिए आम संपत्ति के संसाधनों का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसलिए, प्रत्यक्ष प्रभाव नगण्य है। हालांकि, निर्माण गतिविधियों के दौरान वहां उपलब्ध संरचना के लिए मनुष्य जनित सामग्री और उपकरणों की हलचल का अतिरिक्त भार होगा जिसे पहले से ही मजबूत किया जाना आवश्यक है।

v. सार्वजनिक उपयोगिता का स्थानांतरण

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का एक निर्माण है जो भद्रश गांव के अंतर्गत आता है, परियोजना से प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, क्षेत्र में लगभग 26 उच्च तनाव विद्युत पोल मौजूद हैं, जिनके परिणाम स्वरूप लोग स्थानांतरित होगे जिनका प्रभाव परियोजना से संबधित है।

अतःउनके लिए प्रबंधन की आवश्यकता होगी।

vi. जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रभाव

जैविक संसाधन, विशाल परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से हैं। संभावित संसाधनों की परिमाण का अनुमान लगाने और प्रस्तावित परियोजना के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से बचने या उसे कम करने के लिए, इन संसाधनों का विस्तृत आधारभूत अध्ययन आवश्यक है। प्रस्तावित परियोजना के वन क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों पर विशिष्ट प्रभावों की पहचान करने के लिए अलग विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) होना आवश्यक है।

vii. पूर्व निर्माण चरण के पूर्व प्रभाव

स्थल पर बांध के निर्माण से पहले, कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जो सीधे और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से पीएएफ को प्रभावित करेगा।

VIII. निर्माण चरण के दौरान प्रभाव

निर्माण गतिविधियों से, प्रभावित क्षेत्रों में समुदाय की रहने और स्वास्थ्य परिस्थितियों पर विपरीत प्रभावों की एक श्रृंखला उत्पन्न करेगी। इनमें शामिल है:

(क) निर्माण और खुदाई के कारण धूल के स्तर

(ख) निर्माण की सामग्री की तैयारी, और सामग्री का भंडारण के कारण वायु प्रदूषण में वृद्धि,

(ग) ड्रिलिंग, खनन, सामान्य भूमिकार्य, वाहनो की हलचल के कारण शोर के स्तर में वृद्धि,

(घ) खुदाई, ड्रिलिंग गतिविधियों और निर्माण कार्यों में वृद्धि के कारण प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा के जोखिम

(ड) मामूली वन उपज के संग्रह में लगी महिलाओं की आजीविका पर प्राकृतिक संसाधनों और वनों की कटाई का नुकसान से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा,

(च) निवासियों को असुविधा का कारण बनने वाला उपयोगिताओं का स्थानांतरण,

(छ) उत्खनन और निर्माण कार्य के कारण भूस्खलन शुरू हो सकता है।

(झ) परियोजना क्षेत्र में होने वाली निर्माण गतिविधियों के कारण सड़कों का अवरोध, जल निकासी अवरोध हो सकता है।

ix. निर्माण के श्रमिकों के प्रवाह के कारण प्रभाव

इस क्षेत्र में श्रमिकों और अन्य आर्थिक प्रवासियों के प्रवाह से, विशेष रूप से परियोजना के निर्माण चरण के दौरान रहने की स्थितियों, गुणवत्तापूर्ण वायु और जल प्रदूषण और स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। विभिन्न राज्यों के श्रमिकों को, परियोजना प्राधिकरण या ठेकेदारों द्वारा बांध के निर्माण के लिए काम पर लगाया जाता है जो परियोजना स्थल और संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदूषण निर्माण करके, वाहन और लोगों को परेशानियाों में वृद्वि कर सकते है। ध्वनि प्रदूषण का स्तर बहुत उच्च हो सकता है और मजदूरों द्वारा निर्मित ठोस अपशिष्ट और साथ ही खुले क्षेत्र में फेंका गया कचरा स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। निर्माण के दौरान काम में कठिनाई होगी और कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इन प्रभावों से सामाजिक और सांस्कृतिक संघर्ष हो सकते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिनकी लधुकालिक या दीर्धकालिक परिणाम हो सकते हैं।

x. हाइड्रो पावर प्लांट ऑपरेशन के समय का प्रभाव

लूहरी जल विद्युत चरण–1 नदी मे बहते जल की विद्युत परियोजना है। इस प्रकार की परियोजना जलाश्य आधारित जल विद्युत परियोजनो से पड़ने वाले प्रभावों को शामिल नही करती। जल विद्युत के सुचारू संचालन के उदेश्य केवल कुछ समय के लिए जल का भंडारण किय जाता है और तदानुसार पुनः नदी में छोड दिया जाता है। भारत सरकार के पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों द्वारा निर्धारित नियमो के अनुसार बांध के डाउन स्टीम में न्यूनतम जल प्रवाह लीन सीनज में 20 प्रतिशत, मानसून सीजन मे 30 प्रतिशत, नॉन लीन सीजन में 25 प्रतिशत और नॉन मानसून सीजन को बनाए रखा जाएगा। जल के निरन्तर प्रवाह का बनाए रखने के साथ साथ विद्युत दोहन हेतू अलग बाध टो पॉवर हाउस भी प्रस्तावित है।

''''''''''''''''''

अध्याय 7: लागत और लाभ का विश्लेषण एंव सिफारिशें

7. लागत और लाभ का विश्लेषण एवं सिफारिशें

सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के बाद, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) को तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रभाव और जोखिम (कम, मध्यम, उच्च) का शमन शामिल होगा और जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियों का निर्माण किया जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि आठ राजस्व गांवों के पीएएफ और समुदायों पर उनके प्रभावों के साथ शमन और प्रबंधन रणनीतियों को संरेखित किया जाये। यह योजना अपेक्षक को पीएएफ की आय बहाल करने और समुदायों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन करेगी। इस अध्याय में प्रस्तुत की जा रही रणनीतियों को मुख्य रूप से सार्वजनिक परामर्श और मुख्य निदंशकों के साथ वार्तालाप के दौरान चिन्हित किया गया है। जहां उचित और आवश्यक महसूस किया गया हो, वहां शमन और प्रबंधन रणनीतियां, सामाजिक प्रभाव आंकलन के दौरान पहचाने गए संचयी प्रभावों का भी हल निकालेगी।

7.1. पुनर्वास और पुर्नस्थापन योजना

वर्तमान जल विद्युत परियोजना के लिए निजी स्वामित्व वाली भूमि और सरकार (वन और गैर वन दोनों) भूमि की खरीद की आवश्यकता है। निजी भूमि को उसके वर्तमान मालिकों से अधिग्रहित किया जाना है। सरकार सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के अधिकारों का उपयोग कर सकती है, जो आर्थिक नुकसान के साथ–साथ प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक व्यवधान का कारण बन सकती है। स्वाभाविक रूप से, इसमें शामिल लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी विघटन और हानि की सीमा उतनी अधिक होगी। सरकार का स्वाभाविक रूप से अधिग्रहण करने का अधिकार यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियां लेता है कि प्रभावित लोग परियोजना की लागत का अनुचित हिस्सा न ले जिससे कि दूसरों को लाभ पहुंचे। सरल शब्दों में, इस जिम्मेदारी से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी प्रभावित व्यक्तियों के जीवन स्तर को परियोजना के शुरू होने से पहले सहभागी स्तर पर बहाल किया जाए। इस हद तक कि सरकार सभी प्रभावित लोगों के लिए उन जीवित मानकों को बहाल करने में सफल रही हो प्रतिकूल प्रभावों को संभवतः टाला जाएगा या कम किया जाएगा।

प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, परिवारों, समुदायों और अन्य समूहों पर, निर्माण और संचालन के विभिन्न चरणों में परियोजना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव घटित होंगे। परियोजना का निर्माण, मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण से जुड़े सबसे प्रत्यक्ष और तत्काल प्रभाव हैं। परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों, घरबारों और पात्र समूहों को मुआवजे और सहायता के माध्यम से शमन (मिटिगेशन) प्रदान किया जाता है। यह सामाजिक इकाइयां, सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने और परियोजना अधिकारियों द्वारा अपनाए जाने वाले इस नीतिगत ढांचे के आधार पर, मुआवजे और सहायता की हकदार हैं। यहनीतिगत ढॉचा निम्नलिखित मुद्दो के लिए शमन (मिटिगेशन) प्रदान करती है (i) भूमि, घर या कार्यस्थल सहित संपत्तियों का नुकसान (ii) आजीविका या आय

के अवसरों का नुकसानय (iii) समूहों पर सामूहिक प्रभाव, जैसे कि समुदाय की संपत्तियों, आम संपत्ति संसाधन, और अन्य का नुकसान। संपत्तियों और आजीविका का नुकसान प्रभाव श्रेणियां हैं, जो पहचान की गई आबादी पर प्रत्यक्ष परियोजना प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रभावित होने वाले लोगों का सर्वेक्षण और पंजीकरण किया गया हो जोकि निगरानी और मूल्यांकन इकाई, आधारभूत सामाजिक–आर्थिक आंकड़े के खिलाफ दीर्घकालिक प्रभाव की तुलना करेगी। समूहों पर कल प्रभाव, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भूमि या घर या दोनों के नुकसान के लिए मौद्रिक मुआवजे के साथ रोजगार की मांग की गई है। लेकिन सभी पीएएफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना आवश्यक निकाय के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, जो स्थानीय स्तर पर आवश्यक कुशल श्रमिक नही मिल सकते। वे परियोजना व आसपास के स्थलो में सीमित संख्या में हाउसकीपिंग, सुरक्षा और अन्य कार्यों जैसी नौकरियों में अवशोषित हो सकते हैं। पीएएफ के लिए रोजगार पहलुओं पर विचार करते समय, परियोजना प्राधिकरण, आरटीएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की धारा संख्या 4 का पालन करेंगे। जहां तक वैकल्पिक आजीविका पैदा करने की बात है, पुनर्वास योजना, प्रभावित परिवारों को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन से जोड़ने का प्रयास कर सकती है। और जो अगले कुछ वर्षों में लाखों भारतीय युवाओं को कुशल बनाने की योजना बना रही है। यह परियोजना, प्रभावित परिवारों में बेरोजगारी और आजीविका के नुकसान की समस्या को हल करने में सहायक होगी।

भूमि अधिग्रहण के आर्थिक प्रभावों में, घरों या व्यवसायों का नुकसान, या अस्थायी या स्थायी व्यावसायिक आय का नुकसान, शामिल है। हालांकि, इन हानियों का वास्तविक मूल्यांकन अक्सर एक कठिन प्रक्रिया साबित होता है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों की लागत अधिक जटिल है। पड़ोस बाधित हो जाएंगे और ग्रामीणों को सामाजिक एकजुटता और अनौपचारिक सहायता प्रणाली से वंचित कर दिया जाएगा।

हालांकि, केवल प्रस्तावित स्थानांतरण योजना का लाभ उठाने के लिए क्षेत्र में आने वाले लोगों से परियोजना अनुमोदन से पहले परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अलग करना महत्वपूर्ण है।

उल्लेखनिय है कि जल–विद्युत परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण परियोजना, क्षेत्र में निम्न प्रकार के घरबारों / परिवारों को प्रभावित करेगी:

1. मालिक: घर और संपूर्ण भूमि से वंचित होने वाला
2. मालिक: घर और कुछ जमीन खो देने (बाकी भूमि काम की नही है)
3. मालिक: घर और कुछ जमीन खो देने (बाकी भूमि काम की है)
4. मालिक: घर खो देना लेकिन कोई जमीन नहीं
5. भूमिहीन मालिक: घर खो देने वाला

6. किरायेदार: घर खो देने वाला
7. आदिवासी: रहने की जगह / घर की जगह खो देने वाला
8. मालिक: सभी भूमि खो देना लेकिन घर नहीं
9. मालिक: कुछ जमीन खो देने (बाकी भूमि काम की नहीं हैं) लेकिन घर नहीं
10. मालिक: कुछ जमीन खो देनो वाला (बाकी भूमि काम की है) लेकिन घर नहीं
11. मालिक: घर–आधारित व्यवसाय खो देनो वाला (खोई हुई आय के लिए अस्थायी मुआवजा), लेकिन घर नहीं
12. मालिक: घर–आधारित व्यवसाय और घर खो देनो वाला
13. फेरीवाला
14. न भूमि और न घर खो देने वाला (उनमें से कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं)
15. प्रंवजक समुदाय / क्षेत्र।

उपरोक्त को देखते हुए, यह खंड, मुआवजे और प्रबंधन की योजना और पीएएफ के अधिकारों सहित उनके नुकसान के स्तर और प्रकार के आधार पर शमन के सिद्धांतों पर चर्चा करता है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन पर परियोजना नीति के प्रमुख सिद्धांतों का सारांश नीचे दिया गया है।

I. भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुनर्वास से तीन विकल्पों में से चयनित वैकल्पिक परियोजना डिजाइन, परियोजना क्षेत्र में पीएएफ और समुदायों पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

II. जहां परिवार (समुदायों समेत) संपत्ति खो रहे हैं, आजीविका या संसाधनों का पूरी तरह मुआवजा दिया जाएगा और सहायता की जाएगी ताकि वे सुधार कर सकें, या कम से कम अपनी पूर्व आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बहाल कर सकें।

III. पीएएफ को मुआवजा और पुनर्वास समर्थन प्रदान किया जाएगा, अर्थात, किसी भी व्यक्ति या घर या व्यापार जो प्रस्तावित परियोजना कार्यान्वयन के कारण प्रभावित होगा, निम्न बिंदु केन्द्रीय होगे

(a) जीवन का मानक बुरी तरह से प्रभावित;

(b) किसी भी घर पर हक, अधिकार या लाभ, परिसर, कृषि और चारागाह भूमि, वाणिज्यिक संपत्तियां, किरायेदारी, या वार्षिक या बारहमासी फसलों और पेड़ों या अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से अधिग्रहित या अधीन किसी अन्य अचल या चल संपत्तियों सहित, किसी भी भूमि में लाभ या उपयोग करने का अधिकार;

(c) आय के अवसर, व्यवसाय, वृति कार्य या निवास स्थान या आवास अस्थायी या स्थायी रूप से प्रभावित; या,

(d) पुनर्वास योजना की प्रक्रिया के दौरान, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों और रिश्तोपर प्रभाव या किसी अन्य नुकसान की पहचान की जा सकती है।

IV. सभी प्रभावित लोगों की कार्यकाल की स्थिति, सामाजिक या आर्थिक मानक और ऐसे किसी भी कारक के बावजूद मुआवजे और पुनर्वास सहायता के लिए पात्र होंगे जो ऊपर उलेखित उद्देश्यों की उपलब्धि के खिलाफ भेदभाव कर सकते हैं। खोई गई संपत्तियों या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कार्यकाल की स्थिति और सामाजिक या आर्थिक स्थिति के लिए कानूनी अधिकारों की कमी से पीएएफ को ऐसे मुआवजे, पुनर्वास या पुनर्वास उपायों के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकेगा।

V. नवीनतम जनगणना और खोई गई संपत्ति की सूची की तारीख पर, प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों के भीतर रहने वाले, काम कर रहे, व्यवसाय कर रहे और / या भूमि की खेती कर रहे सभी पीएएफ उनकी खोई हुई संपत्तियों और आय और कारोबार की बहाली के लिए आनुपातिक रूप से मुआवजे के हकदार होगे (भूमि और गैर–भूमि संपत्ति दोनों); और उन्हें सुधार करने या कम से कम उनके पूर्व–परियोजना जीवन स्तर, आय अर्जित करने की क्षमता और उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में सहायता के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपाय प्रदान कराये जाएंगे।

VI. अस्थायी रूप से प्रभावित परिवार और अस्थायी अधिग्रहण पुनर्वास योजना में शामिल किए जांएगे।

VII. जहां एक प्रवजक समुदाय, उस समुदाय में पुनर्वास साइट के विकास से प्रभावित होता है, प्रवजक समुदाय किसी भी पुनर्वास योजना और निर्णय लेने में शामिल होगा। प्रवजक समुदायों पर पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सभी प्रयास सार्थक किए जाएंगे।

VIII. पुनर्वास योजना, आरटीएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 और एचपी नियम 2015 के अनुसार तैयार की जाएगी। पीएएफ के संदर्भ के साथ–साथ अन्य इच्छुक समूहों के लिए पुनर्वसन योजना का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा।

IX. भूमि और / या गैर–भूमि संपत्तियों के लिए भुगतान, आरटीएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होगा। पुनर्वास सहायता, न केवल तत्काल हानि के लिए, बल्कि पीएएफ के जीवन स्तर की आजीविका और मानकों को बहाल करने के लिए आवश्यक संक्रमण अवधि के लिए भी प्रदान की जाएगी। ऐसा समर्थन, अल्पावधि नौकरियों या निर्वाह भत्ता प्रदान करने के संदर्भ में हो सकता है।

X. पुनर्वास योजना को उन लोगों की जरूरतों पर विचार करना होगा जो पुनर्वास के प्रतिकूल प्रभावों जूझते हैं। उनके लिए पुनर्वास योजना और शमन (मिटिगेशन) उपायों के प्रभाव पूर्ण कार्यान्वयन के

सुनिश्चित करना पडेगा। उन्हें सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद के लिए, अधिग्रहण निकाय की आर एंड आर नीति के तहत स्वीकार्य सहायता प्रदान की जानी होगी।

XI. एसआईएमपी के हिस्से के रूप में, पीएएफ जो अपनी खेती योग्य भूमि का शत प्रतिशत हिस्सा खो देते हैं या जिनके घर अधिग्रहण या बीपीएल स्थिति के साथ पीएएफ के तहत पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, महिला नेतृत्व वाली कृषि परिवार, या शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति, ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित परिवार के एक सदस्य को परियोजना अधिकारियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

XII. पीएएफ या गांव समुदाय, प्रतिकूल प्रभावों के लिए पुनर्वास योजना और प्रस्तावित शमन (मिटिगेशन) उपायों को विकसित करने और कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व करेंगे।

XIII. सहमत कार्यान्वयन अवधि के अन्दर, भूमि अधिग्रहण की लगात (मुआवजे और आय की बहाली उपायों सहित) को कवर करने के लिए अपेक्षक निकाय द्वारा पूरी तरह से पर्याप्त बजटीय समर्थन दिया जाएगा और उसे उपलब्ध कराया जाएगा।

XIV. मुआवजे के प्रावधान और स्थानांतरण के लिए आवश्यक अन्य स्वीकार्य सहायता से पहले, विस्थापन नहीं होना चाहिए। स्थानांतरण से पहले, पुनर्वास स्थल में पर्याप्त नागरिक बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना चाहिए। परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, मुआवजे का भुगतान, और पुनर्वास और पीएएफ की आजीविका पुनर्वास गतिविधियों की शुरूआत, किसी भी परियोजना निर्माण गतिविधियों से पहले पूरी की जाएगी। आजीविका और आय बहाली के उपायों को भी लागू करना होगा, लेकिन इनमें समय लग सकता है, इसलिए निर्माण गतिविधियों से पहले उन्हें पूरा करना आवश्यक नहीं है।

XV. अपेक्षक निकाय को परियोजना गतिविधियों के शुरू होने से पहले पुनर्वास योजना की प्रभावी तैयारी और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक स्थापना की व्यवस्था करनी होगी। इसका मतलब, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास गतिविधियों की निगरानी, परामर्श, और निगरानी के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों के प्रावधान को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।

XVI. पुनर्वास प्रबंधन प्रणाली के हिस्से के रूप में, उचित निगरानी और मूल्यांकन और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाने होगे। एक बाहरी निगरानी समूह, जिसमें योग्य एनजीओ या संस्थान या विश्वविद्यालय शामिल हो सकते हैं, पुनर्वास प्रक्रिया और अंतिम परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए, परियोजना द्वारा उचित शुल्क के साथ शामिल किया जाएगा।

7.2. पात्रता सॉचा (एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स)

एक पात्रता सॉचा, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों और नीतियों के अनुपालन में विकसित किया गया है। पात्रता सॉचा, हानियों के प्रकार और संबंधित प्रकृति और अधिकारों के क्षेत्र को सारांशित करता है।

तालिका 7.2.1: पात्रता **सॉचा**

एस. एन.	**प्रभाव की श्रेणी**	**पात्रता की इकाई**	**पात्रता का विवरण**	**टिप्पणियां**
संपत्ति का नुकसान – स्वामित्वधारी (टायटलहोल्डर)				
निजी कृषि, रियासत (होमस्टेड) और वाणिज्यिक भूमि का नुकसान				
1	निजी भूमि	भूमि मालिक / स्वामित्वधारी	(क) बाजार मूल्य पर भूमि के लिए नकद मुआवजा, जिसे आरएफसीटीएलएआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा (ख) वंचित संपत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए, मुआवजे की राशि पर मौजूदा स्टाम्प ड्यूटी के बराबर राशि। · प्रशिक्षण सहायता (ग) बारहमासी और गैर–बारहमासी फसलों और पेड़ों का नुकसान, बागवानी और कृषि विभाग के प्रावधानों के अनुसार लागू किया जाएगा। (घ) मवेशी शेड या छोटी दुकानों के प्रतिस्थापन के लिए 25,000 रुपये का अनुदान।	भूमि के लिए मुआवजे में, भूमि से जुड़ी सभी संपत्तियों के लिए मुआवजा शामिल है।
निजी संरचनाओं का नुकसान (आवासीय / वाणिज्यिक)				
2	संरचना का नुकसान (आवासीय या वाणिज्यिक या	भूमि मालिक / स्वामित्वधारी	(क) स्वीकार्य मानदंडों के अनुसार, वर्तमान दरों के आधार पर नकद मुआवजा निर्धारित किया जाएगा।	

	आवासीय–सह–वाणिज्यिक)		(ख) वंचित परिवारों के लिए, आरएफसीटीएलएआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 50,000 रुपये का स्थानांतरण भत्ता (ग)आरएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 के अनुसार, पूरी तरह से विस्थापित आवासीय / वाणिज्यिक के लिए मुफ्त घर का प्रावधान या निर्मित घर के बदले में, घर की समतुल्य लागत प्रदान की जा सकती है। (घ) विस्थापित परिवारों के लिए 36,000 रुपये का जीवन निर्वाह (सब्सिडेंस) भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013) (ड) विस्थापित परिवारों के लिए 50,000 रुपये का पुनर्वास भत्ता (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013)	
3	किरायेदार और पट्टाधारक (लीज होल्डर्स)	किरायेदारों और पट्टाधारकों	लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार, पंजीकृत पट्टेदार, संरचना मालिक को देय मुआवजे के बंटवारे के हकदार होंगे।	
आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान – गैर स्वामित्वधारी				
4	कब्जा करने वाले व्यक्ति (एनक्रोचर्स)	प्रभावित व्यक्ति (व्यक्तिगत / परिवार)	(क) कब्जा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति / फसलों को हटाने के लिए 2 महीने का अग्रिम नोटिस दिया जाएगा। (ख) प्रभावित संरचना से सामग्रियों को बचाने का अधिकार	
आजीविका का नुकसान – स्वामित्व और गैर–स्वामित्वधारी				

5	आजीविका का नुकसान – स्वामित्वधारी, कृषिश्रमिक और वाणिज्यिक अनधिवासी	(व्यक्तिगत / परिवार)	25,000 रुपये का एक बार अनुदान (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित मूल्य)	वाणिज्यिक अनधिवासीयों के लिए, पात्रता, जनगणना सर्वेक्षण की तारीख से लागू होगी
6	निर्माण चरण के दौरान, संभवतः अप्रत्याशित और अप्रत्याशित प्रभाव	मालिक, प्रभावित व्यक्ति	तो संरचनाओं के लिए किसी भी नुकसान का भुगतान, यदि कोई हो जहां भी आवश्यक हो, अस्थायी पहुंच प्रदान की जाएगी	जैसे कि अगर मोबाईल इकाइयों के विकल्प का उपयोग नहीं किया जाता है, तो विशेष रूप से भीड़ वाली बस्तियों में, संरचनाओं पर अस्थायी प्रभाव, पहुंच या पारगमन में अस्थायी व्यवधान
7	मोबाइल कियोस्क की आय का अस्थायी नुकसान, यदि कोई हो	कियोस्क मालिक	क्षेत्र खाली करने के लिए दो महीने की अग्रिम सूचना	
8	एससी, एसटी		यदि सरकारी मानदंडों के अनुसार योग्य है, तो शामिल नहीं होने पर सरकारी कल्याण योजनाओं में शामिल करने में सहायताय तथा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, एससी और एसटी को अतिरिक्त लाभ	
9	अप्रत्याशित प्रभाव		किसी भी अप्रत्याशित प्रभाव का, अधिनियम के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार दस्तावेज बनाया जायेगा और उसे हलका किया जाएगा।	

7.3. स्थानांतरण और पुनर्वास

(क) स्थानांतरण और पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य हैं:

(ख) परियोजना से विस्थापित परिवारों की पहचान (पीएएफ)

(ग) अपने विकल्पों को प्राप्त करना,

(घ) पुनर्वास स्थलों का विकास,

(ङ) पीएएफ के स्थानांतरण के बाद, स्थानांतरण स्थान का आवंटन,

(च) घरों के निर्माण में सहायता करना और

(छ) आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना।

इन सभी गतिविधियों के लिए अपेक्षिक निकाय जिला प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक गैर सरकारी संगठन या सामाजिक एजेंसी या किसी संस्थान की, न केवल प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने की, बल्कि पीएएफ को उनके स्थानांतरण और पुनर्वास की मदद करने में प्रमुख भूमिका है। प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण, 91 पीएएफ से संबंधित विभिन्न संरचनाएं (घर, झोपड़ियां, मवेशी शेड और घरट) प्रभावित हो रही हैं। यहां उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रभावित होने वाले घरों की संख्या 54 है और कई मामलों में घरट प्रभावित हो रहे हैं।जिन पर कई पीएएफ का स्वामित्व है। इसलिए जिनके घरों का अधिग्रहण किया जाएगा उन पीएएफ के लिए स्थानांतरण / पुनर्वास योजना को प्रभावपूर्ण बनाया जाएगा। साथ ही, प्रभावित परिवारों को, आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

7.4 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश सरकार ने लूहरी जल विद्युत परियोजना 210 मैगावाट (एसजेवीएन लिमिटेड) को वर्ष 2016 के दौरान निर्माण व परिचालन के लिए आवंटित की। अपेक्षक निकाय सार्वजनिक क्षेत्र के जो कि भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का सयुक्त उपक्रम है। उपर्युक्त परियोजना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के पश्चात 50—97—12 है0 भूमि अधिग्रहण हेतु चिन्हित व प्रस्तावित की गई। अपेक्षक निकाय भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और परदिर्शता अधिकार नियम 2013 के अधिनियम की धारा 1 में आता है। भारत सरकार की वित मन्त्रालय के आर्थिक कार्यालय विभाग के अधिसूचना संख्या एफ न013/6/2009 आईएनएफ दिनांक 27 मार्च 2012 के अनुसार (प्रति संलग्न) परियोजना के सार्वजनिक उददेश्य की है।

प्रस्तावित परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू जिले में स्थापित 210 मैगावाट की क्षमता का है और जिसका प्रवाह प्रारुप 644.19 क्यूमैक्स है। यह परियोजना रन ऑफ द रिवर योजना है। विद्युत उत्पादन को सुचारु बनाऐ रखने के लिए जल कुछ अवधि के लिए संग्रहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त,

भारत सरकार के पर्यावरण मत्रांलय, वन एवं जलवायु परिवर्तन के दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम जल प्रवाह लीन सिजन में 20 प्रतिशत, मानसून में 30 प्रतिशत, गैर लीन सीजन में 25 प्रतिशत एवं गैर मानसून सीजन में बांध के निचले स्तर पर बनाए रखा जाना है। जलाश्य में मृत भण्डारण 18.9 मिलियन होगा और लाईव भण्डारण 6.3 लाख होगा। यह परियोजना कंक्रीट ग्रेविटी बांध, डेम टो पावर हाउस के साथ सतलुज नदी के दाई ओर 777.40 जीडब्ल्यूएच उत्पादन 90 प्रतिशत डिपैंडेबर वर्ष में होगा।

वर्तमान परियोजना प्रारूप का चुनाव भूमि अधिग्रहण की न्यूनतम आवश्यक्ता विवेचनात्मक विचार के पश्चात और अधिक साधय व्यवहरिक इजिनिरियगं प्रारुप के पश्चात किया गया है। परिणामस्वरुप 06 पंचायतों के 08 राज्वस्व गांवों से 1003 भ–मालकानों से 50.9712 हैक्टेयर निजि भूमि अर्जित करनी प्रस्तावित है जिस मेंसे 54 भू–मालिकान विस्थापित होंगें जोकि केवल 5.4 प्रतिशत है।

उपरोक्त परियोजना के लिए 50–97–12 है0 भूमि जो कि शिमला जिले के 6 गांवो (भदराश, निरथ, नरोला, नौला, चरौटा व रिवाली) और कुल्लू जिले के 2 गावों (निथर और गड़ेज) अर्जन हेतु प्रस्तावित है। जिससे 1003 भू–मालिक प्रभावित हो रहे हैं। जिसके तहत इस सामाजिक प्रभाव का अध्ययन एचपीआरटीएफसीटीरएलएआरआर (सामाजिक प्रभाव आंकलन और सहमति) नियम 2015 के नियम 4 के अधीन विचार किया गया है। उपरोक्त जमीन राजस्व रिकार्ड के अनुसार 8–33–83 भूमि बंजर के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो कि कुल भूमि का 16 प्रतिशत बंजर है शेष 84 प्रतिशत सिंचाई योग्य है। परन्तु वह सिक्त व राईन सिंचित भूमि है तथा बहु फसली नहीं है। प्रभावित क्षेत्र की मुख्य फसल धान, गैंहू, मक्का और दालें है। लगभग 85 प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और 7 प्रतिशत लोग सरकारी सेवा तथा अन्य 5.5 प्रतिशत लोग निजी क्षेत्र में सेवारत है तथा 1.5 प्रतिशत लोग स्वरोज़गार के उद्यमों में है। परिवारों की नगण्य संख्या पैंशन व दैनिक मजदूरी के माध्ययम से आय प्राप्त होती है।

कृषि योग्य भूमि की 100 प्रतिशत क्षति के कारण 36 भूमि मालिक अपने व्यवसाय को खो देंगें जबकि 14 भूमि मालिकों को अपने व्यवसाय के 85 से 99 प्रतिशत और 1 भू मालिकों को 71 प्रतिशत से 84 प्रंतिशत नुकसान उठाना होगा। प्रभावित संरनचाओं की कुल संख्या 91 है जिसमें से 54 आवासीय और 37 अन्य सरचनाएं जैसे किचन, बाथरूम, पशुशाला है। जैसा कि उपरोक्त दर्शाया गया है कि 50–97–12 है0 भूमि का अधिग्रहण आठ गावों में किया जाना प्रस्तावित है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन आठ गांव की आबादी 6095 है और 1003 भू मालिकों की भूमि अधिग्रहण की जानी है जो कुल आबादी का 16.46 प्रतिशत है।

जैसा कि परियोजना काफी समय के अन्तराल के बाद नए ढंग से शुरू हो रही है, अधिकतम प्रभावित भू मालिक इस परियोजना के लगने के पक्ष में है और परियोजना के आरम्भ होने के लिए उत्साहित है। परियोजना के अध्ययन के दौरान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सम्पर्क साधा गया, प्रभावित क्षेत्र के लोग रोजगार अवसर में वृद्वि, भूमि की दर और लघु व मध्ययम उद्यमों के विस्तार आदि के लिए आशन्वित है। इसके अतिरिक्त लोग बेहतर सड़क सुविधाओं, ज्यादा आवाजाही और परिवहन सेवाओं की बेहतर गुणवता की उम्मीद करते है।

अधिकतर भू मालिक नजदीकी क्षेत्र में बनी 02 विद्युत परियोजनाओं के नाकारात्मक एवं साकारात्मक प्रभावों से भलि भान्ति अवगत है जिनका रख–रखाव एवं संचालन अपेक्षक निकाय के द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना प्रभावित परिवारों में सामान्य वर्ग का भाग 85 प्रतिशत था जबकि शेष 15 प्रतिशत में अनुसूचित जाति, 01 अनुसूचित जन जाति वर्ग व 01 ओबीसी वर्ग शामिल है।

लगभग 66 परिवारों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पिछली बीपीएल गणना के अनुसार करीब 45 परिवार गरीबी रेखा सीमा से नीचे चिन्हित किए गए थे। विध्वाओं/तलाकशुदा की संख्या 13 है। वहां 03 मानसिक/ शारीरिक परिवार सदस्यों की संख्या 03 है तथा अध्ययन के अनुसार भू–मालिकों के परिवारों में से कोई भी अनाथ नहीं पाया गया।

वहां 624 भू–मालिकों की औसतन वार्षिक आय रुपये 50,000/– से कम है जिसमें 45 बीपीएल परिवार शामिल है तथा शेष भू–मालिकों की औसतन वार्षिक आय 50,000/– से अधिक है।

अध्ययन से पाया गया कि कृषि भूमि, पेड़ तथा कृषि संरचना, अन्य आजिविका के स्त्रोत, व्यापार प्रभावित होगा, जिससे विस्थापित परिवारों की सकल आय में कमी होगी। परियोजना के कारण सामाजिक सांस्कृति प्रभावित होगी जिससे विभिन्न संस्कृति के संयोग के कारण, संस्कृति के बिखरने व महिलाओं के आर्थिक गतिविधियां, समय क्षय, पूजा स्थलों के विलोप एवं अन्य सांस्कृति धरोहरें आदि प्रभावित होगी।

भू–मालिक परियोजना के नाकारात्मक प्रभाव जिसमें भूमि का नुकसान, जनसंख्या वृद्वि, अचानक निजी व वन भूमि की गतिविधियों में गिरावट, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप तथा सामाजिक सुरक्षा में गिरावट संबंधित मुद्दे, सामाजिक मतभेद इत्यादि शामिल है।

यह भी पाया गया कि मुख्य चुनौती परियोजना के क्रियान्वयन में देरी का कारण है। वर्ष 2008–09 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरु हो गई थी जिसकी जानकारी प्रभावित भू– मालिकों को थी, जिसके कारण भू–मालिकों ने खेती बाडी करना बन्द कर लिया था। इसके मध्यनजर उनकी तरफ से यह प्रस्तावना आई कि उनकी भूमि को कृषि योग्य भूमि मानते हुए तदानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जाए।

हिमाचल प्रदेश नियम, 2015 के अन्तर्गत उचित प्रतिकार और परदिर्शता अधिकार नियम भाग 4 (6) एंव भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियम 3 का उपधारा (4), के प्रावधानों के अन्तर्गत, परियोजना प्रभावों के सुधारात्मक मापकों की सूचि, शमन योजना में शामिल की जानी आवश्यक है। गहन अध्ययन, विचार विमर्श तथा जन सुनवाई में भू– मालिकों के द्वारा उठाए मुद्दों के शमन हेतु अध्याय 3 में सुझाव दिए गए है। हालांकि, शमन हेतु निम्नलिखित सुझाव दिया जाते हैः

वनीकरण, उठाऊ जल परियोजना, स्वच्छ पेय जल आपूर्ति, उचित स्तरीय अस्पताल, इंजिनियरिंग कालेज/डीएवी कॉलेज, छात्रवृति, आईटीआई, सभी मौसम में सुचारु सड़कें, प्रभावित परिवारों को मुफ्त बिजली, खेलों को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा वितिय साक्षरता इत्यादि पर जागरुकता शिविर, पर्यटन को बढावा देना, स्वयं सहायता समूह का निर्माण एवं मजबूती, फूड प्रौसेसिग ईकाई तथा शीत भण्डारण, आय हेतु संस्थागत जुडाव, परियोजना संबंधित रोजगार, बीज भण्डारण, गौशाला एव सुचारु कृषि मण्डी इत्यादि हेतु कदम उठाए जाएं।

महिला मुख्य परिवार तथा शारीरिक/मानसिक तौर पर अक्षम व्यक्ति के आर्थिक उद्वार तथा बेहतर जीवन यापन हेतू सामयिक निगरानी तथा सम्बंधित योजनाएं बनाई जाए।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिए, अधिनियम 2013 में रखे प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।

परियोजना से 54 परिवार बेघर हो रहे हैं विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि नगद मुआवजा इच्छा रखने वाले परिवारों का प्रतिशत 97 और शेष 3 प्रतिशत इस उलझन में थे कि नकद मुआवजा लिया जाए या बना बनाया मकान ले इसलिए साईट को चिन्हित नहीं किया जा सका।

शमन हेतु हिमाचल सरकार की नीति निम्न अनुसार हैः

- 100 यूनिट मुफ्त बिजली प्रभावित परिवारों को इस परियोजना के चालू होने के उपरान्त 10 वर्ष दिया जाएगा।

- हिमाचल सरकार द्वारा लाडा के संशोधित मार्गदर्शी सिद्वांत के अनुसार स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतु गतिविधियों जैसे जल आपूर्ति, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संस्थान, गलियों में लाईटों, सफाई व्यवस्था, रज्जू मार्ग, वर्षा पानी का एकत्रिकरण, स्कूल, पक्के लिंक रोड, प्राथमिक उपचार केन्द्र, बस स्टेंड, अस्पताल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान इत्यादि, परियोजना निर्माण के दौरान, परियेाजना लागत का 1.5 प्रतिशत संबधित जिला के लाडा अध्यक्ष के पास जमा किया जाए जिससे प्रभावित क्षेत्र में स्थानिय समुदायों के अतिरिक्त लाभ व्यवहार्य हो सके।

- परियोजना चालू होने के उपरान्त, परियोजना प्रभावित क्षेत्र के परिवारों को वार्षिक वृत्ति राज्य सरकार को 1 प्रतिशत मुफत बिजली के विक्रय से मिलने वाली आय से आजीवन दी जाए जैसा कि परियोजना में प्रस्तावित है। इस प्रावधान से उन्हें परियोजना के एक अंग होने का अनुभव होगा।

- अपेक्षक निकाय प्रभावित भू–मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे को सीमित नहीं कर सकता। परियोजना निर्माण के दौरान परियोजना गतिविधियों से फसलों को यदि कोई नुकसान होता है का

निर्धारण किया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा हिमाचल सरकार की फसल नीति के अनुसार दिया जाए।

जन सुनवाई का सारांश

हिमाचल प्रदेष सरकार के नियम 2015 के अनुसार, एएफसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों जैसे उप–मण्डलाधिकारी के माध्यम से सभी प्रभावित पंचायतों में 30.06.2018 से 02.07.2018 तक जन सुनवाईयों का आयोजन किया गया। इसमें अधिकतम संख्या में भू मालिक, जन प्रतिनिधि आर एण्डं आर पदाधिकारियों, महिला मण्डल, युवक मण्डल तथा पत्रकारों ने जन सुवनाई में भाग लिया। जन सुनवाई में उठाए गए अधिकतर सुझाव व मुददे पहले से ही रिपार्ट में सम्मिलित है। जिन मुददों को रिपार्ट में शामिल नहीं किया गया है वह निम्नलिखित है।

- **निरथ**

  –बांध व परियोजना निरथ में प्रस्तावित है इसलिए परियोजना का नाम सूर्यनारायण जल विद्युत परियोजना रखा जाए।

  –निरथ गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करना।

  –सूर्यनारायण मन्दिर का जीर्णोउददार ।

  –केट प्लान के अर्न्तगत जारी राशि का उपयोग प्रभावित पंचायत में किया जाए इसी प्रकार लाडा बजट भी उपयोग किया जाए। लाडा बजट का उपयोग अप्रभावित पंचायत में न किया जाए ।

  –ग्राम पंचायत देलठ को प्रभावित पंचायत में शामिल किया जाए ।

  –एसजेवीएन द्वारा प्रदान किए गई कूड़ादान को नियमित रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

- **नित्थर – देहरा**

  –नकदी फसल व फल का उचित मुआवजा।

  –निथर पंचायत को प्रभावित पंचायत में न लेना एक क्लेरिकल गलती है इसे सुधारा जाए।

  –सड़क एवं स्ट्रीट लाईट के प्रावधान से मॉडल पंचायत बनाने का प्रावधान।

  –रखरखाव व मुरम्मत कार्य के लिए लघु व सक्षिंप्ल अवधि निधि का प्रावधान।

  –मुआवजे (प्रतिपूर्ति) की गणना के लिए पिछले 10 वर्षों के सर्कल रेट विचार करना चाहिए।

  –सभी प्रभावित क्षेत्र में एक ही दर से मुआवजा।

  –आवासीय संरचना में कम से कम रू 10 लाख का मुआवजा।

  –शमशानघाट, पैदल पुल एवं जल स्रोतों के नुकसान के लिए, शमन सुझाव।

  –एसजेवीएन में रोज़गार हेतु स्थानीय कोटा होना चाहिए।

  –अधिग्रहण के पश्चात शेष भूमि आर्थिक तौर पर लाभदायिककारी नहीं हो सकती या पूरी भूमि –ले ली जाए। या पूरी भूमि छोड़ दें।

–आवासीय संरचनाएं प्रभावित होने पर 5 बीघा भूमि दी जानी चाहिए।

–1.5 प्रतिशत लाडा फण्ड के वेतन की घोषणा।

– छोटे / क्षुद्र श्रेणी के निविदाओं को स्थानीय लोगों के लिए खोलना।

- **गड़ेज**

–बायल से बिलासपुर तक फोरलैन सड़क का निर्माण।

–कैट प्लान के अन्तर्गत फंडों के वितरण की निगरानी।

–जंगलों में लगने वाली आग के प्रति जागरूकता।

–खाद्यान से होने वाले प्रदूषण हेतु शमन उपाय।

–गुजर लोगों को आंवटित भूमि की गैर रसीद (गैर रसीद आंवटित गुजर लोगों की भूमि)

–स्थानीय संस्कृति एवं सुरक्षा बनाए रखने पर विशेष ध्यान।

–हाईड्रो इन्जिनियरिंग कॉलेज की स्थापना।

- **शमाथला (रिवाली)**

  - पशु से सुरक्षा हेतु बाढ़ लगाना
  - मोबाईल हैल्थ वैन (संजिवनी सेवा) में जांच प्रयोगशाला का प्रावधान
  - साथ लगते गांव में धूल को जमा होने से रोकने हेतु शमन उपाय
  - पुलिस चौकी की स्थापना
  - नगरोनख बस्तीपुर और भलारी – हरिजन बस्ती में सडक का निर्माण
  - महिला मण्डलों और लघु एवं मध्यम न्योक्ता योजनाओं से सम्बन्ध स्थापित करना
  - केवल प्रदुषण से प्रभावित अन्य पंचायतों को प्रभावित होने पर विचार
  - सांप अथवा कुते के काटने पर किसानों/खेत मजदुरों के लिए मोबाईल हैल्थ वैन में आक्सीजन सिंलैन्डर का प्रावधान
  - प्रवासी मजदूरों के लिए शौचालयों का अव्यवस्थित प्रबन्ध
  - प्रभावित लोंगों की संस्कृति को अपरोक्ष रुप से हानि से रोकना

- **दतनगरः**

प्रभावित पंचायत दतनगर को राशि रुपये 3 करोड वितरित नही की गई जो दी जानी चाहिए। 2–3 कूडादान देना, निर्माण के दौरान धूल प्रबन्धन, खेल मैदानों की सुविधा, भू–मालिकों की बैठक, गरीबी रेखा से निचे के परिवारों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है का विषेश उपाय और भू–मालिकों कि विभिन्न पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना निगरानी समिति में शामिल करना, 70 प्रतिशत परिवारों को रोजगार प्रदान करना, बायल अस्पताल में 24 घण्टे सेवा प्रदान करना, रोजगार सृजन विशेष कर पर्यटन का विकास, जलाशय में

नाव विहार, परियोजना का निरथ बॉध नाम रखना, दतात्रेय मंदिर का जिर्रोणदार, परियोजना के पुर्ण होने पर अधिगृहीत भूमि के खाली क्षेत्र पर पौधा रोपण करना।

7.5 अनुशंसा

समाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन की निम्नलिखित सिफारिशें हैः

- क्षेत्र सर्वेक्षण के निष्कर्ष के विश्लेषण के आधार पर सामूहिक चर्चाओं और प्रभावित गांवों में भू–मालिकों कि जन सुनवाई के विशलेषण के आधार पर मुआवजे का निर्धारण राज्य सरकार के नियमों एवं संबन्धित विभागों से विचार पर किया जाना चाहिए।
- यह भी सिफारिश की गई कि मुआवजा पूर्ण रूप से परियोजना गतिविधियों के शुरू होने से पहले प्रदान किया जाए सभी प्रमाणित भू–स्वामियों को भू–अर्जन प्रक्रिया से अवगत करवाया जाए।
- स्थानीय संस्कृति एवं इसकी विशिष्टता का संरक्षण करने को दृष्टि से नाकारात्मक प्रभाव से लड़ने और साकारात्मक प्रभारों को बढ़ावा देने हेतु शमन मापकों से सम्बन्धित योजनाओं का सरकार तथा आपेक्ष द्वारा विशेष ध्यान रखा जाए।
- रोज़गार शेयरधारकों का मुख्य मुददा है। यह सिफारिश की गई कि प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को रोजगार प्रदान करने के लिए अवसर पैदा किए जाने चाहिए और यदि यह सम्भव नही ंतो अधिनियम 2013 सूचि 2 धारा 4 (6) में किए गए प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए।
- तकनीकी संस्थानों को स्थापना दिए जाने वाला कौशल प्रशिक्षण कार्यशक्ति पैदा करेगा जिससे मानव संसाधन के आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।
- परियोजना निर्माण के चरण में साकारात्मक प्रभाव होंगे जैसे रोजगार अवसरों का पैदा होना। जब परियोजना शुरू होगी तब अस्थाई रोज़गार के अवसर पैदा होंगे जैसे परियोजना प्रभवित परिवारों से किराए पर गाड़ी लगाना ठेकेदारों के माध्यम से रोज़गार प्रभावित परिवारों से बेरोज़गार लोगों परियोजना प्रभावित परिवारों के पंजीकृत ठेकेदारों को दिए जाने वाले छोटे ठेके देकर रोजगार के अवसर पैदा करना ताकि बेराज़गारी सम्बन्धित नाकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्य क्रम के आयोजना के माध्यम से स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना।
- पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं की अहम भूमिका रहती है तथा उनके परिवसर जुड़े कार्यों में पशु पालन तथा इससे सम्बन्धित अन्य कार्य शामिल है जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए महिला सशक्तिकरण एक ऐसा अहम क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- परियोजना द्वारा पुरूषों से सम्बन्धित प्रभावित क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधियों जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार, स्वस्थ्य, आय वृद्धि हेतु शिविर इत्यादि प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं से विचार विमर्श के उपरान्त की जानी चाहिए।
- यह भी सिफारिश की जाती है लाडा फंड के अलावा राज्य सरकार को स्थाई विकास हेतु अतिरिक्त फंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। लाडा फंड का हस्तांतारण न किसी अन्य जिलों के और न ही किसी अन्य संस्थाओं को किया जाना चाहिए।
- परियोजना निर्माण के दौरान, जनसंख्या के अवागमन से स्थानीय संस्कृति स्थानीय निवासियों की सुरक्षा, स्थानीय क्षेत्र में प्रदूषण, पेयजल की कमी के दर को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए राज्य सरकार और अपेक्षक निकाय को जागरुकता अभियान और एहतयाती उपाय करने चाहिए।
- सार्वजनिक उद्देश्यों की परियोजना को ध्यान में रखते हुए अपेक्षक निकाय को वितीय साक्षरता अभियान प्रभावित क्षेत्र में चलाने चाहिए। यह अभियान भू–मालिकों द्वारा तरल सम्पति को न्याय संगत ढंग से प्रयोग करने में तथा बचत की आदत को बढावा देने में सहायक होगा।
- महिला मण्डलों और युवक मण्डलों को पुर्नवास एवं पुनर्स्थापन योजना के लागू करने तथा निगरानी में सहभागिता हेतु जागरुक व प्रोत्साहित करना चाहिए।
- अपेक्षक निकाय– सामुदायक सम्पतियों जैसे कि पुल, सड़क और शमशानघाट/कब्रगाह जो जलाश्य में डूबने वाले हैं को समय से पुनः स्थापित करने की आवश्कता है।
- अधिनियम–2013 में दी गई पात्रता न्यूनतम है। राज्य सरकार को इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए ताकि भू–मालिकों के पक्ष में स्वीकार्य पुनर्वास एवं पुनः स्थापन योजना बनाये। प्रभावित भूमि मालिकों की यह मुख्य मांग थी।
- सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, कुछ हितधारकों ने आवासीय संरचनाओं के मुआवजे के लिए रु 10 लाख की मांग । अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार यदि ग्रामीण इलाके में कोई भी परिवार प्रभावित होता है तो घर की समतुल्य लागत को प्राथमिकता दी जाती है, इसे निर्मित घर के बदले ही प्रदान किया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक सुनवाई के दौरान एक मुस्लिम हितधारक ने कहा कि लगभग 50 मुस्लिम परिवार हैं, जिन्होंने कई साल पहले, सरकारी भूमि की राजस्व विभाग द्वारा पहचान के बाद, आवासीय घरों का निर्माण किया था। लेकिन उन्हें अब तक अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे परिवारों को राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से संबोधित करने की जरूरत है।

<u>अंतिम निष्कर्ष</u>

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए समाजिक समाघात अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रस्तावित परियोजना से होने वाले लाभ, प्रभावित परिवारों द्वारा संभावित रूप से अनुभव किए जाने वाले सामाजिक दुष्प्रभावो से अधिक होगें। यदि समय से शमन उपायों, सुझावों और सिफारिशों को लागू किया जाए, तो परियोजना प्रभावितों पर उपरोक्त भूमि अधिग्रहण के कारण आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव सबसे काम होंगे।

''''''

अध्याय 8: सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

8. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

सामाजिक प्रभावों की पहचान करने के बाद, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना एसआईएमपी को तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रभाव और जोखिम (कम, मध्यम, उच्च) का शमन शामिल होगा और जोखिमों के प्रबंधन के लिए रणनीतियों का निर्माण किया जाएगा। अपेक्षिक निकाय को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है कि पीएएफ पर उन प्रभावों के साथ शमन और प्रबंधन रणनीतियों को संरेखित किया गया है, पीएएफ की आय बहाल करने और समुदायों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए, 8 गांवों में समुदायों और प्रबंधन को शामिल किया गया है। इस अध्याय में प्रस्तुत की जा रही रणनीतियां, मुख्य निदेशकों के साथ सार्वजनिक परामर्श और बातचीत का नतीजा है। जहां उचित और आवश्यक हो, वहां शमन और प्रबंधन रणनीतियां, सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन के दौरान रेंखाकित संचयी प्रभावों को भी देखेगी। एसआईए रिपोर्ट के इस हिस्से ने, रिपोर्ट के निम्नलिखित हिस्सों से इनपुट को ध्यान में रखा है: शमन योजना, पुनर्वास और स्वामित्व का ढांचा। यह अध्याय, निगरानी और मूल्यांकन सहित, कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

8.1. प्रभावकारी योजना के अंतर्गत विकास की पहल

भूमि अधिग्रहण में निष्पक्ष मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार का विभाग 6, भूमि अधिग्रहण, 2013 का पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम और हिमाचल प्रदेश नियम का 2015 का अध्याय II बिंदु 4 में प्रावधानों के अनुसार, जहां भूमि अधिग्रहण होता है, वहां पीएएफ के क्रियान्वयन के लिए, वैधानिक आवश्यकता, के लिए अपेक्षित शमन योजना तैयार करना है। आठ राजस्व गांव इसके दायरे में आते हैं। कुछ शमन उपाय निम्नलिखित हैं

1. **वनीकरण** – प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र अपने वन क्षेत्र के मामले में कम हो रहा है क्योंकि औसत वर्षा के समय के साथ घट गई है। परिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए और पारिस्थितिक नुकसान को कम करने के लिए, सरकारी भूमि में वनीकरण किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में वन विभाग, अपेक्षिक निकाय और समुदाय शामिल होने चाहिए। ये प्रयास न केवल नुकसान की क्षतिपूर्ति करने में मदद करेंगे बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेंगे।

2. **उत्थापक सिंचाई प्रणाली** – कृषि, पहाड़ी के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, जो इस क्षेत्र में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है क्योंकि पानी का प्राकृतिक स्रोत सूख रहा है, स्थानीय लोग साल भर कृषि के लिए उस पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अब पानी के प्राकृतिक स्रोत में कमी के कारण, उनकी कृषि आय प्रतिकूल रूप से प्रभावित रही है। स्थानीय लोगों के साथ चर्चा के अनुसार, यदि प्राकृतिक स्रोत / पानी के धारो को पुनर्जीवित किया जाता है और नदी के पानी को पहाड़ी के ऊपर उठाया जाता है और बहाया जाता है, तो

किसान इस पानी से खेती कर सकते हैं और उनकी आय और कृषि को लंबे समय तक बहाल किया जा सकता है।

इस तरह की तकनीक को, देश के साथ–साथ देश से बाहर खोजा जा सकता है और इस क्षेत्र में एक पायलट परियोजना शुरू की जा सकती है जिसके लिए प्रशासन, अपेक्षिक निकाय और संबंधित विभाग द्वारा विशेष बजट का प्रावधान किया जाना है। इस तरह की पहलों की व्यवहारिकता और क्षेत्र में इसकी लागत और प्रभाव को समझने के लिए एक अलग अध्ययन भी किया जा सकता है।

3. जल आपूर्ति और इसकी गुणवत्ता – नित्थर पंचायत के मोइन गांव में गृह भ्रमण और सामुदायिक बैठक के दौरान, चर्चा और अवलोकन के अनुसार, ग्रामवासी पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड के कारण दांत के विकारों से पीड़ित हैं। इसलिए उन मुद्दे को उठाया जाना चाहिए जो पानी की गुणवत्ता संरक्षित कर सकें और यदि पानी में फ्लोराइड पाया जाता है, संबंधित विभाग को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

4. अस्पताल – एसजेवीएन इस क्षेत्र में एक अस्पताल चला रही है और गांवों में मुफ्त चिकित्सा शिविर भी लगा कर रही है। इसके अलावा, वे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और शिशुओं / वृद्धावस्था के लोगों के लिए, टोल फ्री नंबर वाले एम्बुलेंस (एनएचएम जैसे) चला सकते हैं, ताकि समय पर प्रयोग किया जा सके। बायल में मौजूदा अस्पताल को सरकारी मानदंडों के अनुसार, मानव संसाधन, उपकरण इत्यादि स्वास्थ्य विभाग और रिक्वारिंग बॉडी के परामर्श से उच्चस्तरीय बनाया जा सकता है।

इसी तरह, नीथर में केवल बुनियादी सुविधा के साथ एक पीएचसी है, जिसे एल 2 लेवल सुविधा में के साथ अपग्रेड किया जा सकता है और इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से परामर्श करके डिलीवारी व सभी आवश्यक परीक्षण किए जा सकते है।

5. स्कूल और छात्रवृत्ति – एसजेवीएन, क्षेत्र में बच्चों के बेहतर भविष्य और गुणवत्ता की शिक्षा के लिए एक स्कूल चला रही है, पीएएफ के बच्चों को प्रवेश और शुल्क रियायत पर विचार किया जाना चाहिए, परीक्षा में उच्चतम अंक वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा सकती है।

एसजेवीएन, छात्रों को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और सीए / सीएस इत्यादि जैसे उच्च शिक्षा / पेशेवर व्यापारों का चयन करने में मदद कर सकती है जिसके लिए वे छात्र की फीस / आवास लागत का प्रतिशत साझा कर सकते हैं और बाद में, उनके कौशल के आधार पर, उन्हें स्वयं के निकाय में अवशोषित कर सकते हैं। यह अपेक्षिक निकाय के लिए एक दीर्घकालिक निवेश और साथ ही साथ अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे प्रभावित परिवारों के लिए मदद होगा।

6. तकनीकी संस्थान – तकनीकी संस्थान को इस क्षेत्र में स्थापित किया जा सकता है या वह मौजूदा तकनीकी संस्थान के साथ काम कर सकता है, जिसमें खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, सिविल निर्माण और वाहन मरम्मत आदि के अलावा, विद्युत संबंधित पाठ्यक्रम शामिल हैं। तकनीकी संस्थान के लिए विषयों को अंतिम रूप देने से पहले भविष्य में क्षेत्र की जरूरतो उपलब्ध संसाधनों और पीएएफ के हितों को समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा सकता है।

7. सभी मौसम के लिए सड़कें – क्षेत्र के अवलोकन और ग्रामीणों की मांग के अनुसार, क्षेत्र में सभी मौसम के लिए सड़कों को बनाया जा सकता है। गडेज पंचायत अपेक्षिक निकाय की कॉलोनी से बहुत करीब है, फिर भी गांव में पंहुचने के लिए सड़क पक्की नहीं है जबकि यह गांव क्षेत्र में जैविक धान का एक प्रमुख उत्पादक है। इसलिए, सभी प्रभावित गांवों से जुड़ने वाली सभी मौसम के लिए सड़कों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए इसके लिए सरकारी कार्यक्रम और पीडब्ल्यूडी जैसे विभाग शामिल होने चाहिए।

8. परियोजना से प्रभावित परिवारों को बिजली की मुफ्त आपूर्ति – प्रत्येक पीएएफ को परियोजना के चालू होने के 10 साल तक प्रति माह 100 इकाइयों की मुफ्त बिजली प्रदान की जाना चाहिए।

9. खेल का प्रचार – पीएएफ से युवा / खिलाडियों को प्रोत्साहन किया जाएगा, इस के लिए, एसजेवीएन प्रभावित पंचायतों में खेल प्रतियोगिता को प्रायोजित कर सकती है और स्थानीय खेल क्लबों को खेल का सामान या उपकरण प्रदान कर सकती है। उज्ज्वल खिलाड़ियो को आगे प्रोत्साहन किया जा सकता है और उन्हें परियोजना में रोजगार का मौका दिया जा सकता है।

10. जागरूकता शिविर – स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम विकसित करने के लिए समाज का सशक्तिकरण और जागरूकता किसी भी समुदाय की पूर्व–आवश्यकता है, जिसे क्षेत्र में समय–समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। एसआईए टीम के अवलोकन के अनुसार, क्षेत्र में धूम्रपान और शराब पीने का प्रचलन है, इसके लिए एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए ताकि प्रत्याशित सामाजिक विषादों को न्यूनतम किया जा सके।

<u>शमन योजना के तहत आय के लिए</u>

जल–विद्युत प्रस्तावित परियोजना उन पंचायतो में अधिग्रहण प्रस्ताव, अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से बागवानी पर निर्भर पंचायतों को धारित करता है। यह परियोजना से प्रभावित परिवारों की आजीविका पर कुछ सकारात्मक और प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसका प्रभावित समुदायों की सामाजिक–सांस्कृतिक प्रणालियों पर नकारात्मक असर होगा। परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों, परिवारों, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों का पुर्नवसन, आय के पूर्व–परियोजना स्तरों की बहाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा इस प्रकार,

आय बहाली की गतिविधियों का मूल उद्देश्य यह है कि सभी पीएएफ, अधिग्रहण से पहले उनके द्वारा प्रयोग लिए जाने वाली जीवन की गुणवत्ता का फिर से परिमाजित किया जाये।

(क) पर्यटन को प्रोत्साहनः – यहां उल्लेख करना जरुरी है कि शिमला, राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से स्पीति से जुड़ा हुआ है, जो इस परियोजना के मध्य से गुजरता है, अगर प्रशासन द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, तो इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के साथ–साथ पानी से संबंधित गतिविधियों / खेल के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। पीपीपी मोड में नदी के किनारे शिविर और राफ्टिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, जो पीएएफ के लिए नियमित आय उत्पन्न करेंगे।

(ख) स्व–सहायता समूहों (एसएचजी) का निर्माण और सुदृढ़ीकरण – एफजीडी के दौरान, पीएएफ को विशेष रूप से प्रस्तावित परियोजना से प्रभावित या विस्थापित होने पर पुनर्वास के लिए उनकी प्राथमिकता के बारे में पूछा गया था। अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए उचित प्रशिक्षण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के साथ, परियोजना महिलाओं को सहायता समूह बनाने या मौजूदा लोगों को मजबूत करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिए।

c) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और शीत भंडारण – यह क्षेत्र सेब और प्लम उत्पादन में समृद्ध है। संम्प्रति इस क्षेत्र में दो निजी शीत भंडारण स्थापित इकाइयां हैं। छोटी क्षमता के सरकारी शीत भंडारण की स्थापना की संभावनाएं संबंधित विभाग और अपेक्षिक निकाय द्वारा खोजी जा सकती हैं, जो छोटे और सीमांत बागवानी के लिए फायदेमंद होंगी। इससे उन्हें कम कीमत पर अधिशेष उपज को संग्रहित करने में मदद मिलेगी और कुछ लोग रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि–आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की संभावनाओं के क्षेत्र में भी की जानी चाहिए। **मत्स्य पालन और संबंधित प्रसंस्करण इकाई**, पीएएफ के लिए टिकाऊ आय स्रोत का एक और क्षेत्र हो सकता है। पीएएफएस में से अनुसंधान किया जा सकता है उद्यमियों और संबंधित विभागों / जिला प्रशासन के बीच परामर्श से इन सभी की खोज की जा सकती है।

d) आय की बहाली के लिए संस्थागत संयोजन – सर्वेक्षण के दौरान, यह देखा गया कि आय बहाली के लिए पात्र परिवारों में से अधिकांश बागवानी, छोटे व्यवसायों और पशुओं के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। परियोजना, कुछ व्यावसायिक / कौशल प्रशिक्षण अवसर प्राप्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का संगठन करने के लिए पीएएफ को जुटाने के हेतु सक्रिय भूमिका निभा सकती है और विपणन और क्रेडिट सुविधा के अलावा कच्चा माल, इनपुट के लिए अगले और पिछड़े संबंध स्थापित करने में भी सहायता कर सकती है। संस्थागत वित्त पोषण और विपणन में जिला प्रशासन और अन्य निर्देशकों, के गतिविधियों के लिए सूक्ष्म योजना तैयार करेंगे। वैकल्पिक आजीविका योजनाओं के निर्माण के मामले में, लक्षित समूह आबादी की जरूरतों का अध्ययन किया जाएगा और लोगों की भागीदारी के माध्यम से प्राथमिकता दी

जाएगी। पीएएफ, व्यवहार्य दीर्घकालिक आय उत्पन्न करने वाले कार्यक्रमों के विकास में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आय उत्पादन योजनाओं को पीएएफ की आय बहाली के लिए एकत्रित किया जा सकता है।

e) परियोजना आधारित रोजगार – पीएएफ, परियोजना निर्माण और रखरखाव के ठेकेदारों के तहत काम जैसे परियोजना से संबंधित रोजगार के अवसरों का शोध किया जा सकता है।

<u>किसान और समुदाय उन्मुख सेटअप का विकास –</u>

- क्षेत्र के मूल / स्वदेशी बीजों की रक्षा के लिए बीज के बैंकों को भी प्रोत्साहित और आगे किसानों के बीच प्रचारित किया जा सकता है।
- राज्य सरकार / एसजेवीएन द्वारा छोड़ी गई गाय के लिए *गौ–शाला* की योजना भी बनाई जा सकती है, ताकि किसानों को फसलों और पौधों के नुकसान से बचाया जा सके और गाय गोबर का उपयोग करके जैविक खेती (सेब और अन्य फलों) को बढ़ावा दिया जा सके।

- इस क्षेत्र में कोई विनियमित मंडी (ग्रामीण हाट) नहीं है जो छोटे, मध्यम और बड़े किसानों की मदद कर सकती है। इस प्रकार की पहल, सेब के उपज के क्षेत्रों में, अपनी तरह की एक हो सकती है।
- पीएएफ के लिए वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि विकास परियोजनाओं के लिए कई भूमि अधिग्रहण में यह देखा गया था कि जब भी परिवारों को थोक धन वितरित किया जाता है, तो उसका उपयोग परिवार के सदस्यों द्वारा न्यायिक रूप से नहीं किया जाता है और आम तौर पर विलासिता और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च किया जाता है और वह व्यक्तियों / परिवारों के खर्च करने की आदतो और जीवन शैली में परिवर्तन कर देता है। कभी–कभी यह समाज में प्रचलित पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के नुकसान का कारण बनता है। कई परिवार पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए यहां चिंता यह है कि मुआवजे का पैसा लंबे समय तक नहीं टिकेगा और अंततः परिवारों के साथ–साथ समाज को लंबे समय तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। यह सलाह दी जाती है कि अधिग्रहण करने वाले प्राधिकरण को बाहरी एजेंसी की सहायता से प्रभावित परियोजना क्षेत्र में **"वित्तीय साक्षरता शिविर"** को आयोजित करना होगा और वित्तीय प्रबंधन के बारे में शिक्षित करना होगा।

अपेक्षक निकाय को उपर्युक्त सुझावों के अनुसार एक विस्तृत शमन योजना तैयार करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसे स्थानीय समुदाय और पीएएफ से प्राप्त विशिष्ट प्रतिक्रिया से तैयार किया गया है।

स्थानीय क्षेत्र विकास निधिः

परियोजना निर्माण के दौरान एलएडीएफ की भागिता 1.5 प्रतिशत है और लाडा के लिए परियोजना लागत का 1 प्रतिशत नहीं है। तदोउपरांत परियोजना के चालू होने पर, राज्य सरकार को मुफत 12 प्रतिशत बिजली, आय को निरन्तर बनाए रखने हेतू अतिरिक्त 1 प्रतिशत एलएडीफ के लिए, कल्याणकारी योजनाओ के लिए, अतिरिक्त संरचनाओ के निर्माण हेतू, सामान्य सुविधाओ को निरन्तर बनाए रखने हेतू आदि सुविधाए परियोजना के अन्त तक दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने मुफत मिलनी 12 प्रतिशत हिस्सेदारी से योजना/बजटरी प्रावधान के द्वारा 1 प्रतिशत एलएडीएफ को दिए जाने का भी प्रावधान किया है। इस प्रावधान को एसएमआइएमपी मे भी दिया जाना चाहिए।

8.2. सामाजिक प्रभावों की कमी के लिए सिफारिशें

यह एसआईए रिपोर्ट, सार्वजनिक अधिग्रहण और सर्वेक्षण के दौरान, पीएएफ और अन्य द्वारा व्यक्त की गई आकांक्षा के अनुसार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने और कार्यवाही की योजना तैयार करने अपेक्षक निकाय कार्यान्वयन एजेंसी के लिए फायदेमंद होगी। अधिनियम 2013 के अनुसार, एसआईए अध्ययन कई मायनों में अद्वितीय है। एसआईए अध्ययन के तहत, पूर्व भूमि अधिग्रहण जनगणना और सार्वजनिक परामर्श किया गया था। प्रत्येक गांव में पीएएफ, समुदायों और राय निर्माताओं की धारणा, एफजीडी और पीआरए के अभ्यासों के माध्यम से, टीम को समझने के लिए एक अच्छा अवसर था।

आम तौर पर, कृषि प्रयोजनों और आवासीय घरों के लिए उपयोग में लाए जाने वाली भूमि संपत्तियों के नुकसान के लिए उचित शमन और मुआवजे की आवश्यकता होगी। अध्ययन के निष्कर्षों के चलते हुए, परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

एफजीडी के दौरान, सभी प्रभावित लोग जल–विद्युत परियोजना के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने के इच्छुक थे। केवल कुछ लोगों ने इस कारण संदेह जताया कि अनुमानित मुआवजा कुछ कम होगा। इसके अलावा, यह मांग की गई कि प्रभावित लोगों को उचित समय पर समस्या– मुक्त मुआवजे प्रदान हो, जिससे जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें उनके नुकसान का अहसास न हो। परेशानी मुक्त भुगतान प्रक्रिया होनी चाहिए क्योंकि उन्हें आशंका है कि भूमि के अधिग्रहण के बाद, देरी का सामना करना पडेगा। यह अनुशंसा की जाती है कि अधिग्रहित भूमि के कब्जे से पहले, मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए।

एसआईए रिपोर्ट में शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण और महिला–संचालित परिवारों जैसे कमजोर पीएएफ की पहचान की गई है, जो जल–विद्युत परियोजना में भूमि अधिग्रहण के कारण प्रतिकूल

प्रभाव का सामना करेंगे। प्रत्येक कमजोर परिवार से कम से कम एक सदस्य को, कौशल विकास और आय बहाली के संदर्भ में अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

तालिका 8.2.1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के कारण होने वाले मुख्य प्रभाव और कमी के लिए सुझाए तरीके

अनु. क्र.	अवलोकित प्रभाव	सुझाए गए शमन के उपाय
1	भूमि का नुकसान: 8 राजस्व गांवों में, 50. 9712 हेक्टेयर निजी भूमि	भूमि अधिग्रहण, अधिनियम 2013, और हकदारी के ढांचे के अनुसार किया जाएगा।
2	आजीविका / आय पर प्रभाव: 36 पीएएफ, कृषि भूमि की 100% हानि के कारण अपना व्यवसाय खो देंगे, दूसरे 14 पीएएफों की 85% से 99% की हानि होगी, और 1 पीएएफ का 70% से 84% बीच नुकसान होगा।	कुछ पीएएफ को उनके कौशल (प्रति परिवार एक) के अनुसार, रोजगार प्रदान किए जा सकते हैं। दूसरों के लिए स्व–रोजगार, कौशल उन्नयन के माध्यम से अवसरों की व्यवस्था की जा सकती है।
3	आवासीय या वाणिज्यिक संरचनाओं का नुकसान	54 आवासीय संरचनाएं और 37 अन्य संरचनाएं प्रभावित हैं
4	भूमि / घर से जुड़ी संपत्तियों का नुकसान	संबंधित पीएएफ को मुआवजे के कारण दिया जाना चाहिए
5	सामान्य संपत्तियों का नुकसान	परियोजना के कारण प्रभावित होने वाले सभी सांस्कृतिक संपत्तियों और सामान्य संपत्ति संसाधनों को, निर्माण शुरू करने से पहले, संबंधित समुदाय की पूर्व स्वीकृति के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए
6	सार्वजनिक उपयोगिता का नुकसान	एचपी एसईबी संरचना, विद्युत बिजली आपूर्ति लाइनों, टेलीफोन और टेलीविजन केबल्स जैसी सभी सामुदायिक उपयोगिताओं को, स्थानांतरण करने के लिए पहचाना जाना है
7	कमजोर समूह, जैसे महिला प्रमुख वाले परिवार, आदि पर प्रभाव : 66 महिलाएं घरों की प्रमुख हैंय 18 साल से ऊपर की उम्र	स्वीकार्य मुआवजे के अलावा, उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है

	वाली 73 अविवाहित बेटियां और 12 विधवा	
8	खाद्य सुरक्षा पर प्रभावरू खेती योग्य भूमि के नुकसान की संभावना है	कृषि विभाग को सलाह दी जा सकती है कि प्रभावित परिवारों को शेष भूमि में गहन खेती करने में सहायता करें
9	शोर और वायु प्रदूषण	स्थानीय लोगों के परामर्श से शोर, यातायात, धूल के बढ़े स्तर को कम करने के लिए प्रबंधन योजना का विकास और कार्यान्वयन किया जा सकता है

तालिका 8.2.2: राजस्व गांववार भूमि को खोने वाले पी.ए.एफ. का विवरण

अनु. क्र.	**राजस्व गांव का नाम**	**100% भूमि खोने वाले पीएएफों की संख्या**	**85% से 99% भूमि खोने वाले पीएएफों की संख्या**	**70% से 84% भूमि खोने वाले पीएएफ की संख्या**
1	चरोंटा	0	0	0
2	रिवाली	2	0	1
3	भद्राश	7	2	0
4	गडेज	5	2	0
5	नौला	0	0	0
6	नित्थर	12	3	0
7	नरोला	1	0	0
8	निरथ	9	7	0
	कुल	**36**	**14**	**1**

8.3. एसआईएमपी (SIMP) के कार्यान्वयन के लिए प्रारूप:

हकदारी का ढांचा और पुनर्वास और पुर्नस्थापन की प्रक्रिया, परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए लागू कानूनी प्रावधानों की पृष्टभूमि में पहले प्रस्तुत की गई है। पुनर्वास और पुर्नस्थापन की लागत का विवरण तैयार किया गया है और उसे तालिका 8.3.1 से 8.3.4 तक दिया गया है।

तालिका 8.3.1: भूमि पर मुआवजे का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1
अ0 क्र.	पंचायत	वर्ग मीटर में अधिग्रहित भूमि	खेती वाली भूमि (वर्गमीटर)	गैर खेती वाली भूमि (वर्गमीटर)	सर्किल दर (राष्ट्रीय राजमार्ग / अन्य सड़क पर खेती वाली 4 थी श्रेणी)	सर्कल दर (राष्ट्रीय राजमार्ग / अन्य सड़क पर खेती वाली 4 थी श्रेणी)	खेती वाली भूमि का मूल्य (4 * 6)	गैर–खेती वाली भूमि का मूल्य रुपये (5 * 7)	रुपये में भूमि का कुल मूल्यांकन (8 + 9)	रुपये में भूमि के लिए कुल मुआवजा (10 * 2)
1	चरोंटा	3485	3372	113	1184	987	3992448	111,531	4103979	8207958
2	थ्रवाली	74322	61,620	12702	5729	3774	353020980	47937348	400958328	801916656
3	भद्राश	46396	42,250	4146	2750	2292	116187500	9502632	125690132	251380264
4	गडेज	97358	84,935	12423	460.5	383.75	39112567.5	4767326.25	43879893.75	87759787.5
5	न्रोला	13085	8131	4954	502	418	4081762	2070772	6152534	12305068
6	नित्थर	180998	152,390	28,608	1150.2	958.5	175278978	27420768	202699746	405399492
7	नौला	4248	2218	2030	2003	1670	4442654	3390100	7832754	15665508
8	निरथ	89820	71,413	18407	4408	3673	314788504	67608911	382397415	764794830
	कुल	509712	426329	83383					1173714782	2347429563.50

तालिका 8.3.2: पेड़ों पर मुआवजे का विवरण

अनु. क्र.	राजस्व गांव का नाम	फलों के पेड़		गैर–फल वाले पेड़		पेड़ों की कुल संख्या (2 + 4)	कुल (3 + 5) मुआवजे की राशि
		फलों के पेड़ की संख्या	रुपये 5,000 / पेड़ से फल के पेड़ की दर	गैर–फल वाले पेड़ की संख्या	रुपये 3,000 / पेड़ से गैर–फल वाले पेड़ की दर		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	चरोंटा	4	20000	5	15000	9	35000
2	रिवाली	468	2340000	442	1326000	910	3666000
3	भद्राश	621	3105000	595	1785000	1216	4890000
4	गडेज	508	2540000	489	1467000	997	4007000
5	नौला	478	2390000	445	1335000	923	3725000
6	नित्थर	1074	5370000	998	2994000	2072	8364000
7	नरोला	625	3125000	601	1803000	1226	4928000
8	निरथ	945	4725000	891	2673000	1836	7398000
	कुल	**4723**	**2,36,15,000**	**4466**	**1,33,98000**	**9189**	**3,70,13,000**

तालिका 8.3.3: पुनर्वास और पुर्नस्थापन की लागतों का विवरण

आवास इकाई के नुकसान के कारण विस्थापित परिवार	**54 परिवार (9 एससी / एसटी परिवारों सहित)**	**श्रकम**
प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएई) के तहत एक घर दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को केवल एक घर मिलेगा। अगर घर का चयन नहीं किया जाता है, तो घर की समतुल्य लागत की पेशकश की जाएगी।	हिमाचल प्रदेश सरकार की पीएमएवाई 2016 अधिसूचना के तहत, पहाड़ी राज्यों में प्रत्येक घर के लिए भत्ता 1.30 लाख रुपये होगा 54 परिवार x 1,30000 (संभावित) = 70,20,000	70,20,000
प्रति पीएएफ 5 लाख रुपये का एक बार का भुगतान	54 परिवार x 5,00,000 = 2,70,00,000	2,70,00,000

या, 20 साल के लिए, सालाना पॉलिसी के तहत 2,000 / – प्रति माह प्रति परिवार		
एक वर्ष के लिए प्रत्येक परिवार के लिए 3000 / – का सहायक अनुदान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में 50,000 /– का अतिरिक्त एक बार का अनुदान	54 परिवार x 36,000 = 19,44,000 9 एससी / एसटी परिवार x 50,000 = 4,50,000	2,39,4000
प्रति परिवार 50,000 / – की एक बार की स्थानांतरण लागत	54 परिवार x 50,000 = 27,00,000	27,00,000
50000 / – प्रति परिवार एक बार का पुर्नस्थापन भत्ता	54 परिवार x 56,000 = 27,00,000	27,00,000
मवेशी शेड / छोटी दुकानों के नुकसान वाले पी.ए.एफ	91–54 = 37 परिवार	
मवेशी शेड या छोटी दुकानों के निर्माण के लिए न्यूनतम 25,000 / – का एक बार का अनुदान वित्तीय सहायता	37 परिवार x 25,000 = 9,25,000	9,25,000
	कुल अनुमान	**4,27,39,000**

तालिका 8.3.4 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन के लिए कुल लागत का विवरण

अनु. क्र.	**लागत का विवरण**	**रकम**
1	भूमि के लिए मुआवजा **	234,74,29,563.50
2	मुआवजे (भूमि) की राशि पर 12% ब्याज	28,16,91,547.62,
3	पेड़ों के लिए मुआवजा	3,70,13,000.00
4	पुनर्वास और पुर्नस्थापन्न की लागत	42739000.00
5	कुल लागत	2708873111.12
6	अन्य (कुल लागत का 10%)	27,08,87,311.11
	कुल (5 + 6)	**297,97,60,422.23**

** *भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे में स्थायी फसलों के लिए मुआवजा शामिल नहीं हैं।*

सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी पीएएफ के साक्षात्कारों पर आधारित है और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी को सच माना जाता है लेकिन यह स्वामित्व का प्रामाणिक संस्करण नहीं है।

निजी से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र 50.9712 हेक्टेयर तक आता है, जिसके लिए मुआवजे के सूत्र की गणना के आधार पर, संभावित भूमि मुआवजा (खड़ी फसलों के लिए मुआवजे को छोड़कर) 234,74,29,563.50 / — रुपये (केवल दो सौ चौतीस करोड़, चौहत्तर लाख, उन्नीस हजार, पांच सौ, तिरसठ रुपये, और पचास पैसे) रुपये तक होता है। भूमि के मुआवजे पर ब्याज दर पर 12 प्रतिशत की दर से, अधिनियम 2013 की धारा 30 (3) के अनुसार, 28,16,91,547.62 / — रुपये (केवल अट्ठाईस करोड़ सोलह लाख इक्यानबे हजार पांच सौ सैतालिस रुपये और बासठ पैसे) की राशि का अनुमान लगाया गया है।

पेड़ों के लिए मुआवजे का अनुमान 3,70,13,000 / — रुपये (केवल तीन करोड़ सत्तर लाख तेरह हजार) है। हालांकि, पेड़ों की संख्या की गणना की जाएगी और वास्तविक मूल्य का मूल्यांकन, सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे के इस अनुमान में खड़ी फसलों के लिए मुआवजा शामिल नहीं हैं। फसलों के लिए नकद मुआवजा, औसत उत्पादन के आधार पर परिपक्व फसलों की बाजार लागत पर दिया जाएगा।

आर एंड आर व्यय के लिए अधिकार 4,27,39,000 / — रुपयों (केवल चार करोड़ सत्ताईस लाख उनचालीस हजार रुपये) के बराबर है। आर एंड आर समेत भूमि अधिग्रहण के लिए कुल 297,97,60,422.23 / — रुपयों (केवल दो सौ सत्तानवे करोड़, सत्तानवे लाख, साठ हजार, चार सौ बाईस, रुपये और तेईस पैसे) का अनुमान है। हालांकि, भूमि अधिग्रहण और संरचनाओं के लिए अंतिम मुआवजे की राशि अधिनियम 2013 और हिमाचल प्रदेश नियम 2015 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। उपर्युक्त राशि में पीएएफों को दी जाने वाली स्वीकार्य सहायता और भत्ते शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, कथित गणना में, शमन योजना की लागत को शामिल नहीं किया गया है।

8.4. सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का संस्थागत व्यवस्था मूल्यांकन

सामाजिक प्रभाव आंकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन, सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र बहु—अनुशासनात्मक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 7 की उपधारा (1) के अनुसार, विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित लोग शामिल होंगे —

- दो गैर–आधिकारिक सामाजिक वैज्ञानिक।
- पंचायत, ग्राम सभा के दो प्रतिनिधि।
- पुनर्वास पर दो विशेषज्ञ।
- परियोजना से संबंधित विषय में एक तकनीकी विशेषज्ञ।

सरकार विशेषज्ञ समूह से ही एक अध्यक्ष को नामांकित कर सकती है। विशेषज्ञ समूह को अपने गठन की तारीख से दो महीनों के भीतर एक सिफारिश करनी है कि यदि परियोजना को त्याग दिया जाएगा या जारी रखा जाएगा।

8.5. पुनर्वास और पुर्नस्थापन योजना एव सामाजिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

अधिनियम 2013 के अनुसार, जहां भूमि अधिग्रहित करने का प्रस्ताव 100 एकड़ के बराबर या उससे अधिक है, सरकार कलेक्टर की अध्यक्षता में पुनर्वास और पुर्नस्थापन समिति का गठन करेगी। इस समिति का उद्देश्य, पुनर्वास और पुर्नस्थापन स्कीमों या योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना और ग्रामसभा के परामर्श से कार्यान्वयन के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा करना है। कार्यान्वयन और सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य निम्नानुसार हो सकते हैं:

1. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं मे से एक प्रतिनिधि।
2. प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले एससी और एसटी से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि।
3. क्षेत्र में काम कर रहे एक स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ) का एक प्रतिनिधि।
4. परियोजना का भूमि अधिग्रहण अधिकारी।
5. प्रभावित क्षेत्र के पंचायत का अध्यक्ष या उसका नामांकित व्यक्ति।
6. संसद सदस्य और संबंधित क्षेत्र की विधान सभा का सदस्य या उनके नामांकित व्यक्ति। (ग्रामपंचायत प्रधान)
7. अपेक्षक निकाय का एक प्रतिनिधि।
8. सदस्य के रूप में आर एंड आर के लिए प्रशासक – संयोजक।

8.6. शिकायत निवारण समिति (जीआरसी)

पीएएफों को उनके प्रश्नों और शिकायतों को हल करने में सहायता के लिए कुशल शिकायत निवारण तंत्र विकसित किया जाएगा। पीएएफों की शिकायतों को, पहली बार परियोजना के क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के ध्यान में लाया जाएगा। उनके द्वारा दूर न की गई शिकायतों को शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) के सामने लाया जाएगा। प्रस्तावित जीआरसी की संरचना, आर एंड आर समिति के समान हो सकती है। यह समिति मासिक आधार पर बैठक बुला सकती है या राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जा सकता है।

जीआरसी की मुख्य जिम्मेदारियां हो सकती हैं:

i. भूमि / संपत्ति अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर पीएएफों को समर्थन प्रदान करना।
ii. पीएएफों की शिकायतें दर्ज करना, शिकायतों को वर्गीकृत करना और उन्हें प्राथमिकता देना और उनका हल निकालना:
iii. उनकी शिकायतों और जीआरसी की निर्णयों के बारे में घटनाक्रमों पर पीएएफ को रिपोर्ट करना।

कानून के तहत स्वामित्व अधिकारों से संबंधित विवादों के अलावा, जीआरसी सभी पुर्नस्थापन लाभ, मुआवजे, स्थानांतरण, प्रतिस्थापन लागत और अन्य सहायता से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करेगी। जब कोई शिकायत क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के सामने लाई जाती है, तो उसे शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर हल किया जाना चाहिए। जीआरसी हर महीने बैठक बुलाएगी (यदि शिकायत को समिति के सामने लाई जाती है), प्रत्येक शिकायत की योग्यता निर्धारित करेगी और शिकायत प्राप्त करने के एक महीने के भीतर शिकायतों का समाधान करेगी – ऐसा न होने पर, निवारण के लिए शिकायत को उचित न्यायालय में भेजा जाएगा। सभी शिकायतों के अभिलेख रखे जाएंगे, जिनमें शिकायतकर्ता का संपर्क विवरण, शिकायत की तारीख, शिकायत की प्रकृति, की गई सुधारात्मक कार्रवाई और कार्रवाई की तारीख और अंतिम परिणाम शामिल है। शिकायत निवारण तंत्र का फ्लोचार्ट नीचे चित्र –8.6.1 में इंकित किया गया है:

चित्र–8.6.1: शिकायत निवारण के चरण

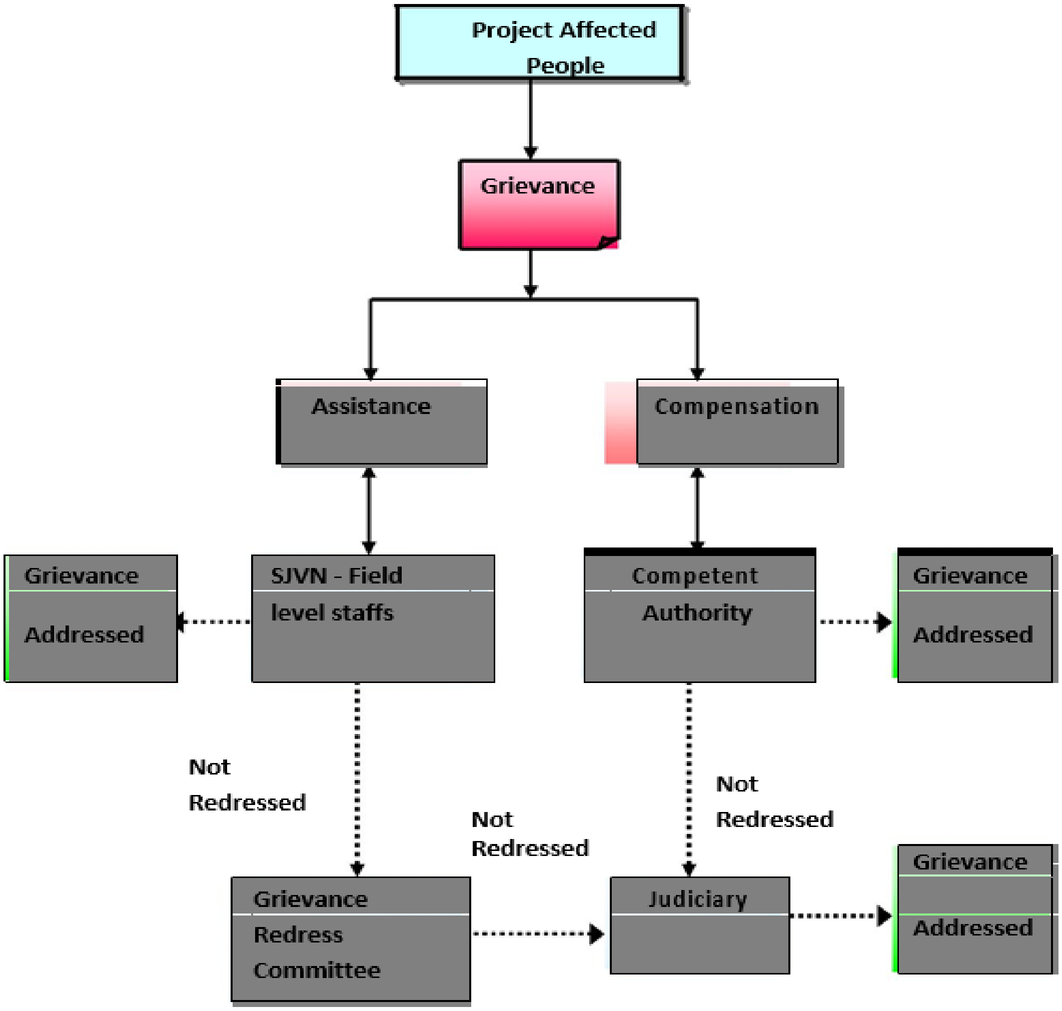

8.7. अनुश्रवण और मूल्यांकन

एसआईएमपी कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है क्योंकि कई एजेंसियों द्वारा गतिविधियों को समयबद्ध तरीके से निष्पादित किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए कि अनुसूची के अनुसार प्रगति कर रहे हैं निगरानी में आवधिक जांच शामिल है, जबकि मूल्यांकन एसआईएमपी के प्रदर्शन का आकलन करना है। इस उद्देश्य के लिए, परियोजना अधिकारियों को प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए, एक निगरानी और मूल्यांकन योजना विकसित की जानी चाहिए। आर एंड आर की निगरानी और मूल्यांकन, आर एंड आर उद्देश्यों, रणनीतियों और दृष्टिकोणों की सफलता और आर एंड आर गतिविधियों, उनके प्रभाव और स्थायित्व के कार्यान्वयन में दक्षता और प्रभावकारिता का आकलन करने का अवसर प्रदान करते हैं। निगरानी, परियोजना से

प्रभावित असुरक्षित परिवारों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बीपीएल परिवारों, महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों, विधवाओं, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों जैसे समूहों पर विशेष ध्यान देगी। एसआईएमपी कार्यान्वयन के मध्य और अंत अवधि के मूल्यांकन के लिए, तीसरे पक्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र मूल्यांकन भी आवश्यक है।

8.7.1 आंतरिक निगरानी

एसआईएमपी कार्यान्वयन के लिए आंतरिक निगरानी परियोजना प्राधिकरणों द्वारा की जाएगी, जहां मुख्य उद्देश्य, एसआईएमपी कार्यक्रम के बारे में प्रगति की रिपोर्ट करना हो गाय प्रभावित परिवारों और लोगों को सहमत अधिकारों को वितरित किया जाता है इसकी जांच करना एसआईएमपी कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप और सुधारात्मक कार्रवाई करने में किसी भी समस्या, मुद्दों या कठिनाई की पहचान करना शिकायत प्रणाली की प्रभावशीलता की निगरानी करान और पीएएफों की संतुष्टि को मापना होगा। आंतरिक निगरानी, एसआईएमपी में परिभाषित कार्यों के कार्यक्रम के बारे में प्रगति को मापने पर केंद्रित होगी। परियोजना प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में भूमि अधिग्रहण टीम, निर्माण एजेंसियों और परियोजना से प्रभावित समुदायों के बीच संपर्क शामिल होगा, जिससे प्रगति की समीक्षा और रिपोर्टः सिमप के अनुसार पात्रता के अनुसार भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की डिलीवरी का सत्यापनय पीएएफ की आय और जीवन स्तर को बहाल करने के लिए सहमत उपायों के कार्यान्वयन का सत्यापनय पुनर्वास प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी भी समस्या, मुद्दों या कठिनाई की पहचानय परियोजना से प्रभावित परिवारों और पुनर्वास परिणामों के साथ लोगों की संतुष्टि का आकलनय और उचित सुधारात्मक कार्यों का पालन करने के लिए पीएएफ की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। एसआईएमपी कार्यान्वयन के प्रभारी, एसजेवीएन के फील्ड लेवल अधिकारी, आर एंड आर की प्रगति को ट्रैक करेंगे। इस उद्देश्य के लिए, सुझाए गए संकेतक तालिका 8.7.1 में दिए गए हैं।

तालिका 8.7.1: सिम्प की प्रगति की निगरानी के संकेतक

भौतिक	अधिग्रहित भूमि का विस्तार, उतारे गए ढांचों की संख्या, प्रभावित परिवारों की संख्या , जमीन खरीदने वाले परिवारों की संख्या और खरीदी गई जमीन का विस्तार, सहायता / मुआवजे प्राप्त करने वाले पीएएफों की संख्या, परिवहन सुविधाओं / स्थानांतरित भत्ता प्रदान किए पीएएफों की संख्या, घर की साइटों के लिए पहचान की गई सरकारी भूमि का विस्तार, भूमि उपयोगकर्ताओं की संख्या और मुआवजे का भुगतान किए गए निजी संरचना के मालिक

वित्तीय	भूमि / संरचना के लिए भुगतान किए गए मुआवजे की राशि, स्थानांतरन करने के लिए नकद अनुदान, प्रशिक्षण और पीएएफों की निर्माण क्षमता के लिए भुगतान की गई राशि।
सामाजिक	पीएएफों का उनके अधिकार, सांप्रदायिक सद्भाव, विकृति और मृत्यु दर, कमजोर आबादी का ख्याल रखना आदि के बारे में ज्ञान।
आर्थिक	हकदार परिवारों को प्रदान की गई नौकरियों की संख्या, पुनरू स्थापित व्यापारों संख्या, मुआवजे का उपयोग, खरीदी गई घर की साइटें / व्यावसायिक साइटें आय पुर्नस्थापन योजनाओं का सफल कार्यान्वयन
शिकायत	आयोजित, सामुदायिक स्तर की बैठकों की संख्या, शिकायत निवारण बैठकों की संख्या पीएएफों की संतुष्टि तक परियोजना प्राधिकरणों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या, संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट की गई और उनके द्वारा हल की गई शिकायतों की संख्या

8.7.2 स्वतंत्र मूल्यांकन

निम्नलिखित बातों को प्राप्त करने के लिए मध्य और अंत अवधि के मूल्यांकन के लिए परियोजना द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसी को किराए पर लिया जा सकता है:

(a) आंतरिक निगरानी के परिणाम सत्यापित करना

(b) यह आंकलन करना कि पुनर्वास उद्देश्यों को पूरा किया गया है, विशेष रूप से, आजीविका और जीवन स्तर को बहाल किया गया है या नहीं

(c) पुनर्वास क्षमता, प्रभावशीलता, प्रभाव और स्थिरता का आंकलन

(d) पता लगाना कि क्या पुनर्वास अधिकार, हकदारी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त थें या नही और

(e) जीवित मानकों की यह तुलना, उपलब्ध आधारभूत जानकारी के संबंध में होगी। निम्नलिखित तालिका 8.7.2 को एसआईएमपी के बाहरी मूल्यांकन में संकेतकों के आधार के रूप में माना जाना चाहिए।

तालिका 8.7.2: परियोजना परिणाम मूल्यांकन के लिए संकेतक

अनु. क्र.	उद्देश्य	जोखिम	परिणाम
1	परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव को कम करना	पुनर्स्थापन योजना कार्यान्वयन, अनुमानित से अधिक समय ले सकता है	मुआवजा और सहायता भुगतान से भूमि मालिकों की संतुष्टि। भूमि मालिकों द्वारा मुआवजे और सहायता के उपयोग का प्रकार मुआवजा और सहायता की (संरचना)से मालिकों की संतुष्टि संरचना मालिकों द्वारा मुआवजे और सहायता के उपयोग का प्रकार मालिकों द्वारा संरचित मुआवज सहायता के आयोग का प्रकार
2	परियोजना में संपत्ति खोने वाले व्यक्तियों और परिवारों को, अधिनियम और नियमों के अनुसार मुआवजा	संस्थागत व्यवस्था, अपेक्षाकृत कुशलता से कार्य नहीं कर सकती है	केवल आर्थिक गतिविधि के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल को अपनाए गए पीएएफों का प्रतिशत अप्रधान आर्थिक गतिविधि के रूप में, प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल अपनाए गए पीएएफों का प्रतिशत
3	प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों को, उनके जीवन स्तर में सुधार या उसे पुनः प्राप्त करने में सहायता की जाएगी	सिम्प को लागू करने वाले प्राधिकारी, कार्य को अपेक्षा के अनुसार कुशलतापूर्वक निष्पादित नहीं कर सकते हैं	प्रशिक्षण के कारण आय में वृद्धि की सूचना देने वाले पीएएफों का प्रतिशत अपने पसंद के कौशल में प्रशिक्षित पीएएफों का प्रतिशत कौशल सुधार के लिए ट्रेड का चयन करने में पीएएफों की मदद करने में परियोजना प्राधिकरणों की भूमिका एक बार आर्थिक पुनर्वास अनुदान के तहत, पीएएफ को प्रदान की गई उत्पादक संपत्तियों का

			उपयोग
4	कमजोर समूहों की पहचान करके उनके जीवन स्तर में सुधार एवं सहायता	शिकायतों की अप्रत्याशित संख्या में बढ़तरी. सकती है जब पीएएफों के जीवन के मौजूदा मानक से नीचे जाने का कारण	कमजोर समूह द्वारा अतिरिक्त सहायता धन के उपयोग का प्रकार प्राप्त शिकायतों के प्रकार शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को अग्रेषित शिकायतों की संख्या और उन्हें हल करने के लिए लिया गया समय जीआरसी तंत्र के बारे में जागरूक पीएएफों का प्रतिशत हकदारी के ढांचे के बारे में जागरूक पीएएफों का प्रतिशत परियोजना अधिकारियों के दृष्टिकोण और पहुंच के बारे में पीएएफों की राय

''''''

संदर्भ

1. कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, "कृषि जनगणना –2010– 11– परिचालन होल्डिंग्स की संख्या क्षेत्र पर अखिल भारतीय रिपोर्ट", 2014
2. एशियाई विकास बैंक (एडीबी), " पुर्नस्थापन में मुआवजा और मूल्यांकन: कंबोडिया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड इंडिया"; रिपोर्ट सं. 9; फिलीपींस, नवंबर 2007
3. अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, "हिमाचल प्रदेश के संक्षिप्त तथ्य – 2014–15", शिमला।
4. हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश सरकार "संयुक्त पुर्नस्थापन और स्वदेशी लोग योजना; भारत: हिमाचल प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा संचरण निवेश कार्यक्रम, किश्त 3 (प्रारूप) "; शिमला, 2018
5. सतलुज जल विद्युत निगम, शिमला "लुहरी जल विद्युत परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट, चरण 1 (210 मेगावाट)'', शिमला फरवरी 2018।
6. हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग, आधिकारिक वेबसाइट “http://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=13”, शिमला,)
7. भारत का राजपत्र, नई दिल्ली, "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, 2013 की संख्या 30", नई दिल्ली, 2013।
8. हिमाचल प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग, शिमला, "हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम 2015" शिमला, 2015
9. किरेती के., डॉ यशवंत सिंह, (मके.) बागवानी और वानिकी का परमार विश्वविद्यालय, सोलन, (हिमाचल प्रदेश) – 2013, "हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सेब बागानों की उत्पादकता का विश्लेषण", सोलन, 2013।
10. ''वर्ष 2016 – 2017 के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत भौतिक लक्ष्य आवंटन और वित्तीय आवंटन" से संबंधित हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, शिमला "पत्र संख्या एसएमएच –06 / 2016–17 पीएमएवाई–जी–आरडीडी –424–47", तारीख 2 अगस्त 2016।
11. विश्व बैंक, "विश्व बैंक वित्तपोषित गुयांग ग्रामीण सड़क, परियोजना लापिंग– लिआंगशूइजिंग रोड: पुर्नस्थापन कार्य योजना", वाशिंगटन, अप्रैल, 2016:

12.हिमाचल प्रदेश, एसआईए यूनिट, शिमला, "775 एमडब्ल्यू लुहरी एचईपी की एसआईए और आरएपी: हिमाचल प्रदेश", अगस्त 2010।

13.प्लान फाउंडेशन, शिमला, "बैंटनी कैसल अप मोहाल काली बारी, तहसील शिमला (शहरी), जिला शिमला में भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव के आकलन अध्ययन ", नवंबर 2016।

14. औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, भुवनेश्वर, "सुंदरगढ़ जिले, ओडिशा के 16 गांवों में तलचर और बिमलागढ़ के बीच ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन", ओडिशा।

15. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html

,,,,,

परिशिष्ट 1

SURVEY QUESTIONNAIRE

Social Impact Assessment, Hydro Electric Power Project
Stage I, (210MW), Himachal Pradesh

A. Project Name: ....B. Name of the Respondent:…………………

C. Name of the Village: ……..……… D. Name of GP……………………………………

E. Block: ……………….……………… F. District: ……………………………………. ….

G.Thana No: ……………………………H. Plot No. ....

1. Ownership of the Land
   1. Private 2. Government 3. Religious 4. Community 5. Others.. …. ☐
2. Type of Land
   1. Irrigated 2. Non-Irrigated 3. Barren 4. Forest 5. Others…… ☐
3. Use of Land
   1.Cultivation 2. Orchard 3. Residential 4. Commercial
   5. Forestation 6. No Use/ Barren 7. Other (specify) …………………. ☐
4. Affected area of the Land/Plot (in Acre): ……………….....................
5. Total Area of the affected Land/Plot (in Acre): ……………….....................
6. Total Land Holding of the Affected Person (in Acre)
   1. Irrigated: ………………….............. 2. Non-irrigated: ………………….................
   3. Other: …………………….….…. 4. Total: ....
7. Status of Ownership
   1. Titleholder 2. Customary Right 3. License from Local Authority
   4. Encroacher 5. Squatter 6. Other (specify): …………………………….. ☐

8. Type of Private Ownership
   1. Individual/Single 2. Joint/Shareholders 3. Other (specify): …………. ☐

9. Name of the Owner/Occupier (s): ………………………...

10. Father's Name: ....

11. Rate of the Land (Per Acre)
    1. Market Rate: .... 2. Revenue Rate: ....

12. Any of the following people associated with the Land
    A. Agricultural Laborer 1. Yes 2. No ☐
    Name (i)………………………………………… (ii) …………..……………………………..
    B. Tenant/Lessee 1. Yes 2. No …………………. ☐
    Name (i)………………………………………… (ii) …………..……………………………..
    C. Sharecropper 1. Yes 2. No ☐
    Name (i)………………………………………… (ii) …………..……………………………..

13. Any structure in the Affected Land 1. Yes....... 2. No................ ☐

14. Distance of the main structure from center line of the road (in mtr.)…………….………

15. Distance of boundary wall (if any) from center line of the road (in mtr.)…………………

16. Area of the affected structure (in Square Meter)

a) Length ....….. b) Width ....…........ c) Height ………………….

17. Area of the boundary wall only (in Meter): a) Length ....b) Height …….

18. Area of the total structure (in Square Meter)

a) Length ....….. b) Width ....…........ c) Height …………………

19. Scale of Impact on structure

a) 25% b) 50% c) 75% d) 100%...

20. Type of Construction of the Structure…………………………………………….

1. Temporary (buildings with mud/brick/wood made walls, thatched/tin roof)
2. Semi-Permanent (buildings, with tiled roof and normal cement floor)
3. Permanent (with RCC, Single/ Double storey building)

21. Type of Construction of the Boundary Wall (use code from Question: 20)

22. Age of the Structure (in years): ……………………………………………………

23. Market Value of the Structure (in Rs.): …………………..................................

24. Use of the Structure (select appropriate code from below)

A. Residential Category

1. House 2. Hut 3. Other (specify)………………………………

B. Commercial Category

4. Shops 5. Hotel 6. Small Eatery 7. Kiosk 8. Farm House
9. Petrol Pump 10. Clinic 11. STD Booth
12. Workshop 13. Vendors 14. Com. Complex
15. Industry 16. Pvt. Office 17. Other (specify)…..

C. Mixed Category

18. Residential-cum-Commercial Structure

D. Community Type

19. Community Center 20. Club 21. Trust 22. Memorials
23 Other (specify)……………………………….………………

E. Religious Structure

24. Temple 25. Church 26. Mosque 27. Gurudwara 28. Shrines
29. Sacred Grove 30. Other (specify)……………………………

F. Government Structure

31. Government Office 32. Hospital 33. School 34. College
35. Bus Stop 36. Other (specify)……………………………..

G. Other Structure

37. Boundary Wall 38. Foundation 39. Cattle Shed
40. Other (specify)…………………………….…………………………………….

25. Type of Business/Profession by Head of Household: …………………………………

26. Status of the Structure

1. Legal Titleholder 2. Customary Right 3. License from Local Authority
4. Encroacher 5. Squatter

27. Any of the following people associated with the Structure?

A. Tenant in the structure 1. Yes 2. No

Name (i) ……………………………………. (ii) ………………..……………….…….

(iii) …………………………………… (iv) …………….…………………….……..

B. Employee/ wage earner in commercial structure 1. Yes 2. No

Name (i) ……………………………………. (ii) ………………...……………..……….

(iii) …………………………………… (iv) …………….……………….…….……..

C. Employee/ wage earner in residential structure 1. Yes 2. No

Name (i) ……………………………………. (ii) ………………...………….…….…….

(iii) …………………………………… (iv) …………….…………………………..

28. Number of trees within the affected area

1. Fruit Bearing……….….2. Non-fruit Bearing……………3. Total……..…………

29. Social Category of Affected Household

1. SC 2. ST 3. OBC 4. General

5. Others (specify)…………………………………………………………………..

30. Religious Category

1. Hindu 2. Muslim 3. Christian 4. Buddhist

5. Jain 6. Other (specify)……………………………………………………

31. Number of family members Male……… Female………. Total………….

32. Number of family members with following criteria

1. Unmarried Son/brother > 21 years……2. Unmarried Daughter/Sister > 18 years……

3. Divorcee/Widow…………4. Physically/Mentally Challenged Person …………

5. Minor Orphan……………

33. Vulnerability Status of the Household:

A. Is it a woman headed household? 1. Yes 2. No………………

B. Is it headed by physically/mentally challenged person? 1. Yes 2. No

C. Is it a household Below Poverty Line (BPL) 1. Yes 2. No………………..

34. Annual income of the family Rs………………….

35. If displaced, do you have additional land to shift? 1. Yes 2. No…………

36. Resettlement/ Relocation Option

1. Self Relocation 2. Project Assisted Relocation…………………………….

37. Compensation Option for Land loser

1. Land for land loss 2. Cash for Land loss…………………………………..

38. Compensation Options for Structure loser

1. Structure for structure loss 2. Cash for Structure loss……………………

39. Income Restoration Assistance (fill codes in preferred order)........................ ☐

1. Employment Opportunities in Construction work
2. Assistance/ Loan from other ongoing development scheme
3. Vocational Training
4. Others

40. Details of Family Members: (fill appropriate code)

Sl. No	Name of the Family Member	Age	Sex	Marital Status	Education	Occupation
		in years	1. Male 2. Female	1. Married 2. Unmarried 3. Widow 4.Widower 5. Others	1.Illiterate 2.Literate 3. Up to middle 4. Below metric 5. Metric 6. Graduate 7. Above Grad. 8. Below 6 years	1. Service 2. Business 3. Agriculture 4. Study 5. Housewife 6. Labour 7. Unemployed 8. Professional 9. Below 6 years 10. Old/inactive
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

41. A 1 Health Care Facilities - Existing System and Gaps

A2. What are the common diseases in the area?

A3. How adequate is the healthcare facility?

A4. What are the general gaps of health care services? (√ the appropriate reasons)

01	Poor Road	02	Lack of Hospital/
03	Lack of Doctors	04	Lack of Nurses/
05	Lack of Medicine	06	Lack of facilitators
07	Lack of	08	Poverty
09	Others, Specify		

A5. Is there HIV/ AIDS/ STD prevalent in region?
Yes -1 No-2

A6. If yes, what measures can be taken to stop spread of STD/ HIV/ AIDS?

B. Education Facility – Existing system and Gaps – ICDS programe

B1.	ICDS/ Anganwadi School in the village	Nos.	Males		Females		
B2.	Is attendance regular?		01	Yes		02	No
B3.	Is Mid Day Meal (MDM) available?		01	Yes		02	No
B4.	Is there any complain about MDM		01	Yes		02	No

B5. Kindly provide the following information of your village.

Education	**No. of Village Children attending the school**	**Distance**	**Mode of Transport**	**Problems Faced**
Primary School (upto Class V)				
Middle School (Class VI - VIII)				
Secondary School (Class IX - X)				
Higher Secondary (Class XI - XII)				
College				
University				
Technical Institute				

C. Other Facilities

C1. What is the main source of water?

For drinking ---for other usage-----------------------------

C2. Is there electricity supply in your house: Yes-1 No-2

C3. Is sanitation (toilet) facility available? Yes-1 No-2

C4. If yes specify: 1. Private 2. Public, 3. Pay and Use, 4. Open area, 5. Others

D. Gender

D1. Main Earning member in the family: 1.Male 2. Female

D2. Participation of women in agricultural activities:……….. (%)

D3. Participation of women in allied agricultural activities:……….. (%)

D4. Role of women in decision making 1. Yes 2. No

D5. How much travel distance covered on every day

D6. Common health problems associated with women

Types of Diseases	How many times in a year	Type of Treatment*	Treatment Centre Govt. Hospital/Private Doctor

1. Allopathic 2. Homeopathic 3. Ayurvedic 4. Unani 5. Treatment at home 6. Any other specify

E. Govt. Development Schemes

E1. Have you availed any benefit under Central or State Govt. Scheme 1. Yes 2. No

Scheme	**CSS or State Govt.**	**Purpose**	**Amount Availed**	**Training**
NREGA				

F. Income and Expenditure

Income		**Expenditure**			
Source	**In Rupees**	**Items**	**In Rupees**	**Items**	**In Rupees**
Agriculture		Food & Cooking fuel		Electricity/Utilities	
Commercial				Water	
Service (Pvt./Govt.)		Clothing		Social events	
Livestock		Transport		Agriculture (labour/tools)	
Remittance (money order, etc)		Healthcare Medicines		Seeds/fertilizers/ pesticides	
Others (Specify)		Education		Others (specify)	
TOTAL				**TOTAL**	

G. Indebtedness

G1. Please indicate your borrowings during last one year

Source	Amount taken (in Rs.)	Purpose of Loan	Amount returned (in Rs)	Balance
Bank(sp. which bank)				
Private money lender				
Others (sp.)				

H. Assets available with affected family

S.No.	Productive Assets	S.No.	Other Assets
1	Vehicle (two / four wheelers)	1	Refrigerator
2	Machine if any	2	Washing machine
3	others (specify)	3	Ceiling Fan
		4	Radio / Television
		5	Computer
		6	Others (specify)

I. Cropping Pattern *(Ask for only Major Crops)*

Season	Sl. No.	Crop Name	Area cultivated (ha / acres)	Production (Kg per ha/acre)	Rate (in Rs./Kg*.)
Autumn Plant Kharif (Nov.-Mar)	1				
	2				
	3				
Spring Plant Rabi (July-Nov.)	1				
	2				
	3				
Summer Plant (Mar-July)	1				
	2				
	3				
Horticultural Crops (Seasonal/Perennial)	1				
	2				
	3				
	4				

J. Project Related Information

Are you aware of the proposed project		1	YES	2	NO
If yes what is the source	TV – 1	Newspaper - 2	Govt. officials – 3	Other villagers – 4	Other - 9

Positive impacts perceived		Negative Impacts Perceived	
Increase in employment opportunity	1	Loss of land	1
Increase in vehicle speed	2	Pressure on existing infrastructure	2
Increase in business opportunity	3	More visitors/population	3
Increase in land price	4	Conflict with outsiders	4

Better reach /access to towns	5	Increase in road accidents	5
others	9	Others (increase in incidents of HIV/AIDS and Trafficking etc.)	9

42. The degree of information about the right to land acquisition, rehabilitation and resettlement Act: (rate it on the scale of 0-5, where 0 stands for no idea and 5, profuse awareness) ☐

43: Are you aware of the hydro Electric Power Project being set up in your area? ☐

a. Yes b. No c. Somewhat yes d. others, please specify

44. Do you feel that by setting up the project, you would get improved information about health, hygiene and education? ☐

a. Yes b. No c. Somewhat yes d. others, please specify

45. What do you expect from state government to improve upon your employment opportunities?

……

46. Do you aspire for job opportunities in the plant?

……………………………………………………………………………..

47. What are the major challenges you confront with after land being used by hydroelectric project?

………..

48. What is anticipated impact of project on women, children, disables and destitute workers?

……..

Signature of Interviewer   Signature of Respondent

परिशिष्ट 2

List of Respondents Interviewed

Sr. No.	Name of the Respondent	Owner's name	Father's/ Husband's Name	Mobile number	Aadhar number
	Rewali				
1	Rahul	Rahul	Late randeep singh	9816194519	812910191406
2	Susheel chahuan	Susheel chauhan	Sh. Prithvi pal singh	9817336990	571174314062
3	Nikesh chauhan	Bimla devi	Late. Ravi ram	9817202112	258823754256
4	Neelam	Neelam	Ram lal	9418994232	822204352610
5	Sababu devi	Sababu devi	Lt devi ram	9816156287	805709367941
6	Sapna chauhan	Dev pal/ man das	Man das	N.A.	391235203548
7	Rekha chauhan	Lt dharm singh	Lt jia lal	9816137290	476072854043
8	Rekha chauhan	Virma devi	Lt jiya lal	9816137290	476072854043
9	Jagdish	Jagdish	Lt jiya lal	9815529944	N.A.
10	Alka chauhan	Late. Karam singh	Late. Haraz nand	7807329198	616134848192
11	Alka chauhan	Late. Karam singh	Late. Haraz nand	7807329198	616134848192
12	Saurav	Saurav	Late sh. Sundar singh	N.A.	741242369294
13	Shivani	Shivani	Late sundar lal	N.A.	732214986755
14	Rpina	Ripna	Sh. Seeta ram	9418041577	367726168847
15	Seema	Khushi ram	Sh. Ram dass	9459125814	906173433987
16	Seema	Kiran dev	Man sukh	90617343687	952313678699
17	Seema	Shana devi	Man sukh	9459125814	380150907587
18	Seema	Kiran dev	Man sukh	90617343687	952313678699
19	Seema	Shana devi	Man sukh	9459125814	380150907587
20	Shyam singh	Lal sing	Lt gur dhyan singh	8629029089	626215346188
21	Rajender singh	Lt ramesh	Lt sh gurudayal ji	N.A.	357281942113
22	Rajender singh	Pushpa devi	Ict gurudayal	9418815074	357281942113
23	Rajender sigh	Virma devi	Lt guru dayal	9418815074	357281942113
24	Rajender singh	Rajender singh	Lt shri jeet ram	9418815074	357281942113
25	Rajender singh	Pingla devi	Lt guru dayal	9418815074	357281942113
26	Davinder	Davinder	Jadev singh	9816889067	869376772049
27	Davinder	Bimla devi	Lt kooma nand	9816889067	869376772044

28	Ashok	Mina devi	Koona nand	7018042815	323684323841
29	Ashok	Krishna	Kooma nand	9418042815	323684323841
30	Ashok	Kamla devi	Kouma nand	7018316593	323684323841
31	Anil thakur	Lt pyare lal	Lt dala ram	9805818199	346905761512
32	Govind	Uma devi	Dil chand	987389347	79489003819
33	Hans raj	Hans raj	Late dharm ingh	8894961592	468953482999
34	Harnam	Harnam	Late. Dina nath	9817568413	569752579547
35	Shyam thakur	Shyam thakur	Lt shri puran chand	8629029089	626215346188
36	Raj kumar	Raj kumar	Lt puran chand	9459293506	326236780599
37	Alka chauhan	Alka chauhan	Rakesh chauhan	7807329198	616134843192
38	Raj kumar	Raj kumar	Lt purav chand	9459293506	326236780599
39	Syam singh	Krishna devi	Puran chand	8629029089	261111494066
40	Mukund lal	Mukund lal	Late sh. Gopal dass	8262964899	477840704696
41	Ranbeer singh	Ranbeer singh	Lt gopal das	8894868894	904959547698
42	Rekha	Rekha	Ashok kumar	8894299797	911232219061
43	Kamla devi	Kamla devi	Late sh. Devi ram	8894548967	220586012232
44	Pavan kumar	Neel chand	Dolu ram	9418181803	345376824783
45	Pavan kumar	Neel chand	Dolu ram	9418181803	345376824783
46	Pavan kumar	Neel chand	Dolu ram	9418181803	345376824783
47	Ramesh chand	Ramesh chand	Late. Lal chand	9816931786	974604366761
48	Ramesh chand	Ramesh chand	Late. Lal chand	9816931786	974604366761
49	Ramesh chand	Ramesh chand	Late. Lal chand	9816931786	974604366761
50	Sandeep kumar	Sandeep kumar	Late shri rattan das	9625596500	302116372676
51	Sunil kumar	Sunil kumar	Lt. Rattan lal	8629047922	596422845797
52	Neelam chauhan	Neelam chauhan	Sunil kumar	8894098996	221447419613
53	Kishori lal	Kishori lal	Navi ram	9816160785	780912031327
54	Devender singh	Devender singh	Late sh. Nakh ram	9625497745	690718139669
55	Rajat graik	Rajan graik	Prabhu singh	7018399951	524992795122
56	Yashua chauhan	Parvati devi	Nakiram	9816210917	796203194215
57	Rajinder singh	Rajinder singh	Lt javind lal	9816668407	727257903931
58	Rajinder singh	Sunder singh	Lt javind lal	9816668407	72725703931

59	Rajinder singh	Sulochna devi	Lt javind lal	9816668407	727257903931
60	Shushma chauhan	Sushma chauhan	S.h tek sinh	9418062275	6103960878756
61	Sulochna devi	Sulochana	Sanjeev	9418848880	38612424986
62	Bina devi	Late amar chand	Late keshav ram	9418671247	400591904366
63	Bina devi	Lt prakash chand	Lt kashav ram	9418671247	400591904366
64	Bina devi	Late amar chand	Late keshav ram	9418671247	400591904366
65	Satish chauhan	Satish chauhan	Late pattan dass	9816029955	527428614742
66	Duni chand	Duni chand	Jai sukh	9418309226	520705408371
67	Shakti singh	Shaliti singh	Jai singh	9418085344	228596481368
68	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
69	Gyana devi	Gyana devi	Lobh ram	7807650376	241009052007
70	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
71	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
72	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
73	SUNITA	CHANDAN LAL	KHUB RAM	9805082572	N.A.
74	Jiwanuram	Jiwansu ram	Dassu ram	9817753196	554263533092
75	Kumari bobby	Roshan lal	Dassu ram	8219664011	293997240037
76	HARI CHAND	HARI CHAND	LT DOLU RAM	9418550491	620666293356
77	NARIVENDER SINGH	narvinder singh	late sh. Shiv ram	9816334885	491645854722
78	SURENDER	MUKTA. W/O CH.MEHTA		9418169988	284327482112
79	UPHAR	UPHAR	LATE. SH. HEERA LAL JI	9817157761	273621527827
80	KALAWATI	CHANDAN LAL	KHUB RAM	9805082572	VOTER I.D. JQX0571893
81	UPHAR	UPHAR	LATE. SH. HEERA LAL JI	9817157761	273621527827
82	MAHAVIR SINGH	MALTU DEVI	BARASI	9418014532	404968776802
	Charontha				
1	Faquir chand	Faquir chand	Man singh	945932033	730495110876
2	Riksha devi	Sudhir kumar	Man singh	9418803477	256689814727
	Gadej				

1	Tara singh	Sg man singh	Lt sh sundersangh	8988137214	695201385571
2	Ajeet singh	Ajeet singh	Sh sunder singh	9805433413	666049688216
3	Roop singh	Roop singh	Sunder singh	N.A.	655146643600
4	Bhagat singh	Bagat singh	Sunder singh	9459823672	865824634889
5	Govind singh	Bagat singh	Sunder singh	8894098910	832375037606
6	Pushpa devi	Pushpa devi	Lt sh amar singh	9459182677	417566993817
7	Harnaw singh	Pushpa devi	Sh sunder signh	9418550811	312971546611
8	Gobind singh	Bhoop singh	Sunder singh	9418364510	885961915474
9	Perveen	Perveen	Late sh. Beer singh	9418160918	556767093118
10	Rajnish singh	Rajnish singh	Tuni yand	9418386117	604093450083
11	Dharmender	Bhoop singh	Dharmender	9418133012	285344265750
12	Dharmender	Bhoop singh	Dharmender	9418133012	285344265750
13	Dharmender	Bhoop singh	Dharmender	9418133012	285344265750
14	Kuldeep	Kuldeep		9418133012	362509022059
15	Pradeep singh	Bhoop singh		9418133012	569230059333
16	Joginder singh	Joginder singh	Lt ganga ram	9418132959	983045732011
17	Dilip singh	Dilip singh	Lt ganga ram	98176116833	868824048792
18	Ghuri	Ghuri singh		N.A.	846668263085
19	Mohan singh	Mohan singh	Sankru devi	9318022490	581532551891
20	Begmu	Begmu	Sanskru devi	9459328319	488343900789
21	Shiv kumar	Shiv kumar	Sidh gir	9817228800	25078390876
22	Ram krishna	Ram krishna	Sidr gir	9736170648	425723724842
23	Birma devi	Birma devi	Sh. Prem praksh	9418156156	303351892793
24	Alok	Alok	Late.pratap singh	9418505311	776472986332
25	Ashish	Ashish	Late pratap singh	9418505311	971299480247
26	Shailja	Satija	Late pratap singh	9418505311	856327351142
27	Aruna	Aruna	Late pratap singh	9418505311	339510109341
28	Vidhyar singh	Vidhyar singh	Sagat roy	9418208844	266382870062
29	Padam singh	Padam singh	Sangat ram	9805960366	437202633025
30	Muktyar singh	Muktar singh	Sangat ram	9805903806	5769976969928
31	Jai singh	Jai singh	Sh. Sangat ram	9459596135	362642075995

32	Ramesh chand	Ramesh chand	Late ram kishna	8894391944	85606313583
33	Pritam	Pritam	Late ram krishna	7807554601	962379047369
34	Jai pal	Jai pal	Late ram krishna	7018445110	732523313639
35	Rama devi	Rama devi	Late sh. Ram krishna	9459350147	512319177358
36	Sita devi	Sita devi	Late sh. Ram kreishna	8278744910	224894239380
37	Sandesha devi	Sandesha devi	Late ram krishna	9796004378	401679458093
38	Niru devi	Neeru singh	Late sh. Amar chand	N.A.	425734023288
39	Om prakash	Om praksh	Sh. Dharm nand	9418873392	511125417362
40	Durga dev shukla	Sagar shusant shukla	Durga dev shukla	9418056430	653752221852
41	Durga dev shukla	Sagar shusant shukla	Durga dev shukla	9418056430	653752221852
42	Ashish kumar	Savitri devi	Lt sakund lal	9805444526	N.A.
43	Ashok kumar	Ashok kumar	Lt makund lata	9805445276	484078007228
44	Santosh	Rajender	Lt makund lal	7018929133	596209740410
45	Kashmiri lal	Kashmiri lal	Lt shri ram nath	9817952015	767212514465
46	Faqir chand	Faqir chand	Late sh. Sidhir	9418456156	846343542278
47	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Sh. Shiv kumar	9179471421	596927543427
48	Anil kumar	Anil kumar	Sh. Shiv kumar	9418207751	689254606863
49	Sushil kumar	Sushil kumar	Sh. Prem kumar	9418120045	236720374355
50	Vijay kumar	Vijay kumar	Sh. Prem praksh	9418570765	87308248997
51	Chandr kala	Chander kala	Sh. Prem kumar	6418456156	571136268028
52	Raj kumari	Raj kumari	Sh. Prem kumari	9418150318	658318909509
53	Sunita	Sunita	Sh. Prem prakash	9459345868	397682256442
54	Saneh lata	Saneh lata	Sh. Prem prakash	9418436156	691095877757
55	Surinder kumar	Surinder kumar	Mohan girr	9418319093	537558259979
56	Punni	Punni	Mohan gir	9418935460	421149993666
57	Ramleela	Ramleela	Mohan girr	9129613942	311273594256
58	Sishu devi	Sishu devi	Moahn gir	8219271157	899180481683
59	Urmila devi	Urmila devi	Late sh. Mohan girr	98166783868	831806796805
60	Raj kumar	Raj kumar	Late sh. Satish kumar	98166138301	500228990326
61	Ram kumar	Ram kumar	Late sh. Satish kumar	9882215155	673145261321
62	Dayavati	Dayavanti	Khayali raau	8988470676	278899393077

63	Ashok kumar	Ashok kumar	Late karm singh	9418985240	582648506910
64	Ashok kumar (son)	Mira devi	Late karm singh	9418985240	582648506910
65	Ashok kumar (brother)	Kusumlata	Late karm singh	9816344354	582648506910
66	Jitender	Baldev thakur	Lt sohan lal	8219368313	249213595929
67	Jitender	Baldev thakur	Lt sohan lal	8219368313	249213595929
68	Marian sirkeck	Marian sirkeck		N.A.	N.A.
69	Viney sirkar			9816420213	650030727968
70	Anjula sirkak	Anjula	Late jagmohan	9816464764	279636862078
71	Koela devi	Sh. Damoder dass	Late sh. Bala ram	9418133012	N.A.
72	Noor ali	Noor ali	Noor din	9817255210	466464729832
73	Pawan kumar	Pawan kumar	Lt makund lal	9459986572	802817417673
74	Jitender	Baldev thakur	Lt sohan lal	8219368313	249213595929
75	Ashish	Durgesh goswami	Lt makund lal	9805445276	484078007228
76	Santosh kumar	Uma devi	Lt makund lal	9816041068	904362648267
77	Jitender	Ram singh	Lt bansi ram	7807250956	675602657194
78	Marian sirkeck	Marian sirkeck		N.A.	N.A.
	Nirath				
1	Yashpal	Lt champi ram	Lt ratan dass	9816311839	683484336513
2	Siptu ram	Nekram	Tasuram	9459383034	309785286785
3	Govind ram	Govind ram	Late plas ram	9816681190	694943735586
4	Dev kumar	Surender	Late dila ram	9459965894	279101134729
5	Dev kumar	Sumedha	Late dila ram	9459965894	279101134729
6	Dev kumar	Dev kumar	Late dila ram	9459965894	279101134724
7	Dev kumar	Dev kumar	Late dila ram	9459965894	279101134724
8	Bhutti	Parkash chand	Late dila ram	9459965894	279101134729
9	Jyoti devi			8626921188	571038051224
10	Bir singh	Bir singh	Padam dass	9418058776	276446470589
11	Sh. Prem ji	Puneet	Dnipraksh	9816504193	46076810703
12	Mamta devi	Mamta devi	Lt chand	8894677054	556910645300
13	Mamta devi	Mamta devi	Lt chand	8894677054	556910645300

14	Nijuram	Jawahar lal	Lt malu ram	9418964684	746111142350
15	Nijuram	Jiwan ram	Lt malu ram	9418964689	746111142350
16	Yashpal	Late champi ram	Late ratan dass	981631189	683484336513
17	Mandass	Man dass	Lt manshu	9418700283	672628202099
18	Gopal singh	Gopal singh		8628826376	514017401885
19	Prithvi singh	Prithvi singh	Jai lal	9857616675	845306049458
20	Subhadra devi	Subhadra devi	Lt tawar dev	7831068794	495380137334
21	Roshan lal	Roshan lal	Late sh. Sunki	9805864935	7725037223742
22	Kaula devi			N.A.	N.A.
23	Kamlesh devi	Kamlesh devi	Yamanad	8894095615	973045900085
24	Sulochna devi	Sulochna devi	Padam sdev	9418476350	641538183030
25	Rajeshwari devi	Rajeshwari devi	Padam dev	9817492355	730721156323
26	Sandeeep kumar	Lal singh	Jay singh	7093317228	915949717449
27	Sandeep kumar	Durgesh kumar	Lal singh	7093317228	918658258644
28	Chandra dev	Chandra dev	Nitya dev	9816334575	929922433846
29	Sandeep kumar	Hardeep	Gopal singh	7093317228	385293422254
30	Banku	Banku	Late jaburam	8988378641	963114905427
31	Ravinder singh	Ravinmder singh	Late sh. Charan dass	9805965988	965394503738
32	Urmila	Urmila	Late	8629033860	949024324641
33	Sunder vir singh	Sunder vir singh	Late sh. Karam chnd	9816317734	846131029461
34	Sohan lal	Sonlal	Sh. Ram chand	9857366231	773916893251
35	Bolu ram	Bholu ram	Ram chandar	9418210628	438931991687
36	Goverdhan singh	Goverdhan singh	Late daulat ram	9459389813	882926319419
37	Pyare lal			8894307681	83434885817
38	Meghu devi	Meghu devi	Fekdu ram	9882199027	9338059439439 53
39	Mangat ram	Preema devi	Bati ram	8988044015	819906081180
40	Bnaku	Banku	Fekdu	9736814317	N.A.
41	Kanta devi			N.A.	428088900963
42	Neelam ram	Leelar	Late manku	9817415607	830725570667
43	Aruna ndevi	Aruna devi	Sham lala	N.A.	N.A.
44	Pingla devi	Lupu devi	Late. Shb mullu ram	N.A.	824255566352

45	Geeta	Geeta devi	Sohan lal	9816442099	N.A.
46	Sonu	Sonu	Sohan lal	N.A.	N.A.
47	Sant ram	Sant ram	Jiyalal	8894285222	810292928870
48	Mangat ram	Mangatn ram	Jiya lal	8988044015	97754341865
49	Jalam singh	Jalam singh	Misharu	N.A.	940733718161
50	Mohan lal	Mohan lal	Charan das	7807254818	990617853493
51	Kamla rani	Kamla rani	Mirru ram	9759363755	667875169828
52	Raksha	Raksha devi	Karam chand	9805743485	685564711914
53	Savita devi	Savita devi	Shiv ram	8988871383	917008466125
54	Sunder lal	Sunder lal	Shiv ram	8626921188	628425381394
55	Pyarelal	Pyare lal	Shiv ram	9318182085	896343177615
56	Rupi ram	Rupi ram	Dilu ram	9418233701	698747853568
57	Gummi	Gummi	Barestu	N.A.	N.A.
58	Marenu devi	Marenu devi	Chein ram	8894098953	419603174611
59	Uma devi	Annat ram	Jiyalal	3453614536	661374699390
60	Bimla devi	Bimla devi	Sh kambu ram	N.A.	N.A.
61	Ashok kumar	Silu devi	Mohan lal	9418985240	N.A.
62	Roshan lal	Roshan lal	Fekdu ram	8219503103	875083527377
63	Peenu	Peenu	Fekdu	9736951375	389469600051
64	Govind singh	Govind singh	Ram dass	7807180607	549723046465
65	Deepa	Deepa	Sohan lal	9816442099	N.A.
66	Pratap singh	Pratap singh	Palas ram	9816202251	873677308620
67	Rameela devi	Rameela devi	Karam chand	9817815277	82076170226
68	Rameela devi	Lanta devi	Karam chand	N.A.	N.A.
69	Peendhu devi	Peendhu	Chunni lal	9817954803	600946802750
70	Meenakshi	Jay singh	Karamchand	N.A.	583329296118
71	Narender singh	Ram lal	Karamchand	N.A.	648883817187
72	Prem singh	Prem singh	Chunni	9817954803	30765196+BK23256
73	Roshani	Roshani	Chunni lal	9817954803	910213683872
74	Dhurvi devi	Dhurvi devi	Bhagat ram	9625917389	771946774000
75	Gopal singh	Gopal singh	Lt sh rattan dass	9625917389	451914301398

76	Vimla dev i			9459395180	607409282673
77	Palas ram	Palas ram	Lt sh rattan ram	9817807655	894190927185
78	Hari lal	Veena devi	Krishan	9816308515	654015521785
79	Sita devi	Sita devi	Krishan	9418960543	757886626496
80	Veermu devi	Veermu devi	Krishan	N.A.	228275328025
81	Hari lal	Hari lal	Krishan	9418571190	765368231157
82	Jawahar llal	Jawahar lal	Chandu ram	9817835267	632681518141
83	Pramod kumar	Pramod kumar	Sh tek chand	7018845881	211970703165
84	Reena devi	Yashpal	Chandu ram	9625618274	5168962583
85	Pratap singh	Pratap singh	Lt sh singhu ram	9459388472	833558336806
86	Chandu ram	Chandu ram	Lt sh singu ram	N.A.	954922852390
87	Keval ram	Keval ram	Lt angad ram	N.A.	961517016007
88	Ambru ram	Amber ram	Theesa	980517177	384251274554
89	Ram dayal	Ram dayal	Lt surjit ram	7807718091	296434268729
90	Jasvir singh	Jasvir	Ranvir singh	8894324072	993942893151
91	Gangi devi	Ganga devi	Hukum singh	9816070359	782262227013
92	Sapna rani	Sapna devi	Hukum singgh	9816589645	846231288784
93	Pinki devi	Pinki devi	Lt gangu devi	9418217865	55311390427
94	Sohan lal	Sohan lal	Jwala singh	94597372202	340224349748
95	Satish kumar	Satish kumar	Lt gurudass	9418217865	553111390427
96	Yamku devi	Yamku devi	Lt jivan lal	9418217865	553111390427
97	Munni devi	Munni devi	Lt dev singh	7807718091	296434268729
98	Vimla devi	Vimla Devi		9459395180	607409282673
99	Devanand	Deve nand	Lt hari dass	8894373739	N.A.
100	Lyk ram	Lyk ram	Lt jit ram	9418217865	553111390427
101	Reshmo devi	Reshmo devi	Lt jit ram	9418217865	553111390427
102	Bimla devi	Bimla devi		7807313116	291400663448
103	Geeta devi	Geeta devi	Lt rirja nand	9817524338	748897490003
104	Permender	Permender	Hjaidev sharma	9816459816	857071173255
105	Lata devi	Lata devi	Hukam singh	8894299576	325598098937
106	Hem raj	Hem raj	Roshan lal	9459804107	686622680433

107	Gopal singh			9882135531	919252663311
108	Vanita devi	Vanita devi	Sh swarvpa nand	N.A.	896297045254
109	Tikam dev	Tikam dev	Swarupa nand	9736312403	724051750725
110	Satpal	Satpal	Lt shyam dev	8219153544	457237685091
111	Swarupa nand	Swarupa nand	Lt shbiswa	9625873620	393308599334
112	Prashat	Ayodhya devi	Divya dass	9418922637	52628086699
113	Prem dev	Prem dev	Padam dev	8894095615	797847368377
114	Pushpa dutt	Pushpa dutt	Nitya dutt	9904875046	854320253185
115	Mast ram	Mast ram	Lt twas day	9816151541	4147013483232
116	Sanjeeb kumar	Bindu devi	Mast ram	9418175829	5815200661669
117	Tikam devi	Tikam devi		N.A.	207988223335
118	Rahul sharma	Ram dutt sharma	Lt jwala dutt	9817305951	821248117516
119	Shyam	Shyam dutt	Jwala dutt	9857432979	768088770059
120	Dev dutt	Dev dutt	Wala dutt	9805007601	489879844466
121	Kamla			9959518940	807332443706
122	Sunita devi	Sunita devi	Sh. Swarupa nand	N.A.	429343533029
123	Jagdesh	Jagdeah	Sham dass	8219722988	922784056495
124	Nirmla devi	Nirmla devi	Roshan lal	826514833	909824067955
125	Nahar singh	Nishant	Nhar singh	N.A.	N.A.
126	Teja singh	Tej singh	Pyare lal	9805833900	717563000615
127	Rajesh kumar	Rajesh kumar	Sh. Ram dayal	8219252970	425346362641
128	Prithvi singh	Kovshlaya devi	Sohnlal	8219910872	718886870948
129	Rajender singh	Rajneder kumar	Late roshan lal	9418615116	259237131492
130	Jeet singh	Jeet ram	Teddy singh	9805852700	929778329493
131	Sainu devi			9817622233	246719813580
132	Usha kapoor	Usha kapoor		9805012725	483025819169
133	Pankaj	Pankaj	Gopal krishna	9805012725	483025819169
134	Sudhanshu	Sudhanshu kapoor	Gopal krishna	N.A.	842980772828
135	Prithvi singh	Jay devi	Sohan lal	8219910872	66613811331
136	Prithvi singh	Kanta devi	Sohan lal	8219910872	979162541216
137	Om praksh	Mast ram	Mithnu ram	9817412453	655901018721

138	Rohsan dev	Late billa devi	Twar dev	9418453019	699939498201
139	Rohshan dev	Late billa devi	Twar dev	9418453019	699939498201
140	Rohsan dev	Late billa devi	Twar dev	9418453019	699939498201
141	Sher singh	Sher singh	Kailash chand	9736828273	514075668793
142	Padmdas	Dharam singh	Jeewan ram	9815366295	912262637886
143	Padm dass	Padm dass	Jeewan ram	9817245122	412262637886
144	Ishwar dass	Ishwar dass	Gopi dass	9459391999	733181628221
145	Padm dass	Padm dass	Jeewan ram	9817245122	412262637886
146	Kewal ram	Kewal ram	Gyan chand	9817598577	374143230114
147	Sudhanshu	Sudhanshu kapoor	Gopal krishna	N.A.	842980772828
148	Satish kumar	Satish kumar	Palas ram	9816677134	294459833240
149	Sumitra devi	Sumitra devi	Late sh. Nitya devi	9418569588	4637826000307
150	Bimla	Vimla	Sh. Poshu ram	N.A.	N.A.
151	Vimla devi	Bittu	Shiv lal	N.A.	N.A.
152	Sushila devi	Sushila devi	Charan dass	9816970491	N.A.
153	Kaushalya devi	Kaushlya devi	Sankru	N.A.	N.A.
154	Tek singh	Tek singh	Shankru singh	9816442099	N.A.
155	Amlesh	Amlesh	Malku	9817585881	384346954473
156	Leela ram	Leela ram	Late manku	9817415607	830725570667
157	Vikas	Vidaya	Gopal singh	70181124311	408164170594
158	Sunnu devi	Sunnu devi	Late shri mena ram	8894823077	85607256655
159	Siptu ram	Siptu ram	Tasi ram	9817245808	988669111455
160	Maina devi	Maina devi	Mulu ram	9736657418	458798457483
161	Banu devi	Banu devi	Pshu ram	7833034560	936626466353
162	Rajnish suingh	Fakrw ram	Theesha	9805171077	855607876965
163	Hari chand			9817524338	619818809199
164	Motu ram	Motu ram	Motu ram	8219007522	207675233122
165	Rajnish suingh	Fakrw ram	Theesha	9805171077	855607876965
166	Rattna devi	Rattna devi	Jai singh	9418073219	549747212514
167	Gulab singh	Sham lal	Sh. Nenu	7831828817	662728739557
168	Beli devi	Beli devi	Late jeet ram	N.A.	N.A.

169	Dalip singh	Dalid singh	Late. Sh jai lal	9129756619	287955639675
170	Mehar chand	Mehar chand	Malu ram	8988792388	312166875441
171	Ravinder	Ravinder singh	Late karam chand	9817793978	657685511073
172	Mal deep	Mal deep	Ram dayal	9418522318	622240979624
173	Nagesh pandit	Shakvmtha devi	Nitya dev	9459229482	237098174274
174	Tangdvc ram	Tangdav ram	Mathu	N.A.	24365302892
175	Herdayat singh	Hardyat singh		9418646945	872322686320
176	Kamla devi	Kamla devi	Kaul ram	9418126080	290054977490
177	Tata ram	Tata ram	Veeshani ram	9418132781	491013135439
178	Bal krishna	Bal krishna	Roshan lal	9816908055	N.A.
179	Hardayat singh			9805036104	281497393771
180	Sh. Prem ji	Pankaj	Om praksh ji	9816444022	998406117691
181	Asha devi	Shakshi devi	Veshashio	7018418813	588886006753
182	Ram dayal	Bahadur singh	Sh. Ganga shukh	9817770580	547334720620
183	Jawala dass	Jawala dass	Keshav ram	9459131863	392775519224,
184	Sh prem ji	Leela dhar	Lagan chnad	9816504193	463076810703
185	Marikana	Marikana+ ashuwani+ sarita	Late prem chand	9418475562	373812653529
186	Marikana	Marikana+ ashuwani+ sarita	Late prem chand	9418475562	373812653529
187	Marikana	Marikana+ ashuwani+ sarita	Late prem chand	9418475562	373812653529
188	Leela dutt	Leela dutt	Kahan chnad	9817280014	972709385749
189	Sheela devi	Surender kumar	Kahan chand	9817280014	972709385749
190	Ankita	Ankita	Prem chnad	94184755562	373812653529
191	Amitabh kapoor	Amitabh kapoor	Mani lal	980702038	962997821707
192	Sh. Prem ji	Ramesh	Leela dhar	981650493	463076810703
193	Bihari	Late leela	Mulu	9816886955	27572619737
194	Madhu kapoor	Madhu kapoor	Jiya lal	7807020238	460559839763
195	Duni chand	Prabhu dayal	Roop dass	9817183885	855228898939
196	Dunichand	Turu devi	Late doop dass	9459268545	742154625441
197	Duni chand	Tunu devi	Late roop dass	94506314484	558152998600

198	Sudarshan giri	Sudarshan giri	Biswambhar dass	9418065464	922330701413
199	Dalip singh	Daleep singh	Gopal singh	9805421950	754579261334
200	Asha	Asha devi	Lt girja nand handari	7807718166	600848647448
201	Sarfu devi	Sarfu devi	Late hari dass	9817824338	619818809199
202	Sh. Premji	Pankajt puneet	Om poshkejet	9816504193	463076810703
203	VED PRAKASH	SEEMA	LT MAST RAM	9816799329	572739727688
204	SHYAMKALI	BIRMA DEVI	Lt.Mast Ram	9816799329	588284742431
205	CHAND KUMAR	CHAND KUMAR	LT MAST RAM	9816822924	655729941824
206	VED PRAKHASH	VED PRAKASH	LT MAST RAM	9816799329	572739727688
207	MULCHAND	MULCHAND	HARI CHANDRA	9817792752	433427605225
208	DAYAL SINGH	GEETA DEVI	LT HARI CHANDRA		365234588035
209	DAYAL SINGH	DAYAL SINGH	LT HARI CHANDRA		365234588035
210	DAYAL SINGH	BACHIYA SINGH	LT HARI CHANDRA	9418646511	606677003012
211	YASH PAL	LATE CHAMPI RAM	LATE RATAN DASS	9816311839	688484336513
212	MAMTA DEVI		LATE CHANDU	8894677054	556910645300
213	NIJU RAM	JAWHAR LAL	LATE MALU RAM	9418964684	746111142350
214	NIJU RAM	JIWAN RAM	LATE MALU RAM	9418964689	746111142350
215	NINJU RAM	NINJU RAM	LATE MALU RAM	9418964689	746111142350
216	MANDASS	MAN DASS	LATE MASHU	9418700283	672628202099
217	VIKAS	VIDAYA	GOPAL SINGH	70181124311	408164170594
218	KARTAR	KARTAR	LT PREM CHAND	9882181708	977364112067
219	PINJARI DEVI	PINJARI DEVI	FEKDU RAM		
220	BALA DEVI	BALA DEVI	OMI RAM	9816975780	
221	SH. PREM JI	PANKAJ	OM PRAKSH JI	9816444022	998406117691
222	MAMTA DEVI		LATE CHANDU	8894677054	556910645300
223	SATISH	LATE RAJEET (ASHOK & NARESH)	LATE HUKUM	9418095071	490249063774
224	RANJANA	RANJANA	SHYAM LAL		
225	ROSHNI DEVI	ROSHNI DEVI	SHYAM LAL		

	Neether				
1	Mahavir singh	Maltu devi	Barasi	9418014532	404968776802
2	Nagin chand	Pritam chand	Lt tara chand	9816140351	701630997447
3	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
4	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
5	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
6	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
7	Kalyan singh	Kalyan singh	Late tara chand	8988278242	933903679608
8	Pankaj	Pankaj	Om prakash	N.A.	N.A.
9	Baldev	Lt roshna devi	Lt sohan lal	N.A.	249213595929
10	Santosh kumar	Santosh kumar	Ratan chand	N.A.	N.A.
11	Dharmpal	Dharmpal	Sh. Shyam lal	8988412181	285929851679
12	Pradeep kumar	Pradeep kumar	Shyam chand	N.A.	N.A.
13	Devi singh	Devi singh	Lalchand	N.A.	N.A.
14	Kuldeep chand			N.A.	N.A.
15	Roop dasi	Roop dasi	Rallu	N.A.	N.A.
16	Kemchand	Kemchand	Dhani ram	N.A.	N.A.
17	Sneha lala	Sneha lala	Shani ran	N.A.	N.A.
18	Heera lal	Heera lal	Devki nand	N.A.	N.A.
19	Kamla devi			N.A.	N.A.
20	Ashok ray	Kapil dev	Hinsu	N.A.	N.A.
21	Ashok kumar	Ashok kumar	Hinsu	N.A.	N.A.
22	Duni chand			N.A.	N.A.
23	Jay chand	Jay chand	Fula devi	N.A.	N.A.
24	Mani			N.A.	N.A.
25	Devendar singh	Devendar singh		N.A.	N.A.
26	Priya devi			N.A.	N.A.
27	Pisad ram			N.A.	N.A.
28	Seema devi	Seema devi	Raju	N.A.	N.A.
29	Chander mani			N.A.	N.A.
30	Kuldeep	Kuldeep + heera devi	Hari chand	N.A.	N.A.

31	Kuldeep	Kuldeep + heera devi	Hari chand	N.A.	N.A.
32	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
33	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
34	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
34	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
35	Amit	Amit	Late satpal thakur	N.A.	209958999324
36	Nargesh katoch	Bimla devi	Pega ram	7807520554	439575492827
37	Kair singh	Kair singh	Lt tara chand	9816140381	701630947497
38	Ram prakash	Ram prakash	Lt sunder singh	9805963068	743940640744
39	Bhupender	Bhupender	Nagin chandra	9816140351	701600997447
40	Roshna devi			9817807635	792618343885
41	Ashok kumar	Ashok kumar	Mohan lal	98161640351	701630997447
42	Kala devi			N.A.	961517016007
43	Nageen chnad	Lt vanti	Tara chand	9816140351	701630997447
44	Ram singh	Ram singh	Lt paras ram	7807365732	384056428567
45	Shitla devi	Shitla devi	Angad ram	N.A.	961517016007
46	Raju devi			N.A.	961517016007
47	Naresh kumar			N.A.	961517016007
48	Nar das			7807193327	N.A.
49	Ram swaroop	Ram swaroop	Amar chand	N.A.	N.A.
50	Dhyan singh	Dhyan singh	Amar chand	N.A.	N.A.
51	Shitla devi	Shitla devi	Angad ram	N.A.	961517016007
52	Bhumkali	Bhumkali	Shyam chand	N.A.	N.A.
53	Jawahar lal	Jawahar lal	Shyam chand	N.A.	N.A.
54	Satpal	Satpal		N.A.	N.A.
55	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Aonkar chand	N.A.	N.A.
56	Pratap singh	Pratap singh	Dayalu ram	N.A.	N.A.
57	Mani devi	Mani devi	Keshav ram	N.A.	N.A.
58	Tejasvi ram	Tejasvi ram	Satya dev	N.A.	N.A.
59	Satpal	Satpal		N.A.	N.A.
60	Sundar singh	Sundar singh	Mohan lal	N.A.	N.A.

61	Rajender singh	Rajender singh	Shyam chand	N.A.	N.A.
62	Kushal singh	Kuldeep katoch	Kushal singh	N.A.	N.A.
63	Kushal singh	Yadav katoch	Kushal singh	N.A.	N.A.
64	Kushal singh	Raj kumari	Kushal singh	N.A.	N.A.
65	Mahender pal	Mahender pal	Saad ram	N.A.	N.A.
66	Suresh kumar	Suresh kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
67	Virender kumar	Virender kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
68	Sarojini devi	Sarojini devi	Robi	N.A.	N.A.
69	Sundari devi	Sundari devi	Robi	N.A.	N.A.
70	Gopi chand	Gopi chand	Suni ram	N.A.	N.A.
71	Guddu	Guddu	Robi	N.A.	N.A.
72	Gopi chand	Gopi chand	Suni ram	N.A.	N.A.
73	Lal chand	Lal chand	Suni	N.A.	N.A.
74	Pinka devi	Pinka devi	Bhag chand	N.A.	N.A.
75	Bichitir singh	Bichitir singh	Hari chand	N.A.	N.A.
76	Surjeet katoch	Mool chand	Hari chand	N.A.	N.A.
77	Bhim sukh	Bhim sukh	Ram sukh	N.A.	N.A.
78	Bheem sukh	Nan sukh	Ram sukh	N.A.	N.A.
79	Padi ram	Padi ram	Gurdass	N.A.	N.A.
80	Bharat bhushan	Bharat bhushan	Kapur chand	N.A.	N.A.
81	Deep chand	Duni chand	Doli ram	N.A.	N.A.
82	Kapur chand	Kapur chand	Param'ram	N.A.	N.A.
83	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Shyam lalu	N.A.	N.A.
84	Kailash chand	Kailash chand	Santosh ram	N.A.	N.A.
85	Suta devi	Suta devi	Amar chand	N.A.	N.A.
86	Pragya devi	Pragya devi	Amar chand	N.A.	N.A.
87	Gulshan	Gulshan	Bala ram	N.A.	N.A.
88	Sharda devi	Royal singh	Bala ram	N.A.	N.A.
89	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	945389837	725386069475
90	Jitender	Rekha	Anil kumar	N.A.	570088586601
91	Heera singh	Heera singh	Rup singh	9816414145	687212671074

92	Hari gopal	Hari gopal		N.A.	96157016007
93	Shakuntala	Nanyan dass	Prem dass	N.A.	N.A.
94	Baga mani			N.A.	N.A.
95	Gulab singh	Gulab singh	Kanu ram	N.A.	N.A.
96	Vidya chand	Vidya chand	Kanu	N.A.	N.A.
97	Shyam lal	Shyam lal	Dayalu	N.A.	N.A.
98	Sher singh	Sher singh	Nandlal	8265022600	784026889862
99	Meena singh	Meena singh	Abhi ram	N.A.	N.A.
100	Duni chand			N.A.	N.A.
101	Kapoor chand	Nogi devi	Jaishan	N.A.	N.A.
102	Mangla devi	Mangla devi	Jaishan lal	N.A.	N.A.
103	Mangla devi	Seema devi	Jaishan lal	N.A.	N.A.
104	Mungla devi	Sunita kumari	Jaishan lal	N.A.	N.A.
105	Mangla devi	Sanjay kumar	Jaishan lal	N.A.	N.A.
106	Ralshan	Amwal	Bala ram	N.A.	N.A.
107	Kusum lata	Kusum lata	Karam chand	N.A.	N.A.
108	Ram swaroop	Ram swaroop	Amar chand	N.A.	N.A.
109	Dhyan singh	Dhyan singh	Amar chand	N.A.	N.A.
110	Dhyan singh	Dhyan singh	Amar chand	N.A.	N.A.
111	Shakuntala	Hira lal	Prem dass	N.A.	N.A.
112	Krishna devi	Krishna devi	Tara chand	N.A.	N.A.
113	Binta devi	Binta devi	Tara chand	N.A.	N.A.
114	Usha devi	Usha devi	Tara chand	N.A.	N.A.
115	Ramila	Ramila	Tara chand	N.A.	N.A.
116	Nirmala	Nirmala	Tara chand	N.A.	N.A.
117	Pal singh	Pal singh	Tara chand	N.A.	N.A.
118	Mithnu	Mithnu	Sheemtu	N.A.	N.A.
119	Sarojini devi	Beeru	Sheemu	N.A.	N.A.
120	Deep chand	Deep chand	Doli ram	N.A.	N.A.
121	Harisingh	Harisingh	Aabhe ream	N.A.	N.A.
122	Sher singh	Nirmala devi	Nand lal	8265022600	742857866000

123	Samar singh	Samar singh	Bodh raj	8679275155	327282277936
124	Bhuvneshwar kumar	Jiu devi	Saadh ram	N.A.	N.A.
125	Ashok kumar	Ashok kumar	Karam chand	N.A.	N.A.
126	Naresh kumar	Ramesh	Lt ishwar das	N.A.	N.A.
127	Naresh kumar	Annu	Kartar singh	N.A.	203510693020
128	Naresh kumar	Manu	Lt kartar singh	9857432803	354033132193
129	Naresh kumar	Bunty	Lt kartar singh	9805277339	813933167080
130	Naresh kumar	Kaladevi	T kartar singh	9805277339	313471379191
131	Surjit kumar	Nitya devi	Bisha ram	N.A.	N.A.
132	Surjit kumar	Rachana	Mahender singh	N.A.	N.A.
133	Surjit kumar	Kirna	Mahender singh	N.A.	N.A.
134	Surjit kumar	Surjit kumar	Mahender singh	N.A.	N.A.
135	Bhuvnesh kumar	Pooja devi	Poran chand	N.A.	N.A.
136	Naar dass	Chandra mani	Jehrlu	N.A.	N.A.
137	Naar dass	Naar dass	Jehrlu	N.A.	N.A.
138	Nijuram	Ninju ram	Lt malu ram	9418964689	746111142350
139	Sudarshan giri	Baba balak nath sidhkut		9418065464	N.A.
140	Ajay	Asha	Lt nand lalji	9736883710	874164591856
141	Ganga	Ganga	Lt nand lal	8894383695	482394869980
142	Ajay	Kanta	Lt nand lal	8219614130	930492732861
143	Nargesh	Sangajan singh	Pega ram	941888692	501191822491
144	Nargesh katoch	Madan lal	Pega ram	7807520554	439575492827
145	Nargesh katoch	Karam chand	Jaisi ram	9418202715	N.A.
146	Parman chand	Parmar chand	Lt sh bhal chandy	9418472349	N.A.
147	Parman chand	Parmar chand	Lt sh bhal chandy	9418472349	N.A.
148	Parman chand	Parmar chand	Lt sh bhal chandy	9418472349	N.A.
149	Dharam chand	Dharam chand	Hira chand	N.A.	N.A.
150	Sunvay devi	Sunvay devi	Amar chand	N.A.	N.A.
151	Sundar singh	Govardhan singh	Gulbadan singh	N.A.	N.A.

152	Chandar prakash	Chandar prakash	Satya dev	N.A.	N.A.
153	Jaipal singh	Jaipal singh	Khimi ram	N.A.	N.A.
154	Vivek	Vivek	Lt sh satpal thakur	5.64378E+11	N.A.
155	Jitender	Jitender	Sh gopal singh	N.A.	675602657194
156	Kishan singh	Monni devi	Jawala dass	7018653473	467207096393
157	Naresh kumar	Dilmu devi	Lt ishwar das	9805277339	897111445569
158	Prem chand	Madhu ram	Lt sh uttam ram	8557862351	861745365928
159	Premchand	Madhu	Lt uttam ram	8557862351	861745365928
160	Heera signh	Tek singh	Lt rup singh	9.81635E+11	20717575267
161	Heera singh	Tek singh	Lt rup singh	N.A.	20717575267
162	Shankar + uikrant	Rambir singh	Ruplal	N.A.	N.A.
163	Kuldeep	Vijay kumar	Hari chand	N.A.	N.A.
164	Ajay pal	Mahavir singh	Ruplal	N.A.	N.A.
165	Abhi chand	Abhi chand	Nika ram	N.A.	N.A.
166	Mina devi	Mina devi	Dayalu	N.A.	N.A.
167	Raja devi	Jai chand	Lagan dass	N.A.	N.A.
168	Doli ram	Doli ram	Lagan dass	N.A.	N.A.
169	Rukam ram	Seekru	Teju	N.A.	N.A.
170	Kanshi ram	Kanshi ram	Teju	N.A.	N.A.
171	Bal mukund	Bal mukund	Shyam lal	N.A.	N.A.
172	Prakash chand	Prakash chand	Shyam lal	N.A.	N.A.
173	Gobind ram	Gobind ram	Jiya ram	N.A.	N.A.
174	Ram, dass	Ram dass	Jiya ram	N.A.	N.A.
175	Pawan kumar	Pawan kumar	Prem chand	N.A.	N.A.
176	Babhnesh kumar	Babhnesh kumar	Prem chand	N.A.	N.A.
177	Sanjiv kumar	Sanjiv kumar	Chanman lal	N.A.	N.A.
178	Bhuvneshwar kumar	Pushpa devi	Saadh ram	N.A.	N.A.
179	Kishori lal	Kishori lal	Dusu ram ji	N.A.	N.A.
180	Shashi bhushan	Shashi bhushan	Chanman lal	N.A.	N.A.
181	Somesh	Badhi singh	Lt bodhi raj	9418010149	460032732894

182	Jindi	Jindi	Haru	N.A.	N.A.
183	Kajlu	Kajlu	Shivu	N.A.	N.A.
184	Shashi sharma			N.A.	N.A.
185	Meera devi	Meera devi	Karam chand	N.A.	N.A.
186	Sita ram			N.A.	N.A.
187	Govind ram	Govind ram	Hardayal	N.A.	N.A.
188	Darshana devi	Darshana devi	Khimi ram	N.A.	N.A.
189	Hera mani	Hera mani	Rallu ram	N.A.	N.A.
190	Man singh	Man singh	Haru ram	N.A.	N.A.
191	Bhuvnesh kumar	Bhuvnesh kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
192	Kathu ram	Kathu ram	Balmu	N.A.	N.A.
193	Jinesh	Ram singh	Lt bansi ram	N.A.	530064996540
194	Pravesh kumar	Shakuntala devi	Shiv dayal	N.A.	N.A.
195	Parvesh kumar	Pravesh kumar	Shiv dayal	N.A.	N.A.
196	Prakash chand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
197	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
198	Mohar dass	Mohar dass	Dusu ram	N.A.	N.A.
199	Jagdish chand	Jagdish chand	Thakur dass	N.A.	N.A.
200	Bhagwan dass	Bhagwan dass	Jwala	N.A.	N.A.
201	Mehar chand	Mehar chand	Haru ram	N.A.	N.A.
202	Dharam singh	Dharam singh	Haru ram	N.A.	N.A.
203	Gopal dass	Gopal dass	Jaydayal	N.A.	N.A.
204	Subhadara devi	Jhave ram	Haru	N.A.	N.A.
205	Ugam ram	Ugam ram	Jindu ram	N.A.	N.A.
206	Kajlu	Chupu devi	Haru	N.A.	N.A.
207	Prabhu dayal	Prabhu dayal	Thakur das	N.A.	N.A.
208	Sitaram	Sitaram		N.A.	N.A.
209	Deshda devi	Deshda devi	Shyam chand	N.A.	N.A.
210	Hira singh	Hira singh	Mina ram	N.A.	N.A.
211	Samida devi	Samida devi	Shyam chand	N.A.	N.A.
212	Kushal singh	Kushal singh	Lal chand	N.A.	N.A.

213	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
214	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
215	Sushma	Chandramani	kapur chand	N.A.	N.A.
216	Hasyayi chand	Hasyayi chand	Shyam chand	N.A.	N.A.
217	Sunil kumar	Madan lal	Shukru lal	N.A.	N.A.
218	Sumesh chand	Sumesh chand	Sohan lal	N.A.	N.A.
219	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
220	Dilip kumar	Dilip kumar	Mohan lal	N.A.	N.A.
221	Hoshiyar singh	Hoshiyar singh	Ram dass	N.A.	N.A.
222	Subharna devi	Subharna devi		N.A.	N.A.
223	Maan dass	Maan dass	Ram dass	N.A.	N.A.
224	Shaoni devi	Shaoni devi	Ram dass	N.A.	N.A.
225	Sudhir kumar	Sudhir kumar		N.A.	N.A.
226	Sanjota devi	Sanjota devi	Ram dass	N.A.	N.A.
227	Suma devi	Suma devi	Keshav ram	N.A.	N.A.
228	Mangla devi	Mangla devi	Keshav ram	N.A.	N.A.
229	Moru devi	Moru devi		N.A.	N.A.
230	Mani devi	Mani devi	Lal chand	N.A.	N.A.
231	Hem chand	Hem chand	Chasham ram	N.A.	N.A.
232	Pogla devi	Pogla devi	Hinsu	N.A.	N.A.
233	Manti	Manti	Daylu	N.A.	N.A.
234	Dila ram	Dila ram	Diyalu ray	N.A.	N.A.
235	Sanjay kumar	Sanjay kumar	Ragunand	N.A.	N.A.
236	Raghunand	Raghunand	Namalum	N.A.	N.A.
237	Vijay kumar	Vijay kumar	Raghunand	N.A.	N.A.
238	Jai chand	Jai chand	Sabi ram	N.A.	N.A.
239	Shyam chand	Shyam chand	Sobi ram	N.A.	N.A.
240	Ram chand	Ram chand	Sobi ram	N.A.	N.A.
241	Surja devi	Ved ram	Hari ram	N.A.	N.A.
242	Neel chand	Neel chand	Hari dass	N.A.	N.A.
243	Raghuvir singh	Raghuvir singh	Jay dayal	N.A.	N.A.

244	Rakesh kumar	Kashi ram	Bhoga ram	N.A.	N.A.
245	Shyam lal	Shyam lal	Bhoga ram	N.A.	N.A.
246	Pradeep	Pradeep	Shyamlal	N.A.	N.A.
247	Rajiv	Rajiv	Shyam lal	N.A.	N.A.
248	Ratan chand	Ratan singh	Kanu	N.A.	N.A.
249	Lata devi	Lata devi	Khimi ram	N.A.	N.A.
250	Malu ram	Malu ram	Mungi ram	N.A.	N.A.
251	Prabha	Nirmala devi	Moti ram	N.A.	N.A.
252	Dayal singh	Dayal singh	Harichand	N.A.	N.A.
253	Karm chand	Karm chand	Jeesi ram	N.A.	N.A.
254	Swaran singh	Swaran singh	Bhim sukh	N.A.	N.A.
255	Kishan singh	Kishan singh	Sohan lal	N.A.	N.A.
256	Kushal singh	Kushal singh	Ram charan	N.A.	N.A.
257	Santosh kumar			9418202717	904362648267
258	Gopal singh	Gopal singh	Mangi ram	N.A.	N.A.
259	Premi devi	Premi devi	Shishu ram	N.A.	N.A.
260	Sumi devi	Sumi devi	Shishi ram	N.A.	N.A.
261	Basanti	Basanti	Ratan chand	N.A.	N.A.
262	Shobha ram	Shobha ram	Rallu ram	N.A.	N.A.
263	Churamani	Churamani	Rallu ram	N.A.	N.A.
264	Bhuvnesh kumar	Shiv kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
265	Ankush	Ankush	Oola ram	N.A.	N.A.
266	Ashwani	Ashwani	Dola ram	N.A.	N.A.
267	Yadav katoc h	Lakshman singh	Ram sharan	N.A.	N.A.
268	Yadav katoch	Lakshman singh	Ram sharan	N.A.	N.A.
269	Sinkru ram	Sikru ram	Ram saran	N.A.	N.A.
270	Puran sukh	Puran sukh	Ratan chand	N.A.	N.A.
271	Prabha	Nirmala devi	Moti ram	N.A.	N.A.
272	Prabha	Prabha	Jaysukh	N.A.	N.A.
273	Bhura ram	Bhura ram	Sagina ram	N.A.	N.A.
274	Balveer singh	Balveer singh	Bodh raj	N.A.	N.A.

275	Shitla devi	Shitla devi	Angad ram	N.A.	961517016007
276	Pankaj	Pankaj	Om prakash	N.A.	N.A.
277	Ralesha	Ralesha	Lt nand lal	9817560841	479168711033
278	Ashok kumar	Silu devi	Mohan lal	9418985240	N.A.
279	Heera singh	Tek singh	Lt rup singh	N.A.	20717575267
280	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	945389837	725386069475
281	Pavlesh singh	Pavlesh singh	Bath singh	N.A.	N.A.
282	Peeru ram	Peeru ram	Sheemtu	8219805351	N.A.
283	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	N.A.	N.A.
284	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	N.A.	N.A.
285	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	N.A.	N.A.
286	Baldev	Lt roshna devi	Lt sohan lal	N.A.	249213595929
287	NAURA DEVI	NAURA DEVI	RAGHU NAND	N.A.	N.A.
288	KALYAN SINGH	KALYAN SINGH	TARA CHAND	N.A.	N.A.
289	NAR DASS	RAMKI DEVI	JHERLU	N.A.	N.A.
290	SUDARSHAN GIRI	SUDARSHAN GIRI	PANDIT BISWMBHAR DAS	9418065464	922330701413
291	PEERU RAM	PEERU RAM	SH SHEEMTU	8219805351	N.A.
292	SHYAM LAL	SHYAM LAL	DAYALU	N.A.	N.A.
293	PARMAN CHAND	PARMAR CHAND	LT SH BHAL CHANDY	9418472349	N.A.
	Bhadrash				
1	Meena	Meena devi		9418126303	906273528943
2	Shivani	Krishna devi	Nirmi ram	6839250775	487756823214
3	Lachhi	Lacchi devi	Nari ram	N.A.	746889188743
4	Devinced singh	Devinder singh	Lt sh ram dass	9418440626	450343524066
5	Sohan pal	Sohan pal	Ram chandra	N.A.	N.A.
6	Pyare lal	Pyare lal	Ram chandra	N.A.	N.A.
7	Belma	Belma	Lt sh findu ram	8988030360	660750859279
8	Pooja	Pooja	Lt sh findu ram	8219182635	589310927303
9	Seema	Seema	Lt sh findu ram	9418993184	297889424603

10	Salochna devi	Baldev singh	It.tani ram	N.A.	N.A.
11	Tilvram	Tilvram	Shibhu ram	8894166942	565324292736
12	Joginder singh	Joginder singh	Lt sh ram dass	9816092306	423743741730
13	Roop singh	Roop singh	Lt ram dass	N.A.	426209186846
14	Tavn devi	Tavn devi	Tiotiram	8894006013	461222363309
15	Koushalya devi	Koushalya devi	Padam dass	7013165735	213439754694
16	Bndu devi	Bimla devi		N.A.	N.A.
17	Koula devi	Koula devi	It.sh.moolu ram	N.A.	N.A.
18	Rajender	Rajender	Krishan chand	9418210628	438931991687
19	Maina devi	Maina devi	Mulu ram	9736657418	458798457483
20	Kirna devi	Kirna devi	Lt sohan lal	N.A.	608463847427
21	Koula devi	Koula devi	It.sh.moolu ram	N.A.	N.A.
22	Satpal	Satpal	Prem singh	9418208482	702110387076
23	Hari chand	Hari chand		N.A.	N.A.
24	Raju ram	Raju ram	Main ram	9817084469	802476189266
25	Hardayal singh			9805036104	281497393771
26	Asha	Asha devi	Lt girja nand bhandari '	7807717166	600848647448
27	Rajesh			9418670062	856286726713
28	Gulab singh	Gulab singh	Gokal	9459409665	793076719074
29	Devku	Devku		N.A.	N.A.
30	Cunni lal	Chunni lal	Sohan lal	N.A.	212264834812
31	Bhagwan dass	Bhagwan dass	Sohan lal	N.A.	901635067275
32	Kishan das	Kishan das	Sohan lal	9418227684	517998970977
33	Jagdish	Bel dasi	Gukul	8219722988	922784086495
34	Krishna ram	Krishna ram	Dhagu ram	9805941983	403534144504
35	Raju	Raju	Lt dhagu ram	7831041210	819738759059
36	Hari chand	Hari chand		N.A.	N.A.
37	Gulab singh	Gulab singh	Sohan lal	N.A.	N.A.
38	Shyama nand	Shyama nand	It.sh.findu rani	9459324185	572950825308
39	Hemeshwari	Hemeshwari	It. Sh. Findu rani	9817343608	772642273964
40	Ram kishan	Ram kishan		9816587613	386901150041

41	Bimla devi	Bimla devi	It.kunbu ram	9816442099	N.A.
42	Deva nand	Deva nand	Hari dass	9459801378	6188033834649
43	Guddi devi	Guddi devi	It.kumbu ram	9805379755	890158303384
44	Nand lal	Nand lal	It. Shyam lal	97361053773	5323348166805
45	Rajak	Sattar nand	Nawabdin	9878954596	639233383553
46	Dev kumari	Dev kumari	Narjio	N.A.	788177386235
47	Diwan chand	Diwan chand	Meghu ram	9418107151	590194782992
48	Prem chand	Prem chand	Maghu ram	9805199106	264456014900
49	Goverdhan			N.A.	N.A.
50	Jiya lal	Jiya lal	Nirami ram	8894680443	758404794961
51	Uma devi	Uma devi	Sh.kishan chand	98173264496	763033945505
52	Manni devi	Manni devi	Nirmiram	9459740734	464033306646
53	Avesh chand	Avesh chand	Pyarelal	9418254969	574594296020
54	Rajender	Rajender	It. Dangu ram	82196322728	920822502767
55	Salochna devi	Baldev singh	It.tani ram	9816580552	308290991635
56	Khampi devi	Khampi devi		N.A.	N.A.
57	Shibu devi	It. Shibu devi	Pyarelal	8894307681	834388588417
58	Shiv lal	Shiv lal		9816533603	792337433172
59	Prarelal	Pyarelal		8894307681	834348858417
60	Jia lal			8219592164	243139847035
61	Hari om	Hari om	Shiv ram	9816479276	852876172586
62	Neel gagan	Neel gagan	Hari ram	9816479276	679441186519
63	It. Nihal chand	It. Nihal chand	It.sh.kumbu ram	9805173779	809330529950
64	Bimla devi	Bimla devi	Ram dyal	9817161603	232259026661
65	Kaula devi	Kavla devi	Mullu ram	N.A.	N.A.
66	Ram kumar			N.A.	N.A.
67	Propil kumar			N.A.	N.A.
68	Propil kumar	Jubla mehta	Dinesh kumar	N.A.	N.A.
69	Deepak	Deepak	Megh ram	N.A.	N.A.
70	Ved prakash	Champa	Lt mast ram	9816799329	572739727688
71	Shyamkali	Lt indra	Lt sunder	7816799329	588284742431

72	Pingla devi	Lumpu devi	Mulu pam	N.A.	N.A.
73	Prem singh chauhan	Tek singh	Girja nanda	N.A.	N.A.
74	Radha devi	Radha devi	Padam dass	N.A.	N.A.
75	Sharda devi	Sharda devi	Padam dass	N.A.	N.A.
76	Shakila devi	Shakila devi	Padam dass	N.A.	N.A.
77	Tara devi	Tara devi	Padam dass	N.A.	N.A.
78	Yadvender singh	Yadvender singh	Padam dass	N.A.	N.A.
79	Prem singh	Loompu devi		N.A.	N.A.
80	Rajinder singh	Sheela		N.A.	N.A.
81	Rajender singh	Khampi devi		N.A.	N.A.
82	Rajender	Nirmala devi		N.A.	N.A.
83	Prem singh	Pratap singh	Janvi dass	N.A.	N.A.
84	Pem singh ji	Prem singh	Janvi dass	N.A.	N.A.
85	Govind singh	Prabhu dayal	Keshay ram	N.A.	N.A.
86	Asha devi	Rashmu devi		N.A.	N.A.
87	Asha devi	Asha devi	Ashik kumar	N.A.	N.A.
88	Bimla devi	Bimla devi	Itiunbu ram	N.A.	N.A.
89	Bihari	Bihari	Ram dayalji	N.A.	N.A.
90	Vijay kumar	Vijay kumar	Rajinder	N.A.	N.A.
91	Bihari	Ram dayal	Bagat ram	N.A.	N.A.
92	Daleep singh	Smt. Dev kali	Late sh. Daulat ram	N.A.	N.A.
93	Rajinder singh	Khampi devi	Shankar das	N.A.	N.A.
94	Jagdish	Bel dasi	Gukul	8219722988	922784086495
95	Hemeshwari	Hemeshwari	It. Sh. Findu rani	9817343608	772642273964
96	BISHAN DAS	BHISAN DAS	SOHAN LAL	9817255910	207208844684
97	ASHA	ASHA DEVI	LATE GIRJA NAND BHANDRI	7807718166	600848647448
98	KOSHALYA DEVI	KAUSHLYA	PADAM DASS	N.A.	N.A.
	Naola				
1	Ashok	Ashok	Lt mast ram	9816035578	804849813590
2	Swarndeep	Suman	Lt mast ram	9816035578	804849813890
3	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058

4	Dinanath	Dina nath	Lt govind	9318909638	736009487654
5	Ajeet kumar	Ajeet kumar	Lt shri govind ram	9805787280	580899367620
6	Ramesh chand	Ramesh chand	Lt duni chand	9805556009	919384886042
7	Ramesh mehta	Lt jai devi	Shyam and	9805556009	301780260926
8	Shanno devi	Shanoo devi	Lt chand	9816966723	998702463993
9	Rajpal	Rajpal singh	Maan singh	N.A.	N.A.
10	Rajpal	Rajpal singh	Maan singh	N.A.	N.A.
11	Amit	Rajkumar	Pratap	N.A.	N.A.
12	Saty dav	Kirna devi	Shiv pal	N.A.	N.A.
13	Satya dev	Satya dav	Shiv lal	N.A.	N.A.
14	Satya dav	Satya devi	Shivpal	N.A.	N.A.
15	Satya dav	Jodhlal	Raghu nand	N.A.	N.A.
16	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
17	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
18	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
19	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
20	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
21	Swaran	Sashi bhshan	Mast ram	9816035578	804849813590
22	Gyan singh	Gyan singh	Lt khob ram	9816841181	787355614748
23	Bhagwan chand	Diwan chand	Durga nand	7807471780	759923309836
24	Bhagwan chand	Bhagwan chand	Lt durga nand	7807471780	759923309836
25	Sushil	Sushil	Lt atmam ram	9816230537	N.A.
26	Sushil	Sushil	Lt atmam ram	9816230537	N.A.
27	Ved prakash	Champa	Lt mast ram	9816799329	572739727688
28	Lagni devi	Lt mintu	Lt khub ram	N.A.	511006173726
29	Satish	Satish	Lt hari chand bhalik	N.A.	N.A.
30	Satish	Satish	Lt hari chand bhalik	N.A.	N.A.
31	Satish	Satish	Lt hari chand bhalik	N.A.	N.A.
32	Hardayal	Pratap singh	Kum das	N.A.	N.A.
33	Rajpal	Meena	Mean singh	N.A.	N.A.
34	Rajpal	Yashpal singh	Maan singh	N.A.	N.A.

35	Pradeep	Madhu	Har nam chand	N.A.	N.A.
36	Pradeep	Brij bala	Har nam chand	N.A.	N.A.
37	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
38	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
39	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
40	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
41	Dayal singh	Dayal singh	Lt hari chandra	N.A.	365234588035
42	Dayal singh	Bachiya singh	Lt hari chandra	9418646511	606677003012
43	Dayal singh	Geeta devi	Lt hari chandra	N.A.	365234588035
44	Mulchand	Mulchand	Hari chandra	9817792752	433427605225
45	Sanjay bhalik	Sanjay bhalik	Lt om prakash	9816070282	N.A.
46	Nihal chand	Nihal chand	Lt khub ram	9882754257	604406822840
47	Tek chand	Tale chand	Lt khub ram	9882754251	604406822840
48	Tek CHAND	LT GHAYLI	LT KHUB RAM	9882754267	604400682840
49	Rajpal	Shushma devi	Maan singh	N.A.	N.A.
50	Rekha	Rekha	Lt bhgwan chand	9816972900	916602855321
51	Aruna devi	Aruna devi	Lt bhagwan chand	9816972900	916602855321
52	Rekha	Rekha	Lt bhgwan chand	9816972900	916602855321
53	Ramesh chand	Ramesh chand	Lt duni chand	9805556009	919384886042
54	Sushil+ sanjay	Sushil	Gopal singh mehta	9816843470	N.A.
55	Sushil	Sushil	Gopal singh mehta	9816843470	N.A.
56	Sanjay	Sushil	Gopal singh mehta	9816843470	N.A.
57	Sushil	Gopal singh	Javerla dass	N.A.	N.A.
58	Ved prakhash	Ved prakash	Lt mast ram	9816799329	572739727688
59	Rakesh	Rakesh	Suleh dayal	9418718677	371375928284
60	Chand kumar	Chand kumar	Lt mast ram	9816822924	655729941824
61	Ved prakash	Seema	Lt mast ram	9816799329	572739727688
62	Shyamkali	Binma		9816799329	588284742431
63	Shyamkali	Lt indra	Lt sunder	7816799329	588284742431
64	Uphar	Uphar	Late. Sh. Heera lal ji	9817157761	273621527827
65	Uphar	Uphar	Late. Sh. Heera lal ji	9817157761	273621527827

66	Kalawati	Chandan lal	Khub ram	9805082572	VOTER I.D. JQX0571893
67	Sunita	Chandan lal	Khub ram	9805082572	N.A.
68	Satish	Late rajeet (ashok & naresh)	Late hukum	9418095071	490249063774
69	Ajit singh	Ajit singh	Late sh. Bali ram	9418003614	293531211757
70	Satish bhalik	Diwan chand	Late man sukh	9418095071	49024963774
71	Satish bhalk	Leela wati	Maan sukh	9418095071	490249063774
72	Achal mehta	Randhir mehta	Late shri bir sing mehta	8628081565	995828531981
73	Ranjeet	Ranjeet singh mehta	Late bir singh mehta	9805915101	376754010262
74	Vinod	Vinod	Late bir singh mehta	9459562129	842432877235
75	Bhagat ram	Bhagat ram	Thai ram	9816604105	772437977245
76	Pushpa devi	Pushpa devi	Mast ram	7833019928	67868679044
77	Amar chand	Amar chand	Mast ram	8894981534	667926973707
78	Bindu devi	Bindu devi	Prem chand	9418175829	578870397406
79	Satish	Krishna		N.A.	N.A.
80	Srinder	Khushi ram	Iswari nand	9418169988	284327482112
81	Rivinder bhalik	Bakshi ran	Late ishwari nand	9816306022	473506891559
82	Dr. Praveen	Shiv dayal	Late. Ishwani chand	9418132719	993048002054
83	Surender	Mukta. W/o ch.mehta		9418169988	284327482112
84	Faquir chand ji	Marti	Lt ram das	9459532033	7304951108761
85	Bhawani dutt	Bhawani dutt	Tilak raj	N.A.	N.A.
86	Saty dav	Kirna devi	Shiv pal	N.A.	N.A.
87	Satya dev	Satya dav	Shiv lal	N.A.	N.A.
88	Satya dav	Jodhlal	Raghu nand	N.A.	N.A.
89	Ajit kumar	Ajit kumar	Lt shri govind ram	N.A.	N.A.
90	Satya dav	Satya devi	Shivpal	N.A.	N.A.
91	Sarla	Reshi ram	Ishwari nand	9418088839	771554332924
92	Amit	Rajkumar	Pratap	N.A.	N.A.
93	Ramesh chand	Ramesh chand	Lt ramdayal	9418009812	425371146340
94	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058

95	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058
96	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058
97	Ajeet kumar	Ajeet kumar	Lt shri govind ram	9805787280	580899367620
98	RAMESH MEHTA	LT JAI DEVI	SHYAM AND	9805556009	301780260926
99	Somlata	Shiv dayal	Late. Ishwani chand	9418132719	N.A.
	Narola				
1	Rajpal	Raj pal	Maan singh	N.A.	N.A.
2	Rajpal	Meena	Maan singh	N.A.	N.A.
3	Rajpal	Raj pal	Maan singh	N.A.	N.A.
4	Rajpal	Rajpal	Late maan singh	9418228550	777996200875
5	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Late chetram	N.A.	N.A.
6	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Late chetram	N.A.	N.A.
7	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Late chetram	N.A.	N.A.
8	Rajeev	Lt jogider	Lt narjan dass	8628812679	9591996959313
9	Sandeep kumar	Shashi vandna	Late tez ram	981649270	N.A.
10	Jyoti swarup	Jyoti swarup	Lt narjan dass	9418700800	243409376021
11	Rajeev	Lt jogider	Lt narjan dass	8628812679	9591996959313
12	Rajeev	Lt jogider	Lt narjan dass	8628812679	9591996959313
13	Sandeep kumar	Sandeep kumar	Late tezram	9816492720	503570423169
14	Sandeep kumar	Surdeshna	Late tezram	9816492720	368884107505
15	Sandeep kumar	Shashi vandna	Late tez ram	981649270	503570423169
16	Rakesh kumar	Ranjana	Late chet ram	9816880250	711431693889
17	Anup bhlak	Anup bhalik	Lt suresh bhalik	9816195861	224221107156
18	Sandeep kumar	Sandeep kumar	Late tezram	9816492720	503570423169
19	Jhuri DEVI	JURI DEVI	SAM DAS	N.A.	N.A.
20	Urmila devi	Urmila devi	Kishan singh	N.A.	N.A.
21	Surender kumar	Surender kumar	Sham dass	9418244273	N.A.
22	Ram dayal	Ram dayal	Sham dass	9418244273	N.A.
23	Baivir	Baviri	Ram singh	9857600322	621923507298
24	Beli dev	Beli devi	Mika ram	93184179309	312154705665
25	Balvir	Shaser singh	Ram singh	9857600322	N.A.

26	Hari chand	Parveen	Tara devi	N.A.	N.A.
27	Hari chand roach	Amita	Tara devi	N.A.	N.A.
28	Hari chand roach	Pranav	Tara devi	N.A.	N.A.
29	Leela dhar	Leela dhar	Bhagat ram	N.A.	N.A.
30	Rakesh	Meena devi	Lt chetram	9816880250	711431693889
31	Dinesh kumar	Dinesh kumar	Satya dev	N.A.	N.A.
32	Dinesh kumar	Dinesh kumar	Satya dev	N.A.	N.A.
33	Ankush	Amarchand	Bhagat ram	N.A.	N.A.
34	Dinesh kumar	Dinesh kumar	Satya dev	N.A.	N.A.
35	Jyoti swarup	Jyoti swarup	Lt narjan dass	9418700800	243409376021
36	Prumila	Prumila	Lt kishan singh	98161610066	923891043255
37	Dinesh kuma	Annu	Lt salya dev	9816582963	232084377078
38	Hari chnad roach	Ritu	Lt tara davi	9816168367	285709400508
39	Deepak kumar	Deepak kumar	Gyan chand	9857144992	599967981214
40	Yash pal	Sita devi	Lt roshan lal	N.A.	N.A.
41	Yash pal	Yash pal	Lt roshan lal	9857144992	428020160163
42	Rajpal	Meena	Mean singh	N.A.	N.A.
43	Ankush sharma	Amar chand	Bhagat ram	N.A.	N.A.

परिशिष्ट 3

*****

संख्याः विद्युत–छ(5)–11/2016 दिनांकः 15–01–2018

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण एवं सहमति) नियम, 2015 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्राम रेवाली, घरोंटा, नौला, नरोला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, ग्राम निरथ, भदराश तहसील रामपुर, जिला शिमला एवं ग्राम नित्थर, गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू के प्रस्तावित भूमि अर्जन के प्रयोजन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण को कार्यान्वित करने के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई (यूनिट) निम्न प्रकार से अधिसूचित करते हैं।

ग्राम वार खसरा नम्बर अनुलग्नक "अ" में संलग्न खसरा नम्बर में समाविष्ट, ग्राम रेवाली, घरोंटा, नौला, नरोला, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, ग्राम निरथ, भदराश तहसील रामपुर, जिला शिमला एवं ग्राम नित्थर, गडेज, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू की प्रस्तावित भूमि रकबा 50–97–12 हैक्टेयर को एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा लूहरी जलविद्युत परियोजना, चरण–1 के निर्माण हेतु सतलुज नदी की अधिकतम जलविद्युत उत्पादन के उद्देश्य से अर्जित किया जाना है। यह रन ऑफ रिवर प्रकार की प्रस्तावित विकास योजना है।

जलविद्युत ऊर्जा संसाधन के दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश की रणनीति के तहत न्यूनतम लागत के साथ और न्यूनतम पर्यावरणीय नकारात्मक प्रभावों के साथ यथा संभव ऊर्जा उत्पन्न करना है। जलविद्युत ऊर्जा क्षमता का तेजी से दोहन राज्य की आर्थिक स्थिति को निश्चित रुप से सुदृढ करने में सहायक होगा क्योंकि सभी नयी स्थापित जलविद्युत परियोजना से 12 प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा और एक प्रतिशत एलएडीएफ राज्य के संसाधनों की वृद्धि में काफी हद तक सहायक होगी। परियोजना की आवश्यकता उचित मांग में लगातार वृद्धि और उत्तरी क्षेत्र में बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूर्ण करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुई है।

इसलिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सामाजिक निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा और सामाजिक समाघात निर्धारण को इसके प्रारम्भ से छह मास की अवधि के भीतर कार्यान्वित किया जाएगा। सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई परामर्श, सर्वेक्षण और जन सुनवाई करेगी।

क्र.सं.	नाम एवं पता		सम्पूर्ण सम्पर्क
1	श्रीमती मधुबाला शर्मा, निदेशक, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयर लॉन, शिमला।	अध्यक्ष	दूरभाष नं0–0177–2734[illegible]7 मोबाईल नं0–094180–2[illegible]240

2

	शिमला–171002	सचिव	
3	श्री सतीश शर्मा, प्रभारी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयर लॉन, शिमला।	सदस्य	मोबाईल न०–094595–82482
4	विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं सामाजिक कार्य विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।	सदस्य	दूरभाष न०– 0177–2833872
5	मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग, शिमला।	सदस्य	दूरभाष न०– 0177–2816047

आदेश द्वारा,

आर0 डी0 धीमान
प्रधान सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन संख्याः विद्युत–छ(5)–11/2016 दिनांक: 05–01–2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजी जाती है: –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु अग्रेषित है:

1. वितायुक्त–एवं–प्रधान सचिव (राजस्व), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2 ।
2. जिलाधीश, शिमला तथा कुल्लू (हि. प्र.)।
3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन दो विभिन्न समाचार पत्रों, जिनमें एक क्षेत्रिय भाषा का हो, में करवाया जाए।
4. अध्यक्ष, सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, फेयरलॉन, शिमला–12।
5. सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई के उनरोक्त समस्त सदस्य (नाम से)।
6. उप–मण्डल अधिकारी, कुमारसैन, रामपुर, जिला शिमला/आनी, जिला कुल्लू।
7. तहसीलदार, कुमारसैन, रामपुर, जिला शिमला/आनी, जिला कुल्लू।
8. भू–अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, झाकड़ी तहसील रामपुर–बुशैहर, जिला शिमला, (हि.प.)। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रचार सम्बन्धित क्षेत्र में जन साधारण की जानकारी हेतु सुविधाजनक स्थानों पर करवाया जाए।
9. संरक्षण नस्ति।

विशेष सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934
No. 81] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHIATRA 8, 1934

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

विषय : अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची तथा उसको अद्यतन बनाने हेतु संस्थागत तंत्र ।

फा. सं. 13/6/2009-आईएनएफ.—अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित सूची की पहचान के बारे में अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीआई) की 1 मार्च, 2012 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय का पालन करते हुए, एक संस्थागत तंत्र गठित किया जाता है । यह निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

i	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	-अध्यक्ष
ii	सदस्य-सचिव, योजना आयोग	-सदस्य
iii	सचिव, राजस्व विभाग	-सदस्य
iv	प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग	-सदस्य
v	प्रतिनिधि, भारतीय रिजर्व बैंक	-सदस्य
vi	प्रतिनिधि, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)	-सदस्य
vii	प्रतिनिधि, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)	-सदस्य
viii	प्रतिनिधि, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	-सदस्य
ix	सचिव, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग	-सदस्य

2. संस्थागत तंत्र के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

i **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न अवसंरचना उप-क्षेत्रों की मास्टर सूची को अद्यतन बनाना; और

ii मास्टर सूची के इतर, उपयुक्त समय के बाद उन अवसंरचना उप-क्षेत्रों पर पुनः ध्यान देना जो किसी एजेन्सी से इस समय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

3. अवसंरचना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के निर्णय के अनुसार, उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची अवसंरचना को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी एजेन्सियों के मार्गदर्शन के लिए होगी। प्रत्येक वित्तपोषण

C-18

एजेन्सी मास्टर सूची से उन उप-क्षेत्रों को जिन्हें वह सहायता देने की इच्छुक है, के कारण बताते हुए तथा इस सूची में से विनिर्दिष्ट उप-क्षेत्रों को शामिल करने अथवा शामिल न करने का पर्याप्त औचित्य देते हुए अपनी सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4. यह संस्थागत तंत्र निर्णय हेतु वित्त मंत्री को सिफारिशें करेगा।

5. आर्थिक कार्य विभाग इस संस्थागत तंत्र को सेवाएं प्रदान करेगा।

राजेश खुल्लर, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सुमेलित मास्टर सूची

क्र.संख्या	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	• सड़क और पुल • पत्तन • अन्तर्देशीय जलमार्ग • एयर पोर्ट • रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल[1] • शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टाक के अतिरिक्त)
2.	ऊर्जा	• विद्युत उत्पादन • विद्युत पारेषण • विद्युत संवितरण • तेल पाईप लाईन • तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा[2] • गैस पाईपलाईन[3]
3.	जल और स्वच्छता	• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाईपलाईन • जल शोधन संयंत्र • मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली
4.	संचार	• दूरसंचार (फिक्सड नेटवर्क)[4] • दूरसंचार टावर्स
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना	• शिक्षण संस्थान (कैपिटल स्टाक)

C-18

परिशिष्ट 4

प्ररूप –2

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

{ नियम 3 का उप–नियम (3), नियम 7 का उप–नियम (5) और (6) और नियम 14 देखें }

क – सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक पैरामीटरों की सूची

1. परियोजना क्षेत्र में की जनसंख्या का जनसांख्यिकी विवरण
   (क) आयु, लिंग, जाति, धर्म।
   (ख) साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण स्तर।
2. गरीबी के स्तर
3. दुर्बल समूह
   (क) स्त्रियां, (ख) बालक, (ग) वृद्ध, (घ) स्त्री–प्रधान गृहस्थियां, (ङ) नि:शक्त व्यक्ति
4. सग्रोत्र संबंधी नमूने और कुटुंब में स्त्रियों की भूमिका।
5. सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन।
6. प्रशासनिक संगठन।
7. राजनीतिक संगठन।
8. सिविल सोसाइटी संगठन और सामाजिक आन्दोलन।
9. भूमि का उपयोग और जीविका।
   (क) कृषि और गैर–कृषि उपयोग।
   (ख) भूमि की गुणवत्ता–मृदा, जल, वृक्ष, आदि।
   (ग) पशुधन।
   (घ) औपचारिक और अनौपचारिक संकर्म और रोजगार।
   (ङ) श्रम का गृहस्थवार विभाजन और महिलाओं का कार्य।
   (च) प्रवास।
   (छ) गृहस्थवार आय के स्तर।
   (ज) जीविका की अधिमानताएं।
   (झ) खाद्य सुरक्षा।

10. स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप।

(क) औपचारिक और अनौपचारिक स्थानीय उद्योग।
(ख) ऋण तक पहुंच।
(ग) मजदूरी की दर।
(घ) विनिर्दिष्ट जीविका के क्रियाकलाप, जिनमें स्त्रियां सम्मिलित हैं।

11. कारक, जो स्थानीय जीविका में योगदान करते हैं

(क) प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच।
(ख) सामान्य संपत्ति संसाधन।
(ग) प्राइवेट परिसम्पतियाँ।
(घ) सड़कें, परिवहन।
(ङ) सिंचाई की सुविधाएं।
(च) बाजार तक पहुंच।
(छ) पर्यटन स्थल।
(ज) जीविका संप्रवर्तन कार्यक्रम।
(झ) सहकारी और अन्य जीविका संबंधी संगम।

12. जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

(क) प्रत्यक्ष ज्ञान, सौंदर्यपरकता, मोह और अभिलाषा।
(ख) बंदोबस्त पैटर्न।
(ग) गृह।
(घ) सामुदायिक और नागरिक स्थान।
(ङ) धार्मिक और सांस्कृतिक प्रकार के स्थल।
(च) भौतिक अवसंरचना (जिसके अतंर्गत जलापूर्ति, मलवहन प्रणाली आदि है)।
(छ) लोक सेवा अवसंरचना (विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, आंगनवाड़ी केंद्र, लोक वितरण व्यवस्था)।
(ज) सुरक्षा, अपराध, हिंसा।
(झ) स्त्रियों के लिए सामाजिक मेल–मिलाप के स्थान।

ख – महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र।

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात

    (क) नियोजन का स्तर और प्रकार।
    (ख) अतंरीय–गृहस्तवार नियोजन पैटर्न।
    (ग) आय के स्तर।
    (घ) खाद्य सुरक्षा।
    (ङ) जीवन निर्वाह का स्तर।
    (च) उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण।
    (छ) आर्थिक निर्भरता या सहजभेद्यता।
    (ज) स्थानीय अर्थव्यवस्था का विघटन।
    (झ) दरिद्रता का जोखिम।
    (त्र) स्त्रियों की जीविका के विकल्पों तक पहुंच।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात

    (क) प्राकृतिक संसाधनों, मृदा, वायु, जल, वनों पर समाघात।
    (ख) जीविका के लिए भूमि और सामान्य संपत्ति प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव।

3. प्राइवेट परिसम्पत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात

    (क) विद्यमान स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की क्षमता।
    (ख) गृह व्यवस्था सुविधाओं की क्षमता।
    (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव।
    (घ) बिजली और जलापूर्ति की पर्याप्तता, सड़कें, सफाई और कचरा प्रबंधन व्यवस्था।
    (ङ) प्राइवेट परिसम्पत्तियों जैसे बोर वेल, अस्थायी छप्पर आदि पर समाघात।

4. स्वास्थ्य समाघात

    (क) आतंरिक प्रवास के कारण स्वास्थ्य समाघात।
    (ख) निम्न पर विशेष बल देते हुए परियोजना क्रियाकलापों के कारण स्वास्थ्य समाघात:–
        (i) स्त्रियों के स्वास्थ्य पर समाघात।
        (ii) वृद्धों पर समाघात।

5. संस्कृति और सामाजिक संसंजन पर समाघात

    (क) स्थानीय राजनीतिक संरचनाओं का रूपांतरण।
    (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन।
    (ग) आर्थिक–पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव।
    (घ) सन्नियमों, विश्वासों, मूल्यों और सांस्कृतिक जीवन पर समाघात।
    (ङ) अपराध और अवैध क्रियाकलाप।
    (च) विसंधान का तनाव।
    (छ) परिवार संसंजन के पृथक्करण का समाघात।
    (ज) स्त्रियों के विरूद्ध हिंसा।

6. परियोजना चक्र के विभिन्न प्रक्रमों पर समाघात

सामाजिक समाघात के प्रकार, समयानुपात, अवधि और तीव्रता परियोजना चक्र के प्रक्रमों पर निर्भर करेगी और इससे निकटता से जुड़ी रहेगी। नीचे समाघात की एक संकेतक सूची है –

(क) पूर्व सन्निर्माण चरण

(i) सेवाओं को प्रदान करने में व्यवधान।

(ii) लाभकारी निवेश में गिरावट।

(iii) भूमि का सट्टा।

(च) अतंरीय समाघात

(i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक्त लोगों पर समाघात।

(ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्यता तथा समुत्थान–शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिज्ञात समाघात।

(छ) संचित समाघात

(i) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात।

(ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, परन्तु स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

(च) अतंरीय समाघात

(i) स्त्रियों, बालकों, वृद्धों और निःशक्त लोगों पर समाघात।

(ii) साधनों जैसे लिंग समाघात निर्धारण मिलान सूची और सहजभेद्यता तथा समुत्थान–शक्ति मानचित्रण द्वारा अभिज्ञात समाघात।

(छ) संचित समाघात

(i) प्रश्नगत परियोजना के लिए अभिज्ञात समाघात के साथ क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं के निवारणीय और संभाव्य समाघात।

(ii) उन व्यक्तियों पर समाघात, जो प्रत्यक्ष रूप से परियोजना क्षेत्र में नहीं है, परन्तु स्थानीय रूप से या यहां तक कि क्षेत्रीय रूप से जुड़े हैं।

ग – सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट और सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना की विषय–वस्तुओं की सारणी

अध्याय	विषय–वस्तु
कार्यकारी सार	(क) परियोजना और लोक प्रयोजन। (ख) स्थान। (ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता। (घ) अनुकल्पों पर विचार। (ङ) सामाजिक समाघात। (च) कमी करने के उपाय। (छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण।
विस्तृत परियोजना ब्यौरा	(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना भी है। (ख) परियोजना का मूल आधार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदंडों सहित। (ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत,

	जोखिम का ब्यौरा। (घ) अनुकल्पों की परीक्षा। (ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएं। (च) मूल डिजाइन की विशिष्टियां और आकार तथा सुविधाओं का प्रकार। (छ) सहायक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता। (ज) कार्यबल अपेक्षाएं (अस्थाई और स्थाई)। (झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट। (ञ) लागू किए गए विधान और नीतियां।
दल की संरचना, दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची	(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल में लिंग विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया है। (ख) सामाजिक समाघात निर्धारण की सूचना संग्रहण हेतु प्रयोग होने वाली प्रणाली का विवरण और मूल आधार और साधन। (ग) नमूना प्रणाली का उपयोग। (घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन। विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्ररूपों में सम्मिलित किया जाएगा। (ङ) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई लोक सुनवाइयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची। लोक सुनवाइयों के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेश को रिपोर्ट में लिख कर प्ररूपों में सम्मिलित किया जाए।
भूमि निर्धारण	(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत–नक्शों की सहायता से वर्णन करें। (ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण समाघात क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) (ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि। (घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है, का उपयोग। (ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग। (च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि कितनी होगी और स्थान। (छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण और यदि कृषि भूमि हो तो सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम। (ज) धारित भूमि का आकार, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या। (झ) भूमि की प्रक्रिया और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षो में भूमि का अंतरण और उपयोग।

प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों (जहां अपेक्षित हो) का प्राक्कलन और प्रगणन	निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है– (क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो अर्जन के लिए प्रस्तावित है) (i) किराएदार हैं या अर्जित की जाने वाली भूमि के अधिभोगी हैं। (ii) अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है। (iii)सामान्य सम्पत्ति संसाधनों पर आश्रित हैं जिससे भूमि के अर्जन के कारण उनकी जीविका प्रभावित होगी। (iv)राज्य सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि प्रदान की गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है। (v) भूमि अर्जन से पूर्व, शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे हैं। (vi)अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित हैं।
	(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हैं) (ग) उत्पादक परिसम्पत्तियां और महत्वपूर्ण भूमि की तालिका।
समाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक रूपरेखा (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)	(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जनसांख्यिकी ब्यौरा। (ख) आय एवं गरीबी के स्तर। (ग) दुर्बल समूह। (घ) भूमि उपयोग और जीविका। (ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप। (च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है। (छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन। (ज) प्रशासनिक संगठन। (झ) राजनीतिक संगठन। (ञ) समुदाय–आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन। (ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं। (ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता।
सामाजिक समाघात	(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्यढांचा और दृष्टिकोण। (ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति पर समाघात। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो आकलित समाघात। (ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है : भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, प्राइवेट परिसम्पत्तियां, लोक सेवाएं और उपयोगिताएं, स्वास्थ्य पर समाघात, संस्कृति और सामाजिक ससंजन तथा लिंग आधारित समाघात।
लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें	(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न–विस्थापित अनुकल्प, भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, कमी करने के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां कमी करने के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या का समाधान करेगा, के बारे में अतिम निष्कर्ष। (ख) उपरोक्त विश्लेषण का, अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए, कि क्या अर्जन किया जाना चाहिए अथवा नहीं, नियम 9(10) में वर्णित साम्य के सिद्धान्त का विश्लेषण के मानदण्ड के रूप में उपयोग होगा।
निर्देश और प्ररूप	निर्देशों और आगे सूचना के लिए।

प्ररूप–3
[नियम 3 का उप–नियम (4) देखें]
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

1. कमी करने पर दृष्टिकोण।
2. समाघात से बचने, कम करने और प्रतिपूरित करने के उपाय।
3. उपाय, जो अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन एवं प्रतिकर के निबंधन में सम्मिलित हैं।
4. उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि उसका परियोजना के प्रस्ताव में पुरःस्थापन होगा।
5. अतिरिक्त उपाय, जिनमें अपेक्षित निकाय द्वारा कथन किया है कि वह सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और लोक सुनवाई के निष्कर्षों पर प्रतिकिया देने के लिए वचनबद्ध होगा।
6. सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में संस्थागत संरचना का वर्णन और प्रत्येक न्यूनीकरण उपाय के लिए उत्तरदायी मुख्य व्यक्ति और समय–सीमा तथा प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए लागत सम्मिलित होने चाहिए।

परिशिष्ट 5

Tables Generated from the Survey Questionnaire

1. Number of Respondents during SIA.

S. No.	Name of the District	Number	Percentage
1	Shimla	558	60.65
2	Kullu	362	39.35
	Total	920	100.00

2. Social Category wise number of land loser.

S. No.	Social Category	Number	Percentage
1	General	782	85.00
2	OBC	1	0.11
3	SC	136	14.78
4	ST	1	0.11
	Total	920	100.00

3. Religion wise number of Land loser.

S. No.	Religion	Number	Percentage
1	Hindu	918	99.78
2	Muslim	2	0.22
	Total	920	100.00

4. Occupation of Landowners.

S. No.	Type of business	Number	Percentage
1	Agriculture	775	84.24
2	Business	14	1.52
3	Govt. job	63	6.85
4	Private job/service	51	5.54
5	Others	17	1.85
	Total	920	100.00

5. Sex Ratio of the family member of the land loser

S. No.	Gender of family members	Number	Percentage
1	Male	1846	49.61
2	Female	1875	50.39
	Total	3721	100.00

6. Number of unmarried members from the families of land loser

S. No.	Details of young members	Number	Percentage
1	Unmarried son/brother	169	18%
2	Unmarried daughter/sister	73	8%

7. Number of land losers with various vulnerability status

S. No.	Vulnerability Status	Number
1	Woman headed household	66
2	Household below poverty line	45
3	Divorcee/widow	12
4	Physically/mentally challenged person	3
5	Minor orphan	0

8. Earning member in the family

S. No.	Earning member in the family	Number	Percentage
1	Male	839	91.20
2	Female	81	8.80
	Total	920	100.00

9. Percentage of women's participation in the agriculture according to survey.

S. No.	Participation of woman in agriculture	Number	Percentage
1	0% - 25 %	319	34.67
2	25% - 50%	419	45.54
3	50% - 75%	7	0.76
4	Above 75%	175	19.02
	Total	920	100.00

10. Percentage of women involved in allied activities according to survey.

S. No.	Participation of woman in allied activities	Number	Percentage
1	0% - 25 %	478	51.96
2	25% - 50%	253	27.50
3	50% - 75%	7	0.76
4	Above 75%	182	19.78
	Total	920	100.00

11. Percentage of women involved in decision making

S. No	Role of woman in decision making	Number	Percentage
1	Yes	807	87.72
2	No	113	12.28
	Total	920	100.00

12. Percentage of type of structure according to its construction

S. No.	Type of construction of the structure	Number	Percentage
1	Permanent (with RCC, Single/ Double storey building)	19	21
2	Semi-Permanent (buildings, with tiled roof and normal cement floor)	70	77
3	Temporary (building with mud/brick/wood made walls, thatched/tin roof)	22	24
	Total	91	100

13. Classification of structure according to age of structure

S. No.	Age of structure	Number	Percentage
1	1 - 10 years	37	41%
2	11 - 20 years	18	20%
3	21 - 30 years	6	7%
4	31 - 40 years	4	4%
5	41 - 50 years	22	24%
6	Above 50 years	4	4%
	Total	91	100%

14. Type and use of structures

Use of the structure	Number
Res. Cat	
House	54
Hut	12
Others	1
Com. Cat	
Shop	9
Other structure	
Boundary wall	1
Cattle shed	4

15. Number of fruit and non fruit trees

S. No.	Trees in affected area	Number	Percentage
1	Fruit trees	4723	53.89
2	Non-fruit trees	4466	46.11
	Total	9189	100.00

16. Opinions regarding rehabilitation options

Options for rehabilitation	Number	Percentage
If displaced do you have additional land		
No	480	52.17
Yes	440	47.83
Total	920	100.00
Compensation for land loser		
Cash for land loss	895	97.28
Land for land loss	25	2.72
Total	920	100.00
Compensation for structure loser		
Cash for structure loss	88	96.3
Structure for structure loss	3	3.3
Total	91	100.00

17. Opinion of landowners on income restoration assistance

S. No.	Income restoration assistance	Number	Percentage
1	Assistance/loan from other ongoing development scheme	2	0.22
2	Employment opportunities in construction work	916	99.57
3	Others	2	0.22
	Total	920	100.00

18. Opinions of landowners on gaps of existing healthcare systems

S. No.	General gaps of health care service	Number	Percentage
1	Poor road	186	20.22
2	Lack of hospital	256	27.83
3	Lack of doctors	116	12.61
4	Lack of nurses	31	3.37
5	Lack of medicine	105	11.41
6	Lack of facilitators	30	3.26
7	Lack of doctors, lack of hospital	97	10.54
8	Lack of medicine, lack of nurse	68	7.39
9	Lack of nurses/, poor road , lack of medicine	3	0.33
10	Lack of medicine lack of, lack of hospital	14	1.52
11	Lack of doctors, lack of medicine, lack of facilitators	12	1.30
12	Other	1	0.11
13	Lack of all	1	0.11
	Total	920	100.00

19. Purposes of indebtedness

S. No.	Purpose of loan	Number	Percentage
1	Agriculture	37	41.57
2	Business	4	4.49
3	Development	3	3.37
4	Education	4	4.49
5	Home loan	13	14.61
6	Horticulture	1	1.12
7	KCC	4	4.49
8	Personal loan	5	5.62
9	Vehicle	18	20.22
	Total	89	100.00

20. Sources of information about the LHEP

S. No.	Source of project information	Number	Percentage
1	Govt. officials	812	88.26
2	Newspaper	29	3.15
3	Other villagers	72	7.83
4	TV	7	0.76
	Total	920	100.00

परिशिष्ट 6

जन सुनवाई
ग्राम पंचायत–निथर और देहरा
स्थान – लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह, नित्थर
तिथि 30.06.2018

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
चमेलू देवी, बीडीसी नित्थर	नित्थर व देहरा	9418059717

- नित्थर को प्रभावित पंचायत में लिया जाए क्योंकि इसी पंचायत के लोगों की भूमि अधिग्रहित होने जा रही है और सुरंग का निर्माण भी इसी पंचायत क्षेत्र के नीचे होना है।
- जल संसाधन और पेयजल के समस्या के निदान एवं प्रबन्धन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
- यहां की नकदी फसलों एवं सेब, बादाम आदि की फसल के नुकसान हेतु उचित मुआवजा दिया जाए।
- निर्माण कार्य में रोजगार की गांरटी दी जाए और स्थानीय प्रभावित लोगों को लगाया जाए।
- भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिया जाए।

नम	ग्राम	मोबाईल न0
बिन्दू ठाकुर, पचायत समिति चेयरपर्सन	निरमण्ड बलॉक	9459749821, 7807362465

- परियोजना बनने के बाद जी एम साहब नहीं मिलते हैं।
- नित्थर को पंचायत न मानना क्लेरिकल गलती माना गाया है जिसे सही कराया जाए।
- पानी की समस्या का निवारण करें हैंण्ड पंप लगवाएं और पानी सीधा पंचायत को मिले जानवरों के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाए।
- पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए इसके लिए सड़को व स्ट्रीट लाईटों का प्रावधान किया जाए।
- भू–स्वामियों को योग्यता अनुसार नौकरियां दी जाए।
- अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अच्छे डॉक्टर परियोजना के माध्यम से उपलब्ध करवाएं जाएं।
- पूर्व मे भी डीएवी स्कूल की मांग की गई थी जो पूरी की जाए।
- पंचायत को समय समय पर बजट उपलब्ध करवाया जाए ताकि छोटे मोटे मुरम्मत का कार्य किया जा सके।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
विवेक ठाकुर	आनस	9459479109

- जमीनों की भरपाई के लिए भूमि के रेट सभी जगहों के लिए समान होने चाहिए। साथ ही पिछले 10 सालों के सरकल रेट और सेल डीड को भी देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ 2011, 2012 में श्रीमान एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा निर्धारित रेटस को भी भूमि मुआवजे के लिए देखा जाना चाहिए।
- राज्य में किसी भी तरह के प्रोजैक्ट चालू किए जाने से पहले आर एवं आर प्लान बनाया जाना चाहिएं जिसमें दिस जाने वाले सभी लाभों का उल्लेख होना चाहिए। लूहरी परियोजना में रामपूर हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना में दिए गए लाभों से ज्यादा लाभ दिया जाना चाहिएं।

- क्षेत्र में कार्यरत एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और एचपीपीसीएल जैसी कम्पनियो द्वारा बनाए गए आर एवं आर प्लान से भूमि मालिकों के लिए लाभकारी बिन्दू इस परियोजना के लिए दिए जाने चाहिए। और इनका क्रियान्वयन निर्धारित समय में किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण 2013 में दिए गए लाभों से भी ज्यादा लाभ एलएचईपी स्टेज–1 के आरएवं आर प्लान मेंदिया जाना चाहिए।
- जिन लोगों का मकान परियोजना के कारण पानी में डूब रहा है उन्हें रामपुर जल विद्युत परियोजना में दिए गए मुआवजे या आर एवं आर प्लान के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह के प्रत्येक व्यक्ति को एक बना बनाया मकान या कम से कम 10 लाख रूपये दिए जाने चाहिए।
- काफी बडी सरकारी भूमि लोगों के कब्जे में है जो परियोजना में अधिग्रहित की जाएगी। इस कारण वहां कब्जा धारकों को भी लाभ / मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक सम्पति का नुकसान – पुल और रोपवे।
    - परियोजना के निर्माण के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुल और रोपवे का नुकसान होगा जो इस तरह से है। ग्राम निरथ से आनस तक का पुल, ग्राम शनाह से सनेवन तक रोपवे। इनके लिए नए पुल /रोपवे का निर्माण परियोजना द्वारा करवाया जाए।
    - विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोत भी पानी में डूब जाएंगे।
    - ग्राम आनस से निरथ पुल तक ग्राम निथर से ग्राम निरथ तक का पुल, ग्राम आनस से ग्राम शनाह तक के सार्वजनिक रास्तों का नुकसान होगा।
    - शमशानघाट ग्राम शनाह आनस जो कि देहरा पंचायत में है पानी में डूब जांएगे। अतः विद्युत चलित शमशान घाट का निर्माण करवाया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार लकड़ी उपलब्ध करवाई जाए।
- जंगलात के अधिकार नियम 2006 / ईन्क्रोचर के अधिकारः इस हेतु अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा दिया जाए।
- स्थाई रोज़गार : शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रभावित परिवारों के सदस्यों को परियोजना द्वारा रोज़गार मुहैया करवाया जाना चाहिए। उसके साथ ही शिक्षा और उम्र में सहुलियत दी जानी चाहिए। विभिन्न संस्थानों जैसे एनटीपीसी, एचपीपीसीएल, एनएचपीसी आदि ने भूमि मालिकों को सीधी भरती की है। अतः इस परियोजना में भी स्थाई सीधी भरती की जाए।
- पुनर्वास व पुर्नस्थापन के लिए किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया जाना चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
प्रमोद ठाकुर	नित्थर	–

- जमीन का मुआवजा उचित दिया जाए पानी की समस्या हल हो लिफ्ट इरीगेशन पर खर्चा करें और इसकी जिम्मेदारी ले और सुनिश्चित करें।
- जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की कई है उन्हें समय दो पर सरकार से संशोधित उचित मूल दिए जाएं।
- प्रभावितों की जिनके पास अधिग्रहित भूमि होने के बाद थोड़ी सी नाम मात्र बचेगी उन्हें वे भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित कर ले।
- प्रभावित पंचायत के बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी हेतु प्राथमिकता दी जाए।
- पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए इस समस्या हेतु एसडीएम साहब व जीएम साहब आज की कोई समाधान ढूंढे वैकल्पिक स्रोतों के विषय आज ही सम्बिन्धित विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नरगेश कटोच	नित्थर	9418001343

- परियोजना में अधिग्रहण की जा रही भूमि में भूमि स्वामियों से पूरी जमीन ली जाए क्योंकि बची हुई जमीन में कोई काम नहीं किया जा सकेगा अतः इसे पूरी लें या पूरी छोड़ दें। अन्यथा जमीन नहीं दी जाएगी।
- जो सरकारी जमीन परियोजना में लग रहीं है उसमें हम पशुओं को चराते हैं अधिग्रहण से पशुओं को चराने में हमें समस्या आएगी इसलिए पशुओ के चारे का भी मुआवजा दिया जाए।
- धान, मक्की, सब्जी, अनार ये जो सब चीजों की खेती हम करते हैं। परियोजना के बाद हम नहीं कर पाएगे इसलिए भू स्वामियों को योग्यता अनुसार नौकरियों दी जाए।
- जिनका मकान जाएगी उनके लिए आरएवंआर प्लान मनाया जाए और उन व्यक्तियों को दूसरी जगह पांच बीघा जमीन खरीद कर दी जाए।
- पानी की समस्या का समाधान हो। जिसमें पीने एवं खेती का पानी की समस्या शामिल हो।
- जमीनों के अधिग्रहण से कई समस्याएं पैदा हो सकती है खेत न होने से अनाज में कमी आएगी जिससे खाने पीने के सतर में कमी हो सकती है और भविष्य में लोग रोगग्रस्त हो सकते है।
- तकनीकी संस्थान खोले जाना चाहिए। निथर में पीएचसी है जो सात आठ ग्रामों के सेवाएं देती है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत पीएचसी को विकसित कर गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि रामपुर दूर है एवं वहां की सड़क खराब भी है।
- फसलों पर धूल से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
- जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है उसके लिए मार्केट रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाए।
- सामाजिक सुरक्षा पर विशष ध्यान देते हुए निती बनाई जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
बिन्दु, प्रधान	नित्थर	—

- परियोजना 2008 में प्रारम्भ की जाने वाली थी जिसमें अबतक बहुत समय लग चुका है इसमें रोजगार के अवसर ग्रामीण युवाओं को दिए जाने चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नरेश सिंह	नित्थर	—

- बायल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है यह बताया जाए।
- कॉलोनी व स्कूल शिमला जिले को दिए गए हैं।
- 100 यूनिट बिजली भी नहीं दी जा रही है फायदे पूरे नहीं दिए गए हैं इन्जियरिंग कॉलेज कहां बनाया गया यह बताया जाए। यह कॉलेज प्रगति नगर में क्यों बनाया गया है।
- 1.5 प्रतिशत लाडा का पैसा कहां खर्चा किया गया है यह बताया जाए।
- रामपुर बससटैंड का विकास किया जाए।
- कोयल बायल में कितनी सड़क बनाई यह भी बताया जाए।
- भूमि के लिए 4 गुना मुआवजा दिया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
कपूर ठाकुर	नित्थर	9418217902

- परियोजन मे निजी भूमि अधिग्रहित की जा रहीं है शनाह गांव में 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बची हुई 10 प्रतिशत जमीन किसी काम की नहीं रहेगी अतः इसे भी परियोजना में लिया जाए। जमीन का मुआवजा जो प्रस्तावित किया गया है वह पहले से भी कम हो गया है जो उचित नहीं है। अतः इसके साथ ही मूल्य सभी लोगों को एक जैसा मिलना चाहिए।
- क्षेत्र में पानी की समस्या है परियोजना द्वारा पैसा सरकार को दिया जाता है जो उचित प्रतीत नहीं होता अतः इसी क्षेत्र का पैसा इसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाया जाए। इस क्षेत्र में पानी की गुणवता अच्छी नहीं है अतः एसजेवीएन द्वारा पानी को उठाउ पेयजल योजना द्वारा चलाया जाए व वितरित किया जाए।
- स्थानीय लोगों को रोज़गार के लिए अलग से कोटा रखा जाए।
- जिन लोगों की कृषि भूमि परियोजना में अधिग्रहित की जा रही है उनके पास आमदनी का अन्य स्रोत नहीं रहेगा ऐसे परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को स्थाई नौकारी दी जाए।
- परियोजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र किया जाना चाहिए। ताकि इसमें फायदा सरकार और स्थानीय जनता को मिल सके।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नगीन	मोईन	9418018191

- मोईन गांव इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव है जिसे आजतक कोई फायदा नहीं दिया गया है निथर आने के लिए वार्ड पंच को 40–50 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है इस कारण से विकास कार्यों में बाधा होती है।
- परियोजना के लाभ शिमला जिले के गांवों को दिए जाते हैं जैसेकि कॉलोनी, स्कूल व अन्य कार्य।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
प्रधान देहरा	देहरा	–

- जिन लोगों की जमीन लग रही हैं उन्हें तों उचित मुआवजा मिल ही जाएगा। लेकिन जिन लोगों के घरों को क्षति होगी कृप्या उन्हें भी उचित मुआजा मिले।
- क्षेत्र में पानी की अत्यन्त कमी है पानी खरीद कर लाया जा रहा इस हेतु परियोजना के माध्यम से उचित प्रावधान किया जाए।
- पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है।
- युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाएं जाए और प्रभावित लोगों के वाहन परियोजना में लगाया जाए।
- आदर्श गांव – इस गांव में स्ट्रीट लाईट लगाई जाए सड़को को पक्का किया जाए। एवं इसे आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
बीडीसी देहरा	देहरा	9418059717

- जल समस्या का समाधान जल्द करें।
- फस्लों का उचित मुआवजा मिले ।
- प्रभावित लोंगों को रोज़गार मिलें।

- लोगों की मांगों को पुरा करें वरना आन्दोलन किया जाएगा।
- ंप्रदूषण रोकने के लिए उचित व्यवस्ध्था करें।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
परमार चन्द	मोईन	—

- परियोजना में लगाई जाने वाले वाहन स्थानीय लोगों के ही लगाए जाने चाहिए।
- सीडी टैंडर को बाहरी लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
जितेन्द्र	निथर	—

- सभी लोगों को एक समान रेट दिया जाना चाहिए।
- 2010 में मुआवजा निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी इसके सुझावों को भी मुआवजा के निर्धारण में ध्यान रखा जाए।
- 2005 में जमीन की कीमत साठ लाख थी आज वर्तमान में अठारह लाख है इस पर गौर किया जाए।

एसडीएम महोदय आनी का सम्बोधनः—

महोदय ने परियोजना अधिकारियों के लिए बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में जो लोगों की मांगे है और जो वादे परियोजना द्वारा किया गया है उसे पूरा किया जाना चाहिए।

जन सुनवाई
ग्राम पंचायत–गड़ेज
स्थान – पंचायत घर, बायल।
तिथि 30.06.2018

नम	ग्राम	मोबाईल न0
ओगम राम	बायल	9418157787

- परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासन में समनवय की कमी दिखती है लोगों को फसल के मुआवजे की निती निर्धारित है परन्तु मुआवजा देने में विलम होता रहा है।
- क्षेत्र के लोगों को ईलाज के लिए चण्डीगड़ जाना पड़ता है इस हेतु बिलासपुर में जो एमस बन रहा है केन्द्र और राज्य सरकरा से निवेदन है कि बिलासपुर से किनौर तक फोर लैन रोड का निमार्ण करवाया जाए ताकि कम समय में उच्च स्तरीय हास्पीटल तक पहुंचा जा सके।
- कैट प्लान का पैसा भष्टाचार में खत्म हो जाता है पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
- देवढांक से बायल तक सड़क होनी चाहिए।
- जंगल में आए दिन आग लग रहीं है उसे रोकने के लिए सरकार और एसजेवीएन लोगों को जागरूक करें साथ ही फायर प्लान बनाया जाए।
- नालों में चैक डैम का निर्माण किया जाए ताकि लम्बे समय तक पानी को रोक कर उपयोग में लाया जा सके और भूमि अपरदन को भी कम कर दिया जा सके।
- लोगों को काम मिलें जिनकी भूमि जा रही है।
- एक परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा समान होना चाहिए।
- कानून व्यवस्था पर अधिक से अधिक इम्पलीमैंट हो तथा सभी लोंगो का भला हो।
- आवारा पशु एवं पशु चारे के लिए 10 लाख रूपये का आवंटन करते हुए संचालन की व्यवस्था भी परियोजना द्वारा की जानी चाहिए।
- स्टेडियम / खेल का मैदान आदि परियोजना द्वारा विकसित किए जाने चाहिए।
- परियोजना द्वारा करवाए जाने वाले विभिन्न कार्यों के कारण जमीन में बनाए गए सैप्टिक टैंक में भी दरारें आई हैं जिसकारण इसका प्रभाव ग्राउंड वाटर पर भी पड़ सकता है। अतः परियोजना इस हेतु आवश्यक कदम उठाए।
- इस प्रभावित क्षेत्र के दो गांव में धान खेती की जाती है अतः सुविधा के लिए वर्तमान सड़क को पक्का किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
यमन सरकैक	बायल	9816893611

- प्रोजैक्ट में जो जमीन अधिग्रहित हो रहीं है उस जमीन के मुआवले का रेवेन्यू रिकार्ड से वैरिफाईड करके लाभ दिया जाए। पूर्व के अधिग्रहण में साठ लाख की कीमत थी। जो कि अब नौ लाख कर दी गई है।
- पंचायत में पानी की समस्या काफी ज्यादा है जिससे सभी लोग परेशानी का सामना कर रहे है अतः परियोजना से निवेदन है कि पानी की समस्या को सुचारू रूप से सुधार लें।
- निरथ व खेग्सू के मध्य हाईड्रोफिसिग्स / इन्जिनियरिंग के संस्थान प्रारम्भ किए जाएं ।इन संस्थानों से न केवल स्थानीय बच्चों को अपितु राज्य के अन्य बच्चों को भी फायदा होगा एवं स्थानीय युवाओं को स्थानीय निकायों में रोजगार मिल सकेगा।

- परियोजना प्रभावित परिवारों को राजस्व विभाग के अभिलेखों को देखकर ही भुगतान किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
रमन सरकैक	बायल	–

- 2010 में सैक्शन –4 से सैक्शन 10 तक की कार्यवाही कर ली गई थी परन्तु उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया इन्हीं कारणों से उस समय में किए जा रहे कार्य बन्द कर दिए गए जिनसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इन नुकसानों की भरवाई की जाए।
- इस पंचायत के लोगों को बिथल क्षेत्र के दिए गए मुआवजे की राशि से ज्यादा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र रिजरवायर का क्षेत्र है।
- रोजगार के लिए केवल निर्माण कार्यों में ही स्थानीय लोगों को लगाया जाता है अतः इसमें किसी तरह का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
विनय सरकैक	बायल	–

- जमीन अधिग्रहण के बाद कई लोगों के पास जमीन का छोटा हिस्सा ही बच जाता है इसलिए पूरी जमीन का अधिग्रहण की किया जाना चाहिए अन्यथा कोई जमीन नहीं ली जानी चाहिए।
- हाईड्रो इन्जिनियरिंग कॉलेज के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- बिथल क्षेत्र की जमीने डपिंग साईट के लिए ली जा रही है जिनका मुआवजा राशि कई गुना है अतः डपिंग साईट को बदला जाए और इस क्षेत्र के गरीब लोगों की जमीन को अधिग्रहित करते हुए उन्हे लाभ दिया जाए।
- क्षेत्र में पर्यटन, बोटिंग, मछली पालन का लाईसैंस ज़ारी किया जाना चाहिए

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
लक्ष्मण सिंह	बायल	9418133109

- परियोजन प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए वि"ोष ध्यान रखते हुए परियोजना द्वारा उनकी कोचिंग पर किए जा रहे खर्चों के लिए भी प्रावधान रखना चाहिए। जिससे गरीब परिवारों के होनहार बच्चे आगे बढ़ सके और विकास में भागीदार हो सके।
- परियोजना द्वारा क्षेत्र के बच्चों का आईटीआई के माध्यम से विभिन्न कोर्स करवाए जाते रहे हैं परन्तु इन में से कितने बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है इसका वि"ालेषण किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नूरअली	बायल	

- हम गुज्जर है हमें दो बिस्वा जमीन सैक्शन हुई थी पर हमारे नाम नहीं हुई। अब परियोजना के बनने से वह जमीन पानी में सबमर्ज हो रही है इससे हम बेघर हो जाएंगे। ना ही इसका कलैम मिल पाएगा। जंगलात भी बन्द है।

एसडीएम महोदय आनी का सम्बोधन।

परियोजना को लोगों की मांगों को सुनते हुए इस पर अमल करना चाहिए। अगर परियोजना द्वारा कोई किसी मांग के लिए अपनी सहमती दी है इस अवस्था में उन्हे पूरा करने का दायित्व भी परियोजना का रहेगा।

सीएसआर बजट में यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता रहती है तो इसके लिए भी प्रशासन से चर्चा की जा सकती है।

जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रिय संस्कृति एवं सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी। जिसके लिए हर सतर पर वि"ोष प्रयास किए जाने चाहिए। परियोजना के अलग अलग चरणों में धूल एवं परिवहन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। उपरी पंचायतों व क्षेत्रों में भी यह धूल पर्यावरण व कृषि को नुकसान कर सकती है इसके लिए परियोजना के प्रारम्भिक चरणें में ही इसके समाधान हेत आवश्यक कदम परियोजना सतर पर लिए जाने चाहिए।

जन सुनवाई
ग्राम पंचायत–शमाथला
स्थान – महिला मण्डल रिवाली।
तिथि 01.07.2018

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
प्रधान मीना जरेट	शमाथला	9817344024

- इस क्षेत्र में पानी का काफी आभाव है अतः इस क्षेत्र में पानी की सुविधा परियोजना के माध्यम से दी जाए।
- बेरोज़गार युवकों को उनके शिक्षा के हिसाब से रोज़गार दिया जाए।
- नौला मे मन्दिर का रास्ता व अन्य रास्ते पक्के करवाएं जाएं।
- पशुओं की रोक के लिए फैंसिग की जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
गोपाल मैहता	शमाथला	9418110660

- 2013 लैंड एक्ट के बजाए 2015 में जो बिल पास हुआ उसमें 26ए दिया है उसके मुताबिक 4 गुना मुआवजा दिया जाए। यह एक्ट अन्य राज्य में भी लागू हो चुका है।
- लैंड एक्ट के सर्किक रेट पर पुनः विचार कर इसे ठीक किया जाए। रिवाली चरौटा एक ही साथ है लेकिन रेट अलग अलग है।
- परियोजना के द्वारा से डीएवी / सैंटर स्कूल खोला जाए।
- एनएच रामपुर से कूमारसेन तक कोई हस्पताल का प्रावधान नहीं है। अतः हस्पताल खोला जाए।
- लाडा एवं सीएसआर का पैसा उठाऊ पेय जल योजना में लगाया जाए। पिछले 4–5 सालों से पानी की कमी के कारण सारे फल वाले पौधे सुख गए है जिस कारण खेती में नुकसान बढ़ता जा रहा है।
- लोगों द्वारा छोड़े गए पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
महेन्दर सिंह, वार्ड सदस्य	रिवाली	9816655035

- युवाओं के लिए रोजगार सुनिॅचत किया जाए।
- चौराहों पर स्ट्रीट लाईटों का प्रावधान हों
- संजीवनी सेवा अच्छा कार्य कर रहीं है इसके साथ लैब टैस्टिंग खोली जाए। क्योंकि हस्पताल यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर और कुमारसेन में स्थित है जिससे बजुर्गो और बच्चों को परेशानी न हो।
- धूल आदि से चरौटा गांव प्रभावित होगा धूल भरी हवा उपरी गावों में जाएगी इसलिए पूर्व से ही इसे रोकने के प्रयास किए जाए।
- स्थानिय स्तर पर 5–10 बैड का अस्पताल खोला जाए।
- पानी की काफी समस्या है इस बारे सीएमडी को भी पत्र दिया गया है कोई उतर नहीं आया है जल्द ही कुछ किया जाए।
- बाहरी लोगों के आने से यहां पर अपराध बड़ेगा आने वाले समय में यहां पर पुलिस चौकी खोली जाए।

- हरीजन बहुल के दो गांव है नगरांव व वंटीपर है जिसमें सड़क नहीं है अतः परियोजना के माध्यम से इन गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।
- इस पंचायत में 12 महिला मण्डल है जो सोशल कार्य करती है प्रोत्साहन हेतु इन्हे लघु एवं मध्ययम उद्योगों से जोड़ा जाए ताकि आय में वृद्वि हो सके।
- झाकडी में डीपीएस स्कूल है और बायल में डीएवी स्कूल है शिमला जिले के बच्चों के लिए कोई कॉलेज नहीं है अतः इन्जियरिंग कॉलेज खोला जाए।
- परियोजना में दो से तीन लोंगों की जमीनें लग रहीं है पर परियोजना से उन्हें नहीं जोड़ा जा रहा है अतः निवेदन है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
वीना ठाकुर, जिला परिषद	शमाथला	9816015997

- यह क्षेत्र डंपिग साईट के लिए निर्धारित है जिसके कारण प्रदूषण होगा। और इससे अन्य पंचायत भी प्रभावित होगी। अतः उन्हें भी प्रभावित पंचायतों में लिया जाए।
- पंचायत में एक घर गिरा था जिसके लिए परियोजना/प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई अगर दी होती तो पंचायत के लोगों को इससे काफी प्रोत्साहन मिलता।
- वनीकरण कर पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
धर्मवीर चौहान, कण्डा	कण्डा	9816149837

- स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाए।
- लिफट इरीगेशन के लिए प्रावधान की जाए।
- कृषि/मजदूर से जुड़े लोंगों को होने वाली दूर्घटना जैसे कि कुते ने काटा सांप आदि के काटने से जल्द इलाज नहीं होता है इसके लिए हमारे यहां अस्पताल का प्रावधान किया जाए।
- शिक्षा के लिए अच्छे कोर्स एसजेवीएन प्रबन्धन की तरफ से करवाए जाएं।
- बाहर के लोग काम करने आएंगे इसके कारण संस्कृति एवं संस्कारों पर कुप्रभाव पड सकता है इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
गुलाब मैहता	बिथल	981657688

- अग्रिम चार माह में पानी की स्कीम का कियान्वयन किया जाना चाहिए।
- बाहर से आने वाले मजदूरो के लिए कम से कम 20 टायलेट की व्यवस्था परियोजना के माध्यम से किए जाने चाहिए।
- जन कल्याण के लिए 10 करोड़ का प्रोजैक्ट बनाए ।

एसडीएम कुमारसैन का सम्बोधन।

परियोजना को लोगों की मांगों को सुनते हुए इस पर अमल करना चाहिए। अगर परियोजना द्वारा कोई किसी मांग के लिए अपनी सहमती दी है इस अवस्था में उन्हे पूरा करने का दायित्व भी परियोजना का रहेगा। सीएसआर बजट में यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता रहती है तो इसके लिए भी प्रशासन से चर्चा की जा सकती है। जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रिय संस्कृति एवं सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी। जिसके लिए हर सतर पर वि"ाेष प्रयास किए जाने चाहिए। परियोजना के अलग अलग चरणों में धूल एवं परिवहन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। उपरी पंचायतों व क्षेत्रों में भी यह धूल पर्यावरण व कृषि को नुकसान कर सकती है इसके लिए परियोजना के प्रारम्भिक चरणें में ही इसके समाधान हेत आवश्यक कदम परियोजना सतर पर लिए जाने चाहिए।

जन सुनवाई
लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज–1 (210 मेगावाट)।
स्थान : निरथ
तिथि : 02.07.2018

नाम	गांव	मोबाईल
नन्द लाल जी,	विधायक, रामपुर क्षेत्र	9418029977

- भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से किया जाए ताकि परियोजना जल्दी प्रारम्भ की जा सके।
- लोगों ने जमीन खाली रखी है जिसके कारण वितिय नुकसान हो रहा है।
- परियोजना का नाम बदल कर सूर्यनारायण हाईड्रो प्रोजैक्ट रखा जाए।
- परियोजना द्वारा अनुबन्ध किया जाए कि परियोजना में किस तरह की नौकरी दी जाए। जो लोग शैक्षणिक योग्यता रखते है उन्हें रोज़गार लाडा का पैसा इसी क्षेत्र के लिए रखा जाए। इसे अन्य किसी क्षेत्र में खर्च न करें।
- डपिगं यार्ड निरथ से दूर है यहां गांव में झील व पावर हाउस के लिए जमीन दी गई है अतः हास्पिटल स्कूल आदि के लिए जमीन इसी गांव से ली जाए। इस तरह का प्रोविजन रखा जाए। ताकि सोशल एक्टिविटी परियोजना के माध्यम से की जा सके।
- परियोजना के अन्तर्गत क्यार वाली जमीन अधिग्रहित की जा रही है जबकि उपर का क्षेत्र पानी की कमी के कारण सुखा पड़ा है अतः ऊठाउ पेय जल योजना से निरथ गांव को जोड़ा जाए।
- चूंकि इस पंचायत में भविष्य में ऑफिस आदि खोले जाएंगे इसलिए निरथ को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाए।
- मुआवजे के लिए अन्य राज्यों में चार गुना का रेट देने का प्रावधान है इसे इस राज्य में भी लागू करवाया जाए।
- किनौर में कई प्रौजैक्ट कार्य कर रहे हैं जिसका सबक लेते हुए इस क्षेत्र में प्रशासन वि"ोष ध्यान रखे और भूमि मालिकों को मुआवजों में उचित प्रावधान रखें।
- ग्राम पंचायत निरथ में इन्जिनियरिंग कॉलेज एवं केन्द्रिय विद्यालय खोला जाए। निरथ के आस पास के गांव भी परियोजना के कारण प्रभावित हो सकते हैं इसके लिए भी सीएसआर में उचित प्रावधान रखा जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
प्रेम चौहान	उप प्रधान, निरथ	9816504193

- लूहरी परियोजना चरण–1 पिछले 10–12 वर्षों से प्रस्तावित है इसके लिए प्रकिया धारा 4 जो कि 07 अगस्त 2010 तथा 03 जून 2011 की अधिसूचना के तहत लाई गई थी। इस अवधि से लेकर आज तक निजी भूमि मालिकों को अपनी सिंचचित कृषि भूमि से वंछित रखा गया है या रहना पड़ा है जिसकी भरपाई परियोजना प्रबन्धन व सरकार द्वारा की जाए। अतः परियोजना में विश्वास बना रहे इसलिए परियोजना को समय रहते पूरा किया जाए और भू स्वामियों को उचित लाभ मिल सके।
- परियोजना का नाम निरथ गांव में स्थित सूर्य नारायण मन्दिर के नाम पर रखते हुए पूरा नाम ''सूर्यनारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना'' के नाम से रख जाए। ताकि विश्व के मानचित्र पर यह गांव स्थापित हो सके।

- डपिंग साईट को इसी गांव में लाया जाए ताकि भविष्य में सभी विकासात्मक कार्य जैसे आवसीय कॉलोनी, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, कार्यालय, पार्क, खेल मैदान जैसी आधाभूत सुविधाए उपलब्ध हो सके।
- उठाऊ सिंचाई योजना एवं स्वच्छ पेय जल योजना की वि"ोष आवश्यकताएं इस भूमि पर पैत्रिक समय से लोग अपना जीवन निर्वाह कृषि के माध्यम से करते हैं। चुंकि कृषि वर्षा पर निर्भर करती है इस हेतु उपलब्ध भूमि के लिए उठाउ सिंचाई योजना बनाई जाए ताकि पंचायत के सभी गांव के किसान अपनी भूमि को उपजाउ बनाकर आत्म निर्भर हो सके।
- परियोजना के कारण निरथ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा अतः इसे माडल विलेज बनाने के लिए मांग की गई है एवं सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।
- अधिग्रहित की जा रही भूमि एनएच–5 पर स्थित है इस भूमि पर अनाज फसलों के अलावा बादाम, पलम, आम ,लिची, अनार आदि उगाया जाता है। इस भूमि की महता देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप किया जाए। एवं सरकल रेट श्रेणी 1 से निर्धारित किया जाए। यह दर सभी क्षेत्रों में एक तरह से हो।
- स्थाई रोजगार पुर्नस्थापन और पुर्नवास योजना बनाई जाए। इसके अर्न्तगत प्रभावित भूमिमालिकों के परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थाई रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोज़गार में 70 प्रतिशत तक की प्राथमिकता दी जाए।
- परियोजना प्रभावित परिवारों एवं प्रमाणित पंचायत क्षेत्र के युवाओं को ठेकेदारी छोटे बड़े वाहन मशीनरी के कार्य पर लगाने में उचित रियायतें देकर आंकलित किया जाए। साथ ही विभिन्न पदो ंके साक्षातकार में भी इन्हें वि"ोष छूट दी जाए।
- उच्च "िाक्षा / तकनीकी "िाक्षा ग्रहण कर रहे युवा युवतियों को छात्रवृति दी जाए।
- निरथ गांव में स्थित अति प्राचीन व एतिहासिक सूर्यनारायण मन्दिर स्थापित है जिसके संरक्षण व जिर्णोद्धार परियोजना के माध्यम से की जाए।
- पर्यटन व इको टूरिज्म को क्षेत्र में विकसित किया जाए ताकि बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सके।
- पोलिटेक्निक इन्जिनियरिंग शैक्षणिक संसथान एंव स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जाए एक केन्द्रिय उच्च विद्यायल/ डीएवी स्कूल, एक उच्च तकनीकी हस्पताल एवं एक पालिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया जाए।
- परियोजना प्रभावित पंचायतों में मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- कैटप्लान के तहत अलग से जो धन का प्रावधान रखा गया है उस धन को इसी क्षेत्र में खर्च किया जाए जिसके माध्यम से खाली वन भूमि पर वर्क्षारोपण, भूमि कटाव रोकने, जल सरंक्षण व पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यो में स्थानीय जनता की भागीदारी से किया जाए।
- परियोजना क्षेत्र में आने वाले शमशान घाट पानी में डूब जांएगे इसके लिए धूंआ रहित शमशान घाटों का प्रावधान भी किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो।
- एंटाईटेलमेंट मैटिक्स में दिए गए विभिन्न प्रावधानों को बढ़ाया जाए मवेशी शैड या छोटी दुकानों को प्रतिस्थापित करने के लिए ₹25,000/– से बढ़ाकर ₹1,00,000/–, की राशि, निजी संरचनाओं से स्थान्तरण के लिए ₹50,000/– से बढ़ाकर ₹5,00,000/–, जीवन निर्वाह सबसिडी के अन्तर्गत ₹36,000/– से बढ़ाकर ₹ 1,00,000/–, विस्थापित परिवार के लिए पुर्नवास भता ₹ 50,000/– से बढ़ाकर ₹ 2,50,000 किया जाए।
- सीएसआर और लाडा की राशि को परियोजना प्रभावित पंचायतों में ही खर्च की जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
सतपाल जी, उप प्रधान देलठ	चूंजा	9418071836

- देलठ पंचायत का गांव चुंजा के लोगों की जमीन परियोजना में अधिग्रहित की जा रही जमीन से केवल 100 मीटर की दूरी पर है जो कि राजस्व क्षेत्र व चक निरथ पटवार वृत में आता है। चूंजा गांव के लोगों की पैत्रिक जमीने नरोला में लग रही है जो कि पटवार वृत निरथ में है लेकिन चुंजा गांव को परियोजना प्रभावित पंचायत में शामिल नहीं किया गया है। अतः इसे परियोजना प्रभावित गांव में शामिल किया जाए। पंचायत देलठ के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए क्योंकि निरथ बांध स्थल से यह क्षेत्र की भूमि एक किलोमीटर के दायरे में आती है। अगर ग्राम पंचायत को परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में नहीं लिया जाता तो पंचायत क्षेत्र के लोगों की कोई भी भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं दी जाएगी और इसका विरोध किया जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
डोला राम भगत,	नरोला	9736082930

- चूंजा गांव को भी प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
रवि मोहन	निरथ	8626930301

- डैम बनाने के बाद जो मरे हुए पशु बह कर आएंगे वहीं पर सड़ेगें जिसके कारण मिथेन गैस निकलेगी भविष्य में यह गैस क्षेत्र के तापमान को प्रभवित कर सकती है।
- उक्त परियोजना के कारण क्षेत्र में आद्रता बढ़ेगी जो विभिन्न प्रकार की बिमारियों के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाती है। इसके लिए परियोजना द्वारा यथोचित प्रयास किए जाएं और उचित प्लान तैयार किया जाए।
- बांध के कारण सील्ट जमा होती रहेगी जिसका उचित निराकरण का प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए।
- भविष्य में परियोजना के निर्माण के दौरान क्रैशर चलाए जाएंगे जिससे क्षेत्र में धूल उड़ेगी इसके लिए उपरी क्षेत्रों के लिए भी परियोजना द्वारा प्रावधान रखा जाए।
- वर्षारोपण पर भी वि"ाष ध्यान दिया जाए ताकि पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सके साथ ही लगाए गए पौधों की देखभाल वृक्ष बनने तक की जाए यह परियोजना द्वारा सुनि"चत किया जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
बृज लाल	दतनगर	9877260496

- झाकड़ी में 1500 मैगावाट का प्रोजैक्ट तैयार है व बिजली बेची जा रही है। और कोई भी बताया गया बादा पूरा नहीं किया गया है।
- निरथ में डैम बन रहा है जिससे निरथ सबसे ज्यादा प्रभावित है।
- थैली चक्टी गांव के लोग भी प्रभावित है अतः उन्हें की प्रभावित लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाए।
- रामपुर जल विद्युत परियोजना 412 मैगावाट में भी लोगों को पुरा मुआवजा नहीं दिया गया है अतः इस पर वि"ाष ध्यान दिया जाए।

- क्षेत्र के लोग परियोजना के खिलाफ नहीं है परन्तु एसडीएम महोदय एवं परियोजना अधिकारी जनता की मांगों को पूरा कराएं।

नाम	गांव	मोबाईल
लाल चन्द शर्मा	निरथ	9418475393

- गांव में सूखा कचरा एवं गीला कचरा के निस्थारण के लिए एसजेवीएन द्वारा कूड़ादान उबलब्ध करवाए गए है उसके लिए हम आभारी हैं परन्तु यह कूड़ादान वर्तमान में पूर्णतया भर चुके हैं जिसके लिए एसजेवीएन द्वारा कोई उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

एसडीएम महोदय रामपुर का सम्बोधन

1. आने वाली समस्याओं कठिनाईयों का आंकलन किया जाए जिसे रिर्पाट में भी सम्मिलित किया जाए और सरकार को भेजा जाए। सभी परेशानियों, कठिनाईयों एवं समस्याओं पर सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
2. आई गई सभी मांगों को रिकोमैंडेशन के साथ सरकार को भेजा जाएगा।

जन सुनवाई
लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण–1 (210 मैगावाट)
ग्राम पंचायत दत्तनगर
दिनांक 02.07.2018

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर
वीना नेगी, प्रधान	दत्तनगर	9816924180

- ग्राम पंचायत दतनगर के लाडा के तहत मिलने वाली राशि 3 करोड़ रुपये हमें अभी तक नही मिली। जब हमने डी.सी. शिमला से यह जानकारी ली तो पता चला वह पैसे किसी और जगह खर्च कर दिए गय हैं तो हमारी मांग है कि हमें लाडा की तहत दी जाने वाली राशि दी जाए।
- स्वच्छता हेतु 2–3 कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए ताकि कूड़े को सही जगह पर एकत्र कर डिस्पोज किया जाए।
- दतनगर में डम्पिग साईट की जो भी धूल आएगी हम चाहते हैं इसके लिए स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए।
- दतनगर को मॉडल टाउन बनाया जाए।
- ग्राम भद्राश को अभी तक स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हुई । हमारी मांग है कि उन्हे स्वच्छ पेयजल के लिए उपाय किए जाए।
- भद्राश में सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि का मुआवजा फ्लेट रेट व 4 गुणा की दर से प्रदान की जाए।
- शमशान व कब्रिस्तान स्थल परियोजना निर्माण हेतु अधिग्रहण की जा रही है। अतः उक्त के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए।
- स्विरेज व आधारभूत सुविधा, युवक मण्डल हेतु खेल मैदान, एन एच पर आवारा पशु है जिस पर परियोजना ने कोई कार्य नही किया। अतः इसे एएफसी की रिपोर्ट पर दर्ज किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर
ओम प्रकाश सरकैक	दतनगर	8219303689

- जिन भू–स्वामियों की भूमि अर्जित की जा रही है आज तक उन्हें बुलाकर उनके विचारों को नही लिया गया । हम चाहते हैं कि जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है उन्ही से बात की जाए ताकि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न हो।
- भूमि की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए।
- भू–अधिनियम 2013 को ध्यानपूर्वक लागू किया जाए तथा भूमि का मुआवजा 4 गुणा दिया जाए।
- बीपीएल परिवारों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है अतः इस पर भी परियोजना प्रबन्धन ध्यान दें।
- जो कमेटी बनी है उसमें कोई भी दतनगर का नागरिक नहीं है अतः इसमें भूमिहीन को भी शामिल किया जाए। भूअर्जन अधिनियम को सही प्रकार से लागू करवाया जाए।
- हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती है तो परियोजना का विरोध (Boycott) करेंगे।
- परियोजना की तरफ से हमें बुलाकर कमेटी बनाई जाए ताकि बाहरी लोग राजनीतिक लाभ न ले सकें।
- ग्राम भद्राश को पानी नही मिलता इन्हे स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर

मोहन सिंह ठाकुर	दतनगर	8628842551

- जिन भाईयों की निजी भूमि लग रही है बाजार रेट से 4 गुणा मुआवजा दिया जाए। राज्य में बनाए जा रहे फोर लेन प्रोजेक्ट में 04 गुणा मुआवजा दिया जा रहा है।
- जिनकी भूमि इस परियोजना में लग रही है उन्हे नौकरी दी जाए।
- लोकल लोगों को परियोजना में 70 प्रतिषत रोजगार दिया जाए।
- 85 प्रतिषत लोग कृषि पर आधारित है उन लोगो में से जिनकी 100 प्रतिषत भूमि अधिग्रिहित होगी उनके लिए परियोजना द्वारा पुर्नस्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बायल में जो अस्पताल है सुबह 10:00 बजे खुलकर शाम को 05:00 बजे बन्द हो जाता है और वहां कोई भी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त नही हो रही है। अतः अस्पताल 24X7 सुविधा प्रदान करें साथ ही सर्जरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दवा रोग विशेषज्ञ उपलब्ध करवाया जाए।
- नित्थर से लेकर दतनगर तक 06 कि.मी. लम्बी नहर होगी। अतः वहां वाटर बोट और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए ताकि यहां के युवाओं को रोजगार मिल सके।
- एसजेवीएन के माध्यम से क्षेत्र में बागवानी विकास के लिए विषेष तकनीकी प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए।
- लूहरी जल विद्युत परियोजना का नाम लूहरी जल विद्युत परियोजना न होकर निरथ डैम रखा जाए।
- 10 साल से इस परियोजना की बातें चल रही है जिसके कारण क्षेत्र के कृषकों ने खेती करना छोड दिया हैं। आज जब यह परियोजना फिर से लगने जा रही है अतः इन 10 सालों में कृषि के क्षेत्र में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
- सभी तरह के प्रदूषण पर अंकुष लगाने का उचित व्यवस्था की जाए।
- कैट प्लान के तहत जो पैसे वन विभाग को दी जाती है उसका सदुपयोग नही हो पाता। हम चाहते है कि एसजेवीएन स्वयं कैट परियेाजना के तहत काम करें और पेड लगाएं और पेडों की अच्छी तरिके से देखभाल करें।
- इस क्षेत्र के लिए डीएवी कालेज का प्रावधान किया जाए जिसमें सभी विषयों पर अध्ययन करवाया जाए जिससे बच्चों का बाहर जाना कम किया जा सकेगा।
- प्रभावित परिवारों का 100 यूनिट बिजली 10 सालों के लिए दी जानी चाहिए।
- दतनगर ग्राम में आवारा पशुओं के लिए एक गौषाला खोली गई है जिसकी लागत लाखों रुपये आई है। इसी तरह इस क्षेत्र में 1000 गायों के लिए गौषाला का निर्माध किया जाए।
- परियोजना के माध्यम से जमीन अधिग्रहण के बाद भूमि विस्थापितों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इतनी बडी राशि के विवके पूर्ण प्रबन्धन के वितीय प्रबन्धन पर जागरुकता शिविर का प्रबन्धन किया जाए ताकि लोग परियोजना से मिलने वाले राषि का दुर–उपयोग न कर सके।
- फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। दतनगर में वर्ष 2011 से 2015 तक फसलों का भुगतान नहीं दिया गया। अतः प्रबन्धन विशेष ध्यान देकर शीघ्र भुगतान करवाये।
- बाहरी मजदूरों के आने से अपराध बढने के अवसर होगें इसलिए अपराध राकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
- दतात्रेय मन्दिर की जिर्णोद्वार के लिए उचित राषि प्रदान की जाए।
- ग्राम पंचायत दतनगर के लाडा के तहत मिलने वाली राशि 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर

पवन शर्मा	दतनगर	9418088784

- अधिग्रहण के पश्चात शेष बची भूमि पर पेड़ लगवाएं जाएं ताकि अच्छी बारिश हो।
- अच्छा अस्पताल खोला जाए और सस्ती दवाएं प्रदान की जाए।

एसडीएम महोदय का सम्बोधनः—

जैसा कि मुझे इस जन सुनवाई के बाद लग रहा है कि नुकसान व फायदों का आप लोगों को ज्ञान है और आप पुराने परियोजनाओं का प्रभाव जानते हैं। इस जन सुनवाई के माध्यम से आपकी सभी प्रस्तावों, समस्याओं व मांगों को सरकार को भेजा जाएगा। सरकार कुछ मांगों को मानती है कुछ को नही। सरकार गहन विचार—विमर्ष के पश्चात ही फैसला लेगी। मैं उन समस्याओं को संज्ञान में लेकर सरकार को प्रेषित करुंगा। वितीय लेने—देन पर सेमीनार हेतु षिविर के लिए मैं प्रस्ताव जल्द भेज दूंगा। भू—अर्जन अधिनियम के अनुसार कोई भी कमी नहीं रहने देंगें तथा आपकी मांगों को सरकार को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा।

सेवा में

माननीय उपमण्डल अधिकारी महोदय (नागरिक)

आनी जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)।

विषय :—गांव शनाह फाटी नित्थर जिला कुल्लू में SJVNL लूहरी जल विधुत परियोजना स्टेज प्रथम हेतु अर्जित भूमि के अलावा शेष वची भूमि के अर्जन बारे प्रार्थना पत्र।

मान्यवर जी,

सविनय निवेदन यह है कि सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड द्वारा लूहरी जल विधुत परियोजना स्टेज प्रथम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परन्तु प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजना से हम समस्त जनता काफी खुश है जिसका कार्य शुरू होने से इस क्षेत्र का समुचित विकास होने के साथ —साथ वेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध होगा। परन्तु खेद का विषय है कि सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड द्वारा लूहरी जल विधुत परियोजना के लिये गांव शनाह फाटी नित्थर में लगभग 210 बीधा भूमि अर्जित की है परन्तु अर्जन के अलावा 25 वीधा भूमि शेष बचती है जो कि लगभग सभी ग्रामवासियों के हिस्से में एक, व दो विस्वों में पडती है जिसमें कृषि करना नामुमकिन है। परन्तु अधिग्रहण से बची भूमि अर्जन के संर्दभ में कई मर्तवा प्रवन्धक निदेशक सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड शिमला,प्रवन्धक निदेशक सतलुज निगम लिमिटेड,तथा जिलाधीश महोदय कुल्लू को अवगत करवा चुके है। इसके अलावा दिनांक 30/08/2017 को सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड द्वारा लूहरी जल विधुत परियोजना निर्माण से सम्बन्धित जन सुनवाई में भूमि मालिकों ने शेष बची भूमि के अर्जन के बारे में निगम व प्रशासन के समुख भी मांग रखी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है जबकि प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजना की दूसरी जन सुनवाई दिनांक 30/06/2018 को निश्चित हो चुकी है।

- अतः हम समस्त ग्राम वासी शनाह फाटी नित्थर माननीय उप मण्डल अधिकारी महोदय (नागरिक) आनी से विनम्र निवेदन करते है कि उक्त प्रस्तावित परियोजना हेतु अर्जन से बची शेष 25 वीधा भूमि को भी लूहरी जल विधुत परियोजना हेतु अधिग्रहण के आदेश निगम को जारी करने की कृपा करें जी ताकि भूमि मालिकों को परेशानी का सामना न करना पडे। हम आपके आभरी रहेंगें।

धन्यवाद।

भवदीय,

समस्त ग्रामवासी शनाह

फाटी नित्थर जिला कुल्लू (हि०प्र०)

दलीप ठाकुर गाँव
चारोली डा० घर
नित्थर जिला कुल्लू
हि० प्र० 172033
M. No. 9805421950

प्रतिलिपि सेवा में प्रवन्धक महोदय सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड लूहरी को सूचनार्थ प्रेषित है।

F-18

To

The S.D.M.,
Anni,Distt. Kullu,
Himachal Pradesh

Sub: **Issues/demands to be included in Social Impact Assessment Study and Social Impact Management Plan for Land Acquisition for Luhri Hydro-Electric Project Stage –I, SJVNL in Shimla and Kullu Districts of Himachal Pradesh.**

1. **Market Rate of Land:** Chapter four of the SIA report is not clear and the estimation of the land to be acquired is not as per expectation of the land loosers. Following points should be kept in consideration while formulating the market rate of land: -

i. Flat rate of total land to be acquired for Luhri Hydro Electric Project, Stage-I should be provided for the land to be acquired for various components of the project.

ii. Irrespective of type of land, class, land use, distance from road, type of road, revenue village and District; maximum compensation among all the land to be acquired should be provided to all the land owners as all the acquisition is being done for the same purpose and a hydro power project is a profit generating industry so maximum market value of land should be provided. *As It is by now settled preposition of law that if land is acquired for a particular purpose, such as, construction of buildings etc the very classification of the acquired land, loses its very significance.* It being so, the market value of the acquired land is required to be assessed at a flat rate.

iii. Sale deeds and circle rates of last ten years of every revenue villageof which land is proposed to be acquired should be taken into account to calculate the market value of the land to be acquired for the Project in various revenue villages.Market value of the land as per the registered sale deeds in the revenue village in which land is acquired or in the vicinity should be considered as the market rate of the land.

iv. Last decision of the committee for finalising the market rate of land to be acquired for the Luhri Hydro Electric Project (Single Stage) headed by S.D.M (Anni) in 2011-12 should also be taken into consideration.

v. Left out land after proposed land acquisition for the Project in Village Shanah, Gram Panchayat Dehra, Sub Tehsil Neether, of District Kullu, Himachal Pradesh should be also acquired by the Government as the left out land in this village will be of no use due to very less quantum of land per

F-19

land owner and it will be difficult to manage by the land owners as most of the land is going to be acquired for the Project.

2. **Rehabilitation &Resettlement Plan:** A comprehensive Rehabilitation & Resettlement Plan**(R&R Plan)** should be formulated and before proceeding into the land acquisition process and should be implemented within six months of acquisition of land. All the benefits and compensation in the R&R plan should be comparatively more than that of R&R Plan Rampur Hydro Electric Project of SJVNL and any other project of any PSU or private hydro power developer. Stakeholders friendly detailed Relief and rehabilitation Plan incorporating best part of R&R plans of NTPC, NHPC, UJVNL and HPPCL should be prepared and implemented within stipulated period. The R&R plan for LHEP Stage-I should provide more benefits than as mentioned in the The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Its complete implementation period is nowhere mentioned in the SIA report

3. **House looser:** due to land acquisition for the project many households are also to be acquired and all of them should be well compensated i.e. comparatively more than that provided to the house loosers due to Rampur Hydro Electric project by the court decision or otherwise as per the R&R Plan. Every House looser should be provided with a build-up house or Minimum one time grant of Rs.10Lakhs.

4. **Unregistered possession in Government land:** A large area of Government land is proposed to be acquired for the Project which is in possession of many people. So the compensation/benefits of acquisition of such land should also be given to the tenants who are having possession on that land.

5. **Loss of common Property and Public Utilities**: Following properties and public utilities are going to be damaged permanently by the project which needs to be compensated or reallocated before construction of the Project:

A. Bridges/Rope ways: Bridge at Nirath and path from Nirath to Anas will be disrupted and submerged permanently due to the project. Therefore, alternate to this bridge an another bridge with road connecting Nirath to Anas should be constructed well before damaging the existing road and bridges. Also few rope ways across river Satluj one in Village Shanah and another in Village Stewen Sub tehsil Neether are going to be submerged in the reserviour of the Project. So they

F-20

should be compensated by alternate mode of transportation i.e. either new rope ways at the same locations or new bridges should be developed in the above mentioned locations.

B. **Natural water resources:**Various natural water resources that will be submerged in the proposed reservoir of the Project.

C. **Public Paths:**

i) Village Anas to Bridge at Nirath

ii) Village Neether to Bridge at Nirath

iii) Village Anas to Crematoria at Village Shnah.

D. **Crematoria:** The age old crematorium along river Satluj at Village Shanah, Anas, Gram Panchayat Dehra, Sub Tehsil Neether, Distt. Kullu will be submerged in reservoir of the project. Naturally wood for cremation is always available at this location as wood with river water comes and gets collected here. Therefore, to compensate it Electric Crematorium/SMOKE FREE CREMATORIUM FURNACE should be established for the people of Gram panchayat Neether and Dehra before it gets submerged. Also free wood should be provided at this crematorium.

6. **Forest Right Act 2006/ Encroachers Rights:** Definition of encroachers is not clear in the draft SIA report of the Project and also rights of encroachers should be defined according to Forest Right Act 2006 and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Forests Rights of affected area of the project is not clear and no where mentioned in the SIA Report.

7. **Consent Form:** Consent form have been filled during the survey of the SIA for the acquisition of land for LHEP, Stage-I. Those forms should be returned to the concerned people in original.

8. **Definition of holding of land:** As mentioned in The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 the definition of the land holding should be included in the report and the same should be implement while acquisition of land.

9. **Permanent Employment:**

a. Permanent Employment especially in the field of Environment, P&A, Relief & Rehabilitation should be provided in SJVNL to the Land/House Losers due to the Project. As qualified educated local person have best knowledge of the area and is familiar with the local area, biodiversity, environment, customs, culture and dialects which results in easy rapport development with the project affected people. If employment is opted by land looser than should be provided employment within six months of acquisition.

b. Also relaxation in age, qualification and mode of education should also be provided while providing Permanent Employment in SJVNL to the Land/House Losers due to the Project. Various other organizations in Hydro Power Sector in India including UJVNL **(Annexure-II)**, NTPC**(Annexure-III)**,HPPCL **(Annexure-IV)**, SJVNL**(Annexure-V)**and NHPC **(Annexure-VI)** has given direct employment to the land losers due to their respective projects. So SJVNL should also ensure permanent employment to land losers and house losers due to Luhri Hydro Electric Project Stage-I.

10. **Detail of Land holders and house holders:** Incomplete/incorrect detail of land and house loosers due to the proposed project is provided which should be corrected.

11. No Committees should be framed for implementing welfare and Rehabilitation & Resettlement Schemes. As such committees may lead into dispute among affected people and project authority and administration should implement all such policies as per Act and policies framed for the Project.

Thakur 30/06/2018

VIVEK THAKUR,
M.Sc. (Environment and Ecology)
VILAGE ANAS, GRAM PANCHAYAT DEHRA,
SUB TEHSIL NEETHER, P.O. NEETHER,DISTT.
KULLU, H.P. (172033)
vivek.thakur2007@gmail.com;+919459479109.

Copy to:

1. The H.O.P., Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, H.P.

(Annexure-II)

यूजेवीएन लिमिटेड

UJVNL
मुख्यालय : "उज्जवल" महारानी बाग, जीएमएस रोड, देहरादून-248006
दूरभाष सं. : 0135-2763808 फैक्स : 0135-2763508
सी०आई०एन० सं. : U40101UR2001SGC025866 वेबसाइट : www.ujvnl.com

विज्ञापन संख्या, RECTT/01/2016

लखवाड़–व्यासी परियोजना के भूमि प्रभावित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती का विज्ञापन

[illegible] –व्यासी परियोजना के भूमि प्रभावित श्रेणी के चिन्हित निम्न पदों हेतु केवल [illegible] परियोजनाओं के भूमि प्रभावित परिवार के अर्ह सदस्यों से आवेदन पत्र आमंत्रित [illegible] जाते हैं–

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	शाखा	चिन्हित पदों की सं०
01	[illegible] (प्रशिक्षु) [illegible]	वेतन बैण्ड–2, रु. 9300–34800, ग्रेड वेतन रु० 4600	विद्युत यांत्रिक इलैक्ट्रोनिक्स	23*
02	[illegible] (प्रशिक्षु) ([illegible])	वेतन बैण्ड–2, रु. 9300–34800, ग्रेड वेतन रु० 4600	जानपद	56*
03	[illegible] सहायक– [illegible]	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	–	01
04	[illegible] सहायक– [illegible]	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	–	01
05	[illegible] ग्रेड–III	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	–	04
06	[illegible] ग्रेड–II (विद्युत)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	विद्युत	04
07	[illegible] ग्रेड–II (यांत्रिक)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	यांत्रिक	04
08	[illegible] (यांत्रिक)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	यांत्रिक	02
09	[illegible] (सिविल)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू० 2600	सिविल	02

नोट:– [illegible] यूजेवीएन लिमिटेड के पूर्व विज्ञापन संख्या 01/Rectt/2015–16 दिनांक [illegible] 25.06.2015 के सापेक्ष दिनांक 24.01.2016 को आयोजित लिखित परीक्षा [illegible] आधार पर उपरोक्त परियोजना के भूमि प्रभावित अभ्यर्थियों से चयनोपरान्त चिन्हित पदों को कम कर दिया जायेगा।

2. [illegible] पदों पर नियुक्तियां परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार चरणबद्ध क्रम में की [illegible]।

3. [illegible] सिर्फ संक्षिप्त है तथा विस्तृत विज्ञापन यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाइट www.ujvnl.com पर HR-Recruitment शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें:– इच्छुक अर्ह उम्मीदवारों से अनुरोध है कि यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाइट www.ujvnl.com के HR-Recruitment शीर्षक के अन्तर्गत आवेदन पत्र का डाउनलोड कर, निर्धारित शुल्क जमा करवाकर, स्वप्रमाणित आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, लखवाड़–व्यासी परियोजना के भूमि प्रभावित [illegible] प्रमाण–पत्र, जाति/उपजाति सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र एवं सम्बन्धित अन्य कोई प्रमाण–पत्र बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट [illegible] डाक से निम्न पते पर बिलम्बतम दिनांक 30.06.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें। लिफाफे के शीर्ष भाग में आवेदित पदनाम अंकित करना आवश्यक है। देर से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

महाप्रबन्धक (जानपद), यूजेवीएन लिमिटेड,
लखवाड़ भवन, डाकपत्थर, देहरादून।

पत्रांक सं. 376 / म.प्र.(प्र.नि.का.) / विज्ञापन
दिनांक 06.06.2016

महाप्रबन्धक
(का० एवं औ०सं०)

"बिजली के बरबादी पूर्ण उपयोग से बचें"

एनटीपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

एनटीपीसी कोलडैम परियोजना के भूविस्थापितों से

अभियंता (डिप्लोमा [illegible])

[illegible] के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

[illegible] (एण्ड आई)

[illegible] 07 [illegible]-01 सी एण्ड

[illegible] परियोजना के

[illegible] हेतु आरक्षण

[illegible] तिथि को 35 वर्ष

[illegible] 05 [illegible] को 03 वर्ष तथा

[illegible] इलेक्ट्रॉनिक्स एवं

[illegible] इंजीनियरिंग डिप्लोमा/

[illegible] अ.ज.जा. के

[illegible] संबंधित ।

[illegible] पर इन डिप्लोमा

[illegible] (सिविल/मैकेनिकल/

[illegible] 6700 - 3% - 11750 (वेतनमान

[illegible] किया जायेगा [illegible]

[illegible] पर रहेंगे [illegible]

[illegible] अभ्यर्थियों को

[illegible] अवधि हेतु निगम की

[illegible] देना होगा ।

[illegible] अ.ज.जा. अ.पि.

[illegible]

2. अभ्यर्थी को दिए गए आवेदन पत्र के अनुसार विवरण सहित भूमि अधिग्रहण कार्यालय द्वारा जारी किया गया भूविस्थापित प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करना होगा ।
3. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. से संबंधित अभ्यर्थियों को उचित प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति अवश्य जमा करनी होगी ।
4. कम्पनी के पास आवश्यकता के आधार पर कोई और सूचना दिए बिना नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने/प्रतिबंधित करने/काट-छांट करने का अधिकार सुरक्षित है ।
5. ऐसे आवेदन जो दिए गए प्रारूप के अनुसार नहीं होंगे अथवा जो अपूर्ण/अस्पष्ट/अहस्ताक्षरित अथवा जिनके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा ।
6. आवश्यकता के आधार पर एनटीपीसी की किसी भी इकाई/परियोजना में नियुक्ति की जा सकती है । पद स्थानांतरणीय है ।
7. डाक में देरी होने अथवा रास्ते में खो जाने के लिए एनटीपीसी उत्तरदायी नहीं होगी ।

आवेदन कैसे करें

पात्र अभ्यर्थी को जन्म तिथि, श्रेणी अर्थात अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. आदि (यदि लागू हो), योग्यता (दसवीं कक्षा से आगे) भूविस्थापित (एलएसी का प्रमाण पत्र) के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपियां तथा पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो (02) फोटो सहित आवश्यक रूप से नीचे दिये गए प्रारूप के अनुसार आवेदन करना होगा । आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन (नीचे दिये गए प्रारूप के अनुसार विधिवत भरा हुआ) निम्नलिखित पते पर भेजें :

मुख्य प्रबन्धक (मानव संसाधन) कोलडैम हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पी.ओ. बरमाणा जिला: बिलासपुर (हि.प्र.) पिन - 174013

आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि है : 20.06.2009 । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

PLICATION FOR THE POST OF DIPLOMA TRAINEE (CIVIL/MECH/...)
(USE CAPITAL LETTERS)

1. ...st Applied For (please tick on appropriate) ...
2. ...ame
3. ...ther's/Husband's Name
4. ...ate of Birth

D D M M

5. ...ategory (indicate Category Name & Code)
...GEN, 2-SC, 3-ST, 4-OBC, 5-PH ... Category Name ... Category Code
...Physically Handicapped, Nature of disability & % age of disability to be mentioned)

...hether Land Oustee of NTPC/Koldam ...
...ouse ... YES ... NO (if Yes, give the details below)
...nder (M= Male, F= Female)
...us of ...

...manent Home Address

House No																	
Village																	
POST																	
Tehsil																	
District																	
State								P	I	N							

...ress for Communication

House No																	
Village																	
POST																	
Tehsil																	
District																	
State								P	I	N							

...cational Qualification. **Please mention both Academic and Technical/Professional Qualifications**
(...Sheet if required)

... Passed	Board/Univ./Instute	Subject/ Specialization	Duration	Division	% age
1.					
2.					

...d Oustee Details (Enclose copies)

...	Relationship with the Land Oustee	Area i.e. Vill/Mouza/Mohalla from which land acquired	Quantity of Land acquired (in Bighas)	Dag/Khatian/Khasra No.

...ployment Exchange **Registration Details, If any: (Enclose Copies)**

... Number	NCO Number	Date of Registration

...t Telephone No. with STD Code and email address Tel/Mob
e-mail

...LARATION
...y certify that the information provided above is true to the best of my knowledge and in case any information as above ...se incorrect or suppressed at any stage, I understand that I am liable to be terminated from the services of ... without prejudice to any other legal and disciplinary action as deemed fit by the Management. ... gone through the entire full text of the advertisement and agree to all the conditions given thereof.

...(...date details):

(Signature of the Candidate)

F-25

Himachal Pradesh Power Corporation Limited
(A State Government Undertaking)
Himfed Bhawan, Panjri, (Below Old MLA Quarters), Shimla-171005.
Phones: 0177-2633815 Fax No.: 0177-2633813

Advertisement No: HPPCL/Appt./2/13

HPPCL a power generation company of the State Government invites applications from eligible Indian citizens to fill up following posts at E-0 level on contract basis:

A. Name of post, Minimum Educational Qualification, Emoluments, No. of posts etc.:

Sr. No.	Name of Post/ Entry level	Minimum Essential Educational Qualification *	Emoluments per month	No. of posts	Reservation Details: Category	Reservation Details: Number
1.	Assistant Engineer (Civil/ Mechanical), E-0 level	Full time Degree in Civil/ Mechanical Engineering discipline/ M.Tech (Civil /Mechanical)/ PGD in Hydro Power Plant engineering from a recognised University / Institute of India with at-least 60% marks	Minimum of the pay band plus grade pay (16650 + 5800 Grade Pay) i.e. Rs. 22450	10	General/ Unreserved (UR)	01
					Ex-servicemen (UR)	07
					Distinguished sportsperson (UR)	01
					SC (PWD)	01
2.	Assistant Engineer (Electrical), E-0 level	Full Time B.E./B.Tech. (Electrical) and B.E./B.Tech. (Electrical and Electronics)/ M.Tech (Electrical)/PGD in Hydro Power Plant engineering from a recognized University / Institute of India with atleast 60% marks		07	Ex-servicemen (UR)	04
					SC	02
					ST	01
3.	Assistant Finance Officer, E-0 level	Full time CA/ICWA/M.Com/ MBA(Finance) with B.Com from a recognized University/ Institute with at least 55% marks		07	General/UR	03
					Ex-servicemen (UR)	02
					SC	01
					OBC	01
4.	Assistant Officer (Relief & Rehabilitation), E-0 level	Full time BE in Rural Engineering or Equivalent or M.Phil (Sociology/ Social Work) with at least 55% marks. Preference shall be given to the candidates having R&R experience in hydropower sector		02	General	02

F-26

- **Desirable qualification:** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for working in climate and topography of Himachal Pradesh.

- **Minimum Percentage:** The requirement of minimum percentage of marks in prescribed qualification will be 50% for SC/ST/Internal Candidates and 55% for other categories in respect of for Assistant Finance Officer and Assistant Officer (R&R). Similarly, for Assistant Engineer (Civil/Mechanical) and Assistant Engineer (Electrical), the minimum percentage of marks in prescribed qualification will be 55% SC/ST/Internal Candidates and 60% for other categories.

- Preference and relaxation in age may be given to deserving candidates who have completed Apprenticeship in HPPCL.

- **Preference shall be given to** PAFs etc. of HPPCL projects whose land has been acquired or its possession taken over as per the provisions in the R&R policy of HPPCL.

B. Age: Between 18 to 45 years as on 17th August, 2013 for receipt of applications with relaxation to reserved categories as per State Govt. rules. Relaxation in upper age limit shall be given to internal candidates as per approved policy. Relaxation of 5 years in upper age limit shall be given to candidates belonging to Project Affected Families etc.

C. Filling up of Application proforma and instruction related thereto: Interested candidates are requested to apply online. Before filling the online application form, candidates should read the following guidelines and instructions:

i. Candidates should have a valid e-mail ID.

ii. Before applying online, candidates are required to make the DD of requisite amount.

iii. Candidates should first scan their photograph and signature before applying online.

iv. Candidates can then log on to the Corporation website http://hppcl.gov.in

v. Candidates are required to register online. Please note the username and password for future reference.

vi. After registration new webpage shall open where candidates can click on the link 'Apply Online' alongwith other related links.

vii. Fill all the details in the application form alongwith DD no., date, Name of Issuing Bank etc., at the appropriate places.

viii. After filling all the details in online application form, click on 'Submit' button'.

ix. A unique application number will be generated by the system, please note the application number for future reference and use.

x. After successful submission of online application, take a print out of the online application form and send it alongwith the DD on or before the last date of receipt of applications as mentioned in the advertisement to the Director (Personnel), H.P. Power Corporation Limited, Himfed Bhawan, Panjri, (Below Old MLA Quarters), Tutikandi, Shimla-171005. While sending the application the candidate must superscibe on the top of the envelope "APPLICATION FOR THE POST OF (name of the post)". Self addressed envelope of size 12 cm X 27 cm duly affixed with Rs. 25/- / postage stamp be sent alongwith the application.

xi. Candidates should put their Name, Application Number, Mobile Number and signature on the reverse side of the DD.

F-2?

D. Closing date:

- For all applicants other than below mentioned areas, the last date of receipt of applications is on or before **31st July, 2013.**
- For the applicants of Main Project Affected Families/ Project Affected Families of HPPCL Projects, the last date of receipt of applications is on or before **5th August, 2013**
- **For the applicants** residing in Andaman & Nicobar Islands, Lakshdweep, Ladakah Division of J&K State, Sikkim, Assam, Tripura, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram Arunachal Pradesh, Bharmour & Pangi Sub Div. of Chamba Distt. , Dodrakwar Sub Division of Shimla Distt., Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts of Himachal Pradesh, the last date for receipt of applications is **17th August, 2013.**

  * **Applications received after the closing date shall not be entertained/ accepted.**

E. Application Fee: **Demand Draft of Rs. 500/- for General /OBC Creamy Layer Category and Rs. 100/- for Reserved Categories made in favour of Himachal Pradesh Power Corporation Limited payable at any scheduled bank at Shimla.** Candidate must write his/her name, application number, mobile number and sign on the reverse/ back side of the draft. Candidate must write Name, Application Number and Mobile Number and sign on the reverse.

F. **Other Terms and conditions:**

Onus of proving that candidate is qualified shall be on the candidate. In case no date of notification/declaration of final result is mentioned in any certificate, the date of issue of certificate shall be deemed, date of obtaining Educational Qualification. Incomplete, defectively filled up, old, unsigned and photocopied application forms will be rejected straightway and no subsequent correspondence will be entertained on this issue.

In service candidates may apply to the Corporation as an advance copy with the information to their Head of Departments/Employer for issuing No Objection Certificate at the time of interview.

Relaxation, Reservation and Concessions to SC/ST/OBC/PWD/Ex-servicemen shall be as per the rules issued by the State Government from time to time.

Category like General/ SC/ ST/ OBC etc. once claimed in the application form will not be substituted/ changed later on.

v. Number of post(s) is/ are tentative and may increase or decrease for different categories of posts.

vi. Fee in the shape of bank draft must be enclosed with the application proforma, failing which the application will be rejected. Separate application will have to be sent for each category of post(s).

vii. Candidates belonging to MPAF landless, MPAF houseless, MPAF, PAF or resident of PAA have to attach documentary proof of same duly signed by the concerned Deputy Commissioner or Head of the Project on the basis of quantum of land or property acquired by HPPCL.

viii. **Candidate from Main Project Affected Family/ Project Affected Family (as defined in R&R Plan of HPPCL available on HPPCL Website) where no one is employed (on regular or contract basis) in HPPCL or any government department or corporation or board or any other organization shall be given preference over a candidate from such a family whose any member is employed.**

From one project affected family only. one person will get offer after fulfilling requisite criteria.

The candidates belonging to reserved categories (except Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ward of Freedom Fighter) are required to give with their application, a self declaration in the format which is available in the application form in support of their claim for such a category. However, category certificates will be produced by them at the time of interview. Candidate(s) must possess SC/ST/OBC certificate(s) on parental basis of H.P.

The decision of the Corporation as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to interview or selection will be final and no correspondence / personal enquiries will be entertained. The Corporation will not be responsible for any delay in receipt of applications, due to any reasons whatsoever.

Candidates **shortlisted on the basis of their applications will be called for test/Interview. A admit card/ call letter shall be generated for the shortlisted candidates online alongwith the relevant instructions. This admit card/ call letter** is to be **produced at the time of the written test/ interview and also at the time of final selection/ appointment/ joining. Responsibility of safe-keeping of** the admit card **shall vest with the applicant only.**

No TA/DA will be paid to attend the test/interview and candidates have to make their own boarding /lodging arrangement for test/interview.

Candidates expecting their final results for qualifying degree may also apply subject to production of final result at the time of interview.

Depending upon number of applications for particular post/posts, HPPCL may hold screening or written test to be followed by personal interview.

If two candidates acquire equal marks during final selection then preference would be given in the following order:

i. MPAF PAF
ii. Has done Apprenticeship in HPPCL,
iii. Higher minimum essential qualification marks,
iv. Date of Birth, who so ever is older,
v. Experienced candidate will be preferred.

The recruitment process can be cancelled/ suspended/ postponed without assigning any specific reason.

xv. Candidate after selection will be posted anywhere in the State of H.P./ India where Corporation has its operational activities. A declaration to this effect is mandatory in the application form.

A select panel equal to the number of vacancy notified and based on performance of the candidate in test/interview will be drawn. The candidate on the select panel will be offered an appointment subject to medical fitness test/ verification of character /antecedents/ educational qualification etc. A reserve panel will also be drawn as per merit which will be operated, in case a candidate from select panel refuses appointment or is disqualified or if vacancies are to be essentially filled up within a year of drawing the panel.

After selection a contract agreement for employment on contract basis shall be executed by HPPCL with the selected candidates stamp paper.

The selected candidates will be taken as Executive Trainee on contract basis at E-0 Level and shall be on probation for one year and the services during the period of probation can terminated without assigning any reason. After one year at E-0 level, depending upon their rating of performance appraisal, they shall be considered for

E-1 level on contract basis on the same emoluments with annual increase @3% per annum at par with GoHP contract employee.

x[illegible]. Selected candidates can also be provided facility of bachelor/ leased accommodation subject to its availability in various Hydro Electric projects/ other offices of HPPCL but it cannot be claimed as a matter of right.

x[illegible]) The selected candidates on joining shall be governed by the HPPCL Service rules and CDA rules.

xx[illegible]. TA & DA will however be paid when on tour as per entitlement of equivalent post. HRA/ House Lease/ Medical Reimbursement/ Vehicle Allowance etc. will be paid as per company rules for equivalent post.

x[illegible]) Personnel's appointed in Kashang HEP except intake site of Kashang HEP and Shongtong-Karcham HEP shall be paid 30% and at intake site of Kashang HEP shall be paid 50% of the monthly salary extra as special project site allowance as per company rules on actual days spent in the project site.

For any inquiry candidates are advised to contact Recruitment Team at Phone No. 2633815 and e.mail dir_pers@hppcl.gov.in

-Sd/-

(Vinod Kumar Tiwari)
Director (Personnel)
Phone No. 0177-2633815 (O)

F-30

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक..........................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.......................... की अध्यक्षता में..................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक 01-07-2014

विषय :- (8) धार्मिक स्थल व सांस्कृतिक के संरक्षण बारे:-

यह कि ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत गाँव नीरथ में प्राचीन एवम् ऐतिहासिक सूर्यनारायण मन्दिर व दुर्गा माता मन्दिर स्थापित है जो कि प्राचीन काल से स्थित है। इन धार्मिक स्थलों में यहाँ की आम जनता की आस्था व धरोहर है इसलिए इस धार्मिक स्थल का संरक्षण व जीर्णोद्धार परियोजना के माध्यम से किया जाए। साथ ही साथ यहाँ के विभिन्न गाँवों में छोटे-छोटे अन्य मन्दिर भी हैं इनका भी संरक्षण किया जाए।

(9.) पर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित करने बारे:-

परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को पर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित किया जाए जैसे, जल क्रीड़ा, मत्स्य और बोटिंग गतिविधियों को बढ़ाया जाए तथा यहाँ के बेरोजगार युवाओं को इस बारे प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जाए

10. पोलिटेक्निक इन्जीनियरिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, व स्वास्थ्य सेवा बारे

परियोजना के माध्यम से यहाँ की प्रभावित (14) पंचायतों के क्षेत्र में केन्द्रीय बिन्दु मान कर एक पोलिटेक्निक इन्जीनियरिंग, एक केन्द्रीय उच्च विद्यालय या D.A.V स्कूल और एक उच्च तकनीकी अस्पताल होना अति आवश्यक है। तथा एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता को आपातकाल स्थिति में यहाँ की बिमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

(11.) मुफ्त बिजली दिलवाने बारे:-

परियोजना के माध्यम से प्रभावित पंचायत क्षेत्र की जनता को परियोजना के आरम्भ होते ही मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तथा आजीवन काल तक सुविधा दी जाए। क्योंकि परियोजना इसी क्षेत्र में बनाई जानी है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

एसजेवीएन अरुण-३
पावर डेभलपमेण्ट कम्पनी (प्रा.) लि.

SJVN Arun-3
Power Development Company (P.) Ltd.
(A company promoted by SJVN limited, joint venture of Govt. of India and Govt. of H.P.)

CAREER OPPORTUNITIES IN A GROWING ORGANISATION

Advt. No: 03 / 2017

SJVN Arun-3 Power Development Company Pvt Limited (SAPDC), a company promoted by SJVN Limited (A Venture of Government of INDIA) in Nepal is executing 900 MW Hydro Power Project along with associated Transmission Line on BOOT basis, intends to fill-up vacancies in various disciplines like CIVIL / ELECTRICAL / MECHANICAL / IT&C ENGINEERING; HUMAN RESOURCES; FINANCE & ACCOUNTS; PUBLIC RELATIONS; R&R; GEOLOGY at various levels both in Executive Cadre as well as in Supervisory Cadre (JE / JO) and Trainees (Executives & Supervisors).

Vacancies are to be filled up, purely on contract basis, for an initial period of 03 years which may further be extended at the discretion of SAPDC Management. Walk-in Interviews will be conducted, depending upon the response / number of applicants. However, in the event of higher number of applications against any post / vacancy, the recruitment process may include written test, Group Discussions, personal Interviews. Only Nepalese Citizens are eligible to apply for the abovementioned vacancies.

Intended applicants may appear for Walk-in Interviews as per the schedule indicated in the detailed advertisement. Only Nepalese Citizens with prescribed qualification and experience may appear for Walk-in Interview, offering their candidature against the vacancies at Executive or Supervisory Cadres (comprising of different levels, which shall depend upon Qualification, Experience, Age Limit, Skills, etc. Freshers may also appear for Walk-in Interviews to be considered as Executive Trainees / Supervisor (JE / JO) Trainees in the respective disciplines.

The following are the criterion in this regard:

A) Minimum Qualifications Required for EXECUTIVE CADRE:

Disciplines	Minimum Qualification Requirement
Civil / Mechanical / Electrical Engineering	Degree in respective Engineering discipline from a recognised University / Institute from with minimum 55% marks.
Information Technology & Communication	B.E. / B. Tech. (Computer Science / Computer Engg.) / MCA from a recognized University / Institute with minimum 55% marks
Geology	M.Sc. (Geology / Applied Geology/ Geophysics) with Engineering Geology as the main subject or M.Sc. in Engineering Geology from a recognized Institute with minimum 55% marks
Human Resources	Graduate with Two Years full time MBA / PG Diploma (with specialization in Personnel Management) from a recognized University / Institute will be the main qualification with minimum 55% marks
Finance & Accounts	CA / ICWA / Two Years full time MBA (Finance) will be the main qualification with minimum 55% marks
Resettlement & Rehabilitation	Graduate with Two Years full time Post Graduate Degree in Rural Management or Social Work from a recognized University / Institute with minimum 55% marks
Public Relations	Graduate with Two Years full time Post Graduate Diploma in Journalism or Public Relations or Mass Communications from recognized University / Institute with minimum 55% marks

B) Minimum Qualifications Required for SUPERVISORY (Junior Officer / Junior Engineer) CADRE:

Disciplines	Minimum Qualification Requirement
Civil / Mechanical / Electrical Engineering	Full time Diploma in respective Engineering discipline from a recognised University / Institute with minimum 55% marks
Information Technology & Communication	Full time Diploma / degree in IT / MCA or equivalent from a recognized University / Institute with minimum 55% marks
Geology	Full time M.Sc. (Geology / Applied Geology/ Geophysics) or M.Sc. in Engineering Geology from a recognized University/ Institute with minimum 55% marks
Human Resources	Graduate with one / Two Years full time Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management / Labour Welfare / Business Management / Office Management / Public Administration / BBA (HR) from a recognized University/Institute will be the main qualification with minimum 55% marks
Finance & Accounts	Inter CA / Inter ICWA (simple pass) or full time M. Com from a recognized University/Institute will be the main qualification with minimum 55% marks
Resettlement & Rehabilitation	Graduate with full time PG Degree in Rural Management or Social Work / MA (Sociology) will be the main qualification with minimum 55% marks
Public Relations	Graduate with Post Graduate Diploma in Journalism or Public Relations or Mass Communication of duration not less than 2 years from recognized University/institute with minimum 55% marks

C) Levels, Minimum Post Qualification Experience and Upper Age limit:

Level	Relevant Post Qualification Executive Experience (as on closing date of application)	Upper Age Limit (as on closing date of application)
Executive Engineer	15 Years	45 Years
	12 Years	45 Years
Assistant Executive Engineer / Assistant Manager	09 Years	35 Years
	06 Years	35 Years
	03 Years	30 Years
Junior Officer / Junior Engineer	15 Years	30 Years
	11 Years	45 Years
	07 Years	40 Years
	03 Years	35 Years
Executive Trainees	Fresher	30 Years
Supervisory Trainees	Fresher	30 Years

D) Remuneration:

Remuneration package will be commensurate with qualification, experience and in accordance with the company policy and rules. Remuneration may be negotiable for deserving candidates based on Qualification and Experience of the applicant. Whereas the Trainee Executives and Trainee Supervisors will be paid a consolidated Stipend.

<u>General Conditions:</u>

1. The candidates should have obtained the above qualifications from an Institution / University of Nepal / Abroad, which are duly recognized by Nepal Council of Technical Education & Vocational Training / Tribhuvan University / GoN.

2. Candidate should not have attained the upper Age as prescribed above as on the closing date of advertisement.
3. The candidates should have minimum relevant experience as on date of Walk-in interview.
4. Before offering their candidature for any of these posts, the candidates should ensure that they fulfil all eligibility conditions.
5. Their admission at all the stages of the Interview will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.
6. In case it is detected that at any stage that the candidate doesn't fulfil any of the eligibility criterion, his/her candidature shall be rejected /cancelled, without assigning any reasons thereof. Similarly, even after joining, if it is found that the candidate has furnished any incorrect information or suppressed any material fact / information, his / her services shall be summarily terminated at the discretion of SAPDC Management.
7. The decision of the SAPDC as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the interview shall be final.
8. Only Nepalese citizens need apply. Preference will be given to deserving Project Affected Persons (PAPs), subject to fulfilling the requisite qualifications and experience suiting to the job requirements.
9. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview / written test for selection process as per requirement of post.
10. The management reserves the right to increase / decrease the number of posts or consider for lower posts / grade or not to fill up any of the post or raise the minimum eligibility standards or relax age / experience or any other criterion in other wise suitable cases and also cancel candidature of any candidate / or cancel entire recruitment process without assigning any reason. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview/ selection process.
11. Any legal proceeding in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/or an application in response there to can be instituted only in Kathmandu and court / tribunal / forum at Kathmandu only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any such cause /dispute.
12. SAPDC will take up verification of eligibility condition with reference to original document only at the stage of interview / selection.
13. Advance applications in the prescribed format along with copies of testimonials / certificates in support of age, Qualification, experience, etc. may be sent through E-mail to **sapdcrecruit@gmail.com.**
14. Candidates must appear in person along with their applications on prescribed format (as available on respective websites / job portals) and certified copies of Testimonials / Certificates in support of age, education, experience citizenship, etc. The candidates must carry original certificates / Testimonials for verification only, which will be returned immediately.

15. Application in the prescribed format along with copies of testimonials / certificates in support of age, education, experience citizenship, etc. may also be sent by post to the Chief Personnel Officer, SAPDC, Madhyapur (Thimi), House No. 03, Lokanthali, Kathmandu, Nepal OR by post to P.O. Box: 5685, Kathmandu

16. **WALK-IN INTERVIEW SCHEDULE:**

Venue: **Hotel De La Annapurna, Durbar, Marg, Kathmandu**

S. No.	Cadre	Discipline (s)	Date (s)	Time
1	EXECUTIVES	Civil / Mechanical / Electrical Engineering and IT&C / Geology / HR / F&A / R&R / PR	05 June 2017 to 07 June 2017	10:00 AM to 05:00 PM
2	SUPERVISORS (JE / JO)			
3	EXECUTIVE TRAINEES / SUPERVISOR (JE / JO) TRAINEES			

Note: **The candidates shall report and submit their applications latest by 03:00 PM on scheduled dates, thereafter their candidature will not be considered for Interview on that date.**

The closing Date for receipt of advance applications by Post / E-Mail is 30th May 2017

F-

कार्यालय ग्राम पंचायत, नित्थर

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

दिनांक.................

क्रमांक.................

नकल प्रस्ताव संख्या.............. दिनांक बैठक.................. उपस्थिति..................

अध्यक्षता..................

विषय:- जन सुनवाई के मौका पर उपस्थित परम आदरणीय S.D.M साहिब D.M साहिब नायब तहसीलदार साहिब त्री-स्तरीय पंचायतीय राज के प्रतिनिधि गण मंचस्थ अन्य गणमान्य महानुभाव बहनों भाईयों:-

सर्व प्रथम मैं अपनी पंचायत की तरफ से उपस्थित अतिथियों का अभिनन्दन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे लिए यह अपार हर्ष का विषय है कि परियोजना प्रभावित परिवारों की सुध-बुध लेने प्रशासन एवं परियोजना अधिकारी पधारते रहे है। इस कड़ी में आज भी आमने-सामने कुछ बातें होगी।

रामायण में एक चौपाई में कहा गया है:-

" परोपकार के समान धर्म नहीं भाई, पर निंदा के समान नहीं अधमाई।"

अर्थात दूसरे का भला करना सब से बड़ा धर्म है तथा दूसरे की निंदा करने से बढ़कर कोई पाप नहीं। परियोजना के लिए भूमि देने वाले वास्तव में राष्ट्र के परोपकारी हैं। महान है वह त्याग जिन लोगों ने अपनी भूमि राष्ट्रहित में परियोजना को दी है, निःसंदेह वे सब वंदनीय है। अतः जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रशासन एवं परियोजना अधिकारी के संज्ञान में कुछ बातें लाना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ।

(1) जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है प्रयास किया जाए कि उन्हें समय-2 पर सरकार से संशोधित उचित अच्छे मूल्य दिए जाए ताकि उनके त्याग की कुछ क्षतिपूर्ति की जाए।

(2) प्रभावितों को जिनके पास अधिग्रहित भूमि होने के बाद आंशिक (थोड़ी सी) नाम मात्र भूमि ~~बची है~~ बची उनका मानना है कि वह भी परियोजना हेतु परियोजना के अधिकारी ले लें।

(3) प्रभावित परिवारों व प्रभावित पंचायत के बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी हेतु प्राथमिकता दी जाए। ताकि परिवार के भरण पोषण का सहारा मिल सके।

(4) अन्तिम बिन्दु में क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए जो इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या हो गई है हमेशा पानी नजीक नहीं हो रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी क्षति होती है तो वह है जल-स्रोतों के सूखने की समस्या जमीन की खुदाई से जल स्तर गहरा चला जाता है ~~[illegible]~~. इस विषय में S.D.M. साहब व G.M. साहब आज ही कोई समाधान ढूंढे वैकल्पिक स्रोतों के विषय आज ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाए।

महोदय। ये सब समस्याएं व प्राथमिक सुविधाएं प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाई जाए। जिससे आप का यहां आना सार्थक हो सके अन्यथा मिटिंग होती है होगी पर सब बेमानी रहेगी अन्त में आप सब का प्रभावितों की सुध-बुध लेने हेतु बहुत-2 आभार। धन्यवाद।

— /u — प्रमोद ठाकुर

F-36

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक ....

दिनांक ....

महोदय जी जिन लोगों की जमीन ~~[illegible]~~ लग रही है उन्हे तो उचित मुआवजा मिल ही जाएगा लेकिन जिन लोगों के घरों को क्षति होगी क्या उन्हे भी उचित मुआवजा मिले

धन्यवाद

Pardhan Dewra

9.4.82-17901

सेवा में

उप–मंडलाधिकारी(ना.),
आनी, जिला कुल्लू हि0प्र0

विषयः लुहरी जलविधुत परियोजना चरण–1 के लिए सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessmwnt Study)के अंर्तगत होने वाली जन सुनवाई के संदर्भ में।

महोदय,
मैं आपका ध्यान आज होने वाली जन–सुनवाई में निम्न मुदों की ओर दिलाना चाहता हूं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप सें सभी प्रभावितों से जुडे हुए है। यह मुदें कई बार जन–सुनवाई में और परियोजना अधिकारियों से मिल कर भी उनके ध्यानार्थ लाए गए है लेकिन अभी तक इन मुदों का न तो सरकार ने हल निकाला है और न ही परियोजना अधिकारियों से कोई आश्वासन मिला है:–

1. <u>वकाया जमीन का मामला</u>: लुहरी जलविधुत परियोजना चरण–1 के लिए ग्राम पंचायत, देहरा के अंर्तगत गांव शनाह में जो निजि भूमि अधिकृत की जानी है उसमें लगभग 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जबकि 10 प्रतिशत निजि भूमि वचाई जा रही है। इस 10 प्रतिशत भूमि में हमारे हिस्से में विस्वा में जमीन आती है जो किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। यह मामला कई वार परियोजना अधिकारियों और सरकार के ध्यानार्थ भ लाया गया लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आश्वासन न तो सरकार की ओर से मिला है और न ही परियोजना अधिकारियों की ओर से। इस लिए जमीन का अधिग्रहण करने से पहले यह मामला जरुर सुझाया जावे।
2. <u>रिहायशी मकानों का अधिग्रहण करने वारे</u>: इस परियोजना में निजि भूमि का अधिग्रहण तो किया जा रहा है लेकिन हमारे जो मकान आवादी वाली जगह में वने है उनके वारे में परियोजना अधिकारियों से कोई आश्वासन प्राप्त नही हुआ है। जब हमारी जमीन नहीं रह जाएगी तो मकान का क्या फायदा। इसलिए इन मकानों का उचित मुआवजा मिलना जरुरी है।
3. <u>प्रभावितों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान करने वारे</u>: जिन लोगों की कृषि भूमि का परियोजना के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है उनकी आमदानी का कोई दूसरा साधन नहीं है क्योंकि इस सारी जमीन में सिंचाई होती है जिससे वह आनाज, फल और सब्जियां उगाकर अपने परिवार का गुजर–वसर करते है। जमीन के अधिग्रहण के पश्चात उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं रह जाएगा। इस लिए उन लोगों के परिवार से कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरुर मिलनी चाहिए, चाहे वह हि0प्र0 सरकार दे या सतलूज जल विघुत निगम।

~~Compensation~~ ~~Cost not given~~

Halegn Singh Yadav (Ret) Service Man

9 December Friday 94180-18191 1988

(1) Employment: not given to the project effected families not given any monetary benefits to them.

(2) Project name given wrongly "Rampur Project" which should have been Koel-Byal Project.

(3) Project benefits were given to Rampur by constructing Bus stand; and garages near

10 December Saturday 10+2 boys School. The [illegible] [illegible] into [illegible].

(4) In the project periphery no ~~[illegible]~~ metalled roads have been laid by the project, Even Koel Byal Road is in worst condition.

(5) D.A.V. School and Colony were ~~laid down~~ established at

11 Sunday Datt Nagar instead of Koel + Byal which is mainly effected by the project

(6) The Project is giving Rs 24,000/- per family to those whose electricity meter were installed before 2004

The project effected families mostly from N. [illegible]

1988 December Wednesday 7

does not use electricity at that time as they go seasonally to Koel to plant paddy and came back to Nither. These people were ~~affe~~ be deprived from this benefit.

(7) Rampur Project has opened an engineering college at Pragti Nagar (Kot Khai). The Sutlej river does not flow in Kot Khai, so why the Engineering College was opened at Kot Khai by ignoring the benefits of Nirmand Block.

December Thursday 8

(8) Only the contractors benefitted from the Project whereas ~~the~~ project effected families has to face the pollution which is effecting the production of crops.

(9) 100 units of electricity free of cost was promised to the effected families which has not given as yet

Adverse social and economic effects directly or indirectly and positively or negatively on land looser or stakeholders of the locality due to acuasiton of their land for Hydel Project Luhari phase 1,

1. That land which is purposed to acquire for hydel project in village Shanah situate at the bank of river Satluj. it is fertile and irrigated one as comparative to the land which is owned and possessed by them in another villages i.e (a) Shakroli, (b) Seucha (c) Ghorali (d) Jhali and it is pertinent to mension here that all stakeholders land looser reisde permanently forway about 15 Kilometer from village Shanah where the land is proposed to be acquired. they are economically very poor so called marginal farmers and their 95% land at village Sanah is under acquisition and remaining 5 % land as well as their small dwelling houses which is in Abadi deh land is going to be out of the acquasition That 5% unacquired land includes approximately 4,5,6,7, or 8 biswas of each stakholders land looser and such small portion of land is quite impossible for them to make arrangement of its cultivation or to lookafter it as this land situate in flung or remote area and all stakholders land looser be compelled to keep it barren or uncultivated due to acuisition of their major portion of land. **Thus direct effect is loss of their major portion of land due to acquasition or indirect effect is that minor unacquired land which will remain barren/ uncultivated due to this acquisition.** Hence landlooser stakeholders agree either to acquire their remaing 5 % unacquired land in village Shanah along with their dwelling houses or keep the whole land out of acquasition

2. That every land looser or stakeholders in village Shanah used to cultivate rice, grain or maize, pulses and vegetables etc and plant lemon, mango chuli trees and earns handsome income and it is the only sources of our income and whenever this **purposed land be acquired every stakholders / landlooser will remain unemployed and they will loose their source of livelihood.** Each and every stakeholders or land looser is well qualified and reserve their right for skilled employement in SJVNL. The loss of employment and wages will occur depriving landless labourers, service workers, artisan etc.

3. That there is direct loss of access to common property i.e water pound, grazing land or plucking grass or fuel woods etc in the govt. land as per custom prevalent in the locality and the said govt.land.is propesed under acquasition thus we reserve our right of compensation with respect to it.

4. That purposed land acquisation will render the maximum people landless or house less which requires necessary plan or scheme for their resettlement/ rehablitation or compensation.

5. That the effected people whose land has been acquired and less then five bighas land remaining out of the acquired land be declared landless.

6. That forced displacement increases the risk that people will undergo cronic food insecurity, poverty which will badly affect level below the minimum necessity for the normal physical growth and work. The coming generation will be insecure due to lac of income to get heigher enducation out side hence the education insititutions related to agricultur and hohticuture, D.A.V. degree college or engineering college be opened in most effected area from

7. That in the most affected Gram Panchyat there is only Primary Health Center at Nither and it provides medical services to seven Gram Panchyats and for delivery of pregnant ladies people approach to refrel hospital Rampur.Bsr which is for away and the condition of road is not good. Hence the requirement of gaynocoligist through **National Health Mission** be arranged in PHC Nither for safe delivery.

8. That the land which is under acquasition the land looser stakholders avail water fasilities not only for drinking but for irigation purposes and after acusition of that very land the lanlooser stakeholders be compelled to reside permanently in their native villages i. e (a) Shakroli. (b) Soucha (c) Ghorali (d) Jhali (e) Moin and depend for cultivation on nature due to lac of water supply facifities for drinking. The land looser stakholders be provided water supply facilities for **drinking** as **well as irrigation** of their fields which would uplift their economic condition.

9. That the land under acquisition requires adequate compensation as per law in **rural area 4 times** of the market value.

10. That social change processes invoked by intervensions by execution of construction work of tunnel, resiorvior, roads, heavy blasting and by carrying mtek to dumping site will definitely raise the level of **hazard or risk, dust and noise** which would adversly effect the people as well as their croops in this locality. The effected people deserve to be compensated for damage of croops or fruit bearing plants due to dust.

11. That due to acquasition the every land looser or stakeholder is in **mind of fears and aspirations** about future of their family.

Nargesh Katoch (signature)

Dated. 30.6.2018

Nargesh Katoch (Advocate)
R/o Vill. Shakroli. P.o & Sub-tehsil.Nither.Distt. Kullu HP.

Mob. no. 94180-01343.
78075-20554

F-43

कार्यालय ग्राम पंचायत,
विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

सेवा में

मण्डल अधिकारी

Mob No
7807315343
7018262231

विषय :— पंचायत की समस्या बारे ? Pardhan Dewra

माननीय महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आप का ध्यान पंचायत की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहती हूँ महोदय मैं दोनो समस्याओं को आप के सामने रखना चाहती हूँ मैंने पहली सुनवाई में भी इन समस्याओं को आप के मध्य नजर रखा था

I पानी की समस्या —

महोदय जी देहरा पंचायत कैसे ही पानी कि किल्लत को झेल रही है प्रत्येक आदमी हर महीने 8 से 10 हजार तक का पानी खरीद कर पीता है जो उसकी हैसियत से दूर है एक इन्सान जो दिहाड़ी, मजदूरी करता है उसे इतना पानी एक महीने में खरीदना मुश्किल है

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

और अपने साथ-साथ वह पशु भी पालता है दिक्कत इतनी है के इन्सान के जीने के मांदे है तो वह पशुओं को कैसे पाले, जब की कुछ लोगों का तो आजीविका ही गाय के दुध पर निर्भर है इसके अलावा कुछ लोग साग सब्जी उगाते थे लेकिन आप तो जानते है कि साग सब्जी कैसे उगेगी, इसलिए महोदय जी आप से विनम्र आग्रह है कि प्रोजेक्ट लगने से ये समस्या और भी अधिक होने वाली है तो सबसे पहले पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए जगह-जगह पानी के हैंडपंप खुलवाए जाए और सिंचाई की उचित व्यवस्था हो सके

॥२ - बेरोजगारी की समस्या — !

महोदय जी जब से प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू हुई होंगी तभी से पंचायत के पढ़े लिखे युवाओं में एक उम्मीद जगी है कि यदि जल्दी से प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उन्हे उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले और रोजगार होने से अनेक समस्यों का समाधान हो सके तथा हमारी देहरा पंचायत के प्रभावित लोगों की गाड़ियाँ प्रोजेक्ट में लगा दी जाए, महोदय जी मैं पहले भी ये बात रख चुकी हूँ उम्मीद है आप हो समझ सकें

F-4

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

॥3 आदर्श गाँव —

महोदय जी हमने एक और शर्त रखी थी के देहरा पंचायत सबसे प्रभावित पंचायत है तकरीबन 80, 85 प्रतिशत जमीन देहरा पंचायत की प्रोजेक्ट में लग रही है इसलिए जनता चाहती है कि हमारी पंचायत में स्ट्रीट लाईट लगे तथा गाव का हर रास्ता पक्का बने वह सड़क पक्की बने इसके अलावा जो आफिस व प्रोजेक्ट में काम करने वालों की रिहायश के लिए मकान बने वह भी देहरा पंचायत में ही बनाए जाए

॥5 जमीन प्रभावित वाले लोग —

महोदय जी जिन लोगों की जमीन प्रोजेक्ट में लग रही है मेरा आप से निवेदन है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले और समय पर मिले ताकी उन्हे बार-बार प्रोजेक्ट आफिस के चक्कर ना काटने पड़े तथा जिसकी भी जमीन के साथ कोई टूकड़ा जमीन का बच रहा हो उसे भी ले लिया जाए या किसी व्यक्ति का मकान उस जोन में हो तो उसे भी ले लिया जाए ताकी किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी न हो

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक ....   दिनांक 30/06/2018

महोदय जी इसके अलावा आप जानते है कि प्रोजेक्ट के जहाँ फायदे होते है वहां ~~नुकसान~~ नुकसान भी बहुत होता है वातावरण दूषित होता है और दूषित होने के साथ कई तरह की बिमारियां भी फैलती है इसलिए अभी स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखा जाए उन्हें समय पर दवाई व कैलशियम आयरन विटामिन जैसी दवा दी जाए, अतः महोदय जी हमने पिछली बार भी डी ए वी की मांग रखी थी लेकिन किसी तरह का कोई रिसपोंसन नहीं मिला है जनता चाहती है कि जल्द से जल्द वो स्कूल खुलवा दिया जाए

महोदय जी इसी के साथ पंचायत के पास अपना कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिस से वे विकास कार्य को अपने तरीके से योगदान दे सके अतः देहरा पंचायत उम्मीद करती है कि हमें रायल्टी समय समय पर मिल सके

महोदय जी आप से विनम्र निवेदन करते है कि ये बाते सिर्फ पन्नों पर ही न रहे बल्कि आप उन्हें आदेश दें कि सभी बातों को गंभीरता से ध्यान दे

देहरा पंचायत आप की आभारी रहेगी।

प्रधान
30/06/2018
ग्राम पंचायत देहरा

लाडा के बारे में बताना चाहती हूँ मुझे रोष है।

F-47

डी०सी०एम०

लुहरी जल विधुत परियोजना प्रबन्धक के महाप्रबन्धक ~~श्री आर एल~~ नेगी जी , एस0 डी0 एम0 आनी , प्रधान ग्राम पंचायत देहरा , प्रधान ग्राम पंचायत नित्थर ब्लॉक समिति की अध्यक्षा बिन्दु वाला, अरसू जिला परिषद मेम्बर पपी विष्ट,

मैं पंचायत समिति सदस्या ग्राम पंचायत देहरा नित्थर की आम जनता की ओर से जनसुनवाई वे मंच पर पधारे तमाम अधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत करती हूँ । महोदय मैं आपके ध्यान मे क्षेत्र के जनमानुष के हित मे निम्न बातों को लाना चाहती हूँ ।

1. महोदय नित्थर पंचायत को प्रभावित पंचायत मे लिया जाए क्योंकि इसी पंचायत के लोगों की भूमि अधिगृहीत होने जा रही है। और सुरंग का निर्माण भी इसी पंचायत क्षेत्र के नीचे होना है।
2. हमारे क्षेत्र के जल संसाधनों की कमी होनी भी निश्चित है अतः यहां के लोगों की पेयजल समस्या के निदान हेतू प्रबन्धन ~~आश्वस्त~~ आवश्यक करे ।
3. यहां की ~~नकदी~~ नगदी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सेब , बदाम इत्यादि फसलों को उचित मुआवजा प्रति फसल दिया जाए ।
4. इसी क्षेत्र के लोगों को निमार्ण कार्य मे रोजगार की गांरटी दी जाए
5. भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिया जाए ।

अतः उपरोक्त मागों पर प्रबन्धन विचार करे तथा लोगों की इन मांगो को शर्शत स्वीकार करे अन्यथा यहां की जनता आन्दोलन पर विवश होगी तथा विरोध करेगी । अन्त मे एक वार पुनः आपका धन्यवाद ।

जयहिन्द चैम्पलू देवी
बी० डी० सी० नित्थर, देहरा
निरमण्ड ब्लॉक
9418059717

F-48

1. परियोजना के निर्माण कार्य प्रारूप व समय अवधि के बारे।
2. परियोजना का नाम बदलने बारे
परियोजना का नाम सूर्य नारायण हाईड्रो प्रोजेक्ट नीरथ रखा जावे।
3. उचित मुआवजा दिलाने बारे Four Time
4. स्थाई रोजगार
5. Model Village नीरथ को विकसित किया जावे।
6. सिंचाई उठाऊ पेय जल योजना नीरथ पंचायत के समस्त गांव को जोड़ा जावे
7. ग्राम पंचायत नीरथ में इंजीनियरिंग कालेज व केन्द्रीय विद्यालय खोलने बारे
8. C.S.R. व लाडा की धन राशि प्रभावित क्षेत्र में ही खर्च किया जावे

Nand Lal
MLA Rampur
94180-29977

परियोजना के निर्माण कार्य
कार्य प्रारम्भ व समय अवधी के
बारे

कार्यालय ग्राम पंचायत देलठ

विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला हि0 प्र0

क्रमांक.......   उपस्थिति 09/09

नकल प्रस्ताव संख्या 08   बैठक दिनांक 09.09.2017

प्र0 स0 08 ग्राम पंचायत देलठ को प्रस्तावित लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज –1 में प्रभावित पंचायत में शामिल करने बारे।

बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण–1 बांध स्थल व विद्युत गृह ग्राम निरथ में किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत नीरथ के क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायत देलठ की सीमांए आपस में जुडती है। बांध स्थल से ग्राम पंचायत देलठ का ग्राम चुन्जा 100 मीटर की उंचाई पर है जो कि ग्राम चुंजा का राजस्व क्षेत्र व चक नीरथ पटवार वृत में आता है। इस ग्राम की भूमि परियोजनाओं में अधिग्रहण भी हो रही है, जिसमें चक नरोला में ग्राम चुंजा की पैतृक जमीने है, जबकि ये ग्राम चुंजा ग्राम पंचायत देलठ क्षेत्र में आता है, इस कारण ये ग्राम अधिक प्रभवित हो रहा है। इस लिए ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र टिकरी, देलठ व टुटू व नागाधार परियोजना के बांध स्थल से 500 मीटर की दायरें में आता है। इस परियोजना से पर्यावरण की दृष्टि से यह समूचा क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित होना निश्चित है। पंचायत क्षेत्र के लोगों की आजीविका बादाम ,सेब, खुमानी, आडू, सब्जियां व कृषि आदि फसल पर निर्भर है। इसका प्रभाव इस क्षेत्र के लोगों पर पडेगा इसलिए प्रशासन व प्रबंधक परियोजना द्वारा ग्राम पंचायत देलठ के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए क्योकिं परियोजना नीरथ बांध स्थल को केन्द्र मान कर 01 कि0 मी0 के दायरें के अंतर्गत समूचा क्षेत्र आता है। अगर ग्राम पंचायत को परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में नहीं लिया गया तो पंचायत क्षेत्र के लोगों की कोई भी भूमि परियोजना के अधिग्रहण के लिए नहीं दी जाएगी। ग्राम पंचायत इस परियोजना का विरोध करेगी। इस उपरोक्त विषय को ध्यान में रख कर ग्राम पंचायत देलठ के क्षेत्र को परियोजना प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाना अति आवश्यक है, ताकि इस पंचायत क्षेत्र का विकास हो सके और परियोजना पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव न पडे। पंचायत ने पहले भी कई बार प्रशासन व परियोजना प्रबंधक को लिखित रूप से अवगत करवाया है, परन्तु इसमें हमें आज तक प्रबंधक व प्रशासन की ओर से कोई भी लिखित रूप से जवाब नहीं मिल पाया है।

प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित है।

प्रतिलिपि– 01 माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0 सरकार की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02 माननीय मुख्य ससंदीय सचिव स्वास्थ्य हि0 प्र0 सरकार की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित

03 उपायुक्त महोदय शिमला जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04 उप मण्डलाधिकारी रामपुर की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05 महा प्रबंधक महोदय सतलुज जल विद्युत परियोजना शिमला की सेवा में प्रेषित।

06 प्रबंधक सतलुज जल विद्युत परियोजना बिथल की सेवा में प्रेषित।

विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायत सचिव, विकास खण्ड ननखरी (शिमला)

F-52

No: LAO/LHEP/13/09/11-98-156 Dated:- 29.06.2011

OFFICE OF THE LAND ACQUISITION COLLECTOR,
LUHRI HYDRO ELECTRIC PROJECT, BITHAL

NOTICE UNDER SECTION -9 OF THE LAND ACQUISITION ACT 1894

To

Sh. Joginder Prakash S/o Naranjan Dass
R/o Narola, Tehsil Rampur.
Distt.- Shimla (H.P)

Owner/Owners

NAME OF WORK: **Road & Job facility purpose for construction of Luhri Hydro Electric Project 775 MW.**

Where the person mentioned above and any other interested person are hereby informed that the SJVN Ltd. (Luhri Hydro Electric Project) intends to take possession of the Land specified below for the construction of above work. That claim for compensation for all interest should be made to this office. They are required to appear personally or by agent/prosecutor before me on **20-07-2011 at Patwar Khana Nirath time 11:00 AM** to state the nature of their respective interest in the land amount and particulars of the claim to compensation and their objection if any to the measurements. The map is available for inspection in this office.

SPECIFICATION OF LAND

VILL.	Khata/Khatuani	KH. NO.	AREA	Share
Narola	1/1	151	00-02-92	1/5
		157	00-00-63	
		Kitta=2	**00-03-55**	
	4/4	147	00-00-58	1/20

ISSUED UNDER MY SIGNATURE AND SEAL THIS DAY THE 29th MONTH JUNE YEAR 2011.

LAND ACQUISITION COLLECTOR

Land Acquisition Collector
Luhri HEP Bithal (H.P).
Land Acquisition Collector
S.J.V.N.L. (L.H.E.P.) at Bithal
Distt. Shimla (H.P.)

F-55

To

The Deputy Commissioner
Shimla District (Camp at Nirath)
Himachal Pradesh

Sub: Acquisition of Private land in Mouja Narola of Patwar Circle Nirath, Teh. Rampur, Distt. Shimla by the SJVN for Luhri Hydro Project.

Sir,

With due regard I wants to bring your kind notice the following facts for your kind consideration and further action:-

1. that at village Bhera (Narola) I have my ancestral land bearing six Khasra Nos. 147, 151, 157, 161, 162 and 165 which clearly appeared in Jamabandi(Photo copy enclosed) under Khewat & Khatauni No.4 issued by the concerned Patwari of Nirath circle on dated 19.11.07.

2. that the authority of SJVN has selected the above site for dumping purpose for Luhri Hydro Project.

3. that I was surprised to see the notification issued by the authority of SJVN (copy enclosed), for calling any objection from the effected persons, that the said Khasra Numbers except 147,151 & 157 does not appeared therein.

4. that as per Photocopy of the Tatima (enclosed) left out Khasra Numbers i.e 161, 162 and 165 are surroundings of Khasra number 147 which has been included for acquisition.

5. That it appears that while preparing the Jamabandi papers (Photo copy enclosed) of Narola by the SJVN authorities, the mistake may occurred inadvertently for not inclusion of the said Khasra numbers against Min number 4/4.

6. That after coming to my notice the above facts, I had brought the above stated facts with the authority of SJVN/LAO concerned by visiting personally as well as written request sent through registered post (as per photo copy enclosed) but till date nothing has been heard from them except verbal assurance.

Therefore, with humble submission and request, the authorities of the SJVN for Luhri Project may be directed to complete all necessary formalities immediately for inclusion of the left out Khasra numbers of my land in order to get the compensation of whole part since the minor part of my left out land in the area will be of no use of mine.

Thanking You,

Yours faithfully,

(Joginder Prakash)
(camp at Nirath on dated 5.5.11)
Village lohri Garh, P.O.Shamathla(Kotgarh)
Tehsil. Kumarsain, Distt. Shimla (H.P)
(Mobile No. 94187-00679)

Copy for information and Necessary action is also forwarded to:

1. The AGM (P&A) SJVN Ltd, Luhri Hydro Project, Sunni, Distt. Shimla (HP).
2. The AGM SJVN Ltd, Luhri Hydro Project, Bithal, P.O. Shamathla, Teh. Kumarsain Distt. Shimla.
3. The Land Acquisition Officer, Luhri Hydro Project, Bithal, P.O. Shamathla, Teh. Kumarsain Distt. Shimla.

(Joginder Prakash)

F-54

Most Urgent

To

The Additional General Manager (P&A)
Luhri Hydro Electric Project
Sunni, Tehsil Sunni. Distt. Shimla(H.P)

Subject: Acquisition of Land for Luhri Hydro Electric Project—inclusion of Khasra Nos. 161, 162 and 165 therein in Mauja Narola of Rampur Tehsil. H.P.

Sir,

In continuation to my earlier application dated nil on the subject cited above and would like to bring the following few facts for your kind consideration and early action, in order to acquire the said khasra numbers in revenue village Narola, Tehsil Rampur Bushehr in Distt. Shimla, by the Satluj Jal Vidut Nigam:-

1. That the value of the un-acquired khasra numbers is bound to be deteriorated/diminished.
2. That it would not be economically viable to cultivate the same in view of acquisition of big tract of my land.
3. That the remaining three kahasra numbers needs to be acquired to avoid disputes in future with respect to boundaries and path etc.
4. That the area of the un-acquired land is also too meager.

In view of the above facts it is again requested that the action for inclusion of Khasra Nos. 161,162 and 165 in Mouja Narola of Tehsil Rampur Busher, Distt. Shimla for the use of SJVN may be initiated by issuing necessary direction/orders to the quarter concerned at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,
(Joginder Prakash) 26/4
S/O late Sh. Narainjan Dass
Village-Lohrigarh, P.O.Shamathla
Distt. Shimla (H.P)

Encl: As above

Copy forwarded for information and further necessary action to:-

(1) The land Acquisiton Officer,NJPC, Bithal, P.O.Shamathla, Distt. Shimla
(2) AGM, NJPC, Bithal,P.O.Shamathla, Distt. Shimla. H.P alongwith a copy of Jamabandi & Tatima.

Sd/-
(Joginder Prakash)

हाल्व नटोला   हदबस्त नं0 178/2   तहसील रामपुर   जिला शिमला   S. No. 92.

हेत	बसायल ग्रामपाशी	नम्बर खसरा साबिक	नम्बर खसरा बन्दोबस्त हाल	रकबा मिजान मय किस्म	लगान तफसील सरह व तादाद	हिस्सा या पैमाना हकीयत और तरीका बाछ	मुतालबा व वतनारोह मामला स्थाई	विवरण
	6	7	8	9	10	11	12	13
			147 गैर [illegible]	00-00-58 गैर [illegible]		कब्जा व [illegible]	0.46 मालि 0-28 [illegible] 0.18	नं इं. 44, 45, 46 — कि. इं. [illegible]
			161	00-01-48 बा० कु० [illegible]		[illegible]		नोट :- बतदरो इं. नं. 44 [illegible]
			162	00-00-99 गैर [illegible]				नोट :- बतदरो इं. नं. 45 [illegible]
			165	00-00-42				नोट :- बतदरो इं. नं. 46 [illegible]
			1 किता 4	00-03-47				
				कुल बा० कु० [illegible] 00-01-48 [illegible] 00-01-99 [illegible] 00-00-42 गैर [illegible] 00-01-57				

प्रमाणित किया जाता है कि नकल मुताबिक असल के सही व [illegible] है [illegible] उतारी [illegible] गई है।

[signature]
05/4/2010

F-56

आवेदक श्री [illegible] [illegible] मोहम्मद [illegible] [illegible] [illegible] खसरा नम्बर 178/2 [illegible]
रामपुर जिला रामपुर हेतु [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] प्रति [illegible]

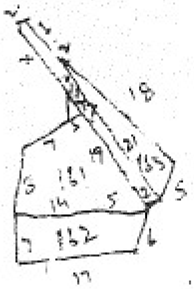

प्रमाणित किया जाता है कि नक्शा [illegible] [illegible] से [illegible] व [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है।

[illegible]

[illegible]

सेवा में

प्रबन्धक महोदय,

जल विद्युत परियोजना

लुहरी जिला शिमला

हि० प्र०

विषय:- गैरा खड्ड पर गैरा रोपड़ी पुल बनाने बारे।

मान्यवर :-

श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि हम ग्राम वासी रोपड़ी (ग्राम किरटी) करांड़ (डलैरा) के पैदल चलने की आवश्यकता है जिसके लिए पुल लगाना अति अनिवार्य है क्योंकि जब खड्ड का जल स्तर बढ़ जाता है तो सारा पैदल चलने का रास्ता कट जाता है जिसके कारण बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और इसके साथ-२ ग्राम करांगला तथा कुनू के लोग भी पैदल इसी रास्ते ~~से~~ चलते हैं।

अतः आप से अनुरोध प्रार्थना है कि गैरा खड्ड से रोपड़ी के लिए जल्द से जल्द पुल लगाया जावे

आपका वादी

निवेदक तमाम देहरा, किरटी रोपड़ी

F-58

3) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8 [illegible]

9 [illegible]

[illegible]

10 [illegible]

11 [illegible]

12 [illegible]

13 [illegible]

14

15 Bobby

16 [illegible]

17 [illegible]

F-

सेवा में,

माननीय उप-मण्डलाधिकारी,
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला हि० प्र०

In charge AFC [illegible] 10/7/18

विषय :-

पंचायत नीरथ में जमीन व मकान की भूमि को मलकियत करने बारे प्रार्थना पत्र

मान्यवर जी,

नम्र निवेदन है कि मैं पृथ्वी-चन्द (सिंह) S/O स्व श्री जियालाल, पुत्र जिन्दु निवासी, गाँव व डा० नीरथ तह० रामपुर बुशैहर जिला शिमला हि० प्र० का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी स्व श्री जियालाल व स्व श्री सोहनलाल 2 भाई थे जिनकी मुश्तरीका शामिलात थी, स्व जियालाल के नाम से वारसान स्व० प्रेमचन्द व पृथ्वीसिंह हैं। प्रेमचन्द की मृत्यु हो चुकी है उनका वारसान करतार-चन्द है। स्व० सोहनलाल के वारसान ज्ञानचन्द, रोशन लाल, जयादेवी, कुशलयादेवी व कान्तादेवी है। पंचायत नीरथ के अन्तर्गत खसरा नं० 1650, 1656, 1778 के अन्तर्गत हमारी मलकीयत 7.10 बीघा मलकीयत आती है जोकि लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण I में डैम के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जानी है सारी की सारी जमीन Section 4 के अन्तर्गत जलाशय के क्षेत्र में आ रही है साथ में मकान व खलियान भी जलाशय क्षेत्र में आ रहे हैं। खसरा नं० 1775 गैर मुमकिन खलियान 1776 में गैरमुमकिन मकान भी जलाशय क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे हैं। हमारी जमीन का कुल रकबा 7.10 बीघा का पूरा रकबा डैम में लग रहा है जिसका विवरण सैक्शन 4 के नोटिस में है परन्तु मकान व खलियान का नहीं है। इसके अतिरिक्त खसरा नं० 1779 में कब्जा बजात खुद [illegible] तरतीब रकबा 0-6-99 है भूमि पर सन 1952 से मेरे पूर्वजों का कब्जा काश्तकारी है। खसरा नं० 1780 कब्जा [illegible] बाग बगीचा तरतीब रकबा 0-24-49 पर भी कब्जा व काश्तकारी आज तक जारी है। खसरा नं० 1778 जिसका पहला खसरा नं० 418 था यह रकबा सूर्यनारायण मन्दिर से मेरे पूर्वजों को मिला था व नदी सतलुज के पास है। यह रकबा 1.2 बीघा है और 1952 में मकान के लिए उसके साथ लगती। चट्टान पर बना हुआ है। सन 1966-67 में कल भूमि का इन्तकाल (7.10) मेरे पूर्वजों के नाम हुआ था इजोदार से सारी की सारी जमीन की काश्तकारी की जाती रही है परन्तु 1775 में मकान, खलियान और सूर्यनारायण की जो भूमि काश्तकारी के लिए दी गयी थी जिसका पुराना खसरा नम्बर 419 दर्ज था अब खसरा नम्बर 1775 में खलियान 1776 में मकान व 1779 व 1780 कब्जा बजात खुद बिला लगान बन गया है को सरकारी घोषित किया गया है। जबकि इस रकबे पर 1952 से लगातार हमारा कब्जा व काश्तकारी रही है। सन 1905-6 में वन विभाग रामपुर की तरफ से नाजायज भूमि सम्बन्धि सरकारी नोटिस आया (प्राप्त) उस नोटिस के सन्दर्भ में वनविभाग रामपुर वनमण्डल अधिकारी के पास इस नोटिस के सन्दर्भ में पैरवी की गयी तो 14-3-2008 को वनमण्डल अधिकारी के फैसले में लिखा गया कि कब्जा बजात भूमि वाली भी वन भूमि नहीं होती बरी किया गया।

श्रीमान जी, सन 1972 में Land Selling Act के तहत उक्त भूमि सूर्यनारायण मन्दिर के पास हुआ करती थी उसके बाद मजारियत के तहत मन्दिर के मुजारों को काश्तकार करने वालों को मलकियत मालिक बनाया गया परन्तु मेरे व मेरे पूर्वजों के नाम से मलकियत दर्ज नहीं हुई। जबकि मेरे पूर्वज समय-2 पर मन्दिर में हवन पूजा पर मन्दिर को नजराना करते रहे इसके उपरान्त भी हमें उक्त भूमि से वंचित रखा गया जबकि इस भूमि पर कब्जा काश्त हमारे पास है जिसपर ग्रामवासी नीरथ का कोई कुछ एतराज नहीं है। अतः श्रीमान, उपमण्डल अधिकारी से निवेदन है कि मकान व खलियान का assessment करके मकान का उचित मोल व मकान के बदले में उतना ही रकबा दिया जाए। सन 2010 में हमारे मकान की पूरी छत क्षतिग्रस्त हुई मौका पर उच्चाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि मकान सरकारी जमीन पर है ऐसा कहा गया जबकि यह मकान मन्दिर की आबादी देह में था। जबकि मकान 1952 का बना हुआ है आज भी खड़ा है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में जानकारी में ग्राम पंचायत नीरथ के ग्राम वासियों से पूछा जाए की उक्त भूमि पर हम और हमारे पूर्वजों का कब्जा कब से है।

आपकी महान कृपा होगी
धन्यवाद।

भवदीय
पृथ्वी चन्द (सिंह) S/O स्व श्री जियालाल
ग्रा० व डा० नीरथ, तह० रामपुर बुशैहर, जि० शिमला

[illegible] 2018

F-La

सेवा में,

माननीय उप-मण्डलाधिकारी,
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला हि० प्र०

In charge AFC (Nameee) 10/7/13

विषय :- पंचायत नीरथ में जमीन व मकान की भूमि को मलकियत करने बारे प्रार्थना पत्र

मान्यवर जी,
नम्र निवेदन है कि मैं पृथ्वी-चन्द (सिंह) S/O स्व श्री जियालाल, कुल जिन्दु निवासी, गाँव व डा० नीरथ तह० रामपुर बुशैहर जिला शिमला हि० प्र० का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी स्व श्री जीयालाल व स्व श्री सोहनलाल 2 भाई थे जिनकी मुश्तरीका शामिलात थी, स्व जियालाल के नाम से वारसान स्व० प्रेमचन्द व पृथ्वीसिंह है। प्रेमचन्द की मृत्यु हो चुकी है उनका वारसान करतारचन्द है। स्व० सोहनलाल के वारसान ज्ञानचन्द, रोशनलाल, जयादेवी, कुशल्यादेवी व कान्तादेवी है। पंचा नीरथ के अन्तर्गत खसरा नं० 1650, 1656, 1778 के अन्तर्गत हमारी मलकीयत 7.10 बीघा मलकीयत आती है जोकि लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण I में डैम के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जानी है सारी की सारी जमीन Section 4 के अन्तर्गत जलाशय के क्षेत्र में आ रही है साथ में मकान व खलियान भी जलाशय क्षेत्र में आ रहे हैं। खसरा नं० 1775 गैर मुमकिन खलियान 1776 में गैरमुमकिन मकान भी जलाशय क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे हैं। हमारी जमीन का कुल रकबा 7.10 बीघा का पूरा रकबा डैम में लग रहा है जिसका विवरण सेक्शन 4 के नोटिस में है परन्तु मकान व खलियान का नहीं है। इसके अतिरिक्त खसरा नं० 1779 में कब्जा अव्वल जुल उलिते तदादी रकबा 0-6-99 है भूमिपर सन 1952 से मेरे पूर्वजों का कब्जा काश्तकारी है। खसरा नं० 1780 कब्जा अव्वल बीला कलथार बगीचा तदादी रकबा 0-24-49 पर भी कब्जा व काश्तकारी आजकी ~~[illegible]~~ है। खसरा नं० 1778 जिसका पहला खसरा नं० 418 था यह रकबा सूर्यनारायण मन्दिर से मेरे पूर्वजों को मिला था व नदी सतलुज के पास है। यह रकबा 1.2 बीघा है और 1952 में मकान के लिए उसके साथ लगती। चट्टान पर बना हुआ है। सन 1966-67 में कुल भूमि का इन्तकाल (7.10) मेरे पूर्वजों के नाम हुआ था इजोदार से सारी की सारी जमीन की काश्तकारी की जाती रही है परन्तु 1775 में मकान, खलियान और सूर्यनारायण को जो भूमि काश्तकारी के लिए दी गयी थी जिसका पुराना खसरा नम्बर 419 पर था अब खसरा नम्बर 1775 में खलियान 1776 में मकान व 1779 व 1780 कब्जा अव्वल बिला कलथार बन गया है को सरकारी घोषित किया गया है। जबकि इस रकबे पर 1952 से लगातार हमारा कब्जा व काश्तकारी हमारी है। सन 1905-6 में वन विभाग रामपुर की तरफ से नाजायज भूमि सम्बन्धित सरकारी नोटिस आया (प्राप्त) उस नोटिस के सन्दर्भ में वन विभाग रामपुर वनमण्डल अधिकारी के पास इस नोटिस के सन्दर्भ में पैरवी की गयी तो 14-3-2008 का वनमण्डल अधिकारी के फैसले में लिखा गया कि कब्जा अव्वल भूमि वनों भी वन भूमि नहीं होती बरी किया गया।

श्रीमान जी, सन 1972 में Land Selling Act के तहत उक्त भूमि सूर्यनारायण मन्दिर के पास हुआ करती थी मुजेकबाद मजारियत के तहत मन्दिर के मुजारों को कब्जा काश्तकारों को मलकियत मालिक बनाया गया परन्तु मेरे व मेरे पूर्वजों के नाम से मलकियत दर्ज नहीं हुई। जबकि मेरे पूर्वज समय-2 पर मन्दिर में हवन पूजा पर मन्दिर को नजराना करते रहे इसके उपरान्त भी हमें उक्त भूमि से वंचित रखा गया जबकि इस भूमि पर कब्जा काश्त हमारे पास है जिसपर ग्रामवासी नीरथ का कोई कुतार एतराज नहीं है। अतः श्रीमान, उपमण्डल अधिकारी से निवेदन है कि मकान व खलियान का assignment करके मकान का उचित मुआवजा व मकान के बदले में उतना ही रकबा दिया जाए। सन 2010 में हमारे मकान की पूरी छत क्षतिग्रस्त हुई मौका पर उपमण्डलाधिकारी द्वारा मुआवजा किया गया तो मालूम हुआ कि मकान सरकारी जमीन पर बना था जबकि यह मकान मन्दिर की आबादी देह में था। जबकि मकान 1952 का बना हुआ है उसकी रिपोर्ट है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में जानकारी में ग्राम पंचायत नीरथ के ग्राम वासियों से पूछा जाए की उक्त भूमि पर हमारे और हमारे पूर्वजों का कब्जा कब से है।

आपकी महान कृपा होगी
धन्यवाद

भवदीय
पृथ्वी चन्द (सिंह) S/O स्व श्री जीयालाल
ग्रा० व डा० नीरथ, तह० रामपुर बुशैहर, जि० शिमला

[illegible] 9/7/2018

F-La

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या........................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा........................

उपस्थिति........................अध्यक्षता श्री........................प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- प्रेषक :- प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत नीरथ
विकास खण्ड रामपुर बुशैहर

प्रेषित :- माननीय,
उप- मण्डाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि०प्र०)

विषय :- प्रस्तावित लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत नीरथ की समस्त प्रभावित क्षेत्र की जनता की विभिन्न समस्याओं, मांगो व सुझावो के बारे ज्ञापन :-

---

मान्यवर जी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित लूहरी जल विद्युत परियोजना-चरण-I (LHEP) 210 मेगावाट की भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव एवम् निवारण हेतू ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study Report) के सन्दर्भ में जन सुनवाई आज दिनांक 02-07-2018 को स्थान ग्राम पंचायत नीरथ में रखी गयी है। जिसमें 210 मेगावाट परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का बांध स्थान, विद्युतगृह, डाईवर्जनटनल व 6 Km जलाशय (झील) बनाई जानी है। इन सभी कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, देहरा व गडेज के क्षेत्र में नीजि भूमि व सरकारी भूमि अधिग्रहित होनी है। परियोजना की सभी गतिविधियां, घटक (Componants) इसी क्षेत्र में होनी है। और प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त पंचायतों के क्षेत्र ही प्रभावित होने निश्चित है। परियोजना के लगने से इस क्षेत्र का विकास तो अवश्य होगा लेकिन प्रतिकूल असर भी पड़ेगा। मान्यवर जी, हर काम के दो पहलू होते हैं। यदि इस परियोजना के लगने से किसी तरह से क्षेत्र को लाभ होगा तो कहीं न कहीं हानि भी तो संभव है। इसलिए आम जनता की राय/मांग को ध्यानानुसार रखते हुए इस जन सुनवाई के अध्यक्ष महोदय

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.............................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा.............................

उपस्थिति.....................अध्यक्षता श्री...प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- S.D.M. रामपुर व AFC के प्रमुख से आग्रह है कि समय रहते यहां की जनता की समस्याओं, मांगों व सुझावों को वर्तमान व आने वाले भविष्य अवधि में परियोजना के अन्तिम ड्राफ्ट में सुनिश्चित तरीके से दर्शाया जाए। ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा न हो। आम जनता परियोजना को लगाने के हक में है। लेकिन परियोजना बनाने समबन्धित विभिन्न शर्तों पर विचार किया जाना व अम्ल में लाई जाना अति आवश्यक है। जो कि इस मंच से मौखिक रूप में निम्न इस प्रकार से है।

1) मान्यवर परियोजना का नाम बदलने व नामकरण बारे- मान्यवर जी लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण -I (LHEP) 210 मैगावाट का नाम वर्तमान में अन्तिम प्रारूप रिपोर्ट के नाम से दर्शाया गया है। जो कि गलत है क्योंकि जब यह प्रारूप रिपोर्ट (Draft) बनाया गया उस समय जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। किसी तरह की कोई भी जन सुनवाई नहीं की गई। अब जनता की मांग है कि परियोजना की सभी गतिविधियां (घटक (Components) जैसे बांध स्थान, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल, व जलाशय (झील) ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, जिला शिमला व ग्राम पंचायत देहरा, धड़ेच, जिला कुल्लु के दोनों क्षेत्र में होनी है इसलिए परियोजना का नाम व स्थान, सूर्य-नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। क्योंकि सूर्य-नारायण मन्दिर केवल भारत वर्ष में नीरथ नामक स्थान पर स्थापित है जो कि अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है।

2) उठाऊ सिंचाई योजना व स्वच्छ पेय जल योजना बनाने बारे- मान्यवर जी, परियोजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव, ग्राम पंचायत नीरथ के होने निरूपित है। क्योंकि परियोजना के लिए अधिग्रहण ... [illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.................................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा.................................

उपस्थिति.......................अध्यक्षता श्री.................................प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- S.D.M. रामपुर व AFC के प्रमुख से आग्रह है कि समय रहते यहां की जनता की समस्याओं, मांगों व सुझावों को वर्तमान व आने वाले भविष्य अवधि में परियोजना के अन्तिम ड्राफ्ट में सुनिश्चित तरीके से दर्शाया जाए। ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा न हो। आम जनता परियोजना को लगाने के हक में है लेकिन परियोजना बनाने सम्बन्धित विभिन्न शर्तों पर विचार किया जाना व अम्ल में लाई जाना अति आवश्यक है। जो कि इस मंच से मौखिक रूप में निम्न इस प्रकार से है।

1) ~~मान्यवर~~ परियोजना का नाम बदलने व नामकरण बारे –
मान्यवर जी लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण -I (LHEP) 210 मैगावाट का नाम वर्तमान में अन्तिम प्रारुप रिपोर्ट के नाम से दर्शाया गया है। जो कि गलत है क्योंकि जब यह प्रारुप रिपोर्ट (Draft) बनाया गया उस समय जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। किसी तरह की कोई भी जन सुनवाई नहीं की गई। अब जनता की मांग है कि परियोजना की सभी गतिविधियां (घटक (Components) जैसे बांध, स्थान, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल, व जलाशय (झील) ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, जिला शिमला व ग्राम पंचायत देहरा, धड़ेच, जिला कुल्लु के दोनों क्षेत्र में होनी है इसलिए परियोजना का नाम व स्थान, सूर्य-नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। क्योंकि सूर्य-नारायण मन्दिर केवल भारत वर्ष में नीरथ नामक स्थान पर स्थापित है जो कि अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है।

2) उठाऊ सिंचाई योजना व स्वच्छ पेय जल योजना बनाने बारे :-
मान्यवर जी, परियोजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव, ग्राम पंचायत नीरथ के होने निश्चित है। क्योंकि परियोजना के लिए अधिग्रहण [illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या..........................दिनांक बैठक पंचायत / ग्राम सभा..........................

उपस्थिति..........................अध्यक्षता श्री..........................प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- जानी है वह भूमि सिंचित भूमि क्यार किस्म की है। इस भूमि पर पैत्रिक समय से लोग अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं और जीविका का मुख्य स्रोत है। अब उपरोक्त सिंचित भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जानी निश्चित है। अब अधिकतर नीजि भूमि मालिकों की जमीन इसी पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध है पर यह भूमि बंजर भूमि व असिंचित किस्म की है। जो कि वर्षा पर निर्भर रहती है। इस ऐवज में जनता की मुख्य मांग यह है कि जो बंजर भूमि व असिंचित भूमि को उपजाऊ योग्य बनाने के लिए परियोजना द्वारा सरकार के माध्यम से उठाऊ सिंचाई व पेयजल योजना बनाई जाए। ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

3) आधुनिक गांव (Model Village) विकसित करने बारे:- मान्यवर जी परियोजना के बनने से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव नीरथ होना निश्चित है। क्योंकि परियोजना की सभी गतिविधियां गांव नीरथ में या इस क्षेत्र के आस पास ही होनी है। इसलिए गांव नीरथ को आधुनिक गांव (Model Village) के रुप में विकसित किया जाए।

4) उचित मुआवजा दिलवाने बारे :- यह कि परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत चक नवोला में नीजि भूमि 00-42-48 हैक्टेयर 5.6 बीघा चक नीरथ में 08-98-20 है 119.44 बीघा क्या किस्म सिंचित भूमि अधिग्रहित की जा रही है। साथ ही साथ यह भूमि N.H.5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ-2 है। इस भूमि पर अनाज फसलों के अलावा बादाम, पलम, आम, लिच्ची, अनार फलों व सभी प्रकार की नकदी

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.................................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा..................................

उपस्थिति.......................अध्यक्षता श्री...प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- फसले, सब्जियां भी उगाई जाती हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग व सिंचित भूमि होने के साथ-साथ आने वाले समय में इनकी बढ़ती उपयोगिता व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भूमि का मुआवजा उचित दर पर निर्धारित किया जाए।

5) स्थाई रोजगार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन योजना बारे-
मान्यवर जी, परियोजना से प्रभावित भूमिहीन मालिकों के परिवार में से एक सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थाई रोजगार (SJVNL) उपक्रम में उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि अन्य परियोजना के उपक्रम जैसे - NHPCL, UJVNL, व HPPCL की तर्ज पर प्रभावित परिवारों को स्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है जो कि भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबन्धन के बीच जो समझौता नामा MOU किया जाता है या किया गया है उसमें भी 70% रोजगार स्थानीय युवा-युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाने के लिये वचन बद्ध है। तथा परियोजना में प्रभावित परिवार व प्रभावित पंचायत क्षेत्र के समस्त युवा युवतियों को रोजगार, ठेकेदारी, छोटे वाहन, बड़े वाहन, मशीनरियों को कार्य पर लगाने में उचित रियायते देकर कार्य का आंवटन किया जाए। तथा उच्च शिक्षा व उच्च तकनीकि शिक्षा ग्रहण कर रहे युवा-युवतियों को छात्र-वृति दी जाए।

6) पॉलटैकनिक इन्जीनियरिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, व स्वास्थ्य सेवा बारे-: परियोजना के माध्यम से यहां की प्रभावित छः पंचायतों के क्षेत्र में केन्द्रीय बिन्दु मानकर/

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.................................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा....................................

उपस्थिति........................अध्यक्षता श्री...प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- एक पॉलिटैक्निकल इन्जीनियरिंग, एक केन्द्रीय उच्च विद्यालय या D.A.V स्कूल और एक उच्च तकनीकि अस्पताल होना अति आवश्यक है। तथा एक एम्बोलैन्स सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता को आपातकाल स्थिति मे यहां और बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

प्रधान
ग्राम पंचायत नीरथ
विकास खण्ड रामपुर
जिला शिमला (हि.प्र.)

F-65

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक........./..........सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री................/.................. की अध्यक्षता में........./..........सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.............. / प्रस्ताव संख्या........./........ दिनांक 02-07-2018

विषय :- प्रेषक :- प्रधान / सचिव,
सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ,
डा० नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि० प्र०)

प्रेषित :- माननीय
उप-मण्डाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

विषय :- प्रस्तावित लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के संदर्भ में ग्राम पंचायत नीरथ की समस्त प्रभावित क्षेत्र की जनता की विभिन्न समस्याओं, मांगों व सुझावों के बारे ज्ञापन :-

मान्यवर जी,

सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (LHEP) 210 मैगावाट की भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव एवम् निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study Report) के सन्दर्भ में जन सुनवाई आज दिनांक 02-07-2018 को स्थान ग्राम पंचायत नीरथ में रखी गई है। जिसमें 210 मैगावाट परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का बान्ध स्थल, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल व 6 किलोमीटर जलाशय (झील) बनाई जानी है। इन सभी कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, देहरा व जंजेड़ के क्षेत्र में नीजि भूमि व सरकारी भूमि अधिग्रहित होनी है। परियोजना की सभी गतिविधियां, घटक (Componants) इसी क्षेत्र में होनी है और प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त पंचायतों के क्षेत्र ही प्रभावित होने निश्चित है। परियोजना के लगने से इस क्षेत्र का विकास तो अवश्य होगा लेकिन प्रतिकूल असर भी पड़ेगा। मान्यवर जी, हर कार्य के दो पहलू होते हैं। यदि इस परियोजना के लगने से जिस तरह से क्षेत्र को लाभ होगा तो कहीं न कहीं हानि भी तो सम्भव है। इसलिए आम जनता की सहमति को मद्देनजर रखते हुए जन सुनवाई के अध्यक्ष महोदय S.D.M. रामपुर व AFC के प्रमुख से आग्रह है कि समय रहते यहां की जनता की समस्याओं, मांगों व सुझावों को वर्तमान व आने वाले भविष्य अवधि में परियोजना के अन्तिम ड्राफ्ट में सुविधित तरीके से दर्शाया जाए। ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरूस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है।

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक..सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री... की अध्यक्षता में...........................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या..................... दिनांक 01-07-2018

विषय :- न हो। आम जनता परियोजना को लगाने के हक में है लेकिन परियोजना बनाने सम्बन्धित विभिन्न शर्तों पर विचार किया जाना व अमल में लाई जाना अति आवश्यक है। जो कि इस मंच से मौखिक व लिखित रूप में निम्न इस प्रकार से है।

(1). मान्यवर जी, लुहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य, प्राप्रूप व समय अवधी बारे विचार :-

मान्यवर जी लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (LHEP) जो कि पिछले 10-12 वर्षों से प्रस्तावित है। इस बारे प्रबन्धन द्वारा कई बार प्रारूप तैयार किया है। परियोजना के लिए नीजि व सरकारी भूमि का चयन करके राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धारा-(4) जो कि 7 अगस्त 2010 तथा 3 जून 2011 को अधिसूचना के तहत लगाई गई थी। इस अवधी से बेकार आज तक नीजि भूमि मालिकों को अपनी निविधित [illegible] भूमि से वंचित रखा गया होना रहना पड़ा। जनता की मांग है कि पिछली अवधी से किसानों की भूमि से जो फसलों से आमदनी होनी थी उसकी भरपाई प्रबन्धन व सरकार किस तरह से पूरी करेंगे। क्योंकि जनता का विश्वास परियोजना से कुछ हद तक उठ चुका है। अतः यदि दोबारा इस परियोजना को समय रहते लगाना या बनाना है तो प्रबन्धन व सरकार जनता के विश्वास व हीत को मद्धयनजर रखते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की कृपा करें। ताकि जनता को परियोजना से उचित लाभ मिल सके।)

(2). परियोजना का नाम बदलने व नामकरण बारे :-

मान्यवर जी लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (LHEP) 210 मैगावाट का नाम वर्तमान में अन्तिम प्रारूप रिपोर्ट के नाम से दर्शाया गया है। जो कि गलत है क्योंकि जब यह प्रारूप रिपोर्ट (Draft) बनाया गया उस समय जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। किसी तरह की कोई भी जन सुनवाई नहीं की गई। अब जनता की मांग है कि परियोजना को सभी गतिविधियाँ घटक (Components) जैसे बाँध स्थल, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल, व जलाशय (झील) ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, जिला शिमला व ग्राम पंचायत देहरा धोगी, जिला कुल्लु के दोनों क्षेत्र में होनी है। इसलिए परियोजना का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरूस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं० Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक.............................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.. की अध्यक्षता में.....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक 02-05-2018

विषय :- व स्थान सूर्य नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। क्योंकि सूर्य नारायण मन्दिर केवल भारतवर्ष में नीरथ नामक स्थान पर स्थापित है जो कि अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। इसलिए परियोजना का नाम लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के बदले सूर्य नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। तथा परियोजना का मुख्य कार्यालय भी गांव नीरथ में स्थापित किया जाए। ताकि विश्व के मानचित्र ~~पर~~ इस स्थान की महत्वता अधिक बढ़ जाए।

(3.) डम्पिंग साईट को गांव नीरथ, पदराश चक में भूमि अधिग्रहित किए जाने बारे:-

यह कि परियोजना द्वारा अभी तक डम्पिंग साईट दूसरी जगह स्थापित की गई है। जब कि परियोजना की सभी गतिविधियाँ घटक (Components) ग्राम पंचायत नीरथ व ग्राम पंचायत देहरा में आ रही है। इसलिए डम्पिंग साईट भी इसी क्षेत्र में स्थापित की जाए। ताकि भविष्य में सभी विकासात्मक कार्य जैसे आवासीय कालोनी, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, कार्यालय, पार्क, खेल मैदान जैसी आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। यदि यह सम्भव है तो इस विषय पर ध्यान दिया जाए।

(4.) <u>जल उठाऊ सिंचाई योजना व ~~[illegible]~~ पेय जल योजना बनाने बारे:-</u>

माननीय जी, परियोजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव, ग्राम पंचायत नीरथ के होने निश्चित हैं। क्योंकि परियोजना के लिए अधिकतर जो भी भूमि अधिग्रहित की जानी है वह भूमि सिंचित भूमि स्यार किस्म की है इस भूमि पर पैतृक समय से लोग अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं और जीविका का मुख्य स्रोत है। अब उपरोक्त सिंचित भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जानी निश्चित है। अब अधिकतर नीरथ भूमि मालिकों की जमीन इसी पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध है पर यह भूमि बंजर भूमि व असिंचित किस्म की है। जो कि वर्षा पर निर्भर

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है।

F-6

(5)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.................की अध्यक्षता में.................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक................. प्रस्ताव संख्या................. दिनांक 02-07-2018

विषय :- रहती है। इस ऐवज में जनता की मुख्य माँग यह है कि जो बंजर भूमि व असिंचित भूमि को उपजाऊ योग्य बनाने के लिए परियोजना द्वारा सरकार के माध्यम से उठाऊ सिंचाई व पेय जल योजना बनाई जाए ताकि पंचायत के सभी प्रभावित गांवों के किसानों को अपनी भूमि को उपजाऊ बनाकर आत्म निर्भर हो सकें। ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

(5). आधुनिक गांव (Modal Village) विकसित करने बारे:-

आवश्यकता परियोजना के बनने से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव नीरथ होना निश्चित है। क्योंकि परियोजना की सभी गतिविधियां गांव नीरथ में या इसके आस-पास ही होनी है। इसलिए गांव नीरथ को आधुनिक गांव (Modal Village) के रूप में विकसित किया जाए। जिसमें सभी आधारभूत मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

(6) उचित मुआवजा दिलवाने बारे:-

यह कि परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत चक नरोला में नौतोड़ भूमि 00-42-48 है
5. बीघा चक नीरथ में 08-78-20 है 119.44 बीघा स्वार किस्म सिंचित भूमि अधिग्रहित की जा रही है। साथ ही साथ यह भूमि N.H.5 राष्ट्रीय उच्चमार्ग के साथ-साथ है। इस भूमि पर अनाज फसलों के अलावा बादाम, पलम, आम, लिच्ची, अनार फलों व सभी प्रकार की नगदी फसलें, सब्जीयां भी उगाई जाती है। इस भूमि की पूर्व में, वर्तमान में व भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध रही है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग व सिंचित भूमि होने के साथ-साथ आने वाले समय में इसकी बढ़ती उपयोगिता व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भूमि का मुआवजा उचित दर पर निर्धारित किया

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरूस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है।

(3)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक..सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.. की अध्यक्षता में........................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक 02-07-2018

विषय :- जाए। केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बदले 2015 लागू किया जाए। उसका मूल्यांकन एक होना चाहिए (Flat Rate) SIA की ~~रिपोर्ट~~ ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 46,47 पर भूमि मूल्य की गणना के लिए पाँच श्रेणीयां बनाई गई है। जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग व अन्य सड़कों से अलग-अलग दूरी पर स्थित खेती और गैर खेती वाली भूमि की प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए विभिन्न दरों को निर्धारित किया गया है जिसमें सभी जगहों के लिए श्रेणी 4 को ~~[illegible]~~ एकल दर पर विचार किया गया है। लेकिन यह गलत है। ~~क्योंकि~~ जनता की मांग है कि ~~सभी~~ - यह एकल दर श्रेणी। से निर्धारित किया जाए जो कि 0-25 मीटर के अन्दर आना चाहिए। यह दर सभी क्षेत्र में एक तरह की है।

(7). स्थाई रोजगार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना बारे :-

→ सन्धवरशी परियोजना में प्रभावित प्रभावित भूमि हीन मालिकों के परिवार में से एक सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थाई रोजगार SJVNL उपक्रम में उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि अन्य परियोजना के उपक्रम जैसे :- NHPCL, UJVNL, व HPPCL की तर्ज पर प्रभावित परिवारों को स्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है जो कि भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबन्धन के बीच जो समझौता नामा MOU किया जाता है या किया गया है उसमें भी 70% रोजगार स्थानिय युवा-युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाने के लिए वचन बद्ध है। तथा परियोजना में प्रभावित परिवार व प्रभावित पंचायत क्षेत्र के समस्त युवा युवतियों को रोजगार, ठेकेदारी, छोटे वाहन, बड़े वाहन, मशीनरियों को काम पर लगाने में उचित हिस्से देकर काम का आवंटन किया जाए। तथा उच्च शिक्षा व उच्च तकनीकि शिक्षा ग्रहण कर रहे युवा-युवतियों को छात्र वृत्ति दी जाए। तथा SJVNL में जब किसी भी पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाते है तो प्रभावित परिवार के छात्रों को विशेष छूट बोनस निर्धारित किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री... की अध्यक्षता में.........................सदस्यों की उपस्थिति में हुई,

जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक 01-07-2014

विषय :- (8) धार्मिक स्थल व सास्कृतिकी के संरक्षण बारे:-

यह कि ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत गाँव नीरथ में प्राचीन एवम् ऐतिहासिक सूर्यनारायण मन्दिर व दुर्गा माता मन्दिर स्थापित है। जो कि प्राचीन काल से निर्मित है। इन धार्मिक स्थलों में यहाँ की आम जनता की आस्था व धरोहर है। इसलिए इस धार्मिक स्थल का संरक्षण व जीर्णोद्धार परियोजना के माध्यम से किया जाए। साथ ही साथ यहाँ के विभिन्न गाँवों में छोटे-छोटे अन्य मन्दिर भी है। इनका भी संरक्षण किया जाए।

(9) प्रर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित करने बारे:-

परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को प्रर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित किया जाए। जैसे: जल क्रीड़ा मतस्य और बोटिंग गतिविधियों को बढ़ाया जाए तथा यहाँ के बेरोजगार युवाओं को इन बारे प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जाए।

10. पोलिटेकनिक इन्जीनियरिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, व स्वास्थ्य सेवा बारे

परियोजना के माध्यम से यहाँ की प्रभावित (छः) पंचायतों के क्षेत्र में केन्द्रीय बिन्दु मान कर एक पोलिटेकनिकल इन्जीनियरिंग, एक केन्द्रीय उच्च विद्यालय या D-A.V स्कूल और एक उच्च तकनीकी अस्पताल होना अति आवश्यक है। तथा एक एम्बोलेन्स सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता को आपातकाल स्थिति में यहाँ की विभिन्न व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। सके।

(11) मुफ्त बिजली दिलवाने बारे:-

परियोजना के माध्यम से प्रभावित पंचायत क्षेत्र की जनता को परियोजना के आरम्भ होते ही मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तथा आजीवन काल तक सुविधा दी जाए। क्योंकि परियोजना इसी क्षेत्र में बनाई जानी है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री... की अध्यक्षता में.......................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक 02-0[illegible]

विषय :-(12) कैटपालन व वनीकरण के बारे।

यह कि परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में कैटपालान के तहत प्रजा से जो धन का प्रावधान रखा जाता है उस धन को उपयोग इसी क्षेत्र में खर्चा किया जाए। जिससे खाली वन भूमि प[र] वृक्षारोपण भूमि कटाव रोकने, जल संरक्षण व पर्यावरण से सम्बन्धित का[र्यों] पर खर्च किया जाए। जिसमें यहां की स्थानीय जनता निकाय की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तथा उसकी जाँच के लिए सतर्कता कमेटी का गठ[न] किया जाए।

13. श्मशान घाटों के निर्माण बारे:-

परियोजना के बनने से यहां के श्मशान घा[ट] झील में डूब जाएंगे। क्योंकि अभी तक यहां की जनता अन्तिम संस्कार सतलुज नदी के किनारों पर करते हैं। इसलिए नई तकनीकी से धुआंरहित श्मशान घाटों को प्रत्येक समस्त गांवों को बनाए जाने का प्रावधान किया जाए। ताकि पर्यावरण पर भी कोई गलत असर न पड़े।

14. पात्रता आव्यूह (एनटाइटलमेंट मैट्रिक्स) प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने बारे:

एक पात्रता आव्यूह (एनटाइटलमेंट मैट्रिक्स) भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों, नीतियों के अनुपालन में विकसित [किया] गया है। पात्रता आव्यूह, हानियों के प्रकार और संबंधित प्रकृति और अधिकार के दायरे को परिभाषित करता है। पात्रता आव्यूह की तालिका में जो प्रावधा[न] किए गए हैं उसे बढ़ाया जाए। जैसे Page No 73 पर (a) (ii) व्यवसायी शैड या धा[र्मिक] दुकानों को पुनःस्थापन के लिए जो राशि 25,000 से 1,00,000/- की की जाए। नीति संस्थानों को नुकसान Page No 74 के (b) कॉलम में विस्थापित परिवारों के लिए RTFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 50,000/ रुपये के बदले 5,00,000/- रुपये का एकमुश्त भत्ता दिया जाए। (d) कॉलम: विस्थापित परिवारों के लिए 36,000/- रुपये का जीवन निर्वाह subsid[y] को बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये किया [illegible]

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक........./.........सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री........./......... की अध्यक्षता में ..../.......सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या...1)............ दिनांक 02-07-2018

विषय :- (15) C.S.R. और LADA की धन राशि को प्रभावित पंचायत क्षेत्र में ही खर्च करने बारे :-

परियोजना के माध्यम से जो C.S.R और LADA की जो धन राशि खर्च की जाती है वह केवल प्रभावित पंचायत क्षेत्र में ही खर्च किया जाए। क्योंकि आज से पहले यह धन राशि बाहर दूसरी जगह खर्च की जाती है। इस विषय को अधिकारियों से आग्रह है कि ग्राम सभा और पंचायत और प्रभावित पंचायत कमेटी को विश्वास में लेकर खर्च की जाए।

उपरोक्त सभी मांगों सुझावों व समस्याओं के बारे में जो सभी बैठक के मुद्दों पर सरकार व प्रबन्धन ठोस कदम उठाए जाएं। अन्यथा उपरोक्त कार्यवाही यदि समय से नहीं की गई तो लोगों को परियोजना के खिलाफ में आंदोलित होगी। जिसके लिए घरों को उजाड़ना प्रशासन का दरवाजा भी खटखटाया सकती है। अतः किसी कानून वास्तविक समझा जाए और अमल में लाई जाए।

आपकी महान कृपा होगी जी।

धन्यवाद

सचिव
सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति
नीरथ, तह० रामपुर बुशैहर
जिला शिमला (हि० प्र०)
Cont: 98821-35531.

भवदीय
प्रधान
सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ, तह० रामपुर
बुशैहर, जिला शिमला हि० प्र०
Cont No. 98165-04193

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दुरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं० Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक..सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.. की अध्यक्षता में........................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक....................

विषय :-

क्र० संख्या	नाम	गाँव	हस्ताक्षर
1	श्री पूर्ण सिंह चौहान	निनहू	[signature]
2	श्री राजेश भण्डारी	बलधाना	[signature]
3	श्री पदम दास भण्डारी	-do-	[signature]
4			
5	श्री सतपाल शर्मा	नीरथ	[signature]
6	श्री प्यारे लाल धीमान	नीरथ	[signature]
7	श्री सन्तोष [illegible]	मरेड़ला	Sharma
8	श्री रघु दास पालसरा	डोई	
9	श्री तारा चन्द चौहान	निनहू	[signature] धुराम
10	श्री राजेन्द्र भण्डारी	बलधाना	
11	देवेन्द्र कुमार	नीरथ	[signature]
12			
13	हिम्मत कुमार	डोई	Himmat
14	विक्रम देव शर्मा	नीरथ	[signature]
15	जालम सिंह	नीरथ	जालमसिंह
16	देव राज	नीरथ	[signature]
17	सुन्दर वीर सिंह	नीरथ	[signature]
18	पायल ठाकुर	नीरथ	[signature]
19	श्रीमति सवीता कंवर	नीरथ	सवीता/कंवर
20	परीक्षित शर्मा	नीरथ	Sharma
21	श्रीमति कीर्ती शर्मा	नीरथ	कीर्ती देवी
22	श्रीमति कमलेश शर्मा	नीरथ	कमलेश

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक........................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री. .... की अध्यक्षता में.....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई,

जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक....................

विषय :-	नाम	गांव	हस्ताक्षर
26	श्री राम दयाल भण्डारी	बलथाना	Ram dayal
27	राकेश कुमार	नीरला	[signature]
28	~~सुरजीत सिंह~~	~~नरोला-रोपड़ी~~	[signature]
29	मोलदीय	नीरथ	[signature]
30	प्यारे लाल भण्डारी	बलथाना	प्यारेलाल
31	श्री गोविन्दर राजपूत	बरकोहली	[signature]
32	पिंगला चौहान	निनगू	[signature]
33	आशा देवी	बरकोली	आशादेवी
34	ज्ञान चन्द	नीरथ	ज्ञान चन्द
35	शिव लाल	बलथाना	[signature]
36	गोपाल भण्डारी	-do-	[signature]
37	दुर्गेश भण्डारी	-do-	Gopal bhandari
38	किशन दास	बलथाना	किशनदास
39	रमेश सिंह	बलथाना	[signature]
40	Gamdan Singh	Balthana	[signature]
41	Veer Singh	Chunja	[signature]
42	Jagdish	Balthana	Singh
43	Rajinder Singh	-do-	[signature]
44	Rajpal Bhandari	-do-	Bhandari
45	Budh	टोरा	Budh
46	प्रदीप		[signature]
47	Sunil Kumar	Do.	[signature]
48	Jawahar Lal	Dari	[signature]
49	Pramod Kumar	do	[signature]

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव
... सही व दुरुस्त है जोकि कार्यवाही
... पन है ।

F-75

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक..................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री... की अध्यक्षता में....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई,

जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक..................

विषय :-	नाम	गांव	हस्ताक्षर
26	श्री राम दयाल भण्डारी	बलथाना	[illegible]
27	राकेश कुमार	नरोला	[illegible]
28	~~सुरजीत सिंह~~	~~नरोला-[illegible]~~	[illegible]
29	[illegible]	~~नीरथ~~	[illegible]
30	प्यारे लाल भण्डारी	बलथाना	प्यारे लाल
31	श्री [illegible] राजू	बरकेली	[illegible]
32	[illegible] चौहान	[illegible]	[illegible]
33	आशा देवी	बरकेली	आशा देवी
34	ज्ञान चन्द	नीरथ	ज्ञान चन्द
35	शिव लाल	बलथाना	[illegible]
36	गोपाल भण्डारी	-do-	Gopal Bhandari
37	[illegible] भण्डारी	-do-	[illegible]
38	किशन दास	बलथाना	किशन दास
39	रमेश सिंह	[illegible]	[illegible]
40	Govardhan Singh	Balthana	[illegible]
41	Veer Singh	Chunja	[illegible] Singh
42	Jagdish	Balthana	[illegible]
43	Rajinder Singh	-do-	[illegible]
44	Rajpal Bhandari	-do-	Bhandari
45	Budh [illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]		[illegible]
47	Sunil Kumar	Do.	[illegible]
48	Jawahar Lal	Do.	[illegible]
49	Pramod Kumar	-do-	[illegible]

...मित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव ...क सही व दरूस्त है जोकि कार्यवाही ...पन है ।

(11)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.................................की अध्यक्षता में.....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक..................

विषय :-	नाम	गांव	हस्ताक्षर
52	TILAK RAJ	नीरथ	Tilak Raj
53	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54	Lachhmi	Bhorakhan	Lachhmi
55	प्रेम चन्द	[illegible]	प्रेम चन्द
56	[illegible]	नीरथ	[illegible]
57	[illegible]	नरोला	[illegible]
58	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59	[illegible]	Nirth	[illegible]
60	Hari Chand	[illegible]	[illegible]
61	PRAVEEN THAKUR	NIRATH	[illegible]
62	Ravi Mohan	Nirath	[illegible]
63	[illegible]	[illegible]	[illegible]
64	Sunder SINGH	NIRATH	[illegible]
65	NIHAL CHAND	[illegible]	[illegible]
66	Suresh Kumar	Nirath	Kapoor
67		[illegible]	[illegible]
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव वास्तविक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

दिनांक 1-7-2018

सेवा में

श्रीमान महा प्रबन्धक
लुहरी जल विद्युत परियोजना,
निथल (शिमला)

विषय :- गांव चैरोट में खसरा नं० 14, 15 और 16 को परियोजना के लिए अधिग्रहण करने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम हरदयाल सिंह, राजकुमार पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह, अमित कुमार पुत्र स्व० श्याम लाल गांव चैरोट, अपनी जमीन जो खसरा नं० 14-15-16 में है परियोजना के लिए देने को तैयार हैं। इसलिए हमारी आप से प्रार्थना है कि हमारी भूमि का अधिग्रहण किया जाए ताकि हम भी परियोजना का लाभ उठा सके जी। धन्यवाद।

(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)

हरदयाल सिंह, राजकुमार, अमित कुमार
गांव चैरोट डाकघर
शमाथला उपतहसील कोटगढ़
जिला शिमला (हि० प्र०)

[illegible] /2018 [illegible]
1/7/2018

दिनांक:......................

सेवा में,

उपमण्डलाधिकारी (ना.) महोदय,
उपमण्डल, कुमारसेन, जिला शिमला, हि0प्र0

<u>ग्रामीणों की समस्या का समाधान</u>

1. गांव रिवाली, बिथल, चरौटा के लिए लिफ्ट सिंचाई व पेयजल स्कीम चल रही थी जो कि 31.7.2000 में सतलुज में बाढ़ आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब यहां पानी की समस्या को देखते हुए इस स्कीम को प्राथमिकता के आधार पर दुरूस्त कर चालू किया जाये।

2. ग्राम पंचायत शमाथला के हर गांव में पीने व सिंचाई के पानी की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है जिसके निवारण के लिए एक नई लिफ्ट सिंचाई व पेयजल स्कीम उपलब्ध करवाई जाए।

3. स्थानीय व पंचायत के युवाओं को ~~योग्यतानुसार~~ रोजगार प्रदान करवाया जाए।

4. परियोजना क्षेत्र के बिथल में 25 कि0मी0 की दूरी तक कोई अस्पताल नहीं है जिस कारण यहां के क्षेत्रवासियों को उपचार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को होती हैं इसलिए यहां पर एक 10 बैड के अस्पताल का निर्माण कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

5. हैल्पेज इंडिया (सतलुज संजीवनी सेवा) की तरफ से जो सेवाएं दी जा रही हैं वे अतिसराहनीय हैं। इसकी हम भरसक प्रशंसा करते हैं। हमारी आपसे विनती है कि इसके साथ प्रयोगशाला (Lab) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिससे विभिन्न रोगों से सम्बन्धित रक्त की जांच यहां हो सके।

6. यहां पर पशुओं के अतिक्रमण से फसलों को काफी नुकसान हो रहा है जिसके लिए इन क्षेत्रों मे जैसे कि रिवाली, छवाण, हनोग व भैरा में बाड़ लगाई जाए व असहाय पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किया जाए।

7. यहां पर सेब सीजन में अदानी सेब कोल्ड स्टोर व विजय सेब कोल्ड स्टोर में सेब आने की वजह से गाड़ियों की काफी आवाजाही होती है जिससे लोगों की भीड़ हो जाती है। बिथल के कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहते हैं जिसके लिए यहां स्ट्रीट लाईटों, शौचालयों का निर्माण व सफाई की व्यवस्था का प्रावधान किया जाना अनिवार्य है जिससे स्वच्छता बनी रहे।

8. इस क्षेत्र में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का डी.पी.एस. अथवा डी.ए.वी. अथवा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए जिसमें बड़ा खेल मैदान भी हो ताकि बच्चों को अपना कौशल विकास करने में मदद मिल सके।

9. सिंघापुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 से नगरांव गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए जिसका सर्वे लोक निर्माण विभाग ने काफी पहले कर रखा है। (संभुलय)

अतः इस ग्राम पंचायत की उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका निदान करने के लिए बजट स्वीकृत कर अमलीजामा पहनाने की कृपा करें। सभी पंचायत वासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

received on 1/7/2018 with Annexure
6.1/7/2018

भवदीय

दिनांक:

प्रधान
ग्राम पंचायत शमाथला
उप-तह0 कोटगढ़ जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक 07-7-2018

सेवा में

महा प्रबन्धक
लुहरी जल विद्युत परियोजना
निथल (रिवाली)

विषय :- गांव धरोग के खसरा नं० 26 के अधिग्रहण करने बारे।

महोदय,

निवेदन है कि हम ने पहले भी उपरोक्त खसरा को अधिग्रहण करने बारे आप को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र दिया था। आज हम दोबारा आप को खसरा नं० 26 को अधिग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्यों कि खसरा नं० 21, 22 जो कि पहले ही परियोजना के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। हमारी जमीन इन्हीं खसरा नं० के साथ लगती है। इसलिए हमारी आप से प्रार्थना है हमारी जमीन का अधिग्रहण किया जाए जी ताकि हम भी परियोजना का लाभ उठा सके जी। धन्यवाद।

...ived on ...7/2018 ...
... Sunrai
11/7/2018

[signature] 11/7/2018
टेक सिंह चौहान
पुत्र स्व० श्री लोभ राम
गांव रिवाली डा० घर
झमापला उप तह० कोटगढ़
जिला शिमला

[signature]
जीत सिंह चौहान
पु० स्व० लोभ राम
गांव रिवाली
डा० झमापला
उप तह० कोटगढ़
जिला-शिमला

F-80

सेवा में

अति. महाप्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासनिक
लू॰ ज॰ वि॰ परि॰ सुन्नी (रिवाली)
जिला - शिमला (हि॰ प्र॰)

विषय :- गांव चरौंटा के खसरा नम्बर 26 के अधिग्रहण करने के बारे में-

मान्यवर जी,

विनम्र उपरोक्त में, हम निम्नलिखित प्रार्थना करते है:-

1) चक चरौंटा में अराजी ख॰ न॰ 26 के मालिक है। इस चक में ख॰ न॰ 21,22 लू॰ ज॰ वि॰ परि में डपिंग हेतू अधिग्रहण किए गए है। उपरोक्त नम्बर के साथ मेरा खसरा नम्बर 26 लगता है, उसे भी साथ मे अधिग्रहण किया जाए।

2) चक रिवाली मे अराजी ख॰ न 15, 12, 11, 10 जिनके मालिक धर्मसिंह जगदीश सिंह, विमला देवी है। उक्त भूमि को अर्जित नही करवाना चाहते है। इस बारे मे उन्होंने प्रार्थना - पत्र आपके कार्यालय मे दे रखा है जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है।

3) चक रिवाली के उपरोक्त नम्बर के बदले चक चरौंटा का ख॰ न॰ 26 अधिग्रहण किया जाए ताकि चक रिवाली मे ख॰ न॰ 15, 12, 11, 10 की अधिग्रहण भूमि की कमी को पूरा किया जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे प्रार्थना - पत्र पर सहानुभूति से विचार कर के चरौंटा के ख॰ न॰ 26 को लू. ज. वि॰ प॰ के लिए अधिग्रहण करेंगे।

धन्यवाद

(हस्ताक्षर)
टेक सिंह चौहान
S/o श्री लोभ राम
गांव रिवाली डा॰घर - शमाभला
तै॰ - कुमारसैन जिला - शिमला।
M.No. 94595622 75

(हस्ताक्षर)
जीत सिंह चौहान
S/o श्री लोभ राम गांव-रिवा[ली]
डा॰घर - शमाभला तै॰ - कुमार[सैन]
जिला शिमला
M.No - 9459268881

চাল 2008 ইং মৌজা [illegible] পট্টা নং 20 মহকুমা [illegible] জিলা [illegible]

1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[illegible]	[illegible]	—	—	26	0-22-80	—	—	[illegible]	[illegible]
				17	2-49-67				
					2-25-17				
					0-24-50				
					0-19-74				
					0-04-76				

F-8

नकल

जमाबन्दी ~~[illegible]~~ साल 2008-09 मुहाल [illegible] हदबस्त नं० 20 तहसील [illegible] जिला [illegible]

नम्बर खेवट या जमाबन्दी	नम्बर खतौनी	नाम पट्टी या थोक नम्बर तरफ व थला	नाम मालिक मय हिस्सा अहवाल सहित	नाम काश्तकार मय अहवाल सहित	[illegible]	नम्बर खसरा		रकबा व किस्म	लगान मय तफसील	किस्म व पैमाना [illegible]	मुतालबा व बजबराहत मालकाना	कैफियत
						नवीन	पुराना					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 [illegible]	10	—	[illegible]	[illegible]	—	—	26 [illegible]	0-22-80 [illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]
				[illegible]			19 [illegible] 2-25-17	2-49-67 [illegible] 0-24-57 [illegible] 0-19-74 [illegible] 0-04-76	—			[illegible] 08/11/12

[illegible]

[illegible] (মেছুয়া) [illegible]

মৌজা [illegible] নং: [illegible]

উত্তর

[illegible] ১০ [illegible]

[illegible]

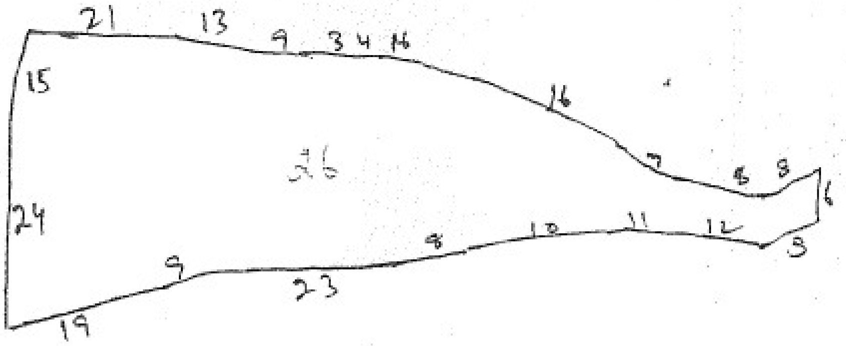

[illegible] 8/7/13

DATE
PAGE NO

सेवा मे

माननीय उप मंण्डल अधिकारी
तै० कुमारसैन जिला शिमला।

विषय लूहरी जल विद्युत परियोजना केस । मे
एस आई रिपोर्ट पर चर्चा

महोदय

आप से नम्र निवेदन है कि हमारे सुझाव को लागू कराने मे हमारी मदद करे ग्राम, रिवाली, चरोटा व नोला की एक परियोजना प्रभावित परिवारो को परियोजना प्रभावित सहकारी सभा पंजीकृत है जिन के निम्न लिखित सुझाव है भूमी अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन अधिनियम 2013 केन्द्र सरकार 2015 मे सरकार की Amendment की गई है जिस मे 26A के तहत प्रभावितो को मुवावजा ग्रामीण क्षेत्र मे 4 गुणा देना माना है और पूरे परियोजना क्षेत्र मे एक समान मुआवजा दिया जाना भी इस मे है कई राज्यो जैसे उडीसा, गुजरात, तमिलनाडू व छतीसगढ व अन्य कई राज्य मे इसे लागू कर प्रभावितो को मुआवजा दिया जा रहा है जिस हमे भी इस के आधार पर मुवावजा दिया जाए

नं०2 नोला का सर्कल रेट 1003 लिखा गया जब कि 2011-12 मे नोला का प्रति बिस्वा 28583 रू० था इसे ठीक किया जाए

Received on [illegible] 2018 in [illegible] Sunvai. [illegible]

JINDAL

[illegible]

F-85

3 रिवाली का रेट 11458 रु० है जब कि सांगा मजाती चरौ
का मु० 2368 है इसे भी ठीक किया जाए

4 मुआवजा Category 4 मे डाला है इसे Category 1
डाला जाए

5. ग्राम रिवाली में एक 10+2 स्कूल DPS or DA
or Central School खोला जाए
परियोजना क्षेत्र मे एक Engineering College खोला
जाए

6 उठाउ सिंचाई योजना ग्राम पंचायत शगाअणा के
लिए एक उठाउ सिंचाई योजना बनाई जाए जिस के
SCR के जोड़ा का सारा पैसा इसी मे लगाया
जाए

7 ग्राम रिवाली मे एक गौशाला खोला
जाए

आप से नम्र निवेदन है कि आप
हमारी मांगों पर गौर करके इसे
लागू करायें

आप का महान कृपा

दि॰ 1-7-2018 प्रार्थी

गोपाल महता

निवासी: परियोजना प्रभावित सहलो
सभा पंचायत रिवाली, चरोटी,
मौला
डा० शगाअणा जिला शिमला हि

Mobile 9418110660

LN 172

JINDAL

Signature ____

F-86

सेवा में

माननीय उप मण्डल अधिकारी
तह० कुमारसैन जिला शिमला।

[illegible]

एस आई रिपोर्ट पर चर्चा

महोदय

आप से नम्र निवेदन है कि हमारे सुझाव को लागू करवाने में हमारी मदद करें ग्राम, रिवाली, चरोटा व नीला की एक परियोजना प्रभावित परिवारों की परियोजना प्रभावित सहकारी सभा पंजीकृत है जिस के निम्न लिखित सुझाव है

भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 केन्द्र सरकार 2015 में स्टेटमेंट की Amendment की गई है जिस में 26A के तहत प्रभावितों को मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुणा देना माना है और पूरे परियोजना क्षेत्र में एक समान मुआवजा दिया जाना भी इस में है कई राज्यों जैसे उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु व छत्तीसगढ़ व अन्य कई राज्य में इसे लागू कर प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है अतः हमें भी इस के आधार पर मुआवजा दिया जाए

2 नीला का सर्किल रेट 1003 लिखा गया जब कि 2011-12 में नीला का प्रति बिस्वा रु 28953 है अतः इसे ठीक किया जाए

Signature [illegible]

F-[illegible]

2 रिवालों की आबादी 1158 है जिसमें अनुसूचित जाती चरौटा
की संख्या 2365 है इस क्षेत्र को पिछड़ा घोषित किया जाए
मुआवजा Category 4 में आता है इसे Category 1 में
[illegible]

5 ग्राम रिवालों में एक 10+2 स्कूल DPS या DAV
or Central School खोला जाए
परियोजना क्षेत्र में एक Engineering College को खोला
जाए
6 उठाऊ सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत रामपुर? को
लिफ्ट एक उठाऊ सिंचाई योजना बनाई जाए जिसमें
SCR के तोड़ का [illegible] लगाया
जाए
7 ग्राम रिवालों में एक [illegible] खोला
जाए

आप से नम्र निवेदन है कि आप
हमारी मांगों पर गौर करके इसे
लागू करायें

आप का भवदीय

दि: 1-7-2018 प्रधान
गोपाल दत्त महता

for परियोजना प्रभावित सहकारी
सभा पंचायत रिवालों, चरौटा व
[illegible]
डा० रामपुर जिला शिमला हि० प्र०
Mobile 9418110660 PIN 172030

IND AL

Signature ____________

[illegible]

दिनांक 1 जनवरी 2011 से 31 दिसम्बर 2011 तक

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]6	30/4/11	—	—	—	—	0-00-76	0-00-76	0-01	400000/-
[illegible]5	27/1/11	—	0-00-95	—	—	0-00-12	0-01-07	0-03	525000/-
जोड़		—	0-00-95	—	—	0-00-88	0-01-83	0-04	9,25000/-
[illegible] प्रति बिस्वा		0-94	0-27	0-13	0-06	—	—	—	
प्रति बिस्वा		2173750-00	6243750-00	3006250-00	1387500-00				
प्रति [illegible]		1086875-00	312187-00	150312-00	69375-00				
प्रति [illegible]		28883-20	8296-23	3994.48	1843-60				

[illegible]

पटवारी
पटवार वृत्त [illegible]
तह कुमारसैन जिला शिमला (हि०प्र०)
4/1/12

[illegible] 1 जनवरी 2011 से 31 दिसम्बर 2011 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कुल रकबा	[illegible]	[illegible]
86	30/11	—	—	—	—	0-00-76	0-00-76	0-01	400000/-
95	27/11	—	0-00-95	—	—	0-00-12	0-01-07	0-03	525000/-
जोड़		—	0-00-95	-	—	0-00-98	0-01-83	0-04	9,25000/-
[illegible] प्रति बिस्वा		0-94	0-27	0-13	0-06	—		—	—
[illegible] प्रति बिस्वा		2,1737500-00	6243750-00	3006250-00	1387500-00				
[illegible] प्रति [illegible]		1086875-00	312187-00	150312-00	69375-00				
[illegible] प्रति [illegible]		28883-20	8296-23	3994-48	1843-60				

[illegible]

पटवारी [illegible]
पटवार [illegible]

No. 2623629 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

सेवा मे,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)

कुमारसैन।

जिला शिमला हि० प्र०।

विषयः- डम्पिंग के लिए भूमि देने हेतू प्रार्थना-पत्र।

महोदय

मैं सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, पुत्र स्व० श्री सेवा राम, ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़, उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र० का स्थाई निवासी हूँ। महोदय सतलुज जल विधुत निगम लि० द्वारा डमपिंग के लिए चक चरौटा में खसरा न० 22 जो भूमि ली गई है उसी के साथ हमारी भूमि भी है जिसका खसरा न० 20,25,27, है । महोदय डमपिंग के कारण हमारी भूमि खराब हो सकती है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी भूमि को भी डमपिंग के लिए स्वीकार करें जी। महोदय दिनांक 01-07-2018 को रूवाली गांव मे आपने जो लोक अदालत का आयोजन किया था उसमे मैं किसी कारण वश नहीं आ सका। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व ततीमा की फोटो कापी सलंग्न है।

धन्यवाद

Reader
2/7/18

भवदीय
Satish

सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, Mobile 9816051864

ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़,

उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र०

Endst: No. 1622 dt 02/7/18

Copy to – Team Leader AFC India Ltd. for n/a

2/7/18

F-9

№ 2623629 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

सेवा मे,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)

कुमारसैन।

जिला शिमला हि० प्र०।

विषयः- डम्पिंग के लिए भूमि देने हेतू प्रार्थना-पत्र।

महोदय

मैं सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, पुत्र स्व० श्री सेवा राम, ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़, उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र० का स्थाई निवासी हूँ। महोदय सतलुज जल विधुत निगम लि० द्वारा डमपिंग के लिए चक चरौटा में खसरा न० 22 जो भूमि ली गई है उसी के साथ हमारी भूमि भी है जिसका खसरा न० 20,25,27, है । महोदय डमपिंग के कारण हमारी भूमि खराब हो सकती है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी भूमि को भी डमपिंग के लिए स्वीकार करें जी। महोदय दिनांक 01-07-2018 को खवाली गांव मे आपने जो लोक अदालत का आयोजन किया था उसमे मैं किसी कारण वश नहीं आ सका। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व ततीमा की फोटो कापी सलंग्न है।

धन्यवाद

Reader
y2
2/7/18

भवदीय

Satish

सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, Mobile 9816051864

ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़,

उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र०

Endst. No. 1622 dt 02/7/18

Copy to – Team Leader AFC India Ltd. for n/a

[signature]

2/7/18

F-92

2	3	4	5	6	7	8	
					घासनी 00-01-19		

Certified that this copy has been generated from the database of Revenue Department Tehsil कोटगढ as accessed by the Lok Mitra Kendra LMK Kotgarh on 02-July-2018

To Verify; enter the Copy No above Bar Code at http://admis.hp.nic.in/himbhoomilmk
For Validity Refer : Notific. No:Rev-C(F)/10-1/2009 Dated 14-Feb-2011

Jam0006184189

निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनाँक: 02-Jul-2018

F-9

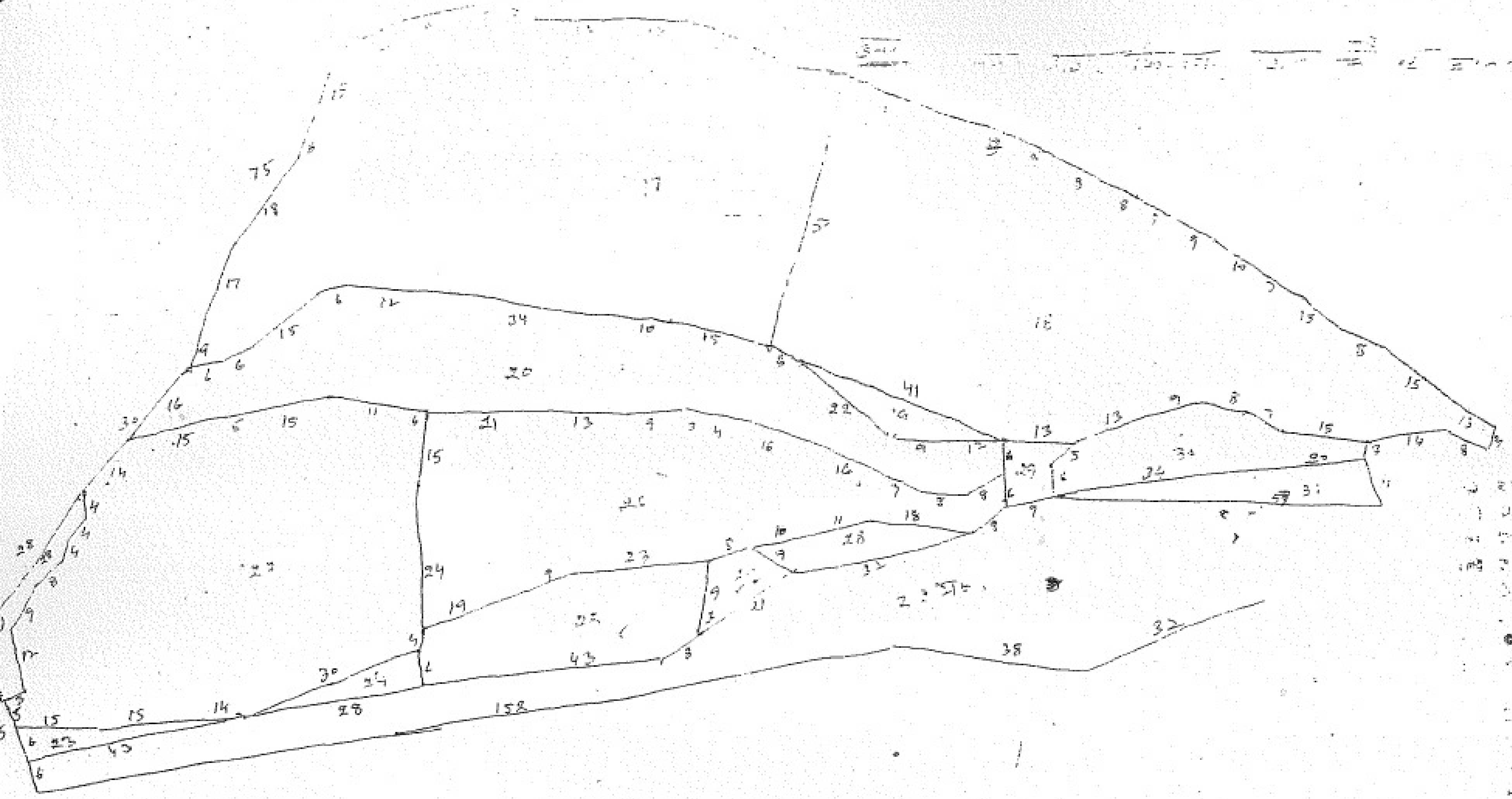

150

Date of Application 15

Total Charges. 12

Date of Delivery. 15.

Certified to be a true copy

(Signing Officer) 15/7/11

Authorised by Section 73 of the Indian Evidence Act, 1872

ATTESTED

वीना नेगी
प्रधान
ग्राम पंचायत, दत्तनगर

98160-24180
मोबाईल: 94184-22899
गाँव व डाकघर दत्तनगर,
तह० रामपुर जिला शिमला (हि०प्र०)

क्रमांक.................. A.F.C के प्रमुख दिनांक..................

अरविंद शुक्ला

मैं यहां पर उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनन्दन करती हूं। S.D.M साहब रामपुर S.J.V.N.L से और सभी अधिकारी गण वनजीत सर

उपस्थित फैसला सोच समझ कर लिया जाए।

आज की इस पब्लिक हियरिंग का ~~मतलब~~ मतलब है इस मीटिंग से क्लीयरेंस लेना।

क्या आप सभी इस क्लीयरेंस देने को तैयार हो, मुझे तो लगता है कि हमारा अभी तक लाडा का पैसा पंचायत को नहीं मिला मैं D.C साहब के पास गयी थी लाडा के पैसे के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि लाडा का पैसा तो मेरे आने से पहले ही खर्च हो चुका है। या जा चुका है। पर पैसा कहा गया मैंने तो R.T.I भी दे दी है, पर अभी तक उसका जवाब नहीं आया। पहले वाली सरकार ने कुछ किया होगा तब भी मैं उनके साथ लड़ने को तैयार हूं अभी वाली सरकार ने कुछ किया होगा तो मैं उनके साथ भी लड़ने को तैयार हूं। मेरी जनता को और मेरी पंचायत को हमारा शेयर मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता तब तक तो ~~क्लीयरेंस~~ क्लीयरेंस यहां से जानी चाहिए।

जब तक हमें हमारा प्रोजेक्ट नहीं मिलता।
हम लोगों को उसी तरह से बेवकूफ
बनाया जाता है। बाकी मैं ज्यादा नहीं
कहूंगी। आप लोगों का सहयोग मुझे
चाहिए अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती।
बाकी जो आप लोगों का फैसला होगा मैं
आप के साथ हूं। आज मैं यही
कि आप लोगों का जो फैसला होगा वही मान्य होगा।
बाकी सजेशन 1 रिक्वेस्ट मेरी आप से यही है कि
जब प्राजेक्ट बनेगा तो एक जब वहां से निकलेंगे
तो वो यहां सनगर में डाली जाए।
2. रिक्वेस्ट सर आप से यही है कि सवच्छता
की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जब
यहां प्रोजेक्ट बनेगा तो पोपुलेशन भी बढ़ेगी
तो लोग ज्यादा होंगे तो कूड़ा कचरा भी उतना ही
ज्यादा फैलेगी। इसलिए गाड़ी हमें दी जाए
जिससे हम कूड़ा इकट्ठा कर सकें। और डंपिंग
ग्राउंड भी आप ही बना कर दें। सवच्छता का ध्यान
अभी से ही रखा जाए। और मेरी पंचायत को
भी लगे की हमारी पंचायत में इतना प्रोजेक्ट
बनने वाला है। जिसका हम भरपूर फायदा उठा
रहे हैं। और हमारी पंचायत स्वच्छ दिखे।
बाकि ज्यादा न कहते हुए मैं यही कहूंगी कि
बाकि मेरी जनता का जो फैसला है मैं आप
के साथ हूं। धन्यवाद

1) परियोजना प्रभावित परिवार के हर परिवार को परियोजना में रुजगार नौकरी।

2) परियोजना प्रभावित परिवार को ~~[illegible]~~ मुआवजा भू अर्जन अधिनियम की धारा 203 के अनुसार अधिकतम सीमा चार गुना दिया जाए

3) परियोजना प्रभावित परिवार की समिती का ~~[illegible]~~ गठन किया जाए

4) परियोजना में घर खोने वाले परिवार को घर बना कर दिया जाए।

5) यह सभी समस्याओं को अविलम्ब से हल किया जाए।

Omprakash Sirsalkar
Bhadresh
8219303689

Saraswati

DATE: 30.06.2018

जन - सुनवाई SDM आनी की अध्यक्षता

जुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - निथर एवं देहरा
उपतहसील - निथर, जिला - कुल्लू

क्र०सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	चेत सिंह	SDM Anni		8894470233	[signature]
2	[illegible]	[illegible]		9418486053	[signature]
3	Pradeep Chandel	Naib Tehsildar		94185-83475	[signature]
4	Bindu Thakur	R.S Chairperson	Nirmand	9459749821	[signature]
5	Pappi [illegible]	K.P. [illegible]		9816991313	[signature]
6	[illegible] Devi	B.D.C. Nither		9418059717	[signature]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94188-42037	[signature]
8	[illegible]	Shaneh	Dera	9459822623	[signature]
9	Jai Chand	Shruch	Dehra	9857776741	[signature]
10	[illegible]	[illegible]	Dehra	962579247	[signature]
11	[illegible]	Nitha	Nitha	9015672796	[signature]
12	Sanjay	Shoucha	Dehra	9129407003	[signature]
13	[illegible]	[illegible]	Nither	9418822183	[signature]
14	[illegible]	Shanah	Nither	7018597743	[signature]
15	Parvinder	Shanah	Dehra	8988494469	[signature]
16	[illegible]	Shanah	[illegible]	9459724388	[signature]
17	Govind Singh	Moin	Dehra	9418120529	[signature]
18	उत्तम राम	मोहना	देहरा	8679724834	[signature]
19	श्याम लाल	[illegible]	देहरा	9852287579	[signature]
20	राम [illegible]	[illegible]	देहरा	9805963066	[signature]
21	मालू राम	पडई	देहरा	8988065035	[signature]
22	Bichitar [illegible]	शावद	देहरा	94186-46511	[signature]

क्र०सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
23	धर्मदास	धमाह	देहरा	9459789040	धर्मदास
24	Mahipal	[illegible]	[illegible]	9816411674	[signature]
25	सीताराम	मोहल	देहरा	9805585735	सीताराम
26	[illegible]	[illegible]	देहरा	9617797092	[signature]
27	[illegible]	[illegible]	निथर	9459294401	[signature]
28	रामस्वरूप	[illegible]	निथर	9129406191	[signature]
29	किशोरलाल	[illegible]	देहरा	9805469236	किशोरीलाल
30	[illegible]	[illegible]	देहरा		[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	देहरा	9418[illegible]	[signature]
32	[illegible]	[illegible]	देहरा	988[illegible]72	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	देहरा	9129539882	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	देहरा	985[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	देहरा	967792083	[illegible]
36	Janmesh Kr	Dhanar	Dehra	89880 [illegible]	[signature]
37	[illegible]	Anas	Dehra	7019368315	[signature]
38	[illegible]	[illegible]	Dehra	—	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	देहरा	8628934474	[illegible]
40	[illegible]	धमाह	निथर	8679336133	[signature]
41	[illegible]	[illegible]	निथर	9459294403	[signature]
42	[illegible]	[illegible]	निथर	9318822202	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	निथर	—	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	देहरा	9857786740	[signature]
45	[illegible]	[illegible]	देहरा	—	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	देहरा	945908602	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	देहरा	945956499	[illegible]
48	पुनीत कुमार	[illegible]	देहरा	9418477259	[signature]
49	शेरसिंह	[illegible]	[illegible]	8265022600	Sheersingh
50	रोहित	[illegible]	देहरा	9805130540	Rohit
51	[illegible]	Sanani	Tandi	8679836000	[signature]
52	Asar	Dhanari	Nithar	9459035741	[signature]
53	Rakesh	Dhanari	Nithar	94181189[illegible]	[signature]

क्र०सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
54	Devinder Kumar	ANAS	Nithar	98572-67905	[signature]
55	Rajender	Gharal	Nithar	9817908383	[signature]
56	Meena Singh	do	do	86795-75514	[signature]
57	[illegible]	[illegible]	Mithar	98160-33498	[signature]
58	Pawan	[illegible]	Mithar	98166-35985	[signature]
59	Pramod	Daba	Nither	9459039228	[signature]
60	[illegible]	[illegible]	Nither	8262988487	[signature]
61	[illegible]	[illegible]	देहरा	9805499006	[illegible]
62	Rajnath	Khadrechu	Nither	88940-60841	[signature]
63	Nagesh Thakur	Anas	Dehra	8988886091	[signature]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9459235344	[illegible]
65	[illegible]	[illegible]	Dehra	9129470769	[signature]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70187890	[signature]
67	Bhupender	Ghaarli	Nither	94185-15988	[signature]
68	Vijay Gauger	[illegible]	Nither	9817018329	[signature]
69	Bheem Singh	Shakroli	Dhera	9418007757	[signature]
70	[illegible]	Kajodhar	DHERA	9625069109	[illegible]
71	Chander Prakash	DHAR	DHERA	9821902993	[signature]
72	Rajeev Kumar	Dehra	Dehra	9805029902	Rajeev
73	[illegible]	Nither	Nither	9882762606	[illegible]
74	Gopal Chand	Dhar	Dhera	9817445722	[signature]
75	Sunil Kumar	Moria	Dehra	8788828044	[signature]
76	Shashi Bhushan	Main	Dehra	9459471588	S Bhushan
77	MUNI LAL	SHOUCHA	DHAR	8[illegible]	[signature]
78	Ravesh Chand	Main	Dehra	98166224190	[signature]
79	Pankaj	Gharal	Nither	9816577839	[signature]
80	Jeet Singh	Main	Nither	8894248874	[signature]
81	Suresh Kr	Dhuhan	Dhara	9418270181	[signature]
82	[illegible]	Dhara	Dhara	8674139619	[illegible]
83	Rakesh Kr	Deva	Dhara	9418245239	[signature]
84	[illegible]	V. Kholag	[illegible]	9418579082	[signature]

क्रम सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
85	Jagdish	Ghorli	NTL Dehra	9 [illegible]	[signature]
86	Gupal	Moin	Nither	9165 [illegible]	[signature]
87	Jaswant	Gharoli	Neethar	9816868803	[signature]
88	[illegible]	खवगरा	Neethar	9857286774	[signature]
89	Madanlal	मोईन	[illegible] देहरा	8894515119	[signature]
90	Milap Sharma	Dhanahe	Dehra	98173-33800	[signature]
91	[illegible]	Jhilli	Nither	86798-[illegible]	[signature]
92	Dharamfaul	Chaunala	G.P. Dehra	9459215760	[signature]
93	Prem Paul	Chetri	G.P. Dehra	94592-[illegible]	[signature]
94	Rakesh Gopi	[illegible]	देहरा	9459268687	[signature]
95	Sameer	Shakroli	Dehra	8219319957	[signature]
96	[illegible]	[illegible]	Nither	9805444460	[signature]
97	Jai Singh	Dhamer	Nazehar	94592 9445	[signature]
98	Anuspal	Moin	Dehara	98160-2242	[signature]
99	Aneet Kumar	Moin	Dehra	70181-84699	[signature]
100	Mukesh	"	"	8219891156	[signature]
101	[illegible]	"	"	9459262580	[signature]
102	Jagdish	Moin	Dehra	9816240771	[signature]
103	[illegible]	"	"	9418472319	[signature]
104	[illegible]	[illegible]	"	9857621707	[signature]
105	Dhyan Singh	Anas	देहरा	9805766871	[signature]
106	[illegible]	Neethar	"	9129404454	[signature]
107	Durga Singh	Moin	देहरा	7018545171	[signature]
108	Budhi Singh	Shakroli	Dehra	9418811794	[signature]
109	Shyam Chand	Chaunala	Dehra	9459391999	[signature]
110	Rajha	[illegible]	[illegible]	9129171011	[signature]
111	Manoj		देहरा	7807394636	[signature]
112	[illegible]	[illegible]	देहरा	9817436057	[signature]
113	[illegible]	[illegible]	देहरा	9817525409	[signature]
114	[illegible]	मोईन	देहरा	88942-00914	[signature]
115	[illegible]	मोईन	देहरा	9816908846	[signature]

क्रम सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
116	गुड्डू	मोवी	देहरा	=	[signature]
117	[illegible]				
118	[illegible]	[illegible]	देहरा	94181-53211	[signature]
119	[illegible]	मोईन	देहरा	9817513986	[signature]
120	[illegible]	मोईन	देहरा	9816806653	[signature]
121	[illegible]	मोईन	देहरा	9805576570	[signature]
122	[illegible]	[illegible]	Dehra	9828542183	[signature]
123				—	
124	Yojan Dutt	[illegible]	[illegible]	96250 96331	[signature]
125	[illegible]	[illegible]	देहरा	8219805351	[signature]
126	B. B. Bharti	Gharoli	Nither	9817054400	[signature]
127	[illegible]	[illegible]	Nither	94180-67349	[signature]
128	VIVEK THAKUR	Anas	Dehra	9459479109	[signature]
129	Shadi Lal [illegible]	Neethar	Dehara	9817035951	[signature]
130	Daleep Thakur	Gharoli	Nither	9805429498	[signature]
131	[illegible]	Gharoli	Nither	9816198199	[signature]
132	Nagen Chand	Moin	Nither	9816040351	[signature]
133	[illegible]	Gharoli	Dehra	7018653477	[signature]
134	[illegible] Thakur	Gharoli	Neethar	9418051178	[signature]
135	[illegible]	Shakroli	Dehra	9418010149	[signature]
136	[illegible] Singh [illegible]	Shakroli	Dehra	9816419415	[signature]
137	Gopal Singh	Gharoli	Neethar	985-[illegible]	[signature]
138	[illegible]	Gharoli	DHERA	9817020773	[signature]
139	Saroj Bala	Palkari	Dehra	7807315338	[signature]
140	Bindu Devi	Dhanah	Nither	9805086639	[signature]
141	Chander Kanta	Jalari	Durah	9816027314	[signature]
142	Kapoor Thakur	Shroli	Dehra	9418217902	[signature]
143	[illegible]	[illegible]	Neethar	9459027178	[signature]
144	[illegible]	[illegible]	देहरा	9418274968	[signature]
145	[illegible]	[illegible]	"	"	[signature]
146	लता देवी	"		9857621321	[signature]

P-102

क्रमांक	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल न०	हस्ताक्षर
147	मोर दासी	घरोली	निथर	—	मोर दासी
148	नर्मदा देवी	घरोली	निथर	—	नर्मदा देवी
149	कुशला	घरोली	निथर	—	कु शला
150	शकुन्तला	घरोली	निथर	8698490960	शकुन्तला
151	पिंकी देवी	घरोली	निथर	9805446446	Pinki devi
152	गौरा देवी	घरोली	निथर	—	गौरा देवी
153	शकुन्तला	घरोली	निथर	—	शकुन्तला
154	[illegible] देवी	घरोली	निथर	—	[illegible] देवी
155	नीना ठाकुर	घरोली	निथर	9418051178	Thakur
156	प्रमीला	घरोली	निथर	97367-72950	प्रमीला
157	Sonu	घरोली	निथर	8988128277	Sonu
158	Kapil	Dhamah	Neether	98822-72770	[illegible]
159	Shobha	घरोली	—	9805423961	Shobha
160	Sunil	[illegible]	—	9816217095	Sunil
161	[illegible]	घरोली	निथर	—	[illegible]
162	[illegible]	घरोली	निथर	9418377829	[illegible]
163	Surender	Dhamah	Neethar	8988061219	Surender
164	Balkrishan	Dhamah	Neethar	8679706856	[illegible]
165	प्रदीप	देहरा	निथर	9805948005	प्रदीप
166	[illegible]	देहरा	Dhaur	9817324246	Kushma
167	[illegible] देवी	[illegible]	लवाह	9418270187	[illegible]
168	आशा	देहरा	लवाह		आशा
169	परमिला	देहरा	लवाह		प्रमिला
170	[illegible]	आनन्द	[illegible]	9418[illegible]	[illegible]
171	[illegible]		घरोली	9418[illegible]	[illegible]
172	[illegible]	जानम	देहरा	9816509457	Surinder
173	शिशपाल	[illegible]	देहरा	9459294368	[illegible]
174	Warila			9418461185	[illegible]
175	सन्तोष देवी				सन्तोष
176	रमेश	घरोली	निथर	9857964[illegible]	[illegible]

क्रमांक	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल न०	हस्ताक्षर
177	गंगा देवी	घरोली	निथर		Ganga Devi
178	कपिल देव	[illegible]	देहरा	9629874302	[illegible]
179	[illegible]	मोहन	देहरा	9817671960	[illegible]
180	अनीता	आनन्द	देहरा	9318744146	Anita
181	[illegible]	देहरा	देहरा	8679427899	[illegible]
182	[illegible] सिंह	आनन्द	—do—	9418244879	[illegible]
183	Haran Sing	[illegible]	Neelke	9129404395	[illegible]
184	[illegible]	घरोली	[illegible]	9129405419	[illegible]
185	Baljeet Singh		LHEP, SJVN	94184-56058	[illegible]
186	Vipal [illegible]	LHEP	SJVN	94180-92374	[illegible]
187	Rajinder Singh	LHEP	SJVN	94180-56152	[illegible]
188	Rajesh Sh.	—do—	—do—	9418452660	राजेश [illegible]
189	Alka [illegible]	RHPSL LHEP	SJVN	94131-50080	[illegible]
190	[illegible]	AFC	New Delhi	9910781550	[illegible]
191	Saurabh Porwal	AFC	N.D.	8587894552	Saurabh
192	MD MEHDOL	AFC	N.D	7903720350	

30-06-2018

DATE :
PAGE NO.:

जन - सुनवाई SDM आनी की अध्यक्षता

लुहरी हाइड्रो - इलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - गडेज
उपतहसील - निर्मंड
जिला - कुल्लू

क्र.सं	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1.	Chet Singh		SDM Anni	8894470233	[signature]
2	[illegible]		[illegible]	94184[illegible]	[signature]
3.	Surender Kumar Kail	Gadej		97364 66416	[signature]
4.	PREM RAJ KASHYAP	Press Correspondent		94180 55715	[signature]
5	[illegible]	[illegible]	Gadej	78[illegible]	[signature]
6	[illegible]	Koyal	Gadej	9816905[illegible]	[signature]
7	[illegible] देवी	कोयल	गडेज	9817337112	[signature]
8	हीरा देवी	कोयल	गडेज	9459737228	हीरा देवी
9	चम्पा देवी	कोयल	गडेज	9857850763	चम्पा देवी
10	Kiran devi	Bayal	गडेज	9817602804	Kiran
11	Ranjana	Bayal	Gadej	9805130148	Ranjana
12	[illegible] देवी	बायल	गडेज		[signature]
13	[illegible] देवी	बायल	"		[signature]
14	[illegible] शर्मा	बायल	बायल	98[illegible]7[illegible]	[signature]
15	[illegible]	कोयल	गडेज	94591824[illegible]	[signature]
16	Padam Singh.	Kail.	Gadej	98059-60[illegible]	[signature]
17	[illegible]	Kail	गडेज	94599[illegible]	[signature]
18	Laxman Singh	Kail	गडेज	9418133[illegible]	[signature]
19	Vinod Kumar	Kail	गडेज	973[illegible]06[illegible]	[signature]
20	Kanwar Singh Kail	Kail	गडेज	9418221524	[signature]
21	[illegible]	Kail	"	[illegible]	[signature]
22	[illegible]				

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं	नाम	गांव	पंचायत	मो.नं.	हस्ता.
23	Vivek Thakur	Koyal	Gadej	9459479109	[signature]
24	JITENDER THAKUR	Satwan	Gadej	7807250956	[signature]
25	VINAY SIRKECK	SATWAUN	GADEJ	9816420213	[signature]
26	[illegible]	Kail	Gadej	9418132995	[signature]
27	प्रेम चन्द	कोयल	गडेज	—	प्रेम
28	ईश्वर	कोयल	गडेज	98172-55[illegible]	[signature]
29	[illegible]	कायल	गडेज	—	[signature]
30	TOHI RAM.	"	"	—	
31	NOOR LAL	कोयल	"	78074 53[illegible]	[signature]
32	[illegible]	"	"	9816601[illegible]	[signature]
33	Shiv kumar	Kail	गडेज	9817988800	[signature]
34	[illegible]	B.D.C	गडेज	941847878	[signature]
35	[illegible]	—	[illegible]	88948 72854	
36	[illegible]	"	[illegible]	94184 56156	
37	[illegible]	[illegible]	गडेज	9816093611	[signature]
38	[illegible]	कोयल	"	9418145879	[signature]
39	Ashish	कोयल	"	94185-05311	[signature]
40	PRADEEP	गडेज	"	94182-19814	[signature]
41	Vinod Kumar	बायल	गडेज	9074475829	[signature]
42	Tek Chand	Moda	Gadej	94180 30559	[signature]
43	Hari Singh	Bayal	Gadej	985762014	[signature]
44	[illegible]	[illegible] (Kail)	Gadej	—	[signature]
45	Ogam Ram	Bayal	Gadej	941865778[illegible]	[signature]
46	[illegible]	बायल	गडेज	94185-22[illegible]	[signature]
47	[illegible]	बायल	गडेज	—	[signature]
48	Baljeet Singh		LHEP SJVN	94184 56[illegible]	[signature]
49	Vipul Thakur	LHEP	SJVN	9418092[illegible]	[signature]
50	Rajinder Singh	LHEP.	SJVN	94180-56152	[signature]
51	Rajesh Sharma	—	—	9418452[illegible]	[signature]
52	Alka Jaiswal	[illegible] LHEP	SJVN	94191-[illegible]	[signature]
53					

DATE :
PAGE NO. :

क्र.सं.	नाम	गाँव	[illegible]	मो० नं०	हस्ताक्षर
54	Saurabh Pomal	AFC	N.D.	8587894552	Saurabh
55	ARIJITA	AFC	New Delhi	7506031825	[signature]
56	MD MEHDUL	AFC	N.D	7903720350	[signature]
57	Sonu Kumar	AFC	N.D	7827631505	[signature]

DATE :
PAGE NO. :

DATE: 01.04.2018

जन-सुनवाई SDM की अध्यक्षता में

लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - रामाथला, ग्राम - रीवाली
उपतहसील - कोटगढ़
जिला - शिमला

क्र.स	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
1	Neeraj Gupta SDM Kumarsain				[signature]
2	[illegible] LAO			94184880..	[signature]
3	Pardeep K Jassal	N.T. Kotgarh		94181-5420	[signature]
4	Shyam lal Chauhan	Fieldlige	Kotgarh	9418074536	[signature]
5	Krishna	Rewali	Shamatha	8219175[illegible]0	[signature]
6	[illegible]	—	—	889436[illegible]35	[signature]
7	Sunita	—	—	945913176[illegible]	[signature]
8	Sushma Chauhan.	—	—	98162-95941	[signature]
9	पारवती	—	—	94599[illegible]676	[signature]
10	रक्षा देवी	—	—		रक्षा देवी
11	Manju Chauhan.	—	—	98164	876[illegible]
12	तारा देवी		—		तारा देवी
13	सुषमा		—	94180	69275 सुषमा
14	रिंकी	?	—	94180	41577
15	SARIKA CHAUHAN	—	—	98162	95944
16	Ranjna Chauhan	—	—	8988	111164
17	Sunita				
18	Shobha	—	—	9418669	617
19	कृतका		—	94186	60114
20	प्रेमा देवी		—		
21	हिरा वती	—	—	—	हिरावती
22	रक्षा				रक्षा

F 106

क्र. सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
23	Anuradha	रिवाली	श्यामाथला	9418057408	Anuradha
24	Priyanka	Rewali	Shamathla	7807471734	[illegible]
25	[illegible]	—	—	9816990804	[illegible]
26	Riksha Devi	Rewali	Shamathla	9418539195	Riksha
27	Yashla Devi	Rewali	"	9816216917	Yashla
28	Rachna Chauhan	Rewali	"	9459025297	Rachna
29	Lalit chauhan	Rewali	"	9459025297	[illegible]
30	Rakesh Jishtu	Khaslan	Khaslan	8350826234	[illegible]
31	कुन्ता देवी	—	—	—	Kamla
32	[illegible] देवी	"	"	"	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]		9816582963	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]		9805018396	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]		8219552119	[illegible]
36	[illegible] चौहान	रिवाली	श्यामाथला	8894668921	Chauhan
37	Karl Chauhan	Rewali	Shamathla	9459821356	[illegible]
38	Reshan	Rewali	"	98168-36951	[illegible]
39	ANOJ	Rewali	"	8627944956	ANOJ
40	Ankush	Rewali	"	7018528100	Ankush
41	Ayush	Rewali	"	9459125849	Ayush
42	[illegible]	[illegible]	"	9459569854	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817389347	[illegible]
44	[illegible] सिंह	[illegible]			[illegible]
45	Mama Ram	Nagian	Shamathla		[illegible]
46	Chaman Azad	Bhalari	"	9459228831	Azad
47	YOGRAJ AZAD	BHALARI	"	88198-98998	Yogrej
48	Raj Pal Jaret	Bhalasa	"	9418665815	[illegible]
49	Amar Chand	NOLA	"	9816034412	[illegible]
50	Gopal Dev	Shamathla	"	8894549381	[illegible]
51	Hans Raj	Halyana	"	8894961592	[illegible]
52	Dharamvir	Kanda	—	9816149857	[illegible]
53	[illegible]	Rewali	"	—	[illegible]

क्र. सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
54	GULAB MEHTA	Bithal	Shamathla	9816576888	[illegible]
55	Jeet Singh	Rewali	do	9459268881	[illegible]
56	MURAT Singh	AMARNAZ	do	9805142391	[illegible]
57	HARNAM	Aalyana	do	9817568813	
58	[illegible]	Kanda	do	9418025074	[illegible]
59	[illegible]	Rewali	Shand	—	
60	Tara Chand Chauhan	Bhadrash	Suttriaz	9816028688	[illegible]
61	Khushi Ram	Rewali	Shamathla	9459125814	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817524328	[illegible]
63	Rohit Chauhan	Rewali	Shamathla	9459125849	Chauhan
64	Nikhil Chauhan	Rewali	Shamathla	8278870015	[illegible]
65	Prem Singh Chauhan	Vicefradha	G.P. Alisam	9816504193	[illegible]
66	Neelam Thakur	Nihth	Nihth	9736557605	[illegible]
67	A.C. Chauhan	Rewali	Shamathla	9418309226	[illegible]
68	Sudhir Kumar	Rewali	Shamathla	9418308477	[illegible]
69	Hardayal	Rewali	Shamathla	9418540601	[illegible]
70	Tek Chand	Rewali	Shamathla	9459562275	[illegible]
71	[illegible]	—	←	←	[illegible]
72	Mathrani				[illegible]
73	Sanjay Kumar	Charoti	Shamathla	86288-12536	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	श्यामाथला	9816293543	[illegible]
75	Ashok Jishtu	[illegible]	"	9816035878	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	Shithla	9418718627	[illegible]
77	[illegible] Chauhan	[illegible]	[illegible]	8988111[illegible]8	[illegible]
78	Sudesh Chauhan	Bithal		9625896500	[illegible]
79	Amit	Bithal	—	9459822840	[illegible]
80	Mahesh	Rewali	Shamathla	9418014537	[illegible]
81	Adesh	Rewali	Shamathla	9459967235	[illegible]
82	Virender	Charoti	Shamathla	9816050491	[illegible]
83	Dev Kumar	Rewali	Shamathla	9816272995	[illegible]
84	Ramin	Rewali	Shamathla	8894888974	[illegible]

85	Jagdish	Rewali	Shamathla	9815529994	[signature]
86	[illegible] Lal	Rewali	Shamathla	9816160785	[signature]
87	Roshan Lal	Chowki	Shamathla	9988279597	[signature]
88	Sunil	Rewali	Shamathla	9816350922	[signature]
89	Anurag	Rewali	Shamathla	9816621413	[signature]
90	Davinder	Rewali	Shamathla	98254998[illegible]	[signature]
91	Diwan Chand	Saroge	✓	980561[illegible]	[signature]
92	[illegible] Singh	Saroge	✓	9816025669	[signature]
93	Madhu Mehta	Patwari	Shamathla	9459967380	[signature]
94	Surender Kum	Sateeala SHK	—		[signature]
95	Virender [illegible]	Shattile	Shamathla	9418068973	[signature]
96	[illegible]	— do —	— do —	9817332036	[signature]
97	Prakash	Naula	Sho —	981614[illegible]	[signature]
98	Yashpal	Rewali	do	9418001864	[signature]
99	Bhupinder	Rewali	do	9816557428	[signature]
100	[illegible]	Rewali	do	981693[illegible]	
101	Pawan	Rewali	do	9418181803	[signature]
102	Prem Thakur	ZP Member NHL		9816015977	[signature]
103	Meera Sharma	Chairperson PS		9459238421	[signature]
104	Aruna	B.D.C		9459791278	[signature]
105	Meena [illegible]	Pradhan		9817344024	[signature]
106	[illegible]	Rewali	Shamathla	98179-34778	[signature]
107	[illegible] Singh	Rewali Panch	Shamathla	9816655035	[signature]
108	[illegible]	Rewali	Shamathla	—	[thumb impression]
109	[illegible] Devi	Rewali	Shamathla		[signature]
110	[illegible] Chauhan	Rewali	Shamathla	8628810280	[signature]
111	Rajender Singh	Rewali	Shamathla	9816668407	[signature]
112	Vikas Mahajan	Rewali	[illegible] — do	9418136497	[signature]
113	Alka Jaiswal		RHS LHSP	9418155080	[signature]
114	Baljeet Singh		LHSP	9418456058	[signature]
115	Vipal [illegible]		LHSP	9416092929	[signature]
116	Rajesh Sh.		do	9418452860	[signature]

117	A.K. Shukla	AFC. N.D	9918781550	[signature]
118	Saurabh Bansal	AFC, N.D.	8587894552	[signature]
119	ARIJITA	AFC N.D	7506031825	[signature]
120	MD MEHDUL	AFC N.D	7903720350	[signature]
121	Sonu	AFC N.D	7827238505	[signature]

F-108

DATE :
PAGE NO. 2018

जन- सुनवाई SDM रामपुर की अध्यक्षता

लुहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत — नीरथ
तहसील — रामपुर.
जिला — शिमला.

क्र.स	नाम	गाँव	पंचायत	मो. नं.	हस्ताक्षर
1	Narender Chauhan	SDM Rampur			
2	लाल चंद	MLA.		9418029977	
3	Ruszani	Z.P. M.		9816150738	
4	Satpal Singh	Vice Pradhan GP Delath		9418908489	
5	B. Negi	LAO		2241868031	
6	Anirudh Bisht	Spokes Person B.C.C Rampur		98166-00010	
7.	Devinder	Nirath	Nirath	98170 98044	
8	Dalip Sharma	Nirath	Nirath	98050 62297	
9	Gopal Singh	〃	〃	9882135550	
10	Tikam Dev	〃	〃	97363-12403	
11	Hardev Chauhan	Nirath	Nirath.	98576 15951	
12	Lal Chand Sharma	Nirath	Nirath	9418475393	
13	Dev Durga Sharma	Nirath	Nirath	8278738646	
14	नारायण	सिरच	सिरच	9418126220	
15	Durga Dass	नरोला	नीरथ	9736082930	
16	Ram Dayal	बनाल	नीरथ	7807718091	
17	Ishwar Mehta	नरोला	नीरथ	9459391999	
18	पूरणचंद	शिंगला	नीरथ	98571-44992	
19	हिरदाराम	नरोला	नीरथ	9894676466	
20	G. D. Verma	-do-	-do-	9418131754	
21	~~[illegible]~~				
22	Uday Singh	-do-	-do-	9805882245	

F-109

DATE :
PAGE NO.:

क्र सं	नाम	गांव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
23	Hardyal Singh	Baldhana	[illegible]	[illegible]83104	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]7661	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8260688[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	डोई	[illegible]	94183[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78318[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	Nirath	75[illegible]3262	[illegible]
29	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
31	[illegible]	डोई	[illegible]		[illegible]
32	[illegible]	डोई	[illegible]	9817418453	[illegible]
33	Pyarelal	Chunga	[illegible]	9736489190	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	Nirath	9736506182	[illegible]
35	[illegible]	डोई	[illegible]	9816071233	[illegible]
36	[illegible]	Nirath	Nirath	9459[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	Nirath	9418[illegible]	[illegible]
38	B. S. Thakur	Nankhari	Nankhari	981777[illegible]	[illegible]
39	Santosh	Narola	Nirath	973[illegible]	[illegible]
40	Raghu	Mohan	Dehni	91297[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	Nirath	Nirath	9805[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
43	[illegible]	Nirath	Nirath	981615154[illegible]	[illegible]
44	[illegible]		[illegible]	9805[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8261097907	[illegible]
47	Raman Kumar	NIRATH	NIRATH	7018919[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	Nirath	9817[illegible]	[illegible]
49	[illegible] Bhardwaj			94182[illegible]	
50	[illegible]	Nirath	Nirath	9736[illegible]	
51	[illegible] Sharma	Nirath	Nirath	8894[illegible]	
52	[illegible] देवी	Nirath	Nirath		
53	[illegible] देवी	डोई	[illegible]	8894[illegible]	

DATE :
PAGE NO.:

क्र सं	नाम	गांव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
54	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
55		[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
57	[illegible] देवी	[illegible]	[illegible]	—	[illegible] देवी
58	[illegible]	[illegible]	Nirath	9736519357	Subhadra
59		[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
60	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8980402496	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
62	Rakshna	Bhaka	Nirath	8894644223	Rakshna
63	गीता	[illegible]		9318790066	गीता देवी
64		[illegible]	[illegible]	—	
65	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9459816357	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9805020868	[illegible]
67	[illegible] देवी	[illegible]	"	9882011464	[illegible] देवी
68	Kamlesh Chauhan	[illegible]	"	9459225044	[illegible]
69	[illegible] देवी	[illegible]	"	8988254388	
70	गोविन्द	[illegible]		9805087687	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8629899162	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9805302079	[illegible]
75	[illegible] देवी	[illegible]	[illegible]	9816455720	[illegible] देवी
76	Phoolan	[illegible]	[illegible]	9805095884	Phoolan
77	[illegible] देवी	[illegible]	[illegible]	9459974875	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9816905579	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	Panjrath	98172-67083	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9816681190	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]
84	Lal Dev	[illegible]	[illegible]	88942-99576	[illegible]

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
85	[illegible]	[illegible]	[illegible]	78340-18140	[signature]
86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98178-765[illegible]	[signature]
87	Devkuman	[illegible]	[illegible]	9459965896	[signature]
88	[illegible]	Dai	Nirth	9459986686	[signature]
89	Prakash Chand	NIRATH	NIRATH	94180-58[illegible]	[signature]
90	[illegible] Kumar		[illegible]	9418[illegible]	[signature]
91	Ashok Kapoor	Chunga	Delath	8894473394	[signature]
92	[illegible]	Chunga	Delath	94181-31003	[signature]
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8629083380	[signature]
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
95	Suresh Lal	Chajali	Bhuth	98161-8073[illegible]	[signature]
96	Ramesh	Kotidhar	Bhuttu	9816215[illegible]	[signature]
97	Cancel.				
98	Shyam Dutt	Nirath	Nirath	9857432975	[signature]
99	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817243659	[signature]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817717299	[signature]
101	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[signature]
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[signature]
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[signature]
106	[illegible]	Chunga	Delath	9817771605	[signature]
107	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98164-61279	[signature]
108	SURESH	NIRATH	NIRATH	98169-78679	[signature]
109	[illegible]NTA	Badsaal	DUTT NAGAR	9857[illegible]458	[signature]
110	SHAM	—do—	—do—		[signature]
111	Bobby	Bhera	Nirath	9817346025	[signature]
112	[illegible]	[illegible]			[signature]
113	Radha Joshi	BDC	Thalichaki	97365-12898	[signature]
114	Shiv Dassi	Pradhan	Thalichaki	82194-49949	[signature]
115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98184-5881	[signature]

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
116	Gyan	Doi	Nirth	945998[illegible]	[signature]
117	Surender	Doi	Nirath	8894621161	[signature]
118	Sandeep	Chunga	Delath	7807052[illegible]	[signature]
119	Baljeet Singh		HPBP SJVN	94184-56[illegible]	[signature]
120	Vikas Mahajan		do—	9418836447	[signature]
121	Rajesh Shar		—do—	941845266	[signature]
122	Alka Jaiswal		RHPS/LHEP	94181-50080	[signature]
123	A.K. Shukla	APC	New Delhi	9910781550	[signature]
124	Saurabh Porwal	APC	N.D.	8587894552	Saurabh
125	ARIJITA Pal	APC	New Delhi	7506031825	[signature]
126	MD MEHDUL	APC	N.D	79037203[illegible]	[signature]
127	Som kumar	APC	N.D	782[illegible]	[signature]
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					

6-111

DATE:
PAGE NO.:

DATE: 02-07-18
PAGE NO.:

जन सुनवाई SDM रामपुर की अध्यक्षता

लुहरी हाइड्रोकिट्रक परियोजना की समाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - दत्त नगर
तहसील - रामपुर
जिला - शिमला

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
1	Narender Chauhan - SDM Rampur				(Narender)
2	Rushmi	Dutt nagar		9816924-180	[signature]
3	Omprakash	Nirsu	Dutt nagar	9816356708	[signature]
4	Ram Sajal Lal	Vice Pradh. S.C. Nirsu	Nirsu	98165-04193	[signature]
5	Brijlal	Press Correspondent	Rampur	9418000024	[signature]
6	Deepinder Sharma	patwari Dutt Nagar	Dutt nagar	9817474749	[signature]
7	Amar Jeet	P.T.W	Dutt nagar	9459975791	[signature]
8	Vinay Kumar	PTW	Dutt nagar	9459034718	[signature]
9	Lal Bahadur	Nirath	Nirath	9857284160	[signature]
10	Chander Prabha	Dutt nagar	Dutt nagar	9459728182	[signature]
11	Ranjana	Nirsu	Dutt nagar	9459404561	Ranjana
12	Radha Devi	Nirsu	Dutt nagar	9459394982	Radha Devi
13	शान्ता	जगातखाना	दत्तनगर	9857713758	शान्ता
14	शालू	अड्डरा	दत्तनगर	9816726823	शालू
15	सुषमा	अड्डरा	दत्तनगर	9816039552	सुषमा
16	मुनि देवी	अड्डरा	दत्तनगर	94181-2633	मुनि देवी
17	Reena	[illegible]	[illegible]	98[illegible]	[signature]
18	ताउ देवी	मझाश	Dutt nagar		ताउ देवी
19	Bhishma Devi	"	"	9736727872	[signature]
20	सुमन देवी	"	[illegible]	8629052402	[signature]
21	नूर बीबी	"	"		नूर बीबी
22	देवकुमारी			9816[illegible]56[illegible]	

R-185

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
23	Usha Negi	Duttnagar	Duttnagar	9418183543	[illegible]
24	REENA	Duttnagar	Duttnagar	9996792323	[illegible]
25	Bhupinder	Bhadrash	—do—	7018755125	[illegible]
26	Jaytinder	Bhadrash	—do—	9816092300	[illegible]
27	Baldev Singh	—do—	—do—	9816580560	[illegible]
28	Padam Singh	—do—	—do—	94188 55317	[illegible]
29	[illegible]	—do—	—do—	98051-84427	[illegible]
30	[illegible]	—do—	—do—	88941-66942	[illegible]
31	Govind Singh	do	do	9805087652	[illegible]
32	[illegible]				[illegible]
33	[illegible]				
34	RAJESH	Bhadrash	Duttnagar	9959564894	[illegible]
35	Kaushlya	Duttnagar	11	8894962819	[illegible]
36	SUSHMA	11	11		[illegible]
37	Roop Dasi	11	11		[illegible]
38	Urmila Negi	11	11		
39	Urmila [illegible]				[illegible]
40	[illegible]				
41	[illegible]	[illegible]	दत्त नगर	9805199166	[illegible]
42	[illegible]	दत्तनगर	दत्त नगर	7831041210	[illegible]
43	Shiv Ram	Duttnagar		9459310095	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	94180-71353	[illegible]
45	Saroj Sharma	Duttnagar	Dutt Nagar	94502	27402 [illegible]
46	[illegible]	दत्तनगर	दत्तनगर	980560[illegible]	[illegible]
47	Omprakash	[illegible] Duttnagar		9817326496	[illegible]
48	RANESH	Bhadrash	Duttnagar	9805222076	[illegible]
49	[illegible]	Bhadrash	Duttnagar	9816228368	[illegible]
50	[illegible]	11	11	9736084775	[illegible]
51	[illegible]	11	11	9816186484	[illegible]
52	[illegible]	11	11	86279,34879	[illegible]

DATE :
PAGE NO.:

क्रमांक	नाम	ग्राम	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
54	[illegible]				[illegible]
55	[illegible]			9816855350	[illegible]
56	Vijay	Duttnagar	Duttnagar	9817444044	[illegible]
57	Parveen	Duttnagar	Duttnagar	94595-08649	Parveen
58	Sachin	Duttnagar	Duttnagar	78073-64190	[illegible]
59	Anirudh	Bhadrash	Duttnagar	70180-28884	[illegible]
60	Chetan	Duttnagar	—do—	82190 00198	[illegible]
61	Vipul [illegible]	LHEP	SJVN	94180 92574	[illegible]
62	Rajinder	LHEP	SJVN	94180 56152	[illegible]
63	Neeraj	Rampur	Pashna	9418900072	[illegible]
64	Man Mohan		LHEP SJVN	9418136497	[illegible]
65	Baljeet Singh		DO	94184-56058	[illegible]
66	Rajesh Sha[illegible]		—Do—	9418452660	[illegible]
67	Alka Jaiswal		RHPS/LHEP	94181-50080	[illegible]
68	A.K. Shukla	AFC	New Delhi	9910781550	[illegible]
69	Saurabh [illegible]	AFC	N.D.	8587894552	Saurabh
70	ARIJITA	AFC	New Delhi	7506031825	[illegible]
71	MD MEHDU	AFC	N.D	7903720350	[illegible]
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					

F 114

W DELHI, JUNE 7

e Defence Acquisition uncil (DAC) on Thursday ared the key purchase of h-powered radars for the dian Air Force that will place three-decade old exist- g radars needed to read coming threats from air. Some of these radars are sta- oned in north India, includ- g those in Punjab, looking at reats from the western front. ich radars are also placed in astern part of the country. he IAF is mandated with air

- The high-powered radars for the IAF will be made in India. A total of 12 such radars will be procured
- They will provide long range medium and high altitude radar cover with the capability to detect and track high-speed targets following various trajectories
- They will have the capability to scan for a 360 degrees view and will operate on 24X7 basis with minimal maintenance requirement

defence of the country.

These radars will be made in India. A total of 12 such radars will be procured. They will provide long range medium and high altitude radar cover with the capability to detect and track high-speed targets following various trajectories. The radars will be able to track not just fighter jets and drones but also long-range missiles that travel in a parabolic trajectory, sometimes touching a

The radars will have the capability to scan for a 360 degrees view and will operate on 24X7 basis with minimal maintenance requirement. "Procurement will enhance the overall efficacy of the air defence network in the country," a statement of the Ministry of Defence said.

Defence Minister Nirmala Sitharaman chaired the meeting and it overall accorded approval for the procurement of equipment for the defence forces valued at over ₹5,500

Air Cushion Vehicles ... for the Indian Coast Guard Indian Army from In Shipyard. These vessels w offer great advantage over ventional boats with their ity to travel at very high sp over shallow water, banks, mud flats and swa which are non-navigabl boats/small crafts du draught restrictions/unch depths. These craft offer bility enhancement fo Services, and would prov ful for riverine operations

Commando, cop killed in J'khand encounter

RANCHI, JUNE 7

A CoBRA commando of the CRPF and a policeman were killed during an encounter with Naxals in Jharkhand's Saraikela area on Thursday.

The gun battle began around 7 am in the Dalbhaga-Arki area when a joint team of the 209th Battalion of the CoBRA and the Jharkhand Police was out for an operation. — PTI

PUNJAB ENGINEERING COLLEGE
(Deemed to be University), Sector 12, Chandigarh

CORRIGENDUM

Reference to the earlier advertisement regarding engagement of architect in PEC, following corrigendum is issue:

1. The estimated cost of expected works to be done in a year is Rs. 50 lacs.
2. The turnover may be read as Rs 75.00 lacs.
3. The bidder must have completed similar works for Rs 50.00 crore during the last five years i.e. 2013-14 to 2017-18.

Last date of submission of bids: 12.06.2018 at 03:00 p.m.
Opening of bids: 13.06.2018 at 11:00 a.m.
For more details please visit www.pec.sc.in or www.etenders.chd.nic.in.

Chairman Estate & Works

कार्यालय : उपमंडलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू
प्रेस नोट

लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त, कुल्लू व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत, देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत, गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्वसाधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवायी गयी है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गयी है :

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.2018	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.2018	03.00 सायं	पंचायत-घर, गडेज

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित पुनर्वास व पुनर्स्थापना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोट : यह रिपोर्ट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

TRC-8529

YMCA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, FARIDABAD

NAAC 'A' Grade Accredited State Govt. University
(Established by Haryana State Legislative Act No. 21 of 2009, Recognized by U.G.C. u/s 2 (f) and 12(B) of U.G.C. Act 1956)

ADMISSION NOTICE 2018-19

COURSES OFFERED AT UG LEVEL

B.Tech.
Computer Engg.*/Mechanical Engg.*/Electronics & Comm. Engg./Electrical Engg.*/Electronics Instrumentation and Control Engg.*/Information Technology/Civil Engg.
B.Sc.(Hons.)
Physics/Mathematics/Chemistry
B.Sc. (Animation & Multimedia)
BCA
BBA

COURSES OFFERED AT PG LEV

M.Tech.
Mechanical Engg./Power Systems Computer Engg./Network Eng Information Technology/Electronics & Communication Engg./Ele & Instrumentation/VLSI Design
MCA/MCA (Lateral Entry)*
MBA
Specialization in (Financial Management, HR Management & Mktg. Management)
Specialization in (Retail Management, Supply Chain Manageme commerce and Travel & Tourism)
M.Sc.
Physics/Mathematics/Chemistry/Environmental Sciences
M.A. (Journalism & Mass Comm.)
Ph.D all disciplines

LAST DATE FOR M.TECH. & M.A. 10.07.2018

*NBA accredited programme

For B.Tech. and B.Tech. (LEET) visit www.hstes.org.in

Opening and Closing dates for Online Admission Application Forms for all courses except B.Tech.
- Opening of online Application Form : 11.06.2018
- Closing of online Application Form : 03.07.2018

(Admission helpline No. 99103 64865 (Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.)
For online application form, please visit our website www.ymcaust.ac.in
Connect us at /ymcauniversity

NH-2, SECTOR-6, MATHURA ROAD, FARIDABAD, HARYANA-12

POSTGRADUATE GOVERNMENT COLLEGE, SECTOR-11, CHANDIGARH

ADMISSION NOTICE (2018-19)

B.P.Ed. (Four Year), M.P.Ed. (Two Year) and M.Phil
(Co-Educational)
(Recognised by the NCTE and Affiliated with the Panjab University, Chand

Admission to B.P.Ed.- (A Four Year Innovative/Integrated Course after +2), M.P.Ed.- (Two Year Cou B.P.Ed.) and M.Phil (One Year after M.P.Ed.) will be held as per the schedule given below:

Name of the Course	Number of Seats	Last Date for Submission of Forms	Date and Time of Entrance (Theory/Fitness)	Date of Admission
B.P.Ed. - First Semester	50	23rd June, 2018 (Online), Applicants will bring hardcopy during the time of admission	(Physical Efficiency Test) Cooper's Test - 9/12 Minutes Run/Walk 10th July, 2018 at 07:00 a.m.	11th July, 2018 at 09:00 a.m.
M.P.Ed. - First Semester	40	23rd June, 2018 (Online), Applicants will bring hardcopy during the time of admission	Entrance Test Written (Objective) Test 13th July, 2018 at 10:00 a.m. (Physical Efficiency Test) Cooper's Test - 9/12 Minutes Run/Walk 14th July, 2018 at 06:30 a.m.	16th July, 2018 at 09:00 a.m.
M.Phil- (Semester System)	10	23rd June, 2018 (Online), Applicants will bring hardcopy during the time of admission	Entrance Test Written (Objective) 17th July, 2018 at 10:00 a.m. Entrance Test written(Subjective) 17th July, 2018 at 11:30 a.m.	18th July, 2018 at 09:00 a.m.

Note: 1. The College prospectus and admission form is uploaded on the college website: www.gc1 www.dhechd.org
2. Only online admission forms shall be accepted.
3. For availing hostel accommodation students will have to fill additional form on time.
4. Details of eligibility/requirements of each course, concessions, reservations, filling the online form, hostel accommodation, gap year, written and physical fitness test guidelines etc gi prospectus available at the college website.
5. Medical Certificate on the prescribed Proforma available from the Department of Physical Students are required to appear in proper sports kit for Physical Fitness/Efficiency Test and original certificates at the time of interview (Academic, Sports, NSS, NCC, Reservation Cl For any enquiry, students/parents may contact in the Department in Physical Education c numbers i.e. 0172-2740971, 2740597 between 8:00 a.m. to 2:00 p.m. on all the working Students applying for M.P.Ed and M.Phil courses will have to pay fee of Rs. 600/- th payable at State Bank of India, Chandigarh in favour of Principal, Postgraduate Gc College, Sector-11, Chandigarh along with the application form.

Sd/- (Prof. B.P.Yadav), I

R/UT-4429

■ परीक्षा परिणाम में देरी के साथ ही डिग्री पर उठे सवाल

को वजह से अब, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहरी राज्यों में जाना था, वो प्रवेश लेने में चूक गए। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को प्रोविजनल तौर पर दी गई डिग्रियां ही बाहरी विश्वविद्यालयों में मान्य नहीं हुई। इसके बाद विवि में पूर्व कुलपति ने बाहरी विवि के कुलपतियों से बात कर और यूजीसी के समक्ष इस मुद्दे को उठा कर प्रवेश छात्रों को बाहरी विश्वविद्यालयों में दिलवाया गया।

[illegible] कुल मिलाकर शिक्षा [illegible] बन गई है। अतः आवश्यकता है प्रथम व्यवस्था सुधार की।
शंकरलाल वशिष्ठ, शिक्षाविद सोलन

बार-बार संशोधन बड़ी खामी

रूसा को जल्दबाजी में सरकार ने लागू किया है। इसे लागू करने से पहले सरकार को होमवर्क पूरा करना चाहिए था। यही नहीं, रूसा के एकदम से लागू होने के बाद शुरुआती दौर में शिक्षकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रूसा में बार-बार संशोधन भी एक बड़ी खामी रही। यही नहीं, इसमें सेमेस्टर का सिलेबस भी बराबर नहीं है। सरकार ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। छुट्टियों का शेड्यूल भी नहीं बदला गया
यशपाल महंत, सेवानिवृत्त प्रचार्य, कुल्लू कालेज

[illegible] के मरचौर, पांगी, लाहुल जैसे कबायली क्षेत्रों में दो बार एग्जाम करवाना काफी मुश्किल था। उन क्षेत्रों में अक्तूबर माह में ही भारी बर्फबारी हो जाती है। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम होने से टीचिंग डे में काफी कटौती हो गई। प्रदेश के कालेजों में बड़े पैमाने में प्राध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इससे न तो सिलेबस कवर हो पा रहा था और न ही छात्रों को सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल रहा था। दो बार एग्जाम होने से मूल्यांकन में काफी समय लग रहा है। आनन-फानन में लागू किए गए सेमेस्टर सिस्टम कारण छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन दिक्कतों के कारण हिमाचल प्रदेश में रूसा सिस्टम फेल हो गया
डा. संजीत ठाकुर, सहायक प्रध्यापक अर्थशास्त्र, मंडी

में साइबर क्राइम जागरूकता

जानेंगी कानून

कार्य करना होगा। अधिवक्ता विवेक कौशल ने इस अवसर पर घरेलू हिंसा अधिनियम, अधिवक्ता मनीष डडवाल ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध, अधिवक्ता नरेश घई ने कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून तथा जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। एसएचओ नालागढ़ राजकुमार ने साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया पर महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध एवं अन्य कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने कहा कि आयोग द्वारा यह पहला शिविर जिला सोलन के नालागढ़ में आयोजित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में आयोग ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध अपराध विषय पर जानकारी प्रदान की। शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी टेकचंद, सीडीपीओ नालागढ़ विनोद कुमार, विभिन्न महिला मंडलों के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्थानीय महिलाएं इस अवसर पर उपस्थित थी।

महिला आयोग का अपना प्रतीक चिन्ह

हेमंत शर्मा, कसौली

National Commission for Women, India

हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अब केंद्रीय महिला आयोग के प्रतीक चिन्ह को अपने अस्तित्व से हटाकर अपना अलग लोगो बनाएगी। 50 साल बाद यह पहला अवसर है जब महिला आयोग की ओर से इस ओर पहल की गई है। इससे पूर्व केंद्रीय महिला आयोग का ही लोगो चल रहा था। दरअसल महिला आयोग ने राज्य स्तर पर अपने लोगो को तैयार करवाया है। इस लोगो की विशेषता यह रहेगी कि इसे किसी प्रोफेशनल से तैयार नहीं करवाया गया है। आयोग ने बाकायदा इसके लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कर सैकड़ों लोगों से लोगो डिजाइन लिया है। इनमें से तीन सर्वश्रेष्ठ डिजाइन को आयोग चयनित कर चुका है। जिन तीन डिजाइन के लोगो महिला आयोग के लोगो के लिए सिलेक्ट किए गए है, उन्हें बाकायदा 11000, 5100 व 3100 के नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इन लोगो के डिजाइनकर्ताओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

जिस में

[illegible] जिला में कालेज में [illegible] की बात करने पर छात्र को [illegible] दाखिला प्राप्त करने की [illegible] में छात्रों को दो वर्ष पढ़ाई [illegible] से अपने तीन वर्ष ग्रेजुएशन [illegible] लिए मजबूर होना पड़ेगा। [illegible] भर में दो वर्षीय एलिमेंटरी [illegible] डिप्लोमा करने वाले छात्र भी [illegible]

फैसला

[illegible] की बैठक में कृषि प्रसार [illegible] पद भरने की मंजूरी देने [illegible] स्पष्ट किया है कि प्रदेश [illegible] ने कहा कि प्रदेश में खुलने [illegible] भी स्वागत योग्य कदम [illegible] सैंटी के अधिकार क्षेत्र में [illegible] फंड 10 हजार से बढ़ाकर [illegible] 500 रुपए करने के

कार्यालय उप-मंडलाधिकारी (ना.) आनी, जिला कुल्लू हि.प्र.

लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण-I के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त कुल्लू व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।
इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:-

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.6.2018	10:00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.6.2018	03:00 सायं	पंचायत-घर, गडेज

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।
नोट: यह रिपोर्ट (Social Impact Assessment Unit) हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN-L65910KL1992PLC006623, (W4/38A(old), W638A(New)), Manappuram House, Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567.

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 30.06.2018 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा, उन ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है। जिन अकाउंट्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी। नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तन की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी।
शाखाओं की सूची:
KANGRA, DHARAMSHALA ROAD KANGRA, 135950700001106, 1112, 1216, 1453, 1454, 1458, 1485, 1466, 1470, 1483, 1484, 1489, 1493, 1495, 1496, 1504, 1518, 1521, 1528, 1529, 1530, 1536, 1540, 1545, 1546, 1549, 1551, 1558, 1560, 1564, 1565, 1568, 135950730000088, 0090, 0091, 0092, 0093, MANDI, SUNDER NAGAR-HP, 136030700000873, 0879, 0892, 1108, 1122, 1160, 1169, 1176, 1183, 1184, 1166, 136030730000179, 0180, सोलन, BADDI, H.P, 135990700002234, 2400, 2439, 2451, 2453, 2463, 2473, 2483, 2523, 2525, 2526, 2534, 2562, 2563, 2571, 2586, 2620, 2624, 2896, 2911, 2916, 2924, 2933, 2936, 2938, 2942, 2946, 2953, 2968, 2969, 2976, 2977, 2981, 2986, 2989, 2990, 2994, 2996, 3001, 3002, 3004, 3007, 3008, 3013, 3018, 3022, 3032, 3033, 3037, 3043, 3045, 135990730000115, 0116, 0126, 0266, 0267, 0268, 0306, 0308, परवाणू, 127190700003825, 3846, 3848, 3870, 3904, 4040, 4049, 4065, 4068, 4069, 4070, 4073, 4078, 4079, 4081, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4101, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4109, 4111, 4112, 127190730000079, [illegible] सोलन, 135150700002814, 2906, 3074, 3083, 3092, 3111, 3118, 3151, 3160, 3162, 3168, 3176, 3181, 3417, 3418, 3427, 3439, 3442, 3454, 3457, 3474, 3477, 3478, 3482, 3495, 3496, 3497, 3500, 3506, 3512, 3529, 3530, 135150730000323, 0354, 0355, 0356, 0358, 0360, 0361, 0362, 0363, 0367, 0374, [illegible], 135130700001799, 1942, 2108, 2109, 2115, 2125, 2130, 2134, 2141, 2142, 2143, 2144, 2146, 2148, 2152, 2155, 2163, 2164, 2165, 2169, 2172, 2173, 2174, 2177, 2179, 2182, 2183, 2184, 2185, 2190,
इच्छुक बोलीकर्ताओं को नीलामी से एक दिन पहले डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 25,000/- या रिजर्व कीमत का 2%, जो भी कम हो, जमा करना होगा। (सिर्फ [illegible] बोलीकर्ताओं को भाग लेने दिया जाएगा) बोलीकर्ताओं को मान्य आईडी कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया [illegible] सम्पर्क करें 9387160067.
अधिकृत अधिकारी
[illegible] फाइनेंस लि. हेतु

C
M

ON, PANCHKULA
ICE

...na through online bids in the website

Cost of Document/ E-Tendering charges	Date and time for bid preparation & submission
1000/- + 1000/- = 2000/-	From 6.6.2018 at 16.00 hrs to 20.6.2018 at 16.00 hrs

...ent.gov.in

...tion, Public Health & Panchayati Raj

...ed on the next working day.

...g any reason.
...ttested from the competent authority

...xecutive Engineer,
...vision, Panchkula.

HIMACHAL PRADESH
I&PH DEPARTMENT

The Executive Engineer, I&PH Division, Nagrota Bagwan invites **online tender** on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following work through e-tendering process:-

Work No. 1

Name of work: Modernisation/Upgradation of existing Sewerage treatment plant 1.34 MLD at Nagrota Bagwan in Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P) (SH:- Construction of Tertiary treatment plant).

1. **Estimated Cost** :- Rs. 33,12,987/-
2. **Earnest Money** :- Rs. 57,190/-
3. **Time of completion** :- One year
4. **Cost of Form** :- Rs. 400/-

Last date of filling/uploaded the tender through e-tendering:- **25.06.2018** up to **11:00 a.m.** and opened on same day at **11:30 a.m.**

1. **Key Dates:-**

1.	Date of online publication.	05.06.2018 at 5:00 p.m.
2.	Documents Download Start Date.	5.06.2018 at 5:00 p.m.
3.	Bid submission Start Date	5.06.2018 at 5:00 p.m.
4.	Physical submission of EMD and cost of Tender Document.	5.06.2018 at 5:00 p.m. to 25.06.2018 at 11:00 a.m.
5.	Date of Technical Bid Opening.	25.06.2018 at 11:30 a.m.
6.	Opening of Financial Bid.	After evaluation of Technical Bid

The tender forms and other details conditions can be obtained from the website **https://hptenders.gov.in.**

...PR/HP/1028

Executive Engineer,
IPH Division, Nagrota Bagwan.

Sealed tenders are invited from reputed/Regd. ... Toilet items, Vegetables & fruits, bakery Items, h... Furniture Items, Student/Office Stationery, Washi... of Uniform, Uniform Items, Hair Cut, Tuck Shop, ... electrical items), Medicines, A.M.C. of computers ... CCTV Camera for the year 2018-19.

Tender forms along with terms and condition... Vidyalaya Office on cash payment of **Rs. 200/-** o... **a.m. to 4:00 p.m.** Forms can also be downloaded ... **www.jnvferozepur.in** which must be accompan... **Rs. 200/-** drawn in favour of **Principal, JNV, Ferozepur, payable at Oriental Bank of Comme...** filled and sealed tenders along with earnest mone... only should reach the office of undersigned by ... through registered post only. They will be opene... **a.m.** in the office of **Principal, JNV, Mahianwala** ... committee reserves the right to accept or reject ... assigning any reasons.

Dated:- 07.06.2018

TRC-8599

...O&M Cell)
...jab.gov.in)
...S

Dated: 08.06.2018

...eration & Maintenance (O&M) ...able. The bidders may submit

Bid Security/ EMD Rs.	Period of Completion
795000/-	9 months
682000/-	9 months
658000/-	9 months

Date & Time of opening Eligibility/ Tech.Bid	Date & Time of opening Financial Bid of Qualified Bidders
02.07.18 ...6:00 Hrs	03.07.18 12:00 Hrs

...Quantities, Scope of work

...ing Engineer (O&M),
...ration, Jalandhar.

कार्यालय : उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर, जिला शिमला
प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.) रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है :

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला				
निरथ	निरथ	02.07.18	10.00 प्रात:	पंचायत घर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.18	03.00 सायं	पंचायत घर दतनगर

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्वसाधारण, जन प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

अत: आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन सुनवाई में भाग लें।

नोट : यह रिपोर्ट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

TRC-8621-I

उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर,
जिला शिमला।

Information & Public Relation...
Himachal Pradesh, Shiml...

Tender Notice for Printing & Installa...

The Department of Information & Publ... Pradesh, Shimla-2 invites sealed bids from elig... installation of approximately 150 hoardings (... basis) based on policies and programs of the G... locations in all the districts of Himachal Prade... years *w.e.f* 01-07-2018 to 30-06-2020.

Rates may be quoted by the intereste... document, which may be procured from the Dire... & Public Relations, Shimla-2 on any working day... during office hours on payment of Rs 500/- (nor... The tender form can also be downloaded fro... website www.himachalpr.gov.in, in that case, ... required to enclose DD for Rs. 500/- in favour of ... & Public Relations, H.P, Shimla-2 towards the ... otherwise the tender will not be considered.

The tender document duly filled in m... Directorate in a sealed envelope super-subscribing ... Printing & Fixing of Hoardings". The tender should ... or before 27th June, 2018 up to 2 PM, which will be ... day at 3 PM in the presence of tenderers ... representatives.

Issued by : Director, Information & Public Re...

माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए। - अमर उजाला

...पनी ग्रामीण युवाओं ...नहीं दे रही रोजगार

...त्र के युवाओं ने उपायुक्त को भेजा ज्ञापन

...उजाला ब्यूरो

...बुशहर। रामपुर खंड के ...भड़ावली पंचायत के युवाओं ...ली स्थित एक निजी कार ...में रोजगार न मिलने से रोष ...ाओं ने शुक्रवार को एसडीएम ...के माध्यम से उपायुक्त ...ा को ज्ञापन भेजा। युवाओं ने ...ा है कि यदि एक सप्ताह के ...मांगों पर गौर नहीं किया जाता ...अनशन करेंगे।
...ड़ावली पंचायत उप प्रधान ...। खमराल ने कहा कि पंचायत ...हत आने वाले नोगली में एक ...कार कंपनी को 18 जनवरी ...ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर ...प्रतिशत ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की मांग की थी। लेकिन कई माह का समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कंपनी में जो ग्रामीण और महिलाएं रोजगार पर भी रखे थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ग्राम सभा से फिर प्रस्ताव भेज कर कंपनी से ग्रामीणों को बाहर निकालने पर जवाब मांगा गया। लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान अनुराज नेगी, रवि कुमार, रंजीत चौहान, अजय चौहान, शशि कायथ, उमेश गोस्वामी, संजीव कायथ, सचिन, सुरेंद्र कायथ, पवना कुमारी, साहिल कश्यप, पंकज चौहान, विनोद कुमार, राकेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे।

...करने वाले छात्रों व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। संजीवनी सहारा समिति के प्रधान गोपाल चौहान, सुभाष सैनी, महासचिव रामेश्वर कश्यप ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। यह कार्यक्रम रोहड़ू में पहली बार हो रहा। ब्यूरो

Time:Saturday 9th June 2018 10:00 AM to 5:00 PM

Contact Person

Dr. Ashutosh Verma
(MBBS, MD (Bsmu) Ukraine.
Ex House Surgeon GMCH-32.
Office-Shiva Hospital Solan (H.P.)

PHONE NO. 9257300027, 7807268681

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला
प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.18	10.00 प्रातः	पंचायत-घर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.18	03.00 सांय	पंचायत-घर दत्तनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निशिचत दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोटः यह रिर्पोट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब-साईट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेब-साईट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

डीएचबीवीएन
शुद्धिपत्र सं. 4

...सभी संबंधित के लिए यह सूचना है कि निआसू सं. 35/एक्सईएन/सिविल/जीजीएन/17-18 हेतु निविदा खुलने की तिथि को एतद्द्वारा 15.6.2018 तक बढ़ा दिया गया है। निविदा 15.6.2018 को क्रमशः 13.00 बजे एवं 15.00 बजे प्राप्त एवं खोली जाएगी। अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियंता
सी/डब्ल्यू डीएचबीवीएन, गुड़गांव

...Advt 1136/11/1982/1819/66798 Dt. 8/6/18

डीएचबीवीएन
शुद्धिपत्र सं. 4

सभी संबंधित के लिए यह सूचना है कि निआसू सं. 36/एक्सईएन/सिविल/जीजीएन/17-18 हेतु निविदा खुलने की तिथि को एतद्द्वारा 15.6.2018 तक बढ़ा दिया गया है। निविदा 15.6.2018 को क्रमशः 13.00 बजे एवं 15.00 बजे प्राप्त एवं खोली जाएगी। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियंता
सी/डब्ल्यू डीएचबीवीएन, गुड़गांव

PRDH Advt 1136/11/1980/1819/66796 Dt. 8/6/18

डीएचबीवीएन
शुद्धिपत्र सं. 4

सभी संबंधित के लिए यह सूचना है कि निआसू सं. 33/एक्सईएन/सिविल/जीजीएन/17-18 हेतु निविदा खुलने की तिथि को एतद्द्वारा 15-6-2018 तक बढ़ा दिया गया है। निविदा 15-6-2018 को क्रमशः 13.00 बजे एवं 15.00 बजे प्राप्त एवं खोली जाएगी। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियंता
सी/डब्ल्यू डीएचबीवीएन
गुड़गांव

PRDH Advt. 1136/11/1981/1819/66797/8/6/18

ई-निविदा जांच सं. 238 का शुद्धिपत्र नं. 1 (एनआईटी नं. 962, दिनांक 02.05.2018)

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.
शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, सीआईएन : U4010HR1997SGC033683

132 केवी सब-स्टेशन भोजराज (हिसार) के निर्माण हेतु ऑनलाईन बोली जमा करने की अंतिम तिथि को 15.06.2018 तक बढ़ा दिया गया है। विस्तृत एनआईटी व निविदा दस्तावेज वेबसाईट https://haryanaeprocurement.gov.in., www.hvpn.org.in पर उपलब्ध है।

(हस्ता/-) अधीक्षण अभियंता/एमएम-I, एचवीपीएनएल, पंचकूला

PRDH-Advt. 1052/11/3528/1819/66795/08/06/2018

कार्यालय नगर निगम, सोनीपत

सार्वजनिक सूचना

इस सूचना के माध्यम से सोनीपत शहर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त एवं चेयरमैन, जिला रोड सुरक्षा कमेटी सोनीपत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार सोनीपत शहर के निम्नलिखित स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है,

जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. सुभाष चौक से एटलस फैक्ट्री चौक
2. सुभाष चौक से पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस
3. पी.डब्ल्यू.डी.रेस्ट हाउस से गीता भवन चौक

"हेयरफॉल" का हुआ अंत, शुक्रिया केश किंग"

"मैं स्वभाव से चुलबुली और शरारती हूँ, पर कुछ साल पहले मेरी इस खुशमिजाजी को मानो ग्रहण लग गया था। वजह थी दिनों-दिन कम होते मेरे बाल।

ये मेरी किस्मत थी कि तभी मुझे केश किंग के बारे में मालूम पड़ा। तब से मैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल और शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ।

मेरे बालों का गिरना* तो कम हुआ ही साथ ही बाल उगने भी लगे। मेरे बाल पहले से ज्यादा लम्बे, मुलायम, घने और कुदरती रूप से काले हो गये।

मेरा वो चंचल अंदाज़ लौटाने और मेरे बालों को नया जीवन देने के लिए, शुक्रिया केश किंग।"

केश किंग के परिवार से जुड़ी एक और सदस्य

कंचन वैष्णव, जयपुर

सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए हफ्ते में तीन दिन, तीन महीने तक इस्तेमाल करें।

5 समस्याओं से राहत दिलाए
* झड़ते बाल*
* रूसी
* रूखापन
* दोमुंहे बाल
* कमजोर बाल

invites applications for ounge and Staff Canteen, m the "TENDER" module 09, 2018.

a sealed cover addressed .00 PM on June 30, 2018. lication without assigning

Regional Director.

No.	Section	NH No.	State	Estimated Cost (Rs. in crores)
1.	Construction of VUP at Balikuda, Sikharpur & Badachana in Bhubaneswar-Jagatpur - Chandikhole section of NH-5 (New NH-16) in the sate of Odisha to be executed on Engineering, Procurement and Construction (the "EPC") basis.	5 (New 16)	Odisha	47.52

The detailed tender documents can be downloaded from the website http://etenders.gov.in or **www.nhai.org from 08.06.2018 to 28.06.2018 (up to 11.00 hours).** Last date of submission of online bid is : **28.06.2018 (up to 11.00 Hrs.).** For details kindly visit website : **www.nhai.org or https://etenders.gov.in**

BUILDING A NATION, NOT JUST ROADS

Y NH-7, Barnala Road, Bathinda – 151101

ISSION

nd Research, Bathi ences and Research, desh University offer espectively to NEET – n in session 2018-19. ned counselling to be of Health Sciences, d counselling details of Health Sciences, fee details and other University Prospectus rsity.ac.in REGISTRAR

कार्यालय : उप-मंडलाधिकारी (ना.) कुमारसैन, जिला शिमला

प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चंरोटा ग्राम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.) कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्वसाधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है :

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला रिवाली चंरोटा	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रात:	महिला मंडल भवन रिवाली

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व साधारण, जन प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

अत: आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन सुनवाई में भाग लें।

नोट : यह रिपोर्ट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उप-मंडलाधिकारी (ना.) कुमारसैन,
जिला शिमला।

TRC-8621-II

OF INFORMATION ERNANCE, N TECHNOLOGY, A–171013

R NOTICE

tion Technology & e- on rental basis one of or a period of one year. e interested parties on of undersigned on or he quotations shall be the same day at 3:00 resentatives who wish ns and conditions can the Department of Pradesh. i.e., cted from the office of m 11th June, 2018 to

r Secretary (EC), IT & E-Governance, la-13.

PUNJAB WATER SUPPLY & SANITATION DEPARTMENT NOTICE INVITING E-TENDERS

https://eproc.punjab.gov.in

E-TENDER/WSSD/DIVISION/BATHINDA 2017-18

The Executive Engineer, W/S & Sanitation Div. No. 3, Bathinda Punjab invites bids in electronic tendering system for following works are invited from reputed agencies who are engaged in & having experience of **Operation & Maintenance and Raw Water Source of Reverse Osmosis (Capacity 500 LPH to 2000 LPH) in various villages (10 No. Village) of Distt. Bathinda, Division No. 3, Punjab for 2 years.** The bid document is available online and bids are to be submitted online through e-procurement portal **https://eproc.punjab.gov.in** only. Bids submitted manually will not be accepted.

Package No.	Name of work	Approximate value of work (Rs.in lac)	1. Bid security 2. Processing fees (in Rs.)	Period of completion
1	2	3	4	5
Bid No.	Operation & Maintenance and Raw Water Source of Reverse Osmosis (Capacity 500 LPH to 2000 LPH) in various villages of Distt. Bathinda, Division No. 3, Punjab for 2 years Village- 1) Adampura, 2) Burj Ladha Singh 3) Gumti Kalan 4) Gurusar 5) Hakam Singh Wala 6) Hamirgarh, 7) Maluka 8) Rajgarh 9) Salabatpura 10) Siriyawala, Block Bhata Bhaika at Bathinda.	Rate to be quoted by Contractor	1. Rs. 7000/- per RO Plant 2. Rs. 2247/-	2 Years

Tender processing fees as per website.
Schedule of bidding process for Sr. No. 1 to Sr. No. 4

AVAILABILITY OF BIDDING DOCUMENT ON WEBSITE https://eproc.punjab.gov.in	: From : To	Date 09.06.2018 Time 09:00 Hours Date 27.06.2018 Time 14:00 Hours
TIME AND DATE OF PRE-BID CONFERENCE	:	Date 15.06.2018 Time 12:00 Hours
LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF TECHNICAL BIDS ONLINE	:	Date 27.06.2018 Time 14:00 Hours
TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BIDS ONLINE	:	Date 27.06.2018 Time 17:00 Hours
TIME AND DATE OF OPENING OF FINANCIAL BIDS ONLINE	:	Date 03.07.2018 Time 11:00 Hours

Corrigendum, if any, will be issued on website only.

Sd/- Executive Engineer,
W/S & Sanitation Div. No. 3, Bathinda.
Email: xengwbti@gmail.com
Ph: 0164-2211165.

DPR/Pb/01660

, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਨੂੰ

, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟੈਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀਮਾ ਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸੀਲ ਬੰਦ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਿਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਹਸਤਾਖਰੀ ਪਾਸ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,
ਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

Date of Interview : 18 Jun 2018
Contact No: Mrs Shelly Singh (Principal)-8284858760
Maj Muthu Vignesh M(OIC)-9906371632

OIC, GAAPPS, Khai Road

GURU NANAK DEV UNIVERSITY, AMRITSAR

(Engineering Department)

ONLINE TENDER NOTICE

Online tenders are invited (in percentage above / below / at par of NIT) for the works at Sr. no.1 to 5 and in item rate for S.No.6 from the approved contractors of P.W.D. (B & R), C.P.W.D, M.E.S., Co-operative Societies (Regd. as contractor in P.W.D.), Punjab Water Supply & Sanitation Deptt, PUDA & railways & for S. No.7 & 8 from dealers/ suppliers/ manufacturers. These tenders are to be submitted upto 1.00 p.m. on 25-06-2018.

Sr. No.	Name of Works / Supply	App. Cost.
1.	Renovation of Toilets in different wings of Sahibzada Jujhar Singh Boys Hostel at GNDU, Amritsar. (assistance under HUDCO's CSR Activities).	Rs.84.35 lac
2.	Renovation of Teacher/Students Holiday Home Dalhoussie.	Rs.41.25 lac
3.	Renovation of Computer Section in Bhai Gurdas Library bldg (Civil & Electrical works) within GNDU Campus, Asr.	Rs.18.42 lac
4.	Renovation of Biotechnology Deptt. within GNDU Campus Asr.	Rs.8.60 lac
5.	White washing and painting in Sahibzada Jujhar Singh Boys Hostel No.1 (A,B,C,D & E Block, office, canteen and Reading Hall within GNDU, Asr.	Rs.5.89 lac
6.	Const. of Overhead Tank at Amardeep Singh Shergill Memorial College, Mukandpur.	To be quoted by the Tenderer
7.	Purchase of one Tractor Make Eicher- Model 368 DI H.P. Range 36	To be quoted by the Tenderer
8.	Supply of TMT Steel,Fe 500 D Grade as per IS1786-2008 of various dia (181MT) FOR GNDU Campus, Asr.	To be quoted by the Tenderer

Corrigendum/Addendum /Detailed information can be seen on website www.eproc.punjab.gov.in

Sd/-Incharge, Engineering Department

PUBLIC NOTICE

Amendments in the approved layout Plan of M/s Greater Punjab officers Co-operative House Building Society and Altus Space Builders Pvt.Ltd. at New Chandigarh, SAS Nagar

GMADA

The Department of Town & Country Planning, Govt. of Punjab had approved Layout Plan drawing no. MP/SUB/(2D/RO dated 02-09-2013 of M/s. Greater Punjab Officers Co-operative House Building Society Ltd. and Altus Space Builders Pvt. Ltd. falling in the revenue estate of villages Salamtpur, Rasulpur, Dhodemajra, Ghandauli & Bhagat Majra in LPA Mullanpur (New Chandigarh) under Mega Project Policy vide letter no. 2624 CTP(PB)/MPM-141 dated 08-05-2014. Now the promoter has added additional area in his project and has also re-planned and made various changes in the earlier approved Layout Plan such as changes in the plot sizes, relocation of the plots/parks/utility areas etc. as depicted in the drawing no. MP/SUB/)2D/R3 dated nil. This revised amended Layout Plan of Promoter was discussed in the 51st meeting of the Layout Plan Approval Committee held on 16-03-2018.

The Committee members approved the revised layout plan provisionally subject to the condition that promoter shall submit the consent letters of at least 2/3rd allottees of the said project to GMADA as per provisions of RERA for revision of layout plan by the Promoter and GMADA shall publish a public notice regarding the same. Accordingly, the promoter has now submitted consent letters regarding no objection for the revision of Layout Plan of 823 allottees i.e. 2/3rd out of the total 1202 allottees of the said project as submitted by the promoter. Out of the 823 consent letters, consent letters of 597 members of the Greater Punjab Co-operative House Building Society are submitted by the authorized signatory of the Society Sh. Partap Singh. Out of the 597 members of the Society, 18 consent letters duly signed by individual members have been submitted. Whereas, Consent letters on behalf of the rest 579 members of the Society, have been submitted by the Secretary of the Society Sh. Partap Singh with an undertaking that these 579 members of the Society have not been issued any allotment letters and plot numbers till date. Rest 226 consents letters duly signed by individual plot holders to whom plots are allotted /sold by M/s Altus Space Builders Pvt.Ltd. are submitted by the company. All these consent letters are available in the office of Additional Chief Administrator, GMADA, Room No. 226, 2nd floor, PUDA Bhawan. However, the copy of the provisionally approved revised Layout-plan is available in the office of Chief Town Planner, Punjab, PUDA Bhawan, 6th floor, Sector 62, SAS Nagar.

In the light of the said decision of the Committee, a public notice is hereby published for information of the concerned persons who want to see the consent letters and provisionally approved Layout Plan can visit the concerned offices during any working hours within 15 days from the date of publication of this notice.

Those who desire to submit any objections regarding the consent letters submitted by the Promoter M/s Greater Punjab officers Co-operative House Building Society and Altus Space Builders Pvt. Ltd. and provisionally approved revised layout plan can submit their objections in writing within 15 days of the date of publication of this notice to the office of the undersigned.

Additional Chief Administrator

GREATER MOHALI AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
PUDA Bhawan, Sector 62, S.A.S Nagar

51 हजार की लागत से बने लौगाणी ... का उद्घाटन किया। इस मौके ... की लौगाणी-मैन्वला सड़क की ... टाइल्ज, 20 लाख के मोरला ... मैदान का भी शुभारंभ किया। ... 77 लाख से बनने वाले ... भवन निर्माण के कार्य का भी ... उन्होंने बताया कि मोरला ... भवन के लिए एक करोड़ ... किए गए हैं। इस मौके पर ... महेंद्र सिंह ठाकुर ने मोरला ... को सांस्कृतिक कार्यक्रम ... 5 हजार रुपए देने की ... उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लोगों ... भी सुनी।

... है कि निकमी पंचायत में स्थित ढाबे में स्थानीय लोगों ने बच्चों सहित परांठे खाए। परांठे खाने के बाद 17 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। लोगों को उल्टी व दस्त शुरू हो गए। बीमार लोगों को नागरिक अस्पताल जंजैहली पहुंचाया गया। यहां पर डॉ. दुनी चंद ने लोगों का इलाज किया व पुलिस को सूचित किया। जंजैहली थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उनके ध्यान में यह मामला नागरिक अस्पताल जंजैहली के डॉ. दुनी चंद ने लाया था, जिस पर उन्होंने समस्त लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मगर किसी ने भी मामला दर्ज करना नहीं चाहा।

सांसद ने नागूझौड़ से माशना-थाच सड़क का किया उद्घाटन

कुल्लू। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने शुक्रवार को लगघाटी में नागूझौड़ से माशना-थाच सड़क का विधिवत उद्घाटन करके इस मार्ग पर एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसी क्षेत्र में गांव दोघरी के लिए एंबुलेंस योग्य सड़क का भी लोकार्पण किया। गांव थाच में जनसभा को संबोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि नागूझौड़-माशना-थाच सड़क पर अब नियमित रूप से एचआरटीसी की बस चलाई जाएगी। इस सड़क के सुदृढ़ीकरण व पक्का करने के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 80 करोड़ और नाबार्ड के तहत 17 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा वह इस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपनी सांसद निधि से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये दे चुके हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है।

सुंदरनगर। पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने जारी एक ब्यान में कहा कि विधायक राकेश जंबाल को अपने नाम से शिलान्यास पट्टिका चिपकाने का शौक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ही विधायक एवं पूर्व मंत्री रूपसिंह ठाकुर ने वर्ष 2012 में इस सीएचसी रोहांडा का शिलान्यास कर दिया था।

उन्होंने कहा कि इस इसके लिए वर्ष 2017में पांच करोड़ 42लाख का बजट भी स्वीकृत है यदि इसका शिलान्यास करना होता तो हम भी कर सकते थे। लेकिन किसी भी शिलान्यास को दो बार करना तर्क संगत नहीं है। इससे पूर्व भी भाजपा विधायक ने भूमिगत डस्टबिन का उदघाटन सीएम से करवा दिया था।

...न्य बजट खेत से दोगुनी होगी ...सानों की आय: राज्यपाल

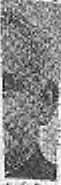

शिमला। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश काउंसिल द्वारा शिमला में कृषि विशेषज्ञों और हित धारकों के साथ समाधानों पर चर्चा के लिए एप्पल 2018 का आयोजन किया। सम्मेलन का ...22 तक सेब किसानों की आय को दोगुना करना ...कता और गुणवत्ता में सुधार रहा। प्रदेश के ...चार्य देवव्रत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। ...खेती के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते ...ने कहा कि किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक ...पनाने की ओर बढ़ना चाहिए जहां पौधे की ...है। इसका मतलब यह कि किसानों को फसलों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए उर्व... और कीटनाशकों को खरीदने की आवश्यकता नहीं हो। यह गुणवत्ता मे सुधार के साथ-साथ उत्पादकों की आय को बढ़ाने के लिए कारगर कदम होगा और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बाद के प्रभावों को दूर करने का यही एकमात्र तरीका है। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सीआईआई हिमाचल के राज्य परिषद के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने कहा कि सीआईआई का मानना है कि सतत विकास के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। समाज और उद्योग के बीच एक मजबूत संबंध है और सीआईआई ने अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से उद्योग को समावेशी विकास के लिए समाज के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया है।

राष्ट्रपति ने अतिथि सत्कार के लिए किया सरकार का धन्यवाद

शिमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल में 20 से 25 मई तक अपनी यात्रा के दौरान सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति ने उन्हें और राष्ट्रपति भवन ...म का गर्म जोशी से स्वागत और अतिथि सत्कार के लिए प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई नागरिक अभिनंदन की मेजबानी तथा राजभवन में राज्यपाल द्वारा भोज की मेजबानी के लिए भी धन्यवाद किया है।

...त्र को विकास का मॉडल ...जेक्ट: डॉ. राजीव बिंदल

...ूल बर्मा पापड़ी में अतिरिक्त कमरों का ... विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ... कि नाहन निर्वाचन क्षेत्र को विकास ...मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस दिशा में युद्ध ... जा रहे है, ताकि लोगों को मूलभूत ... मिल सकें। नाहन निर्वाचन क्षेत्र में पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ असमाजिक तत्व लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्रवाद इत्यादि के नाम पर बांट रहें है, जोकि उचित नहीं है, उनके यह इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा धांगवाला गुरुद्वारा में बोर करके 14 एलपीएस पानी निकला है। इस पानी को शीघ्र ही लिफ्ट कर कौलांवाला भूड़ और जोगला भूड़ में पहुंचाया जाएगा। ताकि इन गांव में पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो सके। मशाडा का पुल और अंधेरी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन दोनों पुलों को अगले वर्ष की गर्मी से पहले तैयार करके लोकार्पण कर दिया जाएगा। डा. बिंदल ने बस अड्डा कौलांवालाभूड़ में टाईलें लगाने के लिए 30 लाख की राशि और स्कूल के खेल के मैदान के सुधार के लिए चार लाख स्वीकृत करने की घोषणा की। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.) कुमारसैन, जिला शिमला

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चरोटा ग्राम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:-

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला
रिवाली				मण्डल भवन
चरोटा				रिवाली

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोट: यह रिपोर्ट (Social Impact Assessment Unit) हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब-साईट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेब-साईट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.) कुमारसैन, जिला शिमला

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	इन्दु सिंह S/o जोगीराम	शमाथला	9459390835	[signature]
2	आशा देवी W/o राजेन्द्र सिंह	-do-	7807137720	आशा देवी
3	हरनाम S/o तारा चंद	-do-	9418820973	Harnam
4	राजीव S/o किशन सिंह	-do-	9816980049	[signature]
5	सुरेखा W/o सन्तोष	-do-	9816137250	Surekha
6	रेनू W/o सुरेश	-do-	9805781398	Renu
7	रमेश चंद S/o रतीराम	-do-	9816669762	[signature]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	श्री बीर चन्द सूबेदार GMS रिवाली	शामामला	86268 50966	बीर चन्द
2.	Anu w/o Sh. Ravi	रिवाली शमाचला	8894601535	Anu
3.	प्रेमलता R/o कन्डा	-do-	—	Premlata
4.	विनोद s/o श्री रामचन्द R/o रिवाली	-do-	7807149226	Vinod
5.	लाहलू देवी w/o देवीराम	-do-	—	R.T.I
6.	रक्षा देवी w/o कश्मीर चन्द R/o रिवाली	-do-	9418539195	Raksha Devi
7.	दयावती w/o रमेशचन्द	-do-	—	दयावती
8.	रमेशचन्द S/o लालचन्द	-do-	9816931786	[illegible]
9	सत्या देवी w/o शिवराम	भौंग P शामामलां	9805048396 48396	Satya Devi
10	शशी w/o किशन राम	नौकल्ला शामामलां	8988238738	S Kumar
11	कालू s/o ओम प्रकाश	डडू शामामलां	7807193077	[illegible]
12	शिवराम s/o मांगूराम	बिम्बल शामामलां	7649927545	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री हेम चन्द	देहरा	8894006151	हेम चन्द
2.	श्री कुशाल सिंह	देहरा	7807562724	कुशाल सिंह
3.	श्री प्रीतम चन्द	देहरा	8879746433	Pritam Chu
4	श्री अशोक कुमार	-do-	9459544260	Ashok Kum
5	[illegible]	-do-	9817525409	Pawan
6	गोपाल दास	-do-	9817807635	गोपाल चंद
7	चन्द्र कान्ता	-do-	86289-31380	चन्द्र कान्ता
8	आत्मा राम	-do-	8679724324	आत्मा राम
9	सुरेश कुमार	-do-	8219182573	S
10	राम सिंह	-do-		
11	महेन्द्र पाल	-do-	9418647445	M
12	गोविन्द सिंह	-do-	9418120529	G

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
26	श्री दिला राम	डेरा	9625542137	दिलाराम
27	सुनील कुमार	डेरा	88945 82094	[illegible]
28	श्री जय चन्द	-do-	—	जय चन्द
29	श्री देविन्द्र सिंह	do	—	देविन्द्र सिंह
30	श्री प्रीतम राम	-do-	—	प्रीतम राम
31	श्री नरेन्द्र सिंह	do	91293-91294	नरेन्द्र सिंह
32	श्री कुलदीप चन्द	-do-	8988358960	Kuldeep
33	श्री जवाहर लाल	-do-	7831887129	[illegible]
34	श्री हीरा लाल	-do-	988844190	[illegible]
35.	दलीप सिंह	-do	9459262878	दलीप सिंह

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
13.	श्री चयान सिंह	देहरा	9816035321	Chayan Singh
14.	श्री राज प्रकाश चौहान	-do-	9805963068	R.Chauhan
15.	श्री सुरेश चौहान	-do-	9805576570	Suresh Chauhan
16.	श्री विरेन्द्र चौहान	-do-	8627876286	Virender Chauhan
17.	श्री जगदीश चौहान	-do-	9816240771	[illegible]
18.	श्री रघुबीर सिंह	-do-	9129710111	[illegible]
19.	श्री कैलाश चन्द	-do-	9625117167	कैलाश चन्द
20.	श्री दिलासुख	-do-		दिलसुख
21.	श्री कर्मचन्द	-do-	98160-68859	कर्मचन्द
22.	श्री सीता राम	-do-	9805857539	सीताराम
23.	सन्तोष देवी	-do-		संतोष देवी
24.	सबीना देवी	-do-		सबीना देवी

चस्पान अधिसूचना

कमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Rakesh Joshi	Duttnagar	9459135055	[illegible]
२	Omprakash	Duttnagar	9816856808	[illegible]
3	Purshotam Mauh	Dutlnagar	82190-03477	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

कमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Sangat Ram	Nirath	9625072084	[illegible]
2	SURESH KUMAR	NIRATH	98169-78679	[illegible]
3.	R. D. Sharma	Nirath	98123-05951	[illegible]
4.	Sajeev Kumar	Nirath	86288-12526	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	लाल चन्द चौकीदार	निरथर	86268-9105	Lalchand 8/6/2018
2	पूजा वर्मा A.W.W	आंगनवाड़ी केन्द्र Ghaso Ni	9816924432	Pooja 8/6/2018
3	सुषमा देवी महिला मण्डल महिला प्रधान	निरथर	9857046899	Sushma
4	Sanny Sharma (तोमाईशी देहरा)	देहरा	94189-82880	Sunil
5	Anita P/Sec GP Dehra	Dehra	9418213471	[illegible] 8/6/2018
6	Som Parkash.	Dehra आंगनवाड़ी	98172-0632	S Parkash
7	गगना महिला मण्डल प्रधान	Dhera.	—	गगना
8.	उप-तहसील निरथर	~~निरथर~~	01904 285 422	[illegible]
9	पटवारी	Nirm	93184/10185	[illegible]
10	पटवारी ~~[illegible]~~ कार्यालय	गाड़ेज		Amar Singh
11	आंगनवाड़ी केन्द्र	गाड़ेज	—	Amar Singh
12	उषा ठाकुर महिला मण्डल प्रधान	गाड़ेज	94593 83621	Usha
13	पंचायत कार्यालय	गाड़ेज	लगिपालक ग्रामे चौकीदार	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

कमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
गोहल	प्रधान - 98165 [illegible] उपप्रधान 94188, 13329 08855	पंचायत [illegible] युवक मण्डल महिला मण्डल		
नित्थर	प्रधान 86791-39663 उप प्रधान 94180, 51178			
देहरा	प्रधान - 86620, 16529 उप प्रधान 98170, 30773			

No: SDK/Meeting/18- 857 Date: 7-6-2018

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Rampur, District Shimla (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat, Duttnagar
2. Pradhan Gram Panchayat, Nirath

Subject: **Conduct of Public hearing.**

Sir,

Private land situated at Village Badrash, Nirath and Narola, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of Public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02.07.2018	[illegible]:00am	Panchayat Ghar, Duttnagar
Nirath & Narola	Nirath	02.07.2018	03:00pm	Panchayat Ghar, Nirath

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

No. SDK/Meeting/18- Dated:

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Shimla with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

प्रधान
दत्तनगर

No: SDK/Meeting/18- 1400-04

Date: 7/6/2018

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Kumarsain, District Shimla (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat,
Shamathla.

Subject: **Conduct of Public hearing.**

Sir,

Private land situated at Viiage/Mohal Nola, Rewali and Chornta, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Gram Panchayat / Gram Sabha	Date of Public hearing	Time	Venue
Nola, Rewali & Chornta	Shamathla	01.07.18	10:00am	Mhila Mandal Bawan, Revali

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Kumarsain, Distt. Shimla (HP)

No. SDK/Meeting/18-

Dated:

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Shimla with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Sub-Divisional Officer (C)
Kumarsain, Distt. Shimla (HP)

No: SDK/Meeting/18- 2872-74/SDK   Date: 8-06-2018

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Anni, District Kullu (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat, Dehra
2. Pradhan Gram Panchayat, Nithar
3. Pradhan Gram Panchayat, Gadej

Subject: Conduct of Public hearing.

Sir,

Private land situated at Viiage Gadej and Mohal Nithar, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Gram Panchayat / Gram Sabha	Date of Public hearing	Time	Venue
Nithar	Dehra & Nithar	30.06.2018	10:00am	HPPWD Rest House, Nithar
Gadej	Gadej	30.06.2018	03:00pm	Panchayat Ghar, Gadej

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Anni, Distt. Kullu (HP)

No. SDK/Meeting/18- 2875-77   Dated: 8-06-2018

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Kullu with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Dehra and Nithar raised this letter from SDM office Anni

Sub-Divisional Officer (C)
Anni, Distt. Kullu (HP)

No: SDK/Meeting/18- **Date:**

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Rampur, District Shimla (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat, Duttnagar
2. Pradhan Gram Panchayat, Nirath

Subject: **Conduct of Public hearing.**

Sir,

Private land situated at Village Badrash, Nirath and Narola, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of Public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02.07.2018	3:00Pm	Panchayat Ghar, Duttnagar
Nirath & Narola	Nirath	02.07.2018	10:00am	Panchayat Ghar, Nirath

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

No. SDK/Meeting/18- **Dated:**

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Shimla with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

जिससे भी सम्बन्धित हो।

(TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN)

यह प्रमाणित किया जाता है कि लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए सबंधित उप–मण्डलाधिकारी रामपुर, कुमारसैन तथा आनी उप–मण्डल द्वारा भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) जन सूचना से संबंधित अधिसूचना को आकाषवाणी षिमला पर दिनांक 28.06.2018 को निम्नलिखित विवरणानुसार प्रसारित किया गया हैः

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.18	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.18	03.00 सांय	पंचायत–घर, गडेज
नौला	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मण्डल भवन रिवाली
रिवाली				
चरोटा				
नरोला	निरथ	02.07.18	10.00 प्रातः	पंचायत–घर निरथ
निरथ				
भद्राष	दत्तनगर	02.07.18	03.00 सांय	पंचायत–घर दत्तनगर

SANJEEV SUNDRIYAL
28/6/2018

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

28.06.2018 / 19:45 बजे

एसजेवीएनएल

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–एक के लिए भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण संबंधि रिपोर्ट तैयार करने के लिए जनसुनवाई होगी। एस.जे.वी.एन.एल. के अप्पर महाप्रबंधक कार्पोरेट संचार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जून को सुबह 10 बजे देहरा व नित्थर ग्राम पंचायतों के लिए नित्थर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और गडेज पंचायत के लिए सायं तीन बजे पंचायत घर गडेज में ही ये जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसी तरह पहली जुलाई को शमाथला पंचायत के लिए महिला मंडल भवन रिवाली में सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। इसके अलावा 2 जुलाई को सुबह 10 बजे नीरथ पंचायत घर में ज़बकि सायं तीन बजे दत्तनगर पंचायत घर में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। उन्होंने आम लोगों, जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं से इस जनसुनवाई में हिस्सा लेकर अपने विचार व सुझाव देने को कहा है।

प्रेनो/

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature:

Name & Designation :

6/06/2018

Dated : 6/06/2018

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature [illegible] 06/06/18

Name & Designation :

Prem Singh Chauhan

Vice-Pradhan

G.P. Niram.

Dated : 06/06/18.

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature : Meena 6/6/2018

प्रधान ग्राम पंचायत [illegible] विकास खण्ड [illegible] जिला [illegible] (हि.प्र.)

Name & Designation :

Dated : 6/6/2018

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018३५९६ Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature

Name & Designation :

Dated : 6/6/18

हस्ताक्षर
दिनांक 6/6/18

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018३५९६ Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature

Name & Designation :

Dated :

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-३५९६ Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature

Name & Designation :

Dated :

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated :

Signature

Name & Designation :

प्रधान
ग्राम पंचायत
रामपुर बुशैहर
(हिमाचल प्रदेश)

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated :

Signature

Name & Designation :

Pardhan
Gram Panchayat Garej
Dev. Block Nirmand
Distt. Kullu (H.P.)

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated :

Signature

Name & Designation :

No. 3053-54

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, District Kullu.

Dated 18/6/2018

To

1. The Divisional Commissioner,
   Mandi Division, Mandi.
2. Addl. District Magistrate,
   District Kullu, Kullu.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village/Mohal Nither and Gadej is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Nither	Dehra & Nither	30-06-2018	10.00 am	HPPWD Rest House Nither.
Gadej	Gadej	30-06-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Gadej

Rule 8(7) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

In view of above provision (worthy Divisional Commissioner being R&R Commissioner and ADM being Administrator appointed by the HP Govt. Department of Revenue notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose dated 07-09-2015) this is for your kind information and further necessary action please. Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Kullu, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. Kullu.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the:-

1. Deputy Commissioner, District Kullu at Kullu for information please.
2. L.A.O SJVN, LHEP Bithal to attend the above public hearing.

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. ~~Shimla~~ Kullu.

No. 3048-49 Dated 18-06-2018

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. Kullu.

To

1. Sh. Ram Swaroop Sharma,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh.Kishore Lal Sagar,,
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village/Mohal Nither and Gadej is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Nither	Dehra & Nither	30-06-2018	10.00 am	HPPWD Rest House Nither.
Gadej	Gadej	30-06-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Gadejl

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Kullu, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. ~~Shimla~~ Kullu.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to:

1. The Deputy Commissioner, District Kullu, Kullu for information please.
2. [illegible], Anni and Sh. Pream Kashyap Nirmand. They are requested to attend the above public hearing and also inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. Kullu.

संख्याः 3057-62 दिनांकः 18-06-2018

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

सेवा में,

श्रीमती रोहणी चौधरी,
अध्यक्ष जिला परिषद, जिला कुल्लू,

श्रीमती पप्पी बिष्ट,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड-अरसु.

श्रीमती शशी कटोच,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड-पोशना.

श्रीमती बिंदु ठाकुर,
अध्यक्ष बी.डी.सी,
निरमण्ड.

श्रीमती चमेलो देवी,
सदस्य बी.डी.सी,
नित्थर व देहरा पंचायत .

श्री श्याम दास,
सदस्य बी.डी.सी,
गडेज पंचायत.

विषय : जन सुनवाई।

महोदया/महोदय,

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निर्माण हेतु ग्राम भद्राश,निरथ व नरोला में प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment) ड्राफ्ट रिपोर्ट को अन्तिम रुप देने के लिए जन सुनवाई पंचायतों में निम्नलिखित तारिख व स्थान पर आयोजित की जा रही हैः .

ग्राम/मुहाल	ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा	जन सुनवाई की तारिख	समय	स्थान
नित्थर	नित्थर व देहरा	30.06.2018	10:00 बजे पूर्वान्ह	लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह नित्थर
गड़ेज	गड़ेज	30.06.2018	03:00 बजे अपरान्ह	पंचायत घर गड़ेज

आपसे अनुरोध है कि निश्चित तिथि व स्थान पर जन सुनवाई में भाग ले कर अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव दें। ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में उपायुक्त जिला कुल्लू, मेरे कार्यालय पंचायतों के कार्यालय के अतिरिक्त बैबसाईट www.himachal.nic.in/hipa और www.sjvn.nic.in पर अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू।

प्रतिलिपिः 3063-3066 18.06.18

1. प्रधान,महिला मण्डल व युवक मण्डल,ग्राम नित्थर/गड़ेज को भेजकर अनुरोध है कि व भी इस सुनवाई में भाग लें।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू।

No. 892 Dated 20-6-20

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

To

1. The Divisional Commissioner,
   Shimla Division, Shimla-2.
2. Addl. District Magistrate,
   District Shimla, Shimla-1.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirth & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00 am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(7) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

In view of above provision (worthy Divisional Commissioner being R&R Commissioner and ADM being Administrator appointed by the HP Govt. Department of Revenue notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose dated 07-09-2015) this is for your kind information and further necessary action please. Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. 894-95 Dated:

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla fo, Shimla-1 information please.
2. L.A.O SJVN, LHEP Bithal to attend the above public hearing.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

No. 893

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Dated 20-6-2018

To

1. The Divisional Commissioner,
   Shimla Division, Shimla-2.
2. Addl. District Magistrate,
   District Shimla, Shimla-1.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirth & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(7) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

In view of above provision (worthy Divisional Commissioner being R&R Commissioner and ADM being Administrator appointed by the HP Govt. Department of Revenue notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose dated 07-09-2015) this is for your kind information and further necessary action please. Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla fo, Shimla-1 information please.
2. L.A.O SJVN, LHEP Bithal to attend the above public hearing.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

No. 896.
Office of the Sub Divisional Officer (Ci...,
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Dated 20-6-2018

To

1. Sh. Ram Swaroop Sharma,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Nand Lal,
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirtha & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla, Shimla-I for information please.
2. APRO, Rampur. He is requested to inform all Press Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

No. 897

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Dated 2-6-2018

1. Sh. Ram Swaroop Sharma,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Nand Lal,
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirtha & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla, Shimla-I for information please.
2. APRO, Rampur. He is requested to inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

संख्याः 887-90.   दिनांकः 20-6-2018

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला

सेवा में,

श्रीमती धरमीला हरनोट,
अध्यक्ष जिला परिष्द, जिला शिमला।

श्रीमती रामदासी,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड--नरैण.

श्री राजेन्द्र ठाकुर,
अध्यक्ष बी.डी.सी. (रामपुर),
दतनगर पंचायत.

श्री मस्त राम,
सदस्य बी.डी.सी,
निरथ पंचायत.

विषय : जन सुनवाई।

महोदया/महोदय,

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निर्माण हेतु ग्राम भद्राश, निरथ व नरोला में प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment) ड्राफ्ट रिपोर्ट को अन्तिम रुप देने के लिए जन सुनवाई पंचायतों में निम्नलिखित तारिख व स्थान पर आयोजित की जा रही है:

ग्राम/मुहाल	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा	जन सुनवाई की तारिख	समय	स्थान
निरथ, नरोला	निरथ	02.07.2018	10:00 बजे पूर्वान्ह	पंचायत घर,निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.2018	03:00 बजे अपरान्ह	पंचायत घर,दतनगर

आपसे अनुरोध है कि निश्चित तिथि व स्थान पर जन सुनवाई में भाग ले कर अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव दें। ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में उपायुक्त जिला शिमला, मेरे कार्यालय पंचायतों के कार्यालय के अतिरिक्त बैबसाईट www.himachal.nic.in/hipa और www.sjvn.nic.in पर अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।

प्रतिलिपिः 891.   Dt. 20-6-2018.

1. प्रधान, महिला मण्डल व युवक मण्डल, ग्राम भद्राश/निरथ/नरोला को भेजकर अनुरोध है कि व भी इस सुनवाई में भाग लें।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।

No. 1518

Office of the Sub Divisional Officer (Civil), Kumarsain, Distt. Shimla.

Dated 18-6-18

To

1. Sh. Virender Kashyap, Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Rakesh Singha. Hon'ble Member Legislative Assembly, Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Naula. Charounta and Rewali is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project. Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings. Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA. Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
1. Naula 2. Charounta 3. Rewali	Shamathla	01-07-2018	10.00 am	Mahila Mandal Bhawan, Rewali.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition. Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil), Kumarsain, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to;

1. The Deputy Commissioner, District Shimla for information please.
2. Shri Neeraj Soni, President Press Club Kumarsain with the request to attend the above public hearing and also inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil), Kumarsain, Distt. Shimla.

No. 1519

Office of the Sub Divisional Officer (Civil).
Kumarsain, Distt. Shimla.

Dated 18-6-18

To

1. Sh. Virender Kashyap,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Rakesh Singha,
   Hon'ble Member Legislative Assembly.
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Naula, Charounta and Rewali is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
1. Naula 2. Charounta 3. Rewali	Shamathla	01-07-2018	10.00 am	Mahila Mandal Bhawan, Rewali.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil).
Kumarsain, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to;

1. The Deputy Commissioner, District Shimla for information please.
2. Shri Neeraj Soni, President Press Club Kumarsain with the request to attend the above public hearing and also inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil).
Kumarsain, Distt. Shimla.

संख्याः 1512-16

दिनांकः 18-6-18

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला

सेवा में,

श्रीमती धरमीला हरनोट,
अध्यक्ष जिला परिष्द, जिला शिमला।

श्रीमती रीना ठाकुर,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड-जरोल,

श्रीमती मीरा शर्मा,
अध्यक्ष बी.डी.सी,
कुमारसैन.

श्रीमती अरुणा चौहान,
सदस्य बी.डी.सी,
शमाथला पंचायात.

विषय : जन सुनवाई।

महोदया/महोदय,

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निर्माण हेतु ग्राम भद्राश, निरथ व नरोला में प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment) ड्राफ्ट रिर्पोट को अन्तिम रुप देने के लिए जन सुनवाई पंचायतों में निम्नलिखित तारिख व स्थान पर आयोजित की जा रही है:

ग्राम/मुहाल	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा	जन सुनवाई की तारिख	समय	स्थान
रिवाली, नौला, चरौंटा	शमाथला	01.07.2018	10:00 बजे पूर्वान्ह	महिला मण्डल, रिवाली

आपसे अनुरोध है कि निश्चित तिथि व स्थान पर जन सुनवाई में भाग ले कर अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव दें। ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में उपायुक्त जिला शिमला, मेरे कार्यालय पंचायत के कार्यालय के अतिरिक्त बैबसाईट www.himachal.nic.in/hipa और www.sjvn.nic.in पर अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला।

प्रतिलिपिः

Dated - 18.06.18

1. प्रधान,महिला मण्डल व युवक मण्डल, ग्राम रिवाली/नौला/चरौंटा को भेजकर अनुरोध है कि व भी इस सुनवाई में भाग लें।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला।

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त कुल्लू, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व–साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अंतिम रुप देने के लिए जन–सुनवाई निम्न प्रकार से निष्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.18	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.18	03.00 सांय	पंचायत–घर, गडेज

सभी हितवद्व व्यक्तियों व सर्व–साधारण, जन–प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्षन से जुडे सभी लोग इस जन–सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निष्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन–सुनवाई में भाग लें।

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.) 1405 दि. 7/6/2018
कुमारसैन, जिला शिमला

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चंरोटा ग्रम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकरी (ना.), कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व–साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन–सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला रिवाली चंरोटा	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मण्डल भवन रिवाली

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व–साधारण, जन–प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन–सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन–सुनवाई में भाग लें।

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	नाम पंचायत	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.2018	10:00 प्रातः	पंचायतघर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.2018	3:00 सांय	पंचायतघर दत्तनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

RMP/Reader/ No- 859-60 Dt. 7/6/2018

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	नाम पंचायत	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.2018	10:00 प्रातः	पंचायतघर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.2018	3:00 सांय	पंचायतघर दतनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुर्नवास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

RMP/Reader/ No- 859-60 Dt. 7/6/2018.

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

54200-201
16-1-18

MPP-F(5)-11/2016 Dated: Shimla-171002, the 05-01-2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to notify the Social Impact Assessment Unit as under to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed Land Acquisition at Village Riwali, Charonta, Naula, Narola Tehsil Kumarsain Distt. Shimla, Village Nirath, Bhadrash, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla & Village Nithar, Gadej Tehsil Nirmand Distt. Kullu.

The proposed land at Village Riwali, Charonta, Naula, Narola, Tehsil Kumarsain Distt. Shimla, Village Nirath, Bhadrash, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla & Village Nithar, Gadej Tehsil Nirmand Distt. Kullu measuring 50-07-12 hect. comprising of Khasra Nos. attached as Annexure "A" is to be acquired by the SJVN Limited with the objectives for construction of Luhri Hydro Electric Project Stage-I in order to harness optimal hydel potential river of Satluj. This is run of river type develop... proposed scheme.

The strategy followed in Himachal Pradesh for exploitation of hydroelectric power resources is to produce as much energy as possible as fast as possible, with minimum cost and with minimum environmental negative impacts. The speedy exploitation of hydroelectric power potential will definitely improve the economic health of the State because 12 percent free power plus 1% LADF on all new installations will increase the resources of the state to a significant extent. The need for the project also arises from the need to fulfill a steady increase in peak electricity demand and the growing energy deficit in the Northern Region.

Thus, it is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Assessment will render this exercise as null and void and the ...

C-1

consultations, survey and public hearings:

Sr. No.	Name & Address	Designation	Contact Information
1	Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla	Chairperson	Ph-0177-27347.7 M- 094180-2224.
2	Deputy Secretary (Revenue) to the GoHP, H.P. Secretariat, Shimla-171002	Member Secretary	0177-2628407
3	The Incharge, State Institute of Rural Development, HIPA, Shimla	Member	M- 094595-6248
4	Head of Department of Sociology and Social Work, H.P. University, Shimla	Member	0177-2833875
5	Chief Scientific Officer, Department of Environment, Science & Technology, Shimla	Member	0177-2816087

By Order

R.D. Dhiman
Principal Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst No. As above Dated: Shimla-171002, the [illegible] 2016

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Commissioner-cum-Principal Secretary (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The Deputy Commissioner, District Shimla and Kullu, Himachal Pradesh.
3. The Director, Public Information and Public Relation, Shimla, Himachal Pradesh with the request to publish the notification in two daily newspapers.
4. The Chairperson, Social Impact Assessment Unit, Himachal Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.
5. All the members of the Social Impact Assessment Unit (By Name).
6. The Sub-Divisional Magistrate, Rampur/Kumarsain, Distt. Shimla & Ani, Distt. Kullu.
7. Tehsildar Rampur, Kumarsain Distt. Shimla & Ani, Distt. Kullu.
8. The Land Acquisition Collector, Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Jhakri, Tehsil Rampur-Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh with the request to advertise the notification in the suitable places of the concerned area for publicity amongst the general public for their information.
9. Guard File.

Special Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

C-2

		• अस्पताल (कैपिटल स्टाक)[5] • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के होटल • औद्योगिक पार्कों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार हेतु सांझी अवसंरचना • उर्वरक (पूंजी निवेश) • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-जांच प्रयोगशालाएं • शीत श्रृंखला[6]

[1] लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल है।

[2] कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

[3] शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।

[4] फाइबर आप्टिक /वायर/तार नेटवर्क जो कि ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

[5] चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केन्द्र शामिल है।

[6] कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, जल उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर प्री-कूलिंग हेतु शीत कक्ष सुविधा शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs

(INFRASTRUCTURE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

Sub: Harmonized list of Infrastructure sub-sectors and Institutional Mechanism for its updation

F. No. 13/6/2009-INF.—In pursuance of the decision of the Cabinet Committee on Infrastructure (CCI) taken in its meeting held on 1st March, 2012 on the identification of the harmonized list of Infrastructure sub-sectors, an Institutional Mechanism is hereby constituted consisting of the following:-

i. Secretary, Department of Economic Affairs - Chairman
ii. Member-Secretary, Planning Commission - Member
iii. Secretary, Department of Revenue - Member
iv. Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs - Member
v. Representative of Reserve Bank of India - Member
vi. Representative of Securities and Exchange Board of India (SEBI) - Member

C-18

vii. Representative of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) - Member

viii. Representative of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) - Member

ix. Secretary of the concerned Administrative Ministry/Department - Member

2. The Terms of Reference of the Institutional Mechanism would be as under:

i. To update the Master List of Infrastructure sub-sectors as enclosed at **Annexure-I**; and

ii. To revisit the infrastructure sub-sectors outside the Master List which are presently being supported by any agency after an appropriate period of time.

3. As per the decision of the CCI, the harmonised Master List of sub-sectors is meant to guide all the agencies responsible for supporting infrastructure in various ways. Each financing agency shall be free to spell out its reasons and draw its own list of sub-sectors out of the Master List, that it intends to support, with adequate justification for inclusion/non-inclusion of specific sub-sectors from the Master List.

4. The Institutional Mechanism will make recommendations to the Finance Minister for decision.

5. The Institutional Mechanism will be serviced by the Department of Economic Affairs.

RAJESH KHULLAR, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

Harmonised Master List of infrastructure sub-sectors

S No	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	• Roads and bridges • Ports • Inland Waterways • Airports • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges[1] • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	• Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility[2] • Gas pipelines[3]
3.	Water & Sanitation	• Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments etc) • Storm Water Drainage System

C-18

4.	Communication	• Telecommunication (Fixed network)[4] • Telecommunication towers
5.	Social and Commercial Infrastructure	• Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)[5] • Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million • Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets. • Fertiliser (Capital investment) • Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold chain[6]

[1] Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings
[2] Includes strategic storage of crude oil
[3] Includes city gas distribution network
[4] includes optic fibre/ wire/cable networks which provide broadband /internet
[5] Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostic Centres
[6] Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat

1093GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

C-19

FORM-II(HP RTFCTLARR Rules, 2015)

Social Impact Assessment Report

[See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social ImpactAssessment

1. Demographic details of the population in the project area
   (a) Age, sex, caste, religion

   (b) Literacy, health and nutritional status

2. Poverty levels

3. Vulnerable groups

   (a) Women,
   (b) Children
   (c) The elderly,
   (d) Women-headed households and
   (e) The differently abled

4. Kinship patterns and women's role in the family

5. Social and cultural organization.

6. Administrative organization.

7. Political organization.

8. Civil society organisations and social movements.

9. Land use and livelihood
   (a) Agricultural and non-agricultural use
   (b) Quality of land – soil, water, trees etc.
   (c) Livestock
   (d) Formal and informal work and employment.
   (e) Household division of labour and women's work
   (f) Migration
   (g) Household income levels
   (h) livelihood preferences
   (i) Food security

10. Local economic activities

(a) Formal and informal, local industries
  i. Access to credit
  ii. Wage rates
(b) Specific livelihood activities women are involved in

11. Factors that contribute to local livelihoods

(a) Access to natural resources
(b) Common property resources
(c) Private assets
(d) Roads, transportation
(e) Irrigation facilities
(f) Access to markets
(g) Tourist sites
(h) Livelihood promotion programmes
(i) Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment

(j) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations
(k) Settlement patterns
(l) Houses
(m) community and civic spaces
(n) Sites of religious and cultural meaning
(o) Physical infrastructure (including water supply sewage systems etc.)
(p) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)
(q) Safety, crime, violence

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income
   (a) Level and type of employment
   (b) Intra-household employment patterns
   (c) Income levels
   (d) Food Security
   (e) Standard of living
   (f) Access and control over productive resources
   (g) Economic dependency, or vulnerability
   (h) Disruption of local economy
   (i) Impoverishment risks
   (j) Women's access to livelihood alternatives

2. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

3. Impacts on private assets, public services and utilities

(a) Capacity of existing health and education facilities
(b) Capacity of housing facilities
(c) Pressure on supply of local services.
(d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
(e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts

(a) Health impacts due to in-migration
(b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-
    i. Impact on women's health
    ii. Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion

(a) Transformation of local political structures
(b) Demographic changes
(c) Shifts in the economy-ecology balance
(d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
(e) Crime and illicit activities
(f) Stress of dislocation
(g) Impact of separation of family cohesion
(h) Violence against women

6. Impact at different stages of the project cycle

The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase

i. Interruption in the delivery of services
ii. Drop in productive investment
iii. Land speculation
iv. Stress of uncertainty

(b) Construction phase

i. Displacement and relocation
ii. Influx of migrant construction workforce

iii. Health impacts on those who continue to live close to the construction site

(c) Operation phase

i. Reduction in employment opportunities compared to the construction phase
ii. Economic benefits of the project
iii. Benefits on new infrastructure
iv. New patterns of social organisation

(d) De-commissioning phase

i. Loss of economic opportunities
ii. Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts

i. Direct impactsl will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)
ii. Indirect impactsl will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area

(f) Differential impacts

i. Impact on women, children, the elderly and the different abled
ii. Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

(g) Cumulative impacts

i. Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
ii. Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

B. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social ImpactManagement Plan.

Chapter	Content
Executive Summary	(a) Project and public purpose (b) Location (c) Size and attribute of land acquisition (d) Alternatives considered (e) Social Impacts (f) Mitigation measures

D-4.

	(g) assessment of social costs and benefits.
Detailed Project Description	(a) Background of the project, including developers background and governance or management structure. (b) Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (c) Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks. (d) Examination of alternatives (e) Phases of project construction (f) Core design features and size and type of facilities (g) Need for ancillary infrastructural facilities. (h) Work force requirements (temporary and permanent) (i) Details of Social Impact Assessment or Environmental Impact Assessment if already conducted and any technical feasibility reports (j) Applicable legislations and policies
Team composition, approach, methodology and Schedule of the Social Impact Assessment.	(a) List of all team members with qualifications, Gender experts to be included in team. (b) Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for the Social Impact Assessment. (c) Sampling methodology used. (d) Overview of information or data sources used. Detailed reference must be included separately in the forms. (e) Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted. Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the Report must be included in the forms.

Land Assessment.	(a) Information from land inventories and primary sources- Describe with the help of the maps. (b) Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) (c) Total land requirement for the project (d) Present use of any public, unutilized land in the vicinity of the project area (e) Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project (f) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project (g) Nature, present use and classification of land and if agricultural land, irrigation coverage and cropping patterns (h) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses (i) Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years
Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets	Estimation of the following types of families that are— (a) Directly affected (own land that is proposed to be acquired): (i) Are tenants or occupy the land proposed to be acquired (ii) The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights (iii) Depend on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood (i) Have been assigned land by the State Government under any of its schemes and such land is under acquisition; (ii) Have been residing on any land in the urban areas for Preceding three years or more prior to the acquisition of the land (iii) Have depended on the land being acquired as a primary source of

	livelihood for three years prior to the acquisition (b) Indirectly impacted by the project (not affected directly by the acquisition of own lands) (c) Inventory of productive assets and significant lands
Socio-Economic and cultural profile (affected area and resettlement site)	(a) Demographic details of the population in the project area (b) Income and poverty levels (c) Vulnerable groups (d) Land use and livelihood (e) Local economic activities (f) Factors that contribute to local livelihoods (g) Kinship patterns and social and cultural organisation (h) Administrative organisation (i) Political organisation (j) Community-based and civil society organizations (k) Regional dynamics and historical change processes (l) Quality of the living environment
Social impacts	(a) Framework and approach to identifying impacts (b) Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a directly or indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable cumulative impacts. (c) Indicative list of impacts areas include: impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts.
Analysis of costs and benefits and recommendations on acquisition	(a) Final conclusions on: assessment of public purpose, less-displacing alternatives, minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts, the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation

	measures described in the Social Impact Management Plan will address the full range of social impacts and adverse social costs. (b) The above analysis will use the equity principle described in Rule 9(10) as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not
References and Forms	For reference and further information

Annexure 4.2

FORM-III(HP RTFCTLARR Rules, 2015)

(See sub-rule (4) of rule 3)

Social Impact Management Plan

1) Approach to mitigation

2) Measures to avoid, mitigate and compensate impact

3) Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act.

4) Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal.

5) Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

The Social Impact Management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

2. Candidate should not have attained the upper Age as prescribed above as on the closing date of advertisement.

3. The candidates should have minimum relevant experience as on date of Walk-in interview.

4. Before offering their candidature for any of these posts, the candidates should ensure that they fulfil all eligibility conditions.

5. Their admission at all the stages of the Interview will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.

6. In case it is detected that at any stage that the candidate doesn't fulfil any of the eligibility criterion, his/her candidature shall be rejected /cancelled, without assigning any reasons thereof. Similarly, even after joining, if it is found that the candidate has furnished any incorrect information or suppressed any material fact / information, his / her services shall be summarily terminated at the discretion of SAPDC Management.

7. The decision of the SAPDC as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the interview shall be final.

8. Only Nepalese citizens need apply. Preference will be given to deserving Project Affected Persons (PAPs), subject to fulfilling the requisite qualifications and experience suiting to the job requirements.

9. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview / written test for selection process as per requirement of post.

10. The management reserves the right to increase / decrease the number of posts or consider for lower posts / grade or not to fill up any of the post or raise the minimum eligibility standards or relax age / experience or any other criterion in other wise suitable cases and also cancel candidature of any candidate / or cancel entire recruitment process without assigning any reason. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview/ selection process.

11. Any legal proceeding in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/or an application in response there to can be instituted only in Kathmandu and court / tribunal / forum at Kathmandu only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any such cause /dispute.

12. SAPDC will take up verification of eligibility condition with reference to original document only at the stage of interview / selection.

13. Advance applications in the prescribed format along with copies of testimonials / certificates in support of age, Qualification, experience, etc. may be sent through E-mail to sapdcrecruit@gmail.com.

14. Candidates must appear in person along with their applications on prescribed format (as available on respective websites / job portals) and certified copies of Testimonials / Certificates in support of age, education, experience citizenship, etc. The candidates must carry original certificates / Testimonials for verification only, which will be returned immediately.

4. जमीन और मकानों का उचित मुआवज़ा देने वारेः जमीन का उचित मुआवजा दिलाना सरकार की जिम्वेवारी है। इस लिए नए **Land acquisition Act** के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। चूकिं सतलुज के दोनों किनारों पर इस परियोजना का निर्माण किया जाना है इसलिए दोनों किनारों पर जो निजि भूमि अधिकृत की जानी है उसका समान मुआवजा मिलना चाहिए।
5. पीने के पानी की व्यवस्था करने वारेः इस परियोजना से प्रभावित होने वाले अधिकांश परिवार जमीन रहित नहीं होने जा रहे है क्योंकि उनकी जमीनें ग्राम पंचायत नित्थर और देहरा के अंर्तगत आती है। लेकिन इन पंचायतों में पीने के पानी की जो समस्या है वह किसी से भी झुपी हुई नहीं है। इस लिए हमारा परियोजना अधिकारियों से आग्रह है कि परियाजना स्थल से ही इन पंचायतों को पानी लिफट किया जावे जिसकी पूरी जिम्वेवारी परियोजना अधिकारियों की होगी।
6. परियोजना प्रभावित लोंगों के स्वास्थय के बारेः चूकिं परियोजना प्रभावित क्षेत्र में मात्र एक स्वास्थय केंद्र (**PHC**) है जहां सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है इलिए हमारा सरकार एवं परियोजना अधिकारियों से आग्रह है कि इस **PHC** को (**NHM**) के साथ जोडकर यहां विशेषज्ञ चिकित्सक वैठांए जाए जिससे यहां लगभग सात–आठ पंचायतों को फायदा होगा।
7. परियोजना प्रभावित क्षेत्र में निजि स्कूल खोलने वारेः परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एक निजि स्कूल खोला ज़ाना चाहिए जिससे परियोजना प्रभावितों के साथ–2 यहां की सात–आठ पंचायतों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। चूंकि सतलूज जल विघुत निगम ने अपनी सभी परियोज़नाओं के क्षेत्र में निजि स्कूल खुलवाए है इसलिए यहां भी स्कूल खुलना जरुरी है।

इस परियोजना का कार्य शुरु होते–2 आठ से नौ वर्ष बीत चुके है लेकिन अभी तक ये सिरे नहीं चढी है। अतः हमारा हि0प्र0 सरकार और सतलूज जल विघुत निगम से आग्रह कि इसका कार्य प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए ताकि इसका फायदा सरकार के साथ स्थानीय जनता को भी मिल सके।

धन्यवाद,

भवदीय,

(कपूर ठाकुर)
गांव शनाह,
ग्रम पंचायत देहरा,
जिला कुल्लू हि0प्र0

दिनांक 30/6/2018

move to Say

कार्यालय ग्राम पंचायत, करांगला

विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक ________

दिनांक 2/7/2018

प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा 14/01/2018

उपस्थिति 17/6 अध्यक्षता श्री मोहन लाल प्रधान ग्राम पंचायत, करांगला

विषय :- ग्राम पंचायत करांगला (SJVNL Luhari Project) द्वारा प्रभावित क्षेत्र में लिये जाने बारे।

पंचायत बैठक में उपरोक्त विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत करांगला को SJVNL लुहरी Project द्वारा प्रभावित क्षेत्र में लिया जाए। ताकि स्थानीय जनता को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। Project से पंचायत के गाँव करांगला, कुन्ढ, कलमीण, ओढ, डोबा, न्थी ओढ, बेहड़ व जनोल गांव के निवासी प्रभावित हो रहे हैं अतः पंचायत मांग करती है कि पंचायत को प्रभावित क्षेत्र में लिया जाए तथा डैम बनने के बाद डैम से जो पानी निकाली होगी इस पानी को उपरोक्त गांव को कृषि हेतु उठाऊ सिंचाई योजना के तहत जोड़ा जाए क्योंकि इसे जनहित में अति आवश्यक समझें।

प्रस्ताव पारित किया जाता प्रतिलिपि भेजी जानी स्वीकार हो।

प्रधान
ग्राम पंचायत करांगला
विकास खण्ड ननखड़ी
जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रतिलिपि :- सेवा में श्रीमान उपमण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशहर।

d) The summaries of the SIA report were not made availa[illegible]h the date of public hearing neither any ste[illegible] were taken to share t[illegible]dings of the SIA report;

e) The Panchayats were not inclu[illegible]ed in all the decisi[illegible]aking regarding the arrangements for the pu[illegible]blic hearing ;

f) The proceedings were not drawn o[illegible] the spot;

g) local voluntary organizations were not involved;

7. As a matter of fact the public hearing was pushed through [illegible]t was conducted only to fulfill the legal requiren[illegible]ent. In fact hardly any[illegible] knew as to what was there in the SIA and the s[illegible]ggestion given by the[illegible]hayati Raj representatives and other people w[illegible]re based on tentative[illegible]vague information. In fact this was conducted at the fag end of the per[illegible]herein the SIA report has to be submitted. It wa[illegible] done in this manner [illegible]rately and the reaction and consent has been [illegible]aken on dotted lines[illegible]eding wrong input.

It is therefore, requested that the report n[illegible]ay not be accepted in[illegible]present form in the interest of justice and fair play a[illegible]d the stake holders m[illegible] heard again in a fair and open manner in the in[illegible]erest of public at la[illegible]nd the construction of project itself.

As a precursor to the fair public opinion on the issue the follo[illegible]is also submitted:-

8. The circle rates in the area may be ratio[illegible]alized and brought u[illegible]ne with the prevailing market rates which are subs[illegible]antially higher than th[illegible]e rates. Having done so, the market value of the land may please be [illegible]lied by factor 2.00 (two) under the first schedule of the Right to Fair C[illegible]nsation and Transparency in Land Acquisition, R[illegible]habilitation and Rese[illegible]ent Act, 2013.

9. The rehabilitation and resettlement entit[illegible]ements may be drawn[illegible]ally and well in advance and focus may be given on providing direct e[illegible]ment to the families of the areas and also before t[illegible]at to provide necessar[illegible]ing and capacity building in advance to enhance o[illegible] the employability of [illegible]rsons of the area.

Yours faith[illegible]

प्रेम सिंह दैक भाजपा (म.न.)
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
मो., 94183 40713, 8894997713
ई-मेल psdraik@gmail.com

गाव रगोरी (खिलट
डाकघर सराहन बु
जिला शिमला (हि
पिन कोड – 17210

क्रमांक........ दिनांक 5/7/1

To

The Sub- Divisional Officer (civil)
Rampur Bushar, Tehsil Rampur,
District Shimla, H.P.

Subject Public hearing in relation to study m: de in Social Impact A nent of proposed Luhri Hydro Electric Pow:r Project.

Madam,

Public hearing into the matter cited in tl e subject was held at and Duttnagar Panchayats of Rampur Tehsil on 2.07.:018 In this regard, wing submissions are made:

1. The agency preparing report listed two villag s as affected area and lved only two Panchayats in the public hearii g. Thereby interest hers Panchayats and people who fall in the perip iery of five kilometer ands proposed to be acquired were ignored thou h they will be affecte a as and when notified by the Government. S ich Panchayats are gla, Delath, Barach and Thaili-Chakti in Nankhar Tehsil.
2. No due publicity was made w.r.t the public he ring and the SIA repor not available for the study among the general pi blic even in the villag iere land is being acquired.
3. The Panchayats of the peripheral area did no know anything. Ever Zila Parishad Member who represents these Panc iayats were land is pr i to be acquired was not informed or the report w s not provided.
4. The Public hearing was made an affair of particular political p and workers of such party attended in good numt er with local MLA he the process.
5. The peripheral Panchayats and Zila Parishad Member came to kno the public hearing by chance though they had no dea of the subject mat the public hearing.
6. The following class of persons were ignored in he matter of public ng:
   a) agriculture labourers, tenants, artisan ;
   b) persons who have rights under th Scheduled Tribes ar her Traditional Forest Dwellers (Recognitic n of Forest Rights) Ac 6;
   c) The date and venue of the public iearing was not publ in advance in the villages within the radi s of five kilometers the land proposed to be acquired, neithe draft SIA report w ide available in such area;

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

जन-अधिसूचना

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त कुल्लू, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.18	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.18	03.00 सांय	पंचायत-घर, गडेज

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोटः यह रिर्पोट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब-साईट **www.himachal.nic.in/hipa** व एसजेवीएन की वेब-साईट **www.sjvn.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

हस्ताक्षरित

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला

जन–अधिसूचना

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चंरोटा ग्राम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व–साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन–सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मण्डल भवन रिवाली
रिवाली				
चंरोटा				

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व–साधारण, जन–प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन–सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन–सुनवाई में भाग लें।

नोटः यह रिर्पोट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब–साईट **www.himachal.nic.in/hipa** व एसजेवीएन की वेब–साईट **www.sjvn.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

हस्ताक्षरित

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

जन–अधिसूचना

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दत्तनगर के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व–साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन–सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई हैः

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.18	10.00 प्रातः	पंचायत–घर निरथ
भद्राश	दत्तनगर	02.07.18	03.00 सायं	पंचायत–घर दत्तनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व–साधारण, जन–प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन–सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन–सुनवाई में भाग लें।

नोटः यह रिर्पोट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब–साईट **www.himachal.nic.in/hipa** व एसजेवीएन की वेब–साईट **www.sjvn.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

हस्ताक्षरित

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

Social Impact Assessment Study for Land Acquisition for Luhri Hydro-Electric Project in Shimla and Kullu Districts, Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015

Submitted to

Himachal Pradesh Institute of Public Administration (HIPA)

July 2018

By AFC India Ltd

(Formerly Agricultural Finance Corporation Ltd.)

(An ISO 2001-2008 Company)

Head Office
Dhanraj Mahal, CSM Marg, Mumbai – 400001

Northern Regional Office
B 1/9, Community Centre, Janakpuri, New Delhi – 110058

www.afcindia.org.in

Preface

The Luhri Project was conceived in the year 2008 and was proposed to be constructed in three stages without constructing tunnels by Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd. a joint venture of Govt. of Himachal Pradesh and Govt. of India. The project contemplates construction of three dams in three stages viz. Luhri Hydro-electric Project Stage-I (210 MW), Luhri Hydro-electric Project Stage-II (163 MW) and Sunny Dam Hydro-electric Project (373 MW). The project is to harness the hydel potential of Satluj River between Rampur and Kol Dam Hydro-electric projects.

The Luhri HEP Stage-I is located on river Satluj near Nirath village in Shimla and Kullu districts of Himachal Pradesh. The project holds a potential of generating 758.20 MU of electric energy in a 90 per cent dependable year by construction of a 80 metre high concreted gravity dam on Satluj river and Surface Toe Power House on its right bank near Nirath village. The project would affect 1003 landowners spread over in eight revenue villages at the project site. Around 150 ha. of land is expected to get submerged by water due to dam construction of which 50.9712 ha belong to private owners. This Report pertains to Social Impact Assessment undertaken by AFC India Ltd. at the instance of Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit, Shimla. The structure of the Report is in accordance to Form II & III of HP SIA Rules-2015. We trust that the findings of the Report which also contains "Social Impact Management Plan" would benefit all policy and decision-makers.

Date: 3rd July, 2018

AFC India Ltd., New Delhi

Contents

List of Tables 3

List of Figures 3

Abbreviations 4

Glossary 5

Executive Summary 11

1. Project Background 16

1.1 The Study 16

1.2 Objectives of the Study 16

1.3 Methodological Framework 17

1.4 Scope of the Study 17

1.5 Study Outcome 18

1.6. The Project Proposal 18

1.7. Project Rationale 19

1.8. Salient Features of the Project 20

1.9. Examination of Alternatives 23

1.10. Applicable Legislations and Policies 24

2. Approach and Methodology 33

2.1 Study Objective and Approach 33

2.2 Execution of the Task 35

2.3 Team Composition 39

2.4 Schedule of Activities and Deliverables 40

3. Land Assessment 42

4. Estimation of Computation 49

4.1. Market value of land estimation 49

4.2. Computation of land Value: 52

4.3. Value of assets attached: 53

4.4. Award of Solatium and interest: 53

4.5. Parameters to be considered for determination of award 54

4.6. Demands of the Project Affected Families: 55

5. Socio-Economic and Cultural Profile 57

6. Social Impacts 67
6.1. Approach on Social Impacts 67
6.2. Impoverishment risks: 68
6.3. Analysis of Impacts 69
7. Analysis of Costs & Benefits and Recommendations 74
7.1. Rehabilitation and Resettlement Plan 74
7.2. Entitlement Matrix 79
7.3. Relocation and resettlement 81
7.4. Conclusions 82
7.5. Recommendations 88
8. Social Impact Management Plan 92
8.1. Development Initiatives under Mitigation Plan 92
8.2. Recommendations for Mitigation of Social Impacts 98
8.3. Outlay for SIMP implementation: 100
8.4. Institutional Arrangement Appraisal of Social Impact Assessment Report 104
8.5. Rehabilitation and Resettlement Plan/Scheme and Social Audit. 104
8.6. Grievance Redressal Committee (GRC) 105
8.7. Monitoring and Evaluation 107
References 111

Appendix 1: Survey Questionnaire
Appendix 2: List of Respondents Interviewed
List of Landowners not contacted
Appendix 3: Notification for SIA
List of Private Land Khasra Wise
Notification for list of projects under Public Purpose
Appendix 4: Form II and Form III of HP Rules
Appendix 5: Tables generated from the survey
Appendix 6: Proceedings of Public Hearing
Applications/Letters/Complaints/Suggestions of Public received by the SIA team
Attendance of Public Hearing
Mode of Publicity
Video recording of the Public Hearing

List of Tables

Table 1.8.1: Salient features of LHEP
Table 2.2.1: Tools & Samples for the SIA
Table 2.3.1: SIA Team Members
Table 2.4.1: Activity Schedule and Deliverables.
Table 3.1: Population of the affected villages (as per Census 2011)
Table 3.2: Total Number of Family Members of All Respondents
Table 3.3: Literacy rate of Kullu and Shimla (as per Census 2011)
Table 3.4: Pre-project Income Levels of the Affected Landowners
Table 3.1.1: Land Utilization Pattern
Table 3.2.1: Village-wise Distribution of Landowners
Table 3.3.1: Village-wise Distribution of Land- Cultivated and Non-Cultivated
Table 4.1.1: Land Type-wise Circle Rates of Land
Table 4.1.2: Village-wise Extent of Land to be Acquired (in Hectares)
Table 4.2.1: Calculations of Compensation for Land for All Revenue Villages
Table 4.3.1: Competent Authorities. / Departments for Assessment of the Assets
Table 4.5.1: Method of determination of compensation
Table 5.13.1: List of Participants of FGD at Nirath
Table 5.13.2: List of Participants of FGD at Neether
Table 6.3.1: Village wise Private Land Requirement for the Project (In Hectares)
Table 7.2.1: Entitlement Matrix
Table 8.2.1: Key Impacts due to Hydro Electric Project and Suggested Measures for Mitigation
Table 8.2.2: Details of PAFs Loosing Land by Revenue Villages
Table 8.3.1: Details of Compensation on Land
Table 8.3.2: Details of Compensation on Trees
Table 8.3.3: Details of Rehabilitation and Resettlement Costs
Table 8.3.4: Details of Total Costs for Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement
Table 8.7.1: Indicators for monitoring of SIMP progress
Table 8.7.2: Indicators for Project Outcome Evaluation

List of Figures

Figure 2.1.1: Approach & Methodology
Figure 5.2.1: Distribution of PAFs by Social Category
Figure 5.8.1: Percentage of Women playing a Role in decision-making
Figure 5.12.1: Awareness about LHEP among PAFs
Figure 5.13.1: Pictures from the FGD at Nirath
Figure 5.13.2: Pictures from the FGD at Neether
Figure 8.6.1: Stages of Grievance Redressal

Abbreviations

AFC	AFC India Limited
BPL	Below Poverty Line
CA	Chartered Accountant
CHC	Community Health Centre
CPRs	Common Property Resources
CS	Company Secretary
Dept.	Department
EIA	Environmental Impact Assessment
Govt.	Government
GP	Gram Panchayat
HP Rules 2015	Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules 2015
HP SIAU	Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit
HR	Human Resources
IPH	Irrigation and Public Health Department
L 2	Level 2 Health Facility
L 3	Level 3 Health Facility
LHEP	Luhri Hydro Electric Project
NGO	Non-Governmental Organization
NHM	National Health Mission
OBC	Other Backward Castes
PAFs	Project Affected Families
PDFs	Project Displaced Families
PHC	Primary Health Centre
PMAY	Pradhan Mantri Awas Yojana
PWD	Public Works Department
RTFCTLARR Act 2013	Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013
R&R	Resettlement and Rehabilitation
SC	Scheduled Castes
SIMP	Social Impact Management Plan
SJVN	Satluj Jal Vidyut Nigam
ST	Scheduled Tribes

Glossary

- **Act** refers to "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013".
- **Acquisition of lands** means the land(s) proposed to be acquired under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 for the proposed Luhri Hydro Electric Project in Shimla and Kullu Districts of Himachal Pradesh.
- **Administrator** means an Officer appointed for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families under sub-section (1) of Section 43 of the Act.
- **Affected Area** means such area as notified by the Government of Himachal Pradesh under the land acquisition rules for the purposes of land acquisition for LHEP.
- **Affected Family means:**
  - i. A family whose land or other immovable property has been acquired for LHEP.
  - ii. A family which does not own any land but member(s) of such family may be agricultural labourers, tenants including any form of tenancy or holding of usufruct right, share-croppers or artisans or who may be working in the affected area, since three years, prior to acquisition of the land, whose primary source of livelihood stand affected by the proposed acquisition of land;
  - iii. The scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights recognized under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 due to the proposed acquisition of land;
  - iv. Family whose primary source of livelihood since three years prior to the proposal for acquisition of the land is dependent on forests or water bodies which also includes gatherers of forest produce, hunters, fisher folk and boatmen and such livelihoods which are affected due to the proposed acquisition of land;
  - v. A member of the family who has been assigned land by the State Government or the Central Government under any of its schemes and such land is presently under acquisition.

vi. A family residing on any land in the affected area for preceding three years or more prior to the proposed acquisition of the land or whose primary source of livelihood since three years prior to the acquisition of the land is expected to be affected by the acquisition of such land;

- **Agricultural Land** means land(s) being used for the purpose of :
  - (i) Agriculture or horticulture;
  - (ii) Dairy farming, poultry farming, pisciculture, sericulture, seed farming breeding of livestock or nursery growing medicinal herbs;
  - (iii) Raising of crops, trees, grass or garden produce; and
  - (iv) Land used for the grazing of cattle;
- **Below poverty line or BPL Family** refers to families falling below the poverty line as defined by the Planning Commission of India, from time to time, and as well as those included in the BPL list of Himachal Pradesh State in force.
- **Central Government** refers to Government of India.
- **Compensation** refers to the amount to be paid as compensation under various provisions of the Act 2013, for private property, structures and other assets acquired for the project, including rehabilitation and resettlement entitlements as per this policy.
- **Cost of acquisition** includes:
  - (i) Amount of compensation, which includes solatium (compensation or consolation), any enhanced compensation ordered by the “Land Acquisition and Rehabilitation & Resettlement Authority” or the Court, interest payable thereon and any other amount determined as payable to the affected families by such authority or court,
  - (ii) Demurrage to be paid for damages cost to the land and standing crops in the process of acquisition,
  - (iii) Cost of acquisition of land and building for settlement of displaced or adversely affected families,
  - (iv) Cost of development of infrastructure and amenities at the resettlement areas,
  - (v) Cost of Rehabilitation and Resettlement, as determined in accordance with the provision of the Act 2013,
  - (vi) Administrative cost that includes:

a. Expenditure incurred for acquisition of land, including both in the project site and outside of project area , not exceeding such percentage of the cost of compensation as may be specified by the Government of Himachal Pradesh,
b. Expenses to be incurred for rehabilitation and resettlement of the owners of the land and other affected families whose land has been acquired or proposed to be acquired or other families affected by such acquisition.

(vii) Cost of undertaking the SIA study.

- **Cut-off Date** is the date of Notification under Section 11 (1) of Act, 2013.
- **Displaced Family** means any affected family, who on account of the proposed acquisition of land has to be relocated and resettled from the affected area to the resettlement area.
- **District Collector** means the officer appointed by the State Government as a Collector of a District.
- **Encroachers** are those persons who have extended their building, business premises or work places or agriculture activities into government lands,
- **Family** means a person, his or her spouse, children, brothers and sisters dependent on him/her, provided that widows, divorcees and women deserted by families shall be considered as separate families.
- **Land** includes benefit to arise out of land, and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth.
- **Land acquisition** means acquisition of land under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and Government of Himachal Pradesh Rules, 2015 as well as other relevant orders.
- **Land Acquisition Collector** means the Deputy Collector or any other officer designated as Land Acquisition Officer by the State Government to perform all or any of the functions of the Collector under the Act 2013.
- **Landless** means such person or class of persons as may be specified by the Government of Himachal Pradesh.
- **Land owner** includes-

(i) Whose name is recorded as owner of the land or building or part thereof, in the records of the concerned authority,

(ii) Any person who is granted with forest rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 or under any other law for the time being in force,

(iii) Who is entitled to be granted Patta rights on the land under any law of the State including assigned lands; and

(iv) Any person who has been declared as such by an order of the court or authority.

- **Marginal farmer** means a cultivator with an un-irrigated land holding up to one hectare or irrigated land holding up to one-half hectare,
- **Market value** means the value of land determined in accordance with Section 26 of the Act 2013.
- **Minimum Wages** means the minimum wage of a person for his/her services/labour per day as per notification published by Department of Labour, Government of Himachal Pradesh.
- **Non-Perennial Crop** means any plant species, either grown naturally or through cultivation that lives for a particular harvest season and perishes with harvesting of its yields.
- **Notification** means a notification published in the Gazette of India, or as the case may be, the Gazette of a state and the expression "notify" shall be constructed accordingly.
- **Perennial Crop** means any plant species that live for years and yields its products after a certain age of maturity.
- **Project** means the Luhri Hydro Electric Project.
- **Public purpose** means the activities specified under sub-section (1) of Section 2 of the Act 2013.
- **Rehabilitation and Resettlement (R & R)** means carrying out rehabilitation and resettlement as per RFCTLARR Act 2013 and HP RFCTLARR Rules 2015, benefits to be provided to the affected families/area.
- **R&R Entitlements** means the benefits awarded as per the RFCTLARR Act 2013 of the Government of India.
- **Requiring Body** here means SJVN.

- **Scheduled Areas** means the scheduled areas as defined in section 2 of the provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996.
- **Small farmer** means a cultivator with an un-irrigated land holding up to two hectares or irrigated land holding up to one hectare, but more than the holding of a marginal farmer.
- **Social Impact Assessment** or **SIA** means an assessment made under subsection (1) of Section 4 of the HP Rules 2015.
- **Social Impact Management Plan** or **SIMP** means the plan prepared as part of Social Impact Assessment Process under sub-section (1) of Section 4 of the HP Rules 2015.
- **State Government** refers to the Government of Himachal Pradesh
- **Tenants** are those persons having bonafide tenancy agreements for three years prior to the acquisition of the land, with a property owner with clear property titles, to occupy a structure or land for residence, business or other purposes.
- **Vulnerable groups** includes persons such as differently abled, widows, and women headed household, persons above sixty years of age, Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other groups as may be specified by the State Government.
- **Women Headed Household** means a family headed by a woman and does not have a male earning member. This woman may be a widow, separated or deserted woman.

****

Executive Summary

Executive Summary

Himachal Pradesh is located in the Himalayan region and blessed with natural sources of water. Rivers like Satluj, Beas, Chenab, Rabi and tributaries of Yamuna, flow through the state. All these rivers are snow-fed and hence perennial. Besides the natural reservoirs and the large drops available in the river courses, provides immense potential for hydel power generation in the state. As per the estimation, the total capacity of this state's hydro-power is 23000 MW[1]of which only 487.4 MW is installed as on 31st March 2015.

In order to harness the potential of the hydel power of the Satluj river, Luhri Hydro-Electric Project (Stage-1) has been designed with a proposed capacity of 210 MW. A total of 50.9712 hectares of private land from Charontha, Rewali, Bhadrash, Naola, Narola, Nirath, revenue villages of Shimla and, Neether and Gadej Revenue villages of Kullu districts will have to be acquired.

The Act 2013 defines eight types of land acquisitions as public purpose, one of which is "Acquisition of land for railways, highways, ports, power and irrigation purposes for use by government or by government controlled corporations" (also known as public sector companies) and the Act using particular phrase 'accruing general benefits to the public', 'public interest' will satisfy even if private industry acquires land for one of the said projects provided general benefits accrue to public.

The land acquisition for this project will be carried out as per the Act 2013 and HP Rules 2015. As per section 4 of the Act 2013, a Social Impact Assessment is required to be carried out before initiating land acquisition notifications under section 11 of the Act. HP SIAU has assigned AFC for conducting the SIA.

The total land needs to be acquired for this project is 149.0716 hectares, close to the National Highway 22 (currently NH 5). Out of this, 50.9712 hectares are private land. The SIA was

---

[1] Brief Facts of Himachal Pradesh 2014-15; Department of Economics and Statistics, Himachal Pradesh

conducted covering the affected land owners as per the land records of the Revenue department. The land is under individual ownerships and has a spatial spread over six gram panchayats. A Survey Questionnaire was administered for all PAFs, besides conducting PRA with the community members and key persons.

The alternative sites for Dam and the Power House was studied. The current Dam site was chosen considering the quality of foundations, abutments, depth of overburden in the river bed. Based on these issues, the location 1.5 km downstream of Nirath was ruled out owing to high cost and difficulty in construction of Dam. Site for the Power House was selected on the right bank that has gentle slope and hence a large Power House can be accommodated whereas the left bank can increase the excavation and hence the cost.

Acquisition of land proposed for the hydro-electric project will have a direct impact on employment, income, production, health and well-being, way of life, community, socio-cultural systems, environment, will affect property rights, and will raise fresh fears and aspirations. Development projects affect different groups differently. Some people tend to benefit, others lose. Often, impacts are particularly severe for vulnerable groups: tribal people, women-headed households, elderly persons, landless persons, and the poor. The positive and negative impacts on individual and community are studied in this SIA. Impacts on land and livelihoods, structures and common property resources, environment, community living are included. The impacts in the pre-construction, during and after construction are also elaborated.

The most direct and immediate impacts are those associated with project construction, mainly land acquisition. Mitigation is provided through compensation and assistance to project-affected persons, families, households, and groups. These social units are entitled to compensation and assistance on the basis of this policy framework to be accepted by the Government and adopted by the project.

During the FGD all the land owners were willing to provide their land for the hydro-electric project. Only few were raising reservation on the ground that anticipated compensation would be

rather low. Further, proper in-time problem-free compensation to the land owners was demanded which would not make them feel their loss after acquisition of land. There must be a hassle-free payment procedure as they are apprehending that delay would be faced after the lands are acquired. It is recommended that due compensation should be paid before taking possession of the acquired lands.

Information collected during the survey is based on the interviews of the PAFs and the information provided by them is considered true but it is not the authentic version of ownership entitlement. The total land area belonging to the private comes to 50.9712 hectares for which, on the basis of the computation of compensation formula, the tentative land compensation (excluding compensation for standing crops) works out to Rs. 2347429563.50/- (Rupees two thirty-four crores seventy-four lakhs twenty-nine thousand five sixty-three and fifty paisa only). At 12 percent rate of interest on the compensation of land, an amount of 281691547.62/- (Rupees twenty-eight crores sixteen lakhs ninety-one thousand five hundred forty-seven and sixty-two paisa only) has been estimated for payment as per Section 30(3) of Act 2013.
The compensation for trees is estimated as 37013000/- (Rupees three crores seventy lakhs thirteen thousand only). However, the number of the trees will be enumerated and the actual value will be assessed by the competent authorities.

This estimation of compensation for land acquisition doesn’t include compensation for standing crops. The cash compensation against crops will be provided at market cost of mature crops based on the average production.

The entitlements for R&R expenses are totalling to Rs. 42739000/- (Rupees four crores twenty-seven lakhs thirty-nine thousand only). The total for land acquisition including R&R is estimated as Rs. 2979760422.23/- (Rupees two ninety-seven crores ninety-seven lakhs sixty thousand four hundred twenty-two and twenty-three paisa only). However, the final compensation amount for the land acquisition and structures will be determined by the Competent Authority as per the Act 2013 and HP Rules 2015.

Details of Total Costs for Land Acquisition and R&R

S. No.	Details of the costs	Amount
1	Compensation for land**	2347429563.50
2	12% interest on the compensation (land) amount	281691547.62
3	Compensation for trees	37013000.00
4	Rehabilitation and Resettlement costs	42739000.00
5	Total Cost	2708873111.12
6	Miscellaneous (10% of the total cost)	270887311.11
	Total (5+6)	**2979760422.23**

** *The compensation for land acquisition doesn't include compensation for standing crops.*

As in this case, the land proposed to be acquired is more than 100 acres, the government shall constitute a "Rehabilitation and Resettlement Committee'' under the chairmanship of the Collector. This committee would aim to review the progress of implementation of Rehabilitation and Resettlement Schemes or plan and to carry out the post-implementation Social Audit in consultation with the Gram Sabha.

A Monitoring and Evaluation plan needs to be developed to provide feedback to the project authorities. Monitoring and Evaluation of R&R gives an opportunity to reflect on the success of the R&R objectives, strategies and approaches and to assess the efficiency and efficacy in implementation of R&R activities, their impact and sustainability. Monitoring will give particular attention to the project affected vulnerable families and groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, BPL families, women headed households, widows, old aged and the physically or mentally challenged persons.

******

Chapter 1: Detailed Project Description

1. Project Background

1.1 The Study

The Himachal Pradesh Social Impact Assessment Unit assigned the task of undertaking Social Impact Assessment of Luhri Hydro Electric Project (LHEP) to AFC India Limited. The study area was spread over in eight Revenue Villages of Shimla and Kullu districts of Himachal Pradesh. The construction of Luhri Hydro Electric Project involved acquisition of **50.9712 hectares** of private land from the identified eight Revenue Villages. The notification is attached in Appendix 3 with the details of private land by Khasra Number. The number of PAFs who are likely to be affected due to land acquisition as per the land records is around 1003, resulting in some of them losing substantial portion of their land while others marginally. The Study was undertaken during Feb, 2018 to May, 2018.

1.2 Objectives of the Study

The Main Objectives of the study are:

(i) To assess whether the proposed land acquisition would serve public purpose.

(ii) To estimate the number of affected families and extent of land holdings and number of families among them likely to be displaced physically and / or occupationally due to land acquisition.

(iii) Extent of lands - Public and Private, houses / settlements and other common properties likely to be affected by the proposed acquisition.

(iv) To examine whether the extent of land proposed for acquisition is bare minimum necessity for commissioning of the project.

(v) To find out whether an alternative site has been considered for the purpose, where there is least chance of displacement.

(vi) To study the social impacts of the project by covering both directly and indirectly affected families due to loss of common property resources (CPRs), socio-economic infrastructures, etc. and how these influence the costs and benefits of the project.

(vii) To design a Social Impact Management Plan (SIMP) to list the ameliorative measures need to be undertaken to address the impact of the project.

1.3 Methodological Framework

In order to achieve the above objectives, the following methodology was adopted. All the PAFs in the eight Revenue Villages of Shimla and Kullu districts comprising about 1003 land owners having ownership rights over 50.9712 hectares of land that is proposed for acquisition were taken up for the study. For the purpose of household survey, a Survey Questionnaire was developed by the team was vetted by HP SIAU before adoption. The team commissioned by AFC collected and analysed both qualitative and quantitative data secured through primary and secondary sources. The study tools included Questionnaire for securing information at household level supplemented with Social Mapping, Focused Group Discussions (FGDs), Participatory Rural Appraisal (PRA) Techniques at community level and conducting Key Informant Interviews with village level officials (Pradhans, Ex-Pradhans of affected Gram Panchayats).

1.4 Scope of the Study

The assessment included detailed analysis of all relevant land records, field data collected from primary sources and field verifications coupled with review and comparison with similar projects which inter-alia included:

(a) Extent of area to be impacted by the proposed project, land area to be acquired and the social, economic, cultural, environmental & other impacts of the project.
(b) Area of land by location, proposed to be acquired for the project and whether the area spread is the bare minimum requirement for the project.
(c) Possible alternative sites and their feasibility,
(d) Whether the land to be acquired is in scheduled area and it is demonstrable last resort,
(e) Land if any, already purchased, alienated, leased or acquired and the intended use for each plot of land required for the project,
(f) The scope for use of any public unutilized land and whether any of such land is under occupation,

(g) Nature of the land, present use and classification of land and if it is an agricultural land, how much is irrigated area and what is the cropping pattern,

(h) Adverse effects on food security of the affected families,

(i) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, number of residential houses, and public/ private infrastructure and other tangible assets, and

(j) Prevailing land prices and recent changes in ownership, transfer and use of land over the last three years.

1.5 Study Outcome

The team estimated the number of affected families and those would be displaced on the basis of the land assessment, land records and field verification by following census enumeration method for affected families. The Team undertook field visits to all the village communities living in the proposed project site to secure information on the socio-economic and cultural pattern of the people residing in the area to be affected by the proposed project. On the basis of the data collected from the field and in consultation with the stakeholders, the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts of the project were assessed and summarised. A **"Social Impact Management Plan (SIMP)"** was also prepared as a part of the study to suggest ameliorative measures to be taken up for addressing the negative social impacts anticipated to occur after execution of the project. The positive and negative impacts of the project and the impoverishment risk of the families those losing land and getting displaced were identified. Accordingly, a **"Mitigation Plan"** for resettlement and rehabilitation of displaced and project affected families was also prepared.

1.6. The Project Proposal

a) Initial Proposal: The Luhri Hydro Electric Project (HEP) Stage I is located in Shimla and Kullu districts of Himachal Pradesh and was earlier envisaged in single stage to harness the hydel potential between tail end water of Rampur Hydro Electric Project and Full Reservoir Level of Kol Dam Hydro Electric Project. The detailed project report of this proposal (577+ 24MW) having 10.5 m. dia., 38 km long Head Race Tunnel with design discharge of 380 m^3/sec was submitted to CEA on March 2013. Subsequently, Government of Himachal Pradesh had

requested SJVN to explore the possibility of executing the Luhri HEP as a multi stage project instead of single stage on account of social and environmental/ecological concerns, since single stage development of the project contemplated laying a long tunnel of 38 km in length.

b) Present Proposal: As per present proposal, Luhri HEP Stage-I is located in Shimla and Kullu districts of Himachal Pradesh with an installed capacity of 210 MW and having design discharge of 644.19 m^3/sec. The project envisages construction of a concrete gravity dam with toe Power House on the right bank. LHEP stage-I is Run of River project. This kind of project does not possess the disadvantages of reservoir based hydro-electric project. Water will be stored for short duration for picking purpose only and accordingly released. Moreover as per the conditions of the GOI Ministry of Environment, Forest and Climate Change, water flow, of a minimum of 20% in lean season, 30% in monsoon season and 25% in non-lean and non monsoon season has to be maintained downstream of the Dam. To ensure the regular flow of water separate Dam Toe Power House has also been proposed to generate the power.

1.7. Project Rationale

Himachal Pradesh is situated in the western Himalayas in the northern part of India. It is spread over 56,673 km^2, and is bordered by the Indian states of Jammu and Kashmir in the north, Punjab on the west and southwest, Haryana and Uttar Pradesh in the south, Uttarakhand on southeast and by the neighbouring countries of Tibet & China on the east. The literal meaning of Himachal Pradesh is “a region of snowy mountains”.

Himachal Pradesh is almost mountainous with altitudes ranging from 350 meters to 6,975 meters above the mean sea level. It is located between Latitude 30°22’40”N to 33°12’20”N and Longitude 75°45’55”E to 79°04’20”E. It has a deeply dissected topography with complex geological structure and a rich temperate flora in the sub-tropical latitudes.

The state of Himachal Pradesh lies on the foothills of Himalayas. Most of the area of the State is covered by hills and hence it is difficult to construct broad gauge railway tracks. Few places of

the State are connected by narrow gauge railway tracks i.e. between Kalka and Shimla, whereas the main airports in the State are Jubbarhatti near Shimla, Gaggal near Kangra and Bhuntar near Kullu. However, the State has very good road connectivity to the major cities of North India. Chandigarh is situated at a distance of only 117 km whereas, Delhi is 343 km, Ambala 151 km and Dehradun 240 km from Shimla the State capital. Eight National Highways with a total road length of 1235 km pass through the state.

Himachal Pradesh is blessed with vast hydroelectric power potential in its five major rivers. Gurgling rivers and their tributaries with steep gradient continue to challenge planners and engineers for optimal exploitation of hydropower potential. Number of hydro-electric projects are under execution by the Govt. of India , State Government , Joint ventures and by Private sector in the State. The only strategy followed in Himachal Pradesh for exploitation of hydro-electric power resources is to produce as much energy as possible and as fast as possible at minimal cost coupled with minimum environmental negative impacts. The speedy exploitation of hydro-electric power potential will definitely improve the economic health of the State because 12 percent free power plus 1.5% LADF of the project cost, on all new installations will increase the resources of the State to a significant extent. The necessity for the project also arises from the need to fulfil a steady increase in electricity demand during peak season and the growing energy deficit in the northern Region. LADF Contribution is 1.5% and not 1% of the project cost for LADA during construction period of the project. Thereafter commissioning of the project 12% of free power to State Govt., additional 1% shall be earmarked for the LADF to provide a regular stream of income generation and welfare schemes creation of additional infrastructures and common facilities on a sustained and continued basis over the life of the project. The Govt. of HP may also provide matching 1% from its share of 12% free through plan/budgetary provisions to the LADF. This provision need to be given place in SIMP.

1.8. Salient Features of the Project

The project is situated on Sutlej river near Nirath Village in Shimla and Kullu Districts of Himachal Pradesh. The dam is located at Longitude 77°32’4” E and Latitude 31°21’40” N. On

the upstream of the project lies the 412 MW Rampur hydroelectric project, which utilises water discharged from the further upstream 1500 MW Nathpa-Jhakri project. On the downstream of Luhri HEP Stage-I project lies the 800 MW Kol Dam Hydro-electric Project.

Table 1.8.1: Salient features of LHEP

Location	
State	Himachal Pradesh
District	Shimla & Kullu
River	Sutlej
Nearest Village (Dam Site)	Nirath
Rail Head	Kalka (Haryana) 210km
Latitude of Dam Site	31°21'40"N.
Longitude of Dam site	77°32'4"E
Hydrology	
Catchment Area at Diversion Site	51600 km^2
Snow-fed Catchment (out of Total)	38827 km^2
90% dependable year	2001-2002
Total annual inflow in 90% dependable year	9063 X 10^6 m^3
Flood discharge for river diversion	750.00 m^3/sec
Probable Maximum Flood (PMF)	13462.00 m^3/sec
Reservoir	
Full Reservoir Level (FRL)	EL 857.00 m
Maximum Reservoir Level (corresponding to PMF)	EL 859.00 m
Minimum Draw Down Level (MDDL)	EL 853.00 m
Gross Storage at FRL	25.2 X 10^6 m^3
Dead Storage	18.9 X 10^6 m^3
Live Storage	6.3 X 10^6 m^3
Length of Reservoir	6.00 km(approx.)

Desilting Basin	Reservoir will act as Desilting basin
Dam	
Type of Dam	Concrete Gravity
Top of the Dam	EL 860.00 m
Average River Bed Level at Dam Site	EL 811.00 m
Dam Height above River bed	49.00m
Anticipated Deepest Foundation Level	EL 780.00 m
Maximum Height of Dam	80.00 m
Length of Dam at Top	224.50 m
Top Width of Dam	8.00 m
Length of Overflow Blocks	87.00 m
Length of Non-Overflow Blocks	137.50 m
Power Generation	
Main Plant (2X80 MW)	
Annual Energy (in 90% dependable year)	547.73 GWh
Design Energy	535.82 GWh
Annual Load Factor	39.10%
Auxiliary Plant (2X25 MW)	
Annual Energy (in 90% dependable year)	229.70 GWh
Design Energy	222.38 GWh
Annual Load Factor	52%
Estimated Cost	
Civil works	1228.39 crore rupees
E&M works	372.78 crore rupees
Total Basic Cost	1601.17 crore rupees
IDC and Financing Charges	311.42 crore rupees
Total Project Cost	1912.59 crore rupees
Financial Aspects	

Cost of generation **(1st year tariff)** at Power House bus bars (including IDC) during 90% dependable year as per CERC guidelines	
With Free Power	6.23 /kWh
Without Free Power	6.11 /kWh
Cost of generation **(Levelised tariff)** at Power House bus bars (including IDC) during 90% dependable year as per CERC guidelines	
With Free Power	5.89 /kWh
Without Free Power	5.66 /kWh
Construction Period	
Total construction period	5 years 02 months

1.9. Examination of Alternatives

The following alternative studies were carried out to explore the selection of Project Layout:

i) Dam toe Power House at Nirath (210MW)

ii) Dam at Nirath village and Power House at Khegsu village having 10.5m dia., 9.0 km long HRT and 55.0m dia. Surge Shaft. This option has been rejected because of large surge shaft dia., which is difficult to construct in the given geological conditions.

iii)In addition, following alternate studies have also been done for the site selection:

Dam Site: In the initial stage two Dam sites were identified, one being near the village Nirath and another being at 1.5 km downstream of village Nirath. Due consideration was given to a number of issues, which included quality of foundations, abutments, depth of overburden in the river bed, etc.. Based on these issues, the location of 1.5 km downstream of Nirath was ruled out owing to high cost and difficulties anticipated in construction of the Dam.

Power House Site: In Luhri HEP Stage-I, surface Power House has been proposed. For selection of power house site following two options were studied.

i) Main Power House at right bank to accommodate two units of 80MW each and small Power House at left bank to accommodate two units of 25 MW each.

ii) One Power House at right bank to accommodate all four units (80x2 MW + 25x2 MW).

The first option has not been considered because of steep slopes on left bank that can increase the volume of excavation resulting in cost escalation. However, the right bank has gentle slope, where a large Power House can be accommodated.

1.10. Applicable Legislations and Policies

This section discusses about the existing law and regulations of the country those are applicable to the proposed acquisition of the Luhri Hydro Electric Project. It is pertinent to analyse the Acts and Policies to understand the legalities and procedures in implementing the project and to identify the gaps. Therefore, the legal framework in which the proposed acquisition will be implemented with respect to social issues has been summarized. The applicable laws on land acquisition, rehabilitation and resettlement for the proposed acquisition of Luhri Hydro Electric Project are:

- Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RTFCTLARR Act 2013).
- Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015.(HP RTFCTLARR Rules2015).

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, (RTFCTLARR Act, 2013) replaces the Land Acquisition Act, 1894,

which existed from colonial times. The new RTFCTLARR Act is an attempt to revamp and make the land acquisition process more effective by addressing the major lacunae in the old Land Acquisition Act.

The Act seeks to harmonize the interests of land owners, industrialization / growth of real estate & infrastructure industries and bring in transparency in the process of land acquisition. The objective of the act is thus in line with the requirements of modern times. The Act, inter alia, contains provisions pertaining to mandatory rehabilitation and resettlement of those whose lands are acquired and release of payment towards fair compensation to them. Significantly, the Act provides for enhanced compensation to land owners in case of land acquisition by the government for public purposes or for Public Private Partnership (PPP) projects that may aggregate up to four times the market value in rural areas and up to twice the market value in urban areas. The Act has been hailed as beneficial and necessary to protect the interest of land holders and other affected persons.

The Act specifies provisions for land acquisition as well as R&R. Some of the major provisions are related to (A) The process of land acquisition; (B) Rights of the Project Affected Families; (C) Method of calculating compensation; (D) Rehabilitation and Resettlement, and (E) Provisions for Infrastructural Amenities.

(A) Process of Land Acquisition:

i. As per the Act, if Government intends to acquire land for a public purpose, it shall consult the concerned Panchayats in the affected area and carry out Social Impact Assessment (SIA) study, in consultation with them in rural areas. Thereafter, the SIA report shall be evaluated by an expert group. The expert group shall comprise two non-official social scientists, two experts on rehabilitation, and a technical expert on the subject relating to the project. The SIA report will be examined further by a committee to ensure that the proposal for land acquisition meets the stipulated conditions.

ii. A preliminary notification indicating the intent to acquire land must be issued within 12 months from the date of evaluation of the SIA Report. Subsequently, the Government shall conduct a survey to determine the extent of land to be acquired. Any objections to this process shall be heard by the concerned District Collector (page 12, point 15 (2)). Following this, if the government is satisfied that a particular piece of land must be acquired for public purpose, a declaration to acquire the land is made. Once this declaration is published, the Government shall acquire the land. No transactions shall be permitted for the specified land from the date of the preliminary notification until the process of acquisition is completed.

(B) Rights of Project Affected Families

First Schedule of the Act has given several rights to Project affected families in terms of the market value of the land acquired. Apart from that, the Second Schedule of the Act safeguards the rights to PAFs in case of displacement through choice of selecting developed land, choice of annuity or employment, subsistence grant, interest on the compensation in case of delays, transportation cost, fishing rights etc.

(C) Method of calculating Compensation

The Act provides guidance on the method of calculating the compensation for the loss of land, structures, livelihoods due to the land acquisition. The minimum compensation is computed as a multiple of the total of the ascertained market value, plus value of the assets attached to the property, plus a solatium equal to 100% of the market value of the property including value of assets. The method for computation of compensation is elaborated in Chapter 8.

(D) Rehabilitation and Resettlement

The RTFCTLARR Act requires R&R to be undertaken in case of every acquisition. Once the preliminary notification for acquisition is published, an Administrator shall be appointed. The Administrator shall conduct a survey and prepare the R&R scheme. This scheme shall then be discussed in the local bodies. Any objection to the R&R scheme shall be heard by the Administrator. Subsequently, the Administrator shall prepare a

report and submit it to the District Collector. The Collector shall review the scheme and submit it to the Commissioner appointed for R&R. Once the Commissioner approves the R&R scheme, the Government shall issue a declaration identifying the areas required for the purpose of R&R. The Administrator shall then be responsible for the execution of the scheme. The Commissioner shall supervise the implementation of the scheme.

The following are the minimum R&R entitlements under this Act:

i. Subsistence allowance of 3000 rupees per month per displaced family for 12 months;

ii. The affected families shall be entitled to: (a) Where jobs are created through the project, employment for one member per affected family or (b) Rupees 5 lakhs per family; or (c) Rupees 2000 per month per family as annuity for 20 years, with appropriate index for inflation; The option of availing (a) or (b) or (c) shall be that of the affected family

iii. If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Pradhan Mantri Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sq. mts in plinth area. In either case the equivalent cost of the house may also be provided in lieu of the house as per the preference of the project affected family;

iv. One acre of land to each family in the command area, if land is acquired for an irrigation project if possible but the same shall be in lieu of Compensation;

v. Rs. 50,000 for transportation;

vi. A one-time Resettlement Allowance of Rs. 50,000.

Special Provisions for SCs and STs: In addition to the R&R package, SC/ST families will be entitled as per the Schedule -2 of the RTFCLARR Act 2013 as explained below:

i. One-time financial assistance of Rs. 50,000 per family;

ii. Families relocated outside the district shall be entitled to an additional 25% R&R benefits;

iii. Payment of one third of the compensation amount at very outset;

iv. Preference in relocation and resettlement in an area in the same compact block;

v. Free land for community and social gatherings;
vi. In case of displacement, a Development Plan is to be prepared; and
vii. Continuation of reservation and other Schedule V and Schedule VI area benefits from displaced area to resettlement area.

(E) Provisions for Infrastructural Amenities.

As mentioned in the Third Schedule of this Act, for resettlement of populations, specific infrastructural facilities and basic minimum amenities such as all-weather roads, safe drinking water, proper drainage, Fair Price Shops, Panchayat Ghar, basic irrigation facility, burial and cremation ground, electric connection to all houses, school facility, sub-health centre, etc. in the resettled villages should be provided by the acquirer of the land.

The Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social impact Assessment and Consent) Rules, 2015. (HP RTFCTLARR Rules 2015)

The HP RTFCTLARR Rules 2015 based on the Central Act, 2013 lays out the procedure for carrying out the social impact assessment study for the purpose of land acquisition in the State of Himachal Pradesh. The highlights of the rules are (A) Conducting SIA and SIMP in accordance with Form II and III (B) Conducting Public Hearings (C) Consent

(A) Conducting SIA and SIMP

i. Form II: The Social Impact Assessment Report shall be submitted to the State Government within a period of six months from the date of its commencement and shall include the views of the affected families recorded in writing. This form elaborates the structure and the content of the SIA report.

ii. Form III: The Social Impact Management Plan enlists the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project and shall be submitted along with the Social Impact Assessment Report. This form provides a guideline on the content of the SIMP.

The Social Impact Assessment report and the Social Impact Management Plan shall be made available in both Hindi and English to the concerned Panchayat or Municipality or Municipal Corporation, as the case may be, at village level or ward level in the affected areas and in the offices of the District Collector, the Sub-Divisional Magistrate, Tehsildars and shall also be uploaded on the website of the State Government. The Form II and Form III are enclosed with this report in Appendix 4.

(B) Conducting Public Hearing -

i. Public hearings shall be organised in the affected areas to bring out the main findings of the Social Impact Assessment, seeking feedback on the findings and to seek additional information and views for incorporating the same in the final report.

ii. The date and venue of the public hearing will be announced and publicized three weeks in advance through public notifications and posters in all the villages within a radius of five kilo meters of the land proposed to be acquired, by advertisement in local newspapers, broadcasting in radio, and through direct communication with Gram Panchayat or Municipal Ward representatives besides uploading the information on the website of the State Government.

iii. The draft Social Impact Assessment report and Social Impact Management Plan shall be published both in Hindi and English three weeks prior to the public hearing and distributed to all affected Gram Panchayats and Municipal offices. One copy of the draft report shall be made available in the District Collector’s office.

iv. Representatives from the Requiring Body, designated Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement Functionaries, Public representatives, Local Voluntary Organisations and media shall also be invited to attend the public hearings.

v. The proceedings of the public hearing shall be video recorded and transcribed accordingly. This recording and transcription shall be submitted along with the final Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

(C) Consent

The State Government, through the concerned District Collector shall obtain prior consent of the affected land owners in Part-A of Form-IV. At the same time State Government shall take necessary steps for updating the records relating to land rights, title in the land and other revenue records in the affected areas, so that the names of land owners, occupants of the land and individuals be identified for initiating the prior consent process and land acquisition.

a) Consent of the Gram Sabha–

i. The District Collector shall in consultation with the representatives of the Gram Panchayat notify the date, timing and venue for holding the meeting of Gram Sabha in the affected areas three weeks in advance and conduct public awareness campaigns to motivate members of the Gram Sabhas to participate in the said meeting.

ii. The names and signatures of all the members who attended the meeting shall be taken and kept in the records.

iii. The quorum shall be the same as prescribed in the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), of the total members of the Gram Sabha for considering the consent as valid.

iv. A resolution shall be passed with majority, in Part-B of Form-IV giving or withholding consent for the proposed acquisition and the resolution shall contain the negotiated terms and conditions for Rehabilitation and Resettlement, compensation, impact management and mitigation that the Requiring Body has

committed and which have been signed by the District Collector or by the designated district officer along with the representative of the Requiring Body.

b) Consent of the Affected Land owners-

i. A signed declaration shall be obtained during affected land owners meeting in the presence of district officers, competent authority of requiring body and SIA team, whether he or she gives or withholds consent for the acquisition of land involved. This entire meeting will also be video recorded and complete proceedings will be documented in writing.

ii. The outcome of the consent process will be made available in the office of Gram Panchayat and on the web site of the State Government.

Note: SJVN, being a PSU of Govt. of India and land proposed for acquisition fall within the ambit of Section-2 (1), therefore, Section-2 (2) reads with Chapter III of HP Rules 2015 i.e. Consent Provision in this case is not applicable.

****

Chapter 2: Approach and Methodology

2. Approach and Methodology

2.1 Study Objective and Approach

Aim of the Study: The aim of the study is to conduct a social impact assessment study in accordance to Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015

Study Objectives: The objective of Social Impact Assessment (SIA) was to prepare a complete inventory of structures, project affected families and persons to identify social impacts. In order to capture data for the present exercise, numerous secondary data sources were consulted besides primary data secured from the field. A list of all stakeholders was prepared which would directly be affected by the project as per the Revenue Department's records. Thus the following were the main objectives of the study:

a) Rationale for the project including how the project fits the public purpose criteria listed in the RTFCTLARR Act, 2013.

b) Based on the land assessment, land records and field verifications, the Social Impact Assessment shall provide an estimate of the number of affected families and the number of displaced families among them and ensure that, as far as possible, the Social Impact Assessment team shall enumerate all affected families in the project area. Wherever enumeration is not possible; a representative sample shall be done by the Social Impact Assessment Unit (SIAU).

c) A socio-economic and cultural profile of the affected area should be prepared based on available data and statistics coupled with field visits and consultations as per Form-II of the aforesaid rules. The identified resettlement sites shall be visited and a brief socio economic profile of the land and its current resident population shall be indicated.

d) On the basis of the data collected through the processes listed above and in consultation with the affected families and key stakeholders, the social impact assessment of the proposed

project shall identify and assess the nature, extent and intensity of the positive and negative social impacts associated with the proposed project execution and land acquisition.

e) The social impact assessment process includes the preparation of a **Social Impact Management Plan,** which will present the ameliorative measures to be undertaken to address the social impacts identified in the course of the assessment.

f) The Social Impact Assessment shall provide a conclusive assessment of the balance and distribution of the adverse social impacts of the proposed project and land acquisition, including the mitigation measures, and provide an assessment as to whether the benefits from the proposed project exceed adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families or even after the proposed mitigation measures, the affected families remained at risk of being economically or socially worse, as a result of the said land acquisition and resettlement.

Approach and Methodology: The approach that was adopted to conduct social impact assessment and to prepare SIMP is described below and is structured on the scope of work as mentioned in the Term of Reference (TOR). The SIA has been prepared in accordance with the RTFCTLARR Act 2013 and HP RTFCTLARR Rules, 2015. Figure 2.21.1 below presents the approach and methodology of SIA study in the form of flow chart.

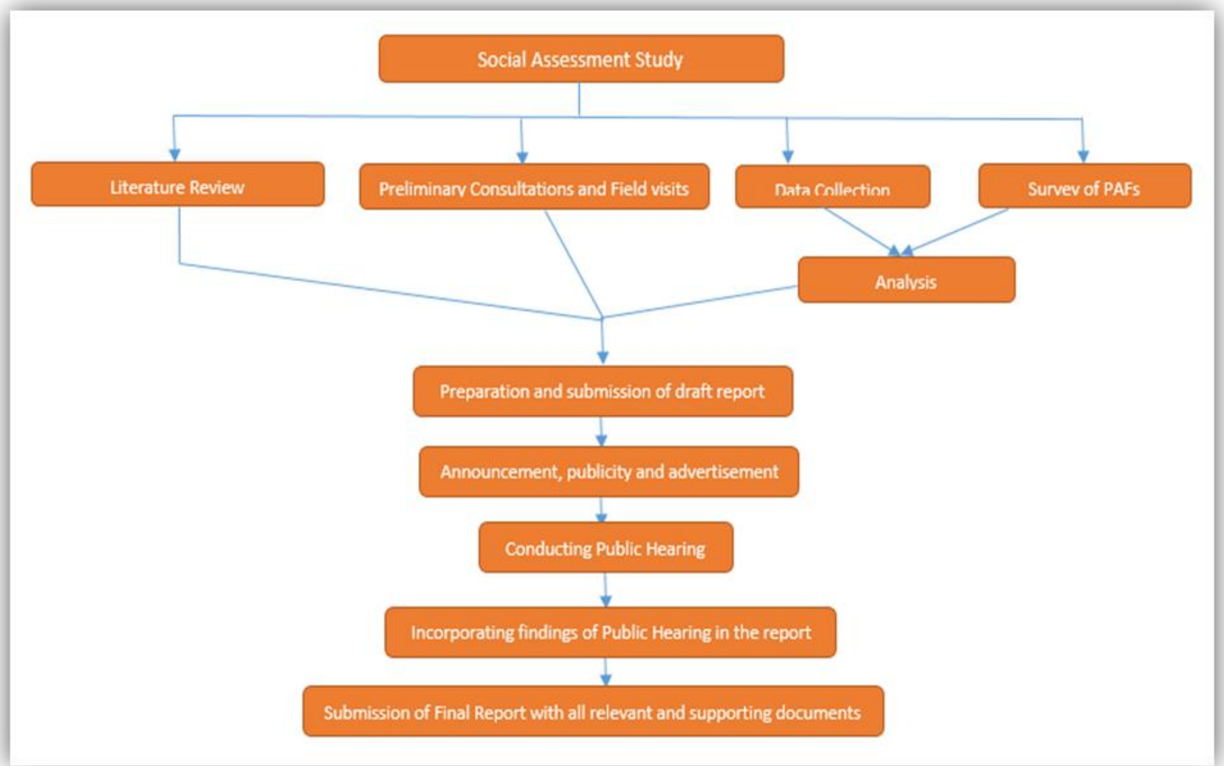

Figure 2.1.1: Approach and methodology

2.2 Execution of the Task

The process of preparing SIA prescribed in the RFCTLARR Act, 2013 was followed through deployment of a dedicated team of investigators and enumerators in the field. One supervisor and eight enumerators were deployed in a team to collect the ground level data. The team was headed by a team leader having relevant experience of conducting SIA and the work was executed in close coordination with the officials of the Revenue Department and Requiring Body.

Desk Review: Documents such as Revenue Maps, District Census Hand Book, District Gazetteer, District Statistics, maps and information on existing livelihood projects, Government Employment Schemes and service sectors in which people in the concerned districts/ blocks are

largely involved were collected from government and non-government sources and reviewed. Collection and review of such pertinent data was primarily to develop understanding about the socio-economic conditions of the concerned area and availability of infrastructure facilities and service delivery system.

Sampling Methodology: For the study, the team aimed to cover all the PAFs as per the list obtained from the Revenue Department, Shimla. The primary data is generated using both quantitative and qualitative techniques:

Quantitative Techniques: Pre—tested structured questionnaires for Census and Socio-Economic Survey was canvassed among different PAFs.

Qualitative Techniques: The qualitative techniques included Participatory Rural Appraisal (PRA), construction of Vansabali (Family Tree), Livelihood Analysis, KII, Preference Ranking, Focus Group Discussion (FGD), Public Consultations etc. Public hearing was the key aspect of the whole exercise.

Table 2.2.1: Tools & Samples for the SIA

Tools administered	Type of respondents	Sample number
Household Survey Questionnaire	Land owners/Adult Member from Project Affected Families (PAFs)	1003
Focus Group Discussion (unstructured)	Village Community	Two villages (Nirath and Neether) 10 no. and 15 no.
Key Informant Interviews (unstructured)	Village Pradhan, Women Groups and Community Leaders	In all the eight villages

The total land looser enlisted by the department are 1003 in all eight revenue villages. Detailed interviews could be conducted with 920 land owners from the enlisted households. The rest could not be met since either they have migrated elsewhere, or residing at far-off places for livelihoods sources. Details of both categories of the land losers (interviewed and not interviewed) are given in Appendix 2.

Preparation of Study tools: In order to prepare a sound resettlement plan with mode of execution and monitoring, it was pre-requisite to secure authentic information about the families that would be affected from the proposed project. For this purpose, socio-economic survey of the households in the project area was conducted along with census survey by using a detailed questionnaire containing structured and semi-structured questions (Enclosed as Appendix 1). The questionnaire covered wide range of information. Besides, some qualitative information was also collected to substantiate the quantitative information. A draft questionnaire was developed and submitted to the HP SIAU for suggestions and modification. The questionnaire was finalized after pre-testing in the field.

Site Visit and Field Surveys: The questionnaire was administered by professional surveyors/enumerators who were imparted with training by the team leader of SIA. They were taken to the project site for a day for knowing the project area/alignments. The emphasis was laid on quality of the data so that the conclusion arrived at would be authentic and reliable. Data generated from the survey was entered into computer on MS Excel after due scrutiny and logical checks for processing and production of output tables.

Supervision of Data Collection and Ground Verification: Supervision of data collection was undertaken by the Core team members and simultaneously ground verification was conducted for five to seven percent of the households covered under socio-economic survey. Survey data elicited the socio-economic conditions of the project affected households/ families. Analysis of data was done on the basis of social category, gender, income category, possession of assets and consumer durables. Analysis of survey data was helpful in developing the guiding principles and entitlement matrix for different categories of Project Affected Families.

Public Hearings and Consultations with Stakeholders: One of the most important aspects of the study was identification and consultations with stakeholders, people's representatives, and community leaders. Consultations opened up the line of communication between various stakeholders and the project implementing authority, thereby aiding the process of resolving conflicts, if any, at an early stage of the project. Participation of community leaders, people's representatives, and others in the consultations helped in resolving issues.

Social Impact Assessment & Mitigation Measures: The SIA was prepared to address the social issues in the project area that will impact negatively on private / common / business/ cultural properties and on the people residing or doing business/ work over there. Project affected area included the area in which property/assets would be affected or from where land would be acquired for the project.

The SIA Team suggested cost-effective measures for minimizing or eliminating ill impact of the proposed project. Measures for enhancing beneficial impacts was also recommended. The cost of implementing these measures was estimated and presented wherever possible. The SIA included a plan of action, which will identify responsible key implementer, time frame and expected output.

Information from Secondary Sources: Information from secondary sources were collected from Census handbook, Statistical hand books, concerned Development departments and other literature available. The data secured from secondary sources complemented the facts collected through field survey from the affected households and other stakeholders. The data secured from secondary sources facilitated in getting a bird's eye-view about the physical, social, economic and cultural set-up of the community residing in the project area before undertaking detailed field investigations.

Socio-Economic Survey: The extent of impact on common property resources was secured during the visit to the project villages at the first instance. After enumeration of the structures likely to be affected in the project area, attempts were made to conduct household socio-economic survey to assess impact of the proposed project on socio-economic conditions of affected families. The household social survey was carried out with the help of a Household Questionnaire. The aspects covered in the questionnaire were identification particulars of PAFs, social profile, family details, occupation, source of income, family expenditure, document proofs, household assets, information on affected structure, commercial/self-employment activities, employment pattern, opinion and views of PAFs on project and resettlement and rehabilitation. Most part of the questionnaire has been pre-coded except those reflecting the opinion and views of PAFs, which have been left open-ended.

2.3 Team Composition

The composition of Social Impact Assessment team is given in following matrix who were assigned with the responsibility of carrying out the Social Impact Assessment. The Subject Matter Specialist possess vast experience of having undertaken similar type of work in the past.

Table 2.3.1: SIA Team Members

S. No	Name	Designation	Education and Experience	Responsibility
1	Dinesh Godiyal	Social Expert	M.Sc. in Anthropology NABET Accredited professional for Cat. A Projects. 21 years of experience in conducting social research and surveys with various govt. and non – govt. organisation including ADB and World Bank	Overall coordination of survey, Public hearings, consultation, liaising with client and preparation of reports
2	Arijita Pal	Researcher and Team Leader	M.Phil in Regional Development. 12 years of experience in Social Development Projects with expertise in Monitoring & Evaluation and Gender Analysis	Overall coordination of survey, Public hearings, consultation, liaising with client and preparation of reports
3	Saurabh Porwal	Program Manager	MBA 15 years of experience in the Social Development and Market Research	Planning, execution and management of the data collection process, conducting FGDs, liaisoning with the stakeholders and organising consultations and public hearings
4	Ashish Kumar	Field Coordinator	B.A 15 years of field experience in Infrastructure Development, Social and Market research	Collection of data on land and structure, survey and organising consultations and public hearings
5	Md. Mahdul Shekh	Field Supervisor	B.A 8 years of experience in the field of Infrastructure Development, Social and Market research	Collection of data on land and structure, survey and organising consultations and public hearings
6	Trilok Nath Mohanto	Field Investigator	M.A 8 years of experience in the field of Infrastructure Development, Social and Market research	Collection of data on land and structure, survey and organising consultations and public hearings

7	Md. Javed Khan	Field Investigator	B.A 3 years of experience in the field of Infrastructure Development, Social and Market research	Collection of data on land and structure, survey and organising consultations and public hearings
8	Kuldeep Singh	Field Investigator	12th 6 years of experience in the field of social development.	Conducting socio-economic survey-household interviews
9	Govind Singh	Field Investigator	B.A. 4 year of experience in the field of Social development.	Conducting socio-economic survey-household interviews
10	Saurav Gupta	Field Investigator	B.A. 2 Years of experience in the field of social development.	Conducting socio-economic survey-household interviews
11	Pommi	Field Investigator	B.A. 2 years of experience in the field of social development.	Conducting socio-economic survey-household interviews
12	Chand Prakash	Field Investigator	12th 10 years of experience in the field of social development.	Conducting socio-economic survey-household interviews

2.4 Schedule of Activities and Deliverables

The study was completed within four months after receiving the work order from HPSIAU, Shimla. The activities undertaken and the deliverables are given in the following table 2.4.1.

Table 2.4.1: Activity Schedule and Deliverables

Activity	**2018**																			
	February				**March**				**April**				**May**				**June**			
	1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
Team mobilisation																				
Census and socio economic survey																				
Data entry and processing																				
Analysis and preparation of Draft Report																				
Public Hearing																				
Inception Report																				
Draft SIA and SIMP																				
Preparation of Final Report																				

****

Chapter 3: Land Assessment

3. Land Assessment

There are 1003 land owners from eight revenue villages of six gram panchayats those will be affected by the project. The details of the basic population of these eight villages are Ggas follows:

Table 3.1: Population of the affected villages (as per Census 2011)

Village Name	Total Households	Total Population of Village	Total Male Population of Village	Total Female Population of Village	Total Scheduled Castes Population of Village	Total Scheduled Tribes Population of Village
Bhadrash	142	555	306	249	102	69
Charonta	8	31	17	14	11	0
Rewali	50	181	88	93	19	0
Narola	18	80	43	37	5	0
Naula	24	93	47	46	52	0
Nirath	216	834	436	398	291	10
Neether	796	3444	1743	1701	1559	4
Gadej	214	877	428	449	296	64

Table 3.2: Total Number of Family Members of All Respondents

S. No.	Details of family members	Number	Percentage
1	Male	1846	49.61
2	Female	1875	50.39
	Total	3721	100.00

The total number of male members is 1846 and female member is 1875, making it almost an equal distribution of sex ratio at an aggregate level.

Table 3.3: Literacy rate of Kullu and Shimla (as per Census 2011)

	2011 Census literacy percentage		
	Total	**Male**	**Female**

Kullu	80.14	88.8	71.01
Shimla	84.55	90.73	77.8

Table 3.4: Pre-project Income Levels of the Affected Landowners

Income Level of Landowners	Number	Percentage
Less than 50000 rupees	624 *	67.8%
50001 to 100000 rupees	33	3.6%
100001 to 250000 rupees	112	12.2%
250001 to 500000 rupees	78	8.5%
500001 to 750000 rupees	42	4.6%
More than 750000 rupees	20	2.2%
Not shared	11	1.2%
Total	**920**	100.0%

* 624 includes the number of BPL landowners i.e. 45

3.1 Requirement of Land

The total land area to be required under LHEP is 149.0716 hectares out of which 50.9712 ha. is private land spread over in six gram panchayats and eight revenue villages. The village-wise details of land for proposed acquisition is given the following table 3.1.1.

Table 3.1.1: Village-wise details of land for proposed acquisition (In Hectares)

Name of District	Name of Panchayat	Name of village	Forest land (ha)	Private Land (ha)	Total Land (ha)
Shimla	Samathala	Reewali	0.4706	7.4322	7.9028
		Charontha	0.0779	0.3485	0.4264
		Naola	0.3553	1.3085	1.6638
		Total	**0.9038**	**9.0892**	**9.993**
	Nirath	Narola	0.8131	0.4248	1.2379
		Nirath	34.5165	8.9820	43.4985
		Total	**35.3296**	**9.4068**	**44.7364**
	Duttnagar	Bhadrash	18.6373	4.6396	23.2769
		Total	**18.6373**	**4.6396**	**23.2769**
Kullu	Dehra	Neether Mahul	27.9367	18.0998	46.0365
		Underground	2.4698	0	2.4698
		Total	**30.4065**	**18.0998**	**48.5063**
	Neether	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gadej	Gadej	12.8232	9.7358	22.559
		Total	**12.8232**	**9.7358**	**22.559**

Grand Total	98.1004	50.9712	149.0716

*Private and forest land proposed for acquisition/diversion shown against the column of Gram panchayat Dehra is in fact falls in revenue estate (Mohal) Neether, Neether mohal is a village of Gram Panchayat Neether. Moreover this village is situated above diversion tunnel, therefore, Gram Panchayat Neether has also been considered as affected panchayat.

Private land was found owned by 1003 land owners, the details of which are provided in Appendix 3.

3.2. Village-wise Landowners

Village wise distribution of landowners revealed that maximum number of 305 landowners belong to Neether village, followed by 248 in Nirath. On the contrary, there were only two landowners in Charontha village and 54 landowners in Narola village. The details are given in the following table.

Table: 3.2.1: Village-wise Distribution of Landowners

Name of District	Name of village	Number of landowners
Shimla	Reewali	84
	Charontha	2
	Naola	103
	Narola	54
	Nirath	248
	Bhadrash	114
Kullu	Neether	305
	Gadej	93
2 districts	**8 Revenue Villages**	**1003 Landowners**

3.3. Village-wise distribution of land

Village wise distribution of land as per the below table revealed that 84% of the total private land is cultivated land. In Charontha village, 97% of the land proposed for acquisition is cultivated, followed by 91% in Bhadrash and 87% in Gadej. As much as 48% of the land to be acquired in Narola is non-cultivated, followed by 38% in Naola.

highest 305 landowners belong to Neether village, followed by 248 in Nirath. On the contrary, there were only two landowners in Charontha village and 54 landowners in Narola village. The details are given in the following table.

Table 3.3.1: Village-wise Distribution of Land- Cultivated and Non-Cultivated

Name of village	Cultivated Land (sq. mt.)	Non-cultivated Land (sq. mt.)	Cultivated Land (in %)	Non-cultivated Land (in %)
Reewali	61620	12702	83%	17%
Charontha	3372	113	97%	3%
Naola	8131	4954	62%	38%
Narola	2218	2030	52%	48%
Nirath	71413	18407	80%	20%
Bhadrash	42250	4146	91%	9%
Neether	152390	28608	84%	16%
Gadej	84935	12423	87%	13%
Total	**426329**	**83383**	**84%**	**16%**

3.4. Details of structures affected

A total of 91 land owners shared that the structure in their land that will be affected by the project activities while the rest of the land doesn't have any structure. Here to mention that structures comprise of Houses, Huts, Gharats[2] and Cattle sheds. While structures of many PAFs will be affected by the acquisition, 54 of them are residential purposes. Almost 91 (10% of 920) PAFs shared that their structures in the affected land will be completely destroyed or submerged due to the project activities. Rest 90% PAFs structures will not be affected at all.

Out of 91 affected structures, 77% is semi-permanent in its built, with tiled roof and cement floor, while 24% is temporary buildings made with mud/rick/wood and thatched or tin roof. Only 21% of the structures is permanent type- built with RCC and made into single/double story buildings.

[2] Gharats are traditional watermills- a community-owned property, specific to the Himalayan region. These Gharats generally have a large number of owners to whom ownership is passed on to from earlier generations.

The structures which will be affected were built at different time period. Around 41% of these structures were built within the last 10 years, 24% of them are 41-50 years' old, 20% were built within 11 and 20 years, 7% of the structures are 21-30 years' old, 4% of them are more than 50 years' old while another 4% are 31-40 years' old.

The usage of these structures can be categorized as Residential, Commercial and Others. 83% of these structures are used for residential purposes like house and huts, 11% for commercial purposes like shops and 6% for the purposes like Cattle Shed, Gharat (Waterwheels or Himalayan Watermill) etc. On physical verification no Gharats were found in the affected area.

The total affected land almost bears around nine thousand trees, 51% of which bear fruits in various seasons and the rest comprises of non-fruit bearing trees. The fruits comprise of Apple, Plum, Almonds, Cherry, Mango etc.

3.5. Alternate options against land and structure loss

During the survey, 52% land owners shared that they do not possess additional land where they can be shifted or earn their livelihoods from. More than three-fourth of the PAFs want the project to help them to relocate while only 23% shared that they would like to relocate by themselves. Against the land loss, more than 97% wants cash than land. The rest who would prefer to receive land against the land lost, shared their apprehension about the fertility, the location (similar distance from the main road and/or the water sources) and the price of the land to be offered to them by the project authority.

For the structure loss, more PAFs (14%) want similar structure to be made by the project against the structure lost under the acquisition plan. And 86% cited their preferences for receiving cash against the structure loss.

3.6. Administrative Organization

No administrative organization is functioning in the land proposed for acquisition. Administrative organization such as Sub Tehsil Office etc is situated at considerable distance from the land proposed for acquisition.

3.7. Political Organization

There is no political organization

3.8.. Civil Society Organizations and Social Movements

During the survey, the team came across civil society organizations like "Suryanarayan Bandh Visthapit Sangharsh Samiti, Nirath (Dist: Shimla)", "Luhri Jal Vidyut Pariyojana Visthapit Jankalyan Sabha, Rewali (Distt: Shimla)" and "Shri Datatray Swami Paryavaran and Kissan Vikas Samiti, Duttnagar Panchayat" established by the affected land-owners. All these three organizations are set up for watch and ward the interest of land loosers and environment though the organizaiton have no assets in the proposed land under acquisition

Other than this, there are some Self-Help Groups (SHGs), Mahila Mandals and Youth Mandals formed in the affected villages.

****

Chapter 4: Estimation of Computation

4. Estimation of Computation

Providing compensation for land is often a complicated process, particularly the estimation of land values. The market value is one option used. This is commonly defined as *"the estimated amount that the land might be expected to realise if sold in the open market on the valuation date after proper marketing between a willing seller and a willing buyer and they had acted knowledgeably, prudently, and willingly"*[3].

Fair market value might be used exchangeable with market value, but there is a distinction between them. The fairness of market value herein reflects the estimated price for the transfer of a property between willing parties who have the respective interests of those parties. It is necessary to carry out an assessment of the price that is fair for those parties taking consideration on the respective advantages and disadvantages that each is able to obtain from the transaction. Meanwhile, market value entails the strong points that are not available to market participants generally to be ignored, and therefore the concept of market value is narrower than fair market value. In this back drop, the following paragraphs elaborate the process involved in the computation of compensation for the land to be acquired.

4.1. Market value of land estimation

Section 26 of 2013 Act provides for determination of market value of land by Collector, stating:

"The Collector shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land, namely:- (a) The market value, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated; or (b) The average sale price for similar type of land situated in the nearest village or nearest vicinity area; or (c) Consented amount of compensation in the case of

[3] ***Asian Development Bank****(ADB), Compensation and Valuation in Resettlement: Cambodia, People's Republic of China and India; Report No. 9; ADB: The Philippines, 2007*

acquisition of land for private companies or for PPP whichever is higher: Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the notification has been issued under section 11.."

It also explains in sub-section (1) that the average sale price referred to in clause (b) shall be determined taking into account the sale deeds or the agreements to sell registered for similar type of area in the near village or near vicinity area during immediately preceding three years of the year in which such acquisition of land is proposed to be made.

The Act stipulates that the minimum compensation is to be a multiple of the total of the ascertained market value, plus value of the assets attached to the property, plus a solatium equal to 100% of the market value of the property including value of assets.

Following Table 4.1.1 gives the circle rate for each types of land and Table 4.1.2 furnishes the extent of land in different classification village wise.

Table 4.1.1: Land Type-wise Circle Rates of Land (Fig. in rupees per square meter)

Highest Circle Rate in 3 years (2016-17, 2017-18 and 2018-19) by Location													
District	Patwar Circle	Panchayat	Particulars	Category 1 (0-25 mtr)		Category 2 (25-50 mtr)		Category 3 (50 - 100 mtr)		Category 4 (100 - 1000 mtr)		Category 5 (1000 mtr and above)	
				Non Cultivated	Cultivated	Non Cultivated	Cultivated	Non Cultivated	Cultivated	Non Cultivated	Cultivated	Non Cultivated	Cultivated
Shimla	Shamathla	Naula	Other Road	557	668	446	535	334	401	279	334	223	267
			State Highway	896	836	557	668	418	501	348	418	279	334
			National Highway	836	1003	669	803	502	602	418	502	334	401
	Duttnagar	Bhadrash	Other Road	3055	3666	2444	2933	1833	2200	1528	1833	1222	1466
			State Highway	3819	4583	3055	3666	2291	2750	1910	2291	1528	1833
			National Highway	4583	5500	3666	4400	2750	3300	2292	2750	1833	2200
	Nirath	Narola	Other Road	2226	2671	1781	2137	1336	1630	1113	1336	890	1068
			State Highway	2783	3340	2226	2672	1670	2004	1392	1670	1113	1336
			National Highway	3339	4007	2671	3205	2003	2404	1670	2003	1336	1603
		Nirath	Other Road	4897	5876	3918	4701	2938	3526	2449	2938	1959	2351
			State Highway	6121	7345	4897	5876	3673	4407	3061	3673	2448	2938

			National Highway	7346	8815	5877	7052	4408	5289	3673	4408	2938	3526
	Shamathla	Ruwali	Other Road	6305	7566	5044	6053	3783	4540	3153	3783	2522	3026
			State Highway	7881	9457	6305	7566	4729	5674	2960	4729	3152	3783
			National Highway	9548	11458	7638	9166	5729	6875	3774	5729	3819	4583
		Charontha	Other Road	1315	1578	1052	1262	789	947	658	789	526	631
			State Highway	1644	1973	1315	1578	986	1184	822	986	658	789
			National Highway	1973	2368	1578	1894	1184	1421	987	1184	789	947
Kullu	Nither	Nither	Other Road	1917	2300.4	1533.6	1840.32	1150.2	1380.24	958.5	1150.2	966.8	920.16
			State Highway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			National Highway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gadej	Gadej	Other Road	767.5	921	614	736.8	460.5	552.6	383.75	460.5	307	368.4
			State Highway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			National Highway	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 4.1.2: Village-wise Extent of Land to be Acquired (In Hectares)

Name of District	Name of Panchayat	Name of village	Forest land (ha)	Private Land (ha)	Total Land (ha)
Shimla	Samathala	Reewali	0.4706	7.4322	7.9028
		Charontha	0.0779	0.3485	0.4264
		Naola	0.3553	1.3085	1.6638
		Total	**0.9038**	**9.0892**	**9.993**
	Nirath	Narola	0.8131	0.4248	1.2379
		Nirath	34.5165	8.9820	43.4985
		Total	**35.3296**	**9.4068**	**44.7364**
	Duttnagar	Bhadrash	18.6373	4.6396	23.2769
		Total	**18.6373**	**4.6396**	**23.2769**
Kullu	Dehra	Neether	27.9367	18.0998	46.0365
		Underground	2.4698	0	2.4698
		Total	**30.4065**	**18.0998**	**48.5063**
	Neether	Neether	**0**	**0**	**0**
		Total	**0**	**0**	**0**
	Gadej	Gadej	12.8232	9.7358	22.559
		Total	**12.8232**	**9.7358**	**22.559**
Grand Total			**98.1004**	**50.9712**	**149.0716**

4.2. Computation of land Value:

The circle rate for the last three years was obtained from the Revenue Department for the below mentioned categories-

Category 1: 0-25 metres

Category 2: 25-50 metres (20% < Base Rate)

Category 3: 50-100 metres (40% < Base Rate)

Category 4: 100-1000 metres (50% < Base Rate)

Category 5: Above 1000 metres (60% < Base Rate)

The various rates are available for each sub-category of cultivated and non-cultivated lands situated at varied distance from the National Highway, State Highway or other Roads.

For the ease of computation, the circle rate for **Category 4** for the Cultivated and Non-Cultivated Land was considered for the respective Revenue Villages to provide an estimate of the maximum expenses against the acquired land. National Highway passes through the left bank of Sutlej near the dam site. Therefore, the circle rate for the villages on the left bank has been considered from the sub-category of 'National Highway', whereas for project affected locations on the right bank like Neether and Gadej, the circle rate from the sub-category of 'Other Roads' has been considered.

Table 4.2.1: Calculations of Compensation for Land for All Revenue Villages

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S.No	Panchayat	Land acquired in Sqmt	Cultivated land (Sqmt)	Non Cultivated land (Sqmt)	Circle Rate **(4th** Category **cultivated** on national highway/ other road)	Circle Rate **(4th** Category **non-cultivated** on national highway/ other road)	Value of cultivated land (4*6)	Value of Non-cultivated land Rupees (5*7)	Total Valuation of land in Rupees (8+9)	Total Compensation for land in Rupees (10*2)
1	Charontha	3485	3372	113	1184	987	3992448	111531	4103979	8207958
2	Rewali	74322	61620	12702	5729	3774	353020980	47937348	400958328	801916656
3	Bhdrash	46396	42250	4146	2750	2292	116187500	9502632	125690132	251380264
4	Gadej	97358	84935	12423	460.5	383.75	39112567.5	4767326.25	43879893.75	87759787.5
5	Naola	13085	8131	4954	502	418	4081762	2070772	6152534	12305068
6	Neether	180998	152390	28608	1150.2	958.5	175278978	27420768	202699746	405399492
7	Narola	4248	2218	2030	2003	1670	4442654	3390100	7832754	15665508

8	Nirath	89820	71413	18407	4408	3673	314788504	67608911	382397415	764794830
	Total	509712	426329	83383					1173714782	2347429564

4.3. Value of assets attached:

Under Section 27 (RTFCTLARR Act 2013), the Collector has to calculate the total amount of compensation to be paid to the land owner whose land has been acquired by including all assets attached to the land. The following services will be used by the Collector, under Section 29 (RTFCTLARR Act 2013), as may be considered necessary by him:

Table 4.3.1: Competent Authorities/Departments for the assessment of the assets

Purposes in details	**Services to be hired**
To determine the market value of the building and other immovable property or assets attached to the land or building	A competent engineer from the concerned department or any other specialist in the relevant field
To determine the value of trees and plants attached to the land acquired	Experienced persons in the field of forestry, horticulture, sericulture.
To assess the value of the standing crops damaged during the process of land acquisition	Experienced persons in the field of agriculture.

4.4. Award of Solatium and interest:

The Collector after having determined the total compensation to be paid shall arrive at the final award, under Section 30 that mentions about a "Solatium" which is the amount equivalent to 100% of the compensation amount. This solatium amount shall be in addition to the compensation payable to any person whose land has been acquired. The Collector shall issue individual awards detailing the particulars of compensation payable and the details of payment of the compensation as specified in the First Schedule. In addition to the market value of the land provided under section 26, the District Collector shall, award an amount calculated at the rate of

12% per annum on such market value for the period commencing from the date of the publication of the notification of the Social Impact Assessment study under section 4(2), till the date of the award by the District Collector or the date of taking possession of the land, whichever is earlier. Serial No. 11 of the Second Schedule lists of Rehabilitation and Resettlement entitlements are to be provided, in addition to those provided in the First Schedule. The Third Schedule enumerates twenty-five (25) infrastructural amenities to be provided for resettlement to the affected families.

4.5. Parameters to be considered for determination of award

The Collector, after determining the market value of the land to be acquired, shall calculate the total amount of compensation to be paid to the land owner (whose land has been acquired) by including all assets (to be evaluated by a competent Engineer/other specialist in the field) attached to the land.

In determining the amount of compensation to be awarded for land to be acquired under the 2013 RTFCTLARR Act, the District Collector will have to take into consideration the following aspects:

Table 4.5.1: Method of determination of compensation

Reference	Entitlement/ Compensation
Section -28 Firstly	(A) The market value as determined under section 26 and the award amount in accordance with the First and (B) the Second Schedules
Secondly	The damage sustained by the person interested, by reason of the taking of any standing crops or trees which may be on the land at the time of the Collector’s taking possession thereof
Thirdly	The damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of severing such land from his other land
Fourthly	The damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, movable or immovable, in any other manner, or his earnings

Fifthly	In consequence of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change
Sixthly	The damage (if any) *bona fide* resulting from diminution of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 19 and the time of Collector's taking of the land
Seventhly	Any other ground which may be in the interest of equity, justice and beneficial to the affected families
Section 30 (1)	Solatium Amount as per applicable norms
Section 30 (3)	12 % per annum interest payable on the compensation as per S. 4 (2) SIA notification till the date of the award of the Collector or the date of taking possession of the

4.6. Demands of the Project Affected Families:

During the course of the SIA study, expectations of the PAFs from the project authority and Government were recorded. The interaction with the affected persons in the project area during the household survey and Focused Group Discussions, their demands for vacating the place and relocation had come out very clearly. However, it must be mentioned that most PAFs are willing to give their lands provided they are paid proper compensation. During interaction, demands for compensation per bigha of land varied from one village to the other. In most of the villages, the demand was for Rs. 40-60 lakhs per bigha.

****

Chapter 5: Socio-economic and Cultural profile

5. Socio-Economic and Cultural Profile

5.1. Study area

The study area is comprised of six revenue villages of Shimla district and two revenue villages of Kullu district. The total number of land owners expected to be affected by the proposed project is estimated at 1003. The household survey revealed that more than 60% of the PAFs are from the Shimla district while the rest are from Kullu district. The data analysed in this chapter is based on 920 respondents interviewed by the SIA team.

5.2. Social Category

The proportion of general category among the project affected households was 85%, the rest 15% comprised of Scheduled Castes with a miniscule proportion of Scheduled Tribes and Other Backward Classes (OBC).

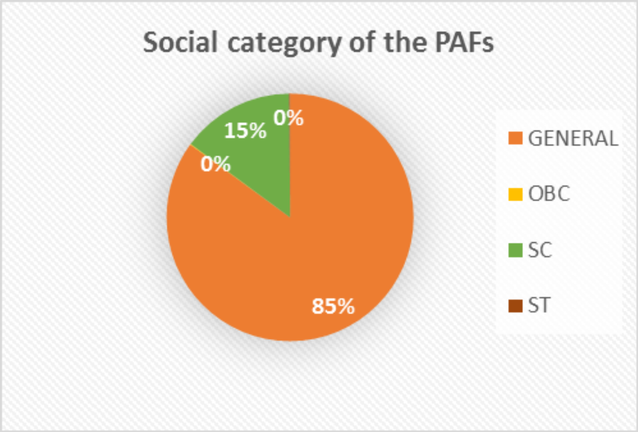

Figure 5.2.1: Distribution of PAFs by Social Category

5.3. Religions

All the households belong to Hindu religion expect for few represented Muslim community.

5.4. Sources of Livelihoods

Around 85% of households stated that agriculture is their main occupation, followed by 7% households were engaged in government service, another 5.5% in private sector jobs, and

another 1.5% was engaged in self-employment ventures. Negligible number of households stated securing income from pension and daily wages.

Most of the households are engaged in rearing of cows. However, this is not a supplementary source of livelihoods for majority of them and cater to their own household needs.

It had been learnt that due to better employment opportunities, many people prefer to live in the nearby towns or faraway cities. This pattern of migration is an example of rural-to-urban, due to push factors like lack of livelihood sources and irrigation facilities.

5.5. Cropping Pattern

Most of the land in the affected villages are cultivated twice in a year- in Rabi and Kharif season. Crops like wheat, maize, potato and pulses are also grown in some parts. Some landowner in the affected areas also produce off-season vegetables. Horticulture is quite popular in the area. Enquiry revealed that the land proposed for acquisition is not a multi - cropped area.

5.6. Family Composition

Distribution of numbers of all the members by gender revealed that the proportion of men and women were almost equal. Out of 920 families, 169 families reported to be possessing unmarried boys aged above 21 years. Likewise, 73 families stated to be possessing unmarried girls aged more than 18 years.

5.7. Vulnerable Families

Almost 66 of the households are headed by women. As per the last BPL enumeration, close to 45 of the households were designated as Below Poverty Line households. Number of widow/divorcee is 13 in number. There are only 3 PAFs with physically/mentally challenged family member. There are no minor orphans in the PAFs surveyed.

5.8. Gender

Almost 9% of the households have female members who are engaged in employment opportunities other than agriculture. However, in agriculture and cattle rearing, all women play a major role. In many of the households, the women take the entire responsibility of the farming-ploughing, sowing, irrigating, cutting, storing of the produce etc. The women in this region is very hard-working and engage in household chores along with their responsibilities towards cattle rearing and agriculture.

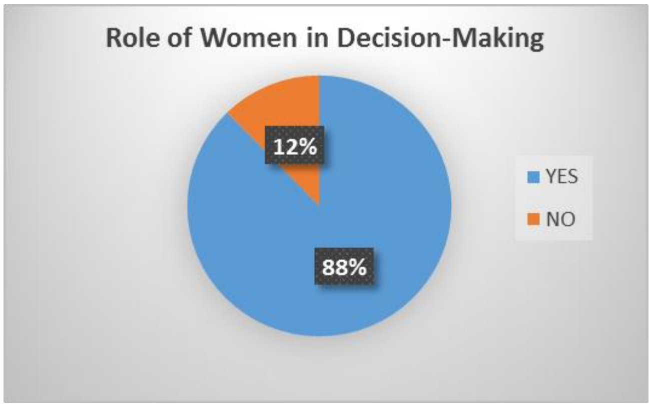

Figure 5.8.1: Percentage of Women Playing a Role in Decision-making

Women play a major role in the decision-making, though, not in many cases they do not initiate the decision making process. The male respondents shared that without the participation of the women, it will be difficult to run the entire system.

5.9. Opinions about Livelihoods Options

Almost 99% of the PAFs look forward to receive permanent employment opportunities as per the qualifications possessed by their family members, and never under any contractor. They also shared that the PAF members should be given utmost priority for government job opportunities. Some of the PAFs expressed their interests in receiving assistance/loan from the project or other ongoing development schemes.

5.10. Healthcare, Water and Electricity

The major gap in the healthcare services is the lack of access to the hospital. More than 87% depend on the Government Hospital (Rural Hospital) for the treatment of women, less than 13%

access Primary Health Center or Sub Center in the nearby village/town. Access to and existence of private hospital is almost nil.

All the households receive water through pipeline provided by Irrigation and Public Health department. Other than only two households, every household has an electricity connection. Almost 99% households have a private toilet facility and less than 1% still depend on the open areas for defecation.

As per the survey, women in the project affected area mainly suffer from common cold and fever, cough and allergy. The health issues like joint pain, diabetes, blood pressure, heart problems and urine related problems have seen a recent increase among them.

When the women encounter with any of the health problems, 64% PAFs prefer to receive Allopathic treatment as compared to 35% who prefer to stick to Ayurvedic medicines. The Himalayan region is known for naturally grown medicinal plants which are used for many pharmaceutical companies. Only 1% of the PAFs go for Homeopathic treatment.

5.11. Indebtedness

Majority (42%) had loan outstanding for credit availed for agricultural purposes, followed by 20% for purchase of vehicles, 15% for purchase of houses, 6% for consumption purposes, 5% each for business and for education purposes.

5.12. Awareness about Luhri Project

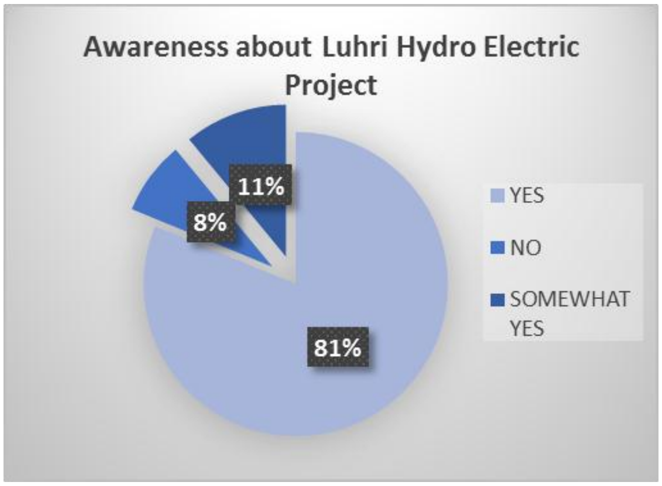

Figure 5.12.1: Awareness about LHEP among PAFs

The proposed project was initiated in 2006 and was halted in between for some time. The information about the project was seen widespread since then. In 2016-17, the project got its required approval and initiated the project activities. During the SIA survey, 88% PAFs shared that they received notification from the government officials while 8% came to know about the project and land acquisition from inhabitants of the adjacent villages. Less than 4% stated to be aware through media.

5.13. Focus Group Discussions- Outcomes

Consultation with the Project Affected Families (PAFs) was the starting point to address involuntary issues, concerning resettlement. People affected by resettlement may have apprehensions regarding their loss due to land acquisition. Their participation in planning and managing resettlement helps to reduce their fears and gives PAFs an opportunity to participate in key decisions that affect their lives. The first step in planning for consultation and participation is to identify the primary and secondary stakeholders.

After conducting the household interviews, the study team secured feedback from the community through two focus group discussions held at villages viz. Nirath and Neether. This was basically done to ascertain certain facts stated by the individual households and to understand their perceptions and apprehensions about the project and to elicit suggestions from them, if any, on improvement to project design. The details of the two Focus Group Discussions conducted in this regard is given below.

A. Nirath Panchayat, Shimla

Among the affected Gram Panchayats, Nirath GP has the second highest number of PAFs (more then 250) as the dam site of the proposed hydroelectric project is located in this GP area. People are enthusiastic, and, at the same time, possess apprehension about the project as well as SIA. They have been hearing about the project reaching its final stage since 2008-09 but they haven't seen any remarkable progress so far. Hence, in order to receive feedback from the PAFs and to clarify their doubts about the SIA process, a Focused Group Discussion was held at village

Nirath on 17th March 2018 with the concurrence of Vice-Pradhan Shri Prem Chauhan. The names of the participants who were present in the FGD is given below:

Table 5.13.1: List of Participants of FGD at Nirath

S. No	Name of the Participant	Position	Village
1	Prem Chauhan	Vice Pradhan-Nirath	Nirath
2	Tikam dev	Representative of PAFs	Nirath
3	Raju ram		Ninoo
4	Pyare lal		Balthana
5	Kedar		Bali
6	Pirthvi chand		Bali
7	Teja singh		Dist kullu
8	Jeet ram		Dist kullu
9	Gopal singh		Nirath
10	Govind Singh		Nirath

Mr. Arvind Shukla of the study team facilitated the group discussion and explained the purpose of conducting SIA along with sequence of activities to be undertaken for the purpose. The Survey Questionnaire was also explained at length to the Group and clarified some of the doubts that were in the minds of the PAFs. Further, he also explained the contents of Gazette Notification on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 and HP Rules 2015 to the participants of the group discussion.

Participants of the group also sought clarification on many land related issues. For example, they wanted to know what would happen if the actual titleholder is not alive anymore, how the compensation would be assessed, what should be done in case of any dispute in the land to be acquired, etc. These were answered and elaborated by the SIA team with reference to the provisions available in the above mentioned Act and Rules. The participant villagers were also kept informed that the **"Public Hearing"** could be an important forum to raise their concerns.

The participants shared that there is a lack of government cold storage facility, availability of small and medium processing units, technical support to horticulturist, absence of regulated Mandi, Technical Training institution, etc. which can be established in order to develop the area. Apart from these, tourism and organic farming should also be promoted in the area.

Figure 5.13.1.: Pictures from the FGD at Nirath

B. Dehra Panchayat, Kullu

Dehra panchayat is located in the other side of the bank of the river. The villages under this panchayat have more than 300 PAFs. As part of the process to understand the social impact of the project in the area, Focused Group Discussion was organized at village Neether on 18th March 2018 wherein the villagers of the affected panchayat participated. Names of the persons who participated in this FGD is mentioned below.

Table 5.13.2: List of Participants of FGD at Neether

S. No	Name of the Participant	Position	Village
1	Jitender Kumar	Ex-Vice Pradhan, Dehra	Panchayat Dehra
2	Veer Singh Thakur	Representative of PAFs	Garoli
3	Kishan singh		Shikroli
4	Dalip singh		Garoli
5	Sanjay Kumar		Jhalli
6	Kapoor Singh		Shosha
7	Rajendra Kumar		Ward member – garoli
8	Surjeet singh		Aanas
9	Meena singh		Garoli
10	Sinkaru Ram (fauji)		Shinah
11	Sikru ram		Shikroli
12	Nargesh katoch		Shikroli
13	Kuldeep singh		Dhamah
14	Pankaj		Kullu
15	Hari singh		Garoli

On completion of initial self-introduction among the participants, the villagers shared their doubts about the entire process of execution and the importance of SIA, tentative time line for

execution of the project and the specified role of the SIA team. They also expressed their expectations from the project and the SIA team. In the beginning, SIA team shared that the Social Impact Assessment is now a mandatory process as per the Gazette notification on The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. At the same time, details of this Act were also discussed. Under the HP Rules 2015, format specified for SIA was explained to them and queries related to the process of the social impact assessment were also resolved.

The participants also shared their expectations from the project and their suggestions for the State authority. Few of them are as follows-

1. As per the earlier proposal, the dam site was close to Luhri village, 26 km away from the current dam site. Now the dam site is located in the villages of Neether and Nirath and contain the maximum number of PAFs. Therefore, the earnest request of the participants of this FGD to name the project after Neether and Nirath.
2. In the process of acquisition of the land, if the PAFs are losing 80% of their land, suggestions were received that 100% land should be acquired as leftover land would not be of much use for them.
3. The State or the Project authority should keep provisions for lift or flow irrigation systems and ensure regular supply of safe drinking water.
4. The participants also demanded permanent government jobs for at least one member from each PAF on priority basis. They mentioned that the members of PAFs should be directly employed by the government and not by any contractor.
5. The area experiences lack of proper healthcare facilities. For child delivery women have to be taken to Rampur by some conveyance which is located 35-40 km away from Neerath, resulting in most of the delivery taking place on the way which is unsafe and also a costlier affair for the villagers. In this context, the PAFs demanded a Child health Centre of level-2 within their panchayat.
6. The participants also requested to ensure that all the PAFs get compensated four times the cost as per the Central Act of 2013.
7. The land on the other bank of Sutlej river in Dehra panchayat should be compensated uniformly at par with Shamathla panchayat as both panchayats are only separated by the Sutlej river bed.

8. Villagers shared some of the major challenges due to the project and its delay in commencement. The activities started in the year 2008-2009 and affected families were informed about the land acquisition. However, it could not be done and many of them have stopped farming since then. Some of them had not so good experience in the past, which was also addressed. The participants requested that the State authority should consider their lands as cultivated for the purpose of acquisition and compensate them accordingly.
9. There was lack of Government old storage facility, small and medium processing unit, technical support to small and medium horticulturists, provision of regulated mandi etc. The participants also requested the project authority of the state government to focus on these issues for overall development of the area.

The group also had few apprehension about the project such as compensation to be received, job availability to the affected families, incidence of pollution and loss of eco system , mode of disbursement of compensation amount etc. which were discussed in detail and also they were asked to be part of Public hearing session wherein they would have opportunity to raise further issues, if any to secure feedback from appropriate authorities.

Figure 5.13.2. Pictures from the FGD at Neether

****

Chapter 6: Social Impacts

6. Social Impacts

6.1. Approach on Social Impacts

Social Impacts are the changes that occur or likely to take place in the lives of individuals, communities and environment as a result of land acquisition which is externally-induced change. They are the consequences of such public actions to human populations that alter the ways in which people presently live, work, relate to one another, individually and socially organize to meet their needs, and also function as members of society. The social impacts also include cultural impacts involving changes to the norms, values, and beliefs that guide their cognition of themselves and their society.

Acquisition of land proposed for the hydro-electric project will have a direct bearing on livelihood, employment, income, production, health & well-being and quality of life of the community, socio-cultural systems and environment. It will raise doubts and fears about property rights and aspirations. Development projects affect different groups differently. Some people tend to benefit while many others loose. Often, impacts are particularly severe for vulnerable groups viz. tribal community, women-headed households, elderly persons, landless persons and the poor.

The impacts can be positive or negative. In this project it has been noticed through surveys and discussions that the people expect that land acquisition will give them better value which will provide improvement in their well-being, though the affected families felt that the loss of land and livelihood etc. would be irreparable. The objective of the household survey was to generate an inventory of social impacts on the PAFs, type of property, ownership of property, type of impact and its magnitude and details of affected property. The major findings and magnitude of impacts are discussed in the following sections.

The survey reveals that along with loss of agricultural lands, trees, Gharats and other farm buildings, access to common property resources, businesses and livelihood opportunities would be affected resulting in decrease in household income of the displaced families. The socio cultural impacts that would arise due to the project would include break-up of community cohesion, disintegration of social support systems, disruption of women's economic activities, loss of time, disappearance sacred places of worship and other cultural property.

6.2. Impoverishment risks:

Present project is likely to create impoverishment risks as part of the SIA exercise to identify adverse project impacts. The impoverishment risks analysis model adds substantially to the tools used for explaining, diagnosing, predicting, and planning for development. The most relevant impoverishment risks to the project affected people are as follows:

- **Landlessness:** The proposed land acquisition will remove the main foundation upon which peoples' agricultural productive systems, commercial activities and livelihoods are constructed.
- **Joblessness:** Loss of employment and wages may occur and the landless labourers may lose their main source of income.
- **Homelessness:** There are houses involved in land acquisition for the project. So, there will be negative impact on this count leading to homeless.
- **Marginalization:** Marginalization will occur when PAFs lose most of their cultivable land and ultimately their economic power. Middle-income farm households become small landholders. Economic marginalization which takes place due to fall in agricultural production is often accompanied by social and psychological marginalization and manifests itself in a downward mobility in social status.
- **Loss of access to common property:** Loss of access to commonly owned assets (forestlands, water bodies, grazing lands, and so on) is often overlooked and uncompensated, particularly for the asset less as they are considered to be providing indirect benefits to the community which could not be quantified. But absence of the same do affect the quality of life of the community.
- **Social dislocation:** Though there is not much of displacement but community dispersal affects structures of social organization and loss of mutual help networks. Although this loss of social capital is harder to quantify, it impoverishes and dis-empowers the affected persons.

In the present case, the hydro-electric project will lead to heavy transportation during construction phase which will lead to increase in dust particles in the air and increased noise pollution in the adjoining villages.

6.3. Analysis of Impacts

The proposed project will have some impact on a section of people / project affected families whose lands will be acquired. The anticipated negative impacts on these PAFs / people include the following:

i. Land Requirement and Acquisition

The proposed project requires land for catchment area, dumping area, roads, establishment of power sub-stations, construction of administrative buildings, etc. Acquisition of land may make some of the affected families landless. Therefore, every effort has been made to keep land requirements to the bare minimum. It is expected that after meticulous planning, the land requirement is kept at minimum and particularly in places where the acquisition of private land could not be avoided. The proposed project requires the acquisition/ transfer of 50.9712 hectares of private land spread over in the six gram panchayats. Details of land requirement are summarized below in Table -6.3.1

Table 6.3.1: Village wise Private Land Requirement for the Project (In Hectares)

Name of District	Name of Panchayat	Name of village	Private Land (ha)
Shimla	Samathala	Reewali	7.4322
		Charontha	0.3485
		Naola	1.3085
		Total	**9.0892**
	Nirath	Narola	0.4248
		Nirath	8.982
		Total	**9.4068**
	Duttnagar	Bhadrash	4.6396
Kullu	Dehra	Neether	18.0998
	Neether	Neether	0
	Gadej	Gadej	9.7358
Grand Total			**50.9712**

The anticipated impacts will be loss of land which will deprive the PAFs of their agricultural income. Further, the project involves construction which will affect the adjacent lands of the PAFs and others due to air and water pollution.

ii. Land use and Livelihood

Land use: The survey indicates that the entire region is an agrarian economy with 80% of land being under cultivation. Agriculture is the mainstay of many PAFs since many generations. Due to favourable weather conditions, horticulture has flourished in the Sutlej valley. Rain fed apple, almonds and plum are generally cultivated. Villages having adequate water sources take vegetable crops like beans, chillies, sweet potatoes, brinjal, ladies fingers, bitter gourds, tomatoes and greens which provide them additional income.

Livelihoods: The villagers are so much dependent on agriculture that more than 84% of them work in agriculture and related activities. Some of PAFs are engaged in businesses and trading. Few others are salaried employees in Government and private sector who have been absentee land owners and are keen for quick acquisition of their lands. There is also significant presence of village craftsmen and artists.

In cases where agriculture lands are lost, they may face displacement and loss of land may lead to loss of livelihood or income opportunities, either temporarily or permanently. If the project impact leads to people being unable to continue with their previous occupation, the project may provide support and assistance through compensation as per the Act, 2013. Wherever possible, PAFs may be given employment opportunities created by the project, such as work with construction or maintenance. Long-term earning opportunities may be provided through strategies such as vocational training, employment counselling, inclusion in income generating schemes, and access to credit.

iii. Loss of Residential structures

Residential structures would also be affected due to the proposed construction activity at the site area. During the survey, 54 PAFs shared that the structures on their land proposed for acquisition are getting affected due to submergence or for undertaking construction work.

v. Loss of common property resources

Common property resources are not being acquired for the project. Therefore, direct effect would be negligible. However, during construction activities there will be movement of men, material and equipment having extra load to available infrastructure which would have to be strengthened in advance.

vi. Shifting of Public Utilities

There is a set-up of Himachal Pradesh State Electricity Board that falls under Bhadrash village, which is also getting affected by the project. Apart from that, there are around 26 High Tension Electricity poles existing in the area that would be affected by the project and hence will have to be appropriately managed for transferring.

vii. Impact on Biodiversity and Environment

Biological resources are among the most important resources impacted by such huge projects. A detailed baseline study of these resources is essential to estimate the magnitude of potential impacts and to avoid or mitigate any loss caused by the proposed project. It is necessary to have separate detailed Environment Impact Assessment (EIA) done to identify the specific impacts on the flora and fauna in the forest areas of the proposed project.

viii. Impacts during pre-construction phase

Prior to the construction of the dam at site, the acquisition of agricultural land will take place which will directly and as well as indirectly affect the PAFs.

ix. Impacts during construction phase

Construction activities are likely to generate a range of impacts that may be adverse to the living and health conditions of the community in the affected areas. These include:

(a) An increase in dust levels and air pollution due to construction and excavation,
(b) Preparation of construction materials, and stockpiling of material,
(c) An increase in noise levels due to drilling, quarrying, general earthworks, lorry movement,
(d) Safety risks to the people living in the affected areas due to increased excavations, drilling activities and construction works
(e) Loss of natural resources and deforestation would adversely impact on women's livelihood those engaged in collection of minor forest produce,

(f) Shifting of utilities causing inconvenience to the residents,
(g) A landslide may be triggered due to excavation and construction work, and
(h) Blockage of roads, drainage blockage due to construction activities that would take place in the project area.

x. Impacts due to influx of construction workers

The influx of workers and other economic migrants to the area, particularly during construction phase of the project is likely to have significant impacts on living conditions, availability of quality air & water pollution and health care provisions. The workers from different States may be employed by the project authority or by the contractors for the construction of the dam which may create disturbances to the vehicular traffic and public by polluting project site and the adjoining areas. Noise pollution may be very high and solid waste generated in the area by the construction workers as well as garbage thrown in the open area may critically affect the quality of life of the local residents. The hardship of work will be there during construction and unforeseen accidents may occur in the working area. These impacts may lead to social and cultural conflicts which may be of direct or indirect for short or long-term in nature.

xi. Impacts at the time of hydro power plant operation

Project is not storage Dam rather it is a Run of the River scheme. Water will be stored for short duration for picking only and accordingly released. Moreover, as per the conditions of the GOI Ministry of Environment, Forest and Climate Change, water flow, of a minimum of 20% in lean season, 30% in monsoon season and 25% in non-lean and non monsoon season has to be maintained downstream of the Dam. To ensure the regular flow of water separate Dam Toe Power House has also been proposed to generate the power.

******

Chapter 7: Analysis of Costs & Benefits and Recommendations

7. Analysis of Costs & Benefits and Recommendations

Having identified the social impacts, the social impact management plan (SIMP) needs to be drawn up which would include the mitigation of the impacts and risks (low, medium, high) thereof and pose the strategies for managing the risks. This enables the requiring body to ensure that mitigation and management strategies are aligned with those impacts upon the PAFs and communities of the eight Revenue Villages. This plan guides the requiring body to restore the income of the PAFs and provide required infrastructure for the communities. The strategies being presented in this chapter are derived basically from public consultations and interaction with key stakeholders. The mitigation and management strategies would also address the cumulative impacts identified during the social impact assessment wherever appropriate and felt necessary.

7.1. Rehabilitation and Resettlement Plan

The present hydro-electric project requires procurement of privately owned land and Government (both forest and non-forest) land. The private land has to be acquired from its present owners. The Government can use their rights for compulsory acquisition of properties for public projects which causes economic loss as well as social and psychological disruption for the affected individuals and their families. Naturally, greater the number of people involved, larger is the extent of disruption and losses. A Government's Right to acquire naturally carries with it the responsibilities to ensure that those affected do not bear an unfair share of the costs of a project which will bring benefits to others. In the simplest terms, this responsibility should be to ensure that the standard of living of all affected persons is restored to the level enjoyed before the commencement of the project. To the extent that a Government is successful in restoring those living standards for all affected, the adverse impacts will be possibly avoided or minimized.

There will be occurrence of direct and indirect impacts of the project at various stages of construction and operation on the affected persons, families, households, communities, and other Groups. The most direct and immediate impacts are those associated with project construction, mainly land acquisition. Mitigation is provided through compensation and assistance to project-affected persons, families, households and eligible groups. These social units are entitled for

compensation and assistance on the basis of this policy framework to be accepted by the Government and adopted by the project authorities. The policy provides mitigation for: (i) Loss of assets, including land, house or work place; (ii) Loss of livelihood or income opportunities; (iii) Collective impacts on groups, such as loss of community assets, common property resources, and others. The loss of assets and livelihood are impact categories that represent direct project impacts on an identified population. The people likely to be affected have been surveyed and registered while the Monitoring and Evaluation unit will compare long-term impact against baseline socio-economic data. Collective impacts on groups represent direct and indirect impacts.

There has been demand of employment along with monetary compensation for the loss of land or house or both. But generating large scale employment for all PAFs could be a great challenge for the requiring body who may not find required highly skilful workers at the local level. At the most, they can get absorbed into jobs like housekeeping, security and other support functions in limited numbers in and around the project site. While considering the employment aspects for the PAFs, the project authorities will follow Section No. 4 of the Second Schedule of RTFCTLARR Act 2013. As far as generating alternative livelihoods are concerned, the rehabilitation plan can attempt to get the affected families linked to the National Skill Development Mission, a Govt. of India initiative that plans to get millions of Indian youth skilled over the next few years. This would help solve the problem of unemployment and loss of livelihoods among the project affected families.

The economic impacts of the land acquisition include the loss of houses or businesses, or the loss of business income, be either temporary or permanent in nature. However, the actual valuation of these losses often proves to be a difficult process. The social and psychological impacts costs are more complex. Neighbourhoods will be disrupted and the villagers will be deprived of social cohesion and the informal support system.

However, it is important to distinguish those who were living in the project area prior to project approval from those who have invaded the area simply to benefit from the proposed relocation plan.

It is apt to note that the proposed land acquisition for hydro-electric project will affect in the project area the following types of households/ families:

1. Owner: losing house and all land
2. Owner: losing house and some land (land left not viable)
3. Owner: losing house and some land (land left is viable)
4. Owner: losing house but no land
5. Landless owner: losing house
6. Tenant: losing house
7. Squatter: losing place of stay/ house
8. Owner: losing all land but not house
9. Owner: losing some land (land left not viable), but not house
10. Owner: losing some land (land left viable) but not house
11. Owner: losing home-based business (Compensate for lost income temporary), but not home
12. Owner: losing home-based business and home
13. Street vendor
14. Not losing neither land nor house (some of them may be indirectly affected)
15. Host community/area.

In view of the above, this section discusses the principles of the mitigation including compensation and management plan and the entitlements of the PAFs based on the type and degree of their losses. The key principles of the project policy on land acquisition, rehabilitation and resettlement are summarized below.

I. Land acquisition and involuntary resettlement have been avoided as the selected project design among the proposed alternatives will have the least adverse impact on the PAFs and communities in the project area.

II. Where the households (including communities) are losing assets, livelihoods or resources will be fully compensated and assisted so that they can improve, or at least restore to their former economic and social conditions.

III. Compensation and rehabilitation support will be provided to the PAFs, that is, any person or household or business which on account of proposed project implementation would have his/ her/ theirs:

(a) Standard of living badly affected;

(b) Right, title or interest in any house, interest in, or right to use, any land including premises, agricultural and grazing land, commercial properties, tenancy, or right in annual or perennial crops and trees or any other fixed or moveable assets, acquired or possessed, temporarily or permanently;

(c) Income earning opportunities, business, occupation, work or place of residence or habitat adversely affected temporarily or permanently; or,

(d) Social and cultural activities and relationships affected or any other losses that may be identified during the process of resettlement planning.

IV. All affected people will be eligible for compensation and rehabilitation assistance irrespective of tenure status, social or economic standard and any such factors that may discriminate against achievement of the objectives outlined above. Lack of legal rights to the assets lost or adversely affected tenure status and social or economic status will not bar the PAFs from entitlements to such compensation, rehabilitation or resettlement measures

V. All PAFs residing, working, doing business and / or cultivating land within the proposed project impacted areas as of the date of the latest census and inventory of lost assets, are entitled to compensation proportionately for their lost assets (both land and non-land assets) and restoration of income and businesses; and will be provided with rehabilitation measures sufficient to assist them to improve or at least maintain their pre-project living standards, income-earning capacity and production levels.

VI. People temporarily affected and resettlement plans will address the issue of temporary acquisition.

VII. Where a host community is affected by the development of a resettlement site in that community, the host community shall be involved in any resettlement planning and decision-making. All attempts shall be made to minimize the adverse impacts of resettlement upon host communities.

VIII. The resettlement plans will be designed in accordance with the RTFCTLARR Act 2013 and the HP Rules 2015. The Resettlement Plan will be translated into Hindi for the reference of PAFs as well as for the sake of other interested groups.

IX. Payment for land and/or non-land assets will be based on the principles laid in the RTFCTLARR Act 2013. Resettlement assistance will be provided not only for immediate loss, but also for a transition period needed to restore livelihood and standards of living of PAFs. Such support could be in the term of short-term jobs or providing subsistence allowance.

X. The resettlement plan must consider the needs of those most vulnerable to the adverse impacts of resettlement and ensure they are considered during the resettlement planning and application of mitigation measures. Assistance as admissible under the R & R Policy of the acquiring body should be provided to help them improve their socio-economic status.

XI. As part of the SIMP, the PAFs who lose cent per cent of their cultivable land or whose house is fully affected under the acquisition or PAFs with BPL status, women-headed land losers or physically or mentally challenged, the project authorities must provide employment to one of the members of such a project affected family wherever jobs are created.

XII. PAFs or the village communities will represent in the process of developing and implementing resettlement plans and proposed mitigation measures for adverse effects.

XIII. Adequate budgetary support will be fully committed and made available by the project authorities to cover the costs of land acquisition (including compensation and income restoration measures) within the agreed implementation period.

XIV. Displacement must not occur before making provisions of compensation and of other admissible assistance required for relocation. Sufficient civic infrastructure must be provided in resettlement site prior to relocation. Acquisition of assets, payment of compensation, and the resettlement and start of the livelihood rehabilitation activities of PAFs, will be completed prior to any project construction activities. Livelihood and income restoration measures must also be in place but as these may take time, not necessarily completed prior to construction activities.

XV. The Project authority must arrange administrative set up for the effective preparation and implementation of the resettlement plan prior to the commencement of the project activities. This means provision for adequate human resources for supervision, consultation, and monitoring of land acquisition and rehabilitation activities should be ensured.

XVI. Appropriate monitoring and evaluation and grievance redressal mechanisms should be put in place as part of the resettlement management system. An external monitoring group which may include qualified NGOs or Institutions or Universities may be hired by the Project for evaluating the resettlement process and final outcome.

7.2. Entitlement Matrix

An Entitlement Matrix has been developed in compliance with Laws, Rules and Policies framed by the Government of India and Government of Himachal Pradesh. The entitlement matrix summarizes the types of losses and corresponding nature and scope of entitlements.

Table 7.2.1: Entitlement Matrix

S.N.	Impact Category	Unit of Entitlement	Details of Entitlement	Remarks
Loss of Assets - Titleholders				
Loss of Private Agricultural, Homestead and Commercial Land				
1	Private Land	Land owner(s) /Titleholder	(a) Cash compensation for the land at market value, which will be determined as per provisions of RFCTLARR Act, 2013	Compensation for land includes compensation for all assets attached to the land.
			(b) Amount equivalent to current stamp duty on compensation amount for replacement of lost assets.	
			· Training Assistance	
			(c) Loss of perennial and non-perennial crops and trees will be compensated in accordance with the provisions of Horticulture and Agriculture Department as applicable.	

			(d) A Grant of Rs 25000 for replacement of cattle shed or petty shops.	
Loss of Private Structures (Residential/Commercial)				
2	Loss of structure (Residential or Commercial or Res-cum-Commercial)	Land Owner/Titleholder	(a) Cash compensation determined on the basis of current rates as per admisible norms	
			(b) Shifting allowance of Rs 50000 as per provisions of RFCTLARR Act, 2013 for the displaced families (c) Provision of free house as per RFCTLARR Act 2013, for completely displaced residential/commercial or Equivalent cost of the house may be offered in lieu of the constructed house	
			(d) Subsistence allowance of Rs 36,000 for the displaced families (RFCTLARR Act 2013)	
			(e) Resettlement allowance of Rs 50,000 for the displaced families (RFCTLARR Act 2013)	
3	Tenants and Lease holders	Tenants and lease holders	Registered lessees will be entitled to an apportionment of the compensation payable to structure owner as per applicable local laws.	
Loss of Residential and Commercial Structures - Non Titleholders				
4	Encroachers	Affected Person (Individual/ Family)	(a) Encroachers shall be given advance notice of 2 months in which to remove assets/crops.	
			(b) Right to salvage materials from affected structure	
Loss of livelihood – Title and Non-Titleholders				
5	Loss of livelihood – Title holders,	(Individual/	One time grant of Rs 25,000 (value prescribed under	For commercial squatters, the

	Agriculture labour and commercial squatters	Family)	RFCTLARR Act 2013)	eligibility will become from the date of Census survey
6	Foreseeable and unforeseen impacts likely during the construction stage	Owner, affected person	Payment of damages if any to structures Temporary access would be provided, wherever necessary	Such as temporary impacts on structures, temporary disruption to access or passage
7	Temporary loss of income of mobile kiosks, if any	Kiosk owner	Two months advance notice to vacate the area	
8	SC, ST		Assistance to include in government welfare schemes if not included, if eligible as per Government criteria; and Additional benefits to SC and ST as per the provisions of RFCTLARR Act 2013 Second Schedule	
9	Unforeseen impacts		Any unforeseen impacts shall be documented and mitigated in accordance with the principles and objectives of the Act.	

7.3. Relocation and resettlement

The main objective of relocation and resettlement are:

(a) Identification of project displaced families (PDFs)

(b) Obtaining their options,

(c) Development of resettlement sites,

(d) Allotment of relocation sites followed by relocation of PAF,

(e) Assist in construction of houses and

(f) Provide the required amenities.

All these activities need coordinated approach by the Requiring body, District administration and the Respective Departments. Various structures (house, huts and cattle sheds) belonging to 91 landowners are getting affected due to acquisition of land for the proposed project. Here to mention that the number of houses getting affected is 54 and many of the cases it can have ownership of multiple landowners. Hence there will be requirement of resettlement plan for PAFs whose houses would be submerged. Simultaneously, affected families will be compensated for the loss of livelihood.

7.4. Conclusions

(a) The Govt. of Himachal Pradesh has allotted the Luhri Hydro Electric Project 210 MW to the M/S SJVN Limited (hereinafter Requiring Body) for the construction and operation during 2016. Requiring Body is PSU of Govt. of India, joint venture of GOI and GO HP. After approval of DPR by the GOI for the construction of above project land measuring 50.9712 hectares was identified and proposed for acquisition. Requiring Body being PSU of GOI, proposed land acquisition falls under Section 1 of the RTFCTLARR Act, 2013. Project is a public purpose as notified by the GOI Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, notification no. F. No. 13/6/2009 INF. dated 27th March 2012 (copy enclosed for ready reference) to regain scheme so as to exploit maximum energy resources with minimum hazardous and least affecting the social and environment impact in the habitants of the area.

Proposed project is located in Shimla and Kullu District of Himachal Pradesh with an installed capacity of 210 MW and having design discharge of 644.19 cumecs. This project is a Run of the River scheme. Water shall be stored for short duration for peaking purpose only. Moreover, as per guidelines of the GOI Ministry of Environment, Forest & Climate Change, water flow of a minimum of 20% in lean season, 30% in monsoon season and 25% in non-lean and non-monsoon season has to be maintained downstream of the Dam. The reservoir shall have dead storage 18.9 million cum and live storage 6.3 million cumecs. The project envisages construction of concrete gravity dam with dam Toe Power House on the right bank of river Satjul to generate 777.40 GWH in 90% dependable year.

The current project design was chosen after a critical consideration of minimum requirement of land acquisition and most viable engineering design. As a result, only 50.9712 hectares of private land is proposed to be acquired from 1003 landowners from eight revenue villages of six gram panchayats. Out of total 1003 landlosers, 54 will be displaced which is just 5.4%.

For the aforesaid project 50.9712 hectares of land situated in 6 villages (Bhadrsh, Nirath, Narola, Naula, Charonta and Rewali) of Shimla District and 2 villages (Nither and Gadej) of Kullu District is proposed for acquisition from 1003 land owners for which this social impact study is contemplated under Rule 4 of the HP RTFCTLARR (Social Impact Assessment & Consent) Rules 2015. Out of above land measuring 8.3383 hectares is uncultivated and classified as Banjar Kadeem in the revenue records which represent to 16% rest of 84% is irrigated and rain-fed land but not multi-cropped. Main crop of the affected area is paddy, wheat, maize and pulses. Around 85% of households stated that agriculture is their main occupation, followed by 7% households were engaged in government service, another 5.5% in private sector jobs, and another 1.5% was engaged in self-employment ventures. Negligible number of households stated securing income from pension and daily wages.

36 landowners will lose their occupation due to 100% loss of agricultural land another 14 landowners will loss 85% to 99%, and 1 landowner will lose between 70% to 84%. The total number of affected structures is 91, out of which 54 residential and 37 other structures i.e. Kitchen, Bathroom, Cattle sheds.

As stated above, 50.9712 hectares are from eight villages is proposed for acquisition. As per census 2011, population of these eight villages sum up to 6095, and land of 1003 landowners is under acquisition which works out to 16.46% of total population.

Majority of the affected land-owners are supportive and excited about the project initiation, as the project has rejuvenated after a gap of many years. As per the landowners contacted during this study, the people in the affected area are hopeful about the increase in employment opportunities, land price, and scope for small and medium business ventures. They are also expecting better road network, higher frequency and better quality transportation services.

Most of the landowners are aware about the negative and positive impacts in view of two hydro-project already existing in the nearby area which are also maintained and operated by the requiring body.

The proportion of general category among the project affected households was 85%, the rest 15% comprised of Scheduled Castes with one each from Scheduled Tribes and Other Backward Classes (OBC).

Almost 66 of the households are headed by women. As per the last BPL enumeration, close to 45 of the households were designated as Below Poverty Line households. Number of widow/divorcee is 13 in number. There are only 3 respondents with physically/mentally challenged family member. There are 624 landowners fall below the average annual income of 50 thousand rupees, which includes 45 BPL families. Rest of the survey respondents earn more than 50 thousand rupees in a year.

The survey reveals that along with loss of agricultural lands, trees and other farm buildings, access to common property resources, businesses and livelihood opportunities would be affected resulting in decrease in household income of the displaced families. The socio-cultural impacts that would arise due to the project would include break-up of community cohesion, disintegration of social support systems, disruption of women's economic activities, loss of time, common and other cultural property.

Landowners expected negative impacts include loss of land, increase in pollution levels, sudden drop in activities dependent on the private and forest land, influx of outside population and resultant drop in the safety-security issues, rise in social conflict etc.
It was also observed that some of the major challenges are due to delay in implementation of the project. The acquisition activities started in the year 2008-2009 and affected families were aware about the acquisition of their land for the project from the beginning resulting land owners stopped cultivation since then. In view of this reason, request was to consider their land as cultivated for the purpose of determination of compensation accordingly.

As per the provisions of Section 4 (6) of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013 and Sub Rule (4) of Rule 3 of the Himachal Pradesh Rules, 2015, a Mitigation Plan listing the ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the project. After detailed study, consultation and concerns put forwarded by the stakeholders during public hearing, social mitigation plan discussed in this report. However, following mitigations are suggested:

Afforestation, Lift irrigation system, safe drinking water Supply, Hospital of appropriate level, Engineering college/DAV College having facility of all streams, Scholarships, ITI, all weather Roads, Free Power Supply to the Project Affected Families, Promotion of sports, Awareness Camps relating to Health, Education and Financial literacy etc. Promotion of Tourism, Forming and Strengthening Self-Help Groups (SHGs), Food Processing Units and Cold Storage, Institutional linkages for income restoration, Project based Employment, Seed banks, Gau-shala and Regulated Mandi.

For the women-headed households and physically/mentally challenged persons, periodical monitoring and linkages with relevant schemes for economic upliftment and betterment of life.

For SC/ST families, special provision provided in the Act 2013 should be implemented strictly.

54 families are losing their house. During consultation it was observed out of the total, 97% families are willing to opt for cash compensation and remaining 3% were uncertain for choice of cash or built up house therefore the site has not been identified for the settlement of 3% of the families.

As a mitigation measure, following are State Govt. policy:

i. 100 Unit free electricity after commissioning of project for affected families for 10 years

ii. As per revised LADA guidelines notified by HP Govt. during construction of the project 1.5 % of the cost of the project shall be deposited to Chairman LADA of the concerned district. with the objective to carry out local area developmental activities(i.e road , water supply , education and health institution internal path, street lighting, sanitation, ropeways , rain water harvesting buildings, schools, cement concrete link road, primary health centres , bus stand, hospital, college , training institutes etc.) so as to ensure viable additional benefit to local community in the project area.

iii. After commissioning of the project, families of the project affected area would be provided annuity payment out of revenue generated from the sale of 1 % free power provided to the state Govt. by the proposed project during throughout the life. This provision enables to make them feel as a part of the project.

iv. Requiring Body would not only compensate the affected landowners, but during construction stage, if any damage to the crops would be ascertained due to construction

activities, the affected farmers would be compensated as per the crop damage policy of the HP Govt.

Summary of Public Hearing

As per the HP rules 2015, Public Hearing was organized by AFC India Ltd. through the local administration with the designated government officers, i.e. respective Sub-Divisional Magistrate in all affected panchayats from 30.06.18 to 02.07.18. The maximum number of stakeholders, representatives from requiring body, R&R functionaries, press/media, public representatives, panchayat representative, Mahila Mandal and Yuvak Mandals participated in the public hearings. In the public hearing, most of the concerns and questions raised by the stakeholders have already been discussed in the report. The concerns which are not covered in the report are being discussed as under-

- **Nirath:**

-The dam and project is located at Nirath, therefore project name required to be changed to Suryanaryan hydro-electric project, Nirath.

-Nirath village should be adopted as a Model Village.

-Renovation of historical Suryanarayan temple.

-Budget earmarked for CAT plan must be used in the affected area similarly funds earmarked under LADA should also be utilised in the affected area. No fund of LADA be utilized for the non-affected area.

- Gram Panchayat Dehlat may also be declared as affected panchayat.

- Dustbin provided by the SJVN need to be managed regularly.

- **Neether- Dehra:**

- Fair compensation for cash crops and fruits.

- Exclusion of Neether Panchayat due to a clerical mistake which needs to be rectified.

- Making a model panchayat with provision of roads, street lights.

- Provision of small short term funds for repair and maintenance works.

- Last ten years' Circle rates should be considered for calculating the compensation.

- Application of a single rate across affected areas.

- Compensation for residential structures should be at least Rs.10.00 Lac.

- Suggested mitigation for the loss of cremation ground, foot bridge, road and water sources.

- According to Forest Rights Act, the encroachers should be defined and compensated.

- Local level quota should be provided for employment at SJVN.

- Post acquisition, left out land could be economically unviable. Either the entire land should be acquired or entirely left out.

- 05 Bigha Land should be provided in case of affected residential structures.

- Declare utilization of 1.5% LAD fund allocation.

- Category small/petty tenders should be opened only for local people.

- **Gadej:**

- Construction of four-lane road from Bilaspur to Bayel.

- Monitoring of fund allocation under CAT Plan.

- Awareness generation on forest fire.

- Mitigation measures for pollution arising from mining.

- Non receipt of allocated land to Gujjar people.

- Special care to preserve local culture and security.

- Establishment of hydro-engineering college

- **Shamathala (Rewali):**

- Fencing for stray animals

- Testing lab with Mobile Health Van (Sanjivani Sewa)

- Mitigation measure to restrict deposition of dust in the adjacent villages

- Establishment of police chowki

- Construction of road connecting Nagraon, Bantipar and Bhallari-Harijan Road.

- Building of linkages between Mahila Mandal and Small & Medium Enterprises Schemes

- Consideration of other panchayats affected even only by pollution

- Provision of oxygen cylinder, facilities to address snake/dog bites for the farmers/workers

- No proper toilet facilities indicates improper management of migrated labourers and gaps in mitigation measures.

- Intangible demands (culture) of the affected people should be adjust- the loss cannot be counted, therefore, prevention is very important.

- **Duttnagar:**

- Funds amounting to Rs.3.00 Cr. have not been provided to affected gram panchayat Duttnagar which may be provided, providing of 2-3 dustbins, management of dust during construction time, providing of amenities like playgrounds, convening of meeting of land losers, special attention to BPL families from whom land is acquired and inclusion of land losers in various R&R monitoring committees, providing of 70% employment to the affected families, 24 hours services in Bayal hospital, Employment generation, development of tourism particularly, water boat in reservoir, name of project renamed as Nirath Dam, renovation of Duttatray temple Duttnagar, plantation of trees in the vacant area of acquired land after the completion of project activities.

Details of the Public Hearing proceedings, conducted in the Panchayats of Neether-Dehra, Gadej, Shamathla (Rewali), Nirath and Duttnagar are given in the Appendix 6.

7.5. Recommendations

The following are the recommendations of the Social Impact Assessment Study:

- Based on the analysis of field survey findings, FGDs and Public Hearings of the landowners in the affected villages, it is recommended that the compensation for the proposed land should be decided in consultation with the concerned people and in accordance with the rules of the state govt. and Act 2013.
- It is also recommended that the compensations should be provided in full before the project activities are initiated and well in advance, all affected landowners are made aware about the land acquisition process that would be adopted.
- In order to preserve the local culture and its uniqueness, the planning of mitigation measures to combat negative impacts and to enhance the positive impacts, the government and requiring body should take special care.
- Employment is the main concern of the stakeholders. It is recommended that project should explore the possibility of providing employment to each project affected family and if it is not possible provision made in the Act 2013 Schedule 2 Clause 4 (b) need to

be strictly adhered to. Establishment of technical institutes and providing of skills training will generate workforce to meet the requirement of Human Resources.

- There would rather be positive impacts such as employment generation during the construction phase. When the project starts, the indirect employment opportunities would be generated i.e Hiring of vehicle from the project affected families, Job with contractors, and awarding of petty contracts to the registered contractors among the project affected families for minimizing the negative impact of joblessness among the affected families. Apart from that organizing of skills development training program for the local youth for helping them to become self-reliant.
- In hilly areas women are the key force and crusader for most of the house hold chores including cattle breeding and other miscellaneous jobs. Therefore women empowerment would be one key area which need to be focused. The project would be taken various activities focused on gender in the area of education, training, employment health care, income generation camps etc. after consultation with the women in the affected area.
- It is also recommended that over and above the LAD fund, the state government should make provisions of additional funds towards sustainable development. The LAD fund should not be transferred to any other district as well as any other agency.
- Due to influx of population during the construction period of the project, threat to local culture, security of local residents, pollution of local area, scarcity of drinking water cannot be overruled for which the state government and requiring body should take necessary awareness drives and precautionary measures.
- In the awake of many public purpose projects, the requiring body should take an initiative for organizing Financial Literacy drive for the affected areas. It will be helpful for the landowners to use the liquid assets judicially and to infuse the habit of savings.
- The local Mahila Mandals and Youth Clubs should be made aware and encouraged to participate in implementation and monitoring of the R&R plan.
- Community assets such as bridge, roads, cremation site/graveyards and ropeway which is likely to be submerged need to be relocated well in time by the requiring body.
- Monetary Entitlement benefits provided in the Act, 2013 is a minimum. State Govt. should consider this issue and a favorable and acceptable R&R plan may be formulated. This was the main demand of the affected land-losers.

- During the public hearing, some stakeholder demanded compensation of residential structures to be Rs. 10 lakhs. Schedule 2 of the Act 2013 provides that if any family is affected in rural area so prefers, the equivalent cost of the house, the same has to be provided in lieu of the constructed house.
- During public hearing it was stated by one Muslim stakeholder that there are around 50 Muslim families who have constructed residential houses after identification of government land by the revenue department many years ago. But they have not been conferred the title till date. Such families need to be addressed properly by the state govt.

Final Conclusion

In view of above discussion, the SIA study team came to the conclusion that the benefits from the proposed projects shall exceed the social costs and adverse social impacts that are likely to be experienced by the affected families. If all the mitigation measures are considered, suggestions and recommendations are fulfilled well in time, the question of risks- concerning the conditions of affected population to be economically or socially worsen, shall not arise.

******

Chapter 8: Social Impact Management Plan

8. Social Impact Management Plan

Having identified the social impacts, the Social Impact Management Plan (SIMP) needs to be drawn up which would include the mitigation of the impacts and risks (low, medium, high) thereof and contain the strategies for managing the risks. This enables the project authority to ensure that mitigation and management strategies are aligned with those impacts upon the PAFs, communities in eight panchayats and management is governed to restore the income of the PAFs and provide infrastructures for the communities. The strategies being presented in this chapter came out of the public consultations and interaction with key stakeholders. The mitigation and management strategies would also address the cumulative impacts identified during the social impact assessment where appropriate and as necessary. This part of the SIA report has taken into account the inputs from the following parts of the report: Mitigation Plan, Rehabilitation & Resettlement and Entitlement framework. This chapter provides the institutional framework for implementation including Monitoring and Evaluation.

8.1. Development Initiatives under Mitigation Plan

As per the provisions of Section 6 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act of 2013 and Chapter II point 4 of the Himachal Pradesh Rules, 2015, the statutory requirement is to prepare a Mitigation Plan for the Requiring body to implement for the PAFs where the land acquisition takes place. The eight revenue villages come within the ambit of it. Following are some of the mitigation measures

1. Afforestation – The area of proposed land acquisition is depleting in terms of its forest cover as the average rain fall has reduced over a period of time. To restore the ecosystem and mitigate the ecological losses, afforestation can be undertaken in the government land. The process should involve the forest department, acquiring body and the community. These efforts will not only help in restoring the losses but also provide employment opportunity to local people.

2. Lift irrigation system - Agriculture is the main occupation of the people from hill top to bottom, which is getting adversely affected in the region as natural source of water are drying, locals used to use that water for year round agriculture but now due to paucity of natural sources of water, their agriculture income is adversely affected. As per the discussion with the locals, if the natural sources/ channels of water are revived and river water is lifted to the hill top and flown, farmers can make arrangements of cultivation from this water and their income and agriculture can be restored in the long run.

Such technology can be searched out with in the country as well as out of the nation and a pilot project can be initiated in the area for which special budget provision can be made by administration, requiring body and concerned department. A separate study can also be conducted to access the viability of such initiatives as well cost and impact of it in the area.

3. Water Supply and its Quality – As per the discussion and observation during the home visits and community meeting in **Moin** village of **Neether** Panchayat, the villagers are suffering from tooth disorders due to the excess fluoride in drinking water. Hence this issue should be taken up and arrangements should be made the test the quality of water and if **Fluoride** is evident in the water concern department must make arrangements for supply of safe drinking water.

4. Hospital - SJVN is running a hospital in the area and also providing free medical camps in the villages. Apart from that, they can run Ambulance (like NHM) having toll free number specifically for the pregnant ladies and infants/ old age people so that timely referral can be made. The existing hospital at Bayel which can be upgraded to L3 level hospital with HR, equipment etc. in consultation with Health Department and the Requiring Body.

Similarly, there is a PHC Neether has one PHC with only basic facilities which can be further upgraded to L2 Level facility having delivery facility and all essential test in consultation Medical and Health Department (NHM).

5. School and Scholarships – SJVN is running a school for better future and quality education of the children in the area, children from the PAFs may be considered for admission and fee concession also provide scholarships to students having highest score in the exams.

SJVN can help the students opting for higher education/ professional trades such as engineering, medical, law and CA/CS etc. for which they can share a percentage of fees/accommodation cost of the student and later absorb them in the organisation as per their skills. This is a long term investment for requiring body as well as great help to the affected families who are making efforts for their children education.

6. Technical Institution - Technical institution can be established in the area or collaborated with existing technical institution, having courses like Food Preservation and Processing, civil construction and electric related course apart from vehicle repair etc. related trades therein. A survey can be done to understand the future needs of the area, available resources and interest of the PAFs before finalising the trades for the technical institution.

7. All weather Roads – As per the observation of the area and demand of the villagers all weather roads must be built and maintained in the area. Gadej Panchayat is very close by the present set up of colony still the approach road to the village is not Pakka whereas this village is a major producer of **Organic Paddy** in the area. Hence, all weather roads connecting to all the affected villages must be ensured; government programmes and departments like PWD should be involved.

8. Free Power Supply to the Project Affected Families – Each PAFs shall be provided with 100 units of free power per month for 10 years after commissioning of the project.

9. Promotion of sports – Youth / Sports person from the PAFs shall be promoted, for that matter, SJVN can sponsor sports competition in the affected Panchayats and provide sports kits to the local sports clubs. Bright athletes can further be promoted and given employment opportunity in the project.

10. Awareness Camps – Empowerment and awareness of the society are the prerequisites for any community to develop various awareness programs related to health, nutrition, social rights, which shall be organised from time to time in the area. As per the observation of the SIA team, smoking and drinking is prevalent in the area, a special awareness drive should be started for the same.

Income Restoration Initiatives under Mitigation Plan

The hydro-electric project acquisition proposal covers Panchayats predominantly dependent on Horticulture for their livelihoods. This project will cause some positive and adverse impacts on the livelihoods of project affected families. It will have negative impact on the socio-cultural systems of their affected communities. Restoration of pre-project levels of income is an important part of rehabilitating such individuals, households, families, socio-economic and cultural systems in the project affected areas. Thus, the basic objective of income restoration activities is that all PAFs shall enjoy the quality of life as good as they enjoyed before the acquisition.

a) Promotion of Tourism – Here to mention that Shimla is connected to Spiti through National Highway which passes through this project side, if adequate attention is given by the administration, this area can be a developed as tourist destination as well as hub for water related activities /sports. River side camps and rafting can be promoted in the PPP mode which would generate regular income for the PAFs.

b) Forming and Strengthening Self-Help Groups (SHGs) - During FGD, PAFs were specifically asked about their preference for rehabilitation in case they are affected or displaced by the proposed project The Project should provide facilities for women to form SHGs or strengthen existing ones with proper training and processing infrastructure for earning their livelihoods.

c) Food Processing Units and Cold Storage – This area is rich in Apple and plum production and there are presently two private cold storage units established in the area. Possibilities of establishing government cold storage of smaller capacity can be explored by the concerned department and project authorities, which would be beneficial to small and marginal horticulturist. This would help them in storing the surplus yield at lesser price and some may gain employment as well.

Possibilities of establishing **Agro-based Food Processing Unit** should also be explored in the area. **Fishing and Related Processing Unit** can be another area for sustainable income source for the PAFs. All this can be explored in consultation with the concerned departments / district administration and entrepreneurs among the PAFS.

d) Institutional linkages for income restoration – During the survey, it was observed that majority of the eligible families for income restoration had been earning their livelihood through horticulture, petty businesses and livestock. Project can play a proactive role to mobilize PAFs to organize Self Help Groups (SHGs) to get some vocational/ skills training opportunities and also support in establishing forward and backward linkages for raw materials, inputs, besides marketing and credit facility. District administration and other stakeholders in institutional financing and marketing will prepare micro-plans for undertaking such activities. In case of creation of alternative livelihoods schemes, felt needs of the target group population will be studied and prioritized through people's participation. The PAFs will participate in developing feasible long- term income generating programs. Various poverty alleviation and income generation schemes

sponsored by Government of Himachal Pradesh and Government of India can be converged for income restoration of PAFs.

e) Project based Employmentt – PAFs can access to project-related employment opportunities such as work under the project construction and maintenance contractors.

<u>Development of Farmer & Community Oriented Setup</u> –

- Seed banks can also be promoted to safeguard the original/ indigenous seeds of the area and further promoted among farmers.
- *Gau-shala* can also be planned for the stray cow by the state government/ SJVN, to save guard farmers from loss of crops and plants because of them and promote organic farming (apple and other fruits) using cow dung.

- There is no regulated Mandi (Rural Haat) in the area which can support small, medium as well as big farmers. This type of initiative can be one of its kind in the apple growing areas.
- There is a need of Financial education for the PAFs, as it had been observed in many land acquisition for development projects- that whenever the bulk money has been disbursed to the families, that money is utilised not so judicially by the family members and generally spent on the luxuries and not so necessary items and changes the spending patterns and lifestyle of the individuals/families. Sometime this also causes loss of traditional and cultural practices prevailed in the society. Many families are not aware of the financial management as a whole, hence concern here is compensation money will not last for long and ultimately adversely affect the families as well as society in the long run. It is advisable that acquiring authority must organise **"Financial Literacy Camps''** in affected project area with the help of external agency and educate about the Financial Management.

The requiring body should consider preparing a detailed Mitigation Plan in accordance to the above mentioned suggestions, since it has been drafted from the specific feedback received from the local community and PAFs.

Local Area Development Fund

LADF Contribution is 1.5% and not 1% of the project cost for LADA during construction period of the project. Thereafter commissioning of the project 12% of free power to State Govt., additional 1% shall be earmarked for the LADF to provide a regular stream of income generation and welfare schemes creation of additional infrastructures and common facilities on a sustained and continued basis over the life of the project. The Govt. of HP may also provide matching 1% from its share of 12% free through plan/budgetary provisions to the LADF. This provision need to be given place in SIMP.

8.2. Recommendations for Mitigation of Social Impacts

This SIA report will be beneficial for the implementing agency for undertaking land acquisition process and also to prepare a Plan of Action according to the aspiration conveyed by the PAFs and others during public consultations and surveys. As per the Act 2013, the SIA study is unique in many ways. Pre land acquisition census and public consultation was done under SIA study. There was a good opportunity for the team to understand through FGD and PRA exercises the perception of the PAFs, the communities and the opinion makers in each village.

Generally, the loss of landed properties which are used for agricultural purpose and residential houses would need appropriate mitigation and compensation. In the light of the findings of the study, the following steps may be taken for successful implementation of the project:

During the FGD all the affected people were willing to provide their land for the hydro-electric project. Only few were raising reservation on the ground that anticipated compensation would be rather low. Further, proper in-time problem-free compensation to the affected people was demanded which would not make them feel their loss after acquisition of land. There must be a hassle-free payment procedure as they are

apprehending that delay would be faced after the lands are acquired. It is recommended that due compensation should be paid before taking possession of the acquired lands.

The SIA report identifies vulnerable PAFs like Physically and Mentally Challenged and Women-headed Households who will face adverse impacts due to land acquisition in the hydro-electric power project. It is recommended to provide additional support in terms of skill development and income restoration to at least one member from each vulnerable family.

Table 8.2.1 Key Impacts due to Hydro Electric Project and Suggested Measures for Mitigation

S. No.	Assessed Impact	Suggested Mitigation Measure
1	Loss of Land: 50.9712 hectares of private land in 8 revenue villages	The land acquisition will be undertaken in accordance with the Act 2013, and entitlement framework.
2	Impact on Livelihood/ income: 36 PAFs will lose their occupation due to 100% loss of agricultural land another 14 PAFs will loss 85% to 99%, and 1 PAF will loss between 70% to 84%	Some of the PAFs may be provided with employment as per their skill (one per family). For others self-employment, opportunities may be arranged through skill upgradation as per the Schedule-2 of Act 2013
3	Loss of residential or commercial structures	Due compensation for 54 residential and 37 other affected structures to be provided
4	Loss of assets attached to land/ house	Due compensation to be given to the respective PAFs
5	Loss of Common Properties	All the cultural properties and common property resources being impacted due to the project should be relocated with prior approval of the concerned community before starting the construction
6	Loss of Public Utilities	All community utilities such as HP SEB structure, electric power supply lines, telephone and television cables are to be identified for

		relocation
7	Impact on vulnerable group, like women headed etc.: 66 Women headed households; 73 unmarried daughter above age 18 years; and 12 widows	Beside admissible compensation, they may be provided with special assistance
8	Impact on Food Security: Loss of cultivable land are likely to be affected	Agriculture Department may be advised to assist the affected families to undertake intensive cultivation in the remaining land
9	Noise and Air pollution	Development and implementation of a management plan to mitigate the increased levels of noise, traffic, dust may be taken up in consultation with local people, within the permissible limit.

Table 8.2.2: Details of PAFs Loosing Land by Revenue Villages

S. No	Name of Revenue Village	No of PAFs loosing 100 % land	No of PAFs loosing 85% to 99 % land	No of PAFs loosing 70 % to 84% of land
1	Charontha	0	0	0
2	Reewali	2	0	1
3	Bhadrash	7	2	0
4	Gadej	5	2	0
5	Naola	0	0	0
6	Neether	12	3	0
7	Narola	1	0	0
8	Nirath	9	7	0
	Total	**36**	**14**	**1**

8.3. Outlay for SIMP implementation:

The entitlement framework and the process of rehabilitation and resettlement have been furnished earlier in the backdrops of the legal provisions applicable for the project affected families. Details of Cost of Resettlement and Rehabilitation has been worked out and given in tables 8.3.1. to 8.3.4

Table 8.3.1: Details of Compensation on Land

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S. No	Panchayat	Land acquired in Sqmt	Cultivated land (Sqmt)	Non Cultivated land (Sqmt)	Circle Rate **(4th** Category **cultivated** on national highway/ other road)	Circle Rate **(4th** Category **non-cultivated** on national highway/ other road)	Value of cultivated land (4*6)	Value of Non-cultivated land Rupees (5*7)	Total Valuation of land in Rupees (8+9)	Total Compensation for land in Rupees (10*2)
1	Charontha	3485	3372	113	1184	987	3992448	111531	4103979	8207958
2	Rewali	74322	61620	12702	5729	3774	353020980	47937348	400958328	801916656
3	Bhdrash	46396	42250	4146	2750	2292	116187500	9502632	125690132	251380264
4	Gadej	97358	84935	12423	460.5	383.75	39112567.5	4767326.25	43879893.75	87759787.5
5	Naola	13085	8131	4954	502	418	4081762	2070772	6152534	12305068
6	Neether	180998	152390	28608	1150.2	958.5	175278978	27420768	202699746	405399492
7	Narola	4248	2218	2030	2003	1670	4442654	3390100	7832754	15665508
8	Nirath	89820	71413	18407	4408	3673	314788504	67608911	382397415	764794830
	Total	509712	426329	83383					1173714782	2347429564

Table 8.3.2: Details of Compensation on Trees

S. No	**Name of Revenue Village**	**Fruit Trees**		**Non-Fruit Tree**		**Total no of trees(2+4)**	**Total (3+5) Compensation Amount**
		No of Fruit Trees	**Rate for fruit tree @5000 /tree**	**No of Non Fruit tree**	**Rate for non-fruit tree @3000/ tree**		
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Charontha	4	20000	5	15000	9	35000
2	Reewali	468	2340000	442	1326000	910	3666000
3	Bhadrash	621	3105000	595	1785000	1216	4890000
4	Gadej	508	2540000	489	1467000	997	4007000
5	Naola	478	2390000	445	1335000	923	3725000
6	Neether	1074	5370000	998	2994000	2072	8364000
7	Narola	625	3125000	601	1803000	1226	4928000
8	Nirath	945	4725000	891	2673000	1836	7398000
	Total	**4723**	**23615000**	**4466**	**13398000**	**9189**	**37013000**

Table 8.3.3: Details of Rehabilitation and Resettlement Costs

Families displaced due to loss of housing unit	**54 families (including 9 SC/ST families)**	**Amount**
A house will be provided under Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). Each family will only get one house. If not opted for house, equivalent cost of the house would be offered.	Under PMAY 2016 notification of HP government, the allowance for each house would be 1.30 lakhs in hilly states 54 families x 130000 (tentative)= 7020000	7020000
One-time payment of 5 lakhs per PAF or, under annuity policy, 2000/- per month per family for 20 years	54 families x 500000= 27000000	27000000
Subsistent grant of 3000/- for each family for one year In case of SC/ST, additional one-time grant of 50000/-	54 families x 36000= 1944000 9 SC/ST families X 50000= 450000	2394000
One-time shifting cost of 50000/- per family	54 families x 50000= 2700000	2700000
One-time "Resettlement Allowance" of 50000/- per family	54 families x 50000= 2700000	2700000
PAFs with loss of cattle-sheds/ petty shops	91-54=37 families	
One-time grant financial assistance of minimum 25000/- to construct cattle-sheds or petty shops	37 families x 25000= 925000	925000
	Total Estimation	**42739000**

Table 8.3.4: Details of Total Costs for Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement

S. No.	Details of the costs	Amount
1	Compensation for land**	2347429563.50
2	12% interest on the compensation (land) amount	281691547.62
3	Compensation for trees	37013000.00
4	Rehabilitation and Resettlement costs	42739000.00
5	Total Cost	2708873111.12
6	Miscellaneous (10% of the total cost)	270887311.11
	Total (5+6)	**2979760422.23**

***The compensation for land acquisition doesn't include compensation for standing crops.*

Information collected during the survey is based on the interviews of the PAFs and the information provided by them is considered true but it is not the authentic version of ownership entitlement. The total land area belonging to the private comes to 50.9712 hectares for which, on the basis of the computation of compensation formula, the tentative land compensation (excluding compensation for standing crops) works out to Rs. 2347429563.50/- (Rupees two thirty-four crores seventy-four lakhs twenty-nine thousand five sixty-three and fifty paisa only). At 12 percent rate of interest on the compensation of land, an amount of 281691547.62/- (Rupees twenty-eight crores sixteen lakhs ninety-one thousand five hundred forty-seven and sixty-two paisa only) has been estimated for payment as per Section 30(3) of Act 2013.

The compensation for trees is estimated as 37013000/- (Rupees three crores seventy lakhs thirteen thousand only). However, the number of the trees will be enumerated and the actual value will be assessed by the competent authorities.

This estimation of compensation for land acquisition doesn't include compensation for standing crops. The cash compensation against crops will be provided at market cost of mature crops based on the average production.

The entitlements for R&R expenses are totalling to Rs. 42739000/- (Rupees four crores twenty-seven lakhs thirty-nine thousand only). The total for land acquisition including R&R is estimated as Rs. 2979760422.23/- (Rupees two ninety-seven crores ninety-seven lakhs sixty thousand four hundred twenty-two and twenty-three paisa only). However, the final compensation amount for the land acquisition and structures will be determined by the

Competent Authority as per the Act 2013. The traditional forest-dwellers may also be compensated as per the provision for the Schedule -2 of Act 2013. Further, the cost of the Mitigation Plan has not been included in the said computation.

8.4. Institutional Arrangement Appraisal of Social Impact Assessment Report

Social Impact Assessment report must be evaluated by an independent multi – disciplinary expert group as may be constituted by the government. As per the Act 2013 under sub section (1) section 7, the expert group shall include the following –

- Two Non-official social scientists.
- Two Representatives of Panchayats, Gram Sabha.
- Two Experts on Rehabilitation.
- A technical expert in the subject relating to the project.

The Government may nominate a chairperson from the expert group itself. The expert group has to make a recommendation within two months from the date of its constitution as to whether the project shall be abandoned or be continued.

8.5. Rehabilitation and Resettlement Plan/Scheme and Social Audit.

As per the act 2013, where land proposed to be acquired is equal to or more than 100 acres, the government shall constitute a "Rehabilitation and Resettlement Committee'' under the chairmanship of the Collector. This committee would aim to review the progress of implementation of Rehabilitation and Resettlement Schemes or plan and to carry out the post-implementation Social Audit in consultation with the Gram Sabha. The members to be involved in the process of implementation and social audit thereafter, may be as follows:

1. A representative of women residing in the affected area.
2. A Representative each of SC and ST residing in the affected area.
3. A Representative of a voluntary Organisation (NGO) working in the area.

4. The Land Acquisition Officer of the Project.
5. The Chairperson of the Panchayat of the affected area or their nominee.
6. Member of Parliament and Member of Legislative assembly of the concerned area or their nominee. (GP Pradhan)
7. A Representative of Requiring Body.
8. Administrator for R&R as the Member – Convenor.

8.6. Grievance Redressal Committee (GRC)

Efficient grievance redressal mechanism shall be developed to assist the PAFs to resolve their queries and complaints. Grievances of PAFs shall be first brought into the attention of field level functionaries of the project. Grievances not redressed by then will be brought to the Grievance Redressal Committee (GRC). The composition of the proposed GRC may be the same as R&R Committee. This Committee may meet on the monthly basis or the case may be defined by the state Government.

The main responsibilities of the GRC may be:

i. Provide support to PAFs on problems arising from land / property acquisition;
ii. Record PAFs grievances, categorize and prioritize grievances and resolve them; and,
iii. Report to PAFs on developments regarding their grievances and decisions of the GRC.

Other than disputes relating to ownership rights under the court of law, GRC will review grievances involving all resettlement benefits, compensation, relocation, replacement cost and other assistance. When any grievance is brought to the field level functionaries, it should be resolved within 15 days from the date of complaint. The GRC will meet every month (if grievances are brought to the Committee), determine the merit of each grievance, and resolve grievances within a month of receiving the complaint — failing which, the grievance will be referred to appropriate Court of Law for redress. Records will be kept of all grievances received including: contact details of complaint, date of the complaint, nature of grievance, corrective

actions taken and the date these were effected, and final outcome. A flow chart of grievance redressal mechanism is indicated in Figure -8.6.1 below:

Figure-8.6.1: Stages of Grievance Redressal

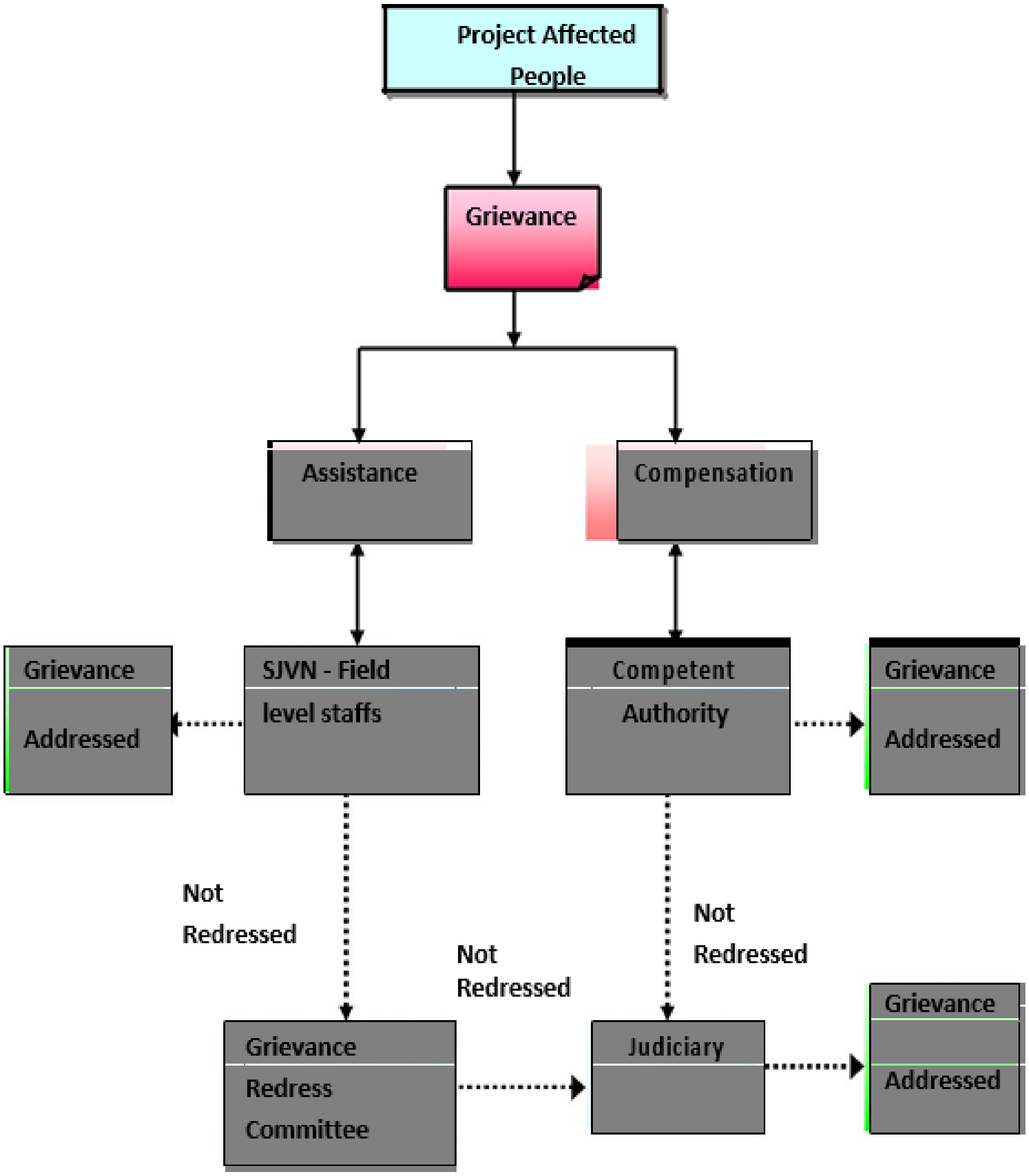

8.7. Monitoring and Evaluation

Monitoring and Evaluation of the SIMP implementation is necessary as activities are to be executed by many agencies in a time bound manner. Monitoring involves periodic checking to ascertain whether activities are progressing as per the schedule whereas Evaluation is to assess the performance of the SIMP. For this purpose, a Monitoring and Evaluation plan needs to be developed to provide feedback to the project authorities. Monitoring and Evaluation of R&R gives an opportunity to reflect on the success of the R&R objectives, strategies and approaches and to assess the efficiency and efficacy in implementation of R&R activities, their impact and sustainability. Monitoring will give particular attention to the project affected vulnerable families and groups such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, BPL families, women headed households, widows, old aged and the physically or mentally challenged persons. An independent evaluation through third party is also necessary for mid and end term evaluation of SIMP implementation.

8.7.1 Internal monitoring

The internal monitoring for SIMP implementation will be carried out by the project authorities where main objectives will be to report progress against the SIMP schedule; check that agreed entitlements are delivered in full to affected families and people; identify any problems, issues or hardship resulting from the SIMP implementation and to take corrective actions; monitor the effectiveness of the grievance system and measure the satisfaction of PAFs. Internal monitoring will focus on measuring progress against the schedule of actions defined in the SIMP. Activities to be undertaken by the project authorities will include liaison with the Land Acquisition team, construction agencies and project affected communities to review and report progress; verification of land acquisition compensation delivery against entitlements in accordance with the SIMP; verification of implementation of agreed measures to restore income and living standards of PAFs; identification of any problems, issues, or hardship resulting from resettlement process; assess project affected families and peoples' satisfaction with resettlement outcomes; and redress grievances of PAFs to follow up that appropriate corrective actions. Field level officers of SJVN, in charge of SIMP implementation will track the R&R progress. For this purpose, the indicators suggested are as given in table 8.7.1.

Table 8.7.1: Indicators for monitoring of SIMP progress

Physical	Extent of land acquired, number of structures dismantled, number of families affected, number of families purchasing land and extent of land purchased, number of PAFs receiving assistance/compensation, number of PAFs provided transport facilities/ shifting allowance, extent of government land identified for house sites, number of land users and private structure owners paid compensation
Financial	Amount of compensation paid for land/structure, cash grant for shifting, amount paid for training and capacity building of PAFs.
Social	PAFs knowledge about their entitlements, communal harmony, morbidity and mortality rate, taking care of vulnerable population etc.
Economic	Number of Jobs provided to the entitled families, number of business re-established, utilization of compensation, house sites/business sites purchased successful implementation of Income Restoration Schemes implemented
Grievance	Number of community level meeting, number of grievance redressal meetings held, number of cases disposed by Project authorities to the satisfaction of PAFs, number of grievances referred and addressed by the concerned authorities

8.7.2 Independent evaluation

An Independent Evaluation Agency may be hired by the Project for mid and end term evaluation to achieve the following: (a) verify results of internal monitoring; (b) assess whether resettlement objectives have been met, specifically, whether livelihoods and living standards have been restored; (c) assess resettlement efficiency, effectiveness, impact and sustainability; (d) ascertain whether the resettlement entitlements were appropriate to meeting the objectives and (e) this comparison of living standards will be in relation to the baseline information available. The

following table 8.7.2 should be considered as the basis for indicators in external evaluation of the SIMP.

Table 8.7.2: Indicators for Project Outcome Evaluation

S. No.	Objectives	Risks	Outcomes
1	The negative impact on the persons affected by the project will be minimized	Resettlement plan implementation may take longer time than anticipated	Satisfaction of the landowners with the compensation and assistance paid. Type of use of compensation and assistance by the landowners Satisfaction of structure owners with compensation and assistance Type of use of compensation and assistance by the structure owners
2	Persons and families losing assets to the project shall be compensated as per the Act and Rules	Institutional arrangement may not function as efficiently as expected	Percentage of PAFs adopted the skills acquired through training as only economic activity Percentage of PAFs adopted the skills acquired through training as secondary economic activity
3	Affected persons and families will be assisted in improving or regaining their standard of living	Authorities implementing SIMP may not perform the task as efficiently as expected	Percentage of PAFs reported increase in income due to training Percentage of PAFs got trained in the skill of their choice Role of project authorities in helping PAFs in selecting trade for skill improvement Use of productive assets provided to PAFs under one-time economic rehabilitation grant
4	Vulnerable groups will be identified and assisted in improving their standard of living	Unexpected number of grievances may arise PAFs falling below their existing standard of living	Type of use of additional assistance money by vulnerable group Types of grievances received Number of grievances forwarded to Grievance Redressal Committee (GRC) and the time taken to solve them Percentage of PAFs aware about the GRC mechanism

			Percentage of PAFs aware about the entitlement framework Opinions of PAFs about the approach and accessibility of the project authorities

******

References

1. Ministry of Agriculture, Govt. of India, "*Agriculture Census -2010- 11-All India Report on Number and Area of Operational Holdings",* 2014
2. Asian Development Bank (ADB), "*Compensation and Valuation in Resettlement: Cambodia, People's Republic of China and India"*; Report No. 9; The Philippines, Nov.2007
3. Economics and Statistics Department, Govt. of Himachal Pradesh, *"Brief Facts of Himachal Pradesh - 2014- 15"*, Shimla.
4. Himachal Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. Govt. of Himachal Pradesh *"Combined Resettlement and Indigenous Peoples Plan; India: Himachal Pradesh Clean Energy Transmission Investment Program, Tranche 3 (Draft)";* Shimla,2018
5. Satluj Jal Vidyut Nigam, Shimla *"Environmental Impact Assessment Report of Luhri Hydro Electric Project, Stage 1 (210 MW)*", Shimla Feb.2018.
6. Government of Himachal Pradesh, Department of Revenue, official website *"http://himachal.nic.in/index.php?lang=1&dpt_id=13",* Shimla ,)
7. The Gazette of India, New Delhi, "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013, No.30 of 2013", New Delhi, 2013.
8. Govt. of Himachal Pradesh, Department of Revenue, Shimla, *"Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation And Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules* 2015", Shimla, 2015
9. Kireeti K., Dr Yashwant Singh,(eds.) Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, (HP) - 2013, *"Productivity Analysis Of Apple Orchards In Shimla District Of Himachal Pradesh"*, Solan , 2013.
10. Government of Himachal Pradesh, Rural Development Department, Shimla *"Letter no SMH-06/2016-17 PMAY-G-RDD-424-47",* dated 2nd August 2016, regarding *"Allocation of Physical Targets and Financial Allocation under Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) for the year 2016 – 2017"*
11. World Bank, *"World Bank Financed Guiyang Rural Road, Project Laping- Liangshuijing Road: Resettlement Action Plan",* Washington*, April*, 2016:
12. Himachal Pradesh, SIA Unit, Shimla*, "SIA and RAP of 775MW Luhri HEP: Himachal Pradesh"*, August 2010.

13. Plan Foundation, Shimla, *"Social Impact Assessment Study for Land Acquisition at Bantony Castle Up Mohal Kali Bari, Tehsil Shimla (Urban), District Shimla",* Nov.2016.
14. Industrial Infrastructure Development Corporation, Bhubneshwar, *"Social Impact Assessment Study for Land Acquisition for Construction of Broad Gauge Railway Line Between Talcher and Bimalagarh in 16 villages of Sundargarh District, Odisha"*. Odisha.
15. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html

*****

Appendix - 1

SURVEY QUESTIONNAIRE

Social Impact Assessment, Hydro Electric Power Project
Stage I, (210MW), Himachal Pradesh

A. Project Name: ....B. Name of the Respondent:…………………

C. Name of the Village: ……..……… D. Name of GP……………………………………

E. Block: ……………….……………… F. District: ……………………………………. ….

G. Thana No: ……………………………H. Plot No. ....

1. Ownership of the Land

   1. Private 2. Government 3. Religious 4. Community 5. Others.. …. ☐

2. Type of Land

   1. Irrigated 2. Non-Irrigated 3. Barren 4. Forest 5. Others…… ☐

3. Use of Land

   1.Cultivation 2. Orchard 3. Residential 4. Commercial

   5. Forestation 6. No Use/ Barren 7. Other (specify) …………………. ☐

4. Affected area of the Land/Plot (in Acre): ………………......................

5. Total Area of the affected Land/Plot (in Acre): ………………....................

6. Total Land Holding of the Affected Person (in Acre)

   1. Irrigated: …………………............. 2. Non-irrigated: …………………................

   3. Other: …………………….….…. 4. Total: ....

7. Status of Ownership

   1. Titleholder 2. Customary Right 3. License from Local Authority

   4. Encroacher 5. Squatter 6. Other (specify): …………………………….. ☐

8. Type of Private Ownership

   1. Individual/Single 2. Joint/Shareholders 3. Other (specify): …………. ☐

9. Name of the Owner/Occupier (s): ………………………..

10. Father's Name: ....

11. Rate of the Land (Per Acre)

    1. Market Rate: .... 2. Revenue Rate: ....

12. Any of the following people associated with the Land

    A. Agricultural Laborer 1. Yes 2. No ☐

    Name (i)………………………………………… (ii) …………..……………………………..

    B. Tenant/Lessee 1. Yes 2. No …………………. ☐

    Name (i)………………………………………… (ii) …………..……………………………..

    C. Sharecropper 1. Yes 2. No ☐

    Name (i)………………………………………… (ii) …………..……………………………..

13. Any structure in the Affected Land 1. Yes....... 2. No................ ☐

14. Distance of the main structure from center line of the road (in mtr.)…………….………

15. Distance of boundary wall (if any) from center line of the road (in mtr.)…………………

16. Area of the affected structure (in Square Meter)

a) Length ....… b) Width .... c) Height …………………

17. Area of the boundary wall only (in Meter): a) Length ....b) Height …….

18. Area of the total structure (in Square Meter)

a) Length ....….. b) Width .... c) Height …………………

19. Scale of Impact on structure

a) 25% b) 50% c) 75% d) 100%...

20. Type of Construction of the Structure…………………………………………….

1. Temporary (buildings with mud/brick/wood made walls, thatched/tin roof)
2. Semi-Permanent (buildings, with tiled roof and normal cement floor)
3. Permanent (with RCC, Single/ Double storey building)

21. Type of Construction of the Boundary Wall (use code from Question: 20)

22. Age of the Structure (in years): ……………………………………………………

23. Market Value of the Structure (in Rs.): ………………….................................

24. Use of the Structure (select appropriate code from below)

A. Residential Category

1. House 2. Hut 3. Other (specify)………………………………

B. Commercial Category

4. Shops 5. Hotel 6. Small Eatery 7. Kiosk 8. Farm House
9. Petrol Pump 10. Clinic 11. STD Booth
12. Workshop 13. Vendors 14. Com. Complex
15. Industry 16. Pvt. Office 17. Other (specify)…..

C. Mixed Category

18. Residential-cum-Commercial Structure

D. Community Type

19. Community Center 20. Club 21. Trust 22. Memorials
23 Other
(specify)……………………………….………………

E. Religious Structure

24. Temple 25. Church 26. Mosque 27. Gurudwara 28. Shrines
29. Sacred Grove 30. Other (specify)……………………………

F. Government Structure

31. Government Office 32. Hospital 33. School 34. College
35. Bus Stop 36. Other (specify)……………………………..

G. Other Structure

37. Boundary Wall 38. Foundation 39. Cattle Shed
40. Other (specify)…………………………….………………………………….

25. Type of Business/Profession by Head of Household: …………………………………

26. Status of the Structure

1. Legal Titleholder 2. Customary Right 3. License from Local Authority
4. Encroacher 5. Squatter

27. Any of the following people associated with the Structure?

A. Tenant in the structure 1. Yes 2. No

Name (i) ……………………………………. (ii) …………………..……………….…….

(iii) ……………………………………. (iv) ……………..………………….……..

B. Employee/ wage earner in commercial structure 1. Yes 2. No ☐

Name (i) ……………………………………. (ii) …………………...……………..……….

(iii) ……………………………………. (iv) ……………..………………..………..

C. Employee/ wage earner in residential structure 1. Yes 2. No ☐

Name (i) ……………………………………. (ii) …………………...……………..……….

(iii) ……………………………………. (iv) ……………..…………………………..

28. Number of trees within the affected area

1. Fruit Bearing…………..…2. Non-fruit Bearing……………3. Total…….………….

29. Social Category of Affected Household

1. SC 2. ST 3. OBC 4. General

5. Others (specify)……………………………………………………………………….. ☐

30. Religious Category

1. Hindu 2. Muslim 3. Christian 4. Buddhist

5. Jain 6. Other (specify)……………………………………………………… ☐

31. Number of family members Male……… Female………. Total………….

32. Number of family members with following criteria

1. Unmarried Son/brother > 21 years……2. Unmarried Daughter/Sister > 18 years……

3. Divorcee/Widow…………4. Physically/Mentally Challenged Person …………

5. Minor Orphan……………

33. Vulnerability Status of the Household:

A. Is it a woman headed household? 1. Yes 2. No……………… ☐

B. Is it headed by physically/mentally challenged person? 1. Yes 2. No

C. Is it a household Below Poverty Line (BPL) 1. Yes 2. No……………….. ☐

34. Annual income of the family Rs………………….

35. If displaced, do you have additional land to shift? 1. Yes 2. No………… ☐

36. Resettlement/ Relocation Option

1. Self Relocation 2. Project Assisted Relocation……………………………. ☐

37. Compensation Option for Land loser

1. Land for land loss 2. Cash for Land loss………………………………….. ☐

38. Compensation Options for Structure loser

1. Structure for structure loss 2. Cash for Structure loss……………………. ☐

39. Income Restoration Assistance (fill codes in preferred order)……………………

1. Employment Opportunities in Construction work
2. Assistance/ Loan from other ongoing development scheme
3. Vocational Training
4. Others

40. Details of Family Members: (fill appropriate code)

Sl. No	Name of the Family Member	Age	Sex	Marital Status	Education	Occupation
		in years	1. Male 2. Female	1. Married 2. Unmarried 3. Widow 4.Widower 5. Others	1.Illiterate 2.Literate 3. Up to middle 4. Below metric 5. Metric 6. Graduate 7. Above Grad. 8. Below 6 years	1. Service 2. Business 3. Agriculture 4. Study 5. Housewife 6. Labour 7. Unemployed 8. Professional 9. Below 6 years 10. Old/inactive
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

41. A 1 Health Care Facilities - Existing System and Gaps

A2. What are the common diseases in the area?

A3. How adequate is the healthcare facility?

A4. What are the general gaps of health care services? (√ the appropriate reasons)

01	Poor Road	02	Lack of Hospital/
03	Lack of Doctors	04	Lack of Nurses/
05	Lack of Medicine	06	Lack of facilitators
07	Lack of	08	Poverty
09	Others, Specify		

A5. Is there HIV/ AIDS/ STD prevalent in region?
Yes -1 No-2

A6. If yes, what measures can be taken to stop spread of STD/ HIV/ AIDS?

B. Education Facility – Existing system and Gaps – ICDS programe

B1.	ICDS/ Anganwadi School in the village	Nos.	Males		Females		
B2.	Is attendance regular?		01	Yes		02	No
B3.	Is Mid Day Meal (MDM) available?		01	Yes		02	No
B4.	Is there any complain about MDM		01	Yes		02	No

B5. Kindly provide the following information of your village.

Education	**No. of Village Children attending the school**	**Distance**	**Mode of Transport**	**Problems Faced**
Primary School (upto Class V)				
Middle School (Class VI - VIII)				
Secondary School (Class IX - X)				
Higher Secondary (Class XI - XII)				
College				
University				
Technical Institute				

C. Other Facilities

C1. What is the main source of water?

For drinking --for other usage-----------------------------

C2. Is there electricity supply in your house: Yes-1 No-2

C3. Is sanitation (toilet) facility available? Yes-1 No-2

C4. If yes specify: 1. Private 2. Public, 3. Pay and Use, 4. Open area, 5. Others

D. Gender

D1. Main Earning member in the family: 1.Male 2. Female

D2. Participation of women in agricultural activities:……….. (%)

D3. Participation of women in allied agricultural activities:……….. (%)

D4. Role of women in decision making 1. Yes 2. No

D5. How much travel distance covered on every day

D6. Common health problems associated with women

Types of Diseases	How many times in a year	Type of Treatment*	Treatment Centre Govt. Hospital/Private Doctor

1. Allopathic 2. Homeopathic 3. Ayurvedic 4. Unani 5. Treatment at home 6. Any other specify

E. Govt. Development Schemes

E1. Have you availed any benefit under Central or State Govt. Scheme 1. Yes 2. No

Scheme	**CSS or State Govt.**	**Purpose**	**Amount Availed**	**Training**
NREGA				

F. Income and Expenditure

Income		**Expenditure**			
Source	**In Rupees**	**Items**	**In Rupees**	**Items**	**In Rupees**
Agriculture		Food & Cooking fuel		Electricity/Utilities	
Commercial				Water	
Service (Pvt./Govt.)		Clothing		Social events	
Livestock		Transport		Agriculture (labour/tools)	
Remittance (money order, etc)		Healthcare Medicines		Seeds/fertilizers/ pesticides	
Others (Specify)		Education		Others (specify)	
TOTAL				**TOTAL**	

G. Indebtedness

G1. Please indicate your borrowings during last one year

Source	Amount taken (in Rs.)	Purpose of Loan	Amount returned (in Rs)	Balance
Bank(sp. which bank)				
Private money lender				
Others (sp.)				

H. Assets available with affected family

S.No.	Productive Assets	S.No.	Other Assets
1	Vehicle (two / four wheelers)	1	Refrigerator
2	Machine if any	2	Washing machine
3	others (specify)	3	Ceiling Fan
		4	Radio / Television
		5	Computer
		6	Others (specify)

I. Cropping Pattern *(Ask for only Major Crops)*

Season	Sl. No.	Crop Name	Area cultivated (ha / acres)	Production (Kg per ha/acre)	Rate (in Rs./Kg*.)
Autumn Plant Kharif (Nov.-Mar)	1				
	2				
	3				
Spring Plant Rabi (July-Nov.)	1				
	2				
	3				
Summer Plant (Mar-July)	1				
	2				
	3				
Horticultural Crops (Seasonal/Perennial)	1				
	2				
	3				
	4				

J. Project Related Information

Are you aware of the proposed project		1	YES	2	NO
If yes what is the source	TV – 1	Newspaper - 2	Govt. officials – 3	Other villagers – 4	Other - 9

Positive impacts perceived		Negative Impacts Perceived	
Increase in employment opportunity	1	Loss of land	1
Increase in vehicle speed	2	Pressure on existing infrastructure	2
Increase in business opportunity	3	More visitors/population	3
Increase in land price	4	Conflict with outsiders	4

Better reach /access to towns	5	Increase in road accidents	5
others	9	Others (increase in incidents of HIV/AIDS and Trafficking etc.)	9

42. The degree of information about the right to land acquisition, rehabilitation and resettlement Act: (rate it on the scale of 0-5, where 0 stands for no idea and 5, profuse awareness) ☐

43: Are you aware of the hydro Electric Power Project being set up in your area? ☐

a. Yes b. No c. Somewhat yes d. others, please specify

44. Do you feel that by setting up the project, you would get improved information about health, hygiene and education? ☐

a. Yes b. No c. Somewhat yes d. others, please specify

45. What do you expect from state government to improve upon your employment opportunities?

………

46. Do you aspire for job opportunities in the plant?

……………………………………………………………………………..

47. What are the major challenges you confront with after land being used by hydroelectric project?

……..

48. What is anticipated impact of project on women, children, disables and destitute workers?

………..

Signature of Interviewer Signature of Respondent

Appendix - 2

List of Respondents Interviewed

Sr. No.	Name of the Respondent	Owner's name	Father's/ Husband's Name	Mobile number	Aadhar number
	Rewali				
1	Rahul	Rahul	Late randeep singh	9816194519	812910191406
2	Susheel chahuan	Susheel chauhan	Sh. Prithvi pal singh	9817336990	571174314062
3	Nikesh chauhan	Bimla devi	Late. Ravi ram	9817202112	258823754256
4	Neelam	Neelam	Ram lal	9418994232	822204352610
5	Sababu devi	Sababu devi	Lt devi ram	9816156287	805709367941
6	Sapna chauhan	Dev pal/ man das	Man das	N.A.	391235203548
7	Rekha chauhan	Lt dharm singh	Lt jia lal	9816137290	476072854043
8	Rekha chauhan	Virma devi	Lt jiya lal	9816137290	476072854043
9	Jagdish	Jagdish	Lt jiya lal	9815529944	N.A.
10	Alka chauhan	Late. Karam singh	Late. Haraz nand	7807329198	616134848192
11	Alka chauhan	Late. Karam singh	Late. Haraz nand	7807329198	616134848192
12	Saurav	Saurav	Late sh. Sundar singh	N.A.	741242369294
13	Shivani	Shivani	Late sundar lal	N.A.	732214986755
14	Rpina	Ripna	Sh. Seeta ram	9418041577	367726168847
15	Seema	Khushi ram	Sh. Ram dass	9459125814	906173433987
16	Seema	Kiran dev	Man sukh	90617343687	952313678699
17	Seema	Shana devi	Man sukh	9459125814	380150907587
18	Seema	Kiran dev	Man sukh	90617343687	952313678699
19	Seema	Shana devi	Man sukh	9459125814	380150907587
20	Shyam singh	Lal sing	Lt gur dhyan singh	8629029089	626215346188
21	Rajender singh	Lt ramesh	Lt sh gurudayal ji	N.A.	357281942113
22	Rajender singh	Pushpa devi	Ict gurudayal	9418815074	357281942113
23	Rajender sigh	Virma devi	Lt guru dayal	9418815074	357281942113
24	Rajender singh	Rajender singh	Lt shri jeet ram	9418815074	357281942113
25	Rajender singh	Pingla devi	Lt guru dayal	9418815074	357281942113
26	Davinder	Davinder	Jadev singh	9816889067	869376772049
27	Davinder	Bimla devi	Lt kooma nand	9816889067	869376772044

28	Ashok	Mina devi	Koona nand	7018042815	323684323841
29	Ashok	Krishna	Kooma nand	9418042815	323684323841
30	Ashok	Kamla devi	Kouma nand	7018316593	323684323841
31	Anil thakur	Lt pyare lal	Lt dala ram	9805818199	346905761512
32	Govind	Uma devi	Dil chand	987389347	79489003819
33	Hans raj	Hans raj	Late dharm ingh	8894961592	468953482999
34	Harnam	Harnam	Late. Dina nath	9817568413	569752579547
35	Shyam thakur	Shyam thakur	Lt shri puran chand	8629029089	626215346188
36	Raj kumar	Raj kumar	Lt puran chand	9459293506	326236780599
37	Alka chauhan	Alka chauhan	Rakesh chauhan	7807329198	616134843192
38	Raj kumar	Raj kumar	Lt purav chand	9459293506	326236780599
39	Syam singh	Krishna devi	Puran chand	8629029089	261111494066
40	Mukund lal	Mukund lal	Late sh. Gopal dass	8262964899	477840704696
41	Ranbeer singh	Ranbeer singh	Lt gopal das	8894868894	904959547698
42	Rekha	Rekha	Ashok kumar	8894299797	911232219061
43	Kamla devi	Kamla devi	Late sh. Devi ram	8894548967	220586012232
44	Pavan kumar	Neel chand	Dolu ram	9418181803	345376824783
45	Pavan kumar	Neel chand	Dolu ram	9418181803	345376824783
46	Pavan kumar	Neel chand	Dolu ram	9418181803	345376824783
47	Ramesh chand	Ramesh chand	Late. Lal chand	9816931786	974604366761
48	Ramesh chand	Ramesh chand	Late. Lal chand	9816931786	974604366761
49	Ramesh chand	Ramesh chand	Late. Lal chand	9816931786	974604366761
50	Sandeep kumar	Sandeep kumar	Late shri rattan das	9625596500	302116372676
51	Sunil kumar	Sunil kumar	Lt. Rattan lal	8629047922	596422845797
52	Neelam chauhan	Neelam chauhan	Sunil kumar	8894098996	221447419613
53	Kishori lal	Kishori lal	Navi ram	9816160785	780912031327
54	Devender singh	Devender singh	Late sh. Nakh ram	9625497745	690718139669
55	Rajat graik	Rajan graik	Prabhu singh	7018399951	524992795122
56	Yashua chauhan	Parvati devi	Nakiram	9816210917	796203194215
57	Rajinder singh	Rajinder singh	Lt javind lal	9816668407	727257903931
58	Rajinder singh	Sunder singh	Lt javind lal	9816668407	72725703931

59	Rajinder singh	Sulochna devi	Lt javind lal	9816668407	727257903931
60	Shushma chauhan	Sushma chauhan	S.h tek sinh	9418062275	6103960878756
61	Sulochna devi	Sulochana	Sanjeev	9418848880	38612424986
62	Bina devi	Late amar chand	Late keshav ram	9418671247	400591904366
63	Bina devi	Lt prakash chand	Lt kashav ram	9418671247	400591904366
64	Bina devi	Late amar chand	Late keshav ram	9418671247	400591904366
65	Satish chauhan	Satish chauhan	Late pattan dass	9816029955	527428614742
66	Duni chand	Duni chand	Jai sukh	9418309226	520705408371
67	Shakti singh	Shaliti singh	Jai singh	9418085344	228596481368
68	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
69	Gyana devi	Gyana devi	Lobh ram	7807650376	241009052007
70	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
71	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
72	Gyana devi	Gyana devi	Late sh. Lobh ram	7807650376	241009052007
73	SUNITA	CHANDAN LAL	KHUB RAM	9805082572	N.A.
74	Jiwanuram	Jiwansu ram	Dassu ram	9817753196	554263533092
75	Kumari bobby	Roshan lal	Dassu ram	8219664011	293997240037
76	HARI CHAND	HARI CHAND	LT DOLU RAM	9418550491	620666293356
77	NARIVENDER SINGH	narvinder singh	late sh. Shiv ram	9816334885	491645854722
78	SURENDER	MUKTA. W/O CH.MEHTA		9418169988	284327482112
79	UPHAR	UPHAR	LATE. SH. HEERA LAL JI	9817157761	273621527827
80	KALAWATI	CHANDAN LAL	KHUB RAM	9805082572	VOTER I.D. JQX0571893
81	UPHAR	UPHAR	LATE. SH. HEERA LAL JI	9817157761	273621527827
82	MAHAVIR SINGH	MALTU DEVI	BARASI	9418014532	404968776802
	Charontha				
1	Faquir chand	Faquir chand	Man singh	945932033	730495110876
2	Riksha devi	Sudhir kumar	Man singh	9418803477	256689814727
	Gadej				

1	Tara singh	Sg man singh	Lt sh sundersangh	8988137214	695201385571
2	Ajeet singh	Ajeet singh	Sh sunder singh	9805433413	666049688216
3	Roop singh	Roop singh	Sunder singh	N.A.	655146643600
4	Bhagat singh	Bagat singh	Sunder singh	9459823672	865824634889
5	Govind singh	Bagat singh	Sunder singh	8894098910	832375037606
6	Pushpa devi	Pushpa devi	Lt sh amar singh	9459182677	417566993817
7	Harnaw singh	Pushpa devi	Sh sunder signh	9418550811	312971546611
8	Gobind singh	Bhoop singh	Sunder singh	9418364510	885961915474
9	Perveen	Perveen	Late sh. Beer singh	9418160918	556767093118
10	Rajnish singh	Rajnish singh	Tuni yand	9418386117	604093450083
11	Dharmender	Bhoop singh	Dharmender	9418133012	285344265750
12	Dharmender	Bhoop singh	Dharmender	9418133012	285344265750
13	Dharmender	Bhoop singh	Dharmender	9418133012	285344265750
14	Kuldeep	Kuldeep		9418133012	362509022059
15	Pradeep singh	Bhoop singh		9418133012	569230059333
16	Joginder singh	Joginder singh	Lt ganga ram	9418132959	983045732011
17	Dilip singh	Dilip singh	Lt ganga ram	98176116833	868824048792
18	Ghuri	Ghuri singh		N.A.	846668263085
19	Mohan singh	Mohan singh	Sankru devi	9318022490	581532551891
20	Begmu	Begmu	Sanskru devi	9459328319	488343900789
21	Shiv kumar	Shiv kumar	Sidh gir	9817228800	25078390876
22	Ram krishna	Ram krishna	Sidr gir	9736170648	425723724842
23	Birma devi	Birma devi	Sh. Prem praksh	9418156156	303351892793
24	Alok	Alok	Late.pratap singh	9418505311	776472986332
25	Ashish	Ashish	Late pratap singh	9418505311	971299480247
26	Shailja	Satija	Late pratap singh	9418505311	856327351142
27	Aruna	Aruna	Late pratap singh	9418505311	339510109341
28	Vidhyar singh	Vidhyar singh	Sagat roy	9418208844	266382870062
29	Padam singh	Padam singh	Sangat ram	9805960366	437202633025
30	Muktyar singh	Muktar singh	Sangat ram	9805903806	5769976969928
31	Jai singh	Jai singh	Sh. Sangat ram	9459596135	362642075995

32	Ramesh chand	Ramesh chand	Late ram kishna	8894391944	85606313583
33	Pritam	Pritam	Late ram krishna	7807554601	962379047369
34	Jai pal	Jai pal	Late ram krishna	7018445110	732523313639
35	Rama devi	Rama devi	Late sh. Ram krishna	9459350147	512319177358
36	Sita devi	Sita devi	Late sh. Ram kreishna	8278744910	224894239380
37	Sandesha devi	Sandesha devi	Late ram krishna	9796004378	401679458093
38	Niru devi	Neeru singh	Late sh. Amar chand	N.A.	425734023288
39	Om prakash	Om praksh	Sh. Dharm nand	9418873392	511125417362
40	Durga dev shukla	Sagar shusant shukla	Durga dev shukla	9418056430	653752221852
41	Durga dev shukla	Sagar shusant shukla	Durga dev shukla	9418056430	653752221852
42	Ashish kumar	Savitri devi	Lt sakund lal	9805444526	N.A.
43	Ashok kumar	Ashok kumar	Lt makund lata	9805445276	484078007228
44	Santosh	Rajender	Lt makund lal	7018929133	596209740410
45	Kashmiri lal	Kashmiri lal	Lt shri ram nath	9817952015	767212514465
46	Faqir chand	Faqir chand	Late sh. Sidhir	9418456156	846343542278
47	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Sh. Shiv kumar	9179471421	596927543427
48	Anil kumar	Anil kumar	Sh. Shiv kumar	9418207751	689254606863
49	Sushil kumar	Sushil kumar	Sh. Prem kumar	9418120045	236720374355
50	Vijay kumar	Vijay kumar	Sh. Prem praksh	9418570765	87308248997
51	Chandr kala	Chander kala	Sh. Prem kumar	6418456156	571136268028
52	Raj kumari	Raj kumari	Sh. Prem kumari	9418150318	658318909509
53	Sunita	Sunita	Sh. Prem prakash	9459345868	397682256442
54	Saneh lata	Saneh lata	Sh. Prem prakash	9418436156	691095877757
55	Surinder kumar	Surinder kumar	Mohan girr	9418319093	537558259979
56	Punni	Punni	Mohan gir	9418935460	421149993666
57	Ramleela	Ramleela	Mohan girr	9129613942	311273594256
58	Sishu devi	Sishu devi	Moahn gir	8219271157	899180481683
59	Urmila devi	Urmila devi	Late sh. Mohan girr	98166783868	831806796805
60	Raj kumar	Raj kumar	Late sh. Satish kumar	98166138301	500228990326
61	Ram kumar	Ram kumar	Late sh. Satish kumar	9882215155	673145261321
62	Dayavati	Dayavanti	Khayali raau	8988470676	278899393077

63	Ashok kumar	Ashok kumar	Late karm singh	9418985240	582648506910
64	Ashok kumar (son)	Mira devi	Late karm singh	9418985240	582648506910
65	Ashok kumar (brother)	Kusumlata	Late karm singh	9816344354	582648506910
66	Jitender	Baldev thakur	Lt sohan lal	8219368313	249213595929
67	Jitender	Baldev thakur	Lt sohan lal	8219368313	249213595929
68	Marian sirkeck	Marian sirkeck		N.A.	N.A.
69	Viney sirkar			9816420213	650030727968
70	Anjula sirkak	Anjula	Late jagmohan	9816464764	279636862078
71	Koela devi	Sh. Damoder dass	Late sh. Bala ram	9418133012	N.A.
72	Noor ali	Noor ali	Noor din	9817255210	466464729832
73	Pawan kumar	Pawan kumar	Lt makund lal	9459986572	802817417673
74	Jitender	Baldev thakur	Lt sohan lal	8219368313	249213595929
75	Ashish	Durgesh goswami	Lt makund lal	9805445276	484078007228
76	Santosh kumar	Uma devi	Lt makund lal	9816041068	904362648267
77	Jitender	Ram singh	Lt bansi ram	7807250956	675602657194
78	Marian sirkeck	Marian sirkeck		N.A.	N.A.
	Nirath				
1	Yashpal	Lt champi ram	Lt ratan dass	9816311839	683484336513
2	Siptu ram	Nekram	Tasuram	9459383034	309785286785
3	Govind ram	Govind ram	Late plas ram	9816681190	694943735586
4	Dev kumar	Surender	Late dila ram	9459965894	279101134729
5	Dev kumar	Sumedha	Late dila ram	9459965894	279101134729
6	Dev kumar	Dev kumar	Late dila ram	9459965894	279101134724
7	Dev kumar	Dev kumar	Late dila ram	9459965894	279101134724
8	Bhutti	Parkash chand	Late dila ram	9459965894	279101134729
9	Jyoti devi			8626921188	571038051224
10	Bir singh	Bir singh	Padam dass	9418058776	276446470589
11	Sh. Prem ji	Puneet	Dnipraksh	9816504193	46076810703
12	Mamta devi	Mamta devi	Lt chand	8894677054	556910645300
13	Mamta devi	Mamta devi	Lt chand	8894677054	556910645300

14	Nijuram	Jawahar lal	Lt malu ram	9418964684	746111142350
15	Nijuram	Jiwan ram	Lt malu ram	9418964689	746111142350
16	Yashpal	Late champi ram	Late ratan dass	981631189	683484336513
17	Mandass	Man dass	Lt manshu	9418700283	672628202099
18	Gopal singh	Gopal singh		8628826376	514017401885
19	Prithvi singh	Prithvi singh	Jai lal	9857616675	845306049458
20	Subhadra devi	Subhadra devi	Lt tawar dev	7831068794	495380137334
21	Roshan lal	Roshan lal	Late sh. Sunki	9805864935	7725037223742
22	Kaula devi			N.A.	N.A.
23	Kamlesh devi	Kamlesh devi	Yamanad	8894095615	973045900085
24	Sulochna devi	Sulochna devi	Padam sdev	9418476350	641538183030
25	Rajeshwari devi	Rajeshwari devi	Padam dev	9817492355	730721156323
26	Sandeeep kumar	Lal singh	Jay singh	7093317228	915949717449
27	Sandeep kumar	Durgesh kumar	Lal singh	7093317228	918658258644
28	Chandra dev	Chandra dev	Nitya dev	9816334575	929922433846
29	Sandeep kumar	Hardeep	Gopal singh	7093317228	385293422254
30	Banku	Banku	Late jaburam	8988378641	963114905427
31	Ravinder singh	Ravinmder singh	Late sh. Charan dass	9805965988	965394503738
32	Urmila	Urmila	Late	8629033860	949024324641
33	Sunder vir singh	Sunder vir singh	Late sh. Karam chnd	9816317734	846131029461
34	Sohan lal	Sonlal	Sh. Ram chand	9857366231	773916893251
35	Bolu ram	Bholu ram	Ram chandar	9418210628	438931991687
36	Goverdhan singh	Goverdhan singh	Late daulat ram	9459389813	882926319419
37	Pyare lal			8894307681	83434885817
38	Meghu devi	Meghu devi	Fekdu ram	9882199027	9338059439439 53
39	Mangat ram	Preema devi	Bati ram	8988044015	819906081180
40	Bnaku	Banku	Fekdu	9736814317	N.A.
41	Kanta devi			N.A.	428088900963
42	Neelam ram	Leelar	Late manku	9817415607	830725570667
43	Aruna ndevi	Aruna devi	Sham lala	N.A.	N.A.
44	Pingla devi	Lupu devi	Late. Shb mullu ram	N.A.	824255566352

45	Geeta	Geeta devi	Sohan lal	9816442099	N.A.
46	Sonu	Sonu	Sohan lal	N.A.	N.A.
47	Sant ram	Sant ram	Jiyalal	8894285222	810292928870
48	Mangat ram	Mangatn ram	Jiya lal	8988044015	97754341865
49	Jalam singh	Jalam singh	Misharu	N.A.	940733718161
50	Mohan lal	Mohan lal	Charan das	7807254818	990617853493
51	Kamla rani	Kamla rani	Mirru ram	9759363755	667875169828
52	Raksha	Raksha devi	Karam chand	9805743485	685564711914
53	Savita devi	Savita devi	Shiv ram	8988871383	917008466125
54	Sunder lal	Sunder lal	Shiv ram	8626921188	628425381394
55	Pyarelal	Pyare lal	Shiv ram	9318182085	896343177615
56	Rupi ram	Rupi ram	Dilu ram	9418233701	698747853568
57	Gummi	Gummi	Barestu	N.A.	N.A.
58	Marenu devi	Marenu devi	Chein ram	8894098953	419603174611
59	Uma devi	Annat ram	Jiyalal	3453614536	661374699390
60	Bimla devi	Bimla devi	Sh kambu ram	N.A.	N.A.
61	Ashok kumar	Silu devi	Mohan lal	9418985240	N.A.
62	Roshan lal	Roshan lal	Fekdu ram	8219503103	875083527377
63	Peenu	Peenu	Fekdu	9736951375	389469600051
64	Govind singh	Govind singh	Ram dass	7807180607	549723046465
65	Deepa	Deepa	Sohan lal	9816442099	N.A.
66	Pratap singh	Pratap singh	Palas ram	9816202251	873677308620
67	Rameela devi	Rameela devi	Karam chand	9817815277	82076170226
68	Rameela devi	Lanta devi	Karam chand	N.A.	N.A.
69	Peendhu devi	Peendhu	Chunni lal	9817954803	600946802750
70	Meenakshi	Jay singh	Karamchand	N.A.	583329296118
71	Narender singh	Ram lal	Karamchand	N.A.	648883817187
72	Prem singh	Prem singh	Chunni	9817954803	30765196+BK23256
73	Roshani	Roshani	Chunni lal	9817954803	910213683872
74	Dhurvi devi	Dhurvi devi	Bhagat ram	9625917389	771946774000
75	Gopal singh	Gopal singh	Lt sh rattan dass	9625917389	451914301398

76	Vimla dev i			9459395180	607409282673
77	Palas ram	Palas ram	Lt sh rattan ram	9817807655	894190927185
78	Hari lal	Veena devi	Krishan	9816308515	654015521785
79	Sita devi	Sita devi	Krishan	9418960543	757886626496
80	Veermu devi	Veermu devi	Krishan	N.A.	228275328025
81	Hari lal	Hari lal	Krishan	9418571190	765368231157
82	Jawahar llal	Jawahar lal	Chandu ram	9817835267	632681518141
83	Pramod kumar	Pramod kumar	Sh tek chand	7018845881	211970703165
84	Reena devi	Yashpal	Chandu ram	9625618274	5168962583
85	Pratap singh	Pratap singh	Lt sh singhu ram	9459388472	833558336806
86	Chandu ram	Chandu ram	Lt sh singu ram	N.A.	954922852390
87	Keval ram	Keval ram	Lt angad ram	N.A.	961517016007
88	Ambru ram	Amber ram	Theesa	980517177	384251274554
89	Ram dayal	Ram dayal	Lt surjit ram	7807718091	296434268729
90	Jasvir singh	Jasvir	Ranvir singh	8894324072	993942893151
91	Gangi devi	Ganga devi	Hukum singh	9816070359	782262227013
92	Sapna rani	Sapna devi	Hukum singgh	9816589645	846231288784
93	Pinki devi	Pinki devi	Lt gangu devi	9418217865	55311390427
94	Sohan lal	Sohan lal	Jwala singh	94597372202	340224349748
95	Satish kumar	Satish kumar	Lt gurudass	9418217865	553111390427
96	Yamku devi	Yamku devi	Lt jivan lal	9418217865	553111390427
97	Munni devi	Munni devi	Lt dev singh	7807718091	296434268729
98	Vimla devi	Vimla Devi		9459395180	607409282673
99	Devanand	Deve nand	Lt hari dass	8894373739	N.A.
100	Lyk ram	Lyk ram	Lt jit ram	9418217865	553111390427
101	Reshmo devi	Reshmo devi	Lt jit ram	9418217865	553111390427
102	Bimla devi	Bimla devi		7807313116	291400663448
103	Geeta devi	Geeta devi	Lt rirja nand	9817524338	748897490003
104	Permender	Permender	Hjaidev sharma	9816459816	857071173255
105	Lata devi	Lata devi	Hukam singh	8894299576	325598098937
106	Hem raj	Hem raj	Roshan lal	9459804107	686622680433

107	Gopal singh			9882135531	919252663311
108	Vanita devi	Vanita devi	Sh swarvpa nand	N.A.	896297045254
109	Tikam dev	Tikam dev	Swarupa nand	9736312403	724051750725
110	Satpal	Satpal	Lt shyam dev	8219153544	457237685091
111	Swarupa nand	Swarupa nand	Lt shbiswa	9625873620	393308599334
112	Prashat	Ayodhya devi	Divya dass	9418922637	52628086699
113	Prem dev	Prem dev	Padam dev	8894095615	797847368377
114	Pushpa dutt	Pushpa dutt	Nitya dutt	9904875046	854320253185
115	Mast ram	Mast ram	Lt twas day	9816151541	4147013483232
116	Sanjeeb kumar	Bindu devi	Mast ram	9418175829	5815200661669
117	Tikam devi	Tikam devi		N.A.	207988223335
118	Rahul sharma	Ram dutt sharma	Lt jwala dutt	9817305951	821248117516
119	Shyam	Shyam dutt	Jwala dutt	9857432979	768088770059
120	Dev dutt	Dev dutt	Wala dutt	9805007601	489879844466
121	Kamla			9959518940	807332443706
122	Sunita devi	Sunita devi	Sh. Swarupa nand	N.A.	429343533029
123	Jagdesh	Jagdeah	Sham dass	8219722988	922784056495
124	Nirmla devi	Nirmla devi	Roshan lal	826514833	909824067955
125	Nahar singh	Nishant	Nhar singh	N.A.	N.A.
126	Teja singh	Tej singh	Pyare lal	9805833900	717563000615
127	Rajesh kumar	Rajesh kumar	Sh. Ram dayal	8219252970	425346362641
128	Prithvi singh	Kovshlaya devi	Sohnlal	8219910872	718886870948
129	Rajender singh	Rajneder kumar	Late roshan lal	9418615116	259237131492
130	Jeet singh	Jeet ram	Teddy singh	9805852700	929778329493
131	Sainu devi			9817622233	246719813580
132	Usha kapoor	Usha kapoor		9805012725	483025819169
133	Pankaj	Pankaj	Gopal krishna	9805012725	483025819169
134	Sudhanshu	Sudhanshu kapoor	Gopal krishna	N.A.	842980772828
135	Prithvi singh	Jay devi	Sohan lal	8219910872	66613811331
136	Prithvi singh	Kanta devi	Sohan lal	8219910872	979162541216
137	Om praksh	Mast ram	Mithnu ram	9817412453	655901018721

138	Rohsan dev	Late billa devi	Twar dev	9418453019	699939498201
139	Rohshan dev	Late billa devi	Twar dev	9418453019	699939498201
140	Rohsan dev	Late billa devi	Twar dev	9418453019	699939498201
141	Sher singh	Sher singh	Kailash chand	9736828273	514075668793
142	Padmdas	Dharam singh	Jeewan ram	9815366295	912262637886
143	Padm dass	Padm dass	Jeewan ram	9817245122	412262637886
144	Ishwar dass	Ishwar dass	Gopi dass	9459391999	733181628221
145	Padm dass	Padm dass	Jeewan ram	9817245122	412262637886
146	Kewal ram	Kewal ram	Gyan chand	9817598577	374143230114
147	Sudhanshu	Sudhanshu kapoor	Gopal krishna	N.A.	842980772828
148	Satish kumar	Satish kumar	Palas ram	9816677134	294459833240
149	Sumitra devi	Sumitra devi	Late sh. Nitya devi	9418569588	4637826000307
150	Bimla	Vimla	Sh. Poshu ram	N.A.	N.A.
151	Vimla devi	Bittu	Shiv lal	N.A.	N.A.
152	Sushila devi	Sushila devi	Charan dass	9816970491	N.A.
153	Kaushalya devi	Kaushlya devi	Sankru	N.A.	N.A.
154	Tek singh	Tek singh	Shankru singh	9816442099	N.A.
155	Amlesh	Amlesh	Malku	9817585881	384346954473
156	Leela ram	Leela ram	Late manku	9817415607	830725570667
157	Vikas	Vidaya	Gopal singh	70181124311	408164170594
158	Sunnu devi	Sunnu devi	Late shri mena ram	8894823077	85607256655
159	Siptu ram	Siptu ram	Tasi ram	9817245808	988669111455
160	Maina devi	Maina devi	Mulu ram	9736657418	458798457483
161	Banu devi	Banu devi	Pshu ram	7833034560	936626466353
162	Rajnish suingh	Fakrw ram	Theesha	9805171077	855607876965
163	Hari chand			9817524338	619818809199
164	Motu ram	Motu ram	Motu ram	8219007522	207675233122
165	Rajnish suingh	Fakrw ram	Theesha	9805171077	855607876965
166	Rattna devi	Rattna devi	Jai singh	9418073219	549747212514
167	Gulab singh	Sham lal	Sh. Nenu	7831828817	662728739557
168	Beli devi	Beli devi	Late jeet ram	N.A.	N.A.

169	Dalip singh	Dalid singh	Late. Sh jai lal	9129756619	287955639675
170	Mehar chand	Mehar chand	Malu ram	8988792388	312166875441
171	Ravinder	Ravinder singh	Late karam chand	9817793978	657685511073
172	Mal deep	Mal deep	Ram dayal	9418522318	622240979624
173	Nagesh pandit	Shakvmtha devi	Nitya dev	9459229482	237098174274
174	Tangdvc ram	Tangdav ram	Mathu	N.A.	24365302892
175	Herdayat singh	Hardyat singh		9418646945	872322686320
176	Kamla devi	Kamla devi	Kaul ram	9418126080	290054977490
177	Tata ram	Tata ram	Veeshani ram	9418132781	491013135439
178	Bal krishna	Bal krishna	Roshan lal	9816908055	N.A.
179	Hardayat singh			9805036104	281497393771
180	Sh. Prem ji	Pankaj	Om praksh ji	9816444022	998406117691
181	Asha devi	Shakshi devi	Veshashio	7018418813	588886006753
182	Ram dayal	Bahadur singh	Sh. Ganga shukh	9817770580	547334720620
183	Jawala dass	Jawala dass	Keshav ram	9459131863	392775519224,
184	Sh prem ji	Leela dhar	Lagan chnad	9816504193	463076810703
185	Marikana	Marikana+ ashuwani+ sarita	Late prem chand	9418475562	373812653529
186	Marikana	Marikana+ ashuwani+ sarita	Late prem chand	9418475562	373812653529
187	Marikana	Marikana+ ashuwani+ sarita	Late prem chand	9418475562	373812653529
188	Leela dutt	Leela dutt	Kahan chnad	9817280014	972709385749
189	Sheela devi	Surender kumar	Kahan chand	9817280014	972709385749
190	Ankita	Ankita	Prem chnad	94184755562	373812653529
191	Amitabh kapoor	Amitabh kapoor	Mani lal	980702038	962997821707
192	Sh. Prem ji	Ramesh	Leela dhar	981650493	463076810703
193	Bihari	Late leela	Mulu	9816886955	27572619737
194	Madhu kapoor	Madhu kapoor	Jiya lal	7807020238	460559839763
195	Duni chand	Prabhu dayal	Roop dass	9817183885	855228898939
196	Dunichand	Turu devi	Late doop dass	9459268545	742154625441
197	Duni chand	Tunu devi	Late roop dass	94506314484	558152998600

198	Sudarshan giri	Sudarshan giri	Biswambhar dass	9418065464	922330701413
199	Dalip singh	Daleep singh	Gopal singh	9805421950	754579261334
200	Asha	Asha devi	Lt girja nand handari	7807718166	600848647448
201	Sarfu devi	Sarfu devi	Late hari dass	9817824338	619818809199
202	Sh. Premji	Pankajt puneet	Om poshkejet	9816504193	463076810703
203	VED PRAKASH	SEEMA	LT MAST RAM	9816799329	572739727688
204	SHYAMKALI	BIRMA DEVI	Lt.Mast Ram	9816799329	588284742431
205	CHAND KUMAR	CHAND KUMAR	LT MAST RAM	9816822924	655729941824
206	VED PRAKHASH	VED PRAKASH	LT MAST RAM	9816799329	572739727688
207	MULCHAND	MULCHAND	HARI CHANDRA	9817792752	433427605225
208	DAYAL SINGH	GEETA DEVI	LT HARI CHANDRA		365234588035
209	DAYAL SINGH	DAYAL SINGH	LT HARI CHANDRA		365234588035
210	DAYAL SINGH	BACHIYA SINGH	LT HARI CHANDRA	9418646511	606677003012
211	YASH PAL	LATE CHAMPI RAM	LATE RATAN DASS	9816311839	688484336513
212	MAMTA DEVI		LATE CHANDU	8894677054	556910645300
213	NIJU RAM	JAWHAR LAL	LATE MALU RAM	9418964684	746111142350
214	NIJU RAM	JIWAN RAM	LATE MALU RAM	9418964689	746111142350
215	NINJU RAM	NINJU RAM	LATE MALU RAM	9418964689	746111142350
216	MANDASS	MAN DASS	LATE MASHU	9418700283	672628202099
217	VIKAS	VIDAYA	GOPAL SINGH	70181124311	408164170594
218	KARTAR	KARTAR	LT PREM CHAND	9882181708	977364112067
219	PINJARI DEVI	PINJARI DEVI	FEKDU RAM		
220	BALA DEVI	BALA DEVI	OMI RAM	9816975780	
221	SH. PREM JI	PANKAJ	OM PRAKSH JI	9816444022	998406117691
222	MAMTA DEVI		LATE CHANDU	8894677054	556910645300
223	SATISH	LATE RAJEET (ASHOK & NARESH)	LATE HUKUM	9418095071	490249063774
224	RANJANA	RANJANA	SHYAM LAL		
225	ROSHNI DEVI	ROSHNI DEVI	SHYAM LAL		

	Neether				
1	Mahavir singh	Maltu devi	Barasi	9418014532	404968776802
2	Nagin chand	Pritam chand	Lt tara chand	9816140351	701630997447
3	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
4	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
5	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
6	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
7	Kalyan singh	Kalyan singh	Late tara chand	8988278242	933903679608
8	Pankaj	Pankaj	Om prakash	N.A.	N.A.
9	Baldev	Lt roshna devi	Lt sohan lal	N.A.	249213595929
10	Santosh kumar	Santosh kumar	Ratan chand	N.A.	N.A.
11	Dharmpal	Dharmpal	Sh. Shyam lal	8988412181	285929851679
12	Pradeep kumar	Pradeep kumar	Shyam chand	N.A.	N.A.
13	Devi singh	Devi singh	Lalchand	N.A.	N.A.
14	Kuldeep chand			N.A.	N.A.
15	Roop dasi	Roop dasi	Rallu	N.A.	N.A.
16	Kemchand	Kemchand	Dhani ram	N.A.	N.A.
17	Sneha lala	Sneha lala	Shani ran	N.A.	N.A.
18	Heera lal	Heera lal	Devki nand	N.A.	N.A.
19	Kamla devi			N.A.	N.A.
20	Ashok ray	Kapil dev	Hinsu	N.A.	N.A.
21	Ashok kumar	Ashok kumar	Hinsu	N.A.	N.A.
22	Duni chand			N.A.	N.A.
23	Jay chand	Jay chand	Fula devi	N.A.	N.A.
24	Mani			N.A.	N.A.
25	Devendar singh	Devendar singh		N.A.	N.A.
26	Priya devi			N.A.	N.A.
27	Pisad ram			N.A.	N.A.
28	Seema devi	Seema devi	Raju	N.A.	N.A.
29	Chander mani			N.A.	N.A.
30	Kuldeep	Kuldeep + heera devi	Hari chand	N.A.	N.A.

31	Kuldeep	Kuldeep + heera devi	Hari chand	N.A.	N.A.
32	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
33	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
34	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
34	Ashok kumar	Ashok kumar	Shyam lal	N.A.	N.A.
35	Amit	Amit	Late satpal thakur	N.A.	209958999324
36	Nargesh katoch	Bimla devi	Pega ram	7807520554	439575492827
37	Kair singh	Kair singh	Lt tara chand	9816140381	701630947497
38	Ram prakash	Ram prakash	Lt sunder singh	9805963068	743940640744
39	Bhupender	Bhupender	Nagin chandra	9816140351	701600997447
40	Roshna devi			9817807635	792618343885
41	Ashok kumar	Ashok kumar	Mohan lal	98161640351	701630997447
42	Kala devi			N.A.	961517016007
43	Nageen chnad	Lt vanti	Tara chand	9816140351	701630997447
44	Ram singh	Ram singh	Lt paras ram	7807365732	384056428567
45	Shitla devi	Shitla devi	Angad ram	N.A.	961517016007
46	Raju devi			N.A.	961517016007
47	Naresh kumar			N.A.	961517016007
48	Nar das			7807193327	N.A.
49	Ram swaroop	Ram swaroop	Amar chand	N.A.	N.A.
50	Dhyan singh	Dhyan singh	Amar chand	N.A.	N.A.
51	Shitla devi	Shitla devi	Angad ram	N.A.	961517016007
52	Bhumkali	Bhumkali	Shyam chand	N.A.	N.A.
53	Jawahar lal	Jawahar lal	Shyam chand	N.A.	N.A.
54	Satpal	Satpal		N.A.	N.A.
55	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Aonkar chand	N.A.	N.A.
56	Pratap singh	Pratap singh	Dayalu ram	N.A.	N.A.
57	Mani devi	Mani devi	Keshav ram	N.A.	N.A.
58	Tejasvi ram	Tejasvi ram	Satya dev	N.A.	N.A.
59	Satpal	Satpal		N.A.	N.A.
60	Sundar singh	Sundar singh	Mohan lal	N.A.	N.A.

61	Rajender singh	Rajender singh	Shyam chand	N.A.	N.A.
62	Kushal singh	Kuldeep katoch	Kushal singh	N.A.	N.A.
63	Kushal singh	Yadav katoch	Kushal singh	N.A.	N.A.
64	Kushal singh	Raj kumari	Kushal singh	N.A.	N.A.
65	Mahender pal	Mahender pal	Saad ram	N.A.	N.A.
66	Suresh kumar	Suresh kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
67	Virender kumar	Virender kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
68	Sarojini devi	Sarojini devi	Robi	N.A.	N.A.
69	Sundari devi	Sundari devi	Robi	N.A.	N.A.
70	Gopi chand	Gopi chand	Suni ram	N.A.	N.A.
71	Guddu	Guddu	Robi	N.A.	N.A.
72	Gopi chand	Gopi chand	Suni ram	N.A.	N.A.
73	Lal chand	Lal chand	Suni	N.A.	N.A.
74	Pinka devi	Pinka devi	Bhag chand	N.A.	N.A.
75	Bichitir singh	Bichitir singh	Hari chand	N.A.	N.A.
76	Surjeet katoch	Mool chand	Hari chand	N.A.	N.A.
77	Bhim sukh	Bhim sukh	Ram sukh	N.A.	N.A.
78	Bheem sukh	Nan sukh	Ram sukh	N.A.	N.A.
79	Padi ram	Padi ram	Gurdass	N.A.	N.A.
80	Bharat bhushan	Bharat bhushan	Kapur chand	N.A.	N.A.
81	Deep chand	Duni chand	Doli ram	N.A.	N.A.
82	Kapur chand	Kapur chand	Param'ram	N.A.	N.A.
83	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Shyam lalu	N.A.	N.A.
84	Kailash chand	Kailash chand	Santosh ram	N.A.	N.A.
85	Suta devi	Suta devi	Amar chand	N.A.	N.A.
86	Pragya devi	Pragya devi	Amar chand	N.A.	N.A.
87	Gulshan	Gulshan	Bala ram	N.A.	N.A.
88	Sharda devi	Royal singh	Bala ram	N.A.	N.A.
89	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	945389837	725386069475
90	Jitender	Rekha	Anil kumar	N.A.	570088586601
91	Heera singh	Heera singh	Rup singh	9816414145	687212671074

92	Hari gopal	Hari gopal		N.A.	96157016007
93	Shakuntala	Nanyan dass	Prem dass	N.A.	N.A.
94	Baga mani			N.A.	N.A.
95	Gulab singh	Gulab singh	Kanu ram	N.A.	N.A.
96	Vidya chand	Vidya chand	Kanu	N.A.	N.A.
97	Shyam lal	Shyam lal	Dayalu	N.A.	N.A.
98	Sher singh	Sher singh	Nandlal	8265022600	784026889862
99	Meena singh	Meena singh	Abhi ram	N.A.	N.A.
100	Duni chand			N.A.	N.A.
101	Kapoor chand	Nogi devi	Jaishan	N.A.	N.A.
102	Mangla devi	Mangla devi	Jaishan lal	N.A.	N.A.
103	Mangla devi	Seema devi	Jaishan lal	N.A.	N.A.
104	Mungla devi	Sunita kumari	Jaishan lal	N.A.	N.A.
105	Mangla devi	Sanjay kumar	Jaishan lal	N.A.	N.A.
106	Ralshan	Amwal	Bala ram	N.A.	N.A.
107	Kusum lata	Kusum lata	Karam chand	N.A.	N.A.
108	Ram swaroop	Ram swaroop	Amar chand	N.A.	N.A.
109	Dhyan singh	Dhyan singh	Amar chand	N.A.	N.A.
110	Dhyan singh	Dhyan singh	Amar chand	N.A.	N.A.
111	Shakuntala	Hira lal	Prem dass	N.A.	N.A.
112	Krishna devi	Krishna devi	Tara chand	N.A.	N.A.
113	Binta devi	Binta devi	Tara chand	N.A.	N.A.
114	Usha devi	Usha devi	Tara chand	N.A.	N.A.
115	Ramila	Ramila	Tara chand	N.A.	N.A.
116	Nirmala	Nirmala	Tara chand	N.A.	N.A.
117	Pal singh	Pal singh	Tara chand	N.A.	N.A.
118	Mithnu	Mithnu	Sheemtu	N.A.	N.A.
119	Sarojini devi	Beeru	Sheemu	N.A.	N.A.
120	Deep chand	Deep chand	Doli ram	N.A.	N.A.
121	Harisingh	Harisingh	Aabhe ream	N.A.	N.A.
122	Sher singh	Nirmala devi	Nand lal	8265022600	742857866000

123	Samar singh	Samar singh	Bodh raj	8679275155	327282277936
124	Bhuvneshwar kumar	Jiu devi	Saadh ram	N.A.	N.A.
125	Ashok kumar	Ashok kumar	Karam chand	N.A.	N.A.
126	Naresh kumar	Ramesh	Lt ishwar das	N.A.	N.A.
127	Naresh kumar	Annu	Kartar singh	N.A.	203510693020
128	Naresh kumar	Manu	Lt kartar singh	9857432803	354033132193
129	Naresh kumar	Bunty	Lt kartar singh	9805277339	813933167080
130	Naresh kumar	Kaladevi	T kartar singh	9805277339	313471379191
131	Surjit kumar	Nitya devi	Bisha ram	N.A.	N.A.
132	Surjit kumar	Rachana	Mahender singh	N.A.	N.A.
133	Surjit kumar	Kirna	Mahender singh	N.A.	N.A.
134	Surjit kumar	Surjit kumar	Mahender singh	N.A.	N.A.
135	Bhuvnesh kumar	Pooja devi	Poran chand	N.A.	N.A.
136	Naar dass	Chandra mani	Jehrlu	N.A.	N.A.
137	Naar dass	Naar dass	Jehrlu	N.A.	N.A.
138	Nijuram	Ninju ram	Lt malu ram	9418964689	746111142350
139	Sudarshan giri	Baba balak nath sidhkut		9418065464	N.A.
140	Ajay	Asha	Lt nand lalji	9736883710	874164591856
141	Ganga	Ganga	Lt nand lal	8894383695	482394869980
142	Ajay	Kanta	Lt nand lal	8219614130	930492732861
143	Nargesh	Sangajan singh	Pega ram	941888692	501191822491
144	Nargesh katoch	Madan lal	Pega ram	7807520554	439575492827
145	Nargesh katoch	Karam chand	Jaisi ram	9418202715	N.A.
146	Parman chand	Parmar chand	Lt sh bhal chandy	9418472349	N.A.
147	Parman chand	Parmar chand	Lt sh bhal chandy	9418472349	N.A.
148	Parman chand	Parmar chand	Lt sh bhal chandy	9418472349	N.A.
149	Dharam chand	Dharam chand	Hira chand	N.A.	N.A.
150	Sunvay devi	Sunvay devi	Amar chand	N.A.	N.A.
151	Sundar singh	Govardhan singh	Gulbadan singh	N.A.	N.A.

152	Chandar prakash	Chandar prakash	Satya dev	N.A.	N.A.
153	Jaipal singh	Jaipal singh	Khimi ram	N.A.	N.A.
154	Vivek	Vivek	Lt sh satpal thakur	5.64378E+11	N.A.
155	Jitender	Jitender	Sh gopal singh	N.A.	675602657194
156	Kishan singh	Monni devi	Jawala dass	7018653473	467207096393
157	Naresh kumar	Dilmu devi	Lt ishwar das	9805277339	897111445569
158	Prem chand	Madhu ram	Lt sh uttam ram	8557862351	861745365928
159	Premchand	Madhu	Lt uttam ram	8557862351	861745365928
160	Heera signh	Tek singh	Lt rup singh	9.81635E+11	20717575267
161	Heera singh	Tek singh	Lt rup singh	N.A.	20717575267
162	Shankar + uikrant	Rambir singh	Ruplal	N.A.	N.A.
163	Kuldeep	Vijay kumar	Hari chand	N.A.	N.A.
164	Ajay pal	Mahavir singh	Ruplal	N.A.	N.A.
165	Abhi chand	Abhi chand	Nika ram	N.A.	N.A.
166	Mina devi	Mina devi	Dayalu	N.A.	N.A.
167	Raja devi	Jai chand	Lagan dass	N.A.	N.A.
168	Doli ram	Doli ram	Lagan dass	N.A.	N.A.
169	Rukam ram	Seekru	Teju	N.A.	N.A.
170	Kanshi ram	Kanshi ram	Teju	N.A.	N.A.
171	Bal mukund	Bal mukund	Shyam lal	N.A.	N.A.
172	Prakash chand	Prakash chand	Shyam lal	N.A.	N.A.
173	Gobind ram	Gobind ram	Jiya ram	N.A.	N.A.
174	Ram, dass	Ram dass	Jiya ram	N.A.	N.A.
175	Pawan kumar	Pawan kumar	Prem chand	N.A.	N.A.
176	Babhnesh kumar	Babhnesh kumar	Prem chand	N.A.	N.A.
177	Sanjiv kumar	Sanjiv kumar	Chanman lal	N.A.	N.A.
178	Bhuvneshwar kumar	Pushpa devi	Saadh ram	N.A.	N.A.
179	Kishori lal	Kishori lal	Dusu ram ji	N.A.	N.A.
180	Shashi bhushan	Shashi bhushan	Chanman lal	N.A.	N.A.
181	Somesh	Badhi singh	Lt bodhi raj	9418010149	460032732894

182	Jindi	Jindi	Haru	N.A.	N.A.
183	Kajlu	Kajlu	Shivu	N.A.	N.A.
184	Shashi sharma			N.A.	N.A.
185	Meera devi	Meera devi	Karam chand	N.A.	N.A.
186	Sita ram			N.A.	N.A.
187	Govind ram	Govind ram	Hardayal	N.A.	N.A.
188	Darshana devi	Darshana devi	Khimi ram	N.A.	N.A.
189	Hera mani	Hera mani	Rallu ram	N.A.	N.A.
190	Man singh	Man singh	Haru ram	N.A.	N.A.
191	Bhuvnesh kumar	Bhuvnesh kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
192	Kathu ram	Kathu ram	Balmu	N.A.	N.A.
193	Jinesh	Ram singh	Lt bansi ram	N.A.	530064996540
194	Pravesh kumar	Shakuntala devi	Shiv dayal	N.A.	N.A.
195	Parvesh kumar	Pravesh kumar	Shiv dayal	N.A.	N.A.
196	Prakash chand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
197	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
198	Mohar dass	Mohar dass	Dusu ram	N.A.	N.A.
199	Jagdish chand	Jagdish chand	Thakur dass	N.A.	N.A.
200	Bhagwan dass	Bhagwan dass	Jwala	N.A.	N.A.
201	Mehar chand	Mehar chand	Haru ram	N.A.	N.A.
202	Dharam singh	Dharam singh	Haru ram	N.A.	N.A.
203	Gopal dass	Gopal dass	Jaydayal	N.A.	N.A.
204	Subhadara devi	Jhave ram	Haru	N.A.	N.A.
205	Ugam ram	Ugam ram	Jindu ram	N.A.	N.A.
206	Kajlu	Chupu devi	Haru	N.A.	N.A.
207	Prabhu dayal	Prabhu dayal	Thakur das	N.A.	N.A.
208	Sitaram	Sitaram		N.A.	N.A.
209	Deshda devi	Deshda devi	Shyam chand	N.A.	N.A.
210	Hira singh	Hira singh	Mina ram	N.A.	N.A.
211	Samida devi	Samida devi	Shyam chand	N.A.	N.A.
212	Kushal singh	Kushal singh	Lal chand	N.A.	N.A.

213	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
214	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
215	Sushma	Chandramani	kapur chand	N.A.	N.A.
216	Hasyayi chand	Hasyayi chand	Shyam chand	N.A.	N.A.
217	Sunil kumar	Madan lal	Shukru lal	N.A.	N.A.
218	Sumesh chand	Sumesh chand	Sohan lal	N.A.	N.A.
219	Premchand	Premchand	Kansi ram	N.A.	N.A.
220	Dilip kumar	Dilip kumar	Mohan lal	N.A.	N.A.
221	Hoshiyar singh	Hoshiyar singh	Ram dass	N.A.	N.A.
222	Subharna devi	Subharna devi		N.A.	N.A.
223	Maan dass	Maan dass	Ram dass	N.A.	N.A.
224	Shaoni devi	Shaoni devi	Ram dass	N.A.	N.A.
225	Sudhir kumar	Sudhir kumar		N.A.	N.A.
226	Sanjota devi	Sanjota devi	Ram dass	N.A.	N.A.
227	Suma devi	Suma devi	Keshav ram	N.A.	N.A.
228	Mangla devi	Mangla devi	Keshav ram	N.A.	N.A.
229	Moru devi	Moru devi		N.A.	N.A.
230	Mani devi	Mani devi	Lal chand	N.A.	N.A.
231	Hem chand	Hem chand	Chasham ram	N.A.	N.A.
232	Pogla devi	Pogla devi	Hinsu	N.A.	N.A.
233	Manti	Manti	Daylu	N.A.	N.A.
234	Dila ram	Dila ram	Diyalu ray	N.A.	N.A.
235	Sanjay kumar	Sanjay kumar	Ragunand	N.A.	N.A.
236	Raghunand	Raghunand	Namalum	N.A.	N.A.
237	Vijay kumar	Vijay kumar	Raghunand	N.A.	N.A.
238	Jai chand	Jai chand	Sabi ram	N.A.	N.A.
239	Shyam chand	Shyam chand	Sobi ram	N.A.	N.A.
240	Ram chand	Ram chand	Sobi ram	N.A.	N.A.
241	Surja devi	Ved ram	Hari ram	N.A.	N.A.
242	Neel chand	Neel chand	Hari dass	N.A.	N.A.
243	Raghuvir singh	Raghuvir singh	Jay dayal	N.A.	N.A.

244	Rakesh kumar	Kashi ram	Bhoga ram	N.A.	N.A.
245	Shyam lal	Shyam lal	Bhoga ram	N.A.	N.A.
246	Pradeep	Pradeep	Shyamlal	N.A.	N.A.
247	Rajiv	Rajiv	Shyam lal	N.A.	N.A.
248	Ratan chand	Ratan singh	Kanu	N.A.	N.A.
249	Lata devi	Lata devi	Khimi ram	N.A.	N.A.
250	Malu ram	Malu ram	Mungi ram	N.A.	N.A.
251	Prabha	Nirmala devi	Moti ram	N.A.	N.A.
252	Dayal singh	Dayal singh	Harichand	N.A.	N.A.
253	Karm chand	Karm chand	Jeesi ram	N.A.	N.A.
254	Swaran singh	Swaran singh	Bhim sukh	N.A.	N.A.
255	Kishan singh	Kishan singh	Sohan lal	N.A.	N.A.
256	Kushal singh	Kushal singh	Ram charan	N.A.	N.A.
257	Santosh kumar			9418202717	904362648267
258	Gopal singh	Gopal singh	Mangi ram	N.A.	N.A.
259	Premi devi	Premi devi	Shishu ram	N.A.	N.A.
260	Sumi devi	Sumi devi	Shishi ram	N.A.	N.A.
261	Basanti	Basanti	Ratan chand	N.A.	N.A.
262	Shobha ram	Shobha ram	Rallu ram	N.A.	N.A.
263	Churamani	Churamani	Rallu ram	N.A.	N.A.
264	Bhuvnesh kumar	Shiv kumar	Saad ram	N.A.	N.A.
265	Ankush	Ankush	Oola ram	N.A.	N.A.
266	Ashwani	Ashwani	Dola ram	N.A.	N.A.
267	Yadav katoc h	Lakshman singh	Ram sharan	N.A.	N.A.
268	Yadav katoch	Lakshman singh	Ram sharan	N.A.	N.A.
269	Sinkru ram	Sikru ram	Ram saran	N.A.	N.A.
270	Puran sukh	Puran sukh	Ratan chand	N.A.	N.A.
271	Prabha	Nirmala devi	Moti ram	N.A.	N.A.
272	Prabha	Prabha	Jaysukh	N.A.	N.A.
273	Bhura ram	Bhura ram	Sagina ram	N.A.	N.A.
274	Balveer singh	Balveer singh	Bodh raj	N.A.	N.A.

275	Shitla devi	Shitla devi	Angad ram	N.A.	961517016007
276	Pankaj	Pankaj	Om prakash	N.A.	N.A.
277	Ralesha	Ralesha	Lt nand lal	9817560841	479168711033
278	Ashok kumar	Silu devi	Mohan lal	9418985240	N.A.
279	Heera singh	Tek singh	Lt rup singh	N.A.	20717575267
280	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	945389837	725386069475
281	Pavlesh singh	Pavlesh singh	Bath singh	N.A.	N.A.
282	Peeru ram	Peeru ram	Sheemtu	8219805351	N.A.
283	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	N.A.	N.A.
284	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	N.A.	N.A.
285	Shakuntla	Lt dhyan das	Lt pram dass	N.A.	N.A.
286	Baldev	Lt roshna devi	Lt sohan lal	N.A.	249213595929
287	NAURA DEVI	NAURA DEVI	RAGHU NAND	N.A.	N.A.
288	KALYAN SINGH	KALYAN SINGH	TARA CHAND	N.A.	N.A.
289	NAR DASS	RAMKI DEVI	JHERLU	N.A.	N.A.
290	SUDARSHAN GIRI	SUDARSHAN GIRI	PANDIT BISWMBHAR DAS	9418065464	922330701413
291	PEERU RAM	PEERU RAM	SH SHEEMTU	8219805351	N.A.
292	SHYAM LAL	SHYAM LAL	DAYALU	N.A.	N.A.
293	PARMAN CHAND	PARMAR CHAND	LT SH BHAL CHANDY	9418472349	N.A.
	Bhadrash				
1	Meena	Meena devi		9418126303	906273528943
2	Shivani	Krishna devi	Nirmi ram	6839250775	487756823214
3	Lachhi	Lacchi devi	Nari ram	N.A.	746889188743
4	Devinced singh	Devinder singh	Lt sh ram dass	9418440626	450343524066
5	Sohan pal	Sohan pal	Ram chandra	N.A.	N.A.
6	Pyare lal	Pyare lal	Ram chandra	N.A.	N.A.
7	Belma	Belma	Lt sh findu ram	8988030360	660750859279
8	Pooja	Pooja	Lt sh findu ram	8219182635	589310927303
9	Seema	Seema	Lt sh findu ram	9418993184	297889424603

10	Salochna devi	Baldev singh	It.tani ram	N.A.	N.A.
11	Tilvram	Tilvram	Shibhu ram	8894166942	565324292736
12	Joginder singh	Joginder singh	Lt sh ram dass	9816092306	423743741730
13	Roop singh	Roop singh	Lt ram dass	N.A.	426209186846
14	Tavn devi	Tavn devi	Tiotiram	8894006013	461222363309
15	Koushalya devi	Koushalya devi	Padam dass	7013165735	213439754694
16	Bndu devi	Bimla devi		N.A.	N.A.
17	Koula devi	Koula devi	It.sh.moolu ram	N.A.	N.A.
18	Rajender	Rajender	Krishan chand	9418210628	438931991687
19	Maina devi	Maina devi	Mulu ram	9736657418	458798457483
20	Kirna devi	Kirna devi	Lt sohan lal	N.A.	608463847427
21	Koula devi	Koula devi	It.sh.moolu ram	N.A.	N.A.
22	Satpal	Satpal	Prem singh	9418208482	702110387076
23	Hari chand	Hari chand		N.A.	N.A.
24	Raju ram	Raju ram	Main ram	9817084469	802476189266
25	Hardayal singh			9805036104	281497393771
26	Asha	Asha devi	Lt girja nand bhandari '	7807717166	600848647448
27	Rajesh			9418670062	856286726713
28	Gulab singh	Gulab singh	Gokal	9459409665	793076719074
29	Devku	Devku		N.A.	N.A.
30	Cunni lal	Chunni lal	Sohan lal	N.A.	212264834812
31	Bhagwan dass	Bhagwan dass	Sohan lal	N.A.	901635067275
32	Kishan das	Kishan das	Sohan lal	9418227684	517998970977
33	Jagdish	Bel dasi	Gukul	8219722988	922784086495
34	Krishna ram	Krishna ram	Dhagu ram	9805941983	403534144504
35	Raju	Raju	Lt dhagu ram	7831041210	819738759059
36	Hari chand	Hari chand		N.A.	N.A.
37	Gulab singh	Gulab singh	Sohan lal	N.A.	N.A.
38	Shyama nand	Shyama nand	It.sh.findu rani	9459324185	572950825308
39	Hemeshwari	Hemeshwari	It. Sh. Findu rani	9817343608	772642273964
40	Ram kishan	Ram kishan		9816587613	386901150041

41	Bimla devi	Bimla devi	It.kunbu ram	9816442099	N.A.
42	Deva nand	Deva nand	Hari dass	9459801378	6188033834649
43	Guddi devi	Guddi devi	It.kumbu ram	9805379755	890158303384
44	Nand lal	Nand lal	It. Shyam lal	97361053773	5323348166805
45	Rajak	Sattar nand	Nawabdin	9878954596	639233383553
46	Dev kumari	Dev kumari	Narjio	N.A.	788177386235
47	Diwan chand	Diwan chand	Meghu ram	9418107151	590194782992
48	Prem chand	Prem chand	Maghu ram	9805199106	264456014900
49	Goverdhan			N.A.	N.A.
50	Jiya lal	Jiya lal	Nirami ram	8894680443	758404794961
51	Uma devi	Uma devi	Sh.kishan chand	98173264496	763033945505
52	Manni devi	Manni devi	Nirmiram	9459740734	464033306646
53	Avesh chand	Avesh chand	Pyarelal	9418254969	574594296020
54	Rajender	Rajender	It. Dangu ram	82196322728	920822502767
55	Salochna devi	Baldev singh	It.tani ram	9816580552	308290991635
56	Khampi devi	Khampi devi		N.A.	N.A.
57	Shibu devi	It. Shibu devi	Pyarelal	8894307681	834388588417
58	Shiv lal	Shiv lal		9816533603	792337433172
59	Prarelal	Pyarelal		8894307681	834348858417
60	Jia lal			8219592164	243139847035
61	Hari om	Hari om	Shiv ram	9816479276	852876172586
62	Neel gagan	Neel gagan	Hari ram	9816479276	679441186519
63	It. Nihal chand	It. Nihal chand	It.sh.kumbu ram	9805173779	809330529950
64	Bimla devi	Bimla devi	Ram dyal	9817161603	232259026661
65	Kaula devi	Kavla devi	Mullu ram	N.A.	N.A.
66	Ram kumar			N.A.	N.A.
67	Propil kumar			N.A.	N.A.
68	Propil kumar	Jubla mehta	Dinesh kumar	N.A.	N.A.
69	Deepak	Deepak	Megh ram	N.A.	N.A.
70	Ved prakash	Champa	Lt mast ram	9816799329	572739727688
71	Shyamkali	Lt indra	Lt sunder	7816799329	588284742431

72	Pingla devi	Lumpu devi	Mulu pam	N.A.	N.A.
73	Prem singh chauhan	Tek singh	Girja nanda	N.A.	N.A.
74	Radha devi	Radha devi	Padam dass	N.A.	N.A.
75	Sharda devi	Sharda devi	Padam dass	N.A.	N.A.
76	Shakila devi	Shakila devi	Padam dass	N.A.	N.A.
77	Tara devi	Tara devi	Padam dass	N.A.	N.A.
78	Yadvender singh	Yadvender singh	Padam dass	N.A.	N.A.
79	Prem singh	Loompu devi		N.A.	N.A.
80	Rajinder singh	Sheela		N.A.	N.A.
81	Rajender singh	Khampi devi		N.A.	N.A.
82	Rajender	Nirmala devi		N.A.	N.A.
83	Prem singh	Pratap singh	Janvi dass	N.A.	N.A.
84	Pem singh ji	Prem singh	Janvi dass	N.A.	N.A.
85	Govind singh	Prabhu dayal	Keshay ram	N.A.	N.A.
86	Asha devi	Rashmu devi		N.A.	N.A.
87	Asha devi	Asha devi	Ashik kumar	N.A.	N.A.
88	Bimla devi	Bimla devi	Itiunbu ram	N.A.	N.A.
89	Bihari	Bihari	Ram dayalji	N.A.	N.A.
90	Vijay kumar	Vijay kumar	Rajinder	N.A.	N.A.
91	Bihari	Ram dayal	Bagat ram	N.A.	N.A.
92	Daleep singh	Smt. Dev kali	Late sh. Daulat ram	N.A.	N.A.
93	Rajinder singh	Khampi devi	Shankar das	N.A.	N.A.
94	Jagdish	Bel dasi	Gukul	8219722988	922784086495
95	Hemeshwari	Hemeshwari	It. Sh. Findu rani	9817343608	772642273964
96	BISHAN DAS	BHISAN DAS	SOHAN LAL	9817255910	207208844684
97	ASHA	ASHA DEVI	LATE GIRJA NAND BHANDRI	7807718166	600848647448
98	KOSHALYA DEVI	KAUSHLYA	PADAM DASS	N.A.	N.A.
	Naola				
1	Ashok	Ashok	Lt mast ram	9816035578	804849813590
2	Swarndeep	Suman	Lt mast ram	9816035578	804849813890
3	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058

4	Dinanath	Dina nath	Lt govind	9318909638	736009487654
5	Ajeet kumar	Ajeet kumar	Lt shri govind ram	9805787280	580899367620
6	Ramesh chand	Ramesh chand	Lt duni chand	9805556009	919384886042
7	Ramesh mehta	Lt jai devi	Shyam and	9805556009	301780260926
8	Shanno devi	Shanoo devi	Lt chand	9816966723	998702463993
9	Rajpal	Rajpal singh	Maan singh	N.A.	N.A.
10	Rajpal	Rajpal singh	Maan singh	N.A.	N.A.
11	Amit	Rajkumar	Pratap	N.A.	N.A.
12	Saty dav	Kirna devi	Shiv pal	N.A.	N.A.
13	Satya dev	Satya dav	Shiv lal	N.A.	N.A.
14	Satya dav	Satya devi	Shivpal	N.A.	N.A.
15	Satya dav	Jodhlal	Raghu nand	N.A.	N.A.
16	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
17	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
18	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
19	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
20	Pal singh	Pal singh	Lt sukh dev	9817337036	435920183022
21	Swaran	Sashi bhshan	Mast ram	9816035578	804849813590
22	Gyan singh	Gyan singh	Lt khob ram	9816841181	787355614748
23	Bhagwan chand	Diwan chand	Durga nand	7807471780	759923309836
24	Bhagwan chand	Bhagwan chand	Lt durga nand	7807471780	759923309836
25	Sushil	Sushil	Lt atmam ram	9816230537	N.A.
26	Sushil	Sushil	Lt atmam ram	9816230537	N.A.
27	Ved prakash	Champa	Lt mast ram	9816799329	572739727688
28	Lagni devi	Lt mintu	Lt khub ram	N.A.	511006173726
29	Satish	Satish	Lt hari chand bhalik	N.A.	N.A.
30	Satish	Satish	Lt hari chand bhalik	N.A.	N.A.
31	Satish	Satish	Lt hari chand bhalik	N.A.	N.A.
32	Hardayal	Pratap singh	Kum das	N.A.	N.A.
33	Rajpal	Meena	Mean singh	N.A.	N.A.
34	Rajpal	Yashpal singh	Maan singh	N.A.	N.A.

35	Pradeep	Madhu	Har nam chand	N.A.	N.A.
36	Pradeep	Brij bala	Har nam chand	N.A.	N.A.
37	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
38	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
39	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
40	Pardeep	Briti bala	Late harnam chand	9816129236	525443511101
41	Dayal singh	Dayal singh	Lt hari chandra	N.A.	365234588035
42	Dayal singh	Bachiya singh	Lt hari chandra	9418646511	606677003012
43	Dayal singh	Geeta devi	Lt hari chandra	N.A.	365234588035
44	Mulchand	Mulchand	Hari chandra	9817792752	433427605225
45	Sanjay bhalik	Sanjay bhalik	Lt om prakash	9816070282	N.A.
46	Nihal chand	Nihal chand	Lt khub ram	9882754257	604406822840
47	Tek chand	Tale chand	Lt khub ram	9882754251	604406822840
48	Tek CHAND	LT GHAYLI	LT KHUB RAM	9882754267	604400682840
49	Rajpal	Shushma devi	Maan singh	N.A.	N.A.
50	Rekha	Rekha	Lt bhgwan chand	9816972900	916602855321
51	Aruna devi	Aruna devi	Lt bhagwan chand	9816972900	916602855321
52	Rekha	Rekha	Lt bhgwan chand	9816972900	916602855321
53	Ramesh chand	Ramesh chand	Lt duni chand	9805556009	919384886042
54	Sushil+ sanjay	Sushil	Gopal singh mehta	9816843470	N.A.
55	Sushil	Sushil	Gopal singh mehta	9816843470	N.A.
56	Sanjay	Sushil	Gopal singh mehta	9816843470	N.A.
57	Sushil	Gopal singh	Javerla dass	N.A.	N.A.
58	Ved prakhash	Ved prakash	Lt mast ram	9816799329	572739727688
59	Rakesh	Rakesh	Suleh dayal	9418718677	371375928284
60	Chand kumar	Chand kumar	Lt mast ram	9816822924	655729941824
61	Ved prakash	Seema	Lt mast ram	9816799329	572739727688
62	Shyamkali	Binma		9816799329	588284742431
63	Shyamkali	Lt indra	Lt sunder	7816799329	588284742431
64	Uphar	Uphar	Late. Sh. Heera lal ji	9817157761	273621527827
65	Uphar	Uphar	Late. Sh. Heera lal ji	9817157761	273621527827

66	Kalawati	Chandan lal	Khub ram	9805082572	VOTER I.D. JQX0571893
67	Sunita	Chandan lal	Khub ram	9805082572	N.A.
68	Satish	Late rajeet (ashok & naresh)	Late hukum	9418095071	490249063774
69	Ajit singh	Ajit singh	Late sh. Bali ram	9418003614	293531211757
70	Satish bhalik	Diwan chand	Late man sukh	9418095071	49024963774
71	Satish bhalk	Leela wati	Maan sukh	9418095071	490249063774
72	Achal mehta	Randhir mehta	Late shri bir sing mehta	8628081565	995828531981
73	Ranjeet	Ranjeet singh mehta	Late bir singh mehta	9805915101	376754010262
74	Vinod	Vinod	Late bir singh mehta	9459562129	842432877235
75	Bhagat ram	Bhagat ram	Thai ram	9816604105	772437977245
76	Pushpa devi	Pushpa devi	Mast ram	7833019928	67868679044
77	Amar chand	Amar chand	Mast ram	8894981534	667926973707
78	Bindu devi	Bindu devi	Prem chand	9418175829	578870397406
79	Satish	Krishna		N.A.	N.A.
80	Srinder	Khushi ram	Iswari nand	9418169988	284327482112
81	Rivinder bhalik	Bakshi ran	Late ishwari nand	9816306022	473506891559
82	Dr. Praveen	Shiv dayal	Late. Ishwani chand	9418132719	993048002054
83	Surender	Mukta. W/o ch.mehta		9418169988	284327482112
84	Faquir chand ji	Marti	Lt ram das	9459532033	7304951108761
85	Bhawani dutt	Bhawani dutt	Tilak raj	N.A.	N.A.
86	Saty dav	Kirna devi	Shiv pal	N.A.	N.A.
87	Satya dev	Satya dav	Shiv lal	N.A.	N.A.
88	Satya dav	Jodhlal	Raghu nand	N.A.	N.A.
89	Ajit kumar	Ajit kumar	Lt shri govind ram	N.A.	N.A.
90	Satya dav	Satya devi	Shivpal	N.A.	N.A.
91	Sarla	Reshi ram	Ishwari nand	9418088839	771554332924
92	Amit	Rajkumar	Pratap	N.A.	N.A.
93	Ramesh chand	Ramesh chand	Lt ramdayal	9418009812	425371146340
94	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058

95	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058
96	Virender jreat	Virender jreat	Ram dita nal	9418068973	212012927058
97	Ajeet kumar	Ajeet kumar	Lt shri govind ram	9805787280	580899367620
98	RAMESH MEHTA	LT JAI DEVI	SHYAM AND	9805556009	301780260926
99	Somlata	Shiv dayal	Late. Ishwani chand	9418132719	N.A.
	Narola				
1	Rajpal	Raj pal	Maan singh	N.A.	N.A.
2	Rajpal	Meena	Maan singh	N.A.	N.A.
3	Rajpal	Raj pal	Maan singh	N.A.	N.A.
4	Rajpal	Rajpal	Late maan singh	9418228550	777996200875
5	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Late chetram	N.A.	N.A.
6	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Late chetram	N.A.	N.A.
7	Rakesh kumar	Rakesh kumar	Late chetram	N.A.	N.A.
8	Rajeev	Lt jogider	Lt narjan dass	8628812679	9591996959313
9	Sandeep kumar	Shashi vandna	Late tez ram	981649270	N.A.
10	Jyoti swarup	Jyoti swarup	Lt narjan dass	9418700800	243409376021
11	Rajeev	Lt jogider	Lt narjan dass	8628812679	9591996959313
12	Rajeev	Lt jogider	Lt narjan dass	8628812679	9591996959313
13	Sandeep kumar	Sandeep kumar	Late tezram	9816492720	503570423169
14	Sandeep kumar	Surdeshna	Late tezram	9816492720	368884107505
15	Sandeep kumar	Shashi vandna	Late tez ram	981649270	503570423169
16	Rakesh kumar	Ranjana	Late chet ram	9816880250	711431693889
17	Anup bhlak	Anup bhalik	Lt suresh bhalik	9816195861	224221107156
18	Sandeep kumar	Sandeep kumar	Late tezram	9816492720	503570423169
19	Jhuri DEVI	JURI DEVI	SAM DAS	N.A.	N.A.
20	Urmila devi	Urmila devi	Kishan singh	N.A.	N.A.
21	Surender kumar	Surender kumar	Sham dass	9418244273	N.A.
22	Ram dayal	Ram dayal	Sham dass	9418244273	N.A.
23	Baivir	Baviri	Ram singh	9857600322	621923507298
24	Beli dev	Beli devi	Mika ram	93184179309	312154705665
25	Balvir	Shaser singh	Ram singh	9857600322	N.A.

26	Hari chand	Parveen	Tara devi	N.A.	N.A.
27	Hari chand roach	Amita	Tara devi	N.A.	N.A.
28	Hari chand roach	Pranav	Tara devi	N.A.	N.A.
29	Leela dhar	Leela dhar	Bhagat ram	N.A.	N.A.
30	Rakesh	Meena devi	Lt chetram	9816880250	711431693889
31	Dinesh kumar	Dinesh kumar	Satya dev	N.A.	N.A.
32	Dinesh kumar	Dinesh kumar	Satya dev	N.A.	N.A.
33	Ankush	Amarchand	Bhagat ram	N.A.	N.A.
34	Dinesh kumar	Dinesh kumar	Satya dev	N.A.	N.A.
35	Jyoti swarup	Jyoti swarup	Lt narjan dass	9418700800	243409376021
36	Prumila	Prumila	Lt kishan singh	98161610066	923891043255
37	Dinesh kuma	Annu	Lt salya dev	9816582963	232084377078
38	Hari chnad roach	Ritu	Lt tara davi	9816168367	285709400508
39	Deepak kumar	Deepak kumar	Gyan chand	9857144992	599967981214
40	Yash pal	Sita devi	Lt roshan lal	N.A.	N.A.
41	Yash pal	Yash pal	Lt roshan lal	9857144992	428020160163
42	Rajpal	Meena	Mean singh	N.A.	N.A.
43	Ankush sharma	Amar chand	Bhagat ram	N.A.	N.A.

Appendix - 3

Department of MPP & Power

54206041
18-1-18

MPP-F(5)-11/2016 Dated: Shimla-171002, the 05-01-2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to notify the Social Impact Assessment Unit as under to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed Land Acquisition at Village Riwali, Charonta, Naula, Narola Tehsil Kumarsain Distt. Shimla, Village Nirath, Bhadrash, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla & Village Nithar, Gadej Tehsil Nirmand Distt. Kullu.

JS (Rev) 12-1-18

The proposed land at Village Riwali, Charonta, Naula, Narola, Tehsil Kumarsain Distt. Shimla, Village Nirath, Bhadrash, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla & Village Nithar, Gadej Tehsil Nirmand Distt. Kullu measuring 50-97-12 hect. comprising of Khasra Nos. attached at Annexure "A" is to be acquired by the SJVN Limited with the objectives for construction of Luhri Hydro Electric Project Stage-I in order to harness optimal hydel potential river of Satluj. This is run of river type development proposed scheme.

The strategy followed in Himachal Pradesh for exploitation of hydroelectric power resources is to produce as much energy as possible, as fact as possible, with minimum cost and with minimum environment negative impacts. The speedy exploitation of hydroelectric power potential will definitely improve the economic health of the State because 12 percent free power plus 1% LADF on all new installations will increase the resources of the state to a significant extent. The need for the project also arises from the need to fulfill a steady increase in peak electricity demand and the growing energy deficit in the Northern Region.

Thus, it is made clear that any attempt at coercion or threat during Social Assessment will render this exercise as null and void and the Social

... Impact Assessment Unit shall hold consultations, survey and public hearings:

Sr. No.	Name & Address	Designation	Contact Information
1	Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla	Chairperson	Ph.-0177-2734777 M- 094180-22240
2	Deputy Secretary (Revenue), to the GoHP, H.P. Secretariat, Shimla-171002	Member Secretary	0177-2628497
3	The Incharge, State Institute of Rural Development, HIPA, Shimla	Member	M- 094595-82482
4	Head of Department of Sociology and Social Work, H.P. University, Shimla	Member	0177-2833872
5	Chief Scientific Officer, Department of Environment, Science & Technology, Shimla	Member	0177-2816047

By Order

R.D. Dhiman
Principal Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst No. As above Dated: Shimla-171002, the 05-01-2018

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Commissioner-cum-Principal Secretary (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Simla-02.
2. The Deputy Commissioner, District Shimla and Kullu, Himachal Pradesh.
3. The Director, Public Information and Public Relation, Shimla, Himachal Pradesh with the request to publish the notification in two daily newspapers.
4. The Chairperson, Social Impact Assessment Unit, Himachal Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.
5. All the members of the Social Impact Assessment Unit (By Name)
6. The Sub-Divisional Magistrate, Rampur/Kumarsain, Distt. Shimla & Ani, Distt. Kullu.
7. Tehsildar Rampur, Kumarsain Distt. Shimla & Ani, Distt. Kullu
8. The Land Acquisition Collector, Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Jhakari, Tehsil Rampur-Bhushahr, District Shimla, Himachal Pradesh with the request to advertise the notification in the suitable places of the concerned area for publicity amongst the general public for their information.
9. Guard File.

Special Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

List of Private Land , Khasra Number Wise regarding Muhal Badrash, Tehsil Rampur, District Shimla (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Hect.)
1.	6	0-10-05
2.	9	0-12-70
3.	10	0-01-57
4.	12	0-02-47
5.	13	0-02-02
6.	14	0-04-06
7.	17	0-08-33
8.	18	0-03-30
9.	19	0-06-28
10.	20	0-00-88
11.	21	0-01-25
12.	22	0-01-41
13.	23	0-02-88
14.	24	0-01-02
15.	25	0-00-35
16.	26	0-00-30
17.	27	0-00-25
18.	28	0-00-54
19.	29	0-00-30
20.	30	0-00-78
21.	31	0-13-71
22.	32	0-11-41
23.	34	0-06-31
24.	35	0-03-54
25.	125	0-00-66
26.	126	0-01-19
27.	127	0-06-58
28.	128	0-04-98
29.	130	0-32-32
30.	132	0-02-52
31.	133	0-00-96
32.	134	0-00-75
33.	135	0-21-84
34.	139	0-[illegible]-16
35.	141	0-08-66
36.	142	0-00-42
37.	118	0-04-75
38.	143	0-00-64
39.	144	0-00-54
40.	145	0-01-04
41.	146	0-01-42

42.	147	0-06-44
43.	148	0-06-51
44.	1106/149	0-09-91
45.	1105/149	0-01-00
46.	150	0-02-16
47.	151	0-02-16
48.	152	0-02-64
49.	153	0-01-14
50.	154	0-07-99
51.	1107/156	0-00-74
52.	1108/156	0-01-94
53.	158	0-05-16
54.	159	0-01-55
55.	160	0-10-33
56.	161	0-01-47
57.	162	0-01-70
58.	163	0-13-73
59.	164	0-18-46
60.	169	0-04-22
61.	170	0-03-00
62.	171	0-04-90
63.	172	0-28-12
64.	176	0-15-83
65.	177	0-23-26
66.	178	0-04-81
67.	178/1	0-05-92
68.	179	0-01-47
69.	180	0-10-62
70.	182/1	0-08-33
71.	184	0-04-77
72.	186	0-01-46
73.	187	0-01-94
74.	188	0-01-98
75.	189	0-03-22
76.	190	0-04-84
77.	205/1	0-13-18
78.	208/1/1	0-05-12
79.	209/1	0-15-00
	Kita = 79	04-63-96

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Narola, Tehsil Rampur, District Shimla (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Hec.)
1.	151	0-02-92
2.	157	0-00-63
3.	150	0-06-56
4.	156	0-01-06
5.	137	0-02-69
6.	138	0-09-05
7.	147	0-00-58
8.	141	0-00-91
9.	142	0-00-30
10.	143	0-01-33
11.	145	0-01-08
12.	146	0-00-24
13.	148	0-00-18
14.	149	0-00-90
15.	144	0-01-21
16.	140	0-04-32
17.	152	0-01-47
18.	153	0-01-38
19.	154	0-00-44
20.	155	0-02-74
21.	158	0-02-24
22.	139	0-00-35
Kita = 22		00-42-48

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Nirath, Tehsil Rampur, District Shimla (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Hec..)
1.	7	0-01-98
2.	8	0-08-30
3.	9	0-02-30
4.	10	0-00-66
5.	11	0-07-38
6.	12	0-16-57
7.	13	0-04-05
8.	14	0-06-34
9.	15	0-01-12
10.	16	0-01-12
11.	17	0-00-57
12.	18	0-01-34
13.	19	0-02-06
14.	20	0-02-58
15.	21	0-00-25
16.	22	0-04-53
17.	23	0-01-10
18.	24	0-04-30
19.	25	0-01-74
20.	26	0-00-84
21.	27	0-19-50
22.	28	0-06-12
23.	29	0-08-86
24.	30	0-01-09
25.	31	0-02-39
26.	32	0-03-45
27.	33	0-02-83
28.	34	0-01-30
29.	35	0-00-24
30.	36	0-00-32
31.	37	0-00-52
32.	38	0-06-45
33.	39	0-08-63
34.	40	0-08-57
35.	41	0-01-92
36.	42	0-01-87
37.	43	0-00-32
38.	44	0-05-44
39.	46	0-07-73
40.	48	0-00-54
41.	49	0-00-38

42.	50	0-00-72
43.	51	0-02-48
44.	52	0-02-63
45.	53	0-01-57
46.	54	0-00-59
47.	55	0-06-61
48.	56	0-00-78
49.	57	0-06-17
50.	58	0-00-20
51.	59	0-00-20
52.	60	0-00-76
53.	61	0-00-64
54.	62	0-00-42
55.	63	0-03-38
56.	64	0-02-74
57.	65	0-02-01
58.	66	0-02-04
59.	67/1	0-04-08
60.	68/1	0-03-52
61.	69/1	0-51-30
62.	70/1	0-04-08
63.	383	0-27-22
64.	384	0-00-73
65.	385	0-00-06
66.	386	0-00-50
67.	387	0-29-47
68.	388	0-01-62
69.	389	0-35-23
70.	391	0-23-14
71.	426	0-06-90
72.	427	0-05-92
73.	428	0-01-62
74.	429	0-14-98
75.	433/1	0-16-44
76.	432	0-09-67
77.	434	0-09-72
78.	465	0-01-76
79.	466	0-04-97
80.	467	0-00-74
81.	468	0-01-26
82.	462	0-04-91
83.	469	0-01-21
84.	470	0-04-39
85.	471	0-03-60
86.	472	0-04-54

87.	473	0-04-67	
88.	474	0-04-13	
89.	475	0-01-55	
90.	476	0-06-50	
91.	477	0-06-21	
92.	1650	0-11-11	
93.	1651	0-07-58	
94.	1652	0-01-80	
95.	1653	0-19-47	
96.	1654	0-04-64	
97.	1655	0-20-21	
98.	1656	0-35-50	
99.	1657	0-02-32	
100.	1658	0-13-98	
101.	1659	0-10-36	
102.	1660	0-02-36	
103.	1661	0-13-66	
104.	1663	0-06-90	
105.	1665	0-02-34	
106.	1667	0-03-06	
107.	1668	0-03-11	
108.	1669	0-01-41	
109.	2035/2075/1767/1	0-08-81	
110.	1768	0-01-37	
111.	1769	0-01-50	
112.	1770	0-01-25	
113.	1771	0-01-30	
114.	1772	0-01-00	
115.	1773	0-01-54	
116.	1778	0-08-84	
117.	1786	0-01-03	
118.	1782	0-04-70	
119.	1798	0-07-17	
120.	1797	0-03-47	
121.	1796	0-02-72	
122.	1790	0-10-40	
123.	1791	0-03-11	
124.	1826	0-01-28	
125.	1792	0-08-48	
126.	1808	0-05-58	
127.	1809	0-08-97	
128.	1810	0-01-20	
129.	1811	0-38-16	
130.	1825	0-00-82	
131.	1823	0-18-38	

132.	2038/1805	0-01-65
133.	2039/1805	0-01-15
134.	2040/1805	0-01-08
135.	2041/1805	0-24-03
136.	2042/1813	0-01-50
137.	2043/1813	0-01-50
138.	2044/1813	0-21-89
139.	1649	0-11-49
140.	478	0-04-67
141.	1627	0-11-97
142.	1987	0-00-80
Kita = **142**		08-98-20

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Charonta, Tehsil Kumarsain, District Shimla (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Hect.)
1.	21	00-01-13
2.	22	00-33-72
	Kita = 02	00-34-85

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Nola, Tehsil Kumarsain, District Shimla (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Hect.)
1.	555/1	00-07-89
2.	558	00-01-92
3.	563	00-02-73
4.	577	00-09-35
5.	581	00-06-99
6.	564	00-05-39
7.	565	00-00-45
8.	576	00-09-85
9.	583	00-00-60
10.	584	00-07-70
11.	550	00-06-26
12.	551	00-03-56
13.	551/1	00-00-70
14.	555	00-05-72
15.	554	00-02-49
16.	561	00-02-65
17.	552	00-03-78
18.	562	00-03-59
19.	560	00-03-04
20.	567	00-08-53
21.	568	00-00-99
22.	579	00-07-00
23.	582	00-00-35
24.	559	00-01-60
25.	569	00-03-55
26.	570	00-02-00
27.	571	00-00-28
28.	572	00-01-20
29.	578	00-01-31
30.	580	00-0[illegible]-64
31.	575	00-02-62
32.	549/1	00-12-82
Kita = 32		01-30-85

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Rivali, Tehsil Kumarsain, District Shimla (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Hect.)
1.	125	00-15-62
2.	79	00-33-19
3.	81	00-06-34
4.	97	00-19-28
5.	85	00-21-41
6.	90	00-01-20
7.	91	00-01-46
8.	92	00-01-08
9.	94/2	00-30-03
10.	82/1	00-06-76
11.	95	00-05-00
12.	82	00-07-74
13.	96	00-09-69
14.	83	00-15-99
15.	124	00-22-77
16.	101	00-01-41
17.	102	00-24-96
18.	131/2	00-05-54
19.	98	00-18-08
20.	111	00-20-91
21.	122	00-03-15
22.	123	00-06-79
23.	128	00-04-20
24.	129	00-20-52
25.	126	00-22-48
26.	127	00-04-20
27.	105	[illegible]
28.	106	00-35-36
29.	114	00-10-91
30.	112	00-10-98
31.	113	00-01-88
32.	108	00-13-33
33.	121	00-10-58
34.	119	[illegible]
35.	88	00-01-20
36.	89	00-02-79
37.	104	00-20-77
38.	86	00-16-77
39.	87	00-29-28
40.	120	00-30-90
41.	116	00-30-72

42.	117	00-39-67
43.	118	00-06-65
44.	109	00-32-69
45.	110	00-34-25
46.	100	00-25-66
47.	103	00-13-50
48.	184/1	00-00-62
49.	182/1	00-00-51
50.	177/1	00-00-50
51.	178/1	00-00-92
52.	180	00-26-09
Kita = **52**		07-43-22

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Nither, Tehsil Nirmand, District Kullu (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Bigha)
1.	2617	03-13-00
2.	2610	03-05-00
3.	2611	01-19-00
4.	2614	00-07-00
5.	2615	00-02-00
6.	2612	01-10-00
7.	2616	01-11-00
8.	2613	02-03-00
9.	2609	01-19-00
10.	2619	01-00-00
11.	2625	00-19-00
12.	2608	00-15-00
13.	2620	01-10-00
14.	2622	01-04-00
15.	2606	01-09-00
16.	2618	00-17-00
17.	2623	01-02-00
18.	2607	01-08-00
19.	2621	01-02-00
20.	2624	01-05-00
21.	1804	00-05-00
22.	1805	00-13-00
23.	1806	00-07-00
24.	1807	00-07-00
25.	1808	00-04-00
26.	1809	00-06-00
27.	1810	00-15-00
28.	1811	00-09-00
29.	1812	00-08-00
30.	1813	00-05-00
31.	1814	00-08-00
32.	1815	01-03-00
33.	1816	00-02-00
34.	1817	00-11-00
35.	1819	00-04-00
36.	1820	00-13-00
37.	1821	00-09-00
38.	1822	00-09-00
39.	1823	00-09-00

40.	1824	00-12-00
41.	1825	00-16-00
42.	1826	00-19-00
43.	1827	00-15-00
44.	1828	00-17-00
45.	1829	00-14-00
46.	5757/1830	01-14-00
47.	5758/1830	00-14-00
48.	1831	00-02-00
49.	1832	00-09-00
50.	1834	00-08-00
51.	5759/1843	00-06-00
52.	1844	00-15-00
53.	1845	00-16-00
54.	1846	01-17-00
55.	1847	02-15-00
56.	1848	07-09-00
57.	1849	02-11-00
58.	1850	01-08-00
59.	1851	03-00-00
60.	1852	02-05-00
61.	1853	01-17-00
62.	1854	00-14-00
63.	1855	00-12-00
64.	1856	00-18-00
65.	1857	01-01-00
66.	1858	00-18-00
67.	1859	00-09-00
68.	5739/1860	00-05-00
69.	5740/1860	00-02-00
70.	1862	00-10-00
71.	1863	01-00-00
72.	1864	00-02-00
73.	1865	00-08-00
74.	5509/1866	01-02-00
75.	5510/1866	01-06-00
76.	5511/1866	01-05-00
77.	1867	02-11-00
78.	1868	03-01-00
79.	1869	01-12-00
80.	1870	00-13-00
81.	1871	00-14-00
82.	1872	00-11-00
83.	5097/1873	00-17-00
84.	5098/1873	00-17-00

85.	1874	01-0[illegible]-00
86.	1875	00-09-00
87.	1877	00-14-00
88.	1878	00-04-00
89.	1880	02-17-00
90.	1881	00-11-00
91.	1882	04-13-00
92.	1883	01-04-00
93.	1884	00-19-00
94.	1885	01-01-00
95.	1886	00-1[illegible]-00
96.	1887	00-07-00
97.	1888	00-07-00
98.	1889	01-0[illegible]-00
99.	1890	00-08-00
100.	1891	00-09-00
101.	1892	00-19-00
102.	1893	00-17-00
103.	1894	00-0[illegible]-00
104.	1901	00-13-00
105.	1902	00-14-00
106.	1903	00-16-00
107.	1904	00-06-00
108.	1905	00-1[illegible]-00
109.	1906	00-14-00
110.	1907	00-1[illegible]-00
111.	1908	01-0[illegible]-00
112.	1909	00-1[illegible]-00
113.	1910	00-0[illegible]-00
114.	1911	00-0[illegible]-00
115.	1912	00-0[illegible]-00
116.	1913	00-15-00
117.	1931	00-14-00
118.	1932	00-14-00
119.	1933	01-14-00
120.	1934	00-0[illegible]-00
121.	1935	00-03-00
122.	1936	01-0[illegible]-00
123.	1937	00-19-00
124.	1938	00-1[illegible]-00
125.	1940	00-0[illegible]-00
126.	1941	01-0[illegible]-00
127.	1942	01-0[illegible]-00
128.	1943	01-0[illegible]-00
129.	1944	01-0[illegible]-00

130.	1945	00-13-00
131.	1946	00-14-00
132.	1947	01-14-00
133.	5123/1948	00-08-00
134.	5124/1948	00-08-00
135.	5125/1948	00-09-00
136.	5126/1948	00-11-00
137.	5127/1948	00-07-00
138.	5128/1948	00-05-00
139.	1949	03-06-00
140.	1950	01-00-00
141.	1951	00-15-00
142.	1952	00-07-00
143.	1953	00-12-00
144.	1954	00-06-00
145.	1955	00-08-00
146.	1956	01-04-00
147.	1957	02-02-00
148.	1959	01-07-00
149.	1960	00-18-00
150.	5865/1961	01-05-00
151.	5866/1961	01-02-00
152.	1963	00-15-00
153.	1964	00-10-00
154.	1965	00-05-00
155.	1966	00-04-00
156.	1967	00-06-00
157.	1841	01-03-00
158.	1842	02-05-00
159.	5339/1	03-10-00
160.	5478	04-00-00
161.	5473	03-02-00
162.	5420	05-05-00
163.	5328	03-08-00
164.	1997	00-05-00
165.	1998	00-04-00
166.	1999	00-07-00
167.	2000	00-[illegible]-00
168.	2001	00-05-00
169.	2002	00-04-00
170.	2003	00-01-00
171.	2004	00-04-00
172.	2005	00-05-00
173.	2006	00-02-00
174.	2007	00-017-00

175.	2008	00-05-00	
176.	2009	00-18-00	
177.	2010	00-02-00	
178.	2011	01-02-00	
179.	2012	00-13-00	
180.	2013	00-02-00	
181.	2014	00-09-00	
182.	2015	00-11-00	
183.	2016	00-15-00	
184.	2017	00-15-00	
185.	2018	01-11-00	
186.	2112	00-16-00	
187.	2113	00-11-00	
188.	2114	00-05-00	
189.	2117	00-04-00	
190.	1996	03-04-00	
191.	·5366	05-00-00	
192.	2116	04-12-00	
193.	2126	10-06-00	
194.	2121/1	01-05-00	
195.	2123/1	01-14-00	
196.	2124	02-00-00	
197.	2125	03-16-00	
	Kita = 197	223-13-00	

List of Private Land Khasra Number Wise regarding Muhal Gadej Tehsil Nirmand District Kullu (HP).

Sr. No.	Khasra Number	Area (Bigha)
1.	1424/1096	01-08-00
2.	1425/1096	08-02-00
3.	1102	01-17-00
4.	1104	04-15-00
5.	1106	01-06-00
6.	1107	01-04-00
7.	1108	03-09-00
8.	1109	01-02-00
9.	1110	01-02-00
10.	1111	01-12-00
11.	1112	01-11-00
12.	1113	00-07-00
13.	1114	01-08-00
14.	1115	00-08-00
15.	1116	03-00-00
16.	1117	03-06-00
17.	1118	01-00-00
18.	1120	01-02-00
19.	1121	16-04-00
20.	1143	02-15-00
21.	1144	00-02-00
22.	1145	05-00-00
23.	1146	06-12-00
24.	1290/1149	00-16-00
25.	1291/1149/1	00-03-00
26.	1291/1149/2	00-13-00
27.	1150	01-02-00
28.	1151/1	00-11-00
29.	1151/2	00-14-00
30.	1151/3	00-12-00
31.	1151/4	00-16-00
32.	1151/5	00-14-00
33.	1152	01-01-00
34.	1153	00-19-00
35.	1154	01-07-00
36.	1155	01-05-00
37.	1156	00-11-00
38.	1157/1	00-13-00
39.	1157/2	00-15-00
40.	1157/3	00-15-00
41.	1157/4	00-15-00

42.	1158	01-04-00
43.	1161/1	00-12-00
44.	1172/1	08-15-00
45.	1094/1	04-04-00
46.	1094/2	03-09-00
47.	1426/1097	00-18-00
48.	1427/1097	00-19-00
49.	1159	00-07-00
50.	1428/1097	05-12-00
51.	1431/1103	02-17-00
52.	1432/1103	03-11-00
53.	1402	00-02-00
54.	1245/1119	01-11-00
55.	1246/1119	02-10-00
	Kita = 55	120-06-00

		• अस्पताल (कैपिटल स्टाक)[5] • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के होटल • औद्योगिक पार्कों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार हेतु सांझी अवसरंचना • उर्वरक (पूंजी निवेश) • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-जांच प्रयोगशालाएं • शीत श्रृंखला[6]

[1] लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल है।

[2] कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

[3] शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।

[4] फाइबर आप्टिक /वायर/तार नेटवर्क जो कि ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

[5] चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केन्द्र शामिल है।

[6] कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, जल उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर प्री-कूलिंग हेतु शीत कक्ष सुविधा शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs

(INFRASTRUCTURE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

Sub: Harmonized list of Infrastructure sub-sectors and Institutional Mechanism for its updation

F. No. 13/6/2009-INF.—In pursuance of the decision of the Cabinet Committee on Infrastructure (CCI) taken in its meeting held on 1st March, 2012 on the identification of the harmonized list of Infrastructure sub-sectors, an Institutional Mechanism is hereby constituted consisting of the following:-

i. Secretary, Department of Economic Affairs - Chairman
ii. Member-Secretary, Planning Commission - Member
iii. Secretary, Department of Revenue - Member
iv. Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs - Member
v. Representative of Reserve Bank of India - Member
vi. Representative of Securities and Exchange Board of India (SEBI) - Member

C-18

vii. Representative of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) - Member

viii. Representative of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) - Member

ix. Secretary of the concerned Administrative Ministry/Department - Member

2. The Terms of Reference of the Institutional Mechanism would be as under:

i. To update the Master List of Infrastructure sub-sectors as enclosed at **Annexure-I**; and

ii. To revisit the infrastructure sub-sectors outside the Master List which are presently being supported by any agency after an appropriate period of time.

3. As per the decision of the CCI, the harmonised Master List of sub-sectors is meant to guide all the agencies responsible for supporting infrastructure in various ways. Each financing agency shall be free to spell out its reasons and draw its own list of sub-sectors out of the Master List, that it intends to support, with adequate justification for inclusion/non-inclusion of specific sub-sectors from the Master List.

4. The Institutional Mechanism will make recommendations to the Finance Minister for decision.

5. The Institutional Mechanism will be serviced by the Department of Economic Affairs.

RAJESH KHULLAR, Jt. Secy.

ANNEXURE- I

Harmonised Master List of infrastructure sub-sectors

S No	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	• Roads and bridges • Ports • Inland Waterways • Airports • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges[1] • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	• Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility[2] • Gas pipelines[3]
3.	Water & Sanitation	• Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments etc) • Storm Water Drainage System

C-18

4.	Communication	• Telecommunication (Fixed network)[4] • Telecommunication towers
5.	Social and Commercial Infrastructure	• Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)[5] • Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million • Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets. • Fertiliser (Capital investment) • Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold chain[6]

[1] Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings
[2] Includes strategic storage of crude oil
[3] Includes city gas distribution network
[4] includes optic fibre/ wire/cable networks which provide broadband /internet
[5] Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostic Centres
[6] Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat

1093GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

C-19

Appendix - 4

FORM-ll(HP RTFCTLARR Rules, 2015)

Social Impact Assessment Report

[See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social Impact Assessment

1. Demographic details of the population in the project area
   (a) Age, sex, caste, religion

   (b) Literacy, health and nutritional status

2. Poverty levels

3. Vulnerable groups

   (a) Women,
   (b) Children
   (c) The elderly,
   (d) Women-headed households and
   (e) The differently abled

4. Kinship patterns and women's role in the family

5. Social and cultural organization.

6. Administrative organization.

7. Political organization.

8. Civil society organisations and social movements.

9. Land use and livelihood
   (a) Agricultural and non-agricultural use
   (b) Quality of land – soil, water, trees etc.
   (c) Livestock
   (d) Formal and informal work and employment.
   (e) Household division of labour and women's work
   (f) Migration
   (g) Household income levels
   (h) livelihood preferences
   (i) Food security

10. Local economic activities

(a) Formal and informal, local industries
  i. Access to credit
  ii. Wage rates
(b) Specific livelihood activities women are involved in

11. Factors that contribute to local livelihoods

(a) Access to natural resources
(b) Common property resources
(c) Private assets
(d) Roads, transportation
(e) Irrigation facilities
(f) Access to markets
(g) Tourist sites
(h) Livelihood promotion programmes
(i) Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment

(j) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations
(k) Settlement patterns
(l) Houses
(m) community and civic spaces
(n) Sites of religious and cultural meaning
(o) Physical infrastructure (including water supply sewage systems etc.)
(p) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)
(q) Safety, crime, violence

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income
   (a) Level and type of employment
   (b) Intra-household employment patterns
   (c) Income levels
   (d) Food Security
   (e) Standard of living
   (f) Access and control over productive resources
   (g) Economic dependency, or vulnerability
   (h) Disruption of local economy
   (i) Impoverishment risks
   (j) Women’s access to livelihood alternatives

2. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

3. Impacts on private assets, public services and utilities

(a) Capacity of existing health and education facilities
(b) Capacity of housing facilities
(c) Pressure on supply of local services.
(d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
(e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts

(a) Health impacts due to in-migration
(b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-
    i. Impact on women's health
    ii. Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion

(a) Transformation of local political structures
(b) Demographic changes
(c) Shifts in the economy-ecology balance
(d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
(e) Crime and illicit activities
(f) Stress of dislocation
(g) Impact of separation of family cohesion
(h) Violence against women

6. Impact at different stages of the project cycle

The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase

i. Interruption in the delivery of services
ii. Drop in productive investment
iii. Land speculation
iv. Stress of uncertainty

(b) Construction phase

i. Displacement and relocation
ii. Influx of migrant construction workforce

iii. Health impacts on those who continue to live close to the construction site

(c) Operation phase

i. Reduction in employment opportunities compared to the construction phase
ii. Economic benefits of the project
iii. Benefits on new infrastructure
iv. New patterns of social organisation

(d) De-commissioning phase

i. Loss of economic opportunities
ii. Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts

i. Direct impacts‖ will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)
ii. Indirect impacts‖ will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area

(f) Differential impacts

i. Impact on women, children, the elderly and the different abled
ii. Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

(g) Cumulative impacts

i. Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
ii. Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

B. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan.

Chapter	Content
Executive Summary	(a) Project and public purpose (b) Location (c) Size and attribute of land acquisition (d) Alternatives considered (e) Social Impacts (f) Mitigation measures

	(g) assessment of social costs and benefits.
Detailed Project Description	(a) Background of the project, including developers background and governance or management structure. (b) Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (c) Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks. (d) Examination of alternatives (e) Phases of project construction (f) Core design features and size and type of facilities (g) Need for ancillary infrastructural facilities. (h) Work force requirements (temporary and permanent) (i) Details of Social Impact Assessment or Environmental Impact Assessment if already conducted and any technical feasibility reports (j) Applicable legislations and policies
Team composition, approach, methodology and Schedule of the Social Impact Assessment.	(a) List of all team members with qualifications, Gender experts to be included in team. (b) Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for the Social Impact Assessment. (c) Sampling methodology used. (d) Overview of information or data sources used. Detailed reference must be included separately in the forms. (e) Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted. Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the Report must be included in the forms.

Land Assessment.	(a) Information from land inventories and primary sources- Describe with the help of the maps. (b) Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) (c) Total land requirement for the project (d) Present use of any public, unutilized land in the vicinity of the project area (e) Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project (f) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project (g) Nature, present use and classification of land and if agricultural land, irrigation coverage and cropping patterns (h) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses (i) Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years
Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets	Estimation of the following types of families that are— (a) Directly affected (own land that is proposed to be acquired): (i) Are tenants or occupy the land proposed to be acquired (ii) The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights (iii) Depend on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood (i) Have been assigned land by the State Government under any of its schemes and such land is under acquisition; (ii) Have been residing on any land in the urban areas for Preceding three years or more prior to the acquisition of the land (iii) Have depended on the land being acquired as a primary source of

	livelihood for three years prior to the acquisition (b) Indirectly impacted by the project (not affected directly by the acquisition of own lands) (c) Inventory of productive assets and significant lands
Socio-Economic and cultural profile (affected area and resettlement site)	(a) Demographic details of the population in the project area (b) Income and poverty levels (c) Vulnerable groups (d) Land use and livelihood (e) Local economic activities (f) Factors that contribute to local livelihoods (g) Kinship patterns and social and cultural organisation (h) Administrative organisation (i) Political organisation (j) Community-based and civil society organizations (k) Regional dynamics and historical change processes (l) Quality of the living environment
Social impacts	(a) Framework and approach to identifying impacts (b) Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a directly or indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable cumulative impacts. (c) Indicative list of impacts areas include: impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts.
Analysis of costs and benefits and recommendations on acquisition	(a) Final conclusions on: assessment of public purpose, less-displacing alternatives, minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts, the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation

	measures described in the Social Impact Management Plan will address the full range of social impacts and adverse social costs. (b) The above analysis will use the equity principle described in Rule 9(10) as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not
References and Forms	For reference and further information

Annexure 4.2

FORM-III(HP RTFCTLARR Rules, 2015)

(See sub-rule (4) of rule 3)

Social Impact Management Plan

1) Approach to mitigation

2) Measures to avoid, mitigate and compensate impact

3) Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act.

4) Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal.

5) Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

The Social Impact Management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

Appendix - 5

Tables Generated from the Survey Questionnaire

1. Number of Respondents during SIA.

S. No.	Name of the District	Number	Percentage
1	Shimla	558	60.65
2	Kullu	362	39.35
	Total	920	100.00

2. Social Category wise number of land loser.

S. No.	Social Category	Number	Percentage
1	General	782	85.00
2	OBC	1	0.11
3	SC	136	14.78
4	ST	1	0.11
	Total	920	100.00

3. Religion wise number of Land loser.

S. No.	Religion	Number	Percentage
1	Hindu	918	99.78
2	Muslim	2	0.22
	Total	920	100.00

4. Occupation of Landowners.

S. No.	Type of business	Number	Percentage
1	Agriculture	775	84.24
2	Business	14	1.52
3	Govt. job	63	6.85
4	Private job/service	51	5.54
5	Others	17	1.85
	Total	920	100.00

5. Sex Ratio of the family member of the land loser

S. No.	Gender of family members	Number	Percentage
1	Male	1846	49.61
2	Female	1875	50.39
	Total	3721	100.00

6. Number of unmarried members from the families of land loser

S. No.	Details of young members	Number	Percentage
1	Unmarried son/brother	169	18%
2	Unmarried daughter/sister	73	8%

7. Number of land losers with various vulnerability status

S. No.	Vulnerability Status	Number
1	Woman headed household	66
2	Household below poverty line	45
3	Divorcee/widow	12
4	Physically/mentally challenged person	3
5	Minor orphan	0

8. Earning member in the family

S. No.	Earning member in the family	Number	Percentage
1	Male	839	91.20
2	Female	81	8.80
	Total	920	100.00

9. Percentage of women's participation in the agriculture according to survey.

S. No.	Participation of woman in agriculture	Number	Percentage
1	0% - 25 %	319	34.67
2	25% - 50%	419	45.54
3	50% - 75%	7	0.76
4	Above 75%	175	19.02
	Total	920	100.00

10. Percentage of women involved in allied activities according to survey.

S. No.	Participation of woman in allied activities	Number	Percentage
1	0% - 25 %	478	51.96
2	25% - 50%	253	27.50
3	50% - 75%	7	0.76
4	Above 75%	182	19.78
	Total	920	100.00

11. Percentage of women involved in decision making

S. No	Role of woman in decision making	Number	Percentage
1	Yes	807	87.72
2	No	113	12.28
	Total	920	100.00

12. Percentage of type of structure according to its construction

S. No.	Type of construction of the structure	Number	Percentage
1	Permanent (with RCC, Single/ Double storey building)	19	21
2	Semi-Permanent (buildings, with tiled roof and normal cement floor)	70	77
3	Temporary (building with mud/brick/wood made walls, thatched/tin roof)	22	24
	Total	91	100

13. Classification of structure according to age of structure

S. No.	Age of structure	Number	Percentage
1	1 - 10 years	37	41%
2	11 - 20 years	18	20%
3	21 - 30 years	6	7%
4	31 - 40 years	4	4%
5	41 - 50 years	22	24%
6	Above 50 years	4	4%
	Total	91	100%

14. Type and use of structures

Use of the structure	Number
Res. Cat	
House	54
Hut	12
Others	1
Com. Cat	
Shop	9
Other structure	
Boundary wall	1
Cattle shed	4

15. Number of fruit and non fruit trees

S. No.	Trees in affected area	Number	Percentage
1	Fruit trees	4723	53.89
2	Non-fruit trees	4466	46.11
	Total	9189	100.00

16. Opinions regarding rehabilitation options

Options for rehabilitation	Number	Percentage
If displaced do you have additional land		
No	480	52.17
Yes	440	47.83
Total	920	100.00
Compensation for land loser		
Cash for land loss	895	97.28
Land for land loss	25	2.72
Total	920	100.00
Compensation for structure loser		
Cash for structure loss	88	96.3
Structure for structure loss	3	3.3
Total	91	100.00

17. Opinion of landowners on income restoration assistance

S. No.	Income restoration assistance	Number	Percentage
1	Assistance/loan from other ongoing development scheme	2	0.22
2	Employment opportunities in construction work	916	99.57
3	Others	2	0.22
	Total	920	100.00

18. Opinions of landowners on gaps of existing healthcare systems

S. No.	General gaps of health care service	Number	Percentage
1	Poor road	186	20.22
2	Lack of hospital	256	27.83
3	Lack of doctors	116	12.61
4	Lack of nurses	31	3.37
5	Lack of medicine	105	11.41
6	Lack of facilitators	30	3.26
7	Lack of doctors, lack of hospital	97	10.54
8	Lack of medicine, lack of nurse	68	7.39
9	Lack of nurses/, poor road , lack of medicine	3	0.33
10	Lack of medicine lack of, lack of hospital	14	1.52
11	Lack of doctors, lack of medicine, lack of facilitators	12	1.30
12	Other	1	0.11
13	Lack of all	1	0.11
	Total	920	100.00

19. Purposes of indebtedness

S. No.	Purpose of loan	Number	Percentage
1	Agriculture	37	41.57
2	Business	4	4.49
3	Development	3	3.37
4	Education	4	4.49
5	Home loan	13	14.61
6	Horticulture	1	1.12
7	KCC	4	4.49
8	Personal loan	5	5.62
9	Vehicle	18	20.22
	Total	89	100.00

20. Sources of information about the LHEP

S. No.	Source of project information	Number	Percentage
1	Govt. officials	812	88.26
2	Newspaper	29	3.15
3	Other villagers	72	7.83
4	TV	7	0.76
	Total	920	100.00

Appendix - 6

जन सुनवाई
ग्राम पंचायत–निथर और देहरा
स्थान – लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह, नित्थर
तिथि 30.06.2018

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
चमेलू देवी, बीडीसी नित्थर	नित्थर व देहरा	9418059717

- नित्थर को प्रभावित पंचायत में लिया जाए क्योंकि इसी पंचायत के लोगों की भूमि अधिग्रहित होने जा रही है और सुरंग का निर्माण भी इसी पंचायत क्षेत्र के नीचे होना है।
- जल संसाधन और पेयजल के समस्या के निदान एवं प्रबन्धन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
- यहां की नकदी फसलों एवं सेब, बादाम आदि की फसल के नुकसान हेतु उचित मुआवजा दिया जाए।
- निर्माण कार्य में रोजगार की गांरटी दी जाए और स्थानीय प्रभावित लोगों को लगाया जाए।
- भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिया जाए।

नम	ग्राम	मोबाईल न0
बिन्दू ठाकुर, पचायत समिति चेयरपर्सन	निरमण्ड बलॉक	9459749821, 7807362465

- परियोजना बनने के बाद जी एम साहब नहीं मिलते हैं।
- नित्थर को पंचायत न मानना क्लेरिकल गलती माना गाया है जिसे सही कराया जाए।
- पानी की समस्या का निवारण करें हैंण्ड पंप लगवाएं और पानी सीधा पंचायत को मिले जानवरों के लिए भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाए।
- पंचायत को आदर्श पंचायत बनाया जाए इसके लिए सड़को व स्ट्रीट लाईटों का प्रावधान किया जाए।
- भू–स्वामियों को योग्यता अनुसार नौकरियां दी जाए।
- अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं एवं अच्छे डॉक्टर परियोजना के माध्यम से उपलब्ध करवाएं जाएं।
- पूर्व मे भी डीएवी स्कूल की मांग की गई थी जो पूरी की जाए।
- पंचायत को समय समय पर बजट उपलब्ध करवाया जाए ताकि छोटे मोटे मुरम्मत का कार्य किया जा सके।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
विवेक ठाकुर	आनस	9459479109

- जमीनों की भरपाई के लिए भूमि के रेट सभी जगहों के लिए समान होने चाहिए। साथ ही पिछले 10 सालों के सरकल रेट और सेल डीड को भी देखा जाना चाहिए। इसके साथ साथ 2011, 2012 में श्रीमान एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा निर्धारित रेटस को भी भूमि मुआवजे के लिए देखा जाना चाहिए।
- राज्य में किसी भी तरह के प्रोजैक्ट चालू किए जाने से पहले आर एवं आर प्लान बनाया जाना चाहिएं जिसमें दिस जाने वाले सभी लाभों का उल्लेख होना चाहिए। लूहरी परियोजना में रामपूर हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजना में दिए गए लाभों से ज्यादा लाभ दिया जाना चाहिएं।

- क्षेत्र में कार्यरत एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएनएल और एचपीपीसीएल जैसी कम्पनियो द्वारा बनाए गए आर एवं आर प्लान से भूमि मालिकों के लिए लाभकारी बिन्दू इस परियोजना के लिए दिए जाने चाहिए। और इनका क्रियान्वयन निर्धारित समय में किया जाना चाहिए। भूमि अधिग्रहण 2013 में दिए गए लाभों से भी ज्यादा लाभ एलएचईपी स्टेज–1 के आरएवं आर प्लान मेंदिया जाना चाहिए।
- जिन लोगों का मकान परियोजना के कारण पानी में डूब रहा है उन्हें रामपुर जल विद्युत परियोजना में दिए गए मुआवजे या आर एवं आर प्लान के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह के प्रत्येक व्यक्ति को एक बना बनाया मकान या कम से कम 10 लाख रूपये दिए जाने चाहिए।
- काफी बडी सरकारी भूमि लोगों के कब्जे में है जो परियोजना में अधिग्रहित की जाएगी। इस कारण वहां कब्जा धारकों को भी लाभ / मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- सार्वजनिक सम्पति का नुकसान – पुल और रोपवे।
    - परियोजना के निर्माण के दौरान विभिन्न स्थानों पर पुल और रोपवे का नुकसान होगा जो इस तरह से है। ग्राम निरथ से आनस तक का पुल, ग्राम शनाह से सनेवन तक रोपवे। इनके लिए नए पुल /रोपवे का निर्माण परियोजना द्वारा करवाया जाए।
    - विभिन्न प्राकृतिक जल स्रोत भी पानी में डूब जाएंगे।
    - ग्राम आनस से निरथ पुल तक ग्राम निथर से ग्राम निरथ तक का पुल, ग्राम आनस से ग्राम शनाह तक के सार्वजनिक रास्तों का नुकसान होगा।
    - शमशानघाट ग्राम शनाह आनस जो कि देहरा पंचायत में है पानी में डूब जांएगे। अतः विद्युत चलित शमशान घाट का निर्माण करवाया जाए। साथ ही आवश्यकता अनुसार लकड़ी उपलब्ध करवाई जाए।
- जंगलात के अधिकार नियम 2006 / ईन्क्रोचर के अधिकारः इस हेतु अधिनियम 2013 के अनुसार मुआवजा दिया जाए।
- स्थाई रोज़गार : शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रभावित परिवारों के सदस्यों को परियोजना द्वारा रोज़गार मुहैया करवाया जाना चाहिए। उसके साथ ही शिक्षा और उम्र में सहुलियत दी जानी चाहिए। विभिन्न संस्थानों जैसे एनटीपीसी, एचपीपीसीएल, एनएचपीसी आदि ने भूमि मालिकों को सीधी भरती की है। अतः इस परियोजना में भी स्थाई सीधी भरती की जाए।
- पुनर्वास व पुर्नस्थापन के लिए किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया जाना चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
प्रमोद ठाकुर	नित्थर	–

- जमीन का मुआवजा उचित दिया जाए पानी की समस्या हल हो लिफ्ट इरीगेशन पर खर्चा करें और इसकी जिम्मेदारी ले और सुनिश्चित करें।
- जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की कई है उन्हें समय दो पर सरकार से संशोधित उचित मूल दिए जाएं।
- प्रभावितों की जिनके पास अधिग्रहित भूमि होने के बाद थोड़ी सी नाम मात्र बचेगी उन्हें वे भूमि परियोजना हेतु अधिग्रहित कर ले।
- प्रभावित पंचायत के बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी हेतु प्राथमिकता दी जाए।
- पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए इस समस्या हेतु एसडीएम साहब व जीएम साहब आज की कोई समाधान ढूंढे वैकल्पिक स्रोतों के विषय आज ही सम्बिन्धित विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नरगेश कटोच	नित्थर	9418001343

- परियोजना में अधिग्रहण की जा रही भूमि में भूमि स्वामियों से पूरी जमीन ली जाए क्योंकि बची हुई जमीन में कोई काम नहीं किया जा सकेगा अतः इसे पूरी लें या पूरी छोड़ दें। अन्यथा जमीन नहीं दी जाएगी।
- जो सरकारी जमीन परियोजना में लग रहीं है उसमें हम पशुओं को चराते हैं अधिग्रहण से पशुओं को चराने में हमें समस्या आएगी इसलिए पशुओ के चारे का भी मुआवजा दिया जाए।
- धान, मक्की, सब्जी, अनार ये जो सब चीजों की खेती हम करते हैं। परियोजना के बाद हम नहीं कर पाएगे इसलिए भू स्वामियों को योग्यता अनुसार नौकरियों दी जाए।
- जिनका मकान जाएगी उनके लिए आरएवंआर प्लान मनाया जाए और उन व्यक्तियों को दूसरी जगह पांच बीघा जमीन खरीद कर दी जाए।
- पानी की समस्या का समाधान हो। जिसमें पीने एवं खेती का पानी की समस्या शामिल हो।
- जमीनों के अधिग्रहण से कई समस्याएं पैदा हो सकती है खेत न होने से अनाज में कमी आएगी जिससे खाने पीने के सतर में कमी हो सकती है और भविष्य में लोग रोगग्रस्त हो सकते है।
- तकनीकी संस्थान खोले जाना चाहिए। निथर में पीएचसी है जो सात आठ ग्रामों को सेवाएं देती है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के तहत पीएचसी को विकसित कर गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव सुविधा उपलब्ध करवाई जाए क्योंकि रामपुर दूर है एवं वहां की सड़क खराब भी है।
- फसलों पर धूल से होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
- जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है उसके लिए मार्किट रेट से चार गुना मुआवजा दिया जाए।
- सामाजिक सुरक्षा पर विशष ध्यान देते हुए निती बनाई जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
बिन्दु, प्रधान	नित्थर	—

- परियोजना 2008 में प्रारम्भ की जाने वाली थी जिसमें अबतक बहुत समय लग चुका है इसमें रोजगार के अवसर ग्रामीण युवाओं को दिए जाने चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नरेश सिंह	नित्थर	—

- बायल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है यह बताया जाए।
- कॉलोनी व स्कूल शिमला जिले को दिए गए हैं।
- 100 यूनिट बिजली भी नहीं दी जा रही है फायदे पूरे नहीं दिए गए हैं इन्जियरिंग कॉलेज कहां बनाया गया यह बताया जाए। यह कॉलेज प्रगति नगर में क्यों बनाया गया है।
- 1.5 प्रतिशत लाडा का पैसा कहां खर्चा किया गया है यह बताया जाए।
- रामपुर बससटैंड का विकास किया जाए।
- कोयल बायल में कितनी सड़क बनाई यह भी बताया जाए।
- भूमि के लिए 4 गुना मुआवजा दिया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
कपूर ठाकुर	नित्थर	9418217902

- परियोजन मे निजी भूमि अधिग्रहित की जा रहीं है शनाह गांव में 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। बची हुई 10 प्रतिशत जमीन किसी काम की नहीं रहेगी अतः इसे भी परियोजना में लिया जाए। जमीन का मुआवजा जो प्रस्तावित किया गया है वह पहले से भी कम हो गया है जो उचित नहीं है। अतः इसके साथ ही मूल्य सभी लोगों को एक जैसा मिलना चाहिए।
- क्षेत्र में पानी की समस्या है परियोजना द्वारा पैसा सरकार को दिया जाता है जो उचित प्रतीत नहीं होता अतः इसी क्षेत्र का पैसा इसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाया जाए। इस क्षेत्र में पानी की गुणवता अच्छी नहीं है अतः एसजेवीएन द्वारा पानी को उठाउ पेयजल योजना द्वारा चलाया जाए व वितरित किया जाए।
- स्थानीय लोगों को रोज़गार के लिए अलग से कोटा रखा जाए।
- जिन लोगों की कृषि भूमि परियोजना में अधिग्रहित की जा रही है उनके पास आमदनी का अन्य स्रोत नहीं रहेगा ऐसे परिवारों के कम से कम एक व्यक्ति को स्थाई नौकारी दी जाए।
- परियोजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र किया जाना चाहिए। ताकि इसमें फायदा सरकार और स्थानीय जनता को मिल सके।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नगीन	मोईन	9418018191

- मोईन गांव इस क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव है जिसे आजतक कोई फायदा नहीं दिया गया है निथर आने के लिए वार्ड पंच को 40–50 किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है इस कारण से विकास कार्यों में बाधा होती है।
- परियोजना के लाभ शिमला जिले के गांवों को दिए जाते हैं जैसेकि कॉलोनी, स्कूल व अन्य कार्य।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
प्रधान देहरा	देहरा	–

- जिन लोगों की जमीन लग रही हैं उन्हें तों उचित मुआवजा मिल ही जाएगा। लेकिन जिन लोगों के घरों को क्षति होगी कृप्या उन्हें भी उचित मुआजा मिले।
- क्षेत्र में पानी की अत्यन्त कमी है पानी खरीद कर लाया जा रहा इस हेतु परियोजना के माध्यम से उचित प्रावधान किया जाए।
- पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है जिसके कारण आजीविका पर प्रभाव पड़ रहा है।
- युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाएं जाए और प्रभावित लोगों के वाहन परियोजना में लगाया जाए।
- आदर्श गांव – इस गांव में स्ट्रीट लाईट लगाई जाए सड़को को पक्का किया जाए। एवं इसे आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
बीडीसी देहरा	देहरा	9418059717

- जल समस्या का समाधान जल्द करें।
- फस्लों का उचित मुआवजा मिले ।
- प्रभावित लोंगों को रोज़गार मिलें।

- लोगों की मांगों को पुरा करें वरना आन्दोलन किया जाएगा।
- प्रदूषण रोकने के लिए उचित व्यवस्थ्था करें।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
परमार चन्द	मोईन	–

- परियोजना में लगाई जाने वाले वाहन स्थानीय लोगों के ही लगाए जाने चाहिए।
- सीडी टैंडर को बाहरी लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
जितेन्द्र	निथर	–

- सभी लोगों को एक समान रेट दिया जाना चाहिए।
- 2010 में मुआवजा निर्धारण के लिए एक कमेटी बनाई गई थी इसके सुझावों को भी मुआवजा के निर्धारण में ध्यान रखा जाए।
- 2005 में जमीन की कीमत साठ लाख थी आज वर्तमान में अठारह लाख है इस पर गौर किया जाए।

एसडीएम महोदय आनी का सम्बोधनः–

महोदय ने परियोजना अधिकारियों के लिए बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में जो लोगों की मांगे है और जो वादे परियोजना द्वारा किया गया है उसे पूरा किया जाना चाहिए।

जन सुनवाई
ग्राम पंचायत–गड़ेज
स्थान – पंचायत घर, बायल।
तिथि 30.06.2018

नम	ग्राम	मोबाईल न0
ओगम राम	बायल	9418157787

- परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासन में समनवय की कमी दिखती है लोगों को फसल के मुआवजे की निती निर्धारित है परन्तु मुआवजा देने में विलम होता रहा है।
- क्षेत्र के लोगों को ईलाज के लिए चण्डीगड़ जाना पड़ता है इस हेतु बिलासपुर में जो एमस बन रहा है केन्द्र और राज्य सरकरा से निवेदन है कि बिलासपुर से किनौर तक फोर लैन रोड का निमार्ण करवाया जाए ताकि कम समय में उच्च स्तरीय हास्पीटल तक पहुंचा जा सके।
- कैट प्लान का पैसा भष्टाचार में खत्म हो जाता है पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
- देवढांक से बायल तक सड़क होनी चाहिए।
- जंगल में आए दिन आग लग रहीं है उसे रोकने के लिए सरकार और एसजेवीएन लोगों को जागरूक करें साथ ही फायर प्लान बनाया जाए।
- नालों में चैक डैम का निर्माण किया जाए ताकि लम्बे समय तक पानी को रोक कर उपयोग में लाया जा सके और भूमि अपरदन को भी कम कर दिया जा सके।
- लोगों को काम मिलें जिनकी भूमि जा रही है।
- एक परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही भूमि का मुआवजा समान होना चाहिए।
- कानून व्यवस्था पर अधिक से अधिक इम्पलीमैंट हो तथा सभी लोंगो का भला हो।
- आवारा पशु एवं पशु चारे के लिए 10 लाख रूपये का आवंटन करते हुए संचालन की व्यवस्था भी परियोजना द्वारा की जानी चाहिए।
- स्टेडियम / खेल का मैदान आदि परियोजना द्वारा विकसित किए जाने चाहिए।
- परियोजना द्वारा करवाए जाने वाले विभिन्न कार्यों के कारण जमीन में बनाए गए सैप्टिक टैंक में भी दरारें आई हैं जिसकारण इसका प्रभाव ग्राउंड वाटर पर भी पड़ सकता है। अतः परियोजना इस हेतु आवश्यक कदम उठाए।
- इस प्रभावित क्षेत्र के दो गांव में धान खेती की जाती है अतः सुविधा के लिए वर्तमान सड़क को पक्का किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
यमन सरकैक	बायल	9816893611

- प्रोजैक्ट में जो जमीन अधिग्रहित हो रहीं है उस जमीन के मुआवले का रेवेन्यू रिकार्ड से वैरिफाईड करके लाभ दिया जाए। पूर्व के अधिग्रहण में साठ लाख की कीमत थी। जो कि अब नौ लाख कर दी गई है।
- पंचायत में पानी की समस्या काफी ज्यादा है जिससे सभी लोग परेशानी का सामना कर रहे है अतः परियोजना से निवेदन है कि पानी की समस्या को सुचारू रूप से सुधार लें।
- निरथ व खेग्सू के मध्य हाईड्रोफिसिग्स / इन्जिनियरिंग के संस्थान प्रारम्भ किए जाएं ।इन संस्थानों से न केवल स्थानीय बच्चों को अपितु राज्य के अन्य बच्चों को भी फायदा होगा एवं स्थानीय युवाओं को स्थानीय निकायों में रोजगार मिल सकेगा।

- परियोजना प्रभावित परिवारों को राजस्व विभाग के अभिलेखों को देखकर ही भुगतान किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
रमन सरकैक	बायल	–

- 2010 में सैक्शन –4 से सैक्शन 10 तक की कार्यवाही कर ली गई थी परन्तु उसके बाद कोई कार्य नहीं किया गया इन्हीं कारणों से उस समय में किए जा रहे कार्य बन्द कर दिए गए जिनसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इन नुकसानों की भरवाई की जाए।
- इस पंचायत के लोगों को बिथल क्षेत्र के दिए गए मुआवजे की राशि से ज्यादा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र रिजरवायर का क्षेत्र है।
- रोजगार के लिए केवल निर्माण कार्यों में ही स्थानीय लोगों को लगाया जाता है अतः इसमें किसी तरह का कोटा निर्धारित किया जाना चाहिए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
विनय सरकैक	बायल	–

- जमीन अधिग्रहण के बाद कई लोगों के पास जमीन का छोटा हिस्सा ही बच जाता है इसलिए पूरी जमीन का अधिग्रहण की किया जाना चाहिए अन्यथा कोई जमीन नहीं ली जानी चाहिए।
- हाईड्रो इन्जिनियरिंग कॉलेज के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।
- बिथल क्षेत्र की जमीने डपिंग साईट के लिए ली जा रही है जिनका मुआवजा राशि कई गुना है अतः डपिंग साईट को बदला जाए और इस क्षेत्र के गरीब लोगों की जमीन को अधिग्रहित करते हुए उन्हे लाभ दिया जाए।
- क्षेत्र में पर्यटन, बोटिंग, मछली पालन का लाईसैंस ज़ारी किया जाना चाहिए

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
लक्ष्मण सिंह	बायल	9418133109

- परियोजन प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों के लिए वि"ोष ध्यान रखते हुए परियोजना द्वारा उनकी कोचिंग पर किए जा रहे खर्चों के लिए भी प्रावधान रखना चाहिए। जिससे गरीब परिवारों के होनहार बच्चे आगे बढ़ सके और विकास में भागीदार हो सके।
- परियोजना द्वारा क्षेत्र के बच्चों का आईटीआई के माध्यम से विभिन्न कोर्स करवाए जाते रहे हैं परन्तु इन में से कितने बच्चों को रोजगार प्राप्त हुआ है इसका वि"ालेषण किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
नूरअली	बायल	

- हम गुज्जर है हमें दो बिस्वा जमीन सैक्शन हुई थी पर हमारे नाम नहीं हुई। अब परियोजना के बनने से वह जमीन पानी में सबमर्ज हो रही है इससे हम बेघर हो जाएंगे। ना ही इसका कलैम मिल पाएगा। जंगलात भी बन्द है।

एसडीएम महोदय आनी का सम्बोधन।

परियोजना को लोगों की मांगों को सुनते हुए इस पर अमल करना चाहिए। अगर परियोजना द्वारा कोई किसी मांग के लिए अपनी सहमती दी है इस अवस्था में उन्हे पूरा करने का दायित्व भी परियोजना का रहेगा।

सीएसआर बजट में यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता रहती है तो इसके लिए भी प्रशासन से चर्चा की जा सकती है।

जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रिय संस्कृति एवं सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी। जिसके लिए हर सतर पर वि”ोष प्रयास किए जाने चाहिए। परियोजना के अलग अलग चरणों में धूल एवं परिवहन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। उपरी पंचायतों व क्षेत्रों में भी यह धूल पर्यावरण व कृषि को नुकसान कर सकती है इसके लिए परियोजना के प्रारम्भिक चरणें में ही इसके समाधान हेत आवश्यक कदम परियोजना सतर पर लिए जाने चाहिए।

जन सुनवाई
ग्राम पंचायत–शमाथला
स्थान – महिला मण्डल रिवाली।
तिथि 01.07.2018

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
प्रधान मीना जरेट	शमाथला	9817344024

- इस क्षेत्र में पानी का काफी आभाव है अतः इस क्षेत्र में पानी की सुविधा परियोजना के माध्यम से दी जाए।
- बेरोज़गार युवकों को उनके शिक्षा के हिसाब से रोज़गार दिया जाए।
- नौला मे मन्दिर का रास्ता व अन्य रास्ते पक्के करवाएं जाएं।
- पशुओं की रोक के लिए फैंसिग की जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
गोपाल मैहता	शमाथला	9418110660

- 2013 लैंड एक्ट के बजाए 2015 में जो बिल पास हुआ उसमें 26ए दिया है उसके मुताबिक 4 गुना मुआवजा दिया जाए। यह एक्ट अन्य राज्य में भी लागू हो चुका है।
- लैंड एक्ट के सर्किक रेट पर पुनः विचार कर इसे ठीक किया जाए। रिवाली चरौटा एक ही साथ है लेकिन रेट अलग अलग है।
- परियोजना के द्वारा से डीएवी / सैंटर स्कूल खोला जाए।
- एनएच रामपुर से कूमारसेन तक कोई हस्पताल का प्रावधान नहीं है। अतः हस्पताल खोला जाए।
- लाडा एवं सीएसआर का पैसा उठाऊ पेय जल योजना में लगाया जाए। पिछले 4–5 सालों से पानी की कमी के कारण सारे फल वाले पौधे सुख गए है जिस कारण खेती में नुकसान बढ़ता जा रहा है।
- लोगों द्वारा छोड़े गए पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
महेन्दर सिंह, वार्ड सदस्य	रिवाली	9816655035

- युवाओं के लिए रोजगार सुनिि"चत किया जाए।
- चौराहों पर स्ट्रीट लाईटों का प्रावधान हों
- संजीवनी सेवा अच्छा कार्य कर रहीं है इसके साथ लैब टैस्टिंग खोली जाए। क्योंकि हस्पताल यहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर रामपुर और कुमारसेन में स्थित है जिससे बजुर्गो और बच्चों को परेशानी न हो।
- धूल आदि से चरौटा गांव प्रभावित होगा धूल भरी हवा उपरी गावों में जाएगी इसलिए पूर्व से ही इसे रोकने के प्रयास किए जाए।
- स्थानिय स्तर पर 5–10 बैड का अस्पताल खोला जाए।
- पानी की काफी समस्या है इस बारे सीएमडी को भी पत्र दिया गया है कोई उतर नहीं आया है जल्द ही कुछ किया जाए।
- बाहरी लोगों के आने से यहां पर अपराध बड़ेगा आने वाले समय में यहां पर पुलिस चौकी खोली जाए।

- हरीजन बहुल के दो गांव है नगरांव व वंटीपर है जिसमें सड़क नहीं है अतः परियोजना के माध्यम से इन गांव को सड़क मार्ग से जोड़ा जाए।
- इस पंचायत में 12 महिला मण्डल है जो सोशल कार्य करती है प्रोत्साहन हेतु इन्हे लघु एवं मध्ययम उद्योगों से जोड़ा जाए ताकि आय में वृद्वि हो सके।
- झाकडी में डीपीएस स्कूल है और बायल में डीएवी स्कूल है शिमला जिले के बच्चों के लिए कोई कॉलेज नहीं है अतः इन्जियरिंग कॉलेज खोला जाए।
- परियोजना में दो से तीन लोंगों की जमीनें लग रहीं है पर परियोजना से उन्हें नहीं जोड़ा जा रहा है अतः निवेदन है कि इस समस्या का समाधान शीघ्र किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
वीना ठाकुर, जिला परिषद	शमाथला	9816015997

- यह क्षेत्र डंपिग साईट के लिए निर्धारित है जिसके कारण प्रदूषण होगा। और इससे अन्य पंचायत भी प्रभावित होगी। अतः उन्हें भी प्रभावित पंचायतों में लिया जाए।
- पंचायत में एक घर गिरा था जिसके लिए परियोजना/प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गई अगर दी होती तो पंचायत के लोगों को इससे काफी प्रोत्साहन मिलता।
- वनीकरण कर पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
धर्मवीर चौहान, कण्डा	कण्डा	9816149837

- स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था की जाए।
- लिफट इरीगेशन के लिए प्रावधान की जाए।
- कृषि/मजदूर से जुड़े लोंगों को होने वाली दूर्घटना जैसे कि कुते ने काटा सांप आदि के काटने से जल्द इलाज नहीं होता है इसके लिए हमारे यहां अस्पताल का प्रावधान किया जाए।
- शिक्षा के लिए अच्छे कोर्स एसजेवीएन प्रबन्धन की तरफ से करवाए जाएं।
- बाहर के लोग काम करने आएंगे इसके कारण संस्कृति एवं संस्कारों पर कुप्रभाव पड सकता है इसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

नाम	ग्राम	मोबाईल न0
गुलाब मैहता	बिथल	981657688

- अग्रिम चार माह में पानी की स्कीम का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- बाहर से आने वाले मजदूरो के लिए कम से कम 20 टायलेट की व्यवस्था परियोजना के माध्यम से किए जाने चाहिए।
- जन कल्याण के लिए 10 करोड़ का प्रोजैक्ट बनाए ।

एसडीएम कुमारसैन का सम्बोधन।

परियोजना को लोगों की मांगों को सुनते हुए इस पर अमल करना चाहिए। अगर परियोजना द्वारा कोई किसी मांग के लिए अपनी सहमती दी है इस अवस्था में उन्हे पूरा करने का दायित्व भी परियोजना का रहेगा। सीएसआर बजट में यदि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता रहती है तो इसके लिए भी प्रशासन से चर्चा की जा सकती है। जन सुनवाई के दौरान क्षेत्रिय संस्कृति एवं सुरक्षा पर चिंता जताई गई थी। जिसके लिए हर सतर पर वि"ोष प्रयास किए जाने चाहिए। परियोजना के अलग अलग चरणों में धूल एवं परिवहन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। उपरी पंचायतों व क्षेत्रों में भी यह धूल पर्यावरण व कृषि को नुकसान कर सकती है इसके लिए परियोजना के प्रारम्भिक चरणें में ही इसके समाधान हेत आवश्यक कदम परियोजना सतर पर लिए जाने चाहिए।

जन सुनवाई
लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज–1 (210 मेगावाट)।
स्थान : निरथ
तिथि : 02.07.2018

नाम	गांव	मोबाईल
नन्द लाल जी,	विधायक, रामपुर क्षेत्र	9418029977

- भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से किया जाए ताकि परियोजना जल्दी प्रारम्भ की जा सके।
- लोगों ने जमीन खाली रखी है जिसके कारण वितिय नुकसान हो रहा है।
- परियोजना का नाम बदल कर सूर्यनारायण हाईड्रो प्रोजैक्ट रखा जाए।
- परियोजना द्वारा अनुबन्ध किया जाए कि परियोजना में किस तरह की नौकरी दी जाए। जो लोग शैक्षणिक योग्यता रखते है उन्हें रोज़गार लाडा का पैसा इसी क्षेत्र के लिए रखा जाए। इसे अन्य किसी क्षेत्र में खर्च न करें।
- डपिगं यार्ड निरथ से दूर है यहां गांव में झील व पावर हाउस के लिए जमीन दी गई है अतः हास्पिटल स्कूल आदि के लिए जमीन इसी गांव से ली जाए। इस तरह का प्रोविजन रखा जाए। ताकि सोशल एक्टिविटी परियोजना के माध्यम से की जा सके।
- परियोजना के अन्तर्गत क्यार वाली जमीन अधिग्रहित की जा रही है जबकि उपर का क्षेत्र पानी की कमी के कारण सुखा पड़ा है अतः ऊठाउ पेय जल योजना से निरथ गांव को जोड़ा जाए।
- चूंकि इस पंचायत में भविष्य में ऑफिस आदि खोले जाएंगे इसलिए निरथ को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाए।
- मुआवजे के लिए अन्य राज्यों में चार गुना का रेट देने का प्रावधान है इसे इस राज्य में भी लागू करवाया जाए।
- किनौर में कई प्रौजैक्ट कार्य कर रहे हैं जिसका सबक लेते हुए इस क्षेत्र में प्रशासन वि"ोष ध्यान रखे और भूमि मालिकों को मुआवजों में उचित प्रावधान रखें।
- ग्राम पंचायत निरथ में इन्जिनियरिंग कॉलेज एवं केन्द्रिय विद्यालय खोला जाए। निरथ के आस पास के गांव भी परियोजना के कारण प्रभावित हो सकते हैं इसके लिए भी सीएसआर में उचित प्रावधान रखा जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
प्रेम चौहान	उप प्रधान, निरथ	9816504193

- लूहरी परियोजना चरण–1 पिछले 10–12 वर्षों से प्रस्तावित है इसके लिए प्रकिया धारा 4 जो कि 07 अगस्त 2010 तथा 03 जून 2011 की अधिसूचना के तहत लाई गई थी। इस अवधि से लेकर आज तक निजी भूमि मालिकों को अपनी सिंचचित कृषि भूमि से वंछित रखा गया है या रहना पड़ा है जिसकी भरपाई परियोजना प्रबन्धन व सरकार द्वारा की जाए। अतः परियोजना में विश्वास बना रहे इसलिए परियोजना को समय रहते पूरा किया जाए और भू स्वामियों को उचित लाभ मिल सके।
- परियोजना का नाम निरथ गांव में स्थित सूर्य नारायण मन्दिर के नाम पर रखते हुए पूरा नाम ''सूर्यनारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना'' के नाम से रख जाए। ताकि विश्व के मानचित्र पर यह गांव स्थापित हो सके।

- डपिंग साईट को इसी गांव में लाया जाए ताकि भविष्य में सभी विकासात्मक कार्य जैसे आवसीय कॉलोनी, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, कार्यालय, पार्क, खेल मैदान जैसी आधाभूत सुविधाए उपलब्ध हो सके।
- उठाऊ सिंचाई योजना एवं स्वच्छ पेय जल योजना की वि"ोष आवश्यकताएं इस भूमि पर पैत्रिक समय से लोग अपना जीवन निर्वाह कृषि के माध्यम से करते हैं। चुंकि कृषि वर्षा पर निर्भर करती है इस हेतु उपलब्ध भूमि के लिए उठाउ सिंचाई योजना बनाई जाए ताकि पंचायत के सभी गांव के किसान अपनी भूमि को उपजाउ बनाकर आत्म निर्भर हो सके।
- परियोजना के कारण निरथ गांव सबसे ज्यादा प्रभावित होगा अतः इसे माडल विलेज बनाने के लिए मांग की गई है एवं सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।
- अधिग्रहित की जा रही भूमि एनएच–5 पर स्थित है इस भूमि पर अनाज फसलों के अलावा बादाम, पलम, आम ,लिची, अनार आदि उगाया जाता है। इस भूमि की महता देखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुरूप किया जाए। एवं सरकल रेट श्रेणी 1 से निर्धारित किया जाए। यह दर सभी क्षेत्रों में एक तरह से हो।
- स्थाई रोजगार पुर्नस्थापन और पुर्नवास योजना बनाई जाए। इसके अर्न्तगत प्रभावित भूमिमालिकों के परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थाई रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही स्थानीय युवाओं को रोज़गार में 70 प्रतिशत तक की प्राथमिकता दी जाए।
- परियोजना प्रभावित परिवारों एवं प्रमाणित पंचायत क्षेत्र के युवाओं को ठेकेदारी छोटे बड़े वाहन मशीनरी के कार्य पर लगाने में उचित रियायतें देकर आंकलित किया जाए। साथ ही विभिन्न पदो ंके साक्षातकार में भी इन्हें वि"ोष छूट दी जाए।
- उच्च "िाक्षा / तकनीकी "िाक्षा ग्रहण कर रहे युवा युवतियों को छात्रवृति दी जाए।
- निरथ गांव में स्थित अति प्राचीन व एतिहासिक सूर्यनारायण मन्दिर स्थापित है जिसके संरक्षण व जिर्णोद्दार परियोजना के माध्यम से की जाए।
- पर्यटन व इको टूरिज्म को क्षेत्र में विकसित किया जाए ताकि बेरोज़गार युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सके।
- पोलिटेक्निक इन्जिनियरिंग शैक्षणिक संसथान एंव स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जाए एक केन्द्रिय उच्च विद्यायल/ डीएवी स्कूल, एक उच्च तकनीकी हस्पताल एवं एक पालिटेक्निक कॉलेज स्थापित किया जाए।
- परियोजना प्रभावित पंचायतों में मुफ्त बिजली का प्रावधान रखा जाना चाहिए।
- कैटप्लान के तहत अलग से जो धन का प्रावधान रखा गया है उस धन को इसी क्षेत्र में खर्च किया जाए जिसके माध्यम से खाली वन भूमि पर वर्क्षारोपण, भूमि कटाव रोकने, जल सरंक्षण व पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यो में स्थानीय जनता की भागीदारी से किया जाए।
- परियोजना क्षेत्र में आने वाले शमशान घाट पानी में डूब जांएगे इसके लिए धूंआ रहित शमशान घाटों का प्रावधान भी किया जाए ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो।
- एंटाईटेलमैंट मैटिक्स में दिए गए विभिन्न प्रावधानों को बढ़ाया जाए मवेशी शैड या छोटी दुकानों को प्रतिस्थापित करने के लिए ₹25,000/– से बढ़ाकर ₹1,00,000/–, की राशि, निजी संरचनाओं से स्थान्तरण के लिए ₹50,000/– से बढ़ाकर ₹5,00,000/–, जीवन निर्वाह सबसिडी के अन्तर्गत ₹36,000/– से बढ़ाकर ₹ 1,00,000/–, विस्थापित परिवार के लिए पुर्नवास भता ₹ 50,000/– से बढ़ाकर ₹ 2,50,000 किया जाए।
- सीएसआर और लाडा की राशि को परियोजना प्रभावित पंचायतों में ही खर्च की जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
सतपाल जी, उप प्रधान देलठ	चूंजा	9418071836

- देलठ पंचायत का गांव चुंजा के लोगों की जमीन परियोजना में अधिग्रहित की जा रही जमीन से केवल 100 मीटर की दूरी पर है जो कि राजस्व क्षेत्र व चक निरथ पटवार वृत में आता है। चूंजा गांव के लोगों की पैत्रिक जमीने नरोला में लग रही है जो कि पटवार वृत निरथ में है लेकिन चुंजा गांव को परियोजना प्रभावित पंचायत में शामिल नहीं किया गया है। अतः इसे परियोजना प्रभावित गांव में शामिल किया जाए। पंचायत देलठ के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए क्योंकि निरथ बांध स्थल से यह क्षेत्र की भूमि एक किलोमीटर के दायरे में आती है। अगर ग्राम पंचायत को परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में नहीं लिया जाता तो पंचायत क्षेत्र के लोगों की कोई भी भूमि अधिग्रहण के लिए नहीं दी जाएगी और इसका विरोध किया जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
डोला राम भगत,	नरोला	9736082930

- चूंजा गांव को भी प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
रवि मोहन	निरथ	8626930301

- डैम बनाने के बाद जो मरे हुए पशु बह कर आएंगे वहीं पर सड़ेगें जिसके कारण मिथेन गैस निकलेगी भविष्य में यह गैस क्षेत्र के तापमान को प्रभवित कर सकती है।
- उक्त परियोजना के कारण क्षेत्र में आद्रता बढ़ेगी जो विभिन्न प्रकार की बिमारियों के लिए सुविधाजनक वातावरण बनाती है। इसके लिए परियोजना द्वारा यथोचित प्रयास किए जाएं और उचित प्लान तैयार किया जाए।
- बांध के कारण सील्ट जमा होती रहेगी जिसका उचित निराकरण का प्लान भी तैयार किया जाना चाहिए।
- भविष्य में परियोजना के निर्माण के दौरान क्रैशर चलाए जाएंगे जिससे क्षेत्र में धूल उड़ेगी इसके लिए उपरी क्षेत्रों के लिए भी परियोजना द्वारा प्रावधान रखा जाए।
- वर्षारोपण पर भी वि"ोष ध्यान दिया जाए ताकि पर्यावरण पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सके साथ ही लगाए गए पौधों की देखभाल वृक्ष बनने तक की जाए यह परियोजना द्वारा सुनि"चत किया जाए।

नाम	गांव	मोबाईल
बृज लाल	दतनगर	9877260496

- झाकड़ी में 1500 मैगावाट का प्रोजैक्ट तैयार है व बिजली बेची जा रही है। और कोई भी बताया गया बादा पूरा नहीं किया गया है।
- निरथ में डैम बन रहा है जिससे निरथ सबसे ज्यादा प्रभावित है।
- थैली चक्टी गांव के लोग भी प्रभावित है अतः उन्हें की प्रभावित लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाए।
- रामपुर जल विद्युत परियोजना 412 मैगावाट में भी लोगों को पुरा मुआवजा नहीं दिया गया है अतः इस पर वि"ोष ध्यान दिया जाए।

- क्षेत्र के लोग परियोजना के खिलाफ नहीं है परन्तु एसडीएम महोदय एवं परियोजना अधिकारी जनता की मांगों को पूरा कराएं।

नाम	गांव	मोबाईल
लाल चन्द शर्मा	निरथ	9418475393

- गांव में सूखा कचरा एवं गीला कचरा के निस्थारण के लिए एसजेवीएन द्वारा कूड़ादान उबलब्ध करवाए गए है उसके लिए हम आभारी हैं परन्तु यह कूड़ादान वर्तमान में पूर्णतया भर चुके हैं जिसके लिए एसजेवीएन द्वारा कोई उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

एसडीएम महोदय रामपुर का सम्बोधन

1. आने वाली समस्याओं कठिनाईयों का आंकलन किया जाए जिसे रिर्पाट में भी सम्मिलित किया जाए और सरकार को भेजा जाए। सभी परेशानियों, कठिनाईयों एवं समस्याओं पर सरकार द्वारा विचार कर निर्णय लिया जाएगा।
2. आई गई सभी मांगों को रिकोमैंडेशन के साथ सरकार को भेजा जाएगा।

जन सुनवाई
लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण–1 (210 मैगावाट)
ग्राम पंचायत दत्तनगर
दिनांक 02.07.2018

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर
वीना नेगी, प्रधान	दत्तनगर	9816924180

- ग्राम पंचायत दतनगर के लाडा के तहत मिलने वाली राशि 3 करोड़ रुपये हमें अभी तक नही मिली। जब हमने डी.सी. शिमला से यह जानकारी ली तो पता चला वह पैसे किसी और जगह खर्च कर दिए गय हैं तो हमारी मांग है कि हमें लाडा की तहत दी जाने वाली राशि दी जाए।
- स्वच्छता हेतु 2–3 कूड़ेदान की व्यवस्था की जाए ताकि कूड़े को सही जगह पर एकत्र कर डिस्पोज किया जाए।
- दतनगर में डम्पिग साईट की जो भी धूल आएगी हम चाहते हैं इसके लिए स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए।
- दतनगर को मॉडल टाउन बनाया जाए।
- ग्राम भद्राश को अभी तक स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हुई । हमारी मांग है कि उन्हे स्वच्छ पेयजल के लिए उपाय किए जाए।
- भद्राश में सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि का मुआवजा फ्लेट रेट व 4 गुणा की दर से प्रदान की जाए।
- शमशान व कब्रिस्तान स्थल परियोजना निर्माण हेतु अधिग्रहण की जा रही है। अतः उक्त के लिए उचित स्थान की व्यवस्था की जाए।
- स्विरेज व आधारभूत सुविधा, युवक मण्डल हेतु खेल मैदान, एन एच पर आवारा पशु है जिस पर परियोजना ने कोई कार्य नही किया। अतः इसे एएफसी की रिपोर्ट पर दर्ज किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर
ओम प्रकाश सरकैक	दतनगर	8219303689

- जिन भू–स्वामियों की भूमि अर्जित की जा रही है आज तक उन्हें बुलाकर उनके विचारों को नही लिया गया । हम चाहते हैं कि जिनकी भूमि अर्जित की जा रही है उन्ही से बात की जाए ताकि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप न हो।
- भूमि की अच्छी कीमत मिलनी चाहिए।
- भू–अधिनियम 2013 को ध्यानपूर्वक लागू किया जाए तथा भूमि का मुआवजा 4 गुणा दिया जाए।
- बीपीएल परिवारों की भूमि अधिग्रहण की जा रही है अतः इस पर भी परियोजना प्रबन्धन ध्यान दें।
- जो कमेटी बनी है उसमें कोई भी दतनगर का नागरिक नहीं है अतः इसमें भूमिहीन को भी शामिल किया जाए। भूअर्जन अधिनियम को सही प्रकार से लागू करवाया जाए।
- हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती है तो परियोजना का विरोध (Boycott) करेंगे।
- परियोजना की तरफ से हमें बुलाकर कमेटी बनाई जाए ताकि बाहरी लोग राजनीतिक लाभ न ले सकें।
- ग्राम भद्राश को पानी नही मिलता इन्हे स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर

मोहन सिंह ठाकुर	दतनगर	8628842551

- जिन भाईयों की निजी भूमि लग रही है बाजार रेट से 4 गुणा मुआवजा दिया जाए। राज्य में बनाए जा रहे फोर लेन प्रोजेक्ट में 04 गुणा मुआवजा दिया जा रहा है।
- जिनकी भूमि इस परियोजना में लग रही है उन्हे नौकरी दी जाए।
- लोकल लोगों को परियोजना में 70 प्रतिषत रोजगार दिया जाए।
- 85 प्रतिषत लोग कृषि पर आधारित है उन लोगो में से जिनकी 100 प्रतिषत भूमि अधिग्रिहित होगी उनके लिए परियोजना द्वारा पुर्नस्थापन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बायल में जो अस्पताल है सुबह 10:00 बजे खुलकर शाम को 05:00 बजे बन्द हो जाता है और वहां कोई भी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त नही हो रही है। अतः अस्पताल 24X7 सुविधा प्रदान करें साथ ही सर्जरी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, दवा रोग विशेषज्ञ उपलब्ध करवाया जाए।
- नित्थर से लेकर दतनगर तक 06 कि.मी. लम्बी नहर होगी। अतः वहां वाटर बोट और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए ताकि यहां के युवाओं को रोजगार मिल सके।
- एसजेवीएन के माध्यम से क्षेत्र में बागवानी विकास के लिए विषेष तकनीकी प्रषिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए।
- लूहरी जल विद्युत परियोजना का नाम लूहरी जल विद्युत परियोजना न होकर निरथ डैम रखा जाए।
- 10 साल से इस परियोजना की बातें चल रही है जिसके कारण क्षेत्र के कृषकों ने खेती करना छोड दिया हैं। आज जब यह परियोजना फिर से लगने जा रही है अतः इन 10 सालों में कृषि के क्षेत्र में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
- सभी तरह के प्रदूषण पर अंकुष लगाने का उचित व्यवस्था की जाए।
- कैट प्लान के तहत जो पैसे वन विभाग को दी जाती है उसका सदुपयोग नही हो पाता। हम चाहते है कि एसजेवीएन स्वयं कैट परियेाजना के तहत काम करें और पेड लगाएं और पेडों की अच्छी तरिके से देखभाल करें।
- इस क्षेत्र के लिए डीएवी कालेज का प्रावधान किया जाए जिसमें सभी विषयों पर अध्ययन करवाया जाए जिससे बच्चों का बाहर जाना कम किया जा सकेगा।
- प्रभावित परिवारों का 100 यूनिट बिजली 10 सालों के लिए दी जानी चाहिए।
- दतनगर ग्राम में आवारा पशुओं के लिए एक गौषाला खोली गई है जिसकी लागत लाखों रुपये आई है। इसी तरह इस क्षेत्र में 1000 गायों के लिए गौषाला का निर्माध किया जाए।
- परियोजना के माध्यम से जमीन अधिग्रहण के बाद भूमि विस्थापितों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। इतनी बडी राशि के विवके पूर्ण प्रबन्धन के वितीय प्रबन्धन पर जागरुकता शिविर का प्रबन्धन किया जाए ताकि लोग परियोजना से मिलने वाले राषि का दुर–उपयोग न कर सके।
- फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए। दतनगर में वर्ष 2011 से 2015 तक फसलों का भुगतान नहीं दिया गया। अतः प्रबन्धन विशेष ध्यान देकर शीघ्र भुगतान करवाये।
- बाहरी मजदूरों के आने से अपराध बढने के अवसर होगें इसलिए अपराध राकने के लिए उचित व्यवस्था की जाए।
- दतात्रेय मन्दिर की जिर्णोद्वार के लिए उचित राषि प्रदान की जाए।
- ग्राम पंचायत दतनगर के लाडा के तहत मिलने वाली राशि 3 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए।

नाम	ग्राम	मोबाईल नम्बर

पवन शर्मा	दतनगर	9418088784

- अधिग्रहण के पश्चात शेष बची भूमि पर पेड़ लगवाएं जाएं ताकि अच्छी बारिश हो।
- अच्छा अस्पताल खोला जाए और सस्ती दवाएं प्रदान की जाए।

<u>एसडीएम महोदय का सम्बोधनः—</u>

जैसा कि मुझे इस जन सुनवाई के बाद लग रहा है कि नुकसान व फायदों का आप लोगों को ज्ञान है और आप पुराने परियोजनाओं का प्रभाव जानते हैं। इस जन सुनवाई के माध्यम से आपकी सभी प्रस्तावों, समस्याओं व मांगों को सरकार को भेजा जाएगा। सरकार कुछ मांगों को मानती है कुछ को नही। सरकार गहन विचार—विमर्ष के पश्चात ही फैसला लेगी। मैं उन समस्याओं को संज्ञान में लेकर सरकार को प्रेषित करुंगा। वितीय लेने—देन पर सेमीनार हेतु षिविर के लिए मैं प्रस्ताव जल्द भेज दूंगा। भू—अर्जन अधिनियम के अनुसार कोई भी कमी नहीं रहने देंगें तथा आपकी मांगों को सरकार को उचित कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जाएगा।

सेवा में

माननीय उपमण्डल अधिकारी महोदय (नागरिक)

आनी जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)।

विषय :–गांव शनाह फाटी नित्थर जिला कुल्लू में SJVNL लूहरी जल विधुत परियोजना स्टेज प्रथम हेतु अर्जित भूमि के अलावा शेष वची भूमि के अर्जन बारे प्रार्थना पत्र।

मान्यवर जी,

सविनय निवेदन यह है कि सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड द्वारा लूहरी जल विधुत परियोजना स्टेज प्रथम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परन्तु प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजना से हम समस्त जनता काफी खुश है जिसका कार्य शुरू होने से इस क्षेत्र का समुचित विकास होने के साथ –साथ वेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध होगा। परन्तु खेद का विषय है कि सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड द्वारा लूहरी जल विधुत परियोजना के लिये गांव शनाह फाटी नित्थर में लगभग 210 बीधा भूमि अर्जित की है परन्तु अर्जन के अलावा 25 वीधा भूमि शेष बचती है जो कि लगभग सभी ग्रामवासियों के हिस्से में एक, व दो विस्वों में पडती है जिसमें कृषि करना नामुमकिन है। परन्तु अधिग्रहण से बची भूमि अर्जन के संदर्भ में कई मर्तवा प्रवन्धक निदेशक सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड शिमला,प्रवन्धक निदेशक सतलुज निगम लिमिटेड,तथा जिलाधीश महोदय कुल्लू को अवगत करवा चुके है। इसके अलावा दिनांक 30 / 08 / 2017 को सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड द्वारा लूहरी जल विधुत परियोजना निर्माण से सम्बन्धित जन सुनवाई में भूमि मालिकों ने शेष बची भूमि के अर्जन के बारे में निगम व प्रशासन के समुख भी मांग रखी जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है जबकि प्रस्तावित निर्माणाधीन परियोजना की दूसरी जन सुनवाई दिनांक 30 / 06 / 2018 को निश्चित हो चुकी है।

- अतः हम समस्त ग्राम वासी शनाह फाटी नित्थर माननीय उप मण्डल अधिकारी महोदय (नागरिक) आनी से विनम्र निवेदन करते है कि उक्त प्रस्तावित परियोजना हेतु अर्जन से बची शेष 25 वीधा भूमि को भी लूहरी जल विधुत परियोजना हेतु अधिग्रहण के आदेश निगम को जारी करने की कृपा करें जी ताकि भूमि मालिकों को परेशानी का सामना न करना पडे। हम आपके आभरी रहेंगें।

धन्यवाद।

भवदीय,

समस्त ग्रामवासी शनाह

फाटी नित्थर जिला कुल्लू (हि०प्र०)

दलीप ठाकुर गाo
चारोली डा० घर
नित्थर जिला कुल्लू
हि० प्र० 172033
M. No. 9805421950

प्रतिलिपि सेवा में प्रवन्धक महोदय सतलुज जल विधुत निगम लिमिटेड लूहरी को सूचनार्थ प्रेषित है।

F-18

To

The S.D.M.,
Anni,Distt. Kullu,
Himachal Pradesh

Sub: **Issues/demands to be included in Social Impact Assessment Study and Social Impact Management Plan for Land Acquisition for Luhri Hydro-Electric Project Stage –I, SJVNL in Shimla and Kullu Districts of Himachal Pradesh.**

1. **Market Rate of Land:** Chapter four of the SIA report is not clear and the estimation of the land to be acquired is not as per expectation of the land loosers. Following points should be kept in consideration while formulating the market rate of land: -

i. Flat rate of total land to be acquired for Luhri Hydro Electric Project, Stage-I should be provided for the land to be acquired for various components of the project.

ii. Irrespective of type of land, class, land use, distance from road, type of road, revenue village and District; maximum compensation among all the land to be acquired should be provided to all the land owners as all the acquisition is being done for the same purpose and a hydro power project is a profit generating industry so maximum market value of land should be provided. *As It is by now settled preposition of law that if land is acquired for a particular purpose, such as, construction of buildings etc the very classification of the acquired land, loses its very significance.* It being so, the market value of the acquired land is required to be assessed at a flat rate.

iii. Sale deeds and circle rates of last ten years of every revenue villageof which land is proposed to be acquired should be taken into account to calculate the market value of the land to be acquired for the Project in various revenue villages.Market value of the land as per the registered sale deeds in the revenue village in which land is acquired or in the vicinity should be considered as the market rate of the land.

iv. Last decision of the committee for finalising the market rate of land to be acquired for the Luhri Hydro Electric Project (Single Stage) headed by S.D.M (Anni) in 2011-12 should also be taken into consideration.

v. Left out land after proposed land acquisition for the Project in Village Shanah, Gram Panchayat Dehra, Sub Tehsil Neether, of District Kullu, Himachal Pradesh should be also acquired by the Government as the left out land in this village will be of no use due to very less quantum of land per

F-19

land owner and it will be difficult to manage by the land owners as most of the land is going to be acquired for the Project.

2. **Rehabilitation &Resettlement Plan:** A comprehensive Rehabilitation & Resettlement Plan**(R&R Plan)** should be formulated and before proceeding into the land acquisition process and should be implemented within six months of acquisition of land. All the benefits and compensation in the R&R plan should be comparatively more than that of R&R Plan Rampur Hydro Electric Project of SJVNL and any other project of any PSU or private hydro power developer. Stakeholders friendly detailed Relief and rehabilitation Plan incorporating best part of R&R plans of NTPC, NHPC, UJVNL and HPPCL should be prepared and implemented within stipulated period. The R&R plan for LHEP Stage-I should provide more benefits than as mentioned in the The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Its complete implementation period is nowhere mentioned in the SIA report

3. **House looser:** due to land acquisition for the project many households are also to be acquired and all of them should be well compensated i.e. comparatively more than that provided to the house loosers due to Rampur Hydro Electric project by the court decision or otherwise as per the R&R Plan. Every House looser should be provided with a build-up house or Minimum one time grant of Rs.10Lakhs.

4. **Unregistered possession in Government land:** A large area of Government land is proposed to be acquired for the Project which is in possession of many people. So the compensation/benefits of acquisition of such land should also be given to the tenants who are having possession on that land.

5. **Loss of common Property and Public Utilities**: Following properties and public utilities are going to be damaged permanently by the project which needs to be compensated or reallocated before construction of the Project:

A. Bridges/Rope ways: Bridge at Nirath and path from Nirath to Anas will be disrupted and submerged permanently due to the project. Therefore, alternate to this bridge an another bridge with road connecting Nirath to Anas should be constructed well before damaging the existing road and bridges. Also few rope ways across river Satluj one in Village Shanah and another in Village Stewen Sub tehsil Neether are going to be submerged in the reserviour of the Project. So they

F-20

should be compensated by alternate mode of transportation i.e. either new rope ways at the same locations or new bridges should be developed in the above mentioned locations.

B. **Natural water resources:**Various natural water resources that will be submerged in the proposed reservoir of the Project.

C. **Public Paths:**

i) Village Anas to Bridge at Nirath

ii) Village Neether to Bridge at Nirath

iii) Village Anas to Crematoria at Village Shnah.

D. **Crematoria:** The age old crematorium along river Satluj at Village Shanah, Anas, Gram Panchayat Dehra, Sub Tehsil Neether, Distt. Kullu will be submerged in reservoir of the project. Naturally wood for cremation is always available at this location as wood with river water comes and gets collected here. Therefore, to compensate it Electric Crematorium/SMOKE FREE CREMATORIUM FURNACE should be established for the people of Gram panchayat Neether and Dehra before it gets submerged. Also free wood should be provided at this crematorium.

6. **Forest Right Act 2006/ Encroachers Rights:** Definition of encroachers is not clear in the draft SIA report of the Project and also rights of encroachers should be defined according to Forest Right Act 2006 and The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Forests Rights of affected area of the project is not clear and no where mentioned in the SIA Report.

7. **Consent Form:** Consent form have been filled during the survey of the SIA for the acquisition of land for LHEP, Stage-I. Those forms should be returned to the concerned people in original.

8. **Definition of holding of land:** As mentioned in The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013 the definition of the land holding should be included in the report and the same should be implement while acquisition of land.

9. **Permanent Employment:**

a. Permanent Employment especially in the field of Environment, P&A, Relief & Rehabilitation should be provided in SJVNL to the Land/House Losers due to the Project. As qualified educated local person have best knowledge of the area and is familiar with the local area, biodiversity, environment, customs, culture and dialects which results in easy rapport development with the project affected people. If employment is opted by land looser than should be provided employment within six months of acquisition.

b. Also relaxation in age, qualification and mode of education should also be provided while providing Permanent Employment in SJVNL to the Land/House Losers due to the Project. Various other organizations in Hydro Power Sector in India including UJVNL **(Annexure-II)**, NTPC**(Annexure-III)**,HPPCL **(Annexure-IV)**, SJVNL**(Annexure-V)**and NHPC **(Annexure-VI)** has given direct employment to the land losers due to their respective projects. So SJVNL should also ensure permanent employment to land losers and house losers due to Luhri Hydro Electric Project Stage-I.

10. **Detail of Land holders and house holders:** Incomplete/incorrect detail of land and house loosers due to the proposed project is provided which should be corrected.

11. No Committees should be framed for implementing welfare and Rehabilitation & Resettlement Schemes. As such committees may lead into dispute among affected people and project authority and administration should implement all such policies as per Act and policies framed for the Project.

Vthakur 30/06/2016

VIVEK THAKUR,
M.Sc. (Environment and Ecology)
VILAGE ANAS, GRAM PANCHAYAT DEHRA,
SUB TEHSIL NEETHER, P.O. NEETHER,DISTT.
KULLU, H.P. (172033)
vivek.thakur2007@gmail.com;+919459479109.

Copy to:

1. The H.O.P., Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt. Shimla, H.P.

(Annexure-II)

यूजेवीएन लिमिटेड

मुख्यालय : "उज्जवल" महारानी बाग, जी०एम०एस० रोड, देहरादून-248006
दूरभाष स. : 0135-2763808 फैक्स : 0135-2763508
सी०आई०एन० स. : U40101UR2001SGC025866 वेबसाइट : www.ujvnl.com

विज्ञापन संख्या, RECTT/01/2016

[illegible]–व्यासी परियोजना के भूमि प्रभावित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु विशेष भर्ती का विज्ञापन

[illegible]–व्यासी परियोजना के भूमि प्रभावित श्रेणी के चिन्हित निम्न पदों हेतु केवल [illegible] परियोजनाओं के भूमि प्रभावित परिवार के अर्ह सदस्यों से आवेदन पत्र आमंत्रि[illegible] जाते हैं–

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	शाखा	चिन्हित पदों की सं०
01	[illegible] (प्रशिक्षु) ([illegible])	वेतन बैण्ड–2, रु. 9300–34800, ग्रेड वेतन रु0 4600	विद्युत यांत्रिक इलैक्ट्रॉनिक्स	23*
02	[illegible] (प्रशिक्षु) ([illegible])	वेतन बैण्ड–2, रु. 9300–34800, ग्रेड वेतन रु0 4600	जानपद	56*
03	[illegible] सहायक– [illegible]	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	–	01
04	[illegible] सहायक– [illegible])	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	–	01
05	[illegible] –III	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	–	04
06	[illegible] –II (विद्युत)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	विद्युत	04
07	[illegible] –II (यांत्रिक)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	यांत्रिक	04
08	[illegible] (यांत्रिक)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	यांत्रिक	02
09	[illegible] (सिविल)	वेतन बैण्ड–1, रू. 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2600	सिविल	02

नोट– [illegible] यूजेवीएन लिमिटेड के पूर्व विज्ञापन संख्या 01/Rectt/2015–16 दिनांक [illegible] 25.06.2015 के सापेक्ष दिनांक 24.01.2016 को आयोजित लिखित परीक्षा [illegible] आधार पर उपरोक्त परियोजना के भूमि प्रभावित अभ्यर्थियों से चयनोपरान्त चिन्हित पदों को कम कर दिया जायेगा।

2. [illegible] पदों पर नियुक्तियां परियोजनाओं की आवश्यकतानुसार चरणबद्ध क्रम में की [illegible]।

3. [illegible] विज्ञापन सिर्फ संक्षिप्त है तथा विस्तृत विज्ञापन यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाइट www.ujvnl.com पर HR-Recruitment शीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध है।

आवेदन कैसे करें– इच्छुक अर्ह उम्मीदवारों से अनुरोध है कि यूजेवीएन लिमिटेड की वेबसाइट www.ujvnl.com के HR-Recruitment शीर्षक के अन्तर्गत आवेदन पत्र को डाउनलोड कर, निर्धारित शुल्क जमा करवाकर, स्वप्रमाणित आयु सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्र, लखवाड़–व्यासी परियोजना के भूमि प्रभावित का प्रमाण–पत्र, जाति/उपजाति सम्बन्धी सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण–पत्र एवं सम्बन्धित अन्य कोई प्रमाण–पत्र बन्द लिफाफे में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निम्न पते पर बिलम्बतम दिनांक 30.06.2016 तक भेजना सुनिश्चित करें। लिफाफे के शीर्ष भाग में आवेदित पदनाम अंकित करना आवश्यक है। देर से प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

महाप्रबन्धक (जानपद), यूजेवीएन लिमिटेड,
लखवाड़ भवन, डाकपत्थर, देहरादून।

पत्रांक सं. 376/म.प्र.(प्र.नि.का.)/विज्ञापन
दिनांक 06.06.2016

महाप्रबन्धक
(का0 एवं औ0सं0)

"बिजली के बरबादी पूर्ण उपयोग से बचे"

NTPC

एनटीपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

एनटीपीसी कोलडैम परियोजना के भूविस्थापितों से

अप्रेंटिस [illegible]

[illegible] पद हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

[illegible] (एण्ड आई)
[illegible] 07 [illegible] 01 सी एण्ड

[illegible] परियोजना के
[illegible] हेतु आरक्षण

[illegible] तिथि को 35 वर्ष
[illegible] 05 [illegible] को 03 वर्ष तथा

[illegible] इलेक्ट्रानिक्स एवं
[illegible] इंजीनियरिंग डिप्लोमा/
[illegible] अ.ज.जा. के

[illegible] संशोधित ।
[illegible] पर इन डिप्लोमा
[illegible] (सिविल/मैकेनिकल/
[illegible] 5700 - 3% - 11750 वेतनमान
[illegible] किया जायेगा [illegible]
[illegible] रहेंगे [illegible]
[illegible] अभ्यर्थियों को
[illegible] अवधि हेतु निगम की
[illegible] देना होगा ।

[illegible] अ.ज.जा., अ.पि.
[illegible]

2. अभ्यर्थी को दिए गए आवेदन पत्र के अनुसार विवरण सहित भूमि अधिग्रहण कार्यालय द्वारा जारी किया गया भूविस्थापित प्रमाण-पत्र अवश्य संलग्न करना होगा ।
3. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. से संबंधित अभ्यर्थियों को उचित प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति अवश्य जमा करनी होगी ।
4. कम्पनी के पास आवश्यकता के आधार पर कोई और सूचना दिए बिना नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने/प्रतिबंधित करने/काट-छांट करने का अधिकार सुरक्षित है ।
5. ऐसे आवेदन जो दिए गए प्रारूप के अनुसार नहीं होंगे अथवा जो अपूर्ण/अस्पष्ट/अहस्ताक्षरित अथवा जिनके साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होंगे उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा ।
6. आवश्यकता के आधार पर एनटीपीसी की किसी भी इकाई/परियोजना में नियुक्ति की जा सकती है । पद स्थानांतरणीय है ।
7. डाक में देरी होने अथवा रास्ते में खो जाने के लिए एनटीपीसी उत्तरदायी नहीं होगी ।

आवेदन कैसे करें

पात्र अभ्यर्थी को जन्म तिथि, श्रेणी अर्थात अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि. आदि (यदि लागू हो), योग्यता (दसवीं कक्षा से आगे) भूविस्थापित (एलएसी का प्रमाण पत्र) के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपियां तथा पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो (02) फोटो सहित आवश्यक रूप से नीचे दिये गए प्रारूप के अनुसार आवेदन करना होगा । आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन (नीचे दिये गए प्रारूप के अनुसार विधिवत भरा हुआ) निम्नलिखित पते पर भेजें :

मुख्य प्रबन्धक (मानव संसाधन) कोलडैम हाईड्रो पॉवर प्रोजेक्ट पी. ओ. बरमाणा जिला: बिलासपुर (हि.प्र.) पिन - 174013

आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि है : 20.06.2009 । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

F-24

PLICATION FOR THE POST OF DIPLOMA TRAINEE (CIVIL/MECH/...)
(USE CAPITAL LETTERS)

1. ...st Applied For (please tick on appropriate) ...
2. ...ame
3. ...ther's/Husband's Name
4. ...ate of Birth
D D ... M M ...
5. ...tegory (Indicate Category Name & Code)
...GEN, 2-SC, 3-ST, 4-OBC, 5-PH ... Category Name ... Category Code
(Physically Handicapped, Nature of disability & % of disability to be mentioned)
...hether Land Oustee of NTPC/Koldam ?
...hoose ... YES ... NO (If Yes, give the details below)
...ender (M= Male, F= Female)
...us of ...
...manent Postal Address

House No	
Village	
POST	
Tehsil	
District	
State	P I N

...ress for Communication

House No	
Village	
POST	
Tehsil	
District	
State	P I N

...ucational Qualification. Please mention both Academic and Technical/Professional Qualifications (...separate Sheet if required):

...Passed	Board/Univ./Instute	Subject/ Specialization	Duration	Division	% age

...and Oustee Details (Enclose copies)

...	Relationship with the Land Oustee	Area i.e. Vill/Mouza/Mohalla from which land acquired	Quantum of Land acquired (in Bighas)	Dag/Khatian/Khasra No.

...ployment Exchange Registration Details, if any: (Enclose Copies)

...Number	NCO Number	Date of Registration

...t Telephone No. with STD Code and email address Tel/Mob
e-mail

DECLARATION

...certify that the information provided above is true to the best of my knowledge and in case any information as above ...found to be incorrect or suppressed at any stage, I understand that I am liable to be terminated from the services of ... without prejudice to any other legal and disciplinary action as deemed fit by the Management. ... gone through the entire full text of the advertisement and agree to all the conditions given thereof.

...(...te details):

(Signature of the Candidate)

F-25

Himachal Pradesh Power Corporation Limited
(A State Government Undertaking)
Himfed Bhawan, Panjri, (Below Old MLA Quarters), Shimla-171005.
Phones: 0177-2633815 Fax No.: 0177-2633813

Advertisement No: HPPCL/Appt./2/13

HPPCL a power generation company of the State Government invites applications from eligible Indian citizens to fill up following posts at E-0 level on contract basis:

A. Name of post, Minimum Educational Qualification, Emoluments, No. of posts etc.:

Sr. No.	Name of Post/ Entry level	Minimum Essential Educational Qualification *	Emoluments per month	No. of posts	Reservation Details: Category	Reservation Details: Number
1.	Assistant Engineer (Civil/ Mechanical), E-0 level	Full time Degree in Civil/ Mechanical Engineering discipline/ M.Tech (Civil /Mechanical)/ PGD in Hydro Power Plant engineering from a recognised University / Institute of India with at-least 60% marks	Minimum of the pay band plus grade pay (16650 + 5800 Grade Pay) i.e. Rs. 22450	10	General/ Unreserved (UR)	01
					Ex-servicemen (UR)	07
					Distinguished sportsperson (UR)	01
					SC (PWD)	01
2.	Assistant Engineer (Electrical), E-0 level	Full Time B.E./B.Tech. (Electrical) and B.E./B.Tech. (Electrical and Electronics)/ M.Tech (Electrical)/PGD in Hydro Power Plant engineering from a recognized University / Institute of India with atleast 60% marks		07	Ex-servicemen (UR)	04
					SC	02
					ST	01
3.	Assistant Finance Officer, E-0 level	Full time CA/ICWA/M.Com/ MBA(Finance) with B.Com from a recognized University/ Institute with at least 55% marks		07	General/UR	03
					Ex-servicemen (UR)	02
					SC	01
					OBC	01
4.	Assistant Officer (Relief & Rehabilitation), E-0 level	Full time BE in Rural Engineering or Equivalent or M.Phil (Sociology/ Social Work) with at least 55% marks. Preference shall be given to the candidates having R&R experience in hydropower sector		02	General	02

F-26

- **Desirable qualification:** Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for working in climate and topography of Himachal Pradesh.
- **Minimum Percentage:** The requirement of minimum percentage of marks in prescribed qualification will be 50% for SC/ST/Internal Candidates and 55% for other categories in respect of for Assistant Finance Officer and Assistant Officer (R&R). Similarly, for Assistant Engineer (Civil/Mechanical) and Assistant Engineer (Electrical), the minimum percentage of marks in prescribed qualification will be 55% SC/ST/Internal Candidates and 60% for other categories.
- Preference and relaxation in age may be given to deserving candidates who have completed Apprenticeship in HPPCL.
- **Preference shall be given to** PAFs etc. of HPPCL projects whose land has been acquired or its possession taken over as per the provisions in the R&R policy of HPPCL.

B. Age: Between 18 to 45 years as on 17th August, 2013 for receipt of applications with relaxation to reserved categories as per State Govt. rules. Relaxation in upper age limit shall be given to internal candidates as per approved policy. Relaxation of 5 years in upper age limit shall be given to candidates belonging to Project Affected Families etc.

C. Filling up of Application proforma and instruction related thereto: Interested candidates are requested to apply online. Before filling the online application form, candidates should read the following guidelines and instructions:

i. Candidates should have a valid e-mail ID.

ii. Before applying online, candidates are required to make the DD of requisite amount.

iii. Candidates should first scan their photograph and signature before applying online.

iv. Candidates can then log on to the Corporation website http://hppcl.gov.in

v. Candidates are required to register online. Please note the username and password for future reference.

vi. After registration new webpage shall open where candidates can click on the link 'Apply Online' alongwith other related links.

vii. Fill all the details in the application form alongwith DD no., date, Name of Issuing Bank etc., at the appropriate places.

viii. After filling all the details in online application form, click on 'Submit' button'.

ix. A unique application number will be generated by the system, please note the application number for future reference and use.

x. After successful submission of online application, take a print out of the online application form and send it alongwith the DD on or before the last date of receipt of applications as mentioned in the advertisement to the Director (Personnel), H.P. Power Corporation Limited, Himfed Bhawan, Panjri, (Below Old MLA Quarters), Tutikandi, Shimla-171005. While sending the application the candidate must superscibe on the top of the envelope "APPLICATION FOR THE POST OF (name of the post)". Self addressed envelope of size 12 cm X 27 cm duly affixed with Rs. 25/- / postage stamp be sent alongwith the application.

xi. Candidates should put their Name, Application Number, Mobile Number and signature on the reverse side of the DD.

F-2

D. **Closing date:**

- For all applicants other than below mentioned areas, the last date of receipt of applications is on or before **31st July, 2013.**
- For the applicants of Main Project Affected Families/ Project Affected Families of HPPCL Projects, the last date of receipt of applications is on or before **5th August, 2013**
- **For the applicants** residing in Andaman & Nicobar Islands, Lakshdweep, Ladakah Division of J&K State, Sikkim, Assam, Tripura, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram Arunachal Pradesh, Bharmour & Pangi Sub Div. of Chamba Distt. , Dodrakwar Sub Division of Shimla Distt., Kinnaur and Lahaul & Spiti Districts of Himachal Pradesh, the last date for receipt of applications is **17th August, 2013.**

  * **Applications received after the closing date shall not be entertained/ accepted.**

E. **Application Fee:** **Demand Draft of Rs. 500/- for General /OBC Creamy Layer Category and Rs. 100/- for Reserved Categories made in favour of Himachal Pradesh Power Corporation Limited payable at any scheduled bank at Shimla.** Candidate must write his/her name, application number, mobile number and sign on the reverse/ back side of the draft. Candidate must write Name, Application Number and Mobile Number and sign on the reverse.

F. **Other Terms and conditions:**

i. Onus of proving that candidate is qualified shall be on the candidate. In case no date of notification/declaration of final result is mentioned in any certificate, the date of issue of certificate shall be deemed, date of obtaining Educational Qualification. Incomplete, defectively filled up, old, unsigned and photocopied application forms will be rejected straightway and no subsequent correspondence will be entertained on this issue.

ii. In service candidates may apply to the Corporation as an advance copy with the information to their Head of Departments/Employer for issuing No Objection Certificate at the time of interview.

iii. Relaxation, Reservation and Concessions to SC/ST/OBC/PWD/Ex-servicemen shall be as per the rules issued by the State Government from time to time.

iv. Category like General/ SC/ ST/ OBC etc. once claimed in the application form will not be substituted/ changed later on.

v. Number of post(s) is/ are tentative and may increase or decrease for different categories of posts.

vi. Fee in the shape of bank draft must be enclosed with the application proforma, failing which the application will be rejected. Separate application will have to be sent for each category of post(s).

vii. Candidates belonging to MPAF landless, MPAF houseless, MPAF, PAF or resident of PAA have to attach documentary proof of same duly signed by the concerned Deputy Commissioner or Head of the Project on the basis of quantum of land or property acquired by HPPCL.

viii. **Candidate from Main Project Affected Family/ Project Affected Family (as defined in R&R Plan of HPPCL available on HPPCL Website) where no one is employed (on regular or contract basis) in HPPCL or any government department or corporation or board or any other organization shall be given preference over a candidate from such a family whose any member is employed.**

From one project affected family only. one person will get offer after fulfilling requisite criteria.

The candidates belonging to reserved categories (except Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Ward of Freedom Fighter) are required to give with their application, a self declaration in the format which is available in the application form in support of their claim for such a category. However, category certificates will be produced by them at the time of interview. Candidate(s) must possess SC/ST/OBC certificate(s) on parental basis of H.P.

The decision of the Corporation as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to interview or selection will be final and no correspondence / personal enquiries will be entertained. The Corporation will not be responsible for any delay in receipt of applications, due to any reasons whatsoever.

Candidates shortlisted on the basis of their applications will be called for test/Interview. A admit card/ call letter shall be generated for the shortlisted candidates online alongwith the relevant instructions. This admit card/ call letter is to be produced at the time of the written test/ interview and also at the time of final selection/ appointment/ joining. Responsibility of safe-keeping of the admit card shall vest with the applicant only.

No TA/DA will be paid to attend the test/interview and candidates have to make their own boarding /lodging arrangement for test/interview.

Candidates expecting their final results for qualifying degree may also apply subject to production of final result at the time of interview.

Depending upon number of applications for particular post/posts, HPPCL may hold screening or written test to be followed by personal interview.

If two candidates acquire equal marks during final selection then preference would be given in the following order:

i. MPAF PAF
ii. Has done Apprenticeship in HPPCL,
iii. Higher minimum essential qualification marks,
iv. Date of Birth, who so ever is older,
v. Experienced candidate will be preferred.

The recruitment process can be cancelled/ suspended/ postponed without assigning any specific reason.

Candidate after selection will be posted anywhere in the State of H.P./ India where Corporation has its operational activities. A declaration to this effect is mandatory in the application form.

A select panel equal to the number of vacancy notified and based on performance of the candidate in test/interview will be drawn. The candidate on the select panel will be offered an appointment subject to medical fitness test/ verification of character /antecedents/ educational qualification etc. A reserve panel will also be drawn as per merit which will be operated, in case a candidate from select panel refuses appointment or is disqualified or if vacancies are to be essentially filled up within a year of drawing the panel.

After selection a contract agreement for employment on contract basis shall be executed by HPPCL with the selected candidates stamp paper.

The selected candidates will be taken as Executive Trainee on contract basis at E-0 Level and shall be on probation for one year and the services during the period of probation can terminated without assigning any reason. After one year at E-0 level, depending upon their rating of performance appraisal, they shall be considered for

E-1 level on contract basis on the same emoluments with annual increase @3% per annum at par with GoHP contract employee.

xix. Selected candidates can also be provided facility of bachelor/ leased accommodation subject to its availability in various Hydro Electric projects/ other offices of HPPCL but it cannot be claimed as a matter of right.

xx. The selected candidates on joining shall be governed by the HPPCL Service rules and CDA rules.

xxi. TA & DA will however be paid when on tour as per entitlement of equivalent post. HRA/ House Lease/ Medical Reimbursement/ Vehicle Allowance etc. will be paid as per company rules for equivalent post.

x. Personnel's appointed in Kashang HEP except intake site of Kashang HEP and Shongtong-Karcham HEP shall be paid 30% and at intake site of Kashang HEP shall be paid 50% of the monthly salary extra as special project site allowance as per company rules on actual days spent in the project site.

For any inquiry candidates are advised to contact Recruitment Team at Phone No. 2633815 and e.mail dir_pers@hppcl.gov.in

-Sd/-

(Vinod Kumar Tiwari)
Director (Personnel)
Phone No. 0177-2633815 (O)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक..................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री.. की अध्यक्षता में..................सदस्यों की उपस्थिति में हुई,

जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक..................... प्रस्ताव संख्या..................... दिनांक 01-07-2014

विषय :-(8) धार्मिक स्थल व सांस्कृतिक के संरक्षण बारे:-

यह कि ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत गाँव नीरथ में प्राचीन एवम् ऐतिहासिक सूर्यनारायण मन्दिर व दुर्गा माता मन्दिर स्थापित है। जोकि प्राचीन काल से स्थित है। इन धार्मिक स्थलों में यहां की आम जनता की आस्था व धरोहर है। इसलिए इस धार्मिक स्थल का संरक्षण व जीर्णोद्धार परियोजना के माध्यम से किया जाए। साथ ही साथ यहां के विभिन्न गाँवों में छोटे-छोटे अन्य मन्दिर भी है। इनका भी संरक्षण किया जाए।

(9) पर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित करने बारे:-

परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को पर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित किया जाए जैसे: जल क्रीड़ा मत्स्य और बोटिंग गतिविधियों को बढ़ाया जाए तथा यहां के बेरोजगार युवाओं को इस बारे प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जाए।

10. पोलिटेक्निक इन्जीनियरिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, व स्वास्थ्य सेवा बारे

परियोजना के माध्यम से यहां की प्रभावित (14) पंचायतों के क्षेत्र में केन्द्रीय बिन्दु मान कर एक पोलिटेक्निक इन्जीनियरिंग, एक केन्द्रीय उच्च विद्यालय या D.A.V स्कूल और एक उच्च तकनीकी अस्पताल होना अति आवश्यक है। तथा एक एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता को आपातकालीन स्थिति में यहां की बिमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

(11.) मुफ्त बिजली दिलवाने बारे:-

परियोजना के माध्यम से प्रभावित पंचायत क्षेत्र की जनता को परियोजना के आरम्भ होते ही मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तथा आजीवन काल तक सुविधा दी जाए। क्योंकि परियोजना इसी क्षेत्र में बनाई जानी है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

एसजेवीएन अरुण-३
पावर डेभलपमेण्ट कम्पनी (प्रा.) लि.

SJVN Arun-3
Power Development Company (P.) Ltd.
(A company promoted by SJVN limited, joint venture of Govt. of India and Govt. of H.P.)

CAREER OPPORTUNITIES IN A GROWING ORGANISATION

Advt. No: 03 / 2017

SJVN Arun-3 Power Development Company Pvt Limited (SAPDC), a company promoted by SJVN Limited (A Venture of Government of INDIA) in Nepal is executing 900 MW Hydro Power Project along with associated Transmission Line on BOOT basis, intends to fill-up vacancies in various disciplines like CIVIL / ELECTRICAL / MECHANICAL / IT&C ENGINEERING; HUMAN RESOURCES; FINANCE & ACCOUNTS; PUBLIC RELATIONS; R&R; GEOLOGY at various levels both in Executive Cadre as well as in Supervisory Cadre (JE / JO) and Trainees (Executives & Supervisors).

Vacancies are to be filled up, purely on contract basis, for an initial period of 03 years which may further be extended at the discretion of SAPDC Management. Walk-in Interviews will be conducted, depending upon the response / number of applicants. However, in the event of higher number of applications against any post / vacancy, the recruitment process may include written test, Group Discussions, personal Interviews. Only Nepalese Citizens are eligible to apply for the abovementioned vacancies.

Intended applicants may appear for Walk-in Interviews as per the schedule indicated in the detailed advertisement. Only Nepalese Citizens with prescribed qualification and experience may appear for Walk-in Interview, offering their candidature against the vacancies at Executive or Supervisory Cadres (comprising of different levels, which shall depend upon Qualification, Experience, Age Limit, Skills, etc. Freshers may also appear for Walk-in Interviews to be considered as Executive Trainees / Supervisor (JE / JO) Trainees in the respective disciplines.

The following are the criterion in this regard:

A) Minimum Qualifications Required for EXECUTIVE CADRE:

Disciplines	Minimum Qualification Requirement
Civil / Mechanical / Electrical Engineering	Degree in respective Engineering discipline from a recognised University / Institute from with minimum 55% marks.
Information Technology & Communication	B.E. / B. Tech. (Computer Science / Computer Engg.) / MCA from a recognized University / Institute with minimum 55% marks
Geology	M.Sc. (Geology / Applied Geology/ Geophysics) with Engineering Geology as the main subject or M.Sc. in Engineering Geology from a recognized Institute with minimum 55% marks
Human Resources	Graduate with Two Years full time MBA / PG Diploma (with specialization in Personnel Management) from a recognized University / Institute will be the main qualification with minimum 55% marks
Finance & Accounts	CA / ICWA / Two Years full time MBA (Finance) will be the main qualification with minimum 55% marks
Resettlement & Rehabilitation	Graduate with Two Years full time Post Graduate Degree in Rural Management or Social Work from a recognized University / Institute with minimum 55% marks
Public Relations	Graduate with Two Years full time Post Graduate Diploma in Journalism or Public Relations or Mass Communications from recognized University / Institute with minimum 55% marks

B) Minimum Qualifications Required for SUPERVISORY (Junior Officer / Junior Engineer) CADRE:

Disciplines	Minimum Qualification Requirement
Civil / Mechanical / Electrical Engineering	Full time Diploma in respective Engineering discipline from a recognised University / Institute with minimum 55% marks
Information Technology & Communication	Full time Diploma / degree in IT / MCA or equivalent from a recognized University / Institute with minimum 55% marks
Geology	Full time M.Sc. (Geology / Applied Geology/ Geophysics) or M.Sc. in Engineering Geology from a recognized University/ Institute with minimum 55% marks
Human Resources	Graduate with one / Two Years full time Post Graduate Degree/ Diploma in Personnel Management / Labour Welfare / Business Management / Office Management / Public Administration / BBA (HR) from a recognized University/Institute will be the main qualification with minimum 55% marks
Finance & Accounts	Inter CA / Inter ICWA (simple pass) or full time M. Com from a recognized University/Institute will be the main qualification with minimum 55% marks
Resettlement & Rehabilitation	Graduate with full time PG Degree in Rural Management or Social Work / MA (Sociology) will be the main qualification with minimum 55% marks
Public Relations	Graduate with Post Graduate Diploma in Journalism or Public Relations or Mass Communication of duration not less than 2 years from recognized University/institute with minimum 55% marks

C) Levels, Minimum Post Qualification Experience and Upper Age limit:

Level	Relevant Post Qualification Executive Experience (as on closing date of application)	Upper Age Limit (as on closing date of application)
Executive Engineer	15 Years	45 Years
	12 Years	45 Years
Assistant Executive Engineer / Assistant Manager	09 Years	35 Years
	06 Years	35 Years
	03 Years	30 Years
Junior Officer / Junior Engineer	15 Years	30 Years
	11 Years	45 Years
	07 Years	40 Years
	03 Years	35 Years
Executive Trainees	Fresher	30 Years
Supervisory Trainees	Fresher	30 Years

D) Remuneration:

Remuneration package will be commensurate with qualification, experience and in accordance with the company policy and rules. Remuneration may be negotiable for deserving candidates based on Qualification and Experience of the applicant. Whereas the Trainee Executives and Trainee Supervisors will be paid a consolidated Stipend.

General Conditions:

1. The candidates should have obtained the above qualifications from an Institution / University of Nepal / Abroad, which are duly recognized by Nepal Council of Technical Education & Vocational Training / Tribhuvan University / GoN.

2. Candidate should not have attained the upper Age as prescribed above as on the closing date of advertisement.

3. The candidates should have minimum relevant experience as on date of Walk-in interview.

4. Before offering their candidature for any of these posts, the candidates should ensure that they fulfil all eligibility conditions.

5. Their admission at all the stages of the Interview will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.

6. In case it is detected that at any stage that the candidate doesn't fulfil any of the eligibility criterion, his/her candidature shall be rejected /cancelled, without assigning any reasons thereof. Similarly, even after joining, if it is found that the candidate has furnished any incorrect information or suppressed any material fact / information, his / her services shall be summarily terminated at the discretion of SAPDC Management.

7. The decision of the SAPDC as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the interview shall be final.

8. Only Nepalese citizens need apply. Preference will be given to deserving Project Affected Persons (PAPs), subject to fulfilling the requisite qualifications and experience suiting to the job requirements.

9. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview / written test for selection process as per requirement of post.

10. The management reserves the right to increase / decrease the number of posts or consider for lower posts / grade or not to fill up any of the post or raise the minimum eligibility standards or relax age / experience or any other criterion in other wise suitable cases and also cancel candidature of any candidate / or cancel entire recruitment process without assigning any reason. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview/ selection process.

11. Any legal proceeding in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/or an application in response there to can be instituted only in Kathmandu and court / tribunal / forum at Kathmandu only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any such cause /dispute.

12. SAPDC will take up verification of eligibility condition with reference to original document only at the stage of interview / selection.

13. Advance applications in the prescribed format along with copies of testimonials / certificates in support of age, Qualification, experience, etc. may be sent through E-mail to sapdcrecruit@gmail.com.

14. Candidates must appear in person along with their applications on prescribed format (as available on respective websites / job portals) and certified copies of Testimonials / Certificates in support of age, education, experience citizenship, etc. The candidates must carry original certificates / Testimonials for verification only, which will be returned immediately.

15. Application in the prescribed format along with copies of testimonials / certificates in support of age, education, experience citizenship, etc. may also be sent by post to the Chief Personnel Officer, **SAPDC, Madhyapur (Thimi), House No. 03, Lokánthali, Kathmandu, Nepal OR by post to P.O. Box: 5685, Kathmandu**

16. **WALK-IN INTERVIEW SCHEDULE:**

Venue: **Hotel De La Annapurna, Durbar, Marg, Kathmandu**

S. No.	Cadre	Discipline (s)	Date (s)	Time
1	EXECUTIVES	Civil / Mechanical / Electrical Engineering and IT&C / Geology / HR / F&A / R&R / PR	05 June 2017 to 07 June 2017	10:00 AM to 05:00 PM
2	SUPERVISORS (JE / JO)			
3	EXECUTIVE TRAINEES / SUPERVISOR (JE / JO) TRAINEES			

Note: **The candidates shall report and submit their applications latest by 03:00 PM on scheduled dates, thereafter their candidature will not be considered for Interview on that date.**

The closing Date for receipt of advance applications by Post / E-Mail is 30th May 2017

F-

कार्यालय ग्राम पंचायत, निथर

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

दिनांक..................

क्रमांक..................

नकल प्रस्ताव संख्या.............. दिनांक बैठक.......................उपस्थिति..................

अध्यक्षता..

विषयः- जन सुनवाई के मौका पर उपस्थित परम आदरणीय S.D.M साहिब
D.M साहिब नायब तहसीलदार साहिब त्री-स्तरीय पंचायतीय राज के प्रतिनिधि
गण मंचस्थ अन्य गणमान्य महानुभाव बहनो भाईयो:-

सर्व प्रथम मैं अपनी पंचायत की तरफ से उपस्थित अतिथियों का अभिनन्दन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे लिए यह अपार हर्ष का विषय है कि परियोजना प्रभावित परिवारों की सुध-बुध लेने प्रशासन एवं परियोजना अधिकारी पधारते रहे है। इस कड़ी मे आज भी आमने-सामने कुछ बाते होगी।

रामायण मे एक चौपाई मे कहा गया है:-

" परोपकार के समान धर्म नही भाई, पर निंदा के समान नही अधमाई।"

अर्थात दूसरे का भला करना सब से बड़ा धर्म है तथा दूसरे की निंदा करने से बढ़कर कोई पाप नही। परियोजना के लिए भूमि देने वाले वास्तव मे राष्ट्र के परोपकारी हैं। महान है वह त्याग जिन लोगों ने अपनी भूमि राष्ट्रहित मे परियोजना को दी है, निःसंदेह वे सब वंदनीय है। अतः जन प्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रशासन एवं परियोजना अधिकारी के संज्ञान में कुछ बाते लाना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ।

(1) जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है प्रयास किया जाए कि उन्हें समय-2 पर सरकार से संशोधित उचित अच्छे मूल्य दिए जाए ताकि उनके त्याग की कुछ क्षतिपूर्ति की जाए।

(2) प्रभावितों की जिनके पास अधिग्रहित भूमि होने के बाद आंशिक (थोड़ी सी) नाम मात्र भूमि ~~बची है~~ बची है उनका मानना है कि वह भी परियोजना हेतु परियोजना के अधिकारी ले लें।

(3) प्रभावित परिवारों व प्रभावित पंचायत के बच्चों को उनकी योग्यता अनुसार नौकरी हेतु प्राथमिकता दी जाए। ताकि परिवार के भरण पोषण का सहारा मिल सके।

(4) अन्तिम बिन्दु में क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए जो इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या हो गई है हमको पानी नसीब नहीं हो रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अगर सबसे बड़ी क्षति होती है तो वह है जल-स्रोतों के सूखने की समस्या जमीन की खुदाई से जल स्तर गहरा चला जाता है। इस विषय में S.D.M. साहब व G.M. साहब आज ही कोई समाधान ढूंढे वैकल्पिक स्रोतों के विषय आज ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाए।

महोदय! ये सब समस्याएं व प्राथमिक सुविधाएं प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करवाई जाए। जिससे आप का यहां आना सार्थक हो सके अन्यथा मिटिंग होती है होगी पर सब बेमानी रहेगी।

अन्त में आप सब का प्रभावितों की सुध-बुध लेने हेतु बहुत-2 आभार। धन्यवाद।

— प्रमोद ठाकुर

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

महोदय जी जिन लोगों की जमीन ~~लि~~ लग रही है उन्हे तो उचित मुआवजा मिल ही जाएगा लेकिन जिन लोगों के घरों को क्षति होगी क्या उन्हे भी उचित मुआवजा मिले

धन्य वाद

Pardhan Dehra

9.4.82-17901

सेवा में

उप–मंडलाधिकारी(ना.),
आनी, जिला कुल्लू हि0प्र0

विषयः लुहरी जलविधुत परियोजना चरण–1 के लिए सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessmwnt Study)के अंर्तगत होने वाली जन सुनवाई के संदर्भ में।

महोदय,
मैं आपका ध्यान आज होने वाली जन–सुनवाई में निम्न मुदों की ओर दिलाना चाहता हूं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप सें सभी प्रभावितों से जुडे हुए है। यह मुदें कई बार जन–सुनवाई में और परियोजना अधिकारियों से मिल कर भी उनके ध्यानार्थ लाए गए है लेकिन अभी तक इन मुदों का न तो सरकार ने हल निकाला है और न ही परियोजना अधिकारियों से कोई आश्वासन मिला हैः–

1. <u>वकाया जमीन का मामलाः</u> लुहरी जलविधुत परियोजना चरण–1 के लिए ग्राम पंचायत, देहरा के अंर्तगत गांव शनाह में जो निजि भूमि अधिकृत की जानी है उसमें लगभग 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जाना है जबकि 10 प्रतिशत निजि भूमि वचाई जा रही है। इस 10 प्रतिशत भूमि में हमारे हिस्से में विस्वा में जमीन आती है जो किसी भी काम की नहीं रह जाएगी। यह मामला कई वार परियोजना अधिकारियों और सरकार के ध्यानार्थ भ लाया गया लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आश्वासन न तो सरकार की ओर से मिला है और न ही परियोजना अधिकारियों की ओर से। इस लिए जमीन का अधिग्रहण करने से पहले यह मामला जरुर सुझाया जावे।
2. <u>रिहायशी मकानों का अधिग्रहण करने वारेः</u> इस परियोजना में निजि भूमि का अधिग्रहण तो किया जा रहा है लेकिन हमारे जो मकान आवादी वाली जगह में वने है उनके वारे में परियोजना अधिकारियों से कोई आश्वासन प्राप्त नही हुआ है। जब हमारी जमीन नहीं रह जाएगी तो मकान का क्या फायदा। इसलिए इन मकानों का उचित मुआवजा मिलना जरुरी है।
3. <u>प्रभावितों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान करने वारेः</u> जिन लोगों की कृषि भूमि का परियोजना के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है उनकी आमदानी का कोई दूसरा साधन नहीं है क्योंकि इस सारी जमीन में सिंचाई होती है जिससे वह आनाज, फल और सब्जियां उगाकर अपने परिवार का गुजर–वसर करते है। जमीन के अधिग्रहण के पश्चात उनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं रह जाएगा। इस लिए उन लोगों के परिवार से कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी जरुर मिलनी चाहिए, चाहे वह हि0प्र0 सरकार दे या सतलूज जल विघुत निगम।

~~Compensation~~ [illegible] Cont not given

Halegn Singh [illegible] (Rtd) Service[illegible]

9 December Friday 94[illegible]-18191 1988

(1) Employment: not given to the project effected familes not given any monetary benefits to them.

(2) Project name given wrongly "Rampur Project" which should have been Koel-Byal Project.

(3) Project benefits were given to Rampur by constructing Bus stand; and garages near

10 December Saturday 10+2 boys School. The [illegible] turns into [illegible].

(4) In the project [illegible] no ~~[illegible]~~ [illegible] have been laid by the project, Even Koel Byal Road is in worst condition.

(5) D.A.V. School and Colony were ~~laid down~~ established at

11 Sunday Datt Nagar instead of Koel + Byal which is mainly effected by the project

(6) The Project is giving Rs 24,000/- per family to those whose Electricity meter were installed before 2004 The project effected families mostly from [illegible]

F-40

1988 21-001 December Wednesday 7

does not use electricity at that time as they go seasonally to Koel to plant paddy and came back to Nither. These people were ~~affe~~ be deprived from this benefit.

(7) Rampur Project has opened an engineering college at Pragti Nagar (Kot Khai). The Sutlej river does not flow in Kot Khai, so why the Engineering College was opened at Kot Khai by ignoring the benefits of Nirmand Block.

December Thursday 8

(8) Only the contractors benefitted from the project whereas ~~the~~ project effected families has to face the pollution which is effecting the production of crops.

(9) 100 units of electricity free of cost was promised to the effected families which has not given as yet

Adverse social and economic effects directly or indirectly and positively or negatively on land looser or stakeholders of the locality due to acuasiton of their land for Hydel Project Luhari phase 1,

1. That land which is purposed to acquire for hydel project in village Shanah situate at the bank of river Satluj, it is fertile and irrigated one as comparative to the land which is owned and possessed by them in another villages i.e (a) Shakroli, (b) Seteha (c) Ghorali (d) Jhali and it is pertinent to mension here that all stakeholders land looser reisde permanently forway about 15 Kilometer from village Shanah where the land is proposed to be acquired, they are economically very poor so called marginal farmers and their 95% land at village Sanah is under acquisition and remaining 5 % land as well as their small dwelling houses which is in Abadi deh land is going to be out of the acquasition That 5% unacquired land includes approximately 4,5,6,7, or 8 biswas of each stakholders land looser and such small portion of land is quite impossible for them to make arrangement of its cultivation or to lookafter it as this land situate in flung or remote area and all stakholders land looser be compelled to keep it barren or uncultivated due to acuisition of their major portion of land. **Thus direct effect is loss of their major portion of land due to acquasition or indirect effect is that minor unacquired land which will remain barren/ uncultivated due to this acquisition.** Hence landlooser stakeholders agree either to acquire their remaing 5 % unacquired land in village Shanah along with their dwelling houses or keep the whole land out of acquasition

2. That every land looser or stakeholders in village Shanah used to cultivate rice, grain or maize, pulses and vegetables etc and plant lemon, mango chuli trees and earns handsome income and it is the only sources of our income and whenever this **purposed land be acquired every stakholders / landlooser will remain unemployed and they will loose their source of livelihood.** Each and every stakeholders or land looser is well qualified and reserve their right for skilled employement in SJVNL. The loss of employment and wages will occur depriving landless labourers, service workers, artisan etc.

3. That there is direct loss of access to common property i.e water pound, grazing land or plucking grass or fuel woods etc in the govt. land as per custom prevalent in the locality and the said govt. land is propesed under acquasition thus we reserve our right of compensation with respect to it.

4. That purposed land acquisation will render the maximum people landless or house less which requires necessary plan or scheme for their resettlement/ rehablitation or compensation.

5. That the effected people whose land has been acquired and less then five bighas land remaining out of the acquired land be declared landless.

6. That forced displacement increases the risk that people will undergo cronic food insecurity, poverty which will badly affect level below the minimum necessity for the normal physical growth and work. The coming generation will be insecure due to lac of income to get heigher enducation out side hence the education insititutions related to agricultur and holticulture, D.A.V. degree college or eng. neering college be opened in most effected area from

7. That in the most affected Gram Panchyat there is only Primary Health Center at Nither and it provides medical services to seven Gram Panchyats and for delivery of pregnant ladies people approach to refrel hospital Rampur.Bsr which is for away and the condition of road is not good. Hence the requirement of gaynocoligist through **National Health Mission** be arranged in PHC Nither for safe delivery.

8. That the land which is under acquasition the land looser stakholders avail water fasilities not only for drinking but for irigation purposes and after acusition of that very land the lanlooser stakeholders be compelled to reside permanently in their native villages i. e (a) Shakroli. (b) Soucha (c) Ghorali (d) Jhali (e) Moin and depend for cultivation on nature due to lac of water supply facifities for drinking. The land looser stakholders be provided water supply facifities for **drinking** as **well as irrigation** of their fields which would uplift their economic condition.

9. That the land under acquisition requires adequate compensation as per law in **rural area 4 times** of the market value.

10. That social change processes invoked by intervensions by execution of construction work of tunnel, resiorvior, roads, heavy blasting and by carrying mtek to dumping site will definitely raise the level of **hazard or risk, dust and noise** which would adversly effect the people as well as their croops in this locality. The effected people deserve to be compensated for damage of croops or fruit bearing plants due to dust.

11. That due to acquasition the every land looser or stakeholder is in **mind of fears and aspirations** about future of their family.

Nargesh Katoch

Dated: 30.6.2018

Nargesh Katoch (Advocate)
R/o Vill. Shakroli, P.o & Sub-tehsil.Nither.Distt. Kullu HP.

Mob. no. 94180-01343.
78075-20554

F-43

कार्यालय ग्राम पंचायत,
विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

सेवा में

मण्डल अधिकारी

Mob No
7807315343
7018262231

विषय: — पंचायत की समस्या बारे ? Pardhan Dewra

माननवर महोदय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं आप का ध्यान पंचायत की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहती हूँ महोदय मैं दोनो समस्याओं को आप के सामने रखना चाहती हूँ मैंने पहली सुनवाई में भी इन समस्याओं को आप के मध्य नजर रखा था

I पानी की समस्या—

महोदय जी देहरा पंचायत कैसे ही पानी कि किल्लत को झेल रही है प्रत्येक आदमी हर महीने 8 से 10 हजार तक का पानी खरीद कर पीता है जो उसकी हैसियत से दूर है एक इन्सान जो दिहाड़ी, मजदूरी करता है उसे इतना पानी एक महीने में खरीदना मुश्किल है

F-44

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

और अपने साथ-साथ वह पशु भी पालता है दिक्कत इतनी है के इन्सान के जीने के मांदे है तो वह पशुओं को कैसे पाले, जब की कुछ लोगों का तो आजीविका ही गाय के दुध पर निर्भर है इसके अलावा कुछ लोग साग सबजी उगाते थे लेकिन आप तो जानते है कि साग सब्जी कैसे उगेगी, इसलिए महोदय जी आप से विनम्र आग्रह है कि प्रोजेक्ट लगने से ये समस्या और भी अधिक होने वाली है तो सबसे पहले पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाए जगह-जगह पानी के हैंडपंप खुलवाए जाए और सिंचाई की उचित व्यवस्था हो सके

"2 - बेरोजगारी की समस्या—!

महोदय जी जब से प्रोजेक्ट की तैयारियां शुरू हुई होंगी तभी से पंचायत के पढ़े लिखे युवाओं में एक उम्मीद जगी है कि यदि जल्दी से प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उन्हे उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिले और रोजगार होने से अनेक समस्यों का समाधान हो सके तथा हमारी देहरा पंचायत के प्रभावित लोगों की गाड़ियां प्रोजेक्ट में लगा दी जाए, महोदय जी मैं पहले भी ये बात रख चुकी हूँ उम्मीद है आप हो समझ सकें

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

॥3 आदर्श गाँव —:

महोदय जी हमने एक और शर्त रखी थी के देहरा पंचायत सबसे प्रभावित पंचायत है तकरीबन 80, 85 प्रतिशत जमीन देहरा पंचायत की प्रोजेक्ट में लग रही है इसलिए जनता चाहती है कि हमारी पंचायत में स्ट्रीट लाईट लगे तथा गाव का हर रास्ता पक्का बने वह सड़क पक्की बने इसके अलावा जो आफिस व प्रोजेक्ट में काम करने वालों की रिहायश के लिए मकान बने वह भी देहरा पंचायत में ही बनाए जाए

॥5 जमीन प्रभावित वाले लोग —:

महोदय जी जिन लोगों की जमीन प्रोजेक्ट में लग रही है मेरा आप से निवेदन है कि इन्हें उचित मुआवजा मिले और समय पर मिले ताकी इन्हे बार-बार प्रोजेक्ट आफिस के चक्कर ना काटने पड़े तथा जिसकी भी जमीन के साथ कोई टूकड़ा जमीन का बच रहा हो उसे भी ले लिया जाए या किसी व्यक्ति का मकान उस जोन में हो तो उसे भी ले लिया जाए ताकी किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी न हो

F-46

कार्यालय ग्राम पंचायत, देहरा

विकास खण्ड निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक 30/06/2018

महोदय जी इसके अलावा आप जानते है कि प्रोजेक्ट से जहाँ फायदे होते है वहां ~~नुकसान~~ नुकसान भी बहुत होता है वातावरण दूषित होता है और दूषित होने के साथ कई तरह की बिमारियां भी फैलती है इसलिए जनता के स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखा जाए उन्हे समय पर दवाई व कैलशियम आयरन विटामिन जैसी दवा दी जाए, अतः महोदय जी हमने पिछली बार भी डी ए वी की मांग रखी थी लेकिन किसी तरह का कोई रिसपोंसन नहीं मिला है जनता चाहती है कि जल्द से जल्द वो स्कूल खुलवा दिया जाए

महोदय जी इसी के साथ पंचायत के पास अपना कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिस से वे विकास कार्य को अपने तरीके से योगदान दे सके अतः देहरा पंचायत उम्मीद करती है कि हमें रायल्टी समय समय पर मिल सके

महोदय जी आप से विनम्र प्रार्थना करते है कि ये बाते सिर्फ पन्नों पर ही न रहे बल्कि आप उन्हें आदेश दें कि सभी बातों पर गंभीरता से ध्यान दे

देहरा पंचायत आप की आभारी रहेगी

प्रधान
30/06/2018
ग्राम पंचायत देहरा

लाडा के बारे मे बताना चाहती हूँ मुद्दे 20 प्वाइंट में है।

F-47

डी०सी०एम०

लुहरी जल विधुत परियोजना प्रबन्धक के महाप्रबन्धक ~~श्री आर एल~~ नेगी जी , एस0 डी0 एम0 आनी / प्रधान ग्राम पंचायत देहरा , प्रधान ग्राम पंचायत नित्थर ब्लॉक समिति की अध्यक्षा बिन्दु बाला अस्सू० जिला परिषद मेम्बर पपी विष्ठ,

मैं पंचायत समिति सदस्या ग्राम पंचायत देहरा नित्थर की आम जनता की ओर से जनसुनवाई वे मंच पर पधारे तमाम अधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत करती हूॅ । महोदय मैं आपके ध्यान मे क्षेत्र के जनमानुष के हित मे निम्न बातों को लाना चाहती हूॅ ।

1. महोदय नित्थर पंचायत को प्रभावित पंचायत मे लिया जाए क्योंकि इसी पंचायत के लोगों की भूमि अधिगृहीत होने जा रही है। और सुरंग का निर्माण भी इसी पंचायत क्षेत्र के नीचे होना है।
2. हमारे क्षेत्र के जल संसाधनों की कमी होनी भी निश्चित है अतः यहां के लोगों की पेयजल समस्या के निदान हेतू प्रबन्धन ~~आश्वस्त~~ आवश्यक करे ।
3. यहां की ~~नकदी~~ नगदी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सेब , बदाम इत्यादि फसलों को उचित मुआवजा प्रति फसल दिया जाए ।
4. इसी क्षेत्र के लोगों को निमार्ण कार्य मे रोजगार की गांरटी दी जाए
5. भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवजा दिया जाए ।

अतः उपरोक्त मागों पर प्रबन्धन विचार करे तथा लोगों की इन मांगो को शर्शत स्वीकार करे अन्यथा यहां की जनता आन्दोलन पर विवश होगी तथा विरोध करेगी । अन्त मे एक वार पुनः आपका धन्यवाद ।

जयहिन्द चमेलू देवी
बी० डी० सी० नित्थर, देहरा
निरमण्ड ब्लॉक
9418059717

F-48

① परियोजना के निर्माण कार्य प्रारूप व समय अवधि के बारे।

② परियोजना का नाम बदलने बारे परियोजना का नाम [illegible] [illegible] नारायण हाइड्रो प्रोजेक्ट नीरथ रखा जावे।

③ उचित मुआवजा दिलाने बारे Four Time

4. स्थाई रोजगार

5 Model Village नीरथ को विकसीत किया जावे।

6. सिंचाई उठाऊ पेय जल योजना नीरथ पंचायत के समस्त गांव को जोड़ा जावे।

7. ग्राम पंचायत नीरथ में इंजिनियरिंग कालेज व केन्द्रीय विद्यालय खोलने बारे।

8. C.S.R. व लाड़ा की धन राशि प्रभावित क्षेत्र के ही खर्च किया जावे।

Nand Lal
MLA Rampur

94180-29977

परियोजना के निर्माण कार्य
कार्य प्रारम्भ व समय अवधि के
बारे

कार्यालय ग्राम पंचायत देलठ

विकास खण्ड ननखरी जिला शिमला हि0 प्र0

Himachal Pradesh Panchayati Raj

कमांक.......

उपस्थिति 09/09

नकल प्रस्ताव संख्या 08

बैठक दिनांक 09.09.2017

प्र0 स0 08 ग्राम पंचायत देलठ को प्रस्तावित लूहरी जल विद्युत परियोजना स्टेज –1 में प्रभावित पंचायत में शामिल करने बारे।

बैठक में सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण–1 बांध स्थल व विद्युत गृह ग्राम निरथ में किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम पंचायत नीरथ के क्षेत्र के साथ ग्राम पंचायत देलठ की सीमांए आपस में जुडती है। बांध स्थल से ग्राम पंचायत देलठ का ग्राम चुन्जा 100 मीटर की उंचाई पर है जो कि ग्राम चुंजा का राजस्व क्षेत्र व चक नीरथ पटवार वृत में आता है। इस ग्राम की भूमि परियोजनाओं में अधिग्रहण भी हो रही है, जिसमें चक नरोला में ग्राम चुंजा की पैतृक जमीनें है, जबकि ये ग्राम चुंजा ग्राम पंचायत देलठ क्षेत्र में आता है, इस कारण ये ग्राम अधिक प्रभवित हो रहा है। इस लिए ग्राम पंचायत के समस्त क्षेत्र टिकरी, देलठ व टुटू व नागाधार परियोजना के बांध स्थल से 500 मीटर की दायरें में आता है। इस परियोजना से पर्यावरण की दृष्टि से यह समूचा क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित होना निश्चित है। पंचायत क्षेत्र के लोगों की आजीविका बादाम ,सेब, खुमानी, आडू, सब्जियां व कृषि आदि फसल पर निर्भर है। इसका प्रभाव इस क्षेत्र के लोगों पर पडेगा इसलिए प्रशासन व प्रबंधक परियोजना द्वारा ग्राम पंचायत देलठ के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाए क्योकिं परियोजना नीरथ बांध स्थल को केन्द्र मान कर 01 कि0 मी0 के दायरें के अंतर्गत समूचा क्षेत्र आता है। अगर ग्राम पंचायत को परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में नहीं लिया गया तो पंचायत क्षेत्र के लोगों की कोई भी भूमि परियोजना के अधिग्रहण के लिए नहीं दी जाएगी। ग्राम पंचायत इस परियोजना का विरोध करेगी। इस उपरोक्त विषय को ध्यान में रख कर ग्राम पंचायत देलठ के क्षेत्र को परियोजना प्रभावित क्षेत्र में शामिल किया जाना अति आवश्यक है, ताकि इस पंचायत क्षेत्र का विकास हो सके और परियोजना पर भी इसका कोई दुष्प्रभाव न पडे। पंचायत ने पहले भी कई बार प्रशासन व परियोजना प्रबंधक को लिखित रूप से अवगत करवाया है, परन्तु इसमें हमें आज तक प्रबंधक व प्रशासन की ओर से कोई भी लिखित रूप से जवाब नहीं मिल पाया है।

प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित है।

प्रतिलिपि– 01 माननीय मुख्यमंत्री हि0 प्र0 सरकार की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02 माननीय मुख्य ससंदीय सचिव स्वास्थ्य हि0 प्र0 सरकार की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित

03 उपायुक्त महोदय शिमला जिला शिमला की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

04 उप मण्डलाधिकारी रामपुर की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05 महा प्रबंधक महोदय सतलुज जल विद्युत परियोजना शिमला की सेवा में प्रेषित।

06 प्रबंधक सतलुज जल विद्युत परियोजना बिथल की सेवा में प्रेषित।

विकास खण्ड ननखरी
जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायत सचिव
विकास खण्ड ननखरी (शिमला)

F-52

No: LAO/LHEP/13/09/11-98-156 Dated:- 29.06.2011

(7)

OFFICE OF THE LAND ACQUISITION COLLECTOR,
LUHRI HYDRO ELECTRIC PROJECT, BITHAL

NOTICE UNDER SECTION -9 OF THE LAND ACQUISITION ACT 1894

To

Sh. Joginder Prakash S/o Naranjan Dass
R/o Narola, Tehsil Rampur.
Distt.- Shimla (H.P)

Owner/Owners

NAME OF WORK: Road & Job facility purpose for construction of Luhri Hydro Electric Project 775 MW.

Where the person mentioned above and any other interested person are hereby informed that the SJVN Ltd. (Luhri Hydro Electric Project) intends to take possession of the Land specified below for the construction of above work. That claim for compensation for all interest should be made to this office. They are required to appear personally or by agent/prosecutor before me on **20-07-2011 at Patwar Khana Nirath time 11:00 AM** to state the nature of their respective interest in the land amount and particulars of the claim to compensation and their objection if any to the measurements. The map is available for inspection in this office.

SPECIFICATION OF LAND

VILL.	Khata/Khatuani	KH. NO.	AREA	Share
Narola	1/1	151	00-02-92	1/5
		157	00-00-63	
		Kitta=2	**00-03-55**	
	4/4	147	00-00-58	1/20

ISSUED UNDER MY SIGNATURE AND SEAL THIS DAY THE 29th MONTH JUNE YEAR 2011.

LAND ACQUISITION COLLECTOR

29/6
Land Acquisition Collector
Luhri HEP Bithal (H.P).
Land Acquisition Collector
S.J.V.N.L. (L.H.E.P.) at Bithal
Distt. Shimla (H.P.)

F-55

To

The Deputy Commissioner
Shimla District (Camp at Nirath)
Himachal Pradesh

Sub: Acquisition of Private land in Mouja Narola of Patwar Circle Nirath, Teh. Rampur, Distt. Shimla by the SJVN for Luhri Hydro Project.

Sir,

With due regard I wants to bring your kind notice the following facts for your kind consideration and further action:-

1. that at village Bhera (Narola) I have my ancestral land bearing six Khasra Nos. 147, 151, 157, 161, 162 and 165 which clearly appeared in Jamabandi(Photo copy enclosed) under Khewat & Khatauni No.4 issued by the concerned Patwari of Nirath circle on dated 19.11.07.

2. that the authority of SJVN has selected the above site for dumping purpose for Luhri Hydro Project.

3. that I was surprised to see the notification issued by the authority of SJVN (copy enclosed), for calling any objection from the effected persons, that the said Khasra Numbers except 147,151 & 157 does not appeared therein.

4. that as per Photocopy of the Tatima (enclosed) left out Khasra Numbers i.e 161, 162 and 165 are surroundings of Khasra number 147 which has been included for acquisition.

5. That it appears that while preparing the Jamabandi papers (Photo copy enclosed) of Narola by the SJVN authorities, the mistake may occurred inadvertently for not inclusion of the said Khasra numbers against Min number 4/4.

6. That after coming to my notice the above facts, I had brought the above stated facts with the authority of SJVN/LAO concerned by visiting personally as well as written request sent through registered post (as per photo copy enclosed) but till date nothing has been heard from them except verbal assurance.

Therefore, with humble submission and request, the authorities of the SJVN for Luhri Project may be directed to complete all necessary formalities immediately for inclusion of the left out Khasra numbers of my land in order to get the compensation of whole part since the minor part of my left out land in the area will be of no use of mine.

Thanking You,

Yours faithfully,

(Joginder Prakash)
(camp at Nirath on dated 5.5.11)
Village lohri Garh, P.O.Shamathla(Kotgarh)
Tehsil. Kumarsain, Distt. Shimla (H.P)
(Mobile No. 94187-00679)

Copy for information and Necessary action is also forwarded to:

1. The AGM (P&A) SJVN Ltd, Luhri Hydro Project, Sunni, Distt. Shimla (HP).
2. The AGM SJVN Ltd, Luhri Hydro Project, Bithal, P.O. Shamathla, Teh. Kumarsain Distt. Shimla.
3. The Land Acquisition Officer, Luhri Hydro Project, Bithal, P.O. Shamathla, Teh. Kumarsain Distt. Shimla.

(Joginder Prakash)

F-54

Most Urgent

To

The Additional General Manager (P&A)
Luhri Hydro Electric Project
Sunni, Tehsil Sunni. Distt. Shimla(H.P)

Subject: Acquisition of Land for Luhri Hydro Electric Project—inclusion of Khasra Nos. 161, 162 and 165 therein in Mauja Narola of Rampur Tehsil. H.P.

Sir,

In continuation to my earlier application dated nil on the subject cited above and would like to bring the following few facts for your kind consideration and early action, in order to acquire the said khasra numbers in revenue village Narola, Tehsil Rampur Bushehr in Distt. Shimla, by the Satluj Jal Vidut Nigam:-

1. That the value of the un-acquired khasra numbers is bound to be deteriorated/diminished.
2. That it would not be economically viable to cultivate the same in view of acquisition of big tract of my land.
3. That the remaining three kahasra numbers needs to be acquired to avoid disputes in future with respect to boundaries and path etc.
4. That the area of the un-acquired land is also too meager.

In view of the above facts it is again requested that the action for inclusion of Khasra Nos. 161,162 and 165 in Mouja Narola of Tehsil Rampur Busher, Distt. Shimla for the use of SJVN may be initiated by issuing necessary direction/orders to the quarter concerned at the earliest.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Joginder Prakash) 26/4

Encl: As above

S/O late Sh. Narainjan Dass
Village-Lohrigarh, P.O.Shamathla
Distt. Shimla (H.P)

Copy forwarded for information and further necessary action to:-

(1) The land Acquisiton Officer,NJPC, Bithal, P.O.Shamathla, Distt. Shimla
(2) AGM, NJPC, Bithal,P.O.Shamathla, Distt. Shimla. H.P alongwith a copy of Jamabandi & Tatima.

Sd/-
(Joginder Prakash)

हाल्व [illegible] हदबस्त नं0 178/2 तहसील [illegible] जिला [illegible] S. No. 92

हेत	बसायत ग्रामपाशी	नम्बर खसरा		रकबा मिजान मय किस्म	लगान तफसील सरह व तादाद	हिस्सा या पैमाना हकीयत और तरीका बाछ	मुतालबा व बतशरीह मामला स्याई	विवरण
		साबिक	बन्दोबस्त हाल					
	6	7	8	9	10	11	12	13
			147 [illegible]	00-00-58 [illegible]		[illegible]	0.46 [illegible] 0-28 [illegible] 0.18	[illegible] 44 45 46
			161	00-01-48 [illegible]				
			162	00-00-99 [illegible]				
			165	00-00-42				
			किता 4	00-03-47				

[illegible] 00-01-48

[illegible] 00-01-99 [illegible] 00-00-42 [illegible] 00-01-57

प्रमाणित किया गया है कि [illegible]

[illegible]

05/4/2010

नोट :- [illegible] 44 [illegible] 16-2-2010

नोट :- [illegible] 45 [illegible]

नोट :- [illegible] 46 [illegible]

[illegible]

F-56

आवेदक श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 1784/2 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

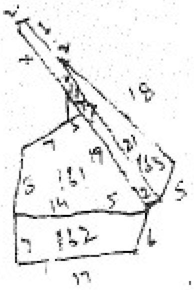

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] है
[illegible] [illegible] [illegible] है।

[illegible]
[illegible]

सेवा मे

प्रबन्धक महोदय,

जल विद्युत परियोजना

लुहरी जिला शिमला

हि० प्र०

विषय:- मैरा खड्ड पर मैरा रोपड़ी पुल बनाने बारे

मान्यवर :-

श्रीमान जी से नम्र निवेदन है कि हम ग्राम वासी रोपड़ी (ग्राम किरी) करा़ड़ (डेलठ) के पैदल चलने की आवश्यकता है जिसके लिए पुल लगाना अति अनिवार्य है क्योंकि जब खड्ड का जल स्तर बढ़ जाता है तो सारा पैदल चलने का रास्ता कट जाता है जिसके कारण बच्चे स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं और इसके साथ-2 ग्राम करांगला तथा कुनु के लोग भी पैदल इसी रास्ते ~~जाल~~ चलते हैं।

अतः आप से अनुरोध प्रार्थना है कि मैरा खड्ड से रोपड़ी के लिए जल्द से जल्द पुल लगाया जावे

धन्यवाद

निवेदक ग्राम डेलठ, किरी रोपड़ी

F-58

3) Lalbhang

1 पीतर राज

[illegible] ओमप्रकाश

[illegible] Lachhmi

[illegible] प्रेम चन्द

सरल पाल

8 मीना रानी

9 दीपक रानी

10 रेखा देवी

11 [illegible]

12 Sunita

13

14 निरमा देवी

15 Bobby

16 [illegible]

17 [illegible]

F-

सेवा में,

माननीय उप-मण्डलाधिकारी,
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला हि० प्र०

In charge AFC [illegible] 10/7/18

विषय :-

पंचा० नीरथ में जमीन व मकान की भूमि को मलकियत करने बारे प्रार्थना पत्र

मान्यवर जी, नम्र निवेदन है कि मैं पृथ्वी-चन्द (सिंह) S/O स्व० श्री जियालाल, फुल जनु निवासी, गाँव व डा० नीरथ तह० रामपुर बुशैहर जिला शिमला हि० प्र० का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी स्व० श्री जीयालाल व स्व० श्री सोहनलाल 2 भाई थे जिनकी मुश्तरीका शादी थी, स्व० जियालाल के नाम से वारसान स्व० प्रेमचन्द व पृथ्वी सिंह हैं। प्रेमचन्द की मृत्यु हो चुकी है उनका वारसान करतारचन्द है। स्व० सोहनलाल के वारसान ज्ञानचन्द, रोशन लाल, जयादेवी, कुशल्यादेवी व कान्तादेवी है। पंचा० नीरथ के अन्तर्गत खसरा नं० 1650, 1656, 1778 के अन्तर्गत हमारी मलकीयत 7.10 बीघा मलकीयत आती है जोकि लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण I में डैम के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जानी है सारी की सारी जमीन Section 4 के अन्तर्गत जलाशय के क्षेत्र में आ रही है साथ में मकान व खलयान भी जलाशय क्षेत्र में आ रहे हैं। खसरा नं० 1775 गैर मुमकिन खलयान 1776 में गैर मुमकिन मकान भी जलाशय क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे हैं। हमारी जमीन का कुल रकबा 7.10 बीघा का पूरा रकबा डैम में लग रहा है जिसका विवरण सैक्शन 4 के नोटिस में है परन्तु मकान व खलयान का नहीं है। इसके अतिरिक्त खसरा नं० 1779 में बन्जर अव्वल कुल उक्त है तथा ये रकबा 0-6-99 है भूमि पर सन 1952 से मेरे पुर्वजों का कब्जा काश्तकारी है। खसरा नं० 1780 बन्जर अव्वल बीला कलयार बगीचा तथा के रकबा 0-24-49 पर भी कब्जा व काश्तकारी आज तक जारी है। खसरा नं० 1778 जिसका पहला खसरा नं० 418 था यह रकबा सूर्यनारायण मन्दिर से मेरे पुर्वजों को मिला था व नदी सतलुज के पास है। यह रकबा 1.2 बीघा है और 1952 में मकान के लिए उसके साथ लगती। चट्टान पर बना हुआ है। सन 1966-67 में कुल भूमि का इन्तकाल (7.10) मेरे पुर्वजों के नाम हुआ था इजोधार से सारी की सारी जमीन की काश्तकारी की जाती रही है परन्तु 1975 में मकान, खलियान और सूर्यनारायण की जो भूमि काश्तकारी के लिए दी गयी थी जिसका पुराना खसरा नम्बर 419 पर था अब खसरा नम्बर 1775 में खलियान 1776 में मकान व 1779 व 1780 बन्जर अव्वल व बिला कलयार बन गया है को सरकारी घोषित किया गया है। जबकि इस रकबे पर 1952 से लगातार हमारा कब्जा व काश्तकारी हमारी है। सन 1905-6 में वन विभाग रामपुर की तरफ से नाजायज भूमि सम्बंधि सरकारी नोटिस आया (प्राप्त) उस नोटिस के सन्दर्भ में वन विभाग रामपुर वनमण्डल अधिकारी के पास इस नोटिस के सन्दर्भ में पैरवी की गयी तो 14-3-2008 को वनमण्डल अधिकारी के फैसले में लिखा गया कि बन्जर अव्वल भूमि कभी भी वन भूमि नहीं होती बरी किया गया।

श्रीमान जी, सन 1972 में Land Selling Act के तहत उक्त भूमि सूर्यनारायण मन्दिर के पास हुआ करती थी उसके बाद मुजारियत के तहत मन्दिर के मुजारे को कब्जा काश्त करने वाले को मलकियत मालिक बनाया गया परन्तु मेरे व मेरे पूर्वजों के नाम से मलकियत दर्ज नहीं हुई। जबकि मेरे पुर्वज समय-2 पर मन्दिर में हवन पूजा पर मन्दिर को नजराना करते रहे इसके उपरान्त भी हमें उक्त भूमि से वंचित रखा गया जबकि इस भूमि पर कब्जा काश्त हमारे पास है जिस पर ग्रामवासी नीरथ का कोई कुछ एतराज नहीं है अतः श्रीमान, उपमण्डल अधिकारी से निवेदन है कि मकान व खलियान का assignment करके मकान का उचित मौका व मकान के बसते में जितना भी रकबा दिया जाए। सन 2010 में हमें मकान की पूरी छत क्षतिग्रस्त हुई मौका पर उच्चाधिकारी द्वारा मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि मकान सरकारी जमीन पर बताया गया जबकि यह मकान मन्दिर की आबादी देह में था। जबकि मकान 1952 का बना हुआ है आज भी खड़ा है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में जानकारी में ग्राम पंचायत नीरथ के ग्राम वासियों से पूछा जाए की उक्त भूमि पर हमारे और हमारे पूर्वजों का कब्जा कब से है।

आपकी महान कृपा होगी

धन्यवाद

भवदीय
पृथ्वी चन्द (सिंह) S/O स्व० श्री जीयालाल
ग्रा० व डा० नीरथ, तह० रामपुर बुशैहर, जि० शिमला

[illegible] 2018

F-La

सेवा में,
In charge AFC Alameec(?) 30/7/12 (?)

माननीय उप-मण्डलाधिकारी,
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर,
जिला शिमला हि० प्र०

विषय :-
पंचायत नीरथ में जमीन व मकान की भूमि को मलकियत करने बारे प्रार्थना पत्र

मान्यवर जी,
नम्र निवेदन है कि मैं पृथ्वी चन्द (सिंह) S/O स्व श्री जियालाल, फूल जान्दु निवासी, गाँव व डा० नीरथ तह० रामपुर बुशैहर जिला शिमला हि० प्र० का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पिताजी स्व श्री जीयालाल व स्व श्री सोहनलाल 2 भाई थे जिनकी मुश्तरीका शामिलात की, स्व जियालाल के नाम से वारसान स्व० प्रेमचन्द व पृथ्वीसिंह हैं। प्रेमचन्द की मृत्यु हो चुकी है उनका वारसान करतारचन्द है। स्व० सोहनलाल के वारसान ज्ञानचन्द, श्याम लाल, जयादेवी, कुशलयादेवी व कान्तादेवी हैं। पंचायत नीरथ के अन्तर्गत खसरा नं० 1650, 1656, 1778 के अन्तर्गत हमारी मलकीयत 7.10 बीघा मलकीयत आती है जो कि लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण I में डैम के अन्तर्गत भूमि अर्जित की जानी है सारी की सारी जमीन Section 4 के अन्तर्गत जलाशय के क्षेत्र में आ रही है साथ में मकान व खलियान भी जलाशय क्षेत्र में आ रहे हैं। खसरा नं० 1775 गैर मुमकिन खलियान 1776 में गैर मुमकिन मकान भी जलाशय क्षेत्र के अन्तर्गत आ रहे हैं। हमारी जमीन का कुल रकबा 7.10 बीघा का पूरा रकबा डैम में लग रहा है जिसका विवरण सेक्शन 4 के नोटिस में है परन्तु मकान व खलियान का नहीं है। इसके अतिरिक्त खसरा नं० 1779 में कथार अव्वल कुल कलिते तरफी रकबा 0-6-99 है भूमि पर सन 1952 से मेरे पूर्वजों का कब्जा काश्तकारी है। खसरा नं० 1780 कथार अव्वल बीला कलथार बगीचा तरफी रकबा 0-24-49 पर भी कब्जा व काश्तकारी हमारी है। खसरा नं० 1778 जिसका पहला खसरा नं० 418 था यह रकबा सूर्यनारायण मन्दिर से मेरे पूर्वजों को मिला था व नदी सतलुज के पास है। यह रकबा 1.2 बीघा है और 1952 में मकान के लिए उसके साथ लगती। चट्टान पर बना हुआ है। सन 1966-67 में कुल भूमि का इन्तकाल (7.10) मेरे पूर्वजों के नाम हुआ था इजोधार से सारी की सारी जमीन की काश्तकारी की जाती रही है परन्तु 1775 में मकान, खलियान और सूर्यनारायण को जो भूमि काश्तकारी के लिए दी गयी थी जिसका पुराना खसरा नम्बर 419 पर था अब खसरा नम्बर 1775 में खलियान 1776 में मकान व 1779 व 1780 कथार अव्वल व बिला कलथार बन गया है को सरकारी घोषित किया गया है। जबकि इस रकबे पर 1952 से लगातार हमारा कब्जा व काश्तकारी हमारी है। सन 1905-6 में वन विभाग रामपुर की तरफ से नाजायज भूमि सम्बन्धि सरकारी नोटिस आया (प्राप्त) उस नोटिस के सन्दर्भ में वन विभाग रामपुर वनमण्डल अधिकारी के पास इस नोटिस के सन्दर्भ में पैरवी की गयी तो 14-3-2008 को वनमण्डल अधिकारी के फैसले में लिखा गया कि कथार अव्वल भूमि कभी भी वन भूमि नहीं होती बरी किया गया।

श्रीमान जी, सन 1972 में Land Selling Act के तहत उक्त भूमि सूर्यनारायण मन्दिर के पास हुआ करती थी डलेकबार मजारियत के तहत मन्दिर के मुजारे को कब्जा काश्त करने वालों को मलकियत मालिक बनाया गया परन्तु मेरे व मेरे पूर्वजों के नाम से मलकियत दर्ज नहीं हुई जबकि मेरे पूर्वज समय-२ पर मन्दिर में हवन पूजा पर मन्दिर को नजराना करते रहे इसके उपरान्त भी हमें उक्त भूमि से वंचित रखा गया जबकि इस भूमि पर कब्जा काश्त हमारे पास है जिस पर ग्रामवासी नीरथ को कोई एतराज नहीं है। अतः श्रीमान, उपमण्डल अधिकारी से निवेदन है कि मकान व खलियान का assignment करके मकान का उचित मुआवजा व मकान के बदले में उतना ही रकबा दिया जाए। सन 2010 में हमें मकान की पक्की छत डालते समय हुई मौके पर उच्चाधिकारी द्वारा मकान गिराया जाता मालूम हुआ कि मकान सरकारी जमीन पर बनाया गया जबकि यह मकान मन्दिर की आबादी देह में था। जबकि मकान 1952 का बना हुआ है जो आज भी स्थिर है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय में जानकारी में ग्राम पंचायत नीरथ के ग्राम वासियों से पूछ जाए की उक्त भूमि पर हमारे और हमारे पूर्वजों का कब्जा कब से है।

आपकी महान कृपा होगी
धन्यवाद

भवदीय
पृथ्वी चन्द (सिंह) S/O स्व श्री जीयालाल
ग्रा० व डा० नीरथ, तह० रामपुर बुशैहर, जि० शिमला

(margin:) 9/7/2018 (?)
E-La

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.............................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा.............................

उपस्थिति.......................अध्यक्षता श्री...प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- प्रेषक :- प्रधान / सचिव
ग्राम पंचायत नीरथ
विकास खण्ड रामपुर बुशैहर

प्रेषित :- माननीय,
उप - मण्डाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि०प्र०)

विषय :- प्रस्तावित लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत नीरथ की समस्त प्रभावित क्षेत्र की जनता की विभिन्न समस्याओं, मांगो व सुझावो के बारे ज्ञापन :-

---

मान्यवर जी, सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित लूहरी जल विद्युत परियोजना-चरण-I (LHEP) 210 मैगावाट की भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव एवम् निवारण हेतू ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study Report) के सन्दर्भ में जन सुनवाई आज दिनांक 02-07-2018 को स्थान ग्राम पंचायत नीरथ में रखी गयी है। जिसमें 210 मैगावाट परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का बांध स्थान, विद्युत गृह, डाईवर्जनटनल व 6 Km जलाशय (झील) बनाई जानी है। इन सभी कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, देहरा व गडेज के क्षेत्र में नीजि भूमि व सरकारी भूमि अधिग्रहित होनी है। परियोजना की सभी गतिविधियां, घटक (Componants) इसी क्षेत्र में होनी है। और प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त पंचायतों के क्षेत्र ही प्रभावित होने निश्चित है। परियोजना के लगने से इस क्षेत्र का विकास तो अवश्य होगा लेकिन प्रतिकूल असर भी पड़ेगा। मान्यवर जी, हर काम के दो पहलू होते है। यदि इस परियोजना के लगने से किसी तरह से क्षेत्र को लाभ होगा तो कहीं न कहीं हानि भी तो संभव है। इसलिए आम जनता की राय/सहमति को मध्यनजर रखते हुए इस जन सुनवाई के अध्यक्ष महोदय

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.......................................दिनांक बैठक पंचायत / ग्राम सभा......................................

उपस्थिति.......................अध्यक्षता श्री..प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- S.D.M. रामपुर व AFC के प्रमुख से आग्रह है कि समय रहते यहां की जनता की समस्याओं, मांगो व सुझावो को वर्तमान व आने वाले भविष्य अवधि मे परियोजना के अन्तिम ड्राफ्ट मे सुनिश्चित तरीके से दर्शाया जाए। ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा न हो। आम जनता परियोजना को लगाने के हक में है। लेकिन परियोजना बनाने समबन्धित विभिन्न शर्तों पर विचार किया जाना व अम्ल में लाई जाना अति आवश्यक है। जो कि इस मंच से मौखिक रूप में निम्न इस प्रकार से है।

1) मान्यवर परियोजना का नाम बदलने व नामकरण बारे - मान्यवर जी लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण -I (LHEP) 210 मैगावाट का नाम वर्तमान में अन्तिम प्रारूप रिपोर्ट के नाम से दर्शाया गया है। जो कि गलत है क्योंकि जब यह प्रारूप रिपोर्ट (Draft) बनाया गया उस समय जनता को विश्वास में नही लिया गया। किसी तरह की कोई भी जन सुनवाई नही की गई। अब जनता की मांग है कि परियोजना की सभी गतिविधियां (घटक (Components) जैसे बांध स्थान, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल, व जलाशय (झील) ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, जिला शिमला व ग्राम पंचायत देहरा, धड़ेच, जिला कुल्लु के दोनों क्षेत्र मे होनी हैं इसलिए परियोजना का नाम व स्थान, सूर्य-नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। क्योंकि सूर्य-नारायण मन्दिर केवल भारत वर्ष में नीरथ नामक स्थान पर स्थापित है जो कि अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है।

2) उठाऊ सिंचाई योजना व स्वच्छ पेय जल योजना बनाने बारे - मान्यवर जी, परियोजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव, ग्राम पंचायत नीरथ के होने निश्चित है। क्योंकि परियोजना के लिए अधिग्रहण ... [illegible]

F-12

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.................................दिनांक बैठक पंचायत / ग्राम सभा.................................

उपस्थिति.......................अध्यक्षता श्री...प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- S.D.M. रामपुर व AFC के प्रमुख से आग्रह है कि समय रहते यहां की जनता की समस्याओं, मांगों व सुझावों को वर्तमान व आने वाले भविष्य अवधि में परियोजना के अन्तिम ड्राफ्ट में सुनिश्चित तरीके से दर्शाया जाए। ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई गतिरोध पैदा न हो। आम जनता परियोजना को लगाने के हक में है लेकिन परियोजना बनाने सम्बन्धित विभिन्न शर्तों पर विचार किया जाना व अम्ल में लाई जाना अति आवश्यक है। जो कि इस मंच से मौखिक रूप में निम्न इस प्रकार से है।

1) ~~मान्यवर~~ परियोजना का नाम बदलने व नामकरण बारे - मान्यवर जी लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण - I (LHEP) 210 मैगावाट का नाम वर्तमान में अन्तिम प्रारूप रिपोर्ट के नाम से दर्शाया गया है। जो कि गलत है क्योंकि जब यह प्रारूप रिपोर्ट (Draft) बनाया गया उस समय जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। किसी तरह की कोई भी जन सुनवाई नहीं की गई। अब जनता की मांग है कि परियोजना की सभी गतिविधियां (घटक (Components) जैसे बांध, स्थान, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल, व जलाशय (झील) ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, जिला शिमला व ग्राम पंचायत देहरा, धड़ेच, जिला कुल्लु के दोनों क्षेत्र में होनी हैं इसलिए परियोजना का नाम व स्थान, सूर्य-नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। क्योंकि सूर्य-नारायण मन्दिर केवल भारत वर्ष में नीरथ नामक स्थान पर स्थापित है जो कि अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है।

2) उठाऊ सिंचाई योजना व स्वच्छ पेय जल योजना बनाने बारे :- मान्यवर जी, परियोजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव, ग्राम पंचायत नीरथ के होने निश्चित हैं। क्योंकि परियोजना के लिए अधिग्रहण ... [illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या................................दिनांक बैठक पंचायत / ग्राम सभा..................................

उपस्थिति........................अध्यक्षता श्री..प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- जानी है वह भूमि सिंचित भूमि क्यार किस्म की है। इस भूमि पर पैत्रिक समय से लोग अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं और जीविका का मुख्य स्त्रोत है। अब उपरोक्त सिंचित भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जानी निश्चित है। अब अधिकतर नीजि भूमि मालिकों की जमीन इसी पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध है पर यह भूमि ~~कन~~ भूमि व असिंचित किस्म की है। जो कि वर्षा पर निर्भर रहती है। इस ऐवज में जनता की मुख्य मांग यह है कि जो बंजर भूमि व असिंचित भूमि को उपजाऊ योग्य बनाने के लिए परियोजना द्वारा सरकार के माध्यम से उठाऊ सिंचाई व पेयजल योजना बनाई जाए। ताकि किसान आत्मनिर्भर हो सके तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामाना न करना पड़े।

3) आधुनिक गांव (Model Village) विकसित करने बारे:- मान्यवर जी परियोजना के बनने से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव नीरथ होना निश्चित है। क्योंकि परियोजना की सभी गतिविधियां गांव नीरथ में या इस क्षेत्र के आस पास ही होनी है। इसलिए गांव नीरथ को आधुनिक गांव (Model Village) के रुप में विकसित किया जाए।

4) उचित मुआवजा दिलवाने बारे :- यह कि परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत चक नवोला में नीजि भूमि 00-42-48 हैक्टेयर 5.6 बीघा चक नीरथ में 08-98-20 है 119.44 बीघा क्या किस्म सिंचित भूमि अधिग्रहित की जा रही है। साथ ही साथ यह भूमि N.H.5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ-2 है। इस भूमि पर अनाज फसलों के अलावा बादाम, पलम, आम, लिच्ची, अनार फलों व सभी प्रकार की नकदी

F-

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या.................................दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा.................................

उपस्थिति.......................अध्यक्षता श्री..प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- फसले, सब्जियां भी उगाई जाती है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग व सिंचित भूमि होने के साथ-साथ आने वाले समय में इनकी बढ़ती उपयोगिता व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भूमि का मुआवजा उचित दर पर निर्धारित किया जाए।

5) स्थाई रोजगार, पुर्नवास और पुर्नस्थापन योजना बारे- मान्यवर जी, परियोजना से प्रभावित भूमिहीन मालिकों के परिवार में से एक सदस्य को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थाई रोजगार (SJVNL) उपक्रम में उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि अन्य परियोजना के उपक्रम जैसे- NHPCL, UJVNL, व HPPCL की तर्ज पर प्रभावित परिवारों को स्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है जो कि भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबन्धन के बीच जो समझौता नामा MOU किया जाता है या किया गया है उसमें भी 70% रोजगार स्थानीय युवा-युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाने के लिये वचन बद्ध है। तथा परियोजना में प्रभावित परिवार व प्रभावित पंचायत क्षेत्र के समस्त युवा युवतियों को रोजगार, ठेकेदारी, छोटे वाहन, बड़े वाहन, मशीनरियों को कार्य पर लगाने में उचित रियायते देकर कार्य का आवंटन किया जाए। तथा उच्च शिक्षा व उच्च तकनीकि शिक्षा ग्रहण कर रहे युवा-युवतियों को छात्र-वृति दी जाए।

6) - पॉलटैकनिक इन्जीनियरिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, व स्वास्थ्य सेवा बारे-: परियोजना के माध्यम से यहां की प्रभावित छः पंचायतों के क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय मानकर/

कार्यालय ग्राम पंचायत, नीरथ

विकास खण्ड रामपुर, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक .... दिनांक ....

नकल प्रस्ताव संख्या..दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा..

उपस्थिति.........................अध्यक्षता श्री..प्रधान ग्राम पंचायत, नीरथ

विषय :- एक पोलटैकनिकल इन्जीनियरिंग, एक केन्द्रीय उच्च विद्यालय या D.A.V स्कूल और एक उच्च तकनीकि अस्पताल होना अति आवश्यक है तथा एक एम्बोलैन्स सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता को आपातकाल स्थिति मे यहां और बीमार व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

प्रधान
ग्राम पंचायत नीरथ
विकास खण्ड रामपुर
जिला शिमला (हि.प्र.)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक....../.......सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री....../....... की अध्यक्षता में....../.......सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक....... / प्रस्ताव संख्या......./....... दिनांक 02-07-2018

विषय :- प्रेषक :- प्रधान / सचिव,
सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ,
डा० नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि०प्र०)

प्रेषित :- माननीय
उप-मण्डाधिकारी (ना०)
उप-मण्डल रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि०प्र०)

विषय :- प्रस्तावित लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत नीरथ की समस्त प्रभावित क्षेत्र की जनता की विभिन्न समस्याओं, मांगों व सुझावों के बारे ज्ञापन :-

मान्यवर जी,

सर्व सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रस्तावित लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (LHEP) 210 मैगावाट की भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव एवम् निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study Report) के सन्दर्भ में जन सुनवाई आज दिनांक 02-07-2018 को स्थान ग्राम पंचायत नीरथ में रखी गई है। जिसमें 210 मैगावाट परियोजना का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना का बांध स्थल, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल व 6 किलोमीटर जलाशय (झील) बनाई जानी है। इन सभी कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, देहरा व गडेज के क्षेत्र में नीजि भूमि व सरकारी भूमि अधिगृहित होनी है। परियोजना की सभी गतिविधियां, घटक (Componants) इसी क्षेत्र में होनी है और प्रत्यक्ष रूप से उपरोक्त पंचायतों के क्षेत्र ही प्रभावित होने निश्चित है। परियोजना के लगने से इस क्षेत्र का विकास तो अवश्य होगा लेकिन इसके कुछ असर भी पड़ेगा। मान्यवर जी, हर कार्य के दो पहलु होते हैं। यदि इस परियोजना के लगने से जिस तरह से क्षेत्र को लाभ होगा तो कहीं न कहीं हानि भी तो सम्भव है। इसलिए आम जनता की सहमति को मध्यनजर रखते हुए जन सुनवाई के अध्यक्ष महोदय S.D.M. रामपुर व AFC के प्रमुख से आग्रह है कि समय रहते यहां की जनता की समस्याओं, मांगों व सुझावों को वर्तमान व आने वाले भविष्य अवधि में परियोजना के अन्तिम ड्राफ्ट में सुनिश्चित तरीके से दर्शाया जाए। ताकि भविष्य में किसी तरह की कोई गतिरोध पैदा

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है।

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.............................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.. की अध्यक्षता में.....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक 01-07-2018

विषय :- न हो। आम जनता परियोजना को लगाने के हक में है लेकिन परियोजना बनाने सम्बन्धित विभिन्न शर्तों पर विचार किया जाना व अमल में लाई जाना अति आवश्यक है। जो कि इस मंच के मौखिक व लिखित रूप में निम्न का सामार है।

(1). मान्यवर जी, लुहरी जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य, प्रारूप व समय अवधि बारे विचार :-

मान्यवर जी लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-I (LHEP) जो कि पिछले 10-12 वर्षों से प्रस्तावित है। इस बारे प्रबन्धन द्वारा कई बार प्रारूप तैयार किया है। परियोजना के लिए नीजि व सरकारी भूमि का चयन करके राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया धारा-(4) जो कि 7 अगस्त 2010 तथा 3 जुन 2011 को अधिसूचना के तहत लगाई गई थी। उस अवधी से लेकर आज तक नीजि भूमि मालिकों को अपनी निर्विवाद भूमि से वंचित रखा गया व रहना पड़ा। जनता की मांग है कि पिछली अवधी से किसानों को भूमि से जो फसलों से आमदनी होनी थी उसकी भरपाई प्रबन्धन व सरकार किस तरह से करेंगे। क्योंकि जनता का विश्वास परियोजना से कुछ हद तक उठ चुका है। यदि दोबारा इस परियोजना को समय रहते लगाना या बनाना है तो प्रबन्धन व सरकार जनता के विश्वास व हीत को मध्यनजर रखते हुए अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की कृपा करें (ताकि जनता को परियोजना से उचित लाभ मिल सके।)

(2). परियोजना का नाम बदलने व नामकरण बारे :-

मान्यवर जी लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (LHEP) 210 मैगावाट का नाम वर्तमान में अन्तिम प्रारूप रिर्पोट के नाम से दर्शाया गया है। जो कि गलत है क्योंकि जब यह प्रारूप रिर्पोट (Draft) बनाया गया उस समय जनता को विश्वास में नहीं लिया गया। किसी तरह की कोई भी जन सुनवाई नहीं की गई। अब जनता की मांग है कि परियोजना की सभी गतिविधियाँ घटक (Components) जैसे बांध स्थल, विद्युत गृह, डाईवर्जन टनल, व जलाशय (झील) ग्राम पंचायत नीरथ, दत्तनगर, जिला शिमला व ग्राम पंचायत देहरा धड़ेच, जिला कुल्लू के दोनों क्षेत्र में होनी है। इसलिए परियोजना का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

(3)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री... की अध्यक्षता में.....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या.................... दिनांक 02-07-2018

विषय :- व स्थान सूर्य नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। क्योंकि सूर्य नारायण मन्दिर केवल भारतवर्ष में नीरथ नामक स्थान पर स्थापित है जो कि अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध है। इसलिए परियोजना का नाम लुहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के बदले सूर्य नारायण हाइड्रो विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए। तथा परियोजना का मुख्य कार्यालय भी गांव नीरथ में स्थापित किया जाए। ताकि विश्व के मानचित्र ~~पर~~ इस स्थान की ~~महत्व~~ महत्वता अधिक बढ़ जाए।

(3.) इमफिंग साईट को गांव नीरथ, पन्द्राश चक में भूमि अधिग्रहित किए जाने बारे :-

यह कि परियोजना द्वारा अभी तक डमफिंग साईट दूसरी जगह स्थापित की गई है। जब कि परियोजना की सभी गतिविधियाँ घटक (Components) ग्राम पंचायत नीरथ व ग्राम पंचायत देहरा में चल रही है। इसलिए डमफिंग साईट भी इसी क्षेत्र में स्थापित की जाए। ताकि भविष्य में सभी विकासात्मक कार्य जैसे आवासीय कालोनी, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, कार्यालय, पार्क, खेल मैदान जैसे आधार भूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। यदि यह सम्भव है तो इस विषय पर ध्यान दिया जाए।

(4) उठाऊ सिंचाई योजना व ~~...~~ पेय जल योजना बनाने बारे :-

मान्यवर जी, परियोजना के अन्तर्गत सबसे ज्यादा प्रभावित गांव, ग्राम पंचायत नीरथ के होने निश्चित हैं। क्योंकि परियोजना के लिए अधिकतर जो भी भूमि अधिग्रहित की जाती है वह भूमि सिंचित भूमि स्थाई किस्म की है इस भूमि पर पैतृक समय से लोग अपना जीवन निर्वाह करते आ रहे हैं और जीविका का मुख्य स्रोत है। अब उपरोक्त सिंचित भूमि परियोजना के निर्माण के लिए अधिग्रहित की जानी निश्चित है। अब अधिकतर जो भी भूमि मालिकों की जमीन इसी पंचायत क्षेत्र में उपलब्ध है पर यह भूमि बंजर भूमि व असिंचित किस्म की है। जो कि वर्षा पर निर्भर

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

F-6

(5)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक..........सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.......... की अध्यक्षता में..........सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.......... प्रस्ताव संख्या.......... दिनांक 02-07-2018

विषय :- रहती है। इस ऐवज में जनता की मुख्य माँग यह है कि जो बंजर भूमि व असिंचित भूमि को उपजाऊ योग्य बनाने के लिए परियोजना द्वारा सरकार के माध्यम से उठाऊ सिंचाई व पेय जल योजना बनाई जाए। ताकि पंचायत के सभी प्रभावित गांवों के किसानों को अपनी भूमि को उपजाऊ बनाकर आत्मनिर्भर हो सकें। ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को किसी तरह से कोई परेशानी का सामना न करना पड़े।

(5). आधुनिक गांव (Modal (Village) विकसित करने बारे:-

[illegible] परियोजना के बनने से सबसे ज्यादा प्रभावित गांव नीरथ होना निश्चित है। क्योंकि परियोजना की सभी गतिविधियां गांव नीरथ में या इस क्षेत्र के आस-पास ही होती है। इसलिए गांव नीरथ को आधुनिक गांव (Modal Village) के रूप में विकसित किया जाए। जिसमें सभी आधारभूत मूल सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए।

(6) उचित मुआवजा दिलवाने बारे:-

यह कि परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत चक नरोला में नौतौड़ भूमि 00-42-48.66
5. बीघा चक नीरथ में 08-78-20 है. 119.44 बीघा चार किस्म सिंचित भूमि अधिग्रहित की जा रही है। साथ ही साथ यह भूमि N.H.5 राष्ट्रीय उच्च मार्ग के साथ-साथ है। इस भूमि पर अनाज फसलों के अलावा बादाम, पलम, आम, लिच्ची, अनार फलों व सभी प्रकार की नगदी फसलें, सब्जीयां भी उगाई जाती है। इस भूमि की पूर्व में, वर्तमान में व भविष्य में बहुत उपयोगी सिद्ध रही है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग व सिंचित भूमि होने के साथ-साथ आने वाले समय में इनकी बढ़ती उपयोगिता व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भूमि का मुआवजा उचित दर पर निर्धारित किया

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरूस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.. की अध्यक्षता में....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक 02-07-2018

विषय :- जाए/केन्द्रीय सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के बदले 2015 लागू किया जाए। उसका मूल्यांकन एक होना चाहिए (Flat Rate) SIA की ~~रिपोर्ट~~ ड्राफ्ट रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 46,47 पर भूमि मूल्य की गणना के लिए पाँच श्रेणीयां बनाई गई हैं। जो कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग व अन्य सड़कों से अलग-अलग दूरी पर स्थित खेती और गैर खेती वाली भूमि की प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए विभिन्न दरों को निर्धारित किया गया है जिसमें सभी जगहों के लिए श्रेणी 4 को [illegible] सर्कल दर पर विचार किया गया है लेकिन यह गलत है। ~~क्योंकि~~ जनता की मांग है कि ~~सभी~~ - यह सर्कल दर श्रेणी । से निर्धारित किया जाए जो कि 0-25 मीटर के अन्दर आना चाहिए। यह दर सभी क्षेत्र में एक तरह की हो।

(7). स्थाई रोजगार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना बारे:-

मन्यवर जी, परियोजना में प्रभावित प्रभावित भूमि हीन मालिकों के परिवार में से एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थाई रोजगार SJVNL उपक्रम में उपलब्ध करवाया जाए। क्योंकि अन्य परियोजना के उपक्रम जैसे:- NHPCL, UJVNL, व HPPCL की तर्ज पर प्रभावित परिवारों को स्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है जो कि भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार व प्रबन्धन के बीच जो समझौता नामा MOU किया जाता है या किया गया है उसमें भी 70% रोजगार स्थानीय युवा-युवतियों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाने के लिए वचन बद्ध है तथा परियोजना में प्रभावित परिवार व प्रभावित पंचायत क्षेत्र के समस्त युवा युवतियों को रोजगार, ठेकेदारी, छोटे वाहन, बड़े वाहन, मशीनरियों को काम पर लगाने में उचित रियायतें देकर लाने का आवंटन किया जाए। तथा उच्च शिक्षा व उच्च तकनीकि शिक्षा ग्रहण कर रहे युवा-युवतियों को छात्र वृत्ति दी जाए। तथा SJVNL में जब किसी भी पदों के लिए साक्षात्कार लिए जाते है तो प्रभावित परिवार के छात्रों को विशेष छूट कोटा निर्धारित किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरूस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

F-7

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.............................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री.............................की अध्यक्षता में.....................सदस्यों की उपस्थिति में हुई,

जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक 01-07/2014

विषय :- (8) धार्मिक स्थल व सास्कृतिक के संरक्षण बारे:-

यह कि ग्राम पंचायत नीरथ के अन्तर्गत गाँव नीरथ में प्राचीन एवम् ऐतिहासिक सूर्यनारायण मन्दिर व दुर्गा माता मन्दिर स्थापित है। जो कि प्राचीन काल से निर्मित है। इन धार्मिक स्थलों में यहाँ की आम जनता की आस्था व धरोहर है। इसलिए इस धार्मिक स्थल का संरक्षण व जीर्णोद्धार परियोजना के माध्यम से किया जाए। साथ ही साथ यहाँ के विभिन्न गाँवों में छोटे-छोटे अन्य मन्दिर भी है। इनका भी संरक्षण किया जाए।

(9) प्रर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित करने बारे:-

परियोजना के माध्यम से क्षेत्र को प्रर्यटन व इको टूरिज्म को विकसित किया जाए। जैसे: जल क्रीड़ा मत्स्य और बोटिंग गतिविधियों को बढ़ाया जाए तथा यहाँ के बेरोजगार युवाओं को इस बारे प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जाए।

10. पोलिटैक्निक इन्जीनियरिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, व स्वास्थ्य सेवा बारे

परियोजना के माध्यम से यहाँ की प्रभावित (छ:) पन्चायतों के क्षेत्र में केन्द्रीय बिन्दु मान कर एक पोलिटैक्निक इन्जीनियरिंग, एक केन्द्रीय उच्च विद्यालय या D.A.V स्कूल और एक उच्च तकनीकी अस्पताल होना अति आवश्यक है। तथा एक एम्बोलैन्स सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि जनता को आपातकाल स्थिति में यहाँ की विभिन्न व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो सके।

(11.) मुफ्त बिजली दिलवाने बारे:-

परियोजना के माध्यम से प्रभावित पंचायत क्षेत्र की जनता को परियोजना के आरम्भ होते ही मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तथा आजीवन काल तक सुविधा दी जाए। क्योंकि परियोजना इसी क्षेत्र में बनाई जानी है।

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं० Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक............................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री.. की अध्यक्षता में.........✓.........सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या........|........ दिनांक 02-05-1?

विषय :- (12) कैटचमेंट व वनीकरण के बारे :-

यह कि परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में कैटचमेंट के तहत अलग से जो धन का प्रावधान रखा जाता है उस धन को उपयोग इसी क्षेत्र में खर्च किया जाए। जिससे खाली वन भूमि पर वृक्षारोपण भूमि कटाव रोकने, जल संरक्षण व पर्यावरण से सम्बन्धित कार्यों पर खर्च किया जाए। जिसमें यहाँ की स्थानीय जनता निकाए की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तथा उसकी जाँच के लिए सतर्कता कमेटी का गठन किया जाए।

13. श्मशान घाटों के निर्माण बारे :-

परियोजना के बनने से यहाँ के श्मशान घाट झील में डूब जाएंगे। क्योंकि अभी तक यहाँ की जनता अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारों पर करते हैं। इसलिए बड़ी तकलीफों से धुआंरहित श्मशान घाटों को विभिन्न स्थानों गाँवों को बनाए जाने का प्रावधान किया जाए। ताकि पर्यावरण पर भी कोई गलत असर न पड़े।

14. पागला आव्यूह (एन्टाइटलमेंट मैट्रिक्स) प्रणाली को सुदृढ़ बनाए जाने बारे :

एक पात्रता आव्यूह (एन्टाइटलमेंट मैट्रिक्स) भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों, नीतियों के अनुपालन में विकसित किया गया है। पात्रता आव्यूह, हानियों के प्रकार और संबंधित प्रकृति और अधिकार के दायरे को सारांशित करता है। पात्रता आव्यूह की तालिका में जो प्रावधान किए गए हैं उसे बढ़ाया जाए। जैसे Page No 73 पर (a) (ii) मवेशी शेड या घो... दुकानों को प्रतिस्थापन के लिए जो राशि 25,000 से 1,00,000/- की की गयी। नीजि संस्थानों को नुकसान : Page No 74 के (b) कॉलम में विस्थापित परिवारों के लिए RTFCTLARR अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 50,000/ रुपये के बदले 5,00,000/- रुपये का स्थानान्तरण भत्ता दिया जाए। (d) कॉलम : विस्थापित परिवारों के लिए 36,000/- रुपये का जीवन निर्वाह subsid... को बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये किया जाए।

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि० प्र०)

आज दिनांक........./..........सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री........../.......... की अध्यक्षता में ..../......सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या..1.............. दिनांक 02-07-2018

विषय :– (15) C.S.R. और LADA की धन राशि को प्रभावित पंचायत क्षेत्र में ही खर्च करने बारे:–

परियोजना के माध्यम से जो C.S.R और LADA की जो धन राशि खर्च की जाती है वह केवल प्रभावित पंचायत क्षेत्र में ही खर्च किया जाए। क्योंकि आज से पहले यह धन राशि बाहर दूसरी जगह खर्च की जाती है। इस विषय को प्राथमिकता में ग्राम सभा के ग्राम सभा और पंचायत और प्रभावित पंचायत कार्यों को विकास में लेकर खर्च की जाए।

उपरोक्त सभी मांगों सुझावों व समस्याओं के बारे में ज्ञापन जो सभी बैठक के मुद्दों पर सरकार व प्रबन्धन कमेटी वालों समाज ने जनता की जाँच जाए। अन्यथा उपरोक्त कार्यवाही यदि समय से नहीं लायी गई तो लोगों को परियोजना के कार्य में बाधित रहेगी। जिसके लिए धरने को उग्र आन्दोलन का दरवाजा भी खटखटाया सकती है। सभी एक कानून वास्तविक समझा जाए और अमल में लाई जाए

आपकी महान कृपा होगी जी।

धन्यवाद

सचिव
सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति
नीरथ, तह० रामपुर बुशैहर
जिला शिमला (हि० प्र०)
Cont: 98821-35531.

भवदीय [signature]
प्रधान
सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ, तह० रामपुर
बुशैहर, जिला शिमला हि०प्र०
Cont No. 98165-04193

[signature]
प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव मुताबिक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक........................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री........................ की अध्यक्षता में..................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक..................

विषय :-

क्र० संख्या	नाम	गाँव	हस्ताक्षर
1	श्री प्रेम सिंह चौहान	निनलू	[illegible]
2	श्री राजेश भण्डारी	बलथाना	[illegible]
3	" पदम दास भण्डारी	-do-	[illegible]
4			
5	" सतपाल शर्मा	नीरथ	[illegible]
6	" प्यारेलाल धीमान	नीरथ	[illegible]
7	" सन्तोष मेहता	नारेयला	Sharma
8	" रघु दास पालसरा	डोई	
9	" तारा चन्द चौहान	निनलू	[illegible]
10	" राजेन्द्र भण्डारी	बलथाना	घुराम
11	" देवेन्द्र कुमार	नीरथ	[illegible]
12			
13	हिम्मत कुमार	डोई	Himmat
14	विक्रम देव शर्मा	नीरथ	[illegible]
15	जालम सिंह	नीरथ	जालमसिंह
16	देव राज	नीरथ	[illegible]
17	सुन्दर वीर सिंह	नीरथ	[illegible]
18	पायल ठाकुर	नीरथ	[illegible]
19	श्रीमति सवीता कंवर	नीरथ	सवीता कंवर
20	परीक्षित शर्मा	नीरथ	Sharma
21	श्रीमति कीर्ति शर्मा	नीरथ	कीर्ति देवी
22	श्रीमति कमलेश शर्मा	नीरथ	कमलेश

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक............सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री. .... की अध्यक्षता में............सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक............ प्रस्ताव संख्या............ दिनांक............

विषय :-	नाम	गांव	हस्ताक्षर
26	श्री राम दयाल भण्डारी	बलथाना	[signature]
27	राकेश कुमार	नेराला	[signature]
28	~~सुरजीत सिंह~~	~~नेसेला-खेरी?~~	[signature]
29	मोलदेव?	नीरथ	[signature]
30	प्यारे लाल भण्डारी	बलथाना	प्यारे लाल
31	श्री भोविन्दर राजपूत?	बरकोहली	[signature]
32	पिंगल ता चौहान?	चिनगू?	[signature]
33	आशा देवी	बरकोली	आशा देवी
34	ज्ञान चन्द	नीरथ	ज्ञान चन्द
35	शिव लाल	बलथाना	[signature]
36	गोपाल भण्डारी	-do-	Gopal Bhandari
37	ईश्वर भण्डारी	-do-	[signature]
38	किशन दास	बलथाना	किशन दास
39	रमेश सिंह	बलथाना	[signature]
40	Gomalan Singh?	Balthana	[signature]
41	Veer Singh	Chunja	[signature]
42	Jagdish	Balthana	[signature]
43	Rajinder Singh	-do-	[signature]
44	Rajpal Bhandari	-do-	Bhandari
45	Budhi	[illegible]	Budhi [illegible]
46	[illegible]		[signature]
47	Sunil Kumar	Do	[signature]
48	Jawahar Lal	Do	[signature]
49	Pramod Kumar	do	[signature]

...त किया जाता है कि नकल प्रस्ताव ...क सही व दुरुस्त है जोकि कार्यवाही ...पन है ।

F-75

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक.................................सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान श्री.. की अध्यक्षता में..................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................. प्रस्ताव संख्या.................. दिनांक..................

विषय	नाम	गांव	हस्ताक्षर
26	श्री राम दयाल भण्डारी	बलथाना	[illegible]
27	राकेश कुमार	नेराला	[illegible]
28	~~सुरजीत सिंह~~	~~चरोला-सेपी~~	[illegible]
29	मोलटिप	~~नीरथ~~	[illegible]
30	प्यारे लाल भण्डारी	बलथाना	प्यारेलाल
31	श्री भोदविन्दर राजपूत	बरकेली	[illegible]
32	पिंगरतन चौहान	दिननु	[illegible]
33	आशा देवी	बरकेली	आशादेवी
34	ज्ञान चन्द	नीरथ	ज्ञान चन्द
35	शिव लाल	बलथाना	[illegible]
36	गोपाल भण्डारी	-दो-	[illegible]
37	ईश्वर भण्डारी	-दो-	Gopal bhandari
38	किशन दास	बलथाना	किशनदास
39	रमेश सिंह	कोटगाना	[illegible]
40	Govardhan Singh	Balthana	[illegible]
41	Veer Singh	Chunja	[illegible]
42	Jagdish	Balthana	[illegible]
43	Rajinder Singh	-do-	[illegible]
44	Rajpal Bhandari	-do-	Bhandari
45	Bulbu	[illegible]	Bulbu
46	[illegible]		[illegible]
47	Sunil Kumar	Do.	[illegible]
48	Jawahar Lal	Dai	[illegible]
49	Pramod Kumar	-do-	[illegible]

...नित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव ...क सही व दुरुस्त है जोकि कार्यवाही ...पन है ।

(11)

पंजीकरण सं0 Rmp(GA)/2010-25

सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ

डाकघर नीरथ तहसील रामपुर बुशैहर जिला शिमला (हि0 प्र0)

आज दिनांक...सूर्य नारायण बाँध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ की बैठक प्रधान

श्री.. की अध्यक्षता में..........................सदस्यों की उपस्थिति में हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित हुए ।

क्रमांक.................... प्रस्ताव संख्या...................... दिनांक.........................

विषय :–	नाम	गांव	हस्ताक्षर
52	TILAK RAJ	नीरथ	Tilak Raj
53	[signature]	[illegible]	[signature]
54	Lachhmi	Bhorakhani	Lachhmi
55	प्रेम चन्द	भैरी	प्रेम चन्द
56	धनवीर	नीरथ	धनवीर
57	[illegible]	नरोला	[signature]
58	[signature]	भैरी	[signature]
59	Bilku Singh Thakur	Nirth	[signature]
60	Hari Chand	[illegible]	[signature]
61	PRAVEEN THAKUR	NIRATH	[signature]
62	Ravi Mohan	Nirath	[signature]
63	चेतराम	[illegible]	[signature]
64	Sunder SINGH	NIRATH	[signature]
65	NIHAL CHAND	~~[illegible]~~	[signature]
66	Suresh Kumar	Nirath	Kapoor
67		~~[illegible]~~ [illegible]	[signature]
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			

प्रमाणित किया जाता है कि नकल प्रस्ताव वास्तविक सही व दरुस्त है जोकि कार्यवाही में विद्यमान है ।

दिनांक 1-7-2018

सेवा में

श्रीमान् महा प्रबन्धक
लुहरी जल विद्युत परियोजना,
निथला (शिमला)

विषय :- गांव चरौट में खसरा नं० 14, 15 और 16 को परियोजना के लिए अधिग्रहण करने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि हम हरदयाल सिंह, राजकुमार पुत्र स्व० श्री प्रताप सिंह, अमित कुमार पुत्र स्व० श्याम-लाल गांव चरौट, अपनी जमीन जो खसरा नं० 14-15-16 में है परियोजना के लिए देने को तैयार हैं। इसलिए हमारी आप से प्रार्थना है कि हमारी भूमि का अधिग्रहण किया जाए ताकि हम भी परियोजना का लाभ उठा सकें जी। धन्यवाद।

हरदयाल सिंह, राजकुमार, अमित कुमार
गांव चरौट डाक०
शमाथला उपतहसील कोटगढ़
जिला शिमला (हि० प्र०)

1/7/2018

दिनांक:.......................

सेवा में,

उपमण्डलाधिकारी (ना.) महोदय,
उपमण्डल, कुमारसेन, जिला शिमला, हि0प्र0

<u>ग्रामीणों की समस्या का समाधान</u>

1. गांव रिवाली, बिथल, चरौटा के लिए लिफ्ट सिंचाई व पेयजल स्कीम चल रही थी जो कि 31.7.2000 में सतलुज में बाढ़ आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी और अब यहां पानी की समस्या को देखते हुए इस स्कीम को प्राथमिकता के आधार पर दुरूस्त कर चालू किया जाये।

2. ग्राम पंचायत शमाथला के हर गांव में पीने व सिंचाई के पानी की समस्या गंभीर रूप से बनी हुई है जिसके निवारण के लिए एक नई लिफ्ट सिंचाई व पेयजल स्कीम उपलब्ध करवाई जाए।

3. स्थानीय व पंचायत के युवाओं को ~~योग्यतानुसार~~ रोजगार प्रदान करवाया जाए।

4. परियोजना क्षेत्र के बिथल में 25 कि0मी0 की दूरी तक कोई अस्पताल नहीं है जिस कारण यहां के क्षेत्रवासियों को उपचार के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को होती हैं इसलिए यहां पर एक 10 बैड के अस्पताल का निर्माण कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

5. हैल्पेज इंडिया (सतलुज संजीवनी सेवा) की तरफ से जो सेवाएं दी जा रही हैं वे अतिसराहनीय हैं। इसकी हम भरसक प्रशंसा करते हैं। हमारी आपसे विनती है कि इसके साथ प्रयोगशाला (Lab) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए जिससे विभिन्न रोगों से सम्बन्धित रक्त की जांच यहां हो सके।

6. यहां पर पशुओं के अतिक्रमण से फसलों को काफी नुक्सान हो रहा है जिसके लिए इन क्षेत्रों में जैसे कि रिवाली, छवाण, हनोग व भैरा में बाड़ लगाई जाए व असहाय पशुओं के लिए गौशाला का निर्माण किया जाए।

7. यहां पर सेब सीजन में अदानी सेब कोल्ड स्टोर व विजय सेब कोल्ड स्टोर में सेब आने की वजह से गाड़ियों की काफी आवाजाही होती है जिससे लोगों की भीड़ हो जाती है। बिथल के कई क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहते हैं जिसके लिए यहां स्ट्रीट लाईटों, शौचालयों का निर्माण व सफाई की व्यवस्था का प्रावधान किया जाना अनिवार्य है जिससे स्वच्छता बनी रहे।

8. इस क्षेत्र में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का डी.पी.एस. अथवा डी.ए.वी. अथवा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए जिसमें बड़ा खेल मैदान भी हो ताकि बच्चों को अपना कौशल विकास करने में मदद मिल सके।

9. सिंघापुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 से नगरांव गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए जिसका सर्वे लोक निर्माण विभाग ने काफी पहले कर रखा है। (अंमुल्य)

अत: इस ग्राम पंचायत की उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इनका निदान करने के लिए बजट स्वीकृत कर अमलीजामा पहनाने की कृपा करें। सभी पंचायत वासी आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक:

प्रधान
ग्राम पंचायत शमाथला
उप-तह0 कोटगढ़ जिला शिमला
हिमाचल प्रदेश।

F-70

दिनांक 01-7-2018

सेवा में,

महा प्रबन्धक
लुहरी जल विद्युत परियोजना
बिथल (रिवाली)

विषय :- गांव धरोग के खसरा नं० 26 के अधिग्रहण करने बारे।

महोदय,

निवेदन है कि हम ने पहले भी उपरोक्त खसरा को अधिग्रहण करने बारे आप को लिखित रूप मे प्रार्थना पत्र दिया था। आज हम दोबारा आप को खसरा नं० 26 को अधिग्रहण करने हेतु लिए प्रार्थना करते है। क्योंकि खसरा नं० 21, 22 जो कि पहले ही परियोजना के लिए अधिग्रहण कर लिया गया है। हमारी जमीन इन्ही खसरा नं० के साथ लगती है। इसलिए हमारी आप से प्रार्थना है हमारी जमीन का अधिग्रहण किया जाए जी ताकि हम भी परियोजना का लाभ उठा सके जी। धन्यवाद।

[signature] 11/7/2018
टेक सिंह चौहान
पुत्र स्व० श्री लोक राम
गांव रिवाली डाकघर
झाकापला उप तह० कोटगढ़
जिला शिमला

[signature]
जीत सिंह चौहान
पु० स्व० लोक राम
गांव रिवाली
डाकघर झाकापला
उप तह० कोटगढ़
जिला - शिमला

...ir ed on
.../2018 ...
... Sunrai
प्रवेश
11/7/2018

F-80

सेवा में

अति० महाप्रबन्धक कार्मिक एवं प्रशासनिक
लू० ज० वि० परि० सुन्नी (रिवाली)
जिला - शिमला (हि० प्र०)

विषय :- गांव चरौंटा के खसरा नम्बर २६ के अधिग्रहण करने के बारे में -

मान्यवर जी,

विनम्र उपरोक्त में, हम निम्नलिखित प्रार्थना करते हैं --

1) चक चरौंटा में अराजी ख० न० २६ के मालिक हैं। इस चक में ख० न० २१,२२ लू० ज० वि० परि में डंपिंग हेतू अधिग्रहण किए गए हैं।
उपरोक्त नम्बर के साथ मेरा खसरा नम्बर २६ लगता है, उसे भी साथ मे अधिग्रहण किया जाए।

२) चक रिवाली में अराजी ख० न० १५, १२, ११, १० जिनके मालिक धर्म सिं० जगदीश सिंह, बिमला देवी हैं। उक्त भूमि का अर्जन नहीं करवाना चाहते हैं। इस बारे में उन्होंने प्रार्थना-पत्र आपके कार्यालय में दे रखा है जिसकी प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है।

३) चक रिवाली के उपरोक्त नम्बर के बदले चक चरौंटा का ख० न० २६ अधिग्रहण किया जाए ताकि चक रिवाली में ख० न० १५, १२, ११, १० की अधिग्रहण भूमि की कमी को पूरा किया जाए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे प्रार्थना-पत्र पर सहानुभूति से विचार कर के चरौंटा के ख० न० २६ को लू० ज० वि० प० के लिए अधिग्रहण करेंगे।

धन्यवाद

टेक सिंह चौहान
S/o श्री लोभ राम
गांव रिवाली डा०घर - शमाथला
तै० - कुमारसैन जिला - शिमला
M.N. 9459562275

जीत सिंह चौहान
S/o श्री लोभ राम गांव - रिवाली
डा०घर - शमाथला तै० - कुमारसैन
जिला शिमला
M.N. - 9459268881

সাল ২০০৪ ইং মৌজা [illegible] খতিয়ান নং 20 মহকুমা [illegible] জিলা [illegible]

1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[illegible]	[illegible]	—	—	26	0-22-80	-	-	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			19	2-49-67				
					2-25-17				
					0-24-50				
					0-19-74				
					0-04-76				

F-8

जमाबन्दी [illegible] साल 2008-09 मौजा [illegible] हदबस्त नं. 20 तहसील [illegible] जिला [illegible]

नम्बर खेवट या जमाबन्दी	नम्बर खतौनी	नाम पत्ती या थोक	नाम मालिक मय हिस्सा	नाम काश्तकार मय ब्यौरा	[illegible]	नम्बर खसरा		रकबा मिकदार व किस्म	लगान	हिस्सा या पैमाना हकीयत और मालगुजारी	मुताल्लिका व [illegible] मामला	कैफियत
						[illegible]	[illegible]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 [illegible]	10	—	[illegible]	[illegible]	—	—	26 [illegible]	0-22-80 [illegible]	—	—	[illegible]	[illegible]
				[illegible]			19 [illegible] 2-25-17	2-49-67 [illegible] 0-24-57 [illegible] 0-19-74 [illegible] 0-04-76	—			[illegible]

[illegible]

[illegible]

উত্তর

[illegible] ১০x১০

[illegible]

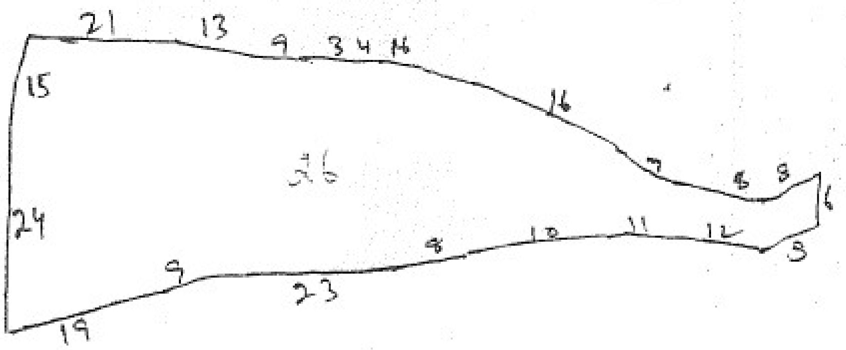

[illegible] 8/7/13

DATE

PAGE NO.

सेवा मे

माननीय उप मंण्डल अधिकारी
तै० कुमारसैन जिला शिमला।

विषय लूहरी जल विद्युत परियोजना केस । मे
एस आई रिपोर्ट पर चर्चा

महोदय

आप से नम्र निवेदन है कि हमारे सुझाव को लागू करने मे हमारी मदद करे ग्राम, रिवाली, चरोटा व नौला को एक परियोजना प्रभावित परिवारों को परियोजना प्रभावित सहकारी सभा पंजीकृत है जिन के निम्नलिखित सुझाव है भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 केन्द्र सरकार 2015 मे ~~स सुधार~~ सरकार को Amendment की गई है जिस मे 26A के तहत प्रभावितो को मुवावजा ग्रामीण क्षेत्र मे 4 गुणा देना माना है और पूरे परियोजना क्षेत्र मे एक समान मुआवजा दिया जाना भी इस मे है कई राज्यो जैसे उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडू व छत्तीसगढ़ व अन्य कई राज्य मे इसे लागू कर प्रभावितो को मुआवजा दिया जा रहा है उचित है जो इस के आधार पर मुवावजा दिया जाए

(Margin note: Discussed on ...1/2018 in Jansunvai. ... [illegible])

नं 2 नौला का सर्कल रेट 1003 लिखा गया जब कि 2011-12 मे नौला का प्रति वर्ग मी 28553 रु० था इसे ठीक किया जाए

[signature]

JINDAL

3 रिवाली का रेट 11.58 लाख है जब कि साथ लगती चरौं का मु० 23.68 है इसे भी ठीक किया जाए

4 मुआवजा Category 4 मे डाला है इसे Category 1 डाला जाए

5. ग्राम. रिवाली मे एक 10+2 स्कूल. DPS or DAV or Central School खोला जाए
परियोजना क्षेत्र मे एक Engineering College खोला जाए

6 उठाउ सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत शमाथला के लिए एक उठाउ सिंचाई योजना बनाई जाए जिसमें SCR व जोड़ा का सारा पैसा इसी मे लगाया जाए

7 ग्राम रिवाली मे एक गौशाला खोला जाए

आप से नम्र निवेदन है कि आप हमारी मांगों पर गौर कर इसे लागू कराएं

आप का महान कृपा

दि: 1-7-2018 प्रार्थी

गोपाल महता
निवासी: परियोजना प्रभावित सहला सभा पंचायत. रिवाली, चरौंदा, मौला
डा० शमाथला जिला शिमला हि

Mobile 9418110660

HN 172

JINDAL

Signature

F-86

सेवा में

माननीय उप मण्डल अधिकारी
ठैं० कुमारसैन जिला शिमला।

[illegible]

एस आई रिपोर्ट पर चर्चा

महोदय,

आप से नम्र निवेदन है कि हमारे सुझाव को लागू करने में हमारी मदद करें ग्राम, रिवाली, चरोटा व नौला की एक परियोजना प्रभावित परिवारों की परियोजना प्रभावित सहकारी सभा पंजीकृत है जिस के निम्न लिखित सुझाव है
भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 कानून 2015 में संशोधन की Amendment की गई है जिस में 26A के तहत प्रभावितों को मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुणा देना माना है और पूरे परियोजना क्षेत्र में एक समान मुआवजा दिया जाना भी इस में है कई राज्यों जैसे उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु व हरियाणा व अन्य कई राज्य में इसे लागू कर प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है अतः हमें भी इस के आधार पर मुआवजा दिया जाए

2 नौला का सर्किल रेट 1003 लिखा गया जब कि 2011-12 में नौला का प्रति बिस्वा रु 28853 था इसे ठीक किया जाए

Signature [illegible]

2 रिवाली का रेट 1145840 है जब कि साथ लगती चरौरां का मूल्य 2365 है इस को ठीक किया जाए

मुआवजा Category 4 मे लगा है इस Category 1 मे [illegible]

ग्राम रिवालो मे एक 10+2 स्कूल, DIS या DAV or Central School खोला जाए

परियोजना क्षेत्र मे एक Engineering Collage को खोला जाए

6 उठाउ सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत शामाग्रला को [illegible] एक उठाउ सिंचाई योजना बनाई जाए जिसमे SCR के तोड [illegible] जाए

ग्राम रिवालो मे एक [illegible] खोला जाए

आप से नम्र निवेदन है कि आप हमारी मांगो पर गौर करके इसे लागू करवाएँ

आप का महान [illegible]

दि० 1-7-2018 प्रार्थी

गोपाल महता

For: परियोजना प्रभावित सहकारी सभा पंचायत रिवालो, चरौरो व [illegible]

डा० शामाग्रला जिला शिमला हि० प्र०

Mob. 9418110660 PIN 172030

IND AL

Signature ______________

[illegible] 1 जनवरी 2011 ता 31 दिसम्बर 2011 तक

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	कुल रकबा	[illegible]	[illegible]
16	30/11	—	—	—	—	0-00-76	0-00-76	0-01	4000/-
15	27/11	—	0-00-95	—	—	0-00-12	0-01-07	0-03	5250/-
जोड़		—	0-00-95	—	—	0-00-98	0-01-83	0-04	9,250/-
प्रति बिस्वा		0-94	0-27	0-13	0-06	—	—	—	
प्रति बिस्वा		2173750-00	6243750-00	3006250-00	1387500-00				
प्रति [illegible]		1086875-00	312187-00	150312-00	69375-00				
प्रति [illegible]		28883-20	8296-23	3994-48	1843-60				

[illegible]

पटवारी
पटवार वृत्त [illegible]
तह. कुमारसैन जिला शिमला (हि.प्र.)
[illegible]/1/12

F-9

[illegible] 1 [illegible] 2011 [illegible] 31 [illegible] 2011 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86	30 5/11	—	—	—	—	0-00-76	0-00-76	0-01	4000/-
95	27 1/11	—	0-00-95	—	—	0-00-12	0-01-07	0-03	525000/-
[illegible]		—	0-00-95	—	—	0-00-98	0-01-83	0-04	9,25000/-
[illegible]		0-94	0-27	0-13	0-06	—	—	—	—
[illegible]		2,173750-00	6243750-00	306250-00	138750-00				
[illegible]		1086875-00	312187-00	150312-00	69375-00				
[illegible]		28883-20	8296-23	3994-48	1843-60				

[illegible]

[illegible]

№ 2623629 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

सेवा मे,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)

कुमारसैन।

जिला शिमला हि० प्र०।

विषयः- डमपिंग के लिए भूमि देने हेतू प्रार्थना-पत्र।

महोदय

मैं सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, पुत्र स्व० श्री सेवा राम, ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़, उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र० का स्थाई निवासी हूँ। महोदय सतलुज जल विधुत निगम लि० द्वारा डमपिंग के लिए चक चरौटा में खसरा न० 22 जो भूमि ली गई है उसी के साथ हमारी भूमि भी है जिसका खसरा न० 20,25,27, है । महोदय डमपिंग के कारण हमारी भूमि खराब हो सकती है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी भूमि को भी डमपिंग के लिए स्वीकार करें जी। महोदय दिनांक 01-07-2018 को रूवाली गांव मे आपने जो लोक अदालत का आयोजन किया था उसमे मैं किसी कारण वश नहीं आ सका। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व ततीमा की फोटो कापी सलंग्न है।

धन्यवाद

Reader
[illegible]
2/7/18

भवदीय

Sathesh

सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, Mobile 9816051864

ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़,

उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र०

Endst. No. 1622 dt 02/7/18

Copy to – Team Leader AFC India Ltd. for n/a

[illegible]
2/7/18

F-9

№ 2623629 2017 **Himachal Government Judicial Paper**

सेवा मे,

उपमण्डल अधिकारी (ना०)

कुमारसैन।

जिला शिमला हि० प्र०।

विषयः- डम्पिंग के लिए भूमि देने हेतू प्रार्थना-पत्र।

महोदय

मैं सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, पुत्र स्व० श्री सेवा राम, ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़, उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र० का स्थाई निवासी हूँ। महोदय सतलुज जल विधुत निगम लि० द्वारा डमपिंग के लिए चक चरौटा में खसरा न० 22 जो भूमि ली गई है उसी के साथ हमारी भूमि भी है जिसका खसरा न० 20,25,27, है । महोदय डमपिंग के कारण हमारी भूमि खराब हो सकती है इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी भूमि को भी डमपिंग के लिए स्वीकार करें जी। महोदय दिनांक 01-07-2018 को रवाली गांव मे आपने जो लोक अदालत का आयोजन किया था उसमे मैं किसी कारण वश नहीं आ सका। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी वर्ष 2013-14 व ततीमा की फोटो कापी सलंग्न है।

धन्यवाद

Reader
Yr
2/7/18

भवदीय
Satheesh
सतीश, पुत्र स्व० श्री धन सिंह, Mobile 9816051864
ग्राम शथला, डाकघर वीरगढ़,
उप-तैहसील कोटगढ़, जिला शिमला हि० प्र०

Endst. No. 1622 dt 02/7/18

Copy to — Team Leader AFC India Ltd. for n/a

2/7/18

F-9

2	3	4	5	6	7	8
					घासनी 00-01-19	

Certified that this copy has been generated from the database of Revenue Department Tehsil कोटगढ as accessed by the Lok Mitra Kendra LMK Kotgarh on 02-July-2018

To Verify; enter the Copy No above Bar Code at http://admis.hp.nic.in/himbhoomilmk
For Validity Refer : Notific. No:Rev-C(F)/10-1/2009 Dated 14-Feb-2011

Jam0006184189

F-9

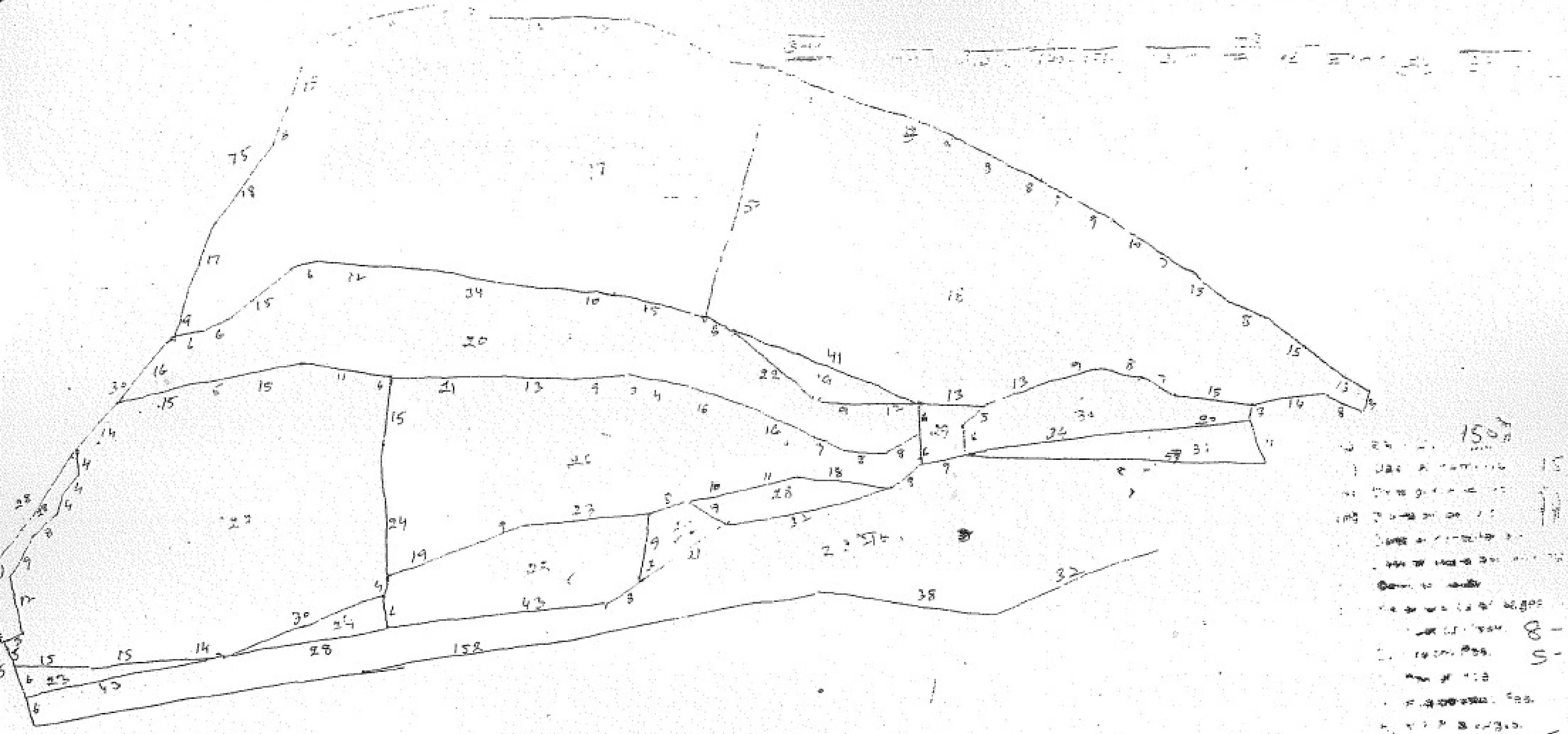

1503

Total Charges. 12

Date of Delivery. 15.

Certified to be a true copy

15/7/11

Authorised under Section 76

of the Indian Evidence Act, 1872

ATTESTED

वीना नेगी
प्रधान
ग्राम पंचायत, दत्तनगर

98166[illegible]
मोबाईल:- 94184-22899
गाँव व डाकघर दत्तनगर,
तह० रामपुर जिला शिमला (हि०प्र०)

क्रमांक........................ A.F.C के प्रमुख अरविंद शुक्ला दिनांक.......................

मैं यहां पर उपस्थित सभी का स्वागत और अभिनन्दन करती हुं। S.D.M साहब रामपुर S.J.V.N.L से और सभी अधिकारी गण बनजीत [illegible] उसका कौन्सिल सोच समझ कर दिया जाए।

आज की इस पब्लिक हियरिंग का ~~मतलब~~ मतलब है इस मीटिंग से कमीश्नर सु लेना। क्या आप सभी इस कम्पनसेशन देने को तैयार हो। मुझे तो लगता है कि हमारा अभी तक लाडा का पैसा पंचायत को नहीं मिला मैं D.C साहब के पास गयी थी लाडा के पैसे के बारे मे पूछने पर उन्होंने कहा की लाडा का पैसा तो मेरे आने से पहले ही खर्च हो चुका है। या जा चुका है। पर पैसा कहा गया मैंने तो R.T.I भी दे दी है, पर अभी तक उसका जवाब नहीं आया। पहले वाली सरकार ने कुछ किया होगा तब भी मैं उनके साथ लड़ने को तैयार हुं अभी वाली सरकार ने कुछ किया होगा तो मैं उनके साथ भी लड़ने को तैयार हुं। मेरी जनता को और मेरी पंचायत को हमारा हक मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता तब तक तो ~~कम्पनसेशन~~ कम्पनसेशन यहा से जानी चाहिए।

जब तक हमें हमारा पेमन्ट नहीं मिलता।
हम लोगों को उसी तरह से बेवकूफ
बनाया जाता है। बाकी मै ज्यादा नहीं
कहूँगी। आप लोगों का सहयोग मुझे
चाहिए अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती।
बाकि जो आप लोगो का फैसला होगा मैं
आप के साथ हूँ। आज मैं नही
जो आप लोगो का फैसला होगा वही मान्य होगा।
बाकि नं I रिक्वेस्ट मेरी आप से यही है कि
जब प्रोजेक्ट बनेगा तो एक जब वहां से निकलेगी
तो वो यहां ड्रेनेज मे डाली जाए।

2. रिक्वेस्ट नं आप से यही है कि स्वच्छता
की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए जब
यहां प्रोजेक्ट बनेगा तो पोपुलेशन भी बढ़ेगी
तो लोग ज्यादा होंगे तो कुड़ा कचरा भी उतना ही
ज्यादा फैलेगी। इसलिए गाड़ी हमें दि जाए
जिससे हम कुड़ा इकट्ठा कर सके। और डंपिंग
ग्राउंड भी आप ही बना कर दे। स्वच्छता का ध्यान
अच्छी से ही रखा जाए। और मेरी पंचायत को
भी लगे की हमारी पंचायत मे इतना प्रोजेक्ट
बनने वाला है। जिसका हम भरपूर फायदा उठा
रहे है। और हमारी पंचायत तरक्की करे।
बाकि ज्यादा न कहते हुए मै यही कहूँगी कि
बाकि मेरी जनता का जो फैसला है मैं आप
के साथ हूँ। धन्यवाद

1) परियोजना प्रभावीत परिवार के हर परिवार को परियोजना में स्थाइ नौकरी।

2) परियोजना प्रभावित परिवार को ~~[illegible]~~ मुआवजा भू अर्जन अधिनियम की धारा 2013 के अनुसार अधिकतम सीमा चार गुणा दीया जाए

3) परियोजना प्रभावीत परिवार की समिती का ~~[illegible]~~ गठन किया जाय

4) परियोजना में घर खोने वाले परिवार को घर बना कर दिया जाए।

5) यह सभी समस्याओं को अविलम्ब से दूर किया जाए।

Saraswati

Omprakash Sircarkar
Bhadresh
8219303689

Saraswati

30.06.2018

जन - सुनवाई SDM आनी की अध्यक्षता

जुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - निथर एवं देहरा

उपतहसील - निथर, जिला - कुल्लू

क्र०सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1	चेत सिंह	SDM Anni		8894470233	[signature]
2	[illegible]	[illegible]		9418486053	[signature]
3	Pradeep Chandel	Naib Tehsildar		94185-83475	[signature]
4	Bindu Thakur	P.S Chairperson	Nirmand	9459749821	[signature]
5	Pappi Bhatel	Z.P. Arsemand		9816997373	[signature]
6	Chamli Devi	B.D.C. Nither		9418059717	[signature]
7	Pawan [illegible]	[illegible]	[illegible]	94188-42037	[signature]
8	Rukam Ram	Shanch	Dera	9459822623	[signature]
9	Jai Chand	Shanch	Dehra	9857776741	[signature]
10	Kaler Chand	Ginas	Dehra	9625792417	[signature]
11	Ver Chu	Nither	Nither	9015672796	[signature]
12	Sanjay	Shoucha	Dehra	9129407003	[signature]
13	Rumme	[illegible]	Nither	9418222183	[signature]
14	Bittu	Shanch	Nither	7018597243	[signature]
15	Parinder	Shanch	Dehra	8988494469	[signature]
16	Dupchand	Shanch	[illegible]	9459974869	[signature]
17	Govind Singh	Moch	Dehra	9418120529	[signature]
18	उत्तम राम	मोहना	देहरा	8679724834	[signature]
19	श्याम लाल	[illegible]	देहरा	9857287579	[signature]
20	राम प्यारा	[illegible]	देहरा	9805963066	[signature]
21	मालू राम	[illegible]	देहरा	8988065035	[signature]
22	Bichitar Rakit	[illegible]	देहरा	94186-46511	[signature]

DATE :
PAGE NO.:

क्र०सं०	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
23	धर्म दास	धमाड़	डेहरा	9459739408	धर्म दास
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9816411671	[illegible]
25	सीता राम	मोइन	डेहरा	98865857[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	डेहरा	9617797092	[illegible]
27	[illegible]	Dhar	निचार	9459294401	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]	निचार	9129406191	[illegible]
29	किशोरीलाल	मोरी	डेहरा	9805469236	किशोरीलाल
30	[illegible]	[illegible]	डेहरा		[illegible]
31	[illegible]	[illegible]	डेहरा	94185[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	डेहरा	98872[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	चालो	डेहरा	91295 3982	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	डेहरा	985[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	डेहरा	96792088	[illegible]
36	Janmesh Kr	Dhanat	Dehra	98880 71123	[illegible]
37	[illegible]	Dhar	Dehra	7019368815	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	Dehra	—	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	डेहरा	8628934474	[illegible]
40	[illegible]	धमाड़	निचार	8679336133	[illegible]
41	[illegible] सिंह	ढमाड़	निचार	9459294403	[illegible]
42	[illegible] सिंह	ढमाड़	निचार	9318822202	[illegible]
43	[illegible] चन्द	[illegible]	निचार	—	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	डेहरा	9857786740	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	डेहरा	—	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	डेहरा	945908602	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	डेहरा	945956499[illegible]	[illegible]
48	पुनीत कुमार	[illegible]	डेहरा	9418477259	[illegible]
49	शेर सिंह	[illegible]	[illegible]	8265022600	Sheersingh
50	रोहित	[illegible]	डेहरा	9805130598	Rohit
51	[illegible]	Sanant	Tandi	8679836000	[illegible]
52	Asok	Dhamuni	Nither	9459023574	[illegible]
53	Rakesh	Dhamah	Nither	9418[illegible]	[illegible]

क्र०सं०	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
54	Devinder Kumar	ANAS	Neether	98572-67905	[illegible]
55	Rajender	Gharali	Nither	9817908393	[illegible]
56	Meena Singh	do	do	86795 75581	[illegible]
57	Rakesh	[illegible]	Nither	98160-33498	[illegible]
58	Pawan	[illegible]	Nither	98166-35985	[illegible]
59	Pramod	Daba	Nither	9459039228	[illegible]
60	Swarnjeet	[illegible]	Nither	8262988487	[illegible]
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9805499006	[illegible]
62	Pawanath	Khadvechar	Nither	88940-60841	[illegible]
63	Narayan Thakur	Angs	Dehra	8988860091	[illegible]
64	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9459235344	[illegible]
65	Rakesh	[illegible]	Dehra	9129470769	[illegible]
66	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7018789000	[illegible]
67	Bhupender	Ghareli	Nither	94185-15988	[illegible]
68	Vijay Kumar	[illegible]	New.	9817018529	[illegible]
69	Bheem Singh	Shakroti	Dhera	9418007757	[illegible]
70	[illegible]	Kajoodhar	DHERA	9625069109	[illegible]
71	Chander Prakash	DHAR	DHERA	9821002936	[illegible]
72	Rajeev Kumar	Dehra	Dehra	98050-29902	Rajeev
73	[illegible]	Nither	Nither	9882762606	[illegible]
74	Gopal Chand	Dhar	Dhera	9817445722	[illegible]
75	Sunil Kumar	Moira	Dhera	8788828044	[illegible]
76	Shashi Bhushan	Main	Dehra	9459471588	[illegible]
77	MUNI LAL	SHOUCHA	DHAR	8[illegible]	[illegible]
78	Ravesh Chand	Main	Dehara	9816224120	[illegible]
79	Rakesh	Gharali	Nither	9816372830	[illegible]
80	[illegible] Singh	Main	Nither	8894248574	[illegible]
81	Suresh Kr	Dhan	Dhar	9418270181	[illegible]
82	[illegible]	Dhar	Dhera	8674139619	[illegible]
83	Pradeep Kr	Daro	Dhar	9418245239	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9418597042	[illegible]

क्रम सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
85	Jagdish	Ghoreda	NTL Dehra	97 6858 6070	Jagdish
86	Gopal	Moin	Nither	97165 [illegible]	[illegible]
87	Jagdish / लाभ राम	Gharoli	Neethar	9816868083	[illegible]
88	[illegible]	खड़ोगी	Neethar	9857286774	[illegible]
89	Madanlal	मोइन	नियाडेहरा	8894515119	[illegible]
90	Milap Kumar	Dhanake	Dehra	98173-33800	[illegible]
91	[illegible]	Jhilli	Nither	86798-[illegible]	[illegible]
92	Dharampal	Chaemala	G.P. Dehra	9459215760	[illegible]
93	Prem Lal	Chelri	G.P. Dehra	94592-[illegible]	[illegible]
94	Rakesh Kumar	[illegible]	डेहरा	9459268687	[illegible]
95	Sameer	Shakroli	Dehra	8219319957	[illegible]
96	[illegible]	झलोली	Nither	9805444660	[illegible]
97	Jai Kumar	Dhanak	Nazehar	94592 94445	[illegible]
98	Azaspal	Moin	Dehara	98160-2242[illegible]	[illegible]
99	Aneet Kumar	Moin	Dehra	70181-84699	[illegible]
100	Mukesh	"	"	8219891156	[illegible]
101	[illegible]	"	"	9459262550	[illegible]
102	Jagdish	Moin	Dehra	9816260771	[illegible]
103	Laimu	"	"	9418472319	[illegible]
104	[illegible]	[illegible]	"	9857631707	[illegible]
105	Dhyan Singh	Anas	डेहरा	9805766871	[illegible]
106	[illegible]	Neethar	"	9129404454	[illegible]
107	Durga Singh	Moin	डेहरा	7018545171	[illegible]
108	Budhi [illegible]	Sukrali	Dehra	94188 11794	[illegible]
109	Shyam Chand	Chaemala	Dehra	9459939199	[illegible]
110	Rajha	Mohli	[illegible]	9129971011	[illegible]
111	Manoj		डेहरा	7807394636	[illegible]
112	[illegible]	[illegible]	डेहरा	9817436057	[illegible]
113	[illegible]	[illegible]	डेहरा	9817525409	[illegible]
114	[illegible]	[illegible]	डेहरा	88949-00914	[illegible]
115	[illegible]	मोइन	डेहरा	9816908886	[illegible]

क्रम सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
116	[illegible]	[illegible]	डेहरा	=	[illegible]
117	[illegible]				
118	[illegible]	[illegible]	डेहरा	94181-53211	[illegible]
119	[illegible]	मोइन	डेहरा	9817513986	[illegible]
120	[illegible]	मोइन	डेहरा	9816806653	[illegible]
121	[illegible]	मोइन	डेहरा	9805576570	[illegible]
122	[illegible]	[illegible]	Dehra / Nither	9828542[illegible]	[illegible]
123	Yojna Dutt	Restal	Rangar	96250	[illegible]
124	[illegible]	[illegible]	डेहरा	96331	[illegible]
125				8219805351	[illegible]
126	B. B. Bhanti	Gharoli	Nither	98170 54402	[illegible]
127	[illegible]	Shakrol	Nither	94180-87341	[illegible]
128	Vivek Thakur	Amar	Dehra	9459479109	[illegible]
129	Shadi Lal [illegible]	Neethar	Dehra	9817035951	[illegible]
130	Daleep Thakur	Gharoli	Nither	980542[illegible]	[illegible]
131	[illegible]	[illegible]	Nither	9816198192	[illegible]
132	Nagesh Chand	Moin	Nither	98160[illegible]	[illegible]
133	[illegible]	[illegible]	Dehra	7018653477	[illegible]
134	Parmod Thakur	Gharoli	Neethar	9418051178	[illegible]
135	Rajneesh Katoch	Shakroli	Dehra	9418010149	[illegible]
136	[illegible] Singh Katoch	Shakrol	Dehra	9816419165	[illegible]
137	Gopal Singh	[illegible]	Neethar	985[illegible]	[illegible]
138	[illegible]	Ghorali	DHERA	98170207[illegible]	[illegible]
139	Saroj Bala	Palsari	Dehra	7807315323	[illegible]
140	Bindu Devi	Dhanah	Nither	9805086639	[illegible]
141	Chander Kanta	Jalasi	Durah	9816027314	[illegible]
142	Kapoor Thakur	Shorni	Dehra	941821792[illegible]	[illegible]
143	[illegible]	Shanahi	Neethar	9459027178	[illegible]
144	[illegible]	[illegible]	डेहरा	9418274968	[illegible]
145	[illegible]	[illegible]	"	"	[illegible]
146	लता देवी	"		9857029[illegible]	[illegible]

P-102

क्र०सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
147	मोर दासी	धरोली	निथर	—	मोर दासी
148	नर्वदा देवी	धरोली	निथर	—	नर्वदा देवी
149	कुशाला	धरोली	निथर	—	कुशाला
150	शकुन्तला	धरोली	निथर	8698440960	शकुन्तला
151	पिंकी देवी	धरोली	निथर	9805446446	Pinki devi
152	गौरा देवी	धरोली	निथर	—	गौरा देवी
153	[illegible]	धरोली	निथर	—	[illegible]
154	[illegible]	धरोली	निथर	—	[illegible]
155	बीना ठाकुर	धरोली	निथर	9418051178	[illegible]
156	प्रमीला	धरोली	निथर	97367-72950	प्रमीला
157	Sonu	धरोली	निथर	8988128277	Sonu
158	Kapil	Dhamah	Neethar	98822-[illegible]	[illegible]
159	Shobha	धरोली	—	9805423960	Shobha
160	Sunil	[illegible]	—	9816217095	Sunil
161	[illegible]	धरोली		—	[illegible]
162	[illegible]	धरोली	निथर	9418377829	[illegible]
163	Surender	Dhanhai	Neethar	8988061219	[illegible]
164	Balkrishan	Dhamah	Neethar	8679706856	[illegible]
165	प्रदीप	देहरा	निथर	9805948007	[illegible]
166	[illegible]	देहरा	Dhar	9817324246	Kushma
167	ज्योति देवी	[illegible]	लवाह	9418270187	[illegible]
168	आशा	देहरा	लवाह		आशा
169	परमिला	देहरा	लवाह		प्रमिला
170	[illegible]	आनस	[illegible]	9418[illegible]	[illegible]
171	[illegible]		[illegible]	9418[illegible]	[illegible]
172	[illegible]	जानस	[illegible]	9816509457	Surender
173	शिशपाल	[illegible]	देहरा	9459294368	[illegible]
174	[illegible]			9418461185	[illegible]
175	सन्तोष देवी				[illegible]
176	रमीला	धरोली	निथर	985796414[illegible]	[illegible]

क्र०सं०	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
177	गंगा देवी	धरोली	[illegible]		Ganga Devi
178	कपिल देव	आनस	देहरा	9625874322	[illegible]
179	[illegible]	[illegible]	देहरा	9817671960	[illegible]
180	अनीता	आनस	देहरा	9318764146	Anita
181	[illegible]	देहरा	देहरा	8679427599	[illegible]
182	[illegible]	आनस	—do—	9418244879	[illegible]
183	[illegible]	[illegible]	Neelke	9129404[illegible]	[illegible]
184	[illegible]	धरोली	[illegible]	9129405419	[illegible]
185	Baljeet Singh		LHEP, SJVN	94184-56058	[illegible]
186	Vipal Thakur	LHEP	SJVN	94180-92974	[illegible]
187	Rajinder Singh	LHEP	SJVN	94180-56152	[illegible]
188	Rajesh Sh.	—	—	9418452660	[illegible]
189	Alka Jaiswal	RHPSL LHEP	SJVN	94131-50080	[illegible]
190	A.K. Shukla	AFC	New Delhi	9910781550	[illegible]
191	Saurabh Porwal	AFC	N.D.	8587894552	[illegible]
192	MD MEHDOL	AFC	N.D	7903720350	

30-06-2018

DATE :
PAGE NO.:

जन - सुनवाई SDM आनी की अध्यक्षता

लुहरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - गाडेज
उपतहसील - निर्मंड
जिला - कुल्लू

क्र.सं.	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1.	Chet Singh		SDM Anni	8894470233	[signature]
2	ऑफिस कानूनगो-A.		[illegible] आनी	94184[illegible]	[signature]
3.	Surender Kumar	Kail	Gadej	97364	66414 [signature]
4.	PREM RAJ KASHYAP	Press Correspondent		94180	55725 [signature]
5	Harchoni	Nugal	Gadej	78760[illegible]	[signature]
6	Misty	Koyal	Gadej.	9816905604	[signature]
7	कुला देवी	कोयल	गाडेज	9817337112	कुला देवी
8	हीरा देवी	कोयल	गाडेज	9459737228	हीरा देवी
9	चम्पा देवी	कोयल	गाडेज	9857850763	चम्पा देवी
10	Kiran Devi	Bayal	गाडेज	9817602904	Kiran
11	Ranjana	Bayal	Gadej	9805131148	Ranjana
12	हिमा देवी	कायल	गाडेज		हिमा देवी
13	रुक्मणी देवी	बायल	"		रुक्मणी
14	वरेटी शर्मा	वायल	वायल	9817217724	[signature]
15	[illegible]	कोयल	गाडेज	9459182458	[signature]
16	Padam Singh.	Kail.	Gadej	98059-60300	[signature]
17	[illegible]	Kail	गाडेज	9459998570	[signature]
18	Laxman [illegible]	Kail	गाडेज	9418133310	[signature]
19	Vinod Kumar	Kail	गाडेज	9736706[illegible]	[signature]
20	Kanwar Singh	Kail	गाडेज	9418221524	[signature]
21	Ramesh Chand	Kail	"	8894[illegible]	[signature]
22	[illegible]				

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं.	नाम	गांव	पंचायत	मो.नं.	हस्ताक्षर
23	Vivek Thakur	Koyal	Gadej	9459479109	[signature]
24	Jitender Thakur	Satiwan	Gadej	7807250956	[signature]
25	VINAY SIRKECK	SATWAN	GADEJ	9816420213	[signature]
26	नरेन्द्र [illegible]	Kail	Gadej	9418132985	[signature]
27	प्रेम चन्द	कोयल	गाडेज	—	प्रेम
28	[illegible] शर्मा	कोयल	गाडेज	98172-55210	[signature]
29		बायल	गाडेज	—	[signature]
30	TOHIRAM.	"	"	—	
31	NOOR ALI	कोयल	"	7807483778	—
32	[illegible]	"	"	9816601144	[signature]
33	Shiv Kumar	Kail	गाडेज	9817288800	[signature]
34	सुभाष [illegible]	B.D.C	गाडेज	9418478778	[signature]
35	[illegible]	—	[illegible]	88948 72854	
36	[illegible]	"	[illegible]	94184 56156	
37	[illegible]	[illegible]	गाडेज	9816093611	[signature]
38	[illegible]	कायल	"	9418145879	[signature]
39	Ashish	कोयल	"	94185-05311	Ashish
40	PRADEEP	गाडेज	"	94182-19814	[signature]
41	Vinod Kumar	बायल	गाडेज	9074475829	[signature]
42	Tek Chand	Morla	Gadej	94180-30559	[signature]
43	Hari Singh	Bayal	Gadej	9857620[illegible]4	[signature]
44	Fagir Chand [illegible]	Kratal (Kail)	Gadej	—	[signature]
45	Ogam Ram	Bayal	Gadej	9418[illegible]	[signature]
46	[illegible]	बायल	गाडेज	94185-22[illegible]	[signature]
47	[illegible]	कायल	गाडेज	—	[signature]
48	Baljeet Singh		LHEP SJVN	94184 56[illegible]	[signature]
49	Vipul Thakur	LHEP	SJVN	94180-92[illegible]	[signature]
50	Rajinder Singh.	LHEP.	SJVN	94180-56152	[signature]
51	Rajesh Sharma	—	—	9418452[illegible]	[signature]
52	Alka Jaiswal	R[illegible]/LHEP	SJVN	94191-[illegible]	[signature]
53	[illegible]				

Saa DATE : PAGE NO. :

क्र.सं.	नाम	[illegible]	[illegible]	मो. नम्बर	हस्ताक्षर
54	Saurabh Bansal	AFC	N.D.	8587894552	Saurabh
55	ARIJITA	AFC	New Delhi	7506031825	[signature]
56	MD MEHOUL	AFC	N.D	7903720350	[signature]
57	Sonu Kumar	AFC	N.D	7827[illegible]05	[signature]

Saa DATE : PAGE NO. :

F 105

DATE :
PAGE NO.:

DATE : 01.04.2018
PAGE NO.:

जन- सुनवाई SDM की अध्यक्षता में

लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत - शमाथला , ग्राम - रीवाली
उपतहसील- कोटगढ़
जिला - शिमला

क्र.सं	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
1	Neeraj Gupta SDM Kumarsain				[illegible]
2	श्री. [illegible] LAO			94184-88000	[illegible]
3	Pardeep K Jassal N.T. Kotgarh			94181-54270	[illegible]
4	Shyam lal Chauhan	Fieldkeep	Kotgarh	9418074536	[illegible]
5	Krishna	Rewali	Shamathla	8219171360	Kh[illegible]
6	[illegible]	—	—	8894348635	[illegible]
7	Sunita	—	—	9459131764	Sun[illegible]
8	Sushma Chauhan	—	—	98162-95941	Sushma
9	पारवती	—	—	94599 82676	[illegible]
10	रक्षा देवी	—	—		रक्षा देवी
11	Manju Chauh.	—	—	98164 87624	[illegible]
12	तारा देवी		—		तारा देवी
13	सुषमा		—	94180 62375	सुषमा
14	रिता	?	—	94180 41577	[illegible]
15	SARIKA CHAUHAN	—	—	98162 95944	
16	Ranjna Chauhan	—	—	8988 111164	
17	Sunita				
18	Shobha	—	—	9418669 617	
19	कृतका		—	94186 60114	
20	प्रेमा देवी		—		
21	हिरा वती	—	—	—	हिरावती
22	रक्षा				रक्षा

F 106

क्र. सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
23	Anuradha	रिवाली	शामाथला	9418057488	Anuradha
24	Priyanka	Rewali	Shamathla	7807471734	[illegible]
25	[illegible]	—	—	9816990854	[illegible]
26	Riksha Devi	Rewali	Shamathla	9418539135	Riksha
27	Yashla Devi	Rewaly	11	9816216917	Yash
28	Rachna Chauhan	Rewali	11	9459025297	Rachy
29	Palak chauhan	Rewali	11	9459025297	Palak
30	Rakesh Jishtu	Kharshan	Kharshan	83508-2628	[illegible]
31	कुमला देवी	—	—	—	Kamla
32	[illegible] देवी				[illegible]
33	[illegible]	[illegible]		9816582963	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]		9805048396	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]		8219552119	[illegible]
36	सौरव चौहान	रिवाली	शामाथला	8894668921	Chauhan
37	Karl Chauhan	Rewali	Shamathla	9459821356	[illegible]
38	Reshav	Rewali	11	98168-56951	Chauhan
39	ANOJ	Rewali	11	86279 4430	ANOJ
40	Antush	Rewali	11	7018528100	Antush
41	Ayush	Rewali	11	9459125849	Ayush
42	[illegible]	रामपुरा	11	9459569	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817389347	[illegible]
44	[illegible] सिंह	[illegible]			J.Singh
45	Mama Ram	Nagian	Shamathla		[illegible]
46	Chaman Azad	Bhalari	11	9459228931	Azad
47	YOGRAJ AZAD	BHALARI	11	88198-98995	Yogray
48	Raj Pal Jaset	Bhalusa	11	9418668115	[illegible]
49	Amar Chand	Nalla	11	9816034412	[illegible]
50	Gopal Dev	Shamathla	11	8894549891	[illegible]
51	Hans Raj	Halyana	11	8894961592	[illegible]
52	Dharamvir	Kanda	—	9816169857	[illegible]
53	[illegible]	Rewali	—		[illegible]

क्र. सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
54	GULAB MEHTA	Bithal	Shamathla	9816576888	[illegible]
55	Jeet Singh	Rewali	do	9459268881	[illegible]
56	MURAT Singh	AMARPAL	do	9805142391	[illegible]
57	HARHAM	AALgmer	do	9817568813	
58	[illegible] Singh	Kanda	do	9418815074	[illegible]
59	[illegible]	Rewali	Shand	—	[illegible]
60	Tara Chand Chauhan	Bhadrol	[illegible]	9816028688	[illegible]
61	Khushi Ram	Rewali	Shamathla	9459125814	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817524332	[illegible]
63	Rohit Chauhan	Rewali	Shmathla	9459125849	Chauhan
64	Nikhil Chauhan	Rewali	Shmathla	8278870015	[illegible]
65	Prem Singh Chauhan	[illegible]	[illegible]	9816504193	[illegible]
66	Neelam Thakur	Ninth	Ninth	9736557605	[illegible]
67	A.C. Chauhan	Rewali	Shamathla	9418309226	[illegible]
68	Sudhir Kumar	Rewali	Shamathla	9418308477	[illegible]
69	Hardayal	Rewali	Shamathla	9418406013	[illegible]
70	Teck [illegible]	Rewali	Shamathla	945956227	[illegible]
71	[illegible]	—	—	—	[illegible]
72	Inder [illegible]				[illegible]
73	Sanjay Kumar	Charoth	Shamathla	86288-12536	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	शामाथला	9816293543	[illegible]
75	Ashok Jishtu	[illegible]	,	9816035878	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	Shathla	9418718627	[illegible]
77	[illegible] Chauhan	Banth	[illegible]	8988111118	[illegible]
78	Sandeep Chauhan	Bithal		9625896500	[illegible]
79	Amit	Bithal	—	9459822840	[illegible]
80	Mahir	Rewali	Shamathla	9418014537	[illegible]
81	Adesh	Rewali	Shamathla	9459967235	[illegible]
82	Virender	Charoth	Shamathla	9816050491	[illegible]
83	Dev Kumar	Rewali	Shamathla	9816272995	[illegible]
84	Ramis	Rewali	Shamathla	8894888974	[illegible]

85	Jagdish	Rewali	Shamathla	9815529994	[signature]
86	[illegible]	Rawali	Shamathla	9816160735	[signature]
87	Roshan Lal	Chamli	Shamathu	9988279597	[signature]
88	Sunil	Rewali	[illegible]	9816350922	[signature]
89	[illegible]	Rewali	Shau	98166 21413	[signature]
90	Davinder	Rewali	Shamathla	9825499[illegible]	[signature]
91	Diwanchand	Saroga	✓	98056185[illegible]	[signature]
92	[illegible]	Saroga	✓	9816025669	[signature]
93	Madhu Mehta	Patwari	Shamathla	9459967380	[signature]
94	Surender Kumar	Patwari [illegible]	—		[signature]
95	Virender [illegible]	Shallila	Shamathla	9418068973	[signature]
96	[illegible]	-do-	-do-	9817337036	[signature]
97	Prakash	Naula	do	9816141435	[signature]
98	[illegible]	Rewali	do	9418001864	[signature]
99	Bhupinder	Rewali	do	9816557428	[signature]
100	[illegible]	Rewali	do	981693778[illegible]	
101	Pawan	Rewali	do	9418181883	Pavan
102	Prem Thakur	ZP Member NHL		9816015977	[signature]
103	Meera Sharma	Chairperson PS		9459238421	Meera
104	Aruna	B.D.C		9459791278	[signature]
105	Meena [illegible]	Pradhan		9817344024	[signature]
106	[illegible]	Rewali	Shamathla	98179-34778	[signature]
107	[illegible]	Rewali Board	Shamathla	9816655035	[signature]
108	[redacted]	Rewali	Shamathla	—	[signature]
109	[illegible]	Rewali	Shamathla		[signature]
110	[illegible]	Rewali	Shamathla	8629810280	[signature]
111	Rajender Singh	Rewali	Shamathla	9816668607	[signature]
112	Vikas Mahajan	Rewali	-do-	9418136497	[signature]
113	Alka Jaiswal		RHS LHSP	9418115080	[signature]
114	Baljeet Singh		LHSP	9418456058	[signature]
115	[illegible]		LHSP	9416092929	[signature]
116	Rajesh Sh.		do	9418452660	[signature]

117	A.K. Shukla	AFC.N.D	9918781550	[signature]
118	Saurabh Powar	AFC, N.D.	8587894552	[signature]
119	ARIJITA	AFC N.D	7506031825	[signature]
120	MD MEHDUL	AFC N.D	7903720350	[signature]
121	Sonu	AFC N.D	7827238505	[signature]

F-108

DATE:
PAGE NO.:

DATE: 02 ...2018

जन- सुनवाई SDM रामपुर की अध्यक्षता

लुहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना की सामाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत — नीरथ
तहसील — रामपुर.
जिला — शिमला.

क्र.सं.	नाम	गांव	पंचायत	मो. नं.	हस्ताक्षर
1	Narender Chauhan	SDM Rampur			[signature]
2	लाल चंद	MLA.		9418029977	[signature]
3	[illegible]		Z.P. m.	9816 50738	[signature]
4	Satpal Singh	vice Pardhan GP Delath		9418908489	[signature]
5	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[signature]
6	Anirudh Bisht	spokes person B.C.C Rampur		98166-00010	[signature]
7	Devinder [illegible]	Nirath	Nirath	98170 98044	[signature]
8	Dalip Sharma	Nirath	Nirath	98050 62297	[signature]
9	Gopal Singh	"	"	9882135550	[signature]
10	Tikam Dev	"	"	97363-12403	[signature]
11	Hardev Chauhan	Nirath	Nirath.	98576 [illegible]	[signature]
12	Lal Chand Sharma	Nirath	Nirath	9418475393	[signature]
13	Dev Raj Sharma	Nirath	Nirath	8278738646	[signature]
14	[illegible]	नीरथ	नीरथ	9418126220	[signature]
15	Durga Dass	[illegible]	नीरथ	9736082930	[signature]
16	Ram Dayal	[illegible]	[illegible]	7807718091	[signature]
17	Ishwar Mehta	[illegible]	[illegible]	9459391999	[signature]
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98571-44992	[signature]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[signature]
20	O.D. Verma	-do-	-do-	9418131754	[signature]
21	~~[illegible]~~				
22	Uday Singh	-do-	-do-	90058822[illegible]	[signature]

F-199

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो.नं.	हस्ताक्षर
23	Hardyal Singh	Balkhani	निरथ	98...83704	Hardyal
24	दौलतराम	बलखानी	निरथ	[illegible]7667	दौलतराम
25	मेहरचन्द	बलखानी	निरथ	8260678...	[illegible]
26	हीरालाल	डोई	निरथ	9418.....35	[illegible]
27	गुलजारसिंह	शरदा	निरथ	78318....	[illegible]
28	Chuni Lal	Dalkhani	Nirath	75....329...	[illegible]
29	प्रतापसिंह	डोई	निरथ		प्रतापसिंह
30	नागानन्द	[illegible]	निरथ		नागानन्द
31	[illegible]	डोई	निरथ		[illegible]
32	[illegible]	डोई	निरथ	9817418453	[illegible]
33	Pyarelal	Chunga	निरथ	93648 9190	[illegible]
34	[illegible]	Ninjar	Nirath	97365 06482	[illegible]
35	[illegible]	डोई	Nirath	9816071233	[illegible]
36	[illegible]	Nirath	Nirath	94594 9136	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	Nirath	941809238	[illegible]
38	B.S. Thakur	Nankhari	Nankhari	9817779050	[illegible]
39	Santosh	Narola	Nirath	9735...300	[illegible]
40	Raghu	Molan	Dehni	91297...	[illegible]
41	Ramsaran	Nirath	Nirath	980596...	[illegible]
42	रतन चंद	शरदा	निरथ	—	[illegible]
43	Mast Ram	Nirath	Nirath	9816151541	[illegible]
44	Yogesh		Nirath	98000 2305	[illegible]
45	Bishan Das	बलखानी	निरथ		[illegible]
46	Geeta Nand	निरथ	निरथ	8261099707	[illegible]
47	RAMAN KUMAR	NIRATH	NIRATH	7018919...	[illegible]
48	Lachhmi	Dhawali	Nirath	9817...	[illegible]
49	Ram Gopal Chauhan	Bhatakot		94182...	
50	Nisha Sharma	Nirath	Nirath	97368...	
51	Vakil Sharma	Nirath	Nirath	88943...	
52	किरणा देवी	Nirath	Nirath		
53	संजीता देवी	डोई	निरथ	88943...	

DATE :
PAGE NO.:

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो.नं.	हस्ताक्षर
54	उर्मिला देवी	निरथ	निरथ	—	उर्मिला देवी
55	[illegible]	नरोला	निरथ	—	[illegible]
56	[illegible]	निरथ	निरथ	—	
57	पार्वती देवी	निरथ	निरथ	—	पार्वती देवी
58	Subhadra	Narola	Nirath	9736519357	Subhadra
59	[illegible]	निरथ	निरथ	—	
60	[illegible]	नरोला	निरथ	8980402476	
61.	कमलेश	निरथ	निरथ	—	कमलेश
62	Rekha	Bhaka	Nirath	8804644223	Rekha
63	गीता	निरथ		9318790066	गीता देवी
64	[illegible]	निरथ	निरथ	—	
65	Santosh	निरथ	निरथ	9459816357	Santosh Kumar
66	[illegible]	निरथ	निरथ	9805020868	[illegible]
67	चिन्ता देवी	निरथ	"	9882011464	चिन्ता देवी
68	Kamlesh Chauhan	निरथ	"	9459225044	[illegible]
69	लज्जा देवी	निरथ	"	8988254388	
70	गोविन्द	निरथ		9805087687	[illegible]
71.	गोवर्धन	नरोला	नरोला	—	[illegible]
72	[illegible]	निरथ	निरथ	—	[illegible]
73	राजकुमारी	निरथ	निरथ	8629899182	राजकुमारी
74	आशा देवी	निरथ	करांचा	9805302079	आशा देवी
75	उर्मिला देवी	निरथ	निरथ	9816455723	उर्मिला देवी
76	Phoolan	निरथ	निरथ	9805095884	Phoolan
77	उर्मिला देवी	निरथ	निरथ	9459748...	[illegible]
78	सुरजू	निरथ	निरथ	—	
79	बुलबुल	निरथ	निरथ	9816905579	बुलबुल [illegible]
80	विद्या	निरथ	निरथ	—	विद्या
81	[illegible]	मोही	Panizar	98172-67083	[illegible]
82	गोविन्द राम	कोटीघाट	कोटीघाट	9816681190	Govind Ram
83	[illegible]	[illegible]	—	—	[illegible]
84	Lat Dev	निरथ	निरथ	88942-09576	[illegible]

DATE:
PAGE NO.:

क्रमांक	नाम	गाँव	पंचायत	मोबाइल नंo	हस्ताक्षर
85	[illegible]	गोही	डेहरू	78340-18140	[illegible]
86	[illegible]	[illegible]	डेहरू	98178-7[illegible]	[illegible]
87	Devkumar	[illegible]	[illegible]	9459965896	[illegible]
88	[illegible]	Doi	Nirth	9459986686	[illegible]
89	Prakash [illegible]	NIRATH	NIRATH	94180-58[illegible]	[illegible]
90	[illegible] Kumar		[illegible]	9418[illegible]	[illegible]
91	Ashok Kapoor	Chunga	Delath	8894473394	[illegible]
92	[illegible]	Chunga	Delath	94181-31003	[illegible]
93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8629083380	[illegible]
94	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
95	Suresh/[illegible]	Chajoli	Bhuth	98161-8073[illegible]	[illegible]
96	Ramesh		Bhuth	9816215[illegible]	[illegible]
97	Cancel.	Kotidhar			
98	Shyam Dutt	Nirath	Nirath	9857432979	[illegible]
99	[illegible]	[illegible]	Thanedhar	9817243637	[illegible]
100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9817717299	[illegible]
101	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
103	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
104	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	[illegible]
105	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
106	[illegible]	Chunga	Delath	98177716[illegible]	[illegible]
107	[illegible]	[illegible]	[illegible]	98164-61279	[illegible]
108	SURESH	NIRATH	NIRATH	98169-78679	[illegible]
109	[illegible]NTA	Badrash	DUTT NAGAR	985[illegible]58	[illegible]
110	[illegible]	—do—	—do—		[illegible]
111	Bobby	Bhera	Nirath	9817394025	[illegible]
112	[illegible]	[illegible]			[illegible]
113	Reeta Joshi	BDC	Thalichakti	97365-13998	[illegible]
114	Shiv Dassi	Pradhan	Thalichakti	82194-49949	[illegible]
115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	981884588[illegible]	[illegible]

DATE:
PAGE NO.:

क्रमांक	नाम	गांव	पंचायत	मोबाइल नंo	हस्ताक्षर
116	Gyan	Doi	Nirth	945998[illegible]	[illegible]
117	Surender	Doi	Nirth	8894621161	[illegible]
118	Sandeep	Chunga	Delath	780705252	[illegible]
119	Baljeet Singh		HBP SJVN	94184-56[illegible]	[illegible]
120	Vikas Mahajan		do—	9418836447	Vikas
121	Rajesh Shah		—do—	941845216	[illegible]
122	Alka Jaiswal		RHPS/LHE	94181-50080	[illegible]
123	A.K. Shukla	AP	New Delhi	9910781550	[illegible]
124	Saurabh Panwar	APC	N.D.	8587894552	Saurabh
125	ARIJITA PAL	APC	New Delhi	7506031825	[illegible]
126	MD MEHDUL	APC	N.D	790372035	[illegible]
127	Sonu kumar	APC	N.D	782[illegible]36[illegible]	[illegible]
128					
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					

6-111

DATE :
PAGE NO.:

DATE :
PAGE NO. 02-09-18

जन सुनवाई SDM रामपुर की अध्यक्षता

लुहरी हाइड्रोकिन्क्ट्र परियोजना की समाजिक समाघात (SOCIAL IMPACT ASSESSMENT STUDY) की कार्यवाही

पंचायत – दत्तनगर
तहसील – रामपुर
जिला – शिमला

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
1	Narender Chauhan – SDM Rampur				(signature)
2	[illegible]	Duttnagar		9816924-180	(signature)
3	Ompraksh	Nirath	Duttnagar	9816356808	(signature)
4	Ram Singh	Vice President	Nirath	98165-04193	(signature)
5	[illegible]	[illegible]	Rampur	9418000024	(signature)
6	Deepinder Sharma	Patwari Dutt Nagar	Duttnagar	9817474749	(signature)
7	Amar Jeet	P.T.W	Duttnagar	9459975741	(signature)
8	Vinay Kumar	PTW	Duttnagar	9459034718	(signature)
9	Chand Bhadur	Nirath	Nirath	9857284160	(signature)
10	Chander Prabha	Duttnagar	Duttnagar	9459728182	(signature)
11	Ranjana	Nirsu	Duttnagar	9459404561	Ranjana
12	Radha Devi	Nirsu	Duttnagar	9459394588	Radha Devi
13	कान्ता	अड्डैल	दत्तनगर	9857713458	कान्ता
14	सालू	अड्डैल	दत्तनगर	9816720883	सालू
15	सुषमा	अड्डैल	दत्तनगर	9816039552	सुषमा
16	प्रमिला देवी	अड्डैल	दत्तनगर	94181-2633	प्रमिला
17	Reena	[illegible]	[illegible]	98[illegible]	(signature)
18	[illegible] देवी	अड्डैल	Duttnagar		[illegible] देवी
19	Bhagwati Devi	"	"	9736727872	(signature)
20	[illegible] देवी	"	[illegible]	8629052442	(signature)
21	नूर बीबी	"	"		नूर बीबी
22	देवकुमारी			98164[illegible]560	[illegible]

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
23	Usha Negi	Duttnagar	Duttnagar	9418183543	[illegible]
24	REENA	Duttnagar	Duttnagar	9996792322	[illegible]
25	Bhupender	Bhadrash	-do-	7018755525	[illegible]
26	Jagtinder	Bhadrash	-do-	9816092300	[illegible]
27	Baldev Singh	-do-	-do-	9418 555	[illegible]
28	Padam Singh	-do-	-do-	98051-84927	[illegible]
29	[illegible]	-do-	-do-	88941-[illegible]	[illegible]
30	[illegible]	-do-	-do-		
31	Govind Singh	do	do	9805087652	[illegible]
32	[illegible]				
33	[illegible]				
34	RAJESH	Bhadrash	Duttnagar	9959[illegible]	[illegible]
35	Kaushlya	Duttnagar	"	88940 [illegible]	Kaushlya
36	SUSHMA	"	"		सुषमा
37	Roop Dasi	"	"		[illegible]
38	Urmila Negi	"	"		
39	Urmila [illegible]				[illegible]
40	[illegible]				
41	[illegible]	[illegible]	दत्त नगर	9805199166	[illegible]
42	[illegible]	दत्तनगर	दत्तनगर	7831041210	[illegible]
43	Shiv Ram	Duttnagar		94593[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	Duttnagar	Duttnagar	94180-71353	[illegible]
45	Saroj Sharma	Duttnagar	Dutt Nagar	94502 27462	[illegible]
46	[illegible]	दत्तनगर	दत्तनगर	9805669	[illegible]
47	[illegible]	[illegible] Duttnagar		9817326496	[illegible]
48	RAMESH	Bhadrash	Duttnagar	9805220076	[illegible]
49	[illegible]	Bhadrash	Duttnagar	9816228348	[illegible]
50	[illegible]	"	"	97360[illegible]	[illegible]
51	[illegible]	"	"	9816[illegible]86464	[illegible]
52	[illegible]	"	"	86279,34879	[illegible]

क्र.सं.	नाम	गाँव	पंचायत	मो० नं०	हस्ताक्षर
54	[illegible]				[illegible]
55	[illegible]			9816855350	[illegible]
56	Vijay	Duttnagar	Duttnagar	9817444044	[illegible]
57	Parveen	Duttnagar	Duttnagar	94595-08649	Parveen
58	Sachin	Duttnagar	Duttnagar	78073-64190	Thakur
59	Anirudh	Bhadrash	Duttnagar	70180-28884	[illegible]
60	Chetan	Duttnagar	-do-	8219000198	[illegible]
61	Vipul Thakur	LHEP	SJVN	94180 92974	[illegible]
62	Rajinder	LHEP	SJVN	94180 56153	[illegible]
63	Neeraj	Rampur	Pashna	9418700072	[illegible]
64	[illegible]		LHRP SJVN	9418136457	[illegible]
65	Baljeet [illegible]		DO	94184-56058	[illegible]
66	Rajesh Sha[illegible]		-Do-	9418452660	[illegible]
67	Alka Jaiswal		RHPS/LHEP	94181-50080	[illegible]
68	A.K. Shukla	Afc	New Delhi	9910781550	[illegible]
69	Saurabh [illegible]	AFC	N.D.	8587894552	Saurabh
70	ARIJITA	AFC	New Delhi	7506031825	[illegible]
71	MD MEHDU	AFC	N.D	7903720350	[illegible]
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					

F 114

v DELHI, JUNE 7

e Defence Acquisition uncil (DAC) on Thursday ared the key purchase of gh-powered radars for the dian Air Force that will place three-decade old exist-g radars needed to read coming threats from air.

Some of these radars are sta-oned in north India, includ-g those in Punjab, looking at reats from the western front. hich radars are also placed in astern part of the country. he IAF is mandated with air defence of the country.

- The high-powered radars for the IAF will be made in India. A total of 12 such radars will be procured
- They will provide long range medium and high altitude radar cover with the capability to detect and track high-speed targets following various trajectories
- They will have the capability to scan for a 360 degrees view and will operate on 24X7 basis with minimal maintenance requirement

These radars will be made in India. A total of 12 such radars will be procured. They will provide long range medium and high altitude radar cover with the capability to detect and track high-speed targets following various trajectories. The radars will be able to track not just fighter jets and drones but also long-range missiles that travel in a parabolic trajectory, sometimes touching a

The radars will have the capability to scan for a 360 degrees view and will operate on 24X7 basis with minimal maintenance requirement. "Procurement will enhance the overall efficacy of the air defence network in the country," a statement of the Ministry of Defence said.

Defence Minister Nirmala Sitharaman chaired the meeting and it overall accorded approval for the procurement of equipment for the defence forces valued at over ₹5,500

Air Cushion Vehicles ... for the Indian Coast Guard ... Indian Army from ... In Shipyard. These vessels w... offer great advantage over ... ventional boats with their ... ity to travel at very high sp... over shallow water, ... banks, mud flats and swa... which are non-navigabl... boats/small crafts du... draught restrictions/unch... depths. These craft offer ... bility enhancement fo... Services, and would prov... ful for riverine operations

Commando, cop killed in J'khand encounter

RANCHI, JUNE 7

A CoBRA commando of the CRPF and a policeman were killed during an encounter with Naxals in Jharkhand's Saraikela area on Thursday.

The gun battle began around 7 am in the Dalbhaga-Arki area when a joint team of the 209th Battalion of the CoBRA and the Jharkhand Police was out for an operation. — PTI

PUNJAB ENGINEERING COLLEGE
(Deemed to be University), Sector 12, Chandigarh

CORRIGENDUM

Reference to the earlier advertisement regarding engagement of architect in PEC, following corrigendum is issue:

1. The estimated cost of expected works to be done in a year is Rs. 50 lacs.
2. The turnover may be read as Rs 75.00 lacs.
3. The bidder must have completed similar works for Rs 50.00 crore during the last five years i.e. 2013-14 to 2017-18.

Last date of submission of bids: 12.06.2018 at 03:00 p.m.
Opening of bids: 13.06.2018 at 11:00 a.m.
For more details please visit www.pec.ac.in or www.etenders.chd.nic.in.

Chairman Estate & Works

YMCA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, FARIDABAD
NAAC 'A' Grade Accredited State Govt. University
(Established by Haryana State Legislative Act No. 21 of 2009,
Recognized by U.G.C. u/s 2 (f) and 12(B) of U.G.C. Act 1956)

ADMISSION NOTICE 2018-19

COURSES OFFERED AT UG LEVEL

B.Tech.
Computer Engg.*/Mechanical Engg.*/Electronics & Comm. Engg./Electrical Engg.*/Electronics Instrumentation and Control Engg.*/Information Technology/Civil Engg.
B.Sc.(Hons.)
Physics/Mathematics/Chemistry
B.Sc. (Animation & Multimedia)
BCA
BBA

LAST DATE FOR M.TECH. & M.A. 10.07.2018

COURSES OFFERED AT PG LEV

M.Tech.
Mechanical Engg./Power Systems Computer Engg./Network Eng ... Information Technology/Electronics & Communication Engg./Ele... & Instrumentation/VLSI Design
MCA/MCA (Lateral Entry)*
MBA
Specialization in (Financial Management, HR Management & Mktg. Management)
Specialization in (Retail Management, Supply Chain Manageme... commerce and Travel & Tourism)
M.SC.
Physics/Mathematics/Chemistry/Environmental Sciences
M.A. (Journalism & Mass Comm.)
Ph.D all disciplines

*NBA accredited programme

For B.Tech. and B.Tech. (LEET) visit www.hstes.org.in

Opening and Closing dates for Online Admission Application Forms for all courses except B.Tech.
- Opening of online Application Form : 11.06.2018
- Closing of online Application Form : 03.07.2018

(Admission helpline No. 99103 64865 (Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m.)
For online application form, please visit our website www.ymcaust.ac.in
Connect us at /ymcauniversity

NH-2, SECTOR-6, MATHURA ROAD, FARIDABAD, HARYANA-12

कार्यालय : उपमंडलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू
प्रेस नोट

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त, कुल्लू व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत, देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत, गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्वसाधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवायी गयी है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गयी है :

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.2018	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.2018	03.00 सायं	पंचायत-घर, गडेज

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित पुनर्वास व पुनर्स्थापना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोट : यह रिपोर्ट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

TRC-8529

POSTGRADUATE GOVERNMENT COLLEGE, SECTOR-11, CHANDIGARH
ADMISSION NOTICE (2018-19)
B.P.Ed. (Four Year), M.P.Ed. (Two Year) and M.Phil
(Co-Educational)
(Recognised by the NCTE and Affiliated with the Panjab University, Chand...

Admission to B.P.Ed.- (A Four Year Innovative/Integrated Course after +2), M.P.Ed.- (Two Year Cou... B.P.Ed.) and M.Phil (One Year after M.P.Ed.) will be held as per the schedule given below:

Name of the Course	Number of Seats	Last Date for Submission of Forms	Date and Time of Entrance (Theory/Fitness)	Date of Admission
B.P.Ed. - First Semester	50	23rd June, 2018 (Online), Applicants will bring hardcopy during the time of admission	(Physical Efficiency Test) Cooper's Test - 9/12 Minutes Run/Walk 10th July, 2018 at 07:00 a.m.	11th July, 2018 at 09:00 a.m.
M.P.Ed. - First Semester	40	23rd June, 2018 (Online), Applicants will bring hardcopy during the time of admission	Entrance Test Written (Objective) Test 13th July, 2018 at 10:00 a.m. (Physical Efficiency Test) Cooper's Test - 9/12 Minutes Run/Walk 14th July, 2018 at 06:30 a.m.	16th July, 2018 at 09:00 a.m.
M.Phil- (Semester System)	10	23rd June, 2018 (Online), Applicants will bring hardcopy during the time of admission	Entrance Test Written (Objective) 17th July, 2018 at 10:00 a.m. Entrance Test written(Subjective) 17th July, 2018 at 11:30 a.m.	18th July, 2018 at 09:00 a.m.

Note: 1. The College prospectus and admission form is uploaded on the college website: www.gc1... www.dhechd.org
2. Only online admission forms shall be accepted.
3. For availing hostel accommodation students will have to fill additional form on time.
4. For availing hostel accommodation, concessions, reservations, filling the online ... Details of eligibility/requirements of each course, concessions, reservations, filling the online form, hostel accommodation, gap year, written and physical fitness test guidelines etc gi... prospectus available at the college website.
5. Medical Certificate on the prescribed Proforma available from the Department of Physical ... Students are required to appear in proper sports kit for Physical Fitness/Efficiency Test and ... Original certificates at the time of interview (Academic, Sports, NSS, NCC, Reservation Cl... For any enquiry, students/parents may contact in the Department in Physical Education c... numbers i.e. 0172-2740971, 2740597 between 8:00 a.m. to 2:00 p.m. on all the working ...
6. **Students applying for M.P.Ed and M.Phil courses will have to pay fee of Rs. 600/- th... payable at State Bank of India, Chandigarh in favour of Principal, Postgraduate Go... College, Sector-11, Chandigarh along with the application form.**

Sd/- (Prof. B.P.Yadav), I...

PR/UT-4429

परीक्षा परिणाम में देरी के साथ ही डिग्री पर उठे सवाल

को वजह से ऐसा, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहरी राज्यों में जाना था, वो प्रवेश लेने से चूक गए। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों को ग्रेडिंग पर दी गई डिग्रियां ही बाहरी विश्वविद्यालयों में मान्य नहीं हुई। इसके बाद विवि में पूर्व कुलपति ने बाहरी विवि के कुलपतियों से बात कर और यूजीसी के समक्ष इस मुद्दे को उठा कर प्रवेश छात्रों को बाहरी विश्वविद्यालयों में दिलवाया गया।

बन गई है। अतः आवश्यकता है प्रथम व्यवस्था सुधार की।
शंकरलाल वशिष्ठ, शिक्षाविद सोलन

बार-बार संशोधन बड़ी खामी

रूसा को जल्दबाजी में सरकार ने लागू किया है। इसे लागू करने से पहले सरकार को होमवर्क पूरा करना चाहिए था। यही नहीं, रूसा के एकदम से लागू होने के बाद शुरुआती दौर में शिक्षकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रूसा में बार-बार संशोधन भी एक बड़ी खामी रही। यही नहीं, इसमें सेमेस्टर का सिलेबस भी बराबर नहीं है। सरकार ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया। छुट्टियों का शेड्यूल भी नहीं बदला गया।
यशपाल महंत, सेवानिवृत्त प्रचार्य, कुल्लू कालेज

के मरपीर, पांगी, लाहुल जैसे कबायली क्षेत्रों में दो बार एग्जाम करवाना काफी मुश्किल था। इन क्षेत्रों में अक्तूबर माह में ही भारी बर्फबारी हो जाती है। इसके अलावा सेमेस्टर सिस्टम होने से टीचिंग डे में काफी कटौती हो गई। प्रदेश के कालेजों में बड़े पैमाने में प्राध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। इससे न तो सिलेबस कवर हो पा रहा था और न ही छात्रों को सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल रहा था। दो बार एग्जाम होने से मूल्यांकन में काफी समय लग रहा है। आनन-फानन में लागू किए गए सेमेस्टर सिस्टम कारण छात्रों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन दिक्कतों के कारण हिमाचल प्रदेश में रूसा सिस्टम फेल हो गया।
डा. संजीत ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, मंडी

...में साइबर क्राइम जागरूकता

...नेंगी कानून

...कार्य करना होगा। अधिवक्ता विवेक कौशल ने इस अवसर पर घरेलू हिंसा अधिनियम, अधिवक्ता मनीष ढ़ल्वाल ने महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराध, अधिवक्ता नरेश घई ने कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कानून तथा जिला कल्याण अधिकारी बीएस ठाकुर ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की विस्तृत जानकारी प्रदान की। एसएचओ नालागढ़ राजकुमार ने साइबर अपराध एवं सोशल मीडिया पर महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराध एवं अन्य कानूनी पहलुओं की जानकारी दी। राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिव संदीप नेगी ने कहा कि आयोग द्वारा यह पहला शिविर जिला सोलन के नालागढ़ में आयोजित किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में आयोग ऐसे जागरूकता शिविर आयोजित करेगा। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध अपराध विषय पर जानकारी प्रदान की। शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी टेकचंद, सीडीपीओ नालागढ़ विनोद कुमार, विभिन्न महिला मंडलों के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व स्थानीय महिलाएं इस अवसर पर उपस्थित थी।

महिला आयोग का अपना प्रतीक चिन्ह

हेमंत शर्मा, कसौली

National Commission for Women, India

हिमाचल प्रदेश महिला आयोग अब केंद्रीय महिला आयोग के प्रतीक चिन्ह को अपने अस्तित्व से हटाकर अपना अलग लोगो बनाएगी। 50 साल बाद यह पहला अवसर है जब महिला आयोग की ओर से इस ओर पहल की गई है। इससे पूर्व केंद्रीय महिला आयोग का ही लोगो चल रहा था। दरअसल महिला आयोग ने राज्य स्तर पर अपने लोगो को तैयार करवाया है। इस लोगो की विशेषता यह रहेगी कि इसे किसी प्रोफेशनल से तैयार नहीं करवाया गया है। आयोग ने बाकायदा इसके लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता कर सैकड़ों लोगों से लोगो डिजाइन लिया है। इनमें से तीन सर्वश्रेष्ठ डिजाइन को आयोग चयनित कर चुका है। जिन तीन डिजाइन के लोगो महिला आयोग के लोगो के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, उन्हें बाकायदा 11000, 5100 व 3100 के नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इन लोगो के डिजाइनकर्ताओं को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

...जिस में

...जिला में कालेज में ...की बात करने पर छात्र को ...दाखिला प्राप्त करने की ...में छात्रों को दो वर्ष पढ़ाई ...से अपने तीन वर्ष ग्रेजुएशन ...लिए मजबूर होना पड़ेगा। ...भर में दो वर्षीय एलिमेंटरी ...प्लोमा करने वाले छात्र भी ...।

...फैसला

...की बैठक में कृषि प्रसार ...0 पद भरने की मंजूरी देने ...र व्यक्त किया है कि प्रदेश ...ने कहा कि प्रदेश में खुलने ...ज़ि भी स्वागत योग्य कदम ...सैंटों के अधिकार क्षेत्र में ...रफंड 10 हजार से बढ़ाकर ...ाकर 500 रुपए करने के

कार्यालय उप-मंडलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू हि.प्र.

लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त कुल्लू व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:-

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.6.2018	10:00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.6.2018	03:00 सायं	पंचायत-घर, गडेज

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोटः यह रिपोर्ट (Social Impact Assessment Unit) हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

MANAPPURAM FINANCE LTD.
CIN-L65910KL1992PLC006623,
IV/470A(old), W638A(New), Manappuram House, Valapad, Thrissur, Kerala - 680 567.

नीलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 30.06.2018 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा। हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है। जिन अकाउंट्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुनः सूचना दिए की जाएगी। नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तन की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी।

शाखाओं की सूची :
KANGRA, DHARAMSHALA ROAD KANGRA, 135950700001106, 1112, 1216, 1453, 1454, 1458, 1465, 1466, 1470, 1483, 1484, 1489, 1493, 1495, 1496, 1504, 1518, 1521, 1528, 1529, 1530, 1536, 1540, 1545, 1546, 1549, 1557, 1558, 1560, 1564, 1565, 1568, 135950730000088, 0090, 0091, 0092, 0093, MANDI, SUNDER NAGAR-HP, 136030700000873, 0879, 0892, 1108, 1122, 1160, 1169, 1176, 1183, 1184, 1186, 136030730000179, 0180, सोलन, BADDI, H.P, 135990700002234, 2400, 2439, 2451, 2453, 2463, 2473, 2483, 2523, 2525, 2526, 2534, 2562, 2563, 2571, 2586, 2620, 2624, 2896, 2911, 2916, 2924, 2933, 2936, 2938, 2942, 2946, 2953, 2966, 2969, 2976, 2977, 2981, 2986, 2989, 2990, 2994, 2996, 3001, 3002, 3004, 3007, 3008, 3013, 3018, 3022, 3032, 3033, 3037, 3043, 3045, 135990730000115, 0116, 0126, 0266, 0267, 0268, 0306, 0308, परवाणू, 127190700003825, 3846, 3848, 3870, 3904, 4040, 4049, 4065, 4068, 4069, 4070, 4073, 4078, 4079, 4081, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4101, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4109, 4111, 4112, 127190730000079, मधुर कॉम्प्लेक्स सोलन, 135150700002814, 2966, 3074, 3083, 3092, 3111, 3116, 3151, 3160, 3162, 3168, 3176, 3181, 3417, 3418, 3427, 3439, 3442, 3454, 3457, 3474, 3477, 3478, 3482, 3495, 3496, 3497, 3500, 3506, 3512, 3529, 3530, 135150730000323, 0354, 0355, 0356, 0358, 0360, 0361, 0362, 0363, 0367, 0374, ऊना, ...रोड ऊना, 135130700001799, 1942, 2106, 2109, 2115, 2125, 2130, 2134, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2148, 2152, 2155, 2163, 2164, 2165, 2168, 2172, 2173, 2174, 2177, 2179, 2182, 2183, 2184, 2185, 2190.

इच्छुक बोलीकर्ताओं को नीलामी से एक दिन पहले डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 25,000/- या रिजर्व कीमत का 2%, जो भी कम हो, जमा करना होगा। (सिर्फ असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा) बोलीकर्ताओं को मान्य आईडी कार्ड/पैन कार्ड साथ लाना होगा. अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति सम्पर्क करें 9387160067.

अधिकृत अधिकारी
...फाइनेंस लि. हेतु

C
M

ON, PANCHKULA
ICE

ina through online bids in the website

Cost of Docu-ment/ E-Tendering charges	Date and time for bid preparation & submission
1000/- + 1000/- = 2000/-	From 6.6.2018 at 16.00 hrs to 20.6.2018 at 16.00 hrs

ent.gov.in

tion, Public Health & Panchayati Raj

ed on the next working day.

g any reason.
ttested from the competent authority

xecutive Engineer,
vision, Panchkula.

HIMACHAL PRADESH
I&PH DEPARTMENT

The Executive Engineer, I&PH Division, Nagrota Bagwan invites **online tender** on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following work through e-tendering process:-

Work No. 1

Name of work: Modernisation/Upgradation of existing Sewerage treatment plant 1.34 MLD at Nagrota Bagwan in Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P) (SH:- Construction of Tertiary treatment plant).

1. **Estimated Cost** :- Rs. 33,12,967/-
2. **Earnest Money** :- Rs. 57,190/-
3. **Time of completion** :- One year
4. **Cost of Form** :- Rs. 400/-

Last date of filling/uploaded the tender through e-tendering:- **25.06.2018** up to **11:00 a.m.** and opened on same day at **11:30 a.m.**

1. **Key Dates:-**

1.	Date of online publication.	05.06.2018 at 5:00 p.m.
2.	Documents Download Start Date.	5.06.2018 at 5:00 p.m.
3.	Bid submission Start Date	5.06.2018 at 5:00 p.m.
4.	Physical submission of EMD and cost of Tender Document.	5.06.2018 at 5:00 p.m. to 25.06.2018 at 11:00 a.m.
5.	Date of Technical Bid Opening.	25.06.2018 at 11:30 a.m.
6.	Opening of Financial Bid.	After evaluation of Technical Bid

The tender forms and other details conditions can be obtained from the website **https://hptenders.gov.in.**

PR/HP/1028

Executive Engineer,
IPH Division, Nagrota Bagwan.

O&M Cell)
jab.gov.in)
S

Dated: 08.06.2018

eration & Maintenance (O&M)
able. The bidders may submit

Bid Security/ EMD Rs.	Period of Completion
795000/-	9 months
682000/-	9 months
658000/-	9 months

ate & Time f opening Eligibility/ Tech.Bid	Date & Time of opening Financial Bid of Qualified Bidders
2.07.18 6:00 Hrs	03.07.18 12:00 Hrs

Quantities, Scope of work

ing Engineer (O&M),
ration, Jalandhar.

कार्यालय : उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर, जिला शिमला
प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.) रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है :

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला				
निरथ	निरथ	02.07.18	10.00 प्रात:	पंचायत घर निरथ
भद्रास	दतनगर	02.07.18	03.00 सायं	पंचायत घर दतनगर

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्वसाधारण, जन प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

अत: आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन सुनवाई में भाग लें।

नोट : यह रिपोर्ट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

TRC-8621-I

उप-मंडलाधिकारी (ना.) रामपुर,
जिला शिमला।

Sealed tenders are invited from reputed/Regd.
Toilet items, Vegetables & fruits, bakery Items, h
Furniture Items, Student/Office Stationery, Washi
of Uniform, Uniform Items, Hair Cut, Tuck Shop,
electrical items), Medicines, A.M.C. of computer
CCTV Camera for the year 2018-19.

Tender forms along with terms and conditio
Vidyalaya Office on cash payment of **Rs. 200/-** o
a.m. to 4:00 p.m. Forms can also be downloade
www.jnvferozepur.in which must be accompan
Rs. 200/- drawn in favour of **Principal, JNV,**
Ferozepur, payable at Oriental Bank of Comme
filled and sealed tenders along with earnest mon
only should reach the office of undersigned by
through registered post only. They will be open
a.m. in the office of **Principal, JNV, Mahianwala**
committee reserves the right to accept or reject
assigning any reasons.

Dated:- 07.06.2018

TRC-8599

Information & Public Relatio
Himachal Pradesh, Shiml

Tender Notice for Printing & Installa

The Department of Information & Publ
Pradesh, Shimla-2 invites sealed bids from elig
installation of approximately 150 hoardings (
basis) based on policies and programs of the G
locations in all the districts of Himachal Prade
years *w.e.f* 01-07-2018 to 30-06-2020.

Rates may be quoted by the intereste
document, which may be procured from the Dire
& Public Relations, Shimla-2 on any working day
during office hours on payment of Rs 500/- (no
The tender form can also be downloaded fr
website www.himachalpr.gov.in, in that case,
required to enclose DD for Rs. 500/- in favour of
& Public Relations, H.P, Shimla-2 towards the
otherwise the tender will not be considered.

The tender document duly filled in m
Directorate in a sealed envelope super-subscribin
Printing & Fixing of Hoardings". The tender shoul
or before 27th June, 2018 up to 2 PM, which will be
day at 3 PM in the presence of tenderers
representatives.

Issued by : Director, Information & Public Re

माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए। -अमर उजाला

...पनी ग्रामीण युवाओं ...ो नहीं दे रही रोजगार

...त्र के युवाओं ने उपायुक्त को भेजा ज्ञापन

...उजाला ब्यूरो

...बुशहर। रामपुर खंड के ...भड़ावली पंचायत के युवाओं ...ली स्थित एक निजी कार... में रोजगार न मिलने से रोष ...ाओं ने शुक्रवार को एसडीएम ... के माध्यम से उपायुक्त ...ा को ज्ञापन भेजा। युवाओं ने ...ा है कि यदि एक सप्ताह के ... मांगों पर गौर नहीं किया जाता ... अनशन करेंगे।

...ड़ावली पंचायत उप प्रधान ...ा खमराल ने कहा कि पंचायत ...हत आने वाले नोगली में एक ...कार कंपनी को 18 जनवरी ...ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर ... प्रतिशत ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने की मांग की थी। लेकिन कई माह का समय बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। कंपनी में जो ग्रामीण और महिलाएं रोजगार पर भी रखे थे, उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ग्राम सभा से फिर प्रस्ताव भेज कर कंपनी से ग्रामीणों को बाहर निकालने पर जवाब मांगा गया। लेकिन कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। इस दौरान अनुराज नेगी, रवि कुमार, रंजीत चौहान, अजय चौहान, शशि कायथ, उमेश गोस्वामी, संजीव कायथ, सचिन, सुरेंद्र कायथ, पवना कुमारी, साहिल कश्यप, पंकज चौहान, विनोद कुमार, राकेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे।

...करने वाले छात्रों व राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। संजीवनी सहारा समिति के प्रधान गोपाल चौहान, सुभाष सैनी, महासचिव रामेश्वर कश्यप ने लोगों से आह्वान किया कि वे इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। यह कार्यक्रम रोहड़ू में पहली बार हो रहा। ब्यूरो

Time:Saturday 9th June 2018 10:00 AM to 5:00 PM

Contact Person

Dr. Ashutosh Verma
(MBBS, MD (Bsmu) Ukraine.
Ex House Surgeon GMCH-32.
Office-Shiva Hospital Solan (H.P.)

PHONE NO. 9257300027, 7807268681

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला
प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दत्तनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.18	10.00 प्रातः	पंचायत-घर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.18	03.00 सांय	पंचायत-घर दत्तनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निशिचत दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोटः यह रिर्पोट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब-साईट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेब-साईट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

डीएचबीवीएन
शुद्धिपत्र सं. 4

...ी संबंधित के लिए यह सूचना है कि निआसू सं. 35/एक्सईएन/सिविल/जीजीएन/17-18 ...। निविदा खुलने की तिथि को एतद्द्वारा 15.6.2018 तक बढ़ा दिया गया है। निविदा ...5.6.2018 को क्रमशः 13.00 बजे एवं 15.00 बजे प्राप्त एवं खोली जाएंगी। अन्य नियम ...शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियंता
सी/डब्ल्यू डीएचबीवीएन, गुड़गांव

...h Advt 1136/11/1982/1819/66796 Dt. 8/6/18

डीएचबीवीएन
शुद्धिपत्र सं. 4

...भी संबंधित के लिए यह सूचना है कि निआसू सं. 36/एक्सईएन/सिविल/जीजीएन/17-18 ...तु निविदा खुलने की तिथि को एतद्द्वारा 15.6.2018 तक बढ़ा दिया गया है। निविदा 15.6.2018 को क्रमशः 13.00 बजे एवं 15.00 बजे प्राप्त एवं खोली जाएंगी। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियंता
सी/डब्ल्यू डीएचबीवीएन, गुड़गांव

...dh Advt 1136/11/1980/1819/66796 Dt. 8/6/18

डीएचबीवीएन
शुद्धिपत्र सं. 4

सभी संबंधित के लिए यह सूचना है कि निआसू सं. 33/एक्सईएन/सिविल/जीजीएन/17-18 हेतु निविदा खुलने की तिथि को एतद्द्वारा 15-6-2018 तक बढ़ा दिया गया है। निविदा 15-6-2018 को क्रमशः 13.00 बजे एवं 15.00 बजे प्राप्त एवं खोली जाएगी। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अधिशासी अभियंता
सी/डब्ल्यू डीएचबीवीएन
गुड़गांव

PRDH Advt: 1136/11/1981/1819/66797/8/6/18

ई-निविदा जांच सं. 238 का शुद्धिपत्र नं. 1 (एनआईटी नं. 962, दिनांक 02.05.2018)

हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.

शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकूला, सीआईएन : U4010HR1997SGC033683

132 केवी सब-स्टेशन भोजराज (हिसार) के निर्माण हेतु ऑनलाईन बोली जमा करने की अंतिम तिथि को 15.06.2018 तक बढ़ा दिया गया है। विस्तृत एनआईटी व निविदा दस्तावेज वेबसाईट https://haryanaeprocurement.gov.in., www.hvpn.org.in पर उपलब्ध है।

(हस्ता/-) अधीक्षण अभियंता/एमएम-I, एचवीपीएनएल, पंचकूला

PRDH-Advt. 1052/11/3528/1819/66795/08/06/2018

कार्यालय नगर निगम, सोनीपत

सार्वजनिक सूचना

इस सूचना के माध्यम से सोनीपत शहर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि उपायुक्त एवं चेयरमैन, जिला रोड सुरक्षा कमेटी सोनीपत की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गए निर्णय अनुसार सोनीपत शहर के निम्नलिखित स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित किया जाता है,

जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. सुभाष चौक से एटलस फैक्ट्री चौक
2. सुभाष चौक से पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस
3. पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाउस से गीता भवन चौक

"हेयरफॉल" का हुआ अंत
शुक्रिया केश किंग"

"मैं स्वभाव से चुलबुली और शरारती हूँ, पर कुछ साल पहले मेरी इस खुशमिजाजी को मानो ग्रहण लग गया था। वजह थी दिनों-दिन कम होते मेरे बाल।

ये मेरी क़िस्मत थी कि तभी मुझे केश किंग के बारे में मालूम पड़ा। तब से मैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल और शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ।

मेरे बालों का गिरना* तो कम हुआ ही साथ ही बाल उगने भी लगे। मेरे बाल पहले से ज़्यादा लम्बे, मुलायम, घने और कुदरती रूप से काले हो गये।

मेरा वो चंचल अंदाज़ लौटाने और मेरे बालों को नया जीवन देने के लिए, शुक्रिया केश किंग।"

केश किंग के परिवार से जुड़ी एक और सौदामी
कंचन वैष्णव, जयपुर

सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए हफ्ते में तीन दिन, तीन महीने तक इस्तेमाल करें।

5 समस्याओं से राहत दिलाए
* झड़ते बाल*
* रूसी
* रूखापन
* दोमुँहे बाल
* कमज़ोर बाल

No.	Section	NH No.	State	Estimated Cost (Rs. in crores)
1.	Construction of VUP at Balikuda, Sikharpur & Badachana in Bhubaneswar-Jagatpur - Chandikhole section of NH-5 (New NH-16) in the sate of Odisha to be executed on Engineering, Procurement and Construction (the "EPC") basis.	5 (New 16)	Odisha	47.52

The detailed tender documents can be downloaded from the website http://etenders.gov.in or www.nhai.org from 08.06.2018 to 28.06.2018 (up to 11.00 hours). Last date of submission of online bid is : 28.06.2018 (up to 11.00 Hrs.). For details kindly visit website : www.nhai.org or https://etenders.gov.in

BUILDING A NATION, NOT JUST ROADS

कार्यालय : उप-मंडलाधिकारी (ना.) कुमारसैन, जिला शिमला

प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चंरोटा ग्राम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोर्ट तैयार कर उपायुक्त शिमला व उपमंडल दंडाधिकारी (ना.) कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्वसाधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए जन सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है :

ग्राम/मोहाल	पंचायत/ ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला रिवाली चंरोटा	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मंडल भवन रिवाली

सभी हितबद्ध व्यक्तियों व सर्व साधारण, जन प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते हैं। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन सुनवाई में भाग लें।

नोट : यह रिपोर्ट Social Impact Assessment Unit हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उप-मंडलाधिकारी (ना.) कुमारसैन,
जिला शिमला।

TRC-8621-II

PUNJAB WATER SUPPLY & SANITATION DEPARTMENT NOTICE INVITING E-TENDERS

https://eproc.punjab.gov.in

E-TENDER/WSSD/DIVISION/BATHINDA 2017-18

The Executive Engineer, W/S & Sanitation Div. No. 3, Bathinda Punjab invites bids in electronic tendering system for following works are invited from reputed agencies who are engaged in & having experience of **Operation & Maintenance and Raw Water Source of Reverse Osmosis (Capacity 500 LPH to 2000 LPH) in various villages (10 No. Village) of Distt. Bathinda, Division No. 3, Punjab for 2 years.** The bid document is available online and bids are to be submitted online through e-procurement portal **https://eproc.punjab.gov.in** only. Bids submitted manually will not be accepted.

Package No.	Name of work	Approximate value of work (Rs.in lac)	1. Bid security 2. Processing fees (in Rs.)	Period of completion
1	2	3	4	5
Bid No.	Operation & Maintenance and Raw Water Source of Reverse Osmosis (Capacity 500 LPH to 2000 LPH) in various villages of Distt. Bathinda, Division No. 3, Punjab for 2 years Village- 1) Adampura, 2) Burj Ladha Singh 3) Gumti Kalan 4) Gurusar 5) Hakam Singh Wala 6) Hamirgarh. 7) Maluka 8) Rajgarh 9) Salabatpura 10) Siriyawala, Block Bhata Bhaika at Bathinda.	Rate to be quoted by Contractor	1. Rs. 7000/- per RO Plant 2. Rs. 2247/-	2 Years

Tender processing fees as per website.
Schedule of bidding process for Sr. No. 1 to Sr. No. 4

AVAILABILITY OF BIDDING DOCUMENT ON WEBSITE https://eproc.punjab.gov.in	: From : To	Date 09.06.2018 Time 09:00 Hours Date 27.06.2018 Time 14:00 Hours
TIME AND DATE OF PRE-BID CONFERENCE	:	Date 15.06.2018 Time 12:00 Hours
LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF TECHNICAL BIDS ONLINE	:	Date 27.06.2018 Time 14:00 Hours
TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BIDS ONLINE	:	Date 27.06.2018 Time 17:00 Hours
TIME AND DATE OF OPENING OF FINANCIAL BIDS ONLINE	:	Date 03.07.2018 Time 11:00 Hours

Corrigendum, if any, will be issued on website only.

Sd/- Executive Engineer,
W/S & Sanitation Div. No. 3, Bathinda.
Email: xengwbti@gmail.com
Ph: 0164-2211165.

DPR/Pb/01660

Date of Interview : 18 Jun 2018
Contact No: Mrs Shelly Singh (Principal)-8284858760
Maj Muthu Vignesh M(OIC)-9906371632
OIC, GAAPPS, Khai Road

GURU NANAK DEV UNIVERSITY, AMRITSAR

(Engineering Department)

ONLINE TENDER NOTICE

Online tenders are invited (in percentage above / below / at par of NIT) for the works at Sr. no.1 to 5 and in item rate for S.No.6 from the approved contractors of P.W.D. (B & R), C.P.W.D, M.E.S., Co-operative Societies (Regd. as contractor in P.W.D.), Punjab Water Supply & Sanitation Deptt, PUDA & railways & for S. No.7 & 8 from dealers/ suppliers/ manufacturers. These tenders are to be submitted upto 1.00 p.m. on 25-06-2018.

Sr. No.	Name of Works / Supply	App. Cost.
1.	Renovation of Toilets in different wings of Sahibzada Jujhar Singh Boys Hostel at GNDU, Amritsar. (assistance under HUDCO's CSR Activities).	Rs.84.35 lac
2.	Renovation of Teacher/Students Holiday Home Dalhoussie.	Rs.41.25 lac
3.	Renovation of Computer Section in Bhai Gurdas Library bldg (Civil & Electrical works) within GNDU Campus, Asr.	Rs.18.42 lac
4.	Renovation of Biotechnology Deptt. within GNDU Campus Asr.	Rs.8.60 lac
5.	White washing and painting in Sahibzada Jujhar Singh Boys Hostel No.1 (A,B,C,D & E Block, office, canteen and Reading Hall within GNDU, Asr.	Rs.5.89 lac
6.	Const. of Overhead Tank at Amardeep Singh Shergill Memorial College, Mukandpur.	To be quoted by the Tenderer
7.	Purchase of one Tractor Make Eicher- Model 368 DI H.P. Range 36	To be quoted by the Tenderer
8.	Supply of TMT Steel,Fe 500 D Grade as per IS1786-2008 of various dia (181MT) FOR GNDU Campus, Asr.	To be quoted by the Tenderer

Corrigendum/Addendum /Detailed information can be seen on website www.eproc.punjab.gov.in

Sd/-Incharge, Engineering Department

PUBLIC NOTICE

Amendments in the approved layout Plan of M/s Greater Punjab officers Co-operative House Building Society and Altus Space Builders Pvt.Ltd. at New Chandigarh, SAS Nagar

GMADA

The Department of Town & Country Planning, Govt. of Punjab had approved Layout Plan drawing no. MP/SUB/)2D/RO dated 02-09-2013 of M/s. Greater Punjab Officers Co-operative House Building Society Ltd. and Altus Space Builders Pvt. Ltd. falling in the revenue estate of villages Salamipur, Rasulpur, Dhodemajra, Ghandauli & Bhagat Majra in LPA Mullanpur (New Chandigarh) under Mega Project Policy vide letter no. 2624 CTP(PB)/MPM-141 dated 08-05-2014. Now the promoter has added additional area in his project and has also re-planned and made various changes in the earlier approved Layout Plan such as changes in the plot sizes, relocation of the plots/parks/utility areas etc. as depicted in the drawing no. MP/SUB/)2D/R3 dated nil. This revised amended Layout Plan of Promoter was discussed in the 51st meeting of the Layout Plan Approval Committee held on 16-03-2018.

The Committee members approved the revised layout plan provisionally subject to the condition that promoter shall submit the consent letters of at least 2/3rd allottees of the said project to GMADA as per provisions of RERA for revision of layout plan by the Promoter and GMADA shall publish a public notice regarding the same. Accordingly, the promoter has now submitted consent letters regarding no objection for the revision of Layout Plan of 823 allottees i.e. 2/3rd out of the total 1202 allottees of the said project as submitted by the promoter. Out of the 823 consent letters, consent letters of 597 members of the Greater Punjab Co-operative House Building Society are submitted by the authorized signatory of the Society Sh. Partap Singh. Out of the 597 members of the Society, 18 consent letters duly signed by individual members have been submitted. Whereas, Consent letters on behalf of the rest 579 members of the Society, have been submitted by the Secretary of the Society Sh. Partap Singh with an undertaking that these 579 members of the Society have not been issued any allotment letters and plot numbers till date. Rest 226 consents letters duly signed by individual plot holders to whom plots are allotted /sold by M/s Altus Space Builders Pvt.Ltd. are submitted by the company. All these consent letters are available in the office of Additional Chief Administrator, GMADA, Room No. 226, 2nd floor, PUDA Bhawan. However, the copy of the provisionally approved revised Layout-plan is available in the office of Chief Town Planner, Punjab, PUDA Bhawan, 6th floor, Sector 62, SAS Nagar.

In the light of the said decision of the Committee, a public notice is hereby published for information of the concerned persons who want to see the consent letters and provisionally approved Layout Plan can visit the concerned offices during any working hours within 15 days from the date of publication of this notice.

Those who desire to submit any objections regarding the consent letters submitted by the Promoter M/s Greater Punjab officers Co-operative House Building Society and Altus Space Builders Pvt. Ltd. and provisionally approved revised layout plan can submit their objections in writing within 15 days of the date of publication of this notice to the office of the undersigned.

Additional Chief Administrator

GREATER MOHALI AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
PUDA Bhawan, Sector 62, S.A.S Nagar

---

i invites applications for
ounge and Staff Canteen,
m the "TENDER" module
09, 2018.
a sealed cover addressed
.00 PM on June 30, 2018.
lication without assigning

Regional Director.

NH-7, Barnala Road, Bathinda – 151101

MISSION

nd Research, Bathinda
ences and Research,
desh University offer
espectively to NEET -
n in session 2018-19.
ned counselling to be
of Health Sciences,
d counselling details
of Health Sciences,
fee details and other
University Prospectus
rsity.ac.in REGISTRAR

OF INFORMATION
ERNANCE,
N TECHNOLOGY,
A-171013

R NOTICE

tion Technology & e-
on rental basis one of
or a period of one year.
e interested parties on
of undersigned on or
he quotations shall be
the same day at 3:00
resentatives who wish
ma and conditions can
the Department of
l Pradesh. i.e.,
cted from the office of
m 11th June, 2018 to

r Secretary (EC),
IT & E-Governance,
la-13.

, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਨੂੰ

, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ
ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਅਟੈਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ
ਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ
ਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ
ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ।
ਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ
ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀਮਾ
ਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਸੀਲ ਬੰਦ
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ
ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨ ਹਸਤਾਖਰੀ ਪਾਸ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,
ਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

51 हजार की लागत से बने लोगों
का उद्घाटन किया। इस मौके
की लोगों-नैनवाला सड़क की
लाइटस, 20 लाख के मोरला
मैदान का भी शुभारंभ किया।
मंत्री ने 77 लाख से बनने वाले
भवन निर्माण के कार्य का भी
या। उन्होंने बताया कि मोरला
सामुदायिक भवन के लिए एक करोड़
त किए गए हैं। इस मौके पर
श्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मोरला
त्रों को सांस्कृतिक कार्यक्रम
लिए 5 हजार रुपए देने की
न्होंने विभिन्न स्थानों पर लोगों
भी सुनी।

है कि निकमी पंचायत में स्थित ढाबे में स्थानीय लोगों ने बच्चों सहित परांठे खाए। परांठे खाने के बाद 17 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। लोगों को उल्टी व दस्त शुरू हो गए। बीमार लोगों को नागरिक अस्पताल जंजैहली पहुंचाया गया। यहां पर डॉ. दुनी चंद ने लोगों का इलाज किया व पुलिस को सूचित किया। जंजैहली थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उनके ध्यान में यह मामला नागरिक अस्पताल जंजैहली के डॉ. दुनी चंद ने लाया था, जिस पर उन्होंने समस्त लोगों के बयान दर्ज किए हैं। मगर किसी ने भी मामला दर्ज करना नहीं चाहा।

सांसद ने नागूझौड़ से माशना-थाच सड़क का किया उद्घाटन

कुल्लू। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने शुक्रवार को लगघाटी में नागूझौड़ से माशना-थाच सड़क का विधिवत उद्घाटन करके इस मार्ग पर एचआरटीसी की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इसी क्षेत्र में गांव दोघरी के लिए एंबुलेंस योग्य सड़क का भी लोकार्पण किया। गांव थाच में जनसभा को संबोधित करते हुए रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि नागूझौड़-माशना-थाच सड़क पर अब नियमित रूप से एचआरटीसी की बस चलाई जाएगी। इस सड़क के सुदृढ़ीकरण व पक्का करने के लिए 6 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के निर्माण व सुदृढ़ीकरण के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 80 करोड़ और नाबार्ड के तहत 17 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा वह इस क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपनी सांसद निधि से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये दे चुके हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र के कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ से अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है।

सुंदरनगर। पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने जारी एक ब्यान में कहा कि विधायक राकेश जंवाल को अपने नाम से शिलान्यास पट्टिका चिपकाने का शौक है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ही विधायक एवं पूर्व मंत्री रूपसिंह ठाकुर ने वर्ष 2012 में इस सीएचसी रोहांडा का शिलान्यास कर दिया था।

उन्होंने कहा कि इस इसके लिए वर्ष 2017में पांच करोड़ 42लाख का बजट भी स्वीकृत है यदि इसका शिलान्यास करना होता तो हम भी कर सकते थे। लेकिन किसी भी शिलान्यास को दो बार करना तर्क संगत नहीं है। इससे पूर्व भी भाजपा विधायक ने भूमिगत डस्टबिन का उदघाटन सीएम से करवा दिया था।

न्य बजट खेत से दोगुनी होगी किसानों की आय: राज्यपाल

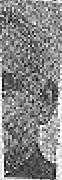

शिमला। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश काउंसिल द्वारा शिमला में कृषि विशेषज्ञों और हित धारकों के साथ समाधानों पर चर्चा के लिए एप्पल 2018 का आयोजन किया। सम्मेलन का 22 तक सेब किसानों की आय को दोगुना करना कता और गुणवत्ता में सुधार रहा। प्रदेश के चार्य देवव्रत ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। खेती के हानिकारक प्रभावों को ध्यान में रखते ने कहा कि किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक पनाने की ओर बढ़ना चाहिए जहां पौधे की है। इसका मतलब यह कि किसानों को फसलों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए उर्व और कीटनाशकों को खरीदने की आवश्यकता नहीं हो। यह गुणवत्ता मे सुधार के साथ-साथ उत्पादकों की आय को बढ़ाने के लिए कारगर कदम होगा और नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करने में भी मदद करेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के बाद के प्रभावों को दूर करने का यही एकमात्र तरीका है। प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सीआईआई हिमाचल के राज्य परिषद के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल ने कहा कि सीआईआई का मानना है कि सतत विकास के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। समाज और उद्योग के बीच एक मजबूत संबंध है और सीआईआई ने अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से उद्योग को समावेशी विकास के लिए समाज के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया है।

राष्ट्रपति ने अतिथि सत्कार के लिए किया सरकार का धन्यवाद

शिमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल में 20 से 25 मई तक अपनी यात्रा के दौरान सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को लिखे एक पत्र में राष्ट्रपति ने उन्हें और राष्ट्रपति भवन ...म का गर्म जोशी से स्वागत और अतिथि सत्कार के लिए प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा की गई नागरिक अभिनंदन की मेजबानी तथा राजभवन में राज्यपाल द्वारा भोज की मेजबानी के लिए भी धन्यवाद किया है।

...त्र को विकास का मॉडल ...जेक्ट: डॉ. राजीव बिंदल

...ूल बर्मा पापड़ी में अतिरिक्त कमरों का ... विधानसभा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ... कि नाहन निर्वाचन क्षेत्र को विकास ...मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस दिशा में युद्ध ... जा रहे हैं, ताकि लोगों को मूलभूत ... मिल सकें। नाहन निर्वाचन क्षेत्र में पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ असमाजिक तत्व लोगों को धर्म, जाति, क्षेत्रवाद इत्यादि के नाम पर बांट रहें है, जोकि उचित नहीं है, उनके यह इरादे कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा खांगवाला गुरुद्वारा में बोर करके 14 एलपीएस पानी निकला है। इस पानी को शीघ्र ही लिफ्ट कर कौलावाला भूड़ और जोगला भूड़ में पहुंचाया जाएगा। ताकि इन गांव में पानी की समस्या का स्थाई समाधान हो सके। मशाडा का पुल और अंधेरी पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन दोनों पुलों को अगले वर्ष की गर्मी से पहले तैयार करके लोकार्पण कर दिया जाएगा। डा. बिंदल ने बस अड्डा कौलावालाभूड में टाईले लगाने के लिए 30 लाख की राशि और स्कूल के खेल के मैदान के सुधार के लिए चार लाख स्वीकृत करने की घोषणा की। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप, भाजपा जिलाध्यक्ष विनय गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.) कुमारसैन, जिला शिमला

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चरोंटा ग्राम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिपोंट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अंग्रेजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है। इस ड्राफ्ट रिपोंट को अतिंम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मण्डल भवन रिवाली
रिवाली				
चरोंटा				

सभी हितबद्व व्यक्तियों व सर्व-साधारण, जन-प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुड़े सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुनर्स्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

नोट: यह रिपोंट (Social Impact Assessment Unit) हिमाचल प्रदेश सरकार की वेब-साईट www.himachal.nic.in/hipa व एसजेवीएन की वेब-साईट www.sjvn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.) कुमारसैन, जिला शिमला

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	इन्द्र सिंह S/o जोगीराम	शमायला	9459390835	[illegible]
2	आशा देवी W/o राजेन्द्र सिंह	-do-	7807137720	आशा देवी
3	हरनाम S/o तारा चंद	-do-	9418820973	[illegible]
4	राजीव S/o किशन सिंह	-do-	9816980049	[illegible]
5	सुरेखा W/o सन्तोष	-do-	9816137250	Surekha
6	रेनू W/o सुरेश	-do-	9805781398	Renu
7	रमेश चंद S/o रतीराम	-do-	9816669762	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	श्री वीर चन्द सेवादार GMS रिवाली	शमामला	8626850966	बीर चन्द
2.	Anu w/o Sh. Ravi	रिवाली शमायला	8894601535	Anu
3.	प्रेमलता R/o कण्डा	-do-	—	Premlata
4.	विनोद s/o श्री रामचन्द R/o रिवाली	-do-	7807149226	Vinod
5.	लाहलू देवी w/o देवीराम	-do-	—	R.T.I
6.	रिक्षा देवी w/o किशोरचन्द R/o रिवाली	-do-	9418539195	Riksha Devi
7.	दयावती w/o रमेशचन्द	-do-	—	दयावती
8.	रमेशचन्द S/o लालचन्द	-do-	9816931786	[illegible]
9	सत्या देवी w/o शिवराम	बौरी GP शमायला	9805048396	Satya Devi
10	शशी w/o किशन राम	नौला GP शमायला	9882238738	S Kumar
11	कालू s/o ओमप्रकाश	GP शमायला	7807193077	[illegible]
12	शिवराम s/o मांगूराम	शिवाला शमायला	7649927545	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री हेम चन्द	देहरा	8894006151	हेम चन्द
2.	श्री कुशाल सिंह	देहरा	7807562724	कुशाल सिंह
3.	श्री प्रीतम चन्द	देहरा	8879746433	Pritam Chand
4	श्री अशोक कुमार	do–	9459544260	Ashok Kumar
5	[illegible]	do–	9817525409	[illegible]
6	गोपाल दास	do–	9817807635	गोपाल [illegible]
7	चन्द्रकान्ता	do–	86289-31380	चन्द्रकान्ता
8	आगम राम	do–	8679724324	आगम राम
9	सुरेश कुमार	do	8219182573	[illegible]
10	राम सिंह	do.		[illegible]
11	महेन्द्र पाल	do–	9418647445	[illegible]
12	गोविन्द सिंह	do–	9418120529	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती/कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
26	श्री दिलाराम	देहरा	9625542137	दिलाराम
27	सुनील कुमार	देहरा	88945 82094	[illegible]
28	जय चन्द	-do-	-	जय चन्द
29	देविन्द्र सिंह	do	-	देविन्द्र सिंह
30	प्रीतम राम	-do-	-	प्रीतम राम
31	नरेन्द्र सिंह	do	91293-91294	नरेन्द्र सिंह
32	श्री कुलदीप चन्द	-do-	8988359950	[illegible]
33	श्री जवाहर लाल	-do-	7831887129	[illegible]
34	श्री हीरा लाल	-do-	9988441190	[illegible]
35	दलीप सिंह	-do-	9459262878	दलीप सिंह

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
13.	श्री चयान सिंह	देहरा	9816035321	[illegible]
14.	श्री राजप्रकाश चौहान	-do-	9805963068	[illegible]
15.	श्री सुरेश चौहान	-do-	9805576570	Suresh Chauhan
16.	श्री विरेन्द्र चौहान	-do-	8627876286	Virender Chauhan
17.	श्री जगदीश चौहान	-do-	9816240771	[illegible]
18.	श्री रघुबीर सिंह	-do-	9129710111	[illegible]
19.	श्री कैलाश चन्द	-do-	9625117167	कैलाश चन्द
20.	श्री दिलसुख	-do-		दिलसुख
21.	श्री कर्म चन्द	-do-	98160-68859	कर्म चन्द
22.	श्री सीता राम	-do-	9805857539	सीताराम
23.	सन्तोष देवी	-do-		सन्तोष देवी
24.	सवीना देवी	-do-		सवीना देवी

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	RAKESH JOSHI	DAUTANGAR	9415913505	[illegible]
2	Omprakash	Daultnagar	9816356808	[illegible]
3	Purshotam Nath	Daultnagar	82190-03477	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

कमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	Sangat Ram	Nirath	9625072084	[illegible]
2	SURESH KUMAR	NIRATH	98169-78679	[illegible]
3.	R.D. Sharma	Nirath	98173-05951	[illegible]
4.	Sajeev Kumar	Nirath	86288-12526	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

क्रमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1	लाल चन्द चौकीदार	निरथर	86268-9105	Lalchand 8/6/2018
2	पूजा वर्मा A.W.W	आंगनवाड़ी केन्द्र Ghasoti	9816929432	Pooja 8/6/2018
3	सुषमा देवी महिला मण्डल महिला प्रधान	निरथर	9857046899	Sushma
4	Sanny Sharma (लोकमित्र केन्द्र)	देहरा	94189-82880	Sunny
5	Anita P/Sec GP Dehra	Dehra	9418213471	Anita 8/6/2018
6	Som Parkash.	Dehra आंगनवाड़ी	98172-0632	S. Parkash
7	गमना महिला मण्डल प्रधान	Dhera.	-	गमना
8.	उप-तहसील निरथर	~~निरथर~~	01904 285 422	[illegible]
9	पटवारी	[illegible]	83184/10185	[illegible]
10	पटवारी [illegible] कार्यालय	गडोज	Amar Singh	[illegible]
11	आंगनवाड़ी केन्द्र	गडोज	Amar Singh	[illegible]
12	उषा ठाकुर महिला मण्डल प्रधान	गडोज	94593	83621 Usha
13	पंचायत कार्यालय	गडोज	दलिप चन्द्र आर्य चौकीदार	[illegible]

चस्पान अधिसूचना

कमांक	नाम सर्वश्री/श्रीमती /कुमारी/कुमार	पंचायत	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
गोहल	प्रधान – 98165 ~~[illegible]~~ उपप्रधान 94188, 13329 08855	पंचायत घर युवक मंडल महिला मंडल		
नितथर	प्रधान 86791-39663 उप प्रधान – 94180, 51178			
देहरा	प्रधान – 86620, 16529 उप प्रधान 98170, 30773			

No: SDK/Meeting/18- 857 Date: 7-6-2018

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Rampur, District Shimla (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat, Duttnagar
2. Pradhan Gram Panchayat, Nirath

Subject: **Conduct of Public hearing.**

Sir,

Private land situated at Village Badrash, Nirath and Narola, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of Public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02.07.2018	[illegible]:00am	Panchayat Ghar, Duttnagar
Nirath & Narola	Nirath	02.07.2018	03:00pm	Panchayat Ghar, Nirath

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

No. SDK/Meeting/18- **Dated:**

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Shimla with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

प्रधान
दत्तनगर

No: SDK/Meeting/18- 1400-04 Date: 7/6/2018

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Kumarsain, District Shimla (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat,
Shamathla.

Subject: Conduct of Public hearing.

Sir,

Private land situated at Viiage/Mohal Nola, Rewali and Chornta, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Gram Panchayat / Gram Sabha	Date of Public hearing	Time	Venue
Nola, Rewali & Chornta	Shamathla	01.07.18	10:00am	Mhila Mandal Bawan, Revali

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Kumarsain, Distt. Shimla (HP)

No. SDK/Meeting/18- **Dated:**

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Shimla with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Sub-Divisional Officer (C)
Kumarsain, Distt. Shimla (HP)

No: SDK/Meeting/18- 2872-74/SDK   Date: 8-06-2018

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Anni, District Kullu (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat, Dehra
2. Pradhan Gram Panchayat, Nithar
3. Pradhan Gram Panchayat, Gadej

Subject: **Conduct of Public hearing.**

Sir,

Private land situated at Viiage Gadej and Mohal Nithar, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Viilage/Mohal	Gram Panchayat / Gram Sabha	Date of Public hearing	Time	Venue
Nithar	Dehra & Nithar	30.06.2018	10:00am	HPPWD Rest House, Nithar
Gadej	Gadej	30.06.2018	03:00pm	Panchayat Ghar, Gadej

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Anni, Distt. Kullu (HP)

No. SDK/Meeting/18- 2875-77   **Dated:** 8-06-2018

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Kullu with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Dehra and Nithar received this letter from SDM office Anni

Sub-Divisional Officer (C)
Anni, Distt. Kullu (HP)

No: SDK/Meeting/18- Date:

Office of the Sub-Divisional Officer (Civil)
Rampur, District Shimla (HP)

To

1. Pradhan Gram Panchayat, Duttnagar
2. Pradhan Gram Panchayat, Nirath

Subject: Conduct of Public hearing.

Sir,

Private land situated at Village Badrash, Nirath and Narola, is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-I (210MW). Before acquisition of land consultation with affected people and concerned Gram Panchayat is required before finalizing the Social Impact Assessment Report and Social Impact Management Plan. The Chairman-cum-Director HIPA, HP Social Impact Assessment Unit, Shimla vide his letter No. HIPA/SIAU(Lurhi Hydro Power Pro.)1/2018-3483 dated 05.06.2018 intimated that public hearing in the concerned Gram Panchayat be conducted. Accordingly, public hearing is fixed as under:

Village/Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of Public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02.07.2018	3:00Pm	Panchayat Ghar, Duttnagar
Nirath & Narola	Nirath	02.07.2018	10:00am	Panchayat Ghar, Nirath

You are, therefore, requested to make wide publicity of the above date, time and venue in your Panchayat and also requested to attend the public hearing alongwith all Panchayat representative.

Yours faithfully,

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

No. SDK/Meeting/18- **Dated:**

Copy forwarded to:

1. The Dy. Commissioner, Distt. Shimla with reference to letter refer to above for information please.
2. Member Secretary (SIAU) cum Dy. Secretary to the Govt. of HP with reference to letter refer to above for information please.
3. Head of Project, Luhri Hydro Electric Project, Bithal, Tehsil Kumarsain, Distt Shimla (HP). He is requested to depute representative in the above meeting to address the questions and concerns raised by the affected party during public hearing as fixed above.

Sub-Divisional Officer (C)
Rampur, Distt. Shimla (HP)

जिससे भी सम्बन्धित हो!

(TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN)

यह प्रमाणित किया जाता है कि लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए संबंधित उप–मण्डालाधिकारी रामपुर, कुमारसैन तथा आनी उप–मण्डल द्वारा भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) जन सूचना से संबंधित अधिसूचना को आकाषवाणी षिमला पर दिनांक 28.06.2018 को निम्नलिखित विवरणानुसार प्रसारित किया गया है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.18	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.18	03.00 सांय	पंचायत–घर, गडेज
नौला रिवाली चरोटा	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मण्डल भवन रिवाली
नरोला निरथ	निरथ	02.07.18	10.00 प्रातः	पंचायत–घर निरथ
भद्राष	दत्तनगर	02.07.18	03.00 सांय	पंचायत–घर दत्तनगर

SANJEEV SUNDRIYAL
28/6/2018

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

28.06.2018 / 19:45 बजे

एसजेवीएनएल

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–एक के लिए भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण संबधि रिपोर्ट तैयार करने के लिए जनसुनवाई होगी। एस.जे.वी.एन.एल. के अप्पर महाप्रबंधक कार्पोरेट संचार शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जून को सुबह 10 बजे देहरा व नित्थर ग्राम पंचायतों के लिए नित्थर स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह और गडेज पंचायत के लिए सायं तीन बजे पंचायत घर गडेज में ही ये जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। इसी तरह पहली जुलाई को शमाथला पंचायत के लिए महिला मंडल भवन रिवाली में सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। इसके अलावा 2 जुलाई को सुबह 10 बजे नीरथ पंचायत घर में ज़बकि सायं तीन बजे दत्तनगर पंचायत घर में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। उन्होंने आम लोगों, जनप्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं से इस जनसुनवाई में हिस्सा लेकर अपने विचार व सुझाव देने को कहा है।

प्रेनो/

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated : 6/06/2018

Signature :

Name & Designation :

6/06/2018

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated : 06/06/18.

Signature : 06/06/18

Name & Designation :

Prem Singh Chauhan

Vice-Pradhan

G.P. Niram.

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated : 6/6/2018

Signature : 6/6/2018

Name & Designation :

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018३५९६ Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature

Name & Designation :

Dated : 6/6/18

हस्ताक्षर

दिनांक 6/6/18

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018३५९८ Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature

Name & Designation :

Dated :

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018- ६०९६ Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Signature

Name & Designation :

Dated :

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated :

Signature

Name & Designation :

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated :

Signature

Name & Designation :

Pardhan
Gram Panchayat Garej
Dev. Block Nirmand
Distt. Kullu (H.P.)

RECEIPT

Received Draft Social Impact Assessment Report both in English and Hindi languages vide letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydro Power Pro.)1/2018-3496 Dated : 04.06.2018 in r/o Luhri Hydro Power Project Stage - I.

Dated :

Signature

Name & Designation :

No. 3053-54
Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, District Kullu.

Dated 18/6/2018

To

1. The Divisional Commissioner,
   Mandi Division, Mandi.
2. Addl. District Magistrate,
   District Kullu, Kullu.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village/Mohal Nither and Gadej is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Nither	Dehra & Nither	30-06-2018	10.00 am	HPPWD Rest House Nither.
Gadej	Gadej	30-06-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Gadej

Rule 8(7) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

In view of above provision (worthy Divisional Commissioner being R&R Commissioner and ADM being Administrator appointed by the HP Govt. Department of Revenue notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose dated 07-09-2015) this is for your kind information and further necessary action please. Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Kullu, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. Kullu.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the:-

1. Deputy Commissioner, District Kullu at Kullu for information please.
2. L.A.O SJVN, LHEP Bithal to attend the above public hearing.

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. ~~Shimla~~ Kullu.

No. 3048-49

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. Kullu.

Dated 18-06-2018

To

1. Sh. Ram Swaroop Sharma,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh.Kishore Lal Sagar,,
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village/Mohal Nither and Gadej is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Nither	Dehra & Nither	30-06-2018	10.00 am	HPPWD Rest House Nither.
Gadej	Gadej	30-06-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Gadejl

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Kullu, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. ~~Shimla~~ Kullu.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to:

1. The Deputy Commissioner, District Kullu, Kullu for information please.
2. [illegible], Anni and Sh. Pream Kashyap Nirmand. They are requested to attend the above public hearing and also inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Anni, Distt. Kullu.

संख्याः 3051-62 दिनांकः 18-06-2018

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

सेवा में,

श्रीमती रोहणी चौधरी,
अध्यक्ष जिला परिषद, जिला कुल्लू.

श्रीमती पप्पी बिष्ट,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड–अरसु.

श्रीमती शशी कटोच,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड–पोशना.

श्रीमती बिंदु ठाकुर,
अध्यक्ष बी.डी.सी,
निरमण्ड.

श्रीमती चमेलो देवी,
सदस्य बी.डी.सी,
नित्थर व देहरा पंचायत .

श्री श्याम दास,
सदस्य बी.डी.सी,
गड़ेज पंचायत.

विषय : जन सुनवाई।

महोदया/महोदय,

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण–1 के निर्माण हेतु ग्राम भद्राश,निरथ व नरोला में प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment) ड्राफ्ट रिर्पोट को अन्तिम रुप देने के लिए जन सुनवाई पंचायतों में निम्नलिखित तारिख व स्थान पर आयोजित की जा रही हैः .

ग्राम/मुहाल	ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा	जन सुनवाई की तारिख	समय	स्थान
नित्थर	नित्थर व देहरा	30.06.2018	10:00 बजे पूर्वान्ह	लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह नित्थर
गड़ेज	गड़ेज	30.06.2018	03:00 बजे अपरान्ह	पंचायत घर गड़ेज

आपसे अनुरोध है कि निश्चित तिथि व स्थान पर जन सुनवाई में भाग ले कर अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव दें। ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में उपायुक्त जिला कुल्लू, मेरे कार्यालय पंचायतों के कार्यालय के अतिरिक्त बैबसाईट www.himachal.nic.in/hipa और www.sjvn.nic.in पर अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

भवदीय,

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू।

प्रतिलिपिः 3063-3066 दिनांक 18.06.18

1. प्रधान,महिला मण्डल व युवक मण्डल,ग्राम नित्थर/गड़ेज को भेजकर अनुरोध है कि व भी इस सुनवाई में भाग लें।

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू।

No. 892 Dated 20-6-20

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

To

1. The Divisional Commissioner,
   Shimla Division, Shimla-2.
2. Addl. District Magistrate,
   District Shimla, Shimla-1.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirth & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00 am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(7) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

In view of above provision (worthy Divisional Commissioner being R&R Commissioner and ADM being Administrator appointed by the HP Govt. Department of Revenue notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose dated 07-09-2015) this is for your kind information and further necessary action please. Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. 894-95 Dated: 20

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla fo, Shimla-1 information please.
2. L.A.O SJVN, LHEP Bithal to attend the above public hearing.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

No. 893

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Dated 20-6-2018

To

1. The Divisional Commissioner,
Shimla Division, Shimla-2.
2. Addl. District Magistrate,
District Shimla, Shimla-1.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00 pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirth & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00 am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(7) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the designated land acquisition and Rehabilitation and Resettlement functionaries shall also attend the public hearing and address the questions and concerns raised by the affected parties.

In view of above provision (worthy Divisional Commissioner being R&R Commissioner and ADM being Administrator appointed by the HP Govt. Department of Revenue notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-loose dated 07-09-2015) this is for your kind information and further necessary action please. Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla fo, Shimla-1 information please.
2. L.A.O SJVN, LHEP Bithal to attend the above public hearing.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

No. 896.
Office of the Sub Divisional Officer (Ci...,
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Dated 20-6-2018

To

1. Sh. Ram Swaroop Sharma,
Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Nand Lal,
Hon'ble Member Legislative Assembly,
Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirtha & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the
1. Deputy Commissioner, District Shimla, Shimla-I for information please.
2. APRO, Rampur. He is requested to inform all Press Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

No. 897 Dated 2-6-2018

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

1. Sh. Ram Swaroop Sharma,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Nand Lal,
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Badrash, Nirath and Narola is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
Badrash	Duttnagar	02-07-2018	03.00pm	Panchayat Ghar, Duttnagar.
Nirtha & Narola	Nirath	02-07-2018	10.00am	Panchayat Ghar, Nirath.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sd/-
Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to the

1. Deputy Commissioner, District Shimla, Shimla-I for information please.
2. APRO, Rampur. He is requested to inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Rampur Bushahr, Distt. Shimla.

संख्याः 887-90.

दिनांकः 20-6-2018.

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला

सेवा में,

श्रीमती धरमीला हरनोट,
अध्यक्ष जिला परिषद, जिला शिमला।

श्रीमती रामदासी,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड--नरैण.

श्री राजेन्द्र ठाकुर,
अध्यक्ष बी.डी.सी. (रामपुर),
दतनगर पंचायत.

श्री मस्त राम,
सदस्य बी.डी.सी,
निरथ पंचायत.

विषय : जन सुनवाई।

महोदया/महोदय,

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण–1 के निर्माण हेतु ग्राम भद्राश, निरथ व नरोला में प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment) ड्राफ्ट रिपोर्ट को अन्तिम रुप देने के लिए जन सुनवाई पंचायतों में निम्नलिखित तारिख व स्थान पर आयोजित की जा रही है:

ग्राम/मुहाल	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा	जन सुनवाई की तारिख	समय	स्थान
निरथ, नरोला	निरथ	02.07.2018	10:00 बजे पूर्वान्ह	पंचायत घर,निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.2018	03:00 बजे अपरान्ह	पंचायत घर,दतनगर

आपसे अनुरोध है कि निश्चित तिथि व स्थान पर जन सुनवाई में भाग ले कर अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव दें। ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में उपायुक्त जिला शिमला, मेरे कार्यालय पंचायतों के कार्यालय के अतिरिक्त बैबसाईट www.himachal.nic.in/hipa और www.sjvn.nic.in पर अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।
Dt. 20-6-2018.

प्रतिलिपिः 891.

1. प्रधान, महिला मण्डल व युवक मण्डल, ग्राम भद्राश/निरथ/नरोला को भेजकर अनुरोध है कि व भी इस सुनवाई में भाग लें।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला।

No. 1518

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Kumarsain, Distt. Shimla.

Dated 18-6-18

To

1. Sh. Virender Kashyap,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Rakesh Singha.
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Naula. Charounta and Rewali is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project. Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings. Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director. HIPA. Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
1. Naula 2. Charounta 3. Rewali	Shamathla	01-07-2018	10.00 am	Mahila Mandal Bhawan, Rewali.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition. Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Kumarsain, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to;

1. The Deputy Commissioner, District Shimla for information please.
2. Shri Neeraj Soni. President Press Club Kumarsain with the request to attend the above public hearing and also inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Kumarsain, Distt. Shimla.

No. 1519

Office of the Sub Divisional Officer (Civil),
Kumarsain, Distt. Shimla.

Dated 18-6-18

To

1. Sh. Virender Kashyap,
   Hon'ble Member Parliament
2. Sh. Rakesh Singha,
   Hon'ble Member Legislative Assembly,
   Himachal Pradesh Vidhan Sabha.

Subject:- Conduct of public hearing under Rule 8(1) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015.

Sir,

It is submitted that the private land situated at village Naula, Charounta and Rewali is under process of acquisition for the construction of Luhri Hydro Electric Project, Stage-1 (210 MW). But before the start of land acquisition proceedings, Social Impact Assessment study in affected Panchayats is required. The Chairperson-cum-Director, HIPA, Social Impact Assessment Unit, H.P. vide his letter No. HIPA/SIAU(Luhri Hydrto Power Pro.)1/2018 dated 05-06-2018 intimated that Social Impact Assessment draft report after field survey and consultation with the affected people has been prepared. Now this draft report is to be finalized after public hearing & accordingly desired to conduct public hearing in consultation with the Panchayats representatives. Therefore, following date, time and venue has been fixed for public hearing:-

Village/ Mohal	Name of Gram Panchayat	Date of public hearing	Time	Venue
1. Naula 2. Charounta 3. Rewali	Shamathla	01-07-2018	10.00 am	Mahila Mandal Bhawan, Rewali.

Rule 8(8) of the HP Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation & Resettlement (Social Impact Assessment & Consent) Rules, 2015 provides that the public representatives have to be invited to attend the public hearing. Accordingly, you are, requested to attend the public hearing on the above date, time and venue please.

Draft Social Impact Assessment Report both in Hindi and English languages are already made available in the office of the District Collector, Shimla, in this office and in the office of the concerned Gram Panchayats and also uploaded on the following website for the general information of the public.

1.admis.hp.nic.in/siau
2.www.sjvn.nic.in

Yours faithfully,

Sub Divisional Officer (Civil),
Kumarsain, Distt. Shimla.

Endst. No. Dated:

Copy forwarded to;

1. The Deputy Commissioner, District Shimla for information please.
2. Shri Neeraj Soni, President Press Club Kumarsain with the request to attend the above public hearing and also inform all Press, Media to participate in the public meeting as scheduled above.

Sub Divisional Officer (Civil),
Kumarsain, Distt. Shimla.

संख्याः 1512-16 दिनांकः 18-6-18

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला

सेवा में,

श्रीमती धरमीला हरनोट,
अध्यक्ष जिला परिष्द, जिला शिमला।

श्रीमती रीना ठाकुर,
सदस्य जिला परिषद,
वार्ड-जरोल,

श्रीमती मीरा शर्मा,
अध्यक्ष बी.डी.सी,
कुमारसैन.

श्रीमती अरुणा चौहान,
सदस्य बी.डी.सी,
शमाथला पंचायात.

विषय : जन सुनवाई।

महोदया/महोदय,

लूहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 के निर्माण हेतु ग्राम भद्राश, निरथ व नरोला में प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु सामाजिक समाधात अध्ययन (Social Impact Assessment) ड्राफ्ट रिर्पोट को अन्तिम रुप देने के लिए जन सुनवाई पंचायतों में निम्नलिखित तारिख व स्थान पर आयोजित की जा रही हैः

ग्राम/मुहाल	ग्राम पंचायत/ग्राम सभा	जन सुनवाई की तारिख	समय	स्थान
रिवाली, नौला, चरौंटा	शमाथला	01.07.2018	10:00 बजे पूर्वान्ह	महिला मण्डल, रिवाली

आपसे अनुरोध है कि निश्चित तिथि व स्थान पर जन सुनवाई में भाग ले कर अपने बहुमूल्य विचार व सुझाव दें। ड्राफ्ट रिपोर्ट की प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में उपायुक्त जिला शिमला, मेरे कार्यालय पंचायत के कार्यालय के अतिरिक्त बैबसाईट www.himachal.nic.in/hipa और www.sjvn.nic.in पर अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

भवदीय,

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला।

प्रतिलिपिः

Dated - 18.06.18

1. प्रधान,महिला मण्डल व युवक मण्डल, ग्राम रिवाली/नौला/चरौंटा को भेजकर अनुरोध है कि व भी इस सुनवाई में भाग लें।

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला।

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए मुहाल नित्थर, ग्राम पंचायत देहरा में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त कुल्लू, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), आनी व प्रधान ग्राम पंचायत देहरा व प्रधान ग्राम पंचायत गडेज के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व–साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अंतिम रुप देने के लिए जन–सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नित्थर	देहरा व नित्थर	30.06.18	10.00 प्रातः	लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह, नित्थर
गडेज	गडेज	30.06.18	03.00 सांय	पंचायत–घर, गडेज

सभी हितवद्व व्यक्तियों व सर्व–साधारण, जन–प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्षन से जुडे सभी लोग इस जन–सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन–सुनवाई में भाग लें।

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
आनी, जिला कुल्लू

कार्यालय उप–मण्डलाधिकारी (ना.) 1405 दि. 7/6/2018
कुमारसैन, जिला शिमला

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण–1 के लिए मुहाल नौला, रिवाली एवं चंरोटा ग्राम पंचायत शमाथला में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकरी (ना.), कुमारसैन व प्रधान ग्राम पंचायत शमाथला के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व–साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन–सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	पंचायत / ग्राम सभा	जन–सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नौला रिवाली चंरोटा	शमाथला	01.07.18	10.00 प्रातः	महिला मण्डल भवन रिवाली

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व–साधारण, जन–प्रतिनिधियों व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन–सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन–सुनवाई में भाग लें।

उप–मण्डलाधिकारी (ना.)
कुमारसैन, जिला शिमला

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

प्रैस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्रम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिाकरी (ना.), रामपुर व प्रधानै ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपल्बध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	नाम पंचायत	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.2018	10:00 प्रातः	पंचायतघर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.2018	3:00 सांय	पंचायतघर दत्तनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुनर्वास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

RMP/Reader/ No- 859-60 Dt. 7/6/2018.

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

प्रेस नोट

लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 के लिए मुहाल नरोला, निरथ एवं भद्राश ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर में भूमि अर्जन से संभावित प्रभाव व निवारण हेतु ड्राफ्ट सामाजिक समाघात निवारण (Social Impact Assessment Study) रिर्पोट तैयार कर उपायुक्त शिमला, व उपमण्डल दण्डाधिकारी (ना.), रामपुर व प्रधान ग्राम पंचायत निरथ एवं दतनगर के कार्यालय में हिन्दी व अग्रेंजी में सर्व-साधारण के अध्ययन व सुझाव हेतु उपलब्ध करवाई गई है।

इस ड्राफ्ट रिर्पोट को अतिंम रुप देने के लिए जन-सुनवाई निम्न प्रकार से निश्चित की गई है:

ग्राम / मोहाल	नाम पंचायत	जन-सुनवाई की तिथि	समय	स्थान
नरोला निरथ	निरथ	02.07.2018	10:00 प्रातः	पंचायतघर निरथ
भद्राश	दतनगर	02.07.2018	3:00 सांय	पंचायतघर दतनगर

सभी हितवद्ध व्यक्तियों व सर्व-साधारण व गैर सरकारी संस्थाओं, पत्रकारिता/दूरदर्शन से जुडे सभी लोग इस जन-सुनवाई में भाग लेकर अपने विचार एवं सुझाव दे सकते है। परियोजना से संबंधित, पुर्नवास व पुर्नस्थापन के बारे में जानकारी ले सकते है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर जन-सुनवाई में भाग लें।

RMP/Reader/ No- 859-60 Dt- 7/6/2018

उप-मण्डलाधिकारी (ना.)
रामपुर, जिला शिमला

54200-[illegible]
15-1-18

MPP-F(5)-11/2016 Dated: Shimla-171002, the 05-01-2018

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred by rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact Assessment and Consent) Rules, 2015, the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to notify the Social Impact Assessment Unit as under to carry out Social Impact Assessment for the purpose of proposed Land Acquisition at Village Riwali, Charonta, Naula, Narola Tehsil Kumarsain Distt. Shimla, Village Nirath, Bhadrash, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla & Village Nithar, Gadej Tehsil Nirmand Distt. Kullu.

The proposed land at Village Riwali, Charonta, Naula, Narola, Tehsil Kumarsain Distt. Shimla, Village Nirath, Bhadrash, Tehsil Rampur Bsr. Distt. Shimla & Village Nithar, Gadej Tehsil Nirmand Distt. Kullu measuring 50-07-12 hect. comprising of Khasra Nos. attached as Annexure "A" is to be acquired by the SJVN Limited with the objectives for construction of Luhri Hydro Electric Project Stage-I in order to harness optimal hydel potential river of Satluj. This is run of river type [illegible] proposed scheme.

The strategy followed in Himachal Pradesh for exploitation of hydroelectric power resources is to produce as much energy as possible as fast as possible, with minimum cost and with minimum [illegible] negative impacts. The speedy exploitation of hydroelectric power potential will definitely improve the economic health of the State because 12 percent free power plus 1% LADF on all new installations will increase the resources of the state to a significant extent. The need for the project also arises from the need to fulfill a steady increase in peak electricity demand and the growing energy deficit in the Northern Region.

Thus, it is made clear that any attempt at [illegible] during Social Assessment will render this exercise as null and void and the [illegible]

C-1

consultations, survey and public hearings:

Sr. No.	Name & Address	Designation	Contact Information
1	Director, Himachal Pradesh Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla	Chairperson	Ph. 0177-2734[illegible] M- 094180-2224[illegible]
2	Deputy Secretary (Revenue) to the GoHP, H.P. Secretariat, Shimla-171002	Member Secretary	0177-2628[illegible]
3	The Incharge, State Institute of Rural Development, HIPA, Shimla	Member	M- 094595-8248
4	Head of Department of Sociology and Social Work, H.P. University, Shimla	Member	0177-2833[illegible]
5	Chief Scientific Officer, Department of Environment, Science & Technology, Shimla	Member	0177-28[illegible]

By Order

R.D. Dhiman
Principal Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Endst No: As above Dated: Shimla-171002, the [illegible] 2016

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Commissioner-cum-Principal Secretary (Revenue) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
2. The Deputy Commissioner, District Shimla and Kullu, Himachal Pradesh.
3. The Director, Public Information and Public Relation, Shimla, Himachal Pradesh with the request to publish the notification in two daily newspapers.
4. The Chairperson, Social Impact Assessment Unit, Himachal Institute of Public Administration, Fairlawns, Shimla.
5. All the members of the Social Impact Assessment Unit (By Name).
6. The Sub-Divisional Magistrate, Rampur/Kumarsain, Distt. Shimla & Ani, Distt. Kullu.
7. Tehsildar Rampur, Kumarsain Distt. Shimla & Ani, Distt. Kullu.
8. The Land Acquisition Collector, Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, Jhakri, Tehsil Rampur-Bushahr, District Shimla, Himachal Pradesh with the request to advertise the notification in the suitable places of the concerned area for publicity amongst the general public for their information.
9. Guard File.

Special Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh

C-2

		• अस्पताल (कैपिटल स्टाक)[5] • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन-सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के होटल • औद्योगिक पार्कों, एसईजेड, पर्यटन सुविधाएं तथा कृषि बाजार हेतु सांझी अवसंरचना • उर्वरक (पूंजी निवेश) • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-जांच प्रयोगशालाएं • शीत श्रृंखला[6]

[1] लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल है।
[2] कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।
[3] शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।
[4] फाइबर आप्टिक /वायर/तार नेटवर्क जो कि ब्राडबैण्ड/इन्टरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।
[5] चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केन्द्र शामिल है।
[6] कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, जल उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर प्री-कूलिंग हेतु शीत कक्ष सुविधा शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs

(INFRASTRUCTURE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

Sub: Harmonized list of Infrastructure sub-sectors and Institutional Mechanism for its updation

F. No. 13/6/2009-INF.—In pursuance of the decision of the Cabinet Committee on Infrastructure (CCI) taken in its meeting held on 1st March, 2012 on the identification of the harmonized list of Infrastructure sub-sectors, an Institutional Mechanism is hereby constituted consisting of the following:-

i. Secretary, Department of Economic Affairs - Chairman
ii. Member-Secretary, Planning Commission - Member
iii. Secretary, Department of Revenue - Member
iv. Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs - Member
v. Representative of Reserve Bank of India - Member
vi. Representative of Securities and Exchange Board of India (SEBI) - Member

C-18

vii.	Representative of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA)	- Member
viii.	Representative of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA)	- Member
ix.	Secretary of the concerned Administrative Ministry/Department	- Member

2. The Terms of Reference of the Institutional Mechanism would be as under:

i. To update the Master List of Infrastructure sub-sectors as enclosed at **Annexure-I**; and

ii. To revisit the infrastructure sub-sectors outside the Master List which are presently being supported by any agency after an appropriate period of time.

3. As per the decision of the CCI, the harmonised Master List of sub-sectors is meant to guide all the agencies responsible for supporting infrastructure in various ways. Each financing agency shall be free to spell out its reasons and draw its own list of sub-sectors out of the Master List, that it intends to support, with adequate justification for inclusion/non-inclusion of specific sub-sectors from the Master List.

4. The Institutional Mechanism will make recommendations to the Finance Minister for decision.

5. The Institutional Mechanism will be serviced by the Department of Economic Affairs.

RAJESH KHULLAR, Jt. Secy.

ANNEXURE-I

Harmonised Master List of infrastructure sub-sectors

S No	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	• Roads and bridges • Ports • Inland Waterways • Airports • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges[1] • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	• Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility[2] • Gas pipelines[3]
3.	Water & Sanitation	• Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments etc) • Storm Water Drainage System

C-18

4.	Communication	• Telecommunication (Fixed network)[4] • Telecommunication towers
5.	Social and Commercial Infrastructure	• Education Institutions (capital stock) • Hospitals (capital stock)[5] • Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million • Common infrastructure for industrial parks, SEZ, tourism facilities and agriculture markets. • Fertiliser (Capital investment) • Post harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage • Terminal markets • Soil-testing laboratories • Cold chain[6]

[1] Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings
[2] Includes strategic storage of crude oil
[3] Includes city gas distribution network
[4] includes optic fibre/ wire/cable networks which provide broadband /internet
[5] Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostic Centres
[6] Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat

1093GI/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

C-19

FORM-II(HP RTFCTLARR Rules, 2015)

Social Impact Assessment Report

[See sub-rule (3) of rule 3, sub-rule (5) & (6) of rule 7 and rule 14]

A. List of socio-economic and cultural parameters to be covered by the Social ImpactAssessment

1. Demographic details of the population in the project area
   (a) Age, sex, caste, religion

   (b) Literacy, health and nutritional status

2. Poverty levels

3. Vulnerable groups

   (a) Women,
   (b) Children
   (c) The elderly,
   (d) Women-headed households and
   (e) The differently abled

4. Kinship patterns and women's role in the family

5. Social and cultural organization.

6. Administrative organization.

7. Political organization.

8. Civil society organisations and social movements.

9. Land use and livelihood
   (a) Agricultural and non-agricultural use
   (b) Quality of land – soil, water, trees etc.
   (c) Livestock
   (d) Formal and informal work and employment.
   (e) Household division of labour and women's work
   (f) Migration
   (g) Household income levels
   (h) livelihood preferences
   (i) Food security

10. Local economic activities

(a) Formal and informal, local industries
  i. Access to credit
  ii. Wage rates
(b) Specific livelihood activities women are involved in

11. Factors that contribute to local livelihoods

(a) Access to natural resources
(b) Common property resources
(c) Private assets
(d) Roads, transportation
(e) Irrigation facilities
(f) Access to markets
(g) Tourist sites
(h) Livelihood promotion programmes
(i) Co-operatives and other livelihood-related associations

12. Quality of the living environment

(j) Perceptions, aesthetic qualities, attachments and aspirations
(k) Settlement patterns
(l) Houses
(m) community and civic spaces
(n) Sites of religious and cultural meaning
(o) Physical infrastructure (including water supply sewage systems etc.)
(p) Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres, public distribution system)
(q) Safety, crime, violence

B. Key impact areas

1. Impacts on land, livelihoods and income
   (a) Level and type of employment
   (b) Intra-household employment patterns
   (c) Income levels
   (d) Food Security
   (e) Standard of living
   (f) Access and control over productive resources
   (g) Economic dependency, or vulnerability
   (h) Disruption of local economy
   (i) Impoverishment risks
   (j) Women's access to livelihood alternatives

D-2.

2. Impact on physical resources

(a) Impacts on natural resources, soil, air, water, forests
(b) Pressure on land and common property natural resources for livelihoods

3. Impacts on private assets, public services and utilities

(a) Capacity of existing health and education facilities
(b) Capacity of housing facilities
(c) Pressure on supply of local services.
(d) Adequacy of electrical and water supply, roads, sanitation and waste management system
(e) Impact on private assets such as bore wells, temporary sheds etc.

4. Health impacts

(a) Health impacts due to in-migration
(b) Health impacts due to project activities with a special emphasis on:-
    i. Impact on women's health
    ii. Impact on the elderly

5. Impacts on culture and social cohesion

(a) Transformation of local political structures
(b) Demographic changes
(c) Shifts in the economy-ecology balance
(d) Impacts on the norms, beliefs, values and cultural life
(e) Crime and illicit activities
(f) Stress of dislocation
(g) Impact of separation of family cohesion
(h) Violence against women

6. Impact at different stages of the project cycle

The type, timing, duration and intensity of social impacts will depend on and relate closely to the stages of the project cycle. Below is an indicative list of impacts

(a) Pre-construction phase

i. Interruption in the delivery of services
ii. Drop in productive investment
iii. Land speculation
iv. Stress of uncertainty

(b) Construction phase

i. Displacement and relocation
ii. Influx of migrant construction workforce

iii. Health impacts on those who continue to live close to the construction site

(c) Operation phase

i. Reduction in employment opportunities compared to the construction phase
ii. Economic benefits of the project
iii. Benefits on new infrastructure
iv. New patterns of social organisation

(d) De-commissioning phase

i. Loss of economic opportunities
ii. Environmental degradation and its impact on livelihoods

(e) Direct and indirect impacts

i. Direct impactsl will include all impacts that are likely to be experienced by the affected families (i.e. Direct land and livelihood losers)
ii. Indirect impactsl will include all impacts that may be experienced by those not directly affected by the acquisition of land but those living in the project area

(f) Differential impacts

i. Impact on women, children, the elderly and the different abled
ii. Impacts identified through tools such as Gender Impact Assessment Checklists, and Vulnerability and Resilience Mapping

(g) Cumulative impacts

i. Measureable and potential impacts of other projects in the area along with the identified impacts for the project in question
ii. Impact on those not directly in the project area but based locally or even regionally.

B. Table of Contents for Social Impact Assessment Report and Social ImpactManagement Plan.

Chapter	Content
Executive Summary	(a) Project and public purpose (b) Location (c) Size and attribute of land acquisition (d) Alternatives considered (e) Social Impacts (f) Mitigation measures

D-4.

	(g) assessment of social costs and benefits.
Detailed Project Description	(a) Background of the project, including developers background and governance or management structure. (b) Rationale for project including how the project fits the public purpose criteria listed in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. (c) Details of project size, location, capacity, outputs, production targets, cost, risks. (d) Examination of alternatives (e) Phases of project construction (f) Core design features and size and type of facilities (g) Need for ancillary infrastructural facilities. (h) Work force requirements (temporary and permanent) (i) Details of Social Impact Assessment or Environmental Impact Assessment if already conducted and any technical feasibility reports (j) Applicable legislations and policies
Team composition, approach, methodology and Schedule of the Social Impact Assessment.	(a) List of all team members with qualifications, Gender experts to be included in team. (b) Description and rationale for the methodology and tools used to collect information for the Social Impact Assessment. (c) Sampling methodology used. (d) Overview of information or data sources used. Detailed reference must be included separately in the forms. (e) Schedule of consultations with key stakeholders and brief description of public hearings conducted. Details of the public hearings and the specific feedback incorporated into the Report must be included in the forms.

Land Assessment.	(a) Information from land inventories and primary sources- Describe with the help of the maps. (b) Entire area of impact under the influence of the project (not limited to land area for acquisition) (c) Total land requirement for the project (d) Present use of any public, unutilized land in the vicinity of the project area (e) Land (if any) already purchased, alienated, leased or acquired, and the intended use for each plot of land required for the project (f) Quantity and location of land proposed to be acquired for the project (g) Nature, present use and classification of land and if agricultural land, irrigation coverage and cropping patterns (h) Size of holdings, ownership patterns, land distribution, and number of residential houses (i) Land prices and recent changes in ownership, transfer and use of lands over the last 3 years
Estimation and enumeration (where required) of affected families and assets	Estimation of the following types of families that are— (a) Directly affected (own land that is proposed to be acquired): (i) Are tenants or occupy the land proposed to be acquired (ii) The Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who have lost any of their forest rights (iii) Depend on common property resources which will be affected due to acquisition of land for their livelihood (i) Have been assigned land by the State Government under any of its schemes and such land is under acquisition; (ii) Have been residing on any land in the urban areas for Preceding three years or more prior to the acquisition of the land (iii) Have depended on the land being acquired as a primary source of

	livelihood for three years prior to the acquisition (b) Indirectly impacted by the project (not affected directly by the acquisition of own lands) (c) Inventory of productive assets and significant lands
Socio-Economic and cultural profile (affected area and resettlement site)	(a) Demographic details of the population in the project area (b) Income and poverty levels (c) Vulnerable groups (d) Land use and livelihood (e) Local economic activities (f) Factors that contribute to local livelihoods (g) Kinship patterns and social and cultural organisation (h) Administrative organisation (i) Political organisation (j) Community-based and civil society organizations (k) Regional dynamics and historical change processes (l) Quality of the living environment
Social impacts	(a) Framework and approach to identifying impacts (b) Description of impacts at various stages of the project cycle such as impacts on health and livelihoods and culture. For each type of impact, separate indication of whether it is a directly or indirect impact, differential impacts on different categories of affected families and where applicable cumulative impacts. (c) Indicative list of impacts areas include: impacts on land, livelihoods and income, physical resources, private assets, public services and utilities, health, culture and social cohesion and gender based impacts.
Analysis of costs and benefits and recommendations on acquisition	(a) Final conclusions on: assessment of public purpose, less-displacing alternatives, minimum requirements of land, the nature and intensity of social impacts, the viability of the mitigation measures and the extent to which mitigation

	measures described in the Social Impact Management Plan will address the full range of social impacts and adverse social costs. (b) The above analysis will use the equity principle described in Rule 9(10) as a criteria of analysis for presenting a final recommendation on whether the acquisition should go through or not
References and Forms	For reference and further information

Annexure 4.2

FORM-III(HP RTFCTLARR Rules, 2015)

(See sub-rule (4) of rule 3)

Social Impact Management Plan

1) Approach to mitigation

2) Measures to avoid, mitigate and compensate impact

3) Measures that are included in the terms of Rehabilitation & Resettlement and compensation as outlined in the Act.

4) Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal.

5) Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response to the findings of the Social Impact Assessment process and public hearings.

The Social Impact Management Plan must include a description of institutional structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for each activity.

2. Candidate should not have attained the upper Age as prescribed above as on the closing date of advertisement.

3. The candidates should have minimum relevant experience as on date of Walk-in interview.

4. Before offering their candidature for any of these posts, the candidates should ensure that they fulfil all eligibility conditions.

5. Their admission at all the stages of the Interview will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.

6. In case it is detected that at any stage that the candidate doesn't fulfil any of the eligibility criterion, his/her candidature shall be rejected /cancelled, without assigning any reasons thereof. Similarly, even after joining, if it is found that the candidate has furnished any incorrect information or suppressed any material fact / information, his / her services shall be summarily terminated at the discretion of SAPDC Management.

7. The decision of the SAPDC as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the interview shall be final.

8. Only Nepalese citizens need apply. Preference will be given to deserving Project Affected Persons (PAPs), subject to fulfilling the requisite qualifications and experience suiting to the job requirements.

9. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview / written test for selection process as per requirement of post.

10. The management reserves the right to increase / decrease the number of posts or consider for lower posts / grade or not to fill up any of the post or raise the minimum eligibility standards or relax age / experience or any other criterion in other wise suitable cases and also cancel candidature of any candidate / or cancel entire recruitment process without assigning any reason. Merely meeting the above qualifications and experience shall not entitle a candidate to be called for interview/ selection process.

11. Any legal proceeding in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and/or an application in response there to can be instituted only in Kathmandu and court / tribunal / forum at Kathmandu only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any such cause /dispute.

12. SAPDC will take up verification of eligibility condition with reference to original document only at the stage of interview / selection.

13. Advance applications in the prescribed format along with copies of testimonials / certificates in support of age, Qualification, experience, etc. may be sent through E-mail to **sapdcrecruit@gmail.com.**

14. Candidates must appear in person along with their applications on prescribed format (as available on respective websites / job portals) and certified copies of Testimonials / Certificates in support of age, education, experience citizenship, etc. The candidates must carry original certificates / Testimonials for verification only, which will be returned immediately.

4. <u>जमीन और मकानों का उचित मुआवज़ा देने वारेः</u> जमीन का उचित मुआवजा दिलाना सरकार की जिम्वेवारी है। इस लिए नए **Land acquisition Act** के अनुसार मुआवजा मिलना चाहिए। चूकिं सतलुज के दोनों किनारों पर इस परियोजना का निर्माण किया जाना है इसलिए दोनों किनारों पर जो निजि भूमि अधिकृत की जानी है उसका समान मुआवजा मिलना चाहिए।
5. <u>पीने के पानी की व्यवस्था करने वारेः</u> इस परियोजना से प्रभावित होने वाले अधिकांश परिवार जमीन रहित नहीं होने जा रहे है क्योंकि उनकी जमीनें ग्राम पंचायत नित्थर और देहरा के अंर्तगत आती है। लेकिन इन पंचायतों में पीने के पानी की जो समस्या है वह किसी से भी छुपी हुई नहीं है। इस लिए हमारा परियोजना अधिकारियों से आग्रह है कि परियाजना स्थल से ही इन पंचायतों को पानी लिफट किया जावे जिसकी पूरी जिम्वेवारी परियोजना अधिकारियों की होगी।
6. <u>परियोजना प्रभावित लोंगों के स्वास्थय के बारेः</u> चूकिं परियोजना प्रभावित क्षेत्र में मा्त्र एक स्वास्थय केंद्र (**PHC**) है जहां सारी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है इलिए हमारा सरकार एवं परियोजना अधिकारियों से आग्रह है कि इस **PHC** को (**NHM**) के साथ जोडकर यहां विशेषज्ञ चिकित्सक वैठांए जाए जिससे यहां लगभग सात–आठ पंचायतों को फायदा होगा।
7. <u>परियोजना प्रभावित क्षेत्र में निजि स्कूल खोलने वारेः</u> परियोजना प्रभावित क्षेत्र में एक निजि स्कूल खोला ज्ञाना चाहिए जिससे परियोजना प्रभावितों के साथ–2 यहां की सात–आठ पंचायतों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। चूंकि सतलूज जल विघुत निगम ने अपनी सभी परियोज्रनाओं के क्षेत्र में निजि स्कूल खुलवाए है इसलिए यहां भी स्कूल खुलना जरुरी है।

इस परियोजना का कार्य शुरु होते–2 आठ से नौ वर्ष बीत चुके है लेकिन अभी तक ये सिरे नहीं चढी है। अतः हमारा हि0प्र0 सरकार और सतलूज जल विघुत निगम से आग्रह कि इसका कार्य प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए ताकि इसका फायदा सरकार के साथ स्थानीय जनता को भी मिल सके।

धन्यवाद,

दिनांक 30/6/2018

भवदीय,

(कपूर ठाकुर)
गांव शनाह,
ग्रम पंचायत देहरा,
जिला कुल्लू हि0प्र0

moved to say

कार्यालय ग्राम पंचायत, करांगला

विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला (हि०प्र०)

पंचायती राज विभाग

क्रमांक ________

दिनांक 2/7/2018

प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा 14/01/2018

प्रतिलिपि 176/डी अध्यक्षता श्री मोहन लाल प्रधान ग्राम पंचायत, करांगला

विषय :- ग्राम पंचायत करांगला (SJVNL Luhari Project) द्वारा प्रभावित क्षेत्र में लिये जाने बारे।

पंचायत बैठक में उपरोक्त विषय पर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत करांगला को SJVNL लूहरी Project द्वारा प्रभावित क्षेत्र में लिया जाए। ताकि स्थानीय जनता को इसका पूर्ण लाभ मिल सके। Project से पंचायत के गाँव करांगला, कुन्ढ, कलमोग, ओढ, कोठी, नथी ओढ, बैहट व जमोल गाँव के निवासी प्रभावित हो रहे हैं। अतः पंचायत मांग करती है कि पंचायत को प्रभावित क्षेत्र में लिया जाए तथा डैम बनने के बाद डैम से जो पानी निकाली होगी इस पानी को उपरोक्त गाँव को कृषि हेतु उठाऊ सिंचाई योजना के तहत जोड़ा जाए क्योंकि इसे जनहित में अति आवश्यक समझें।

प्रस्ताव पारित किया जाकर प्रतिलिपि भेजी जानी स्वीकार है।

प्रधान
ग्राम पंचायत करांगला
विकास खण्ड ननखरी
जिला शिमला (हि.प्र.)

प्रतिलिपि :- ता. सेवा में श्रीमान उपमंडलाधिकारी (ना०) रामपुर बुशहर।

d) The summaries of the SIA report were not made availa h the date of public hearing neither any ste were taken to share th dings of the SIA report;

e) The Panchayats were not included in all the decisi aking regarding the arrangements for the public hearing ;

f) The proceedings were not drawn on the spot;

g) local voluntary organizations were not involved;

7. As a matter of fact the public hearing was pushed through t was conducted only to fulfill the legal requirement. In fact hardly any knew as to what was there in the SIA and the suggestion given by the hayati Raj representatives and other people were based on tentative vague information. In fact this was conducted at the fag end of the per herein the SIA report has to be submitted. It was done in this manner rately and the reaction and consent has been taken on dotted lines eding wrong input.

It is therefore, requested that the report may not be accepted in present form in the interest of justice and fair play and the stake holders m heard again in a fair and open manner in the interest of public at la nd the construction of project itself.

As a precursor to the fair public opinion on the issue the follo is also submitted:-

8. The circle rates in the area may be rationalized and brought u ne with the prevailing market rates which are substantially higher than the e rates. Having done so, the market value of the land may please be lied by factor 2.00 (two) under the first schedule of the Right to Fair C nsation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Rese nt Act, 2013.

9. The rehabilitation and resettlement entitlements may be drawn ally and well in advance and focus may be given on providing direct e ment to the families of the areas and also before that to provide necessar ing and capacity building in advance to enhance of the employability of rsons of the area.

Yours faithf

प्रेम सिंह दैक भा.उ.म (म.न.)
भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
मो., 94183 40713 , 8894997713
ई-मेल psdraik@gmail.com

गाव रगोरी (खिलट
डाकघर सराहन बु
जिला शिमला (हि
पिन कोड – 17210

क्रमांक.........   नाक ५ | 7 | 1

To

The Sub- Divisional Officer (civil)
Rampur Bushar, Tehsil Rampur,
District Shimla, H.P.

Subject   Public hearing in relation to study m: de in Social Impact A   nent of proposed Luhri Hydro Electric Pow :r Project.

Madam,

Public hearing into the matter cited in tl e subject was held at   and Duttnagar Panchayats of Rampur Tehsil on 2.07.:018. In this regard,   ving submissions are made;

1. The agency preparing report listed two villag :s as affected area and   lved only two Panchayats in the public heari: g. Thereby interest   hers Panchayats and people who fall in the perip iery of five kilometer   ands proposed to be acquired were ignored thou; h they will be affecte   a as and when notified by the Government. S ich Panchayats are   gla, Delath, Barach and Thaili-Chakti in Nankhar Tehsil.
2. No due publicity was made w.r.t the public he: ring and the SIA repor   not available for the study among the general pi blic even in the villag   iere land is being acquired.
3. The Panchayats of the peripheral area did no know anything. Ever   Zila Parishad Member who represents these Panc iayats were land is pr   1 to be acquired was not informed or the report w: s not provided.
4. The Public hearing was made an affair of particular political p   and workers of such party attended in good numt er with local MLA he   the process.
5. The peripheral Panchayats and Zila Parishad Member came to kno   the public hearing by chance though they had no dea of the subject mat   the public hearing.
6. The following class of persons were ignored in he matter of public   ng;
   a) agriculture labourers, tenants, artisan: ,
   b) persons who have rights under th Scheduled Tribes ar   her Traditional Forest Dwellers (Recognitic n of Forest Rights) Ac   6;
   c) The date and venue of the public iearing was not publ   in advance in the villages within the radi>s of five kilometers   the land proposed to be acquired, neithe draft SIA report w   ide available in such area;